इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

पुलिस, न्यायपालिका, जेल और क़ानूनी सहायता
की क्षमता पर राज्यों की रैंकिंग

India
Justice
Report | 2025

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट: पुलिस, न्यायपालिका, जेल और क़ानूनी सहायता की क्षमता पर राज्यों की रैंकिंग

2025 में प्रकाशित

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है जो राज्यों की न्याय प्रदान करने की क्षमता को रैंक करती है।

यह रिपोर्ट न्याय व्यवस्था के चार मुख्य स्तंभों— पुलिस, जेल, न्यायपालिका, क़ानूनी सहायता के साथ ही मानवाधिकार आयोगों— की क्षमता का मूल्यांकन इनके मानव संसाधनों, इंफ़्रास्ट्रक्चर, बजट, कार्यभार और विविधता जैसे पहलुओं के माध्यम से करती है। महत्वपूर्ण यह है कि, IJR पांच साल के आंकड़ों की तुलना करके, यह आकलन करती है कि सरकारें साल दर साल न्यायिक प्रशासन में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास करती हैं। रुझानों का ऐसा विश्लेषण हर राज्य की न्याय प्रदान करने की व्यवस्था में सुधार की इच्छा को पहचानने और इसे वास्तविक ज़रूरतों के अनुरूप देखने में मदद करता है। पुलिस, जेल, क़ानूनी सहायता, न्यायपालिका और राज्य मानवाधिकार आयोगों के मूल्यांकन के अलावा, IJR का यह संस्करण फॉरेंसिक, मध्यस्थता और विकलांगता की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है।

IJR अलग-अलग जगहों पर बिखरे आंकड़ों को एक स्थान पर लाकर नीति निर्माताओं को एक सरल लेकिन विस्तृत उपकरण उपलब्ध कराती है। सभी आंकड़े एक जगह आने से संपूर्ण नीतिगत ढांचा तैयार करने का आधार मिलता है। इसके साथ ही आंकड़ों को बजट, मानव संसाधन, इंफ़्रास्ट्रक्टर, कार्यभार और विविधता में बांटकर उन विषयों की पहचान की जा सकती है जिन पर पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। इन पर उचित समय पर ध्यान दिया जाए तो समग्र सुधार की श्रृंखला की शुरुआत हो सकती है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष दानदाताओं, सिविल सोसाइटी और व्यवसायिक समुदायों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह अहम साझेदारों को प्रभावशाली समूहों के बीच तथ्यात्मक आंकड़े प्रदान करती है। इसके आधार पर वे अपनी सिफ़ारिशें तैयार कर सकते हैं। यह सरकारों और विभिन्न विचारधाराओं वाले सक्रिय नागरिकों के बीच भागीदारी वाले ऐसे संवाद की गुंजाइश देती है, जो उनकी राय पर आधारित न होकर निष्पक्ष तथ्यों पर आधारित होते हैं। इससे सहमति के साथ सुधार की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है।

आख़िरकार, न्याय सभी के मतलब की चीज़ है।

अधिक जानकारी के लिए, IJR की वेबसाइट देखें:
https://indiajusticereport.org

रिपोर्ट को ऑनलाइन पढ़ने और वेब इंटरैक्टिव देखने के लिए यह कोड स्कैन करें

कवर डिज़ाइन: नियति सिंह

डिज़ाइन: हाउ इंडिया लिव्स

प्रिंटवर्ल्ड द्वारा मुद्रित
पता: 1743 उदयचंद मार्ग, फर्स्ट और अपर ग्राउंड फ़्लोर, कोटला मुबारकपुर, साउथ एक्सटेंशन के पास, भाग-1, नई दिल्ली- 110003

© सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, 2025

यह रिपोर्ट विभिन्न सरकारी संस्थाओं और न्यायपालिका के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। यहां प्रस्तुत सूचनाओं को हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्यापित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। टाटा ट्रस्ट्स और लेखक इस रिपोर्ट में सामान्य तौर पर या रैंकिंग के लिए उपयोग किए गए संदर्भों, जानकारी, डेटा या उनके स्रोतों की शुद्धता या सटीकता के लिए किसी भी प्रकार की ज़िम्मेदारी से इनकार करते हैं।

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस रिपोर्ट के डिज़ाइन समेत किसी भी हिस्से को, किसी भी रूप में- इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल, किसी भी माध्यम से- फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या कोई अन्य सूचना भंडारण या पुनः प्राप्ति प्रणाली द्वारा नीचे दिए गए संदर्भ के साथ फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है।

संदर्भ सुझाव: 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट: पुलिस, न्यायपालिका, जेल और क़ानूनी सहायता की क्षमता पर राज्यों की रैंकिंग'

India Justice Report | 2025

पुलिस, न्यायपालिका, जेल और क़ानूनी सहायता की क्षमता पर

राज्यों की रैंकिंग

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2025, सरकार के आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करके विभिन्न राज्यों की औपचारिक न्याय व्यवस्था की क्षमता को रैंक करने वाला एकमात्र व्यापक गणनात्मक सूचकांक है। यह दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव (CHRI), कॉमन कॉज़, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS-प्रयास के सहयोग से किया गया एक साझा प्रयास है।

पहली बार 2019 में प्रकाशित हुई IJR के चौथे संस्करण में भी हर राज्य की संरचनात्मक और वित्तीय क्षमता में सुधार और स्थायी कमी का पता लगाया गया है। सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की न्याय प्रदान करने की क्षमता का आकलन उनकी पुलिस, न्यायपालिका, जेल, क़ानूनी सहायता और मानवाधिकार आयोगों के बजट, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा, कार्यभार, और विविधता जैसे मात्रात्मक मापदंडों पर किया गया है।

संचालन समिति

- → डॉ. अर्घ्य सेनगुप्ता, संस्थापक, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी
- → गगन सेठी, सह-संस्थापक, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस
- → लिया वर्गीज़, रिसर्च मैनेजर, दक्ष
- → माया दरूवाला, मुख्य संपादक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
- → वलय सिंह, लीड, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
- → वेंकटेश नायक, निदेशक, कॉमलवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव, इंडिया
- → प्रोफ़ेसर विजय राघवन, TISS-प्रयास
- → डॉ. विपुल मुद्गल, निदेशक, कॉमन कॉज़

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टीम

- → डॉ. अर्शी शौकत, डेटा एनालिस्ट
- → भारत सिंह, संचार सलाहकार
- → माया दरूवाला, मुख्य संपादक
- → नयनिका सिंघल, वरिष्ठ शोधकर्ता
- → निदा परवीन, शोधकर्ता
- → सरब लांबा, शोधकर्ता
- → सौम्या श्रीवास्तव, शोधकर्ता
- → वलय सिंह, लीड

सब-ग्रुप सदस्य

- → नुपुर, प्रबंधक ट्रस्टी, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस
- → प्रोफ़ेसर विजय राघवन, TISS-प्रयास
- → राधिका झा, प्रोजेक्ट लीड (रूल ऑफ़ लॉ), कॉमन कॉज़
- → देविका प्रसाद, स्वतंत्र शोधकर्ता
- → देवयानी श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रबंधक, शोध, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी
- → मधुरिमा धनुका, पूर्व कार्यक्रम प्रमुख, जेल सुधार, कॉमलवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव
- → लिया वर्गीज़, रिसर्च मैनेजर, दक्ष
- → स्मिता मट, स्ट्रैटिजिक इनीशिएटिव लीड, दक्ष
- → ज्योतिका रंधावा, रिसर्च फेलो, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी

अध्यायों के लिए लेखकों के नाम (रिपोर्ट के क्रमानुसार)

1. प्रस्तावना- जस्टिस (रिटायर्ड) संजय किशन कौल, पूर्व न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
2. आभार
3. संक्षिप्ताक्षर
4. परिचय- माया दारूवाला
5. मुख्य निष्कर्ष
6. **पुलिस** - देवयानी श्रीवास्तव, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी; राधिका झा, कॉमन कॉज़; वलय सिंह, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट; नयनिका सिंघल, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट।
7. **जेल** - प्रो. विजय राघवन, TISS-प्रयास; मधुरिमा धनुका, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव; वलय सिंह, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट; नयनिका सिंघल, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट।
8. **न्यायपालिका** - ज्योतिका रंधावा, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी; लिया वर्गीज़, दक्ष; स्मिता मट, दक्ष; नयनिका सिंघल, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट; सरब लाम्बा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट।
9. **क़ानूनी सहायता** - प्रो. विजय राघवन, TISS-प्रयास; नूपुर, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस; मधुरिमा धनुका, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव; नयनिका सिंघल, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट; सरब लाम्बा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट।
10. **राज्य मानवाधिकार आयोग** - माया दारूवाला, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट; नयनिका सिंघल, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट; निदा परवीन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट।
11. कार्यप्रणाली
12. हिंदी अनुवाद: भारत सिंह, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
    *तकनीकी वजहों से हिंदी अनुवाद में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, जिसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं।

आंकड़े और डिज़ाइन: हाउ इंडिया लिव्स (www.howindialives.com)

साझेदारों के बारे में

- **सेंटर फॉर सोशल जस्टिस** (सामाजिक न्याय केंद्र/CSJ) संगठन हाशिए पर पड़े और कमज़ोर वर्गों के न्याय तक पहुंचने के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। फ्रेरे की विचारधारा से प्रेरित CSJ, भारत के आठ से अधिक राज्यों में सक्रिय है, जहां उसने मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए प्रयास किए हैं और ज़मीनी स्तर पर क़ानून का रणनीति के रूप में उपयोग करते हुए काम किया है। CSJ की मुख्य कोशिशें क़ानूनी सुधार और अनुसंधान में संस्थागत बदलाव लाना है। ये हस्तक्षेप महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और अन्य सामाजिक रूप से कमज़ोर समूहों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर क़ानून और नीति निर्माण को ज़मीनी कार्यकर्ताओं के आंदोलन के साथ व्यापक रूप से जोड़ते हैं।

- **कॉमन कॉज़** सार्वजनिक मुद्दों की वकालत, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संस्थाओं की अखंडता के लिए अभियानरत है। यह लोकतांत्रिक तरीक़ों और प्रचार के ज़रिए लोकतंत्र, सुशासन और सार्वजनिक नीतियों में सुधारों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। कॉमन कॉज़ ख़ासतौर पर उन बदलावों के लिए जाना जाता है जो वह जनहित याचिकाओं (PILs) के माध्यम से लाने में सफल रहा है, जैसे कि पूरे टेलीकॉम स्पेक्ट्रम का रद्द होना; मनमाने तरीके से आवंटित कोयला खदानों का रद्द होना और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार' को मान्यता देना। कॉमन कॉज़ और CSDS-लोकनीति 2018 से पुलिस की जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग पर 'स्टेटस ऑफ़ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट्स' (SPIRs) प्रकाशित करते हैं।

- **कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI)** एक स्वतंत्र, गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन है जो राष्ट्रमंडल देशों में शोध, रणनीतिक प्रचार और क्षमता निर्माण के माध्यम से मानवाधिकारों की व्यावहारिक प्राप्ति के लिए कार्य करता है। CHRI विशेष रूप से न्याय तक पहुंच (पुलिस और जेल सुधार) और सूचना तक पहुंच के क्षेत्र में काम करता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया अधिकारों और दासता के समकालीन रूपों को समाप्त करने के लिए भी कार्य करता है। CHRI कॉमनवेल्थ द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है और इसे UN ECOSOC (संयुक्त राष्ट्र इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल) से विशेष परामर्शदाता का दर्जा प्राप्त है।

- **DAKSH** बेंगलुरु स्थित एक थिंक-टैंक है जो मज़बूत, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक संस्थाओं की दिशा में कार्य करके कानून के शासन को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

- **TISS–प्रयास** की 1990 में स्थापना की गई। यह 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज' के 'सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी' की एक सामाजिक कार्य प्रदर्शन परियोजना है। 'प्रयास' का मुख्य ध्यान सेवा प्रदान करने, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों और समूहों के लिए सुधार और पुनर्वास से संबंधित नीतिगत बदलाव लाने पर है। इसका मिशन सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों, समुदायों और समूहों को मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली की नीति और प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी और समझ देना है, क्योंकि इन लोगों/समूहों के आपराधिक वारदातों, यौन शोषण या मानव तस्करी का शिकार होने का ज़्यादा ख़तरा होता है।

- **विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी** एक स्वतंत्र थिंक-टैंक है जो क़ानूनों को बेहतर बनाने और सार्वजनिक हित के लिए शासन सुधारने के उद्देश्य से क़ानूनी शोध करता है। यह उच्च गुणवत्तापूर्ण और मौलिक क़ानूनी शोध के ज़रिए यह कार्य करता है। साथ ही, भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के साथ मिलकर नीति-निर्माण के बारे में सूचित करने और नीतियों के प्रभावी ढंग से क़ानून बनने में सहायता करता है; महत्वपूर्ण क़ानून और नीति संबंधी मुद्दों पर न्यायालयों में अपील और रणनीतिक मुक़दमेबाजी करता है। इसके स्थायी मूल्य प्रभाव, उत्कृष्टता और स्वतंत्रता हैं।

प्रस्तावना

न्याय प्रदान करने के लिए न केवल ईमानदारी की आवश्यकता होती है, बल्कि विवादों का समयबद्ध समाधान भी ज़रूरी है, ताकि अदालत तक आने वाले लोगों का न्यायिक संस्थान में विश्वास बना रहे। तकनीक के इस युग में यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि लोग वर्षों और दशकों तक फ़ैसलों का इंतज़ार करेंगे। न्याय में अत्यधिक देरी के कारण नागरिकों को क़ानून अपने हाथ में लेने की ज़रूरत महसूस होने लगती है।

अन्य संस्थानों की तरह न्याय प्रणाली को भी स्वतंत्र मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' न्याय प्रदान करने वाली व्यवस्था के स्वतंत्र ऑडिटर के रूप में कार्य करती रही है। यह रिपोर्ट एक कटु और अकाट्य सत्य को उजागर करती है कि हमारी न्याय प्रदान करने वाली व्यवस्था आज भी अपने उद्देश्यों को पूरा करने से बहुत दूर है। रिपोर्ट की प्रामाणिकता इस बात में निहित है कि यह अपने निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित साक्ष्यों का उपयोग करती है। इस वजह से यह हमारा इस असहज सच से सामना कराती है कि क़ानूनी तौर पर सभी को समान न्याय का वादा अभी भी एक सपना ही है।

रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़े हमारी न्याय व्यवस्था के संचालकों के लिए बुनियादी प्रश्न उठाते हैं कि हम कैसे जड़ता के इस चक्र को तोड़कर सुधार की शुरुआत कर सकते हैं?

हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि रिपोर्ट से जो मुख्य धारणा उभरती है, वह न्याय व्यवस्था में मौजूद लोगों की आलोचना नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को सदमा देने वाली बात है। इसके मुताबिक न्याय व्यवस्था में लंबे समय से ऐसी ज़रूरी क्षमताओं का अभाव बना हुआ है, जो इस व्यवस्था में कार्यरत लोगों की कोशिशों से इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए चाहिए।

अक्सर, इस व्यवस्था में कार्यरत कर्मचारी उस ढांचे से ही जूझते नज़र आते हैं जिसे संभालने के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है। सही मायनों में किसी संस्थान की सामर्थ्य व्यक्तियों की क्षणिक प्रतिभा या अस्थायी उपायों पर निर्भर नहीं रह सकती। इसके लिए आम लोगों की क्षमताओं और कौशल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है, और उन्हें व्यक्तिगत योगदान से हटकर, एक मज़बूत ढांचे के लिए सहयोग देने के लिए प्रेरित भी किया जाना चाहिए। एक सक्षम न्याय व्यवस्था की प्राथमिकताएं लचीलापन, पूर्वानुमान लगाने में सक्षम और निष्पक्ष होना है। साथ ही, व्यवस्था में असाधारण बहादुरी के उदाहरणों के बजाए इसका सामान्य रूप से दक्ष होना ज़्यादा ज़रूरी है। व्यवस्था केवल इच्छाशक्ति और व्यक्तिगत योगदानों पर निर्भर रहने के बजाए, इस तरह से बनी हो कि वह निरंतरता में सुसंगत प्रदर्शन करे।

एक प्रभावी न्याय प्रणाली एक स्पष्ट, स्वतंत्र दृष्टि और मज़बूत मूल्यों के आधार पर भी टिकी होती है। इसके सिद्धांत हमारे संविधान से प्रेरित हों और इस व्यवस्था के हर पहलू में समाहित हों ताकि इस प्रणाली में शामिल सभी लोगों का प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण इसी आधार पर हो एक समग्र दृष्टि के अलावा, व्यवस्था का ढांचा और प्रक्रियाएं भी स्पष्ट होनी चाहिए जिससे इसकी नियमितता, पूर्वानुमान, पहुंच, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो और इसमें लोगों की वास्तविक भागीदारी हो। इस व्यवस्था में उस विविधतापूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिसे यह सेवा देती है। अहम बात यह है कि व्यवस्था का स्पष्ट उद्देश्य उन ज़रूरतों को पूरा करना हो, जिसके लिए इसे बनाया गया है और यह सब व्यक्तिगत कोशिशों पर निर्भर न रहकर, व्यवस्था आधारित प्रयास होने चाहिए।

दशकों से अदालतें, आयोग, सरकारें और नागरिक समाज हमारी न्याय प्रणाली में लगातार आ रही कमियों और कार्यक्षमता की विफलताओं का विश्लेषण कर उसका उल्लेख कर रहे हैं, जबकि इस व्यवस्था के भुक्तभोगी रोज़ इसका अनुभव करते हैं। इसके लिए आने वाले प्रस्तावों, सिफ़ारिशों और समाधान के प्रस्तावों की संख्या कम नहीं है।

फिर भी, न्याय व्यवस्था का अस्तित्व या संचालन अकेले नहीं होता। यह राजनीतिक, वित्तीय और प्रशासनिक ताकतों से प्रभावित होने वाली शासन संरचना से व्यापक तौर पर जुड़ी है। इसी से इसका प्रदर्शन भी तय होता है। इसमें सुधार लाने के लिए केवल सिफ़ारिशों की सूची तैयार कराने से आगे बढ़कर इस पर निरंतर दबाव बनाने, राजनीतिक इच्छाशक्ति और बदलाव को प्रोत्साहित करने वाली स्पष्ट रणनीति की ज़रूरत है। आख़िरकार, हमें उन एक जैसे रास्तों की पहचान करनी होगी जो न्याय व्यवस्था की सभी शाखाओं में मौजूद हैं और जो काग़ज़ पर दिए गए सुझावों को ठोस और व्यावहारिक परिणामों में बदल सकते हैं।

'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' यह उदाहरण पेश करती है कि कैसे कठिन और डेटा-आधारित मूल्यांकन सुधार की राह दिखा सकते हैं। यह रिपोर्ट समय-समय पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है और इस दौरान ऐसे मानकों का इस्तेमाल करती है, जो नीतिगत निर्णय और सार्वजनिक विमर्श को आकार दे सकते हैं। पारदर्शिता और तुलनात्मक

रैंकिंग राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करती है, जिससे वे अपनी रैंकिंग में सुधार करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस रिपोर्ट से मिलने वाली जानकारी को अमल में लाने के लिए, सिविल सोसाइटी, अकादमिक जगत और मीडिया को इन एकत्रित आंकड़ों का उपयोग कर बेहतर प्रदर्शन की मांग करनी चाहिए। अदालतों, आयोगों और नीति निर्धारकों को भी इस जानकारी को मात्र एक ज्ञानवर्धक विषय के रूप में नहीं, बल्कि सुधारों को लागू करने के उपकरण के तौर पर देखना चाहिए जो असल ज़िंदगी पर असर डालें।

यह रिपोर्ट एक विशिष्ट चुनौती की ओर ध्यान दिलाती है: न्यायिक संस्थाओं में लंबे समय से चली आ रही कमियां। चाहे पांच करोड़ पेंडिंग केसों के बोझ तले दबी न्यायपालिका हो, या अत्यधिक रिक्त पदों की चुनौती से जूझ रहा पुलिस विभाग हो, या फिर ऐसी जेलें जो पुनर्वास की बजाय केवल क़ैद करने की जगह बन गई हों, असलियत बहुत ही निराशाजनक है। बजट आवंटन कुछ वर्षों में बढ़े हैं, फिर भी उनका समुचित उपयोग आदर्श ढंग से नहीं हो रहा है। संरचनात्मक अक्षमताओं को दूर किए बिना, केवल ख़र्च में वृद्धि से बेहतर परिणाम नहीं मिल सकते। इसके अलावा, क्षमता की कमी को दूर करना निश्चित रूप से सफलता के लिए एक आवश्यक क़दम है- लेकिन यह भी अकेले पर्याप्त नहीं है।

बदलाव की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब ठोस प्रोत्साहन भी मिलें। प्रदर्शन आधारित फंडिंग मिले, अच्छा काम कर रही संस्थाओं को मान्यता मिले, नेतृत्व का जवाबदेह तंत्र हो और उपयोगकर्ताओं यानी नागरिकों की ओर से जांच और प्रतिक्रिया जैसी सभी चीज़ें मिलकर सुधारों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाती हैं। उदाहरण स्वरूप, वे राज्य जो न्यायिक रिक्तियों, पुलिस प्रशिक्षण या जेल पुनर्वास कार्यक्रमों में सुधार दिखाते हैं, उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता से पुरस्कृत किया जा सकता है। इसी तरह, न्यायिक संस्थाओं में व्यक्तिगत उन्मुखीकरण और जवाबदेही, बेहतर प्रशिक्षण, पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली, गुणवत्तापूर्ण सेवा पर पदोन्नति और निष्क्रियता के लिए दुष्परिणामों के ज़रिए प्रदर्शन आधारित बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। अपराध की जांच और क़ानून-व्यवस्था दो अलग-अलग विषय हैं, जिनके लिए अलग-अलग कौशल और प्रशिक्षण की ज़रूरत है। अपराधों की वैज्ञानिक जांच आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

और, सुधार आंशिक तौर पर नहीं किए जा सकते और न्याय भी किसी इकलौती संस्था द्वारा नहीं दिया जा सकता, बल्कि आपस में निर्भर संस्थाओं के नेटवर्क के ज़रिए ही सही मायनों में न्याय मिलना संभव है। अगर पुलिस बल अपर्याप्त और अप्रशिक्षित हो तो अदालतें भी प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकतीं। अगर क़ानूनी सहायता प्रभावी न हो तो जेलें भी पुनर्वास का काम नहीं कर सकतीं। दोषी क़ैदियों की तुलना में विचाराधीन क़ैदियों की बड़ी संख्या इस समस्या की झलक देती है। समग्र सुधार यह मांग करते हैं कि न्याय प्रणाली के सभी घटकों- पुलिस, न्यायपालिका, क़ानूनी सहायता, बचाव और अभियोजन पक्ष के वकील, जेल, फॉरेंसिक और मानवाधिकार आयोग सबको एक साथ मज़बूत किया जाए।

कोई भी सुधार उन लोगों की सहमति के बिना सफल नहीं हो सकता जो किसी व्यवस्था को चलाते हैं। न्यायपालिका, सरकार और लोक सेवाओं के अग्रणी लोगों को बदलाव की पैरवी करने, जोखिम लेने और यथास्थिति को चुनौती देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सार्वजनिक दबाव की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। न्यायिक सुधार बहुत अहम हैं, इसलिए इसे केवल संस्थानों पर छोड़ देना ठीक नहीं है, यह समूचे समाज की मांग होनी चाहिए।

इसका मतलब यह है कि न्याय प्रदान करना केवल एक नैतिक ज़रूरत नहीं, बल्कि यह देश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक शांति, त्वरित विकास और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को हासिल करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है।

'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' इस आवश्यक विमर्श के लिए एक अहम उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रही है। यह केवल एक रिकॉर्ड किया जा रहा दस्तावेज़ नहीं है, यह बदलाव का आह्वान है। इसके निष्कर्ष हमारी न्याय व्यवस्था का आईना और पथप्रदर्शक दोनों हैं, जो हमारी न्याय प्रणाली की वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए आगे का रास्ता भी प्रस्तुत करते हैं। हमारे सामने सवाल यह है कि क्या हम इस ज्ञान का उपयोग परिवर्तन लाने के लिए करेंगे या फिर निष्क्रियता के एक और समयचक्र को यूं ही बीतने देंगे। हमारे सामने हमारा कार्य और हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, जो शेष है, वह है- कार्रवाई करने की इच्छा।

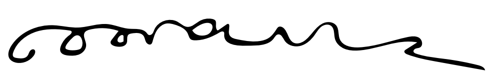

संजय किशन कौल
पूर्व जज, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
24 मार्च 2025

आभार

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2025, स्वतंत्र IJR समूह और कई बाहरी सलाहकारों, मार्गदर्शकों और समर्थकों के बीच एक साझे सक्रिय सहयोग का परिणाम है।

हमारी शुरुआत से ही हमें देशभर में फैले विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों से परामर्श, प्रोत्साहन और समर्थन प्राप्त हुआ है। मैं, सबसे पहले, IJR की संयोजक और मुख्य संपादक के रूप में निभाई गई माया दारुवाला की नेतृत्वकारी भूमिका को स्वीकार करना चाहता हूं। उनके न्याय व्यवस्था के प्रति गहरे ज्ञान, विभिन्न हितधारकों के साथ काम करने के लंबे अनुभव और अंतहीन उत्साह और दृढ़ता ने 5 वर्षों के सफ़र और 2019, 2021, 2023 और 2025 में हमारी चार प्रमुख रिपोर्टों के प्रकाशित होने के मील के पत्थर तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माया दृढ़ता और संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना करती हैं और अपनी दयालुता से सभी को जीतने का कौशल रखती हैं; और इसमें उनका हास्यबोध भी मददगार साबित होता है!

चाहे त्वरित संदर्भ हों या लंबी बैठकों के दौर, हमें कई विशेषज्ञों से परामर्श, सलाह और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। इसमें विशेष रूप से मीरन बोरवंकर (पूर्व DG, BPR&D और NCRB), सुनील चौहान (पूर्व निदेशक, NALSA), जयंतो चौधरी (पूर्व निदेशक, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और NHRC के विशेष संवाददाता), कमल कुमार (पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी), रीवा पोचा (फॉरेंसिक सलाहकार), केवी रवि कुमार (राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय), मुरली कर्णम (प्रोफ़ेसर, NALSAR), मनस्विनी राव (सहायक प्रोफ़ेसर, डेलावेयर यूनिवर्सिटी), निर्विकार जस्सल (सहायक प्रोफ़ेसर, लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स), प्रवीन कुमार (लॉ फ़ाउंडेशन) और देवाशीष रे (पूर्व प्रमुख, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन्स, टाटा ट्रस्ट्स) शुमार हैं। अन्य विशेषज्ञों का योगदान विभिन्न परामर्शों– 'डेटा फॉर जस्टिस' के वार्षिक सम्मेलन और अन्य क्षेत्रीय परामर्शों में भी रहा है, जिनमें सभी का उल्लेख यहां करना संभव नहीं है, लेकिन उनके योगदान के लिए हम कृतज्ञता के साथ आभारी हैं।

हम 'रिसर्च एंड इन्फ़ॉर्मेशन सिस्टम्स' (RIS) के प्रतिष्ठित प्रोफ़ेसर डॉ. अमिताभ कुंडू का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके लंबे अनुभव और विशेषज्ञता ने IJR की कार्यप्रणाली और विश्लेषणों को साल-दर-साल सशक्त और मज़बूत किया है।

हम न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मदन बी. लोकुर के प्रति भी ऋणी हैं, जो अनवरत हमारे साथ रहे हैं और जिन्होंने इस रिपोर्ट और पिछली रिपोर्टों के प्रकाशन के हर चरण में हमें अपना अनथक समर्थन, मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण समय दिया है।

हम अपने डेटा और डिज़ाइन साझेदारों, 'हाउ इंडिया लिव्स' (HIL) के भी शुक्रगुजार हैं। सदैव भरोसेमंद रहे अविनाश सिंह और उनकी टीम, विशेष रूप से कार्तिक क्वात्रा और अभिषेक सिंह का भी धन्यवाद। वे भारत में न्याय प्रदान करने की व्यवस्था को ग्राफ़ और आंकड़ों के ज़रिए स्पष्ट रूप से समझाने के इस सफ़र में हमारे सहयात्री रहे हैं। हम IJR वेबसाइट को डिज़ाइन और अपग्रेड करने के लिए 'फ़्रापे' (Frappe) टीम के रिषभ मेहता और फ़ारिस अंसारी की भी हार्दिक सराहना व्यक्त करते हैं। हम अंग्रेज़ी रिपोर्ट के लिए अनुराधा भसीन और हिंदी रिपोर्ट के लिए मनीष झा का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी कुशल संपादन क्षमता ने रिपोर्ट को विशेष रूप से निखारा और साथ ही, नियति सिंह को उनके रचनात्मक योगदान और निकट मार्गदर्शन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं।

IJR के वित्तीय समर्थकों के हम पर निरंतर विश्वास ने हमें अपना काम जारी रखने और 'बजट फॉर जस्टिस', 'उपभोक्ता आयोगों' और 'जुवेनाइल जस्टिस' पर आगामी रिपोर्टों जैसी नई दिशाओं में क़दम बढ़ाने की अनुमति दी है। इसके लिए हम 'टाटा ट्रस्ट्स', 'रोहिणी निलेकणी फिलैन्थ्रोपीज़' (RNP), 'ट्री ऑफ़ लाइफ फ़ाउंडेशन', 'लाल फैमिली फ़ाउंडेशन', 'जे.टी. पाठक ट्रस्ट', रवि वेंकटेशन, सायरस गज़दर, 'अजीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन', अजीत आइजैक, और 'फ़्रापे' के आभारी हैं, जिन्होंने IJR को संस्थागत रूप से समर्थन प्रदान किया। RNP में गौतम जॉन और सहाना जोस और 'टाटा ट्रस्ट्स' में अनिरुद्ध मेनन हमारे निष्ठावान मार्गदर्शक रहे हैं, जिन्होंने हमारे काम के संभावित असर को अधिकतम करने की हरसंभव कोशिश की है। इनका समर्थन न्याय प्रदान करने की मांग को सामूहिक रूप से बढ़ाने की हमारी क्षमता को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण है, जो व्यापक जनहित का ज़रूरी काम है।

हम न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संजय किशन कौल द्वारा इस रिपोर्ट की भूमिका लिखने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। न्याय के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता की वजह से IJR के उद्देश्य और इसकी साझेदारियों

के मक़सद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए कृतज्ञता जाहिर करते हैं, जो कि केवल वही कर सकते थे।

हमारी संचालन समिति के वर्तमान और पूर्व सदस्य भी हमारे दोस्तों, सलाहकारों और अगुआ के रूप में धन्यवाद के पात्र हैं। हम डॉ. अर्घ्य सेनगुप्ता, गगन सेठी, हरीश नरसप्पा, लिया वर्गीज़, संजय हज़ारिका, वेंकटेश नायक, डॉ. विजय राघवन और विपुल मुद्गल का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें अपना समय और संसाधन दिए, साथ ही समय-समय पर बेझिझक, निष्पक्ष और कड़ी प्रतिक्रिया भी देते रहे– यही भावना इस रिपोर्ट का आधार है। उनकी उदारता, मार्गदर्शन और विशेषज्ञता के लिए हम उनके आभारी हैं। IJR अपने सब-ग्रुप के मौजूदा और पूर्व सदस्यों द्वारा दिए गए समय और योगदान, उनके अनुसंधान, लेखन और समीक्षा से भी लाभान्वित हुआ है; इसके लिए हम अखिलेश पटेल, अमीन जौहर, चित्राक्षी जैन, दीक्षा सान्याल, देवयानी श्रीवास्तव, देविका प्रसाद, ज्योतिका रंधावा, मधुरिमा धनुका, नुपुर, राधिका झा, राजा बग्गा, श्रुति नाइक, स्मिता मट और सुगंधा माथुर आभारी हैं। हमारी नवीनतम रिपोर्ट के लिए हमें 'सेंटर फॉर सोशल जस्टिस' की अनाहिता सूर्या और गाथा से भी इनपुट मिले और साथ ही 'टाटा ट्रस्ट्स' के सुवजीत मुस्तफ़ी, 'विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी' की मलाइका कोलासो और 'सेंटर फॉर सोशल जस्टिस' से फरहान ज़िया का सोशल मीडिया प्रसार के लिए मिले समर्थन के लिए इन सबका धन्यवाद करते हैं।

हम अपने मेहनती इंटर्न्स: मोक्षित भीरी, तनुश्री सिंघल, उज्जवल प्रियदर्शी, इशांत कुमार, निधि सारा, अशोक, अनिका अग्रवाल, यशी अग्रवाल, प्रमा मुखर्जी, गुरनूर सिंह और वैष्णवी का भी आभार व्यक्त करते हैं। पुलिस विभाग की वेबसाइटों को स्कैन करने और राज्य जेल मैनुअल का अध्ययन करने से लेकर, सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन से मिली प्रतिक्रियाओं की पुष्टि करने तक, यह रिपोर्ट उन्हीं आंकड़ों की नींव पर आधारित है जिन्हें आप सबने तैयार किया।

इस आधे दशक की यात्रा में, हम उन लोगों के योगदान को नहीं भुला सकते जो अब हमारे सक्रिय समर्थक नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने न्याय व्यवस्था की क्षमता का आकलन करने के इस विचार पर विश्वास किया था। शिरीन वकील, जिन्होंने 'टाटा ट्रस्ट्स' में पहली रिपोर्ट निर्देशित की थी और 'टाटा ट्रस्ट्स' के वाइस चेयरमैन और पूर्व लोक सेवक विजय सिंह, जिन्होंने तुरंत यह समझ लिया था कि देश के विकास के लिए न्याय तक पहुंच कितनी महत्वपूर्ण है। साथ ही हम मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त सचिव रहे अजय नाथ के भी विशेष आभारी हैं।

शुरुआत से अब तक हमारे साथ सफ़र करने वाले अन्य साथियों; 'टाटा ट्रस्ट्स' की संचार प्रमुख दीपशिखा गोयल सुरेन्द्रन, 'टाटा ट्रस्ट्स' से ही धनिष्ठा तिवारी, आंकड़ों संबंधी जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत बनी रहीं लखविंदर कौर और बजट विश्लेषण पर अपनी सलाह देने वाली पूजा पार्वती का भी हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।

अंत में, हमारे शोधकर्ताओं की कोर टीम के साथ काम करना एक गौरव की बात रही है, जिनमें से सभी ने अपनी क्षमताओं और जुनून के साथ रिपोर्ट को और भी समृद्ध किया। अर्शी शौकत एक मेहनती डेटा विशेषज्ञ साबित हुईं; भारत सिंह ने IJR के कार्य को ग़ैर-अंग्रेज़ी भाषी पाठकों तक कुशलता से पहुंचाया; नयनिका सिंघल ने प्रभावशाली ढंग से शोध कार्य की निगरानी की; कमठ और सचेत निदा परवीन ने RTI आवेदनों के लिए सहयोग किया और 'पुलिस भर्ती' पर रिपोर्ट तैयार की (निदा की मां को भी विशेष धन्यवाद, जिनके स्नैक्स की लगातार आपूर्ति ने IJR टीम का उत्साह बनाए रखा!), हमारी नवीनतम शोधकर्ताओं सरब लाम्बा और सौम्या श्रीवास्तव के अनथक सहयोग ने हमारे काम का विस्तार किया। मैं इन सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनके योगदान के बिना यह रिपोर्ट संभव नहीं हो पाती।

हम आशा करते हैं कि यह रिपोर्ट पाठकों को एक मौलिक सवाल पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगी: जब किसी व्यवस्था में आवश्यक और आधिकारिक रूप से स्वीकृत बुनियादी ढांचे की ही कमी हो तो वह व्यवस्था विशेष तरह के गुणवत्तापूर्ण मानकों की उम्मीद पर कैसे खरी उतर सकती है? आकांक्षाओं और क्रियान्वयन के बीच का यह अंतर, एक उपेक्षा और गहरी विफलता बना हुआ है, जो इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि हम विवेकपूर्ण ढंग से विचार करें तो इसकी अनदेखी नहीं कर सकते।

वलय सिंह
लीड, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

संक्षिप्ताक्षर

एडिशनल DGP	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
एडिशनल SP	अपर पुलिस अधीक्षक
ADR	वैकल्पिक विवाद समाधान
AFSPA	सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम
AIGP	सहायक पुलिस महानिरीक्षक
AIMO	ऑल इंडिया मैन्यूफैक्चरर्स ऑर्गनाइजेशन
ASI	असिस्टेंट सब-इंसपेक्टर
ASP	सहायक पुलिस अधीक्षक
A & N Islands	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
BNS	भारतीय न्याय संहिता
BNSS	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
BPR&D	पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो
BRICS	ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका
BoV	बोर्ड ऑफ़ विज़िटर
CAG	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
CAMC	न्यायालय संबद्ध मध्यस्था केंद्र
CCR	केस क्लियरेंस रेट/केसों के निपटारे की दर
CCTNS	क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स
CCTV Cameras	सीसीटीवी कैमरे/ क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न कैमरे
CPC	सिविल प्रक्रिया संहिता
CrPC	दंड प्रक्रिया संहिता
CSBC	सेंट्रल सेलेक्शन चयन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल
DAR	ज़िला सशस्त्र रिज़र्व पुलिस
DGP	पुलिस महानिदेशक
DIG	उपमहानिरीक्षक
DLSA	ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण
DMFU	ज़िला मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट
DNH & DD	दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव
DoPO	पुलिस संगठनों के आंकड़े
Dy. SP	डीएसपी/ पुलिस उपाधीक्षक
FSL	फॉरेंसिक साइंस लैब
FTSC	फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट
FY	वित्तीय वर्ष
HPC	हाई पावर्ड कमिटी/उच्च स्तरीय समिति
ICT	सूचना और संचार तकनीक
ICJS	इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम
IGP	पुलिस महानिरीक्षक
ILO	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
IPC	भारतीय दंड संहिता
IRB	भारतीय रिज़र्व बटालियन
LADC	क़ानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली
LSI	विधिक सेवा संस्थान
MCPC	मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति
MHA	गृह मंत्रालय
MPF	राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना
MSME	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
NALSA	नालसा/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
NCRB	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

NJDG	नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड/राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड
NPC	राष्ट्रीय पुलिस आयोग
NRC	राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
OBC	ओबीसी/अन्य पिछड़ा वर्ग
OMR	ऑप्टिमल मार्क रिकगनिशन
PET	शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण
PHRA 1993	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
PIMS	पूर्व-संस्थागत मध्यस्थता एवं निपटान
PLA	स्थायी लोक अदालत
PLV	पैरालीगल वॉलनटियर
POCSO	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण
PP	प्रतिशत अंक
PSI	प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया
PST	शारीरिक मानक परीक्षण
PWD	विकलांगता अधिनियम/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम
RFSL	क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब/ क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला
RTI	सूचना का अधिकार
SAR	विशेष सशस्त्र पुलिस
SC	अनुसूचित जाति
SEBC	सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग
SFSL	राज्य फॉरेंसिक साइंस लैब/ राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला
SHRC	राज्य मनवाधिकार आयोग
SI	सब-इन्सपेक्टर
SLSA	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
SMWP	स्वत: संज्ञान दायर याचिका
SOP	मानक संचालन प्रक्रिया
SP	पुलिस अधीक्षक
Spl. DGP	विशेष पुलिस महानिदेशक
SSP	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
ST	अनुसूचित जनजाति
TRP	पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया
UNCRPD	विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
UNODC	संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय
UR	अनारक्षित
UT	केंद्रशासित प्रदेश
UTP	विचाराधीन क़ैदी
UTRC	विचाराधीन क़ैदी समीक्षा समिति
WHO	विश्व स्वास्थ्य संगठन
WP	रिट याचिका

विषय सूची

कॉपीराइट और उद्धरण ii
शीर्षक पृष्ठ iii
हमारे बारे में और टीम के सदस्य iv
हमारे साझेदारों के बारे में v
प्रस्तावना, संजय किशन कौल, पूर्व न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय vi
आभार viii
संक्षिप्ताक्षर x
विश्व में भारत 1
राष्ट्रीय कमियां 2
अच्छी ख़बर 3
माया दारूवाला द्वारा परिचय 4

राष्ट्रीय निष्कर्ष

राष्ट्रीय निष्कर्ष 12
ओवरऑल रैंकिंग 13
स्तंभों में राज्यों की रैंक और स्कोर 14
IJR 2022 और IJR 2025 के बीच स्कोरकार्ड में सुधार 15
रैंकिंग विविधता 16
न्यायपालिका में जातिगत प्रतिनिधित्व 17
स्तंभों में महिलाओं का हिस्सा 18
महिलाओं की भागीदारी को 33%होने में कितना समय लगेगा? 19
न्याय व्यवस्था में महिलाएं कहां हैं 20
मानव संसाधनों की रैंकिंग 21
पैरालीगल वॉलनटियर्स (PLV) प्रशिक्षित बनाम तैनात 22
न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात 23
फॉरेंसिक में रिक्तियां 24
स्तंभों में रिक्तियां 26
रैंकिंग उद्देश्य 27
न्याय व्यवस्था के लिए बजट 28
क़ानूनी सहायता बजट में राज्य का हिस्सा 29
अधीनस्थ न्यायालयों में 3 साल से अधिक समय से लंबित मामले 30
हाई कोर्ट्स में लंबित मामले 31
अधीनस्थ न्यायालयों में 5 साल से अधिक समय से लंबित मामले 32
मानचित्र पृष्ठों पर संकेतकों की सूची 33
सुधार पृष्ठों पर संकेतकों की सूची

पूर्वानुमान

जेल ऑक्यूपेंसी, न्यायपालिका पर कार्यभार और पुलिस की संख्या 34

पुलिस

पुलिस रैंकिंग 40
थोड़े सुधार, बड़ी चुनौतियां 41
यूनिफ़ॉर्म काफ़ी नहीं: पुलिस को असफल करती क्षमता 42
पुलिस स्टेशन: ग्रामीण-शहरी विभाजन 45
प्रशिक्षण संस्थान: 2020 और 2023 कार्यभार 47
सिविल पुलिस की स्वीकृत संख्या में सर्वाधिक वृद्धि 49
पुलिस प्रशिक्षण बजट 52
महिला पुलिसकर्मी: अब भी बहुत कम 54
SC/ST/OBC प्रतिनिधित्व 56
राज्य नागरिक पोर्टलों की स्थिति 58
सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक 60

जेल

जेलों की रैंकिंग	70
थोड़े सुधार, बड़ी चुनौतियां	71
जेल: बढ़ती चिंताएं और चुनौतियां	72
भारतीय जेलों में ऑक्यूपेंसी रेट	74
250% से अधिक ऑक्यूपेंसी रेट वाली जेलें	75
कितने समय तक हिरासत में विचाराधीन	78
मानक पूरा करना: काडर स्टाफ़ और चिकित्सा अधिकारी	83
एक दशक में भारतीय जेलें	85
सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक	90

न्यायपालिका

न्यायपालिका रैंकिंग	98
थोड़े सुधार, बड़ी चुनौतियां	99
न्यायपालिका: बढ़ता कार्यभार और क्षमता की उलझनें	100
अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियां	102
न्यायिक संरचना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना	104
न्यायपालिका में महिलाए	106
प्रति जज लंबित मामले	110
सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक	111

क़ानूनी सहायता

क़ानूनी सहायता रैंकिंग	118
थोड़े सुधार, बड़ी चुनौतियां	119
कमज़ोरों के लिए क़ानूनी सहायता या कमज़ोर क़ानूनी सहायता?	120
PLV प्रति लाख जनसंख्या	123
क़ानूनी सहायता प्रणाली में महिलाएं	125
प्रति विधिक सहायता क्लीनिक पर कितने गांव	126
लोक अदालतों का प्रदर्शन	129
फंड का आवागमन	131
विचाराधीन क़ैदियों की हिरासत के मुद्दे का समाधान: चार प्रमुख उपायों की पड़ताल	132
सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक	134

राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRCs)

SHRC रैंकिंग	140
थोड़े सुधार, बड़ी चुनौतियां	141
SHRCs: संसाधनों की कमी से सीमित	142
शिकायत/जांच प्राप्त होने के बाद प्रक्रिया	143
राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन	144
NHRC और SHRC द्वारा प्राप्त शिकायतें	146
2022-23 में कुल केसों में से शुरुआत में ही निस्तारित किए गए केस	147
2023-24 में जांचकर्ता स्टाफ़ में महिलाओं का हिस्सा	149
2023-24 में जेलों और अन्य संस्थानों का दौरा	150
SHRCs का मूल्यांकन: वेबसाइटों का विश्लेषण	151
सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक	152

अन्य भाग

मध्यस्थता: न्यायिक सुधार का सशक्त उपकरण	156
अक्षम आंकड़े: भाग II	164
तीन नए आपराधिक क़ानूनों का क्षमता पर प्रभाव	173
सुझाव	175
कार्यप्रणाली	176
शब्दावली	181
संदर्भ	192
चित्रों, तालिकाओं और मानचित्रों की सूची	196

विश्व में भारत

IJR 3 (काला) · IJR 4 (बैंगनी)

		भारत की रैंकिंग IJR 3	भारत की रैंकिंग IJR 4	कुल देश IJR 3	कुल देश IJR 4
रूल ऑफ लॉ, 2024					
ओवरऑल रैंक	↓	77	79	140	142
सुरक्षा और व्यवस्था	↑	105	98	140	142
सिविल जस्टिस	↑	111	107	139	142
आपराधिक न्याय	↔	89	89	139	142
वैश्विक शांति सूचकांक, 2024	↑	135	116	163	163
मानव विकास सूचकांक, 2023-24	↓	132	134	191	193
वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट,2024	↑	135	129	146	146
लोकतंत्र सूचकांक 2024	↑	46	41	167	167
सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024	↑	121	109	163	166
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, 2024	↓	150	159	180	180
SDG लैंगिक सूचकांक 2024	↔	91	91	144	139

राष्ट्रीय कमियां

पुलिस

50%
पद ख़ाली हैं, पूरे देश के मात्र 10,000 फॉरेंसिक स्टाफ़ में से

1.25%
राष्ट्रीय औसत है, पुलिस बजट में से ट्रेनिंग पर ख़र्च करने का

0
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने पुलिस में महिलाओं का अपना कोटा पूरा भरा

जेल

176 जेलों में 200% या इससे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी दर है

20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 20% से ज़्यादा विचाराधीन क़ैदी 1-3 साल तक हिरासत में रहते हैं

25 मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक हैं देश के 5.7 लाख क़ैदियों के लिए। 25 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में इनके पद ही नही।

न्यायपालिका

कर्नाटक: इकलौता राज्य है, जिसने न्यायपालिका और पुलिस में अपना SC/ST/OBC का कोटा भरा।

6 हाई कोर्ट्स की वार्षिक केस निपटान दर 2017 से 100% से ज़्यादा रही।

क़ानूनी सहायता

38% कमी आई है पैरालीगल वॉलनटियर्स की संख्या में 2019 से।

मानवाधिकार आयोग

केवल **4%** केस स्वत: संज्ञान के द्वारा लिए गए।

India Justice Report | 2025

अच्छी ख़बर

पुलिस

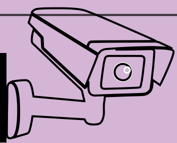

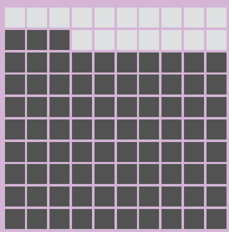

83%

पुलिस स्टेशनों में कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा लगा है।

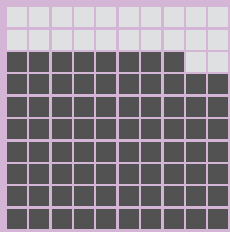

78%

पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क है।

न्यायपालिका

38%

महिला जज हैं अधीनस्थ न्यायपालिका में

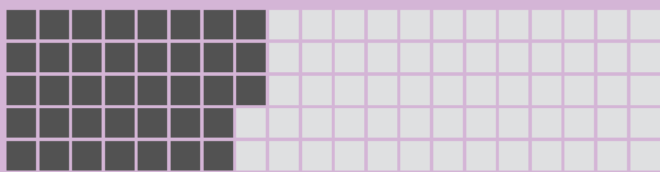

जेल

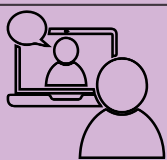

8 राज्यों ने महिला क़ैदियों और महिला डॉक्टरों का **1:300 का मानक** पूरा किया।

86%

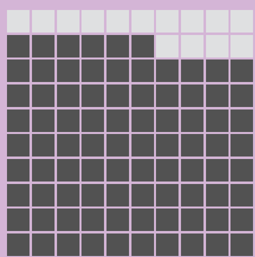

जेलों में कम से कम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल की सुविधा है।

परिचय

‘जो मापा जाता है, उसमें सुधार आता है।’

पीटर ड्रकर

‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट’ (IJR) के चौथे संस्करण में तुलनाएं, रुझान और अनुमान शामिल हैं। इस रिपोर्ट में भी 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों और 7 छोटे आकार के राज्यों की न्याय प्रदान करने की संरचनात्मक क्षमता का मूल्यांकन किया गया है। पुलिस, जेल, क़ानूनी सहायता, न्यायपालिका और राज्य मानवाधिकार आयोगों के मूल्यांकन के साथ ही, रिपोर्ट ने फॉरेंसिक्स, मध्यस्थता और विकलांगता की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है। दशकीय तुलना और हालिया बदलावों के ज़रिए मिले रुझान दिखाते हैं कि राज्य किन क्षेत्रों में सुधार कर रहे हैं या पिछड़ रहे हैं। साथ ही इनसे हमें भविष्य के अनुमानों की भी झलक भी मिलती है। हमेशा की तरह, IJR पूरी तरह से आधिकारिक आंकड़ों पर निर्भर है।

‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट’ का विभिन्न अंतरालों पर किया गया मूल्यांकन एक बदलता हुआ परिदृश्य सामने लाता है। नई रैंकिंग के शीर्ष पांच स्थानों पर, दक्षिण भारत के राज्य हावी हैं। कर्नाटक एक बार फिर पहले स्थान पर है और आंध्र प्रदेश पांचवें से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2019 में ग्यारहवें स्थान पर रहा तेलंगाना, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी तीसरे स्थान पर है। शुरुआत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले केरल और तमिलनाडु की रैंकिंग में मामूली उतार-चढ़ाव हुआ है, लेकिन वे भी टॉप-5 में बने हुए हैं।

बीच की रैंकिंग वाले राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों ने लगातार सुधार दिखाया है। पिछली बार इस श्रेणी में शीर्ष पर रहे महाराष्ट्र की रैंकिंग में काफ़ी गिरावट आई है तो गुजरात और पंजाब का प्रदर्शन सुधरता-बिगड़ता रहा है।

निचली रैंकिंग वाली कैटिगरी में बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य थोड़े-बहुत बदलाव के साथ अपनी जगहों पर मौजूद हैं। विशेष रूप से, उत्तर प्रदेश ने आख़िरी रैंकिंग में एक स्थान के सुधार के साथ पश्चिम बंगाल की जगह लेकर उसे नीचे धकेल दिया है। कुल मिलाकर, रैंकिंग के उतार-चढ़ाव दिखाते हैं कि राज्यों के प्रदर्शन में लगातार बदलाव आ रहा है, जिसके पीछे बेहतर शासन व्यवस्था, आर्थिक नीतियां और अन्य प्रभावी कारण हैं।

छोटे राज्यों की रैंकिंग में मिले-जुले रुझान देखने को मिलते हैं। सिक्किम लगातार टॉप पोजिशन पर है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा बीच की रैंकिंग पर हैं, लेकिन मेघालय, मिज़ोरम और गोवा अपनी रैंकिंग में गिरावट के बाद क्रमशः 5वें, 6ठे और 7वें स्थान पर हैं।

अच्छी बात यह है कि न्याय प्रदान करने की क्षमता को बेहतर करने के लिए निवेश में लगातार वृद्धि हुई है। ‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट’ के मूल्यांकन में स्पष्ट है कि सभी संस्थानों के लिए बजट आवंटन बढ़े हैं, न्यायपालिका में प्रति व्यक्ति ख़र्च में सुधार हुआ है और निचली न्यायपालिका और पुलिस में महिलाओं की भागीदारी में भी सकारात्मक रुझान दिख रहे हैं। यह बदलाव लीगल ऐड सेक्रेटरी और पैरालीगल वॉलनटियर्स के स्तर पर भी देखने को मिला है। मानव संसाधन की क्षमता में भी सुधार हुआ है। कुछ राज्यों में जुडिशल वैकेंसी को भरा गया है और फॉरेंसिक स्टाफ़ पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है। इंफ़्रास्ट्रक्चर में हुए सुधारों में- कोर्ट हॉल बनाना और अन्य कमियों को दूर करने के लिए तकनीक का उपयोग बढ़ाना शामिल है। बढ़ते कार्यभार के बावजूद, अधीनस्थ न्यायालयों ने मामलों के निपटारे की दर में सुधार किया है, शहरी पुलिस थानों की संख्या बढ़ी है, और जेलों में क़ानूनी सहायता का विस्तार, वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग और भीड़भाड़ कम करने के लिए खुली जेलें जैसे क़दम जेल सुधार का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

रुझान और रैंकिंग

COVID-19 महामारी को गए चार साल हो चुके हैं। इसके बावजूद मौजूदा मूल्यांकन में देखने को मिला है कि नीतियों और उनके पालन के बीच फ़ासला बरक़रार है। महामारी के आघात और इस दौरान आई कमियों से नीतियों, उनके पालन और प्रक्रियाओं में आमूलचूल बदलाव के बजाए सामान्य और धीमी गति की कार्यप्रणाली को बल मिला है।

न्याय व्यवस्था के हर स्तंभ की संरचना और क्षमता वित्तीय संसाधनों की कमी से प्रभावित होती है। इससे प्राथमिकताओं के बीच चयन की मुश्किल हर समय मौजूद रहती है। पिछले दशक में, पुलिस, जेलों, क़ानूनी सहायता, न्यायपालिका, और फॉरेंसिक सेवाओं के लिए बजट आवंटन में मामूली वृद्धि हुई है। अगर महंगाई को ध्यान में रखा जाए तो असल में ये आवंटन और कम साबित होते हैं।

सभी स्तंभों के लिए जारी बजट का अधिकांश हिस्सा वेतन में चला जाता है, जिससे इंफ़्रास्ट्रक्चर के विकास, आधुनिकीकरण या क्षमता को बेहतर करने की गुंजाइश बहुत कम बचती है। इसका सीधा असर प्रशिक्षण पर पड़ता है, जो पदासीन कर्मचारियों को पदानुसार अपने क्षेत्र के ज्ञान, कामकाजी नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी और कौशल के विकास के लिए ज़रूरी है।

प्रशिक्षण पर उचित निवेश करना मात्र बजट ख़र्च करना नहीं है, बल्कि यह पूरी न्याय व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। कम संसाधनों के साथ अधिक काम करने का लगातार दबाव होने के कारण, यह ज़रूरी है कि प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाए, न कि उसे हाशिये पर रखा जाए।

बजट और प्रशिक्षण सुविधाओं का सरसरी तौर पर विश्लेषण एक तितर-बितर परिदृश्य को सामने लाता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण बजट 1.25 प्रतिशत से अधिक नहीं है, और केवल चार राज्यों ने 2 प्रतिशत से अधिक आवंटन किया है। मौजूदा आंकड़े प्रशिक्षण के बारे में गहन जानकारी नहीं देते; जैसे- किस रैंक के या कितने पुलिसकर्मियों को, कितने समय तक ट्रेनिंग दी गई या ट्रेनिंग देने वाले कर्मचारी कितने थे। इसलिए इनसे नीतिगत फ़ैसलों की जानकारी नहीं मिलती। दूसरी जगहों पर अधिक जानकारियां उपलब्ध हैं। 2023 में, भारत के सुप्रीम कोर्ट के 'सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग' ने 'नेशनल जुडिशल एकेडमी' के साथ मिलकर जुडिशल ट्रेनिंग का मूल्यांकन कर इसकी गुणवत्ता का विश्लेषण किया। साथ ही इस विषय से संबंधित ज्ञान के मानकीकरण की ज़रूरत को सामने रखा और स्किल डेवलपमेंट की सिफ़ारिश भी की।

विविधता और विकलांगता

भारत हाशिए पर पड़े समुदायों का विविधताओं से भरा समूह है, इसलिए इसमें सबको साथ लेकर चलने की चुनौती अत्यंत जटिल है। यहां जाति समूहों से लेकर महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों, ट्रांसजेंडर और विकलांग व्यक्तियों तक, सभी की न्याय व्यवस्था में प्रतिनिधित्व की मांग हमेशा बनी रहती है। किसी भी सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य होता है कि हाशिए पर पड़े समूहों द्वारा झेली जा रही ऐतिहासिक और व्यवस्थागत असमानताओं को दूर किया जाए। इस सकारात्मक कार्रवाई का मानक यह है कि सभी क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के बीच की खाई को कम किया जाए और इसके मार्गदर्शन का ज़िम्मा सरकारों और सार्वजनिक अधिकारियों को दिया जाए।

पिछले वर्षों में महिलाओं और जाति समूहों के प्रतिनिधित्व की दिशा में कुछ प्रगति देखने को मिली है। पुलिस बल में महिलाओं का हिस्सा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में बढ़ा है, जिनमें से पांच राज्य महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने की दिशा में पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं।[1] अधीनस्थ न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों का अनुपात लगभग सभी राज्यों में सुधरा है और विधिक सेवा प्राधिकरणों के पैनल लॉयर्स और पैरालीगल वॉलनटियर्स में महिलाओं की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा, आरक्षण के ज़रिए औपचारिक रूप से जाति आधारित प्रतिनिधित्व ने सुनिश्चित किया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी की न्याय व्यवस्था में उपस्थिति रहे। फिर भी, नेतृत्वकारी या शीर्ष पदों तक पहुंचना अब भी मुश्किल बना हुआ है।

इनके अलावा, विकलांग व्यक्तियों का समूह न्याय व्यवस्था से बड़े स्तर पर गायब है। 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' (RPwD) को आए लगभग एक दशक हो चुका है और यह विकलांगों के 4 प्रतिशत आरक्षण की बात करता है। भारत का क़ानूनी ढांचा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को स्वीकार करता है, लेकिन व्यवस्थागत निष्क्रियता के कारण उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही है। पुलिस, न्यायपालिका और जेल प्रशासन में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नगण्य है और भर्ती नीतियों और उनके कार्यान्वयन में भी उन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है। इस तरह विकलांग व्यक्तियों को नौकरियों में तो कम प्रतिनिधित्व मिलता ही है और वे न्याय से भी वंचित रह जाते हैं। न्याय व्यवस्था में सही अर्थों में विविधता लाने के लिए प्रतीकात्मक यानी बस नाम के लिए प्रतिनिधित्व देने से आगे बढ़ना होगा। महिलाओं और जाति-आधारित समूहों के समावेश के लिए ज़रूर क़दम उठाए गए हैं, लेकिन टॉप पोजिशन अब भी उनकी पहुंच से दूर है और विकलांगों का प्रतिनिधित्व लगातार उपेक्षित मुद्दा बना हुआ है।

न्यायपालिका

लगातार रिक्तियां, केस निपटारे की निचली दर और केसों का बढ़ता बोझ अब भी औपचारिक न्यायालय प्रणाली को परेशान करते हैं। वर्ष 2024 तक, पेंडिंग केसों की संख्या पांच करोड़ से ज़्यादा हो गई थी। यह सभी न्यायालयों के स्तर पर 30 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी है। पेंडिंग केसों की यह बढ़ोतरी जुडिशल वैकेंसी, प्रक्रियागत अक्षमता, और हर साल नए केसों के आने से पैदा होने वाली चुनौतियों को दर्शाती है।

1 आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, लद्दाख और तमिलनाडु।

सुधार के व्यावहारिक तरीक़े तकनीक के उपयोग पर ज़ोर देते हैं। नए केसों को अधिक संख्या में प्रोसेस करने और प्रशासनिक कार्यभार को सरल बनाने के उद्देश्य से[2], कुछ विशेष पहलों में डिजिटलीकरण और ई-गवर्नेंस पर ज़ोर दिया गया। इसमें ई-फ़ाइलिंग को बढ़ावा देना, ई-सेवा केंद्र स्थापित करना और केस मैनेजमेंट और सूचना का सिस्टम बनाना, कोर्ट रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण और पेपरलेस कोर्ट की पहल शामिल है। व्यापक पारदर्शिता के लिए की गई कोशिशों का नतीजा है कि सुनवाइयों की लाइव-स्ट्रीमिंग बढ़ी, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) का विस्तार किया गया और इसके डैशबोर्ड के टेक्निकल इंफ़्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के प्रयास किए गए। NALSA का प्लेटफ़ॉर्म 'क़ानूनी सेवा प्रबंधन प्रणाली' अब याचिकाकर्ताओं को क़ानूनी सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और उनके केसों की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा देता है।[4] ज़िला न्यायालयों और जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन लोगों को सुविधा मिली जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते थे। साथ ही, लंबे समय से हिरासत में रहने जैसे ज़रूरी केसों को प्राथमिकता देने की भी सुविधा मिली।

हालांकि, तकनीक का सफल उपयोग अब भी बिजली आपूर्ति, बैंडविड्थ, हार्डवेयर की उपलब्धता और पुराने नज़रिए के कारण बाधित हो रहा है। अब सवाल है कि पिछले दो वर्षों में कुछ क्षेत्रों में धीमी गति से ही सही, जो सामान्य या विशेष, सुधार हुए हैं, उन्हें लगातार आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं।

समयसीमा में ज़िला न्यायाधीशों की भर्ती की गति में सुधार लाने की कोशिशें हमेशा सार्वजनिक रूप से चर्चा में रही हैं, लेकिन फंड की कमी, जटिल प्रक्रियाएं और इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए ज़रूरी न्यायिक समय की कमी जैसी ढांचागत समस्याएं आज भी इन समस्याओं को दूर करने की राह में बड़ी रुकावटें बनी हुई हैं। भर्ती प्रक्रियाओं के मानकीकरण, क्षेत्रीय भेदभाव को दूर करने और भविष्य में समय पर नियुक्तियां सुनिश्चित करने के लिए एक 'अखिल भारतीय न्यायिक सेवा' (AIJS) और स्टैंडर्ड भर्ती कैलेंडर की ज़रूरत को बार-बार उठाया गया है।

वैसे, पिछले कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने सभी 34 जजों की संख्या पूरी की है। वैकेंसी को भरने की कोशिशें हुईं, जिमें 2022 में रिकॉर्ड 165 हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति की गई। वर्ष 2023 में अब तक की सबसे ज़्यादा वार्षिक नियुक्ति दर के साथ 110 नियुक्तियां की गईं।[2] फिर भी, दो वर्षों (2022 से 2024) में हाई कोर्ट में वैकेंसी बढ़ी है। वहीं, अधीनस्थ अदालतों में जहां ज़्यादातर केस दाख़िल होते हैं, वहां भी लगातार लगभग 20 प्रतिशत वैकेंसी बनी हुई है।

अक्सर, स्पेशल कोर्ट; जैसे- फास्ट-ट्रैक कोर्ट, ह्यूमन राइट्स कोर्ट, जुवेनाइल जस्टिस, कमर्शियल कोर्ट्स और कंज्यूमर फोरम को औपचारिक न्याय व्यवस्था में दक्षता लाने वाली मदद के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन ये भी अपेक्षित नतीजे दे पाने में नाकाम हैं। इनकी असफलता का कारण भी अदालतों की तरह संसाधनों की कमी और अत्यधिक दबाव जैसी चुनौतियां हैं। इसी तरह, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी और मानकीकृत प्रक्रियाओं के न होने के कारण मध्यस्थता को न्यायालयों से केसों का दबाव कम करने और विवादों के समाधान में तेज़ी लाने का वादा अभी भी एक सपना ही बना हुआ है।

पुलिस

राष्ट्रीय स्तर पर, पुलिस-जनसंख्या अनुपात 1,00,000 की आबादी पर 155 पुलिस कर्मियों से ऊपर नहीं जा सका, जो पुलिसकर्मियों की स्वीकृत संख्या 197 से काफ़ीकम है।[5] राज्यों में ये आंकड़े अलग-अलग हैं और इससे काफ़ी कम भी हैं, जैसे- बिहार, जहां 1 लाख की आबादी पर केवल 81 पुलिसकर्मी हैं। पुलिसकर्मियों की स्वीकृत संख्या और नियुक्त संख्या में अंतर आने के नतीजे दूरगामी होते हैं: इससे केसों की जांच में अधिक समय लगता है, अपराध रोकने के प्रयास विफल होते हैं और सार्वजनिक सुरक्षा भी प्रभावित होती है। अत्यधिक दबाव में रहने वाले जांच अधिकारियों को अक्सर हत्या, धोखाधड़ी, साइबर क्राइम और बलात्कार जैसे कई गंभीर मामलों में से किसी न किसी केस से समझौता कर दूसरे को प्राथमिकता देनी पड़ती है। इससे जांचों का बैकलॉग बढ़ने, केसों की अच्छी तैयारी न हो पाने और फिर अदालत में अनिश्चित फ़ैसले आने के साथ अनसुलझे अपराधों का ढेर लगने जैसी

2 लोक सभा, अतारांकित प्रश्न संख्या- 1006स दिनांक- 8 दिसंबर 2023. इस लिंक पर उपलब्ध: https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1714/AU1006.pdf?source=pqals
3 सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, ई-कॉमर्स न्यूज़लेटर, नवंबर 2024. इस लिंक पर उपलब्ध: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s388ef51f0bf911e452e8dbb1d807a81ab/uploads/2025/01/20250122910849551.pdf
4 NALSA का लीगल ऐड केस मैनेजमेंट सिस्टम। इस लिंक पर उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/lsams/
5 पुलिस अनुसंधान और एवं विकास ब्यूरो, पुलिस संगठनों के आंकड़े 2023, तालिका संख्या- 2.1.3, पृष्ठ- 54. इस लिंक पर उपलब्ध: https://bprd.nic.in/uploads/pdf/1716639795_d6fce11ed56a985b635c.pdf

चुनौतियां सामने आती हैं, जो क़ानून की सार्थकता को चुनौती देती है।

साथ ही, पिछले पांच वर्षों में जनसंख्या में आए बदलावों की वजह से शहरी क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों में 4 प्रतिशत की वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में 7 प्रतिशत की कमी आई है। शहरी पुलिस स्टेशनों के तहत सामान्यतः 20 वर्ग किलोमीटर का इलाक़ा होता है तो ग्रामीण पुलिस स्टेशनों का कार्यक्षेत्र 300 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा होता है। ये आंकड़े पुलिस सेवाओं तक पहुंच में असमानता का संकेत देते हैं।

प्रगतिशील नीतियों और क़ानूनी सुधारों के लागू होने पर उनका असर अक्सर व्यवस्थागत विफलताओं से कुंद हो जाता है। उदाहरण के लिए, सुप्रीम कोर्ट के 2020 के विस्तृत आदेश में पुलिस स्टेशनों में CCTV स्थापित करने की ज़रूरत बताई गई थी, जिसका उद्देश्य जवाबदेही बढ़ाना था, लेकिन इसका सभी जगह पालन नहीं हुआ और कुछ राज्यों में तो बाद के वर्षों में स्थिति बदतर हो गई। वर्ष 2023 की शुरुआत तक, कई पुलिस स्टेशनों में सुप्रीम कोर्ट के कड़े मानकों का पालन करना तो दूर, अभी तक एक भी CCTV कैमरा नहीं लगा था।

फॉरेंसिक्स

फॉरेंसिक साइंस न्याय के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरे भारत में फॉरेंसिक लैब के प्रशासनिक नियंत्रण और क्षमता में भारी अंतर हैं, जो उनकी दक्षता और निष्पक्षता को लेकर भी चिंताएं पैदा करता है। कई राज्यों; जैसे- गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब सीधे पुलिस के नियंत्रण में काम करती हैं। यह व्यवस्था फॉरेंसिक विश्लेषण की आज़ादी को ख़तरे में डाल सकती है। अन्य स्थानों पर, फॉरेंसिक सेवाएं गृह विभाग के अधीन होती हैं। कुछ हद तक अलग-अलग संस्थाएं होने की वजह से यहां पर फॉरेंसिक जांच में स्वायत्ता सुनिश्चित होती है।

आपराधिक जांच प्रणाली में इतनी अहम कड़ी होने के बावजूद, पूरे देश में फॉरेंसिक लैब्स क्षमता संबंधी गंभीर कमियों का सामना कर रही हैं। कई लैब्स में लगातार फंड की कमी बनी हुई है तो कोई पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल कर्मियों की कमी से जूझ रही हैं। एक ओर फॉरेंसिक विश्लेषण की बढ़ती मांग है तो दूसरी ओर इनके सीमित संसाधन हैं, जो केसों के बैकलॉग का कारण बन रहे हैं और यह जांच और सुनवाई दोनों में देरी की वजह बन रहा है। अपर्याप्त बजट आवंटन और धीमी भर्ती प्रक्रियाओं से प्रशिक्षित विशेषज्ञों की कमी और गंभीर हो जाती है। इसके अतिरिक्त, रीज़नल फॉरेंसिक लैब की कमी की वजह से महत्वपूर्ण सबूतों को पहले से ही पेंडिंग केसों के बोझ से दबी राज्य-स्तरीय प्रयोगशालाओं में भेजना पड़ता है। इससे फॉरेंसिक परीक्षणों में और देर होती है और साथ ही जांच और मुक़दमों में लगने वाला समय भी बढ़ जाता है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों ने फॉरेंसिक क्षमता को मज़बूत करने के लिए क़दम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने रीज़नल फॉरेंसिक साइंस लैब की स्थापना का प्रस्ताव दिया है ताकि लंबित केसों की संख्या कम की जा सके। साथ ही, इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और फॉरेंसिक ट्रेनिंग को क़ानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रक्रियाओं में शामिल करने पर भी काम किया जा रहा है। कुछ राज्यों ने स्वतंत्र रूप से क़दम उठाए हैं; तमिलनाडु ने अपने फॉरेंसिक स्टाफ़ की संख्या बढ़ाई है और एडवांस फॉरेंसिक तकनीक में निवेश किया है, जबकि दिल्ली ने केसों के जल्द निपटारे के लिए फॉरेंसिक और अटॉप्सी कोऑर्डिनेशन के उपायों को लागू किया है। केंद्र ने 'DNA प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक' भी पेश किया है ताकि फॉरेंसिक प्रक्रियाओं को मानकीकृत किया जा सके और फॉरेंसिक सबूतों की विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके। इन उपायों के दूरगामी असर को सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियों के बीच सहयोग, फॉरेंसिक साइंस में निरंतर निवेश, इसे स्वतंत्र और संसाधनपूर्ण बनाए रखने और जस्टिस डिलीवरी के व्यापक लक्ष्य से क़दम मिलाकर चलने की प्रतिबद्धता ज़रूरी होगी।

जेल

जेलों के लिए संशोधित क़ानून आने, कई न्यायिक निर्देश जारी होने, क़ैदियों की संख्या कम करने की विशेष कोशिशों और 2016 के मॉडल जेल मैनुअल को कई राज्यों द्वारा अपनाने के बावजूद, जेलों की स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है। पिछले दशक में जेलों में क़ैदियों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जांच या मुक़दमा पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं विचाराधीन क़ैदियों की संख्या 66 प्रतिशत से बढ़कर 76 प्रतिशत हो गई है।

राष्ट्रीय स्तर पर, जेलों में क्षमता के मुक़ाबले औसतन 131 प्रतिशत क़ैदी हैं। लेकिन दर्जन भर जेलें ऐसी हैं, जहां क्षमता से चार गुना अधिक क़ैदी रखे गए हैं। अमिताव रॉय समिति अपनी 2023 की रिपोर्ट (1,382 जेलों में अमानवीय परिस्थितियां) में बताती है कि केवल 68 प्रतिशत क़ैदियों के पास पर्याप्त सोने की जगह है। हालांकि जेलों के बजट में वृद्धि हुई है, लेकिन जेल स्टाफ़ की संख्या और जेल इंफ्रास्ट्रक्चर में इस अनुपात में सुधार नहीं हो पा रहा है। अक्सर सैकड़ों क़ैदियों के लिए एक डॉक्टर उपलब्ध रहता है, जो कि निर्धारित मानक प्रति डॉक्टर- 300 क़ैदी से

कहीं अधिक है। प्रशिक्षित कल्याण अधिकारियों, समाजसेवियों और मनोवैज्ञानिकों की कमी के कारण क़ैदी जेल में आने के बाद अक्सर बदतर हालात में बाहर निकलते हैं, जिससे उनके पुनः अपराध करने की संभावना बढ़ती है और आख़िरकार न्याय प्रणाली पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है। अमिताव रॉय समिति की अपील, 'समर्पित ईमानदारी और दृढ़ ज़िम्मेदारी से एक सोच और जुनून के साथ मिशन मोड में काम करें,' तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक पर्याप्त फ़ाइनेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ़ की क्षमता न हो। तब तक जेलें 'मॉडल जेल और सुधार सेवाएं अधिनियम, 2023' में दिए गए विचार के अनुसार सुधार और पुनर्वास के केंद्रों से हटकर, केवल अस्थायी आश्रय बनी रहेंगी।

क़ानूनी सहायता

इस अवधि में क़ानूनी सहायता ने विशिष्ट तंत्रों पर ज़ोर दिया है, जैसे; क़ानूनी सहायता रक्षा परामर्श (LADC) प्रणाली, जेल क्लीनिक और राष्ट्रीय लोक अदालतों की समयसीमा तय करना और फंड का सटीक संतुलन। इन विशेष प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ व्यापक सामुदायिक कोशिशों के लिए संसाधनों में काफ़ी कमी देखने को मिली है। इसके परिणामस्वरूप, पैरालीगल वॉलनटियर्स की संख्या कम हो गई है, व्यापक क़ानूनी जागरूकता का लक्ष्य प्राथमिकता से बाहर हो गया है। तालुका-स्तरीय क़ानूनी सलाह और परामर्श केंद्र अब लगभग समाप्त हो चुके हैं, जो दूरदराज़ के समुदायों की पहुंच के अहम केंद्र थे। ये बदलाव क़ैदियों के क़ानूनी प्रतिनिधित्व जैसे विशेष मुद्दों के लिए तो लाभकारी हो सकते हैं, लेकिन अनजाने में ही लीगल ऐड का क़ानूनी जागरुकता की ज़रूरत और स्थानीय स्तर पर आसानी से मिलने वाली क़ानूनी सलाह और समर्थन जैसा एक और बुनियादी उद्देश्य नज़रअंदाज़ हो सकता है। इससे न्याय तक पहुंच में पहले से मौजूद असमानताएं और बढ़ सकती हैं।

राज्य मानवाधिकार आयोग

'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022' ने राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRCs) की क्षमता का आकलन किया था ताकि वे अपने व्यापक दायित्वों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। दो साल बाद भी SHRCs की कार्यप्रणाली में उनके लक्ष्यों, दायित्वों और उनकी ज़मीनी क्षमता के बीच अंतर बना हुआ है।

बुनियादी मापदंडों जैसे; बजट उपयोग में वृद्धि, लैंगिक विविधता और मामले निपटाने की दर में लगातार सुधार ने रैंकिंग पर काफ़ी असर डाला है। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल का SHRC इन मापदंडों में परिवर्तनों के कारण सबसे निचले स्थान से पहले स्थान तक पहुंच गया है। हालांकि, यह रैंकिंग गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन की क्षमता को नहीं दर्शाती। उदाहरण के लिए, SHRCs में 80 प्रतिशत से अधिक मामलों को निपटाने की दर प्रभावशाली नज़र आती है, लेकिन ये आंकड़े उन शिकायतों के हैं, जो बिना किसी समाधान निकाले या किसी सुनवाई या जांच के बग़ैर शुरुआत में ही ख़ारिज कर दी जाती हैं।

अंततः, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी कार्यप्रणाली और छवि को सुधारने के लिए कोशिश करते नहीं दिखते क्योंकि वे अक्सर अपनी वेबसाइट को अपडेट करने, केसों की विस्तृत जानकारी और विविधता के आंकड़े प्रकाशित करने या समय पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने में विफल रहते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग RTI के प्रश्नों का उत्तर देने में भी संकोच करते हैं जिससे सार्वजनिक आंकड़े पहुंच से बाहर रहते हैं, जवाबदेही तय करने से बचते हैं, अच्छी प्रथाओं को निष्प्रभावी कर देते हैं और यह उनकी कार्यप्रणाली को सार्वजनिक निगरानी से बाहर रखता है।

निष्कर्ष

भारत की 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता में लैंगिक समानता, असमानताओं को कम करना, शांति, न्याय और मज़बूत संस्थान जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य शामिल हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों में प्रगति संभव है। विशेष रूप से, न्याय तक पहुंच में सुधार डिजिटलीकरण और क़ानूनी जागरुकता से ही संभव है। लेकिन उपरोक्त सभी लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति एक चुनौती बनी रहेगी। न्याय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है, हालांकि बदलाव की मौजूदा गति को देखते हुए समानता पाना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना भी एक आकांक्षा बनी रहेगी, क्योंकि क्षमता की कमी और कार्यान्वयन में अंतर बना रहेगा। अहम प्रगति उन क्षेत्रों में अधिक संभव है जहां नीतिगत सुधारों को तकनीक और जागरुकता के साथ मिलाकर लागू किया जाता है। अंततः, परिवर्तनकारी बदलावों के लिए निरंतर प्रयास, ज़्यादा निवेश और जटिल सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

कोविड महामारी के बाद, वर्ष 2022 से 2024 के बीच एक राष्ट्रीय चुनाव और कई राज्यों के चुनाव हुए हैं। सरकारें बदली हैं और उन्होंने जस्टिस डिलीवरी को सुधारने और इससे संबंधित संस्थाओं को अपना उद्देश्य पूरा करने लायक़ बनाने की ज़िम्मेदारी ली है।

भारतीय न्याय प्रणाली को मज़बूत करने के लिए उठाए गए कई महत्वपूर्ण क़दम स्पष्ट रूप से नज़र आ रहे हैं। इन उपायों में अंडर-ट्रायल रिव्यू

समुचित वित्तीय संसाधनों वाली व्यवस्था आदर्श है, लेकिन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार संसाधनों का ऐसा न्यायसंगत आवंटन होना चाहिए कि उसका अधिक-तम सार्वजनिक लाभ मिल सके।

कमेटियां (UTRCs), यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) की कमेटियां, लीगल ऐड डिफ़ेंस काउंसल (LADC) सिस्टम, और 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' में गंभीर क़िस्म के अपराधों में अनिवार्य फॉरेंसिक जांच जैसे उदाहरण शामिल हैं। ये सभी पहल न्याय प्रदान करने की व्यव-स्था के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं और दिखाती हैं कि दीर्घकालिक चुनौतियों के समाधान की कोशिश जारी है। जस्टिस डिलीवरी सुनिश्चित करने और इसकी मज़बूत व्यवस्था खड़ी करने के लिए सभी क्षेत्रों में संरचनात्मक क्षमता की ठोस नींव तैयार करने की आवश्यकता है।

उदाहरण के लिए, केवल तकनीक के आकस्मिक आगमन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। न ही यह अकेले कार्यभार को कम करने में सक्षम है। जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आने से समय और लागत बचने लगे हैं, क्योंकि अब सैकड़ों क़ैदियों को एक ज़िले से दूसरे ज़िले की अदालतों में लाने-ले जाने के लिए समय और कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं होती। इसी बीच मुक़दमा शुरू होने का इंतज़ार कर रहे क़ैदियों की संख्या भी अभूतपूर्व तरीक़े से बढ़ रही है। लेकिन यह तकनीक अकेले न्याय प्रदान करने की गति तेज़ करने का कोई संकेत नहीं देती। वहीं, तकनीक की मदद से जेल की चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और शैक्षणिक अवसरों के विस्तार की संभावना अभी तक सामने नहीं आ सकी है।

सीमित संसाधनों की वजह से यह ज़रूरी हो जाता है कि संबंधित अधिकारी अधिक ज़िम्मेदारी के साथ ज़्यादा प्रतिफल दें। यह स्वा-भाविक आवश्यकता है कि न्याय प्रदान करने की व्यवस्था के विभिन्न चरणों पर मौजूद लोग सीमित वित्तीय संसाधनों से अधिकतम लाभ हासिल करें। इसलिए सही सोच यही है कि न्याय व्यवस्था के सीमित बजट को पहले उस दिशा में लगाया जाए जहां सुधार लाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिया जा सके।

इसमें आंकड़े काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। न्याय प्रदान करने के लिए सूक्ष्म, सुसंगत, समयबद्ध और सटीक आंकड़े ज़रूरी हैं, जो वर्ष दर वर्ष जमा किए जाएं। ये आंकड़े नीति निर्माताओं को भविष्य की दिशा तय करने और परस्पर निर्भर लक्ष्यों में से प्राथमिकताओं को पहचानने में मदद करेंगे। डिजिटल पहल; जैसे- ई-प्रिज़न और डिजिटल कोर्ट रिकॉर्ड भी आंकड़ों के उपयोग में सुधार की संभावना पेश करते हैं, लेकिन आंकड़ों के बिखरे हुए स्रोतों की वजह से इनके बीच क्रॉस रेफरेंस और सहसंबंध स्थापित करना मुश्किल होता है। इससे समग्र नीति के सार्थक निष्कर्षों तक पहुंचने और उन ख़ामियों को भी चिन्हित करने में भी बाधा आती है, जिनमें तुरंत सुधार की ज़रूरत है।

कमज़ोर संस्थाएं अन्याय को जन्म देती हैं। संस्थाओं के संसाधनहीन बने रहने से क़ानून न्यायपूर्ण तरीक़े से लागू नहीं हो सका। यह सब मिलकर ऐसा कुचक्र बनाती है जहां लगातार कुछ व्यक्तियों या समूहों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार का ख़तरा बना रहता है, जबकि कुछ लोग बिना किसी सज़ा के बच निकलते हैं। कुछ समय बाद, जब क़ानून के सब पर समान रूप से लागू न होने की समस्या बनी रहती है तो लोगों का इस पर भरोसा कम होता जाता है और यह धारणा मज़बूत होती जाती है कि क़ानून सबके लिए समान नहीं है।

कुल मिलाकर क्षमता की कमी, असंभव कार्यभार, अधिक भरी जेलों और क़ानूनी समाधान के अपर्याप्त उपायों ने मिलकर न्याय प्रदान करने के क्षेत्र में 'विकट समस्या' खड़ी की है, जो बहुआयामी और गंभीर चुनौती पेश कर रही है। साथ ही, इसके समाधान का कोई निश्चित मार्ग नहीं है। यह समस्या हर तरह से इतनी व्यापक है कि इसका कोई एक नहीं, बल्कि कई समाधान निकलेंगे। इसलिए कई कोशिशों को एक साथ शुरू करना होगा, ताकि समाधान निकाले जा सकें।

ऐसा करने के बाद भी, संभावना है कि समस्या समाप्त होने के बजाए नए रूपों में सामने आए। फिर भी, लगातार कोशिशों से चुनौतियों के ढेर और यथास्थिति को बदलना संभव है और हम शर्तिया कुछ क़दम आगे बढ़ेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक और क़ानून शाषित देश बने सौ वर्ष पूरे करने की ओर बढ़ रहा है। इसलिए न्याय प्रणाली को बेहतर बनाना, एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना करने जैसा है जो लोगों के लिए अधिक सुलभ, समान, सक्षम हो और नागरिकों की ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी भी हो। एक ऐसी व्यवस्था जो संविधान के आदर्शों के अनुरूप बनी हो और यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार मेहनत करे कि न्याय मात्र होने के बजाए न्याय होता हुआ भी दिखे।

माया दारूवाला,
मुख्य संपादक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

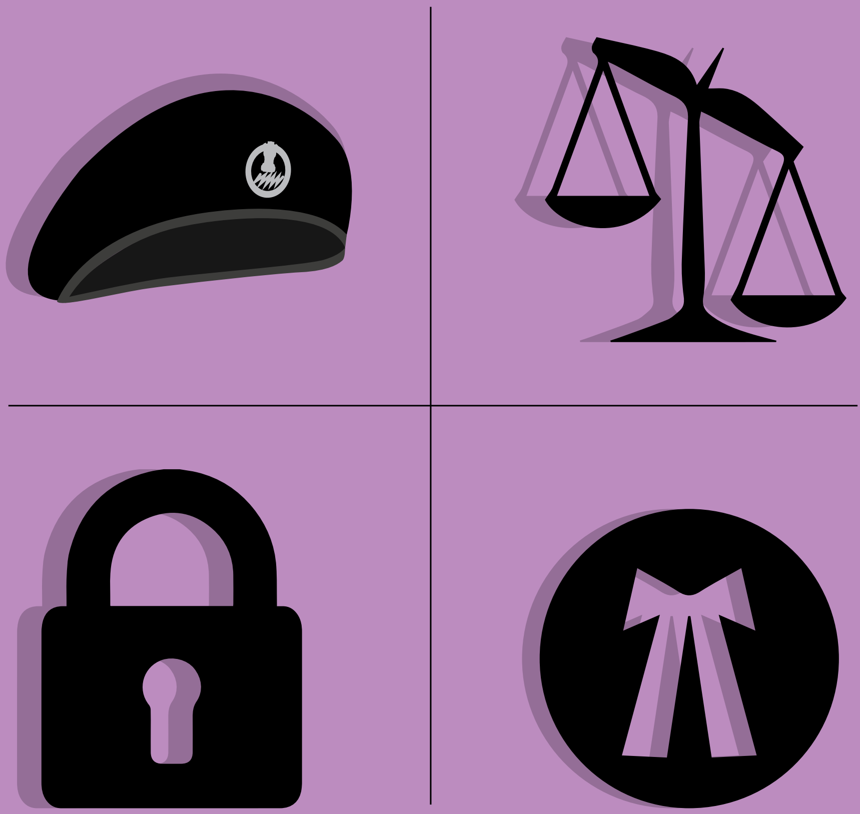

राष्ट्रीय निष्कर्ष

ओवरऑल रैंकिंग*

* पुलिस, जेल, न्यायपालिका और क़ानूनी सहायता की समग्र रैंकिंग

कलर गाइड

श्रेष्ठ   मध्य   ख़राब

संकेतक (IJR 4 में) **102**

समूह

I. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या)

II. 7 छोटे आकार के राज्य (1 करोड़ तक जनसंख्या)

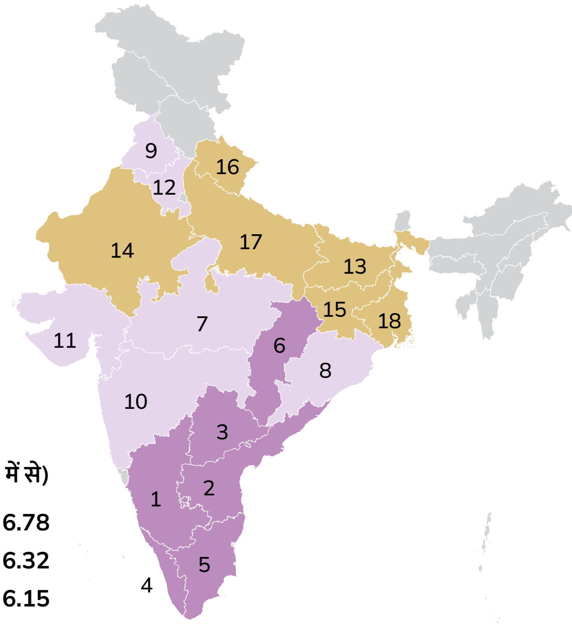

मानचित्र 1: बड़े और मध्यम आकार के राज्य

रैंक (18 में से)

IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 4 2025 (नया)	राज्य	स्कोर (10 में से)
6	14	1	1	कर्नाटक	6.78
13	12	5	2	आंध्र प्रदेश	6.32
11	3	3	3	तेलंगाना	6.15
2	5	6	4	केरल	6.09
3	2	2	5	तमिलनाडु	5.62
10	7	9	6	छत्तीसगढ़	5.54
9	16	8	7	मध्य प्रदेश	5.42
7	11	11	8	ओडिशा	5.41
4	4	10	9	पंजाब	5.33
1	1	12	10	महाराष्ट्र	5.12
8	6	4	11	गुजरात	5.07
5	9	13	12	हरियाणा	5.02
17	13	16	13	बिहार	4.88
14	10	15	14	राजस्थान	4.83
16	8	7	15	झारखंड	4.78
15	15	14	16	उत्तराखंड	4.41
18	18	18	17	उत्तर प्रदेश	3.92
12	17	17	18	पश्चिम बंगाल	3.63

मानचित्र 2: छोटे राज्य

रैंक (18 में से)

IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 4 2025 (नया)	राज्य	स्कोर (10 में से)
2	2	1	1	सिक्किम	5.20
3	4	6	2	हिमाचल प्रदेश	4.36
6	5	2	3	अरुणाचल प्रदेश	4.21
7	1	3	4	त्रिपुरा	4.11
5	7	4	5	मेघालय	4.02
4	6	5	6	मिज़ोरम	3.81
1	3	7	7	गोवा	3.51

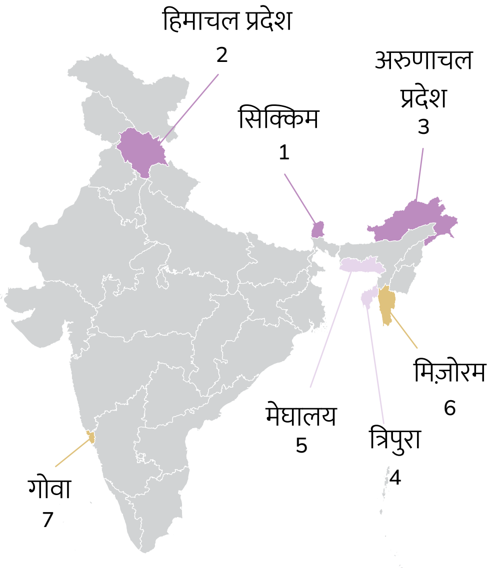

रैंकिंग वाले हर राज्य ने न्याय के 4 स्तंभों में अपने समूह में कैसा प्रदर्शन किया

तालिका 1: बड़े और मध्यम आकार के राज्यों के लिए रैंक और स्कोर

रैंक 1 से 6 | रैंक 7 से 12 | रैंक 13 से 18

	ओवरऑल रैंक	पुलिस				जेलें				न्यायपालिका				क़ानूनी सहायता			
	IJR 4 2025	IJR 1 2019	IJR 2 2021	IJR 3 2022	IJR 4 2025	IJR 1 2019	IJR 2 2021	IJR 3 2022	IJR 4 2025	IJR 1 2019	IJR 2 2021	IJR 3 2022	IJR 4 2025	IJR 1 2019	IJR 2 2021	IJR 3 2022	IJR 4 2025
कर्नाटक	1	6	1	2	3	3	14	2	2	16	12	2	4	7	16	2	1
आंध्र प्रदेश	2	5	4	3	2	15	7	5	4	13	14	11	5	10	14	13	5
तेलंगाना	3	11	10	1	1	13	2	3	7	11	6	5	2	4	6	5	10
केरल	4	13	14	17	15	1	5	4	3	5	3	4	1	1	7	6	6
तमिलनाडु	5	1	5	6	13	10	6	1	1	1	1	1	3	12	11	12	16
छत्तीसगढ़	6	10	2	9	4	8	11	13	13	12	4	6	8	8	15	11	7
मध्य प्रदेश	7	15	18	7	11	7	8	7	5	6	11	10	9	9	12	14	9
ओडिशा	8	7	3	4	8	5	9	11	6	9	15	13	12	15	8	10	8
पंजाब	9	3	12	13	7	16	13	12	15	2	2	3	7	3	3	9	2
महाराष्ट्र	10	4	13	10	5	2	4	10	10	4	5	12	11	5	1	7	14
गुजरात	11	12	8	8	9	9	10	6	9	7	8	9	14	6	9	3	13
हरियाणा	12	8	9	12	14	11	16	16	14	3	7	14	10	2	5	4	3
बिहार	13	14	11	16	10	6	3	9	12	18	18	16	15	16	2	16	12
राजस्थान	14	17	16	14	16	12	1	8	8	8	10	17	6	11	13	17	18
झारखंड	15	9	6	11	12	18	15	15	17	14	9	7	13	14	4	1	11
उत्तराखंड	16	2	7	5	6	17	18	18	18	15	13	8	16	17	10	8	4
उत्तर प्रदेश	17	18	15	15	17	14	17	17	16	17	17	15	17	18	18	18	17
पश्चिम बंगाल	18	16	17	18	18	4	12	14	11	10	16	18	18	13	17	15	15

राज्यों के नाम IJR 4 की ओवरऑल रैंक के अनुसार घटते क्रम में हैं।

तालिका 2: छोटे राज्यों के लिए रैंक और स्कोर

रैंक 1 से 6 | रैंक 7 से 12 | रैंक 13 से 18

	ओवरऑल रैंक	पुलिस				जेलें				न्यायपालिका				क़ानूनी सहायता			
	IJR 4 2025	IJR 1 2019	IJR 2 2021	IJR 3 2022	IJR 4 2025	IJR 1 2019	IJR 2 2021	IJR 3 2022	IJR 4 2025	IJR 1 2019	IJR 2 2021	IJR 3 2022	IJR 4 2025	IJR 1 2019	IJR 2 2021	IJR 3 2022	IJR 4 2025
सिक्किम	1	1	1	1	1	7	6	4	3	1	1	1	2	4	3	1	1
हिमाचल प्रदेश	2	6	2	5	4	6	1	2	2	3	2	6	5	3	6	5	4
अरुणाचल प्रदेश	3	2	4	2	2	3	3	1	1	7	5	4	4	7	7	7	7
त्रिपुरा	4	4	5	7	6	5	2	5	6	6	6	2	1	5	2	4	3
मेघालय	5	5	3	3	5	2	5	6	4	4	7	5	3	6	5	3	5
मिज़ोरम	6	7	6	4	3	4	7	3	5	5	3	3	6	2	4	6	6
गोवा	7	3	7	6	7	1	4	7	7	2	4	7	7	1	1	2	2

राज्यों के नाम IJR 4 की ओवरऑल रैंक के अनुसार घटते क्रम में हैं।

चित्र 1: IJR 2022 और IJR 2025 के बीच सुधार स्कोरकार्ड

68 स्थिर संकेतकों (जो पृष्ठ 33 पर सूचीबद्ध हैं) में से कितने में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ने सुधार किया?

बड़े और मध्यम आकार के राज्य	पुलिस 25 संकेतक	जेल 16 संकेतक	न्यायपालिका 14 संकेतक	क़ानूनी सहायता 13 संकेतक	कुल 68 संकेतक
बिहार	19	10	10	8	47
छत्तीसगढ़	17	6	8	10	41
ओडिशा	15	11	9	6	41
राजस्थान	13	9	11	8	41
कर्नाटक	17	3	10	9	39
केरल	16	3	11	9	39
पंजाब	15	6	9	9	39
आंध्र प्रदेश	11	9	10	7	37
झारखंड	10	11	7	9	37
उत्तर प्रदेश	12	9	8	8	37
उत्तराखंड	14	7	7	9	37
हरियाणा	11	4	9	11	35
मध्य प्रदेश	9	6	11	9	35
तेलंगाना	12	8	8	6	34
महाराष्ट्र	14	5	6	8	33
गुजरात	11	4	7	8	30
तमिलनाडु	10	6	9	5	30
पश्चिम बंगाल	13	7	2	4	26

छोटे राज्य	पुलिस	जेल	न्यायपालिका	क़ानूनी सहायता	कुल
हिमाचल प्रदेश	18	12	7	8	45
मेघालय	14	8	8	7	37
सिक्किम	13	7	6	7	33
त्रिपुरा	8	6	7	9	30
अरुणाचल प्रदेश	7	10	5	7	29
गोवा	8	6	7	8	29
मिज़ोरम	9	6	4	7	26

रैंक नहीं किए गए	पुलिस	जेल	न्यायपालिका	क़ानूनी सहायता	कुल
असम	15	2	11	8	36
मणिपुर	11	8	9	4	32
नगालैंड	10	5	5	7	27

केंद्रशासित प्रदेश	पुलिस	जेल	न्यायपालिका	क़ानूनी सहायता	कुल
दिल्ली	12	5	10	6	33
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	11	4	5	30
लद्दाख	11	6	8	5	30
चंडीगढ़	9	6	7	6	28
पुडुचेरी	6	5	8	5	24
जम्मू और कश्मीर	8	1	8	5	22
दादरा और नागर हवेली...	4	7	5	4	20
लक्षद्वीप	3	2	10	2	17

कार्यप्रणाली: IJR 3 के मुकाबले राज्य ने जिन संकेतकों में सुधार किया है, उसकी गिनती। केवल वही संकेतक, जो रुझान में नहीं हैं और IJR 3 और IJR 4 दोनों में उपलब्ध हैं, उनको ध्यान में रखा गया है। उन संकेतकों के लिए, जिनके लिए मानक हैं, यदि राज्य ने मानक पूरा किया, तो उसे सुधार के रूप में चिह्नित किया गया, भले ही उसके मूल्य में मानक के भीतर कमी आई हो। यदि राज्य ने मानक पूरा नहीं किया, लेकिन उसके मूल्य में सुधार हुआ, तो उसे सुधार के रूप में चिह्नित किया गया। जहां किसी संकेतक का मूल्य एक या दोनों वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं था, उस संकेतक को नहीं माना गया।

रैंकिंग विविधता*

*राज्यों ने पुलिस, जेल, न्यायपालिका और क़ानूनी सहायता के तहत 17 विविधता संकेतकों पर कैसा प्रदर्शन किया? संकेतक पृष्ठ 32 पर सूचीबद्ध हैं।

कलर गाइड

श्रेष्ठ | मध्य | ख़राब

संकेतक (IJR 4 में) **17**

समूह

I. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या)

II. 7 छोटे आकार के राज्य (1 करोड़ तक जनसंख्या)

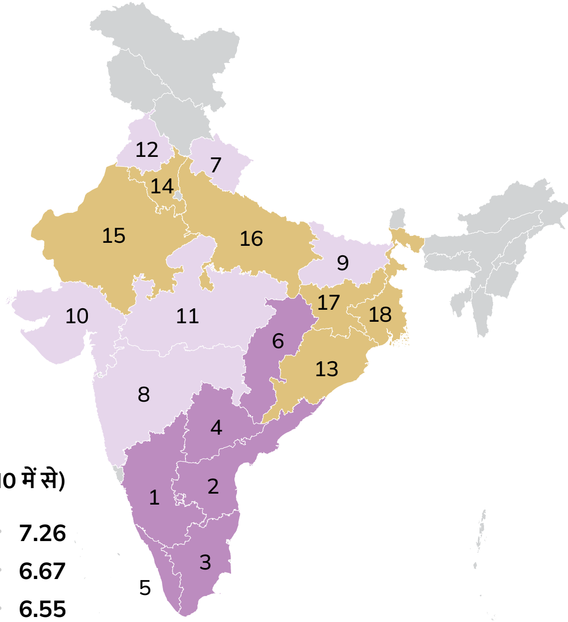

मानचित्र 3: बड़े और मध्यम आकार के राज्य

रैंक (18 में से)

IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	नया IJR 4 2025	राज्य	स्कोर (10 में से)
2	1	2	1	कर्नाटक	7.26
6	4	4	2	आंध्र प्रदेश	6.67
1	7	1	3	तमिलनाडु	6.55
11	9	3	4	तेलंगाना	6.02
3	2	7	5	केरल	5.87
13	5	5	6	छत्तीसगढ़	5.82
7	14	10	7	उत्तराखंड	5.58
4	8	6	8	महाराष्ट्र	5.31
17	10	12	9	बिहार	5.30
8	6	9	10	गुजरात	4.81
12	17	8	11	मध्य प्रदेश	4.69
10	12	13	12	पंजाब	4.68
5	3	11	13	ओडिशा	4.49
14	11	15	14	हरियाणा	3.90
16	15	14	15	राजस्थान	3.46
18	18	17	16	उत्तर प्रदेश	3.38
15	13	16	17	झारखंड	3.21
9	16	18	18	पश्चिम बंगाल	2.95

चित्र 4: छोटे राज्य

रैंक (7 में से)

IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	नया IJR 4 2025	राज्य	स्कोर (10 में से)
1	2	1	1	सिक्किम	5.01
6	3	5	2	हिमाचल प्रदेश	4.44
4	6	3	3	मेघालय	4.30
2	1	2	4	मिज़ोरम	4.23
5	5	4	5	अरुणाचल प्रदेश	3.31
3	4	6	6	गोवा	2.98
7	7	7	7	त्रिपुरा	1.98

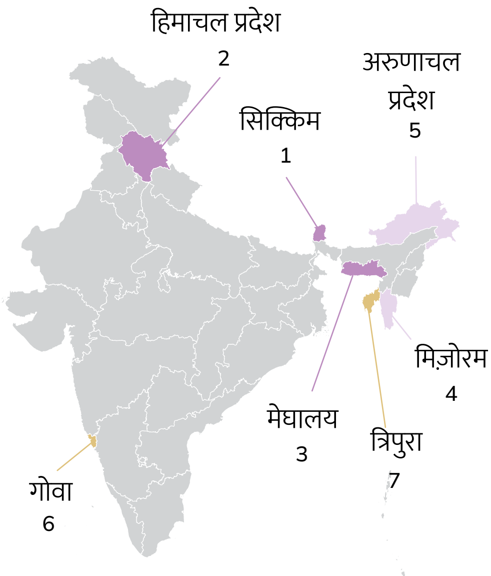

चित्र 2: न्यायपालिका में जातिगत प्रतिनिधित्व

अधिकांश राज्य SC और ST के लिए अपने कोटे को भरने में असफल रहे, जबकि OBC के लिए आरक्षित सीटों को भरने में बेहतर प्रदर्शन रहा।

SC और ST जजों का अधीनस्थ अदालतों में: आरक्षित और नियुक्ति का अनुपात (%)

- 90% या इससे अधकि
- 70% से 90%
- 70% से कम

	अधीनस्थ अदालतों में जज: आरक्षित और नियुक्ति का अनुपात (%)						IJR 3 और IJR 4 के बीच सुधार		
	अनुसूचित जाति के जज		अनुसूचित जनजाति के जज		अन्य पिछड़े वर्गों से जज				
बड़े और मध्यम आकार के राज्य	IJR 3 (Jul 2022)	IJR 4 (Feb 2025)	IJR 3 (Jul 2022)	IJR 4 (Feb 2025)	IJR 3 (Jul 2022)	IJR 4 (Feb 2025)	SC judges	ST judges	OBC judges
आंध्र प्रदेश	91	111	69	83	119	138	↑	↑	↑
बिहार	68	74	77	84	51	60	↑	↑	↑
छत्तीसगढ़	128	92	79	60	123	97	↓	↓	↓
गुजरात	108	97	2	2	55	47	↓	↓	↓
हरियाणा	56	60	NA[3]	NA[3]	33	40	↑		↑
झारखंड	39	21	35	16	36	16	↓	↓	↓
कर्नाटक	85	110	66	116	75	168	↑	↑	↑
केरल	79	84	9	16	106	112	↑	↑	↑
मध्य प्रदेश	73	82	56	58	90	112	↑	↑	↑
महाराष्ट्र	80	80	5	5	120	120	↔	↔	↑
ओडिशा	11	18	0	2	48	64	↑	↑	↓
पंजाब	83	92	0	0	100	104	↑	↔	↑
राजस्थान	63	69	58	62	94	76	↑	↑	↓
तमिलनाडु	93	86	68	73	122	113	↓	↑	↑
तेलंगाना	82	81	117	119	125	123	↓	↑	↑
उत्तर प्रदेश	64	69	45	53	83	86	↑	↑	↑
उत्तराखंड	83	81	125	101	96	89	↓	↓	↓
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0			
छोटे राज्य									
अरुणाचल प्रदेश	NA[1]	NA[1]	104	91	NA[5]	NA[5]		↓	
गोवा	0	0	33	33	15	15	↔	↔	↔
हिमाचल प्रदेश	57	56	91	78	38	40	↓	↓	↑
मेघालय	NA[2]	NA[2]	57	64	NA[7]	NA[7]		↑	
मिज़ोरम	NA[1]	NA[1]	NA[4]	NA[4]	NA[6]	NA[6]			
सिक्किम	0	0	66	60	116	100	↔	↓	↓
त्रिपुरा	63	57	61	53	NA[6]	NA[6]	↓	↓	

NA- उपलब्ध नहीं

1. कोई SC आरक्षण नहीं और कोई SC जज नहीं। 2. SC जजों के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण नहीं। 3. कोई ST आरक्षण नहीं और कोई ST जज नहीं। 4. ST जजों के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण नहीं। 5. कोई OBC आरक्षण नहीं। 6. कोई OBC आरक्षण नहीं और कोई OBC जज नहीं। 7. OBC के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण स्वीकृत नहीं।
स्रोत: राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2354, 20 मार्च 2025।

उपलब्ध है: https://sansad.in/getFile/annex/267/AU2354_GpF5iE.pdf?source=pqars

चित्र 3: स्तंभों में महिलाओं का हिस्सा

महिलाओं की न्यायपालिका में पहुंच बढ़ी है, लेकिन वे अभी भी निचले स्तरों पर सिमटी हुई हैं। पुलिस में भी यही पैटर्न देखा गया है, जहां महिलाएं केवल 8% हैं। 17 रैंक किए गए राज्यों में महिला अधिकारियों का प्रतिशत 10% से कम था।

- 10% तक
- 10% से 20% तक
- 20% से 30% तक
- 30% से अधिक

महिलाओं की भागीदारी (%)

	पुलिस		जेल	न्यायपालिका		क़ानूनी सहायता		
	कुल पुलिस कर्मचारी	पुलिस अधिकारी	कुल जेल कर्मचारी	न्यायाधीश (हाई कोर्ट)	न्यायाधीश (अधीनस्थ अदालत)	पैनल लॉयर्स	PLVs (पैरालीगल वॉलनटियर)	DLSA सचिव
बड़े और मध्यम आकार के राज्य								
आंध्र प्रदेश	21.5	5.2	8.4	16.7	50.9	20.7	33.6	50.0
बिहार	23.7	12.6	22.2	2.9	26.6	18.1	29.3	22.2
छत्तीसगढ़	7.6	9.3	11.1	6.3	43.7	22.2	37.8	43.5
गुजरात	16.7	10.0	7.3	25.0	20.8	26.9	46.4	NA[2]
हरियाणा	9.2	12.2	1.8	25.5	40.7	28.3	40.2	27.3
झारखंड	7.4	3.7	9.4	6.3	26.5	15.7	32.4	25.0
कर्नाटक	8.9	6.1	32.9	16.3	37.0	43.8	59.0	20.0
केरल	8.3	2.7	8.3	8.9	48.8	48.6	63.3	60.0
मध्य प्रदेश	7.1	9.2	17.8	3.0	40.6	15.6	37.7	18.0
महाराष्ट्र	18.7	6.8	15.4	16.2	30.8	34.5	40.8	13.5
ओडिशा	11.0	14.2	12.9	5.6	47.7	14.2	38.5	69.2
पंजाब	11.1	8.5	8.6	25.5	51.9	24.3	38.7	63.6
राजस्थान	10.9	7.5	19.6	9.1	42.4	NA[1]	26.7	0.0
तमिलनाडु	20.7	20.1	13.8	20.0	40.8	23.6	46.9	NA[2]
तेलंगाना	8.7	7.6	6.6	33.3	55.3	18.1	44.0	23.5
उत्तर प्रदेश	10.5	4.6	10.8	3.8	35.5	14.6	28.4	15.5
उत्तराखंड	12.2	10.2	3.0	0.0	40.7	32.5	53.1	30.8
पश्चिम बंगाल	9.6	4.2	10.9	14.0	42.4	25.0	38.4	65.2
छोटे राज्य								
अरुणाचल प्रदेश	11.3	6.5	18.6	16.7	33.3	26.1	40.6	40.0
गोवा	10.8	16.3	1.2	16.2	70.0	50.5	78.4	100.0
हिमाचल प्रदेश	14.5	5.5	8.7	8.3	37.5	26.5	44.2	72.7
मेघालय	5.8	8.9	16.1	0.0	60.7	62.6	41.5	83.3
मिज़ोरम	8.2	18.2	34.5	16.7	51.1	61.4	29.2	NA[3]
सिक्किम	8.2	6.4	25.3	33.3	47.8	44.7	75.8	NA[3]
त्रिपुरा	5.7	6.0	4.4	0.0	35.8	30.4	27.0	57.1

1. डेटा में कोई पैनल लॉयर नहीं हैं। 2. महिला सचिवों का डेटा उपलब्ध नहीं है। 3. डेटा में 0 DLSA सचिवों का अनुमोदन और नियुक्ति दिखाई गई है।

नोट: राज्यों को समूह में अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में दिखाया गया है। 2. पुलिस संकेतकों के लिए डेटा जनवरी 2023 तक; जेल संकेतकों के लिए दिसंबर 2022 तक; न्यायाधीशों के लिए फरवरी 2025 तक; क़ानूनी सहायता संकेतकों के लिए मार्च 2024/सितंबर 2024 तक।

स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D); प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI); राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA); संसदीय प्रश्न।

चित्र 4: पुलिस में 33% महिलाओं के आने में कितना समय लगेगा?

IJR 2022 की तुलना में, 22 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने IJR 2025 में अपने पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मामूली रूप से बढ़ाया है। वर्तमान दरों के हिसाब से, आंध्र प्रदेश और बिहार पुलिस में लगभग तीन वर्षों में 33% महिलाएं हो सकती हैं। झारखंड, त्रिपुरा और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को इस कोटे को पूरा करने में लगभग 200 वर्षों का समय लगेगा, यानी उन्हें यह लक्ष्य पूरा करने में कई पीढ़ियां लगेंगी।

बार ग्राफ़ दिखाते हैं कि एक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को अपने पुलिस बल में 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व हासिल करने में मौजूद गति से कितने वर्षों का समय लगेगा। जो राज्य हरे बार के साथ दिखाए गए हैं, उन्होंने प्रगति की है और IJR 2022 के मुकाबले इस अवधि को घटाया है। जो राज्य लाल बार के साथ दिखाए गए हैं, उन्होंने यह अवधि IJR 2022 की तुलना में बढ़ाई है। आंकड़े IJR 2025 का मूल्य दिखाते हैं।

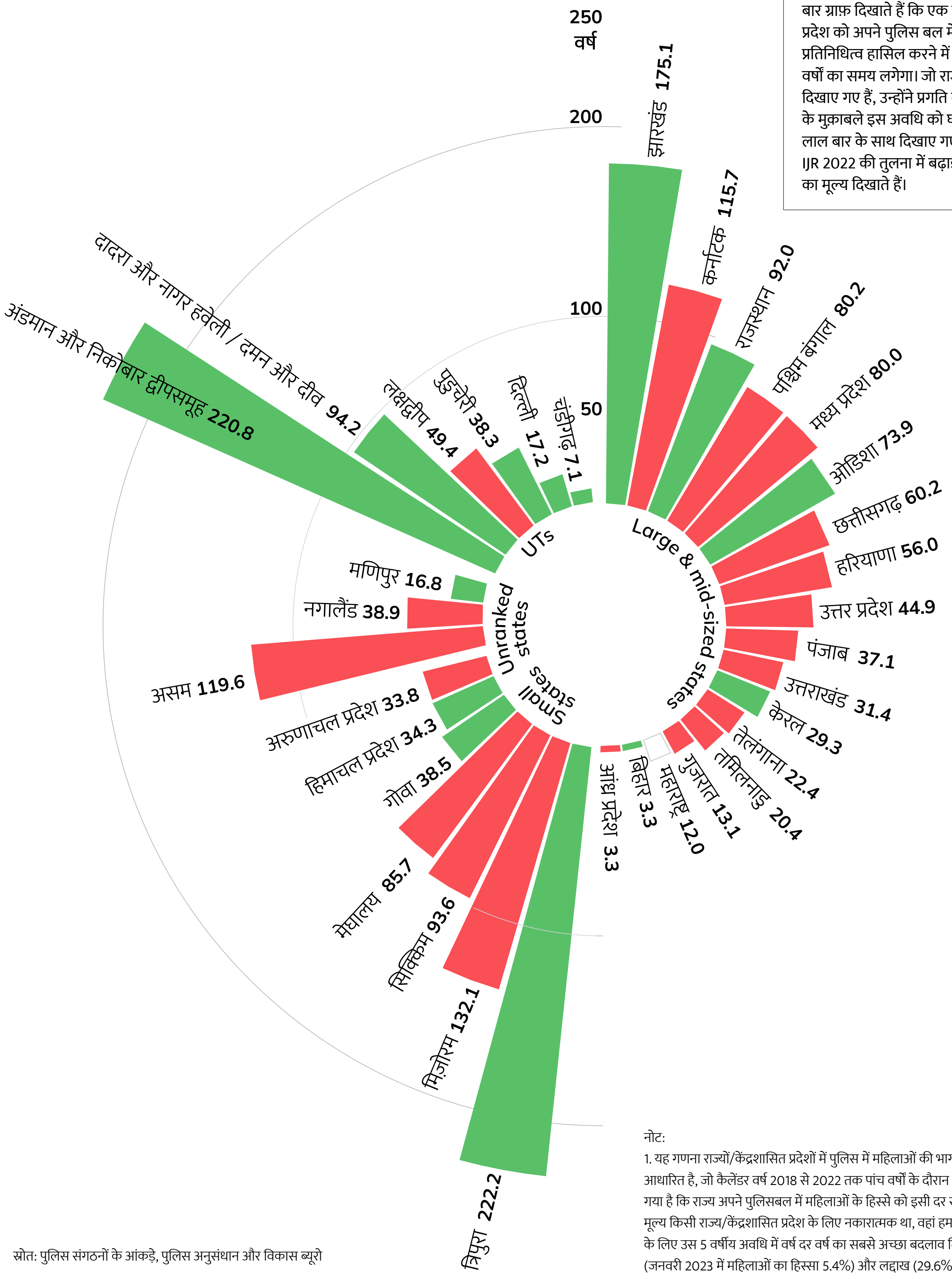

स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D)

नोट:
1. यह गणना राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में पुलिस में महिलाओं की भागीदारी में बदलाव पर आधारित है, जो कैलेंडर वर्ष 2018 से 2022 तक पांच वर्षों के दौरान दर्ज किया गया। यहां यह माना गया है कि राज्य अपने पुलिसबल में महिलाओं के हिस्से को इसी दर से बढ़ाएंगे। जहां यह 5 वर्षीय मूल्य किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए नकारात्मक था, वहां हमने उस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए उस 5 वर्षीय अवधि में वर्ष दर वर्ष का सबसे अच्छा बदलाव लिया है। 2. जम्मू और कश्मीर (जनवरी 2023 में महिलाओं का हिस्सा 5.4%) और लद्दाख (29.6%) के लिए उनके विभाजन के कारण 5 वर्षीय रुझान उपलब्ध नहीं हैं।

चित्र 5: न्याय व्यवस्था में महिलाएं कहां हैं?

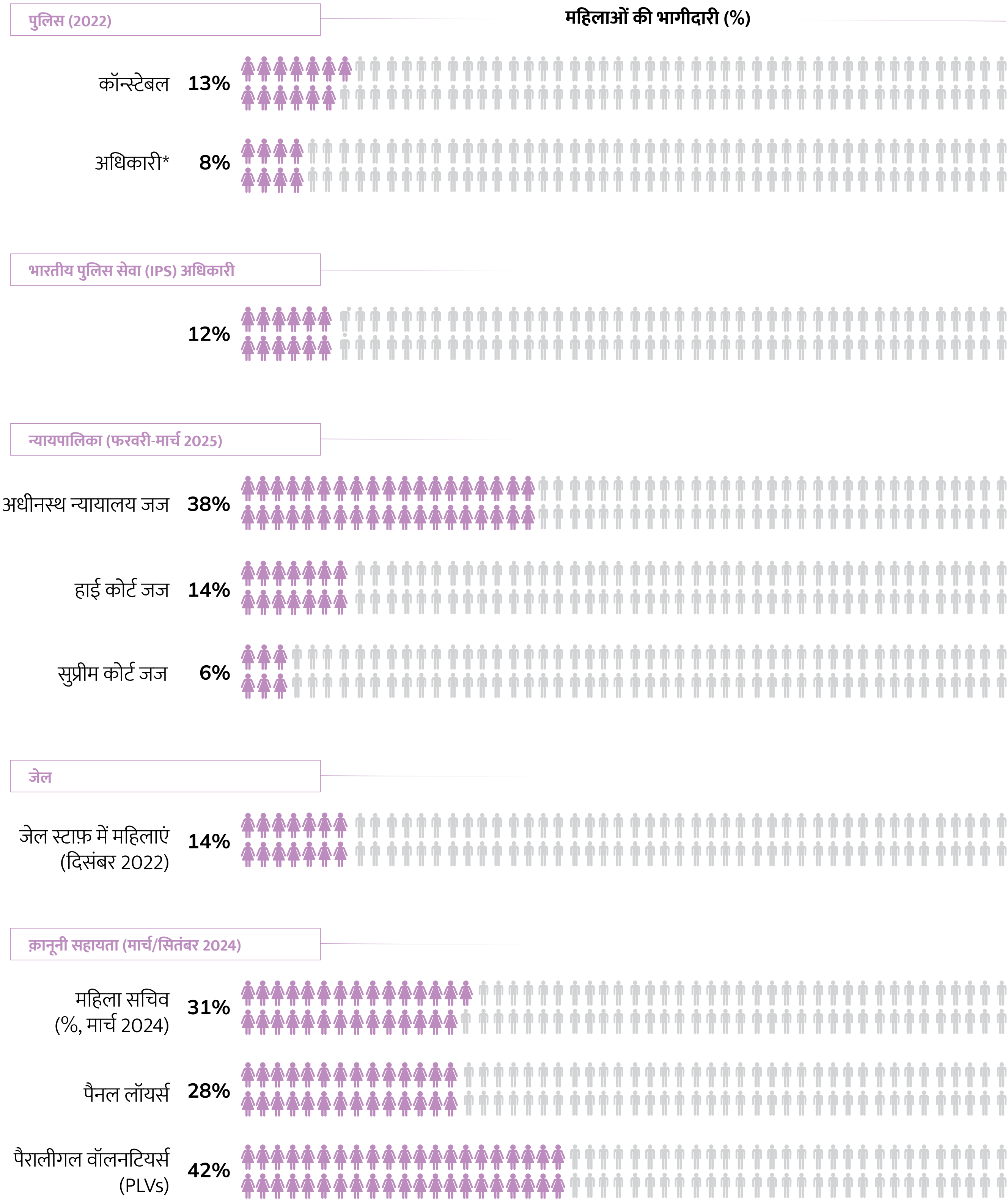

स्रोत:
पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D); प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया; न्याय विभाग; संसदीय प्रश्न – राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2354; राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को आरटीआई।

मानव संसाधनों की रैंकिंग*

राज्यों ने पुलिस, जेल, न्यायपालिका और क़ानूनी सहायता में मानव संसाधन के 19 संकेतकों पर कैसा प्रदर्शन किया? संकेतक पृष्ठ 32 पर सूचीबद्ध हैं।

कलर गाइड

श्रेष्ठ · मध्य · ख़राब

संकेतक (IJR 4 में) **19**

समूह

I. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या)

II. 7 छोटे आकार के राज्य (1 करोड़ तक जनसंख्या)

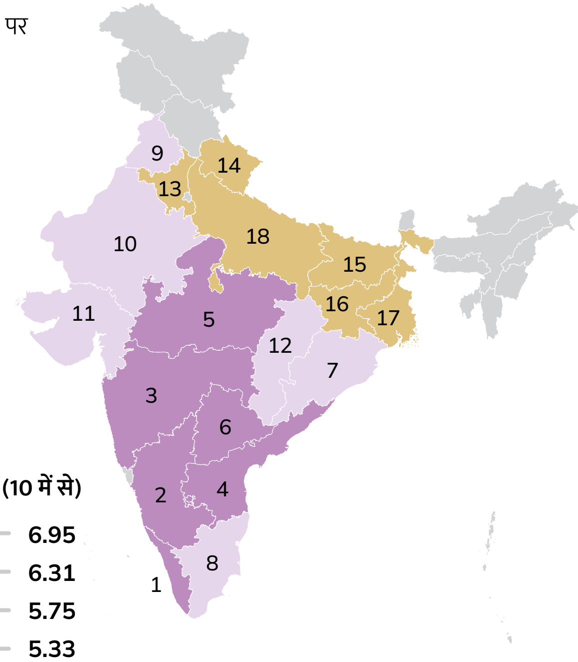

मानचित्र 5: बड़े और मध्यम आकार के राज्य

रैंक (18 में से)

IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	नया IJR 4 2025	राज्य	स्कोर (10 में से)
1	3	2	1	केरल	6.95
6	11	1	2	कर्नाटक	6.31
2	1	3	3	महाराष्ट्र	5.75
13	16	12	4	आंध्र प्रदेश	5.33
5	9	10	5	मध्य प्रदेश	5.27
12	5	6	6	तेलंगाना	5.19
3	4	4	7	ओडिशा	5.15
4	2	5	8	तमिलनाडु	4.94
7	6	8	9	पंजाब	4.75
8	7	14	10	राजस्थान	4.55
10	8	7	11	गुजरात	4.51
14	14	9	12	छत्तीसगढ़	4.44
9	12	11	13	हरियाणा	4.27
15	13	16	14	उत्तराखंड	4.02
17	15	18	15	बिहार	3.76
16	10	13	16	झारखंड	3.66
11	17	15	17	पश्चिम बंगाल	3.56
18	18	17	18	उत्तर प्रदेश	3.55

मानचित्र 6: छोटे राज्य

रैंक (7 में से)

IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	नया IJR 4 2025	राज्य	स्कोर (10 में से)
1	1	1	1	हिमाचल प्रदेश	4.78
6	2	4	2	अरुणाचल प्रदेश	4.29
3	5	5	3	मेघालय	3.92
5	4	3	4	त्रिपुरा	3.67
4	3	2	5	सिक्किम	3.59
7	6	7	6	मिज़ोरम	3.21
2	7	6	7	गोवा	2.80

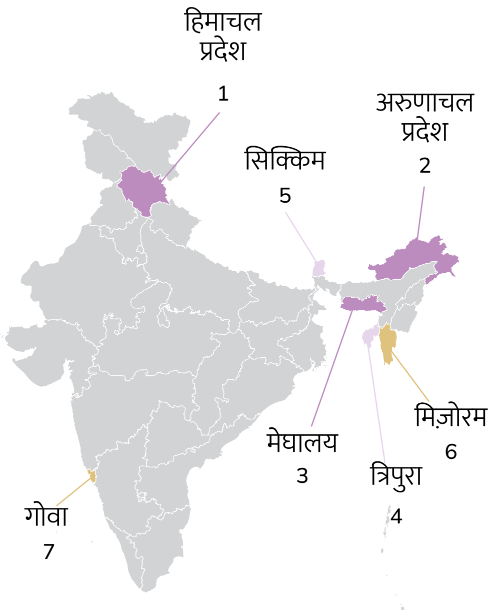

चित्र 6: प्रशिक्षित बनाम तैनात पैरालीगल वालनटियर्स (PLVs)

औसतन, केवल 7 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 75% से अधिक प्रशिक्षित PLVs को तैनात किया। राष्ट्रीय स्तर पर, 53,000 से अधिक प्रशिक्षित PLVs में से केवल एक-तिहाई को वास्तव में तैनात किया गया है।

चित्र 6a. राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित बनाम तैनात PLVs

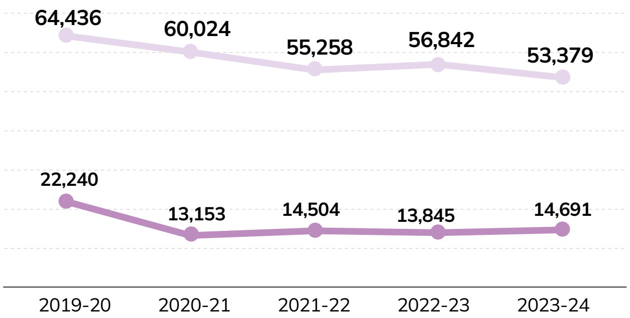

चित्र 6b. स्थानों पर PLVs की तैनाती

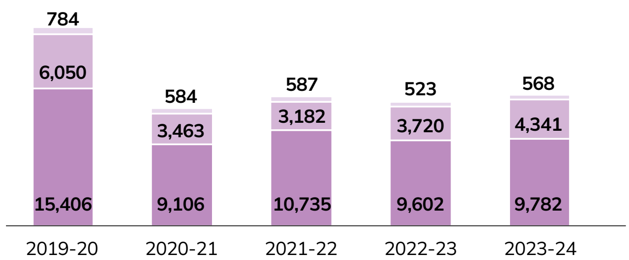

चित्र 6c: राज्यवार, तैनात बनाम प्रशिक्षित PLVs

25% तक | 25.1% से 50% | 50.1% से 75% | 75% से अधिक

PLVs प्रशिक्षित बनाम तैनाती (%)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	पांच साल का औसत
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
आंध्र प्रदेश	32.7	19.0	21.1	23.8	16.9	23.0
अरुणाचल प्रदेश	5.4	4.5	16.2	2.0	1.7	3.3
असम	66.3	30.6	51.3	49.0	59.2	51.7
बिहार	93.9	66.9	59.4	68.0	87.3	75.0
चंडीगढ़	5.0	3.9	4.3	5.2	5.5	4.8
छत्तीसगढ़	38.2	34.1	13.1	16.8	35.0	27.6
दिल्ली	3.3	3.7	2.0	5.4	4.0	3.8
दादरा और नागर हवेली / दमन	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
और दीव	24.5	20.3	1.5	16.9	100.0	16.4
गोवा	25.7	21.0	25.9	23.9	29.3	25.2
गुजरात	71.3	32.8	20.9	8.4	11.9	27.9
हरियाणा	7.2	6.7	6.7	5.9	3.5	6.0
हिमाचल प्रदेश	83.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.5
जम्मू और कश्मीर	49.8	40.8	25.8	26.0	26.2	33.9
झारखंड	20.3	8.4	5.3	3.3	4.6	8.2
कर्नाटक	54.7	21.8	34.9	17.5	19.3	32.4
केरल	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	131.5
लद्दाख	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
लक्षद्वीप	44.1	43.5	53.4	47.9	60.4	48.6
मध्य प्रदेश	31.6	25.7	28.0	27.2	24.0	27.4
महाराष्ट्र	100.0	45.8	74.9	68.7	66.8	71.8
मणिपुर	123.5	73.4	78.6	76.5	65.7	80.6
मेघालय	102.9	87.5	102.3	169.6	100.0	107.4
मिजोरम	14.3	20.3	17.9	14.6	13.9	16.1
नगालैंड	13.0	6.4	49.6	57.3	72.9	36.6
ओडिशा	9.9	3.9	13.5	16.0	17.0	12.1
पुडुचेरी	68.1	7.7	8.3	16.5	20.9	29.2
पंजाब	40.5	9.6	21.6	26.8	33.3	26.4
राजस्थान	35.5	36.0	36.0	36.7	36.7	36.2
सिक्किम	18.1	10.2	27.2	23.7	19.9	17.9
तमिलनाडु	23.4	37.0	34.3	11.0	29.6	26.2
तेलंगाना	125.2	9.8	128.7	100.0	100.0	83.1
त्रिपुरा	31.7	16.2	13.9	14.9	7.3	17.0
उत्तर प्रदेश	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
उत्तराखंड	69.8	12.4	46.7	44.3	100.0	48.8
पश्चिम बंगाल						
कुल (भारत में)	34.5	21.9	26.2	24.4	27.5	27.1

नोट: चित्र 1c में, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को घटते क्रम में रखा गया है।
स्रोत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)

चित्र 7: जज-जनसंख्या अनुपात

1987 में विधि आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 50 जज होने चाहिए। वास्तविकता में, सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश इस संख्या तक पहुंचने से काफी दूर हैं।

प्रति 10 लाख आबादी पर जज	अधीनस्थ न्यायालय	हाई कोर्ट्स	कुल
राष्ट्रीय औसत	**14.0**	**1.9**	**15.9**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य			
पंजाब	23.2	1.2	24.5
उत्तराखंड	22.7	1.5	24.2
मध्य प्रदेश	19.1	2.7	21.8
ओडिशा	17.9	2.6	20.6
हरियाणा	17.8	1.2	19.1
गुजरात	16.2	2.3	18.5
राजस्थान	15.9	2.5	18.4
कर्नाटक	16.8	1.4	18.2
महाराष्ट्र	15.1	1.9	17.0
छत्तीसगढ़	15.1	1.9	17.0
बिहार	11.8	3.8	15.6
केरल	14.8	0.8	15.6
झारखंड	12.5	2.5	15.0
तमिलनाडु	13.2	1.2	14.4
उत्तर प्रदेश	11.2	3.0	14.3
तेलंगाना	11.6	1.3	12.9
आंध्र प्रदेश	10.5	1.8	12.3
पश्चिम बंगाल	8.7	2.3	11.1
छोटे राज्य			
मिज़ोरम	35.7	1.7	37.4
सिक्किम	32.8	0.2	33.0
गोवा	25.1	1.9	27.1
त्रिपुरा	25.8	0.8	26.7
अरुणाचल प्रदेश	20.8	1.7	22.5
हिमाचल प्रदेश	21.2	0.6	21.8
मेघालय	16.4	0.9	17.3
रैंक नहीं किए गए राज्य			
मणिपुर	14.9	0.8	15.8
असम	12.7	1.7	14.4
नगालैंड	10.6	1.7	12.3
केंद्रशासित प्रदेश			
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	NA	NA	NA
लक्षद्वीप	58.0	0.8	58.8
लद्दाख	36.2	0.9	37.1
दिल्ली	36.3	0.6	36.8
चंडीगढ़	23.9	1.2	25.1
जम्मू और कश्मीर	20.2	0.9	21.2
पुडुचेरी	15.1	1.2	16.3
दादरा और नागर हवेली / दमन और दीव	4.1	1.9	6.1

नोट: 1. हाई कोर्ट के जजों के लिए डेटा 1 फरवरी 2025 तक, अधीनस्थ अदालतों के न्यायाधीशों के लिए 30 जनवरी 2025 तक और अनुमानित जनसंख्या के लिए मार्च 2025 तक है। 2. राज्यों को उनके संबंधित समूह के भीतर कुल मूल्यों के घटते क्रम में दिया गया है। 3. जिन दो राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है, उन्हें HC जजों के लिए समान मूल्य दिया गया है। 4. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसके अधीनस्थ अदालत के जजों के डेटा को पश्चिम बंगाल के साथ मिलाया गया था।

स्रोत: संसदी प्रश्न; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

चित्र 8: फॉरेंसिक में रिक्तियां

लगभग 10,000 स्वीकृत पदों में से लगभग 50% रिक्त हैं। कुछ राज्यों जैसे तेलंगाना, हरियाणा और बिहार में 70% से अधिक वैज्ञानिक स्टाफ़ की कमी है।

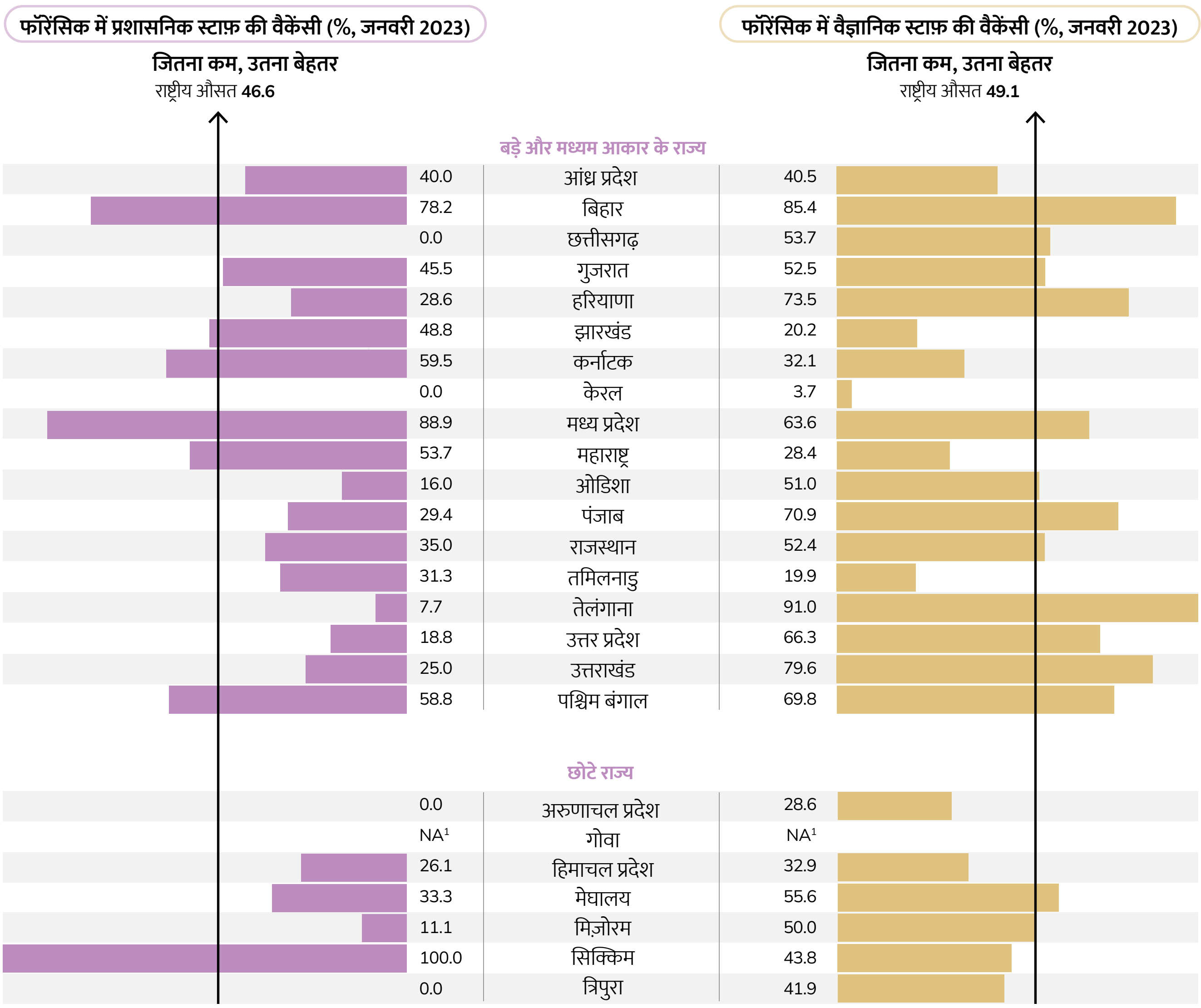

फुटनोट्स: 1. क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) और फॉरेंसिक यूनिट/ज़िला मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स (DMFUs) के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है।

स्रोत:

पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D)

चित्र 9: स्तंभों में रिक्तियां

हमने 4 स्तंभों में 11 प्रमुख पदों पर रिक्तियों का विश्लेषण किया। सभी आकारों के कई राज्यों में उनके स्वीकृत पदों के मुक़ाबले 25% से अधिक रिक्तियां हैं।

20% तक | 20% से 40% तक | 40% से अधिक

	पुलिस वैकेंसी (%)		न्यायपालिका वैकेंसी (%)		
बड़े और मध्यम आकार के राज्य	कॉन्स्टेबल्स जनवरी 2023	अधिकारी जनवरी 2023	हाई कोर्ट जज फरवरी 2025	अधीनस्थ अदालतों के जज जनवरी 2025	हाई कोर्ट स्टाफ़ जून 2024
आंध्र प्रदेश	21.0	10.4	18.9	11.7	18.0
बिहार	23.3	44.7	35.8	23.9	39.8
छत्तीसगढ़	21.0	27.8	27.3	29.9	22.1
गुजरात	29.0	24.2	38.5	31.1	46.6
हरियाणा	38.9	17.8	40.0	29.4	35.4
झारखंड	25.9	33.9	36.0	28.2	22.1
कर्नाटक	5.7	1.2	21.0	16.1	16.6
केरल	5.7	16.4	4.3	12.9	4.1
मध्य प्रदेश	12.9	19.3	37.7	16.6	18.1
महाराष्ट्र	29.1	21.3	27.7	11.4	26.1
ओडिशा	21.9	23.6	45.5	19.2	35.1
पंजाब	12.6	23.4	40.0	10.1	35.4
राजस्थान	8.4	51.8	34.0	20.7	30.9
तमिलनाडु	4.4	28.0	13.3	25.3	17.2
तेलंगाना	30.4	13.0	28.6	20.5	23.8
उत्तर प्रदेश	28.3	41.7	50.6	26.9	19.4
उत्तराखंड	0.6	19.6	27.3	9.4	22.0
पश्चिम बंगाल	40.7	27.3	40.3	20.8	33.4
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	28.0	37.0	20.0	25.0	9.8
गोवा	18.6	28.9	27.7	20.0	26.1
हिमाचल प्रदेश	2.1	14.6	29.4	10.6	14.9
मेघालय	14.4	12.3	0.0	43.4	12.2
मिज़ोरम	38.2	27.2	20.0	39.2	9.8
सिक्किम	-0.5	-20.1	0.0	34.3	15.3
त्रिपुरा	25.6	45.4	0.0	18.0	11.4

नोट: राज्य अपने-अपने समूहों के भीतर वर्णमाला क्रम में हैं।

फुटनोट्स: 1. PSI में 0 स्वीकृत और वास्तविक करेक्शनल स्टाफ़ दिखाए गए हैं। 2. 0 DLSA सचिवों को स्वीकृत और नियुक्त किया गया है।

स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023; न्याय विभाग; संसदीय प्रश्न – राज्यसभा आतारांकित प्रश्न संख्या 433; उच्च न्यायालयों पर सुप्रीम कोर्ट वार्षिक रिपोर्ट (खंड 2 - उच्च न्यायालय), 2023-2024; प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI), दिसंबर 2022; राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

चित्र 9: स्तंभों में रिक्तियां

हमने 4 स्तंभों में 11 प्रमुख पदों पर रिक्तियों का विश्लेषण किया। सभी आकारों के कई राज्यों में उनके स्वीकृत पदों के मुक़ाबले 25% से अधिक रिक्तियां हैं।

20% तक | 20% से 40% तक | 40% से अधिक

	जेल स्टाफ़ वैकेंसी (%)					क़ानूनी सहायता वैकेंसी (%)
बड़े और मध्यम आकार के राज्य	अधिकारी दिसंबर 2022	काडर स्टाफ़ दिसंबर 2022	करेक्शनल स्टाफ़ दिसंबर 2022	मेडिकल स्टाफ़ दिसंबर 2022	मेडिकल ऑफ़िसर दिसंबर 2022	DLSA सचिव मार्च 2024
आंध्र प्रदेश	20.6	27.9	NA[1]	21.7	4.5	7.7
बिहार	28.6	44.9	48.7	42.7	42.2	2.7
छत्तीसगढ़	65.6	30.6	49.5	52.6	58.7	0.0
गुजरात	42.5	37.6	44.4	28.6	15.2	0.0
हरियाणा	34.6	30.5	100.0	50.5	47.2	0.0
झारखंड	68.2	64.8	33.3	55.8	75.5	0.0
कर्नाटक	10.8	23.8	20.7	63.8	74.1	0.0
केरल	9.2	17.8	7.1	25.5	16.7	23.1
मध्य प्रदेश	43.0	12.2	28.9	35.6	31.0	2.0
महाराष्ट्र	25.9	10.5	46.5	30.0	22.7	0.0
ओडिशा	14.2	23.7	44.7	51.1	62.8	13.3
पंजाब	28.8	40.7	100.0	27.3	19.0	0.0
राजस्थान	36.4	25.0	87.5	17.8	15.4	0.0
तमिलनाडु	11.4	7.2	19.6	12.4	25.6	50.0
तेलंगाना	8.8	18.8	0.0	58.5	47.8	0.0
उत्तर प्रदेश	25.4	29.9	NA[1]	54.2	34.8	0.0
उत्तराखंड	69.0	39.0	NA[1]	62.5	90.0	0.0
पश्चिम बंगाल	20.5	21.8	30.4	65.1	73.5	0.0
छोटे राज्य						
अरुणाचल प्रदेश	37.5	2.3	NA[1]	10.0	0.0	0.0
गोवा	29.6	34.3	100.0	84.6	83.3	0.0
हिमाचल प्रदेश	27.3	19.3	61.5	60.9	25.0	0.0
मेघालय	42.1	26.6	100.0	5.0	0.0	45.5
मिज़ोरम	21.2	22.6	NA[1]	-8.3	33.3	NA[2]
सिक्किम	51.9	59.5	NA[1]	28.6	50.0	100.0
त्रिपुरा	68.8	54.7	100.0	28.6	0.0	12.5

नोट: राज्य अपने-अपने समूहों के भीतर वर्णमाला क्रम में हैं।

फुटनोट्स: 1. PSI में 0 स्वीकृत और वास्तविक करेक्शनल स्टाफ़ दिखाए गए हैं। 2. 0 DLSA सचिवों को स्वीकृत और नियुक्त किया गया है।

स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023; न्याय विभाग; संसदीय प्रश्न – राज्यसभा आतारांकित प्रश्न संख्या 433; उच्च न्यायालयों पर सुप्रीम कोर्ट वार्षिक रिपोर्ट (खंड 2 - उच्च न्यायालय), 2023-2024; प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI), दिसंबर 2022; राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

इरादों की रैंकिंग*

* पुलिस, जेल और न्यायपालिका के क्षेत्र में 23 संकेतकों के 5 वर्षों के आंकड़ों पर आधारित रुझान दिखाए गए हैं। संकेतक पृष्ठ 32 पर सूचीबद्ध हैं।

कलर गाइड

श्रेष्ठ | मध्य | ख़राब

संकेतक (IJR 4 में) **19**

समूह

I. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या)

II. 7 छोटे आकार के राज्य (1 करोड़ तक जनसंख्या)

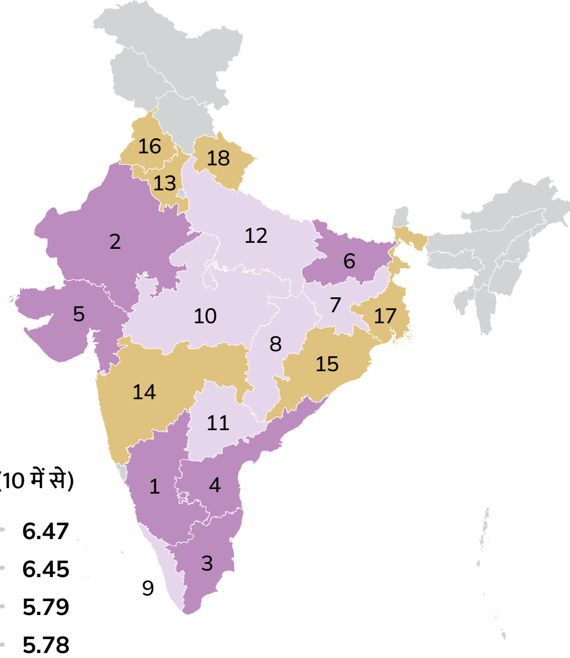

मानचित्र 7: बड़े और मध्यम आकार के राज्य

रैंक (18 में से)

IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	नया IJR 4 2025	राज्य	स्कोर (10 में से)
14	16	1	1	कर्नाटक	6.47
10	5	14	2	राजस्थान	6.45
7	1	6	3	तमिलनाडु	5.79
NA	6	5	4	आंध्र प्रदेश	5.78
3	3	4	5	गुजरात	5.78
13	4	3	6	बिहार	5.66
15	7	2	7	झारखंड	5.66
6	2	10	8	छत्तीसगढ़	5.65
12	15	12	9	केरल	5.59
11	17	7	10	मध्य प्रदेश	5.50
NA	18	9	11	तेलंगाना	5.32
9	12	8	12	उत्तर प्रदेश	5.03
4	14	18	13	हरियाणा	4.64
2	9	17	14	महाराष्ट्र	4.56
8	11	11	15	ओडिशा	4.28
5	8	15	16	पंजाब	4.19
1	10	13	17	पश्चिम बंगाल	3.35
16	13	16	18	उत्तराखंड	3.03

मानचित्र 8: छोटे राज्य

रैंक (7 में से)

IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	नया IJR 4 2025	राज्य	स्कोर (10 में से)
2	7	1	1	मेघालय	5.64
4	5	3	2	सिक्किम	5.33
7	4	2	3	अरुणाचल प्रदेश	5.24
3	1	6	4	हिमाचल प्रदेश	4.81
5	3	5	5	त्रिपुरा	3.63
6	6	4	6	मिज़ोरम	3.49
1	2	7	7	गोवा	2.89

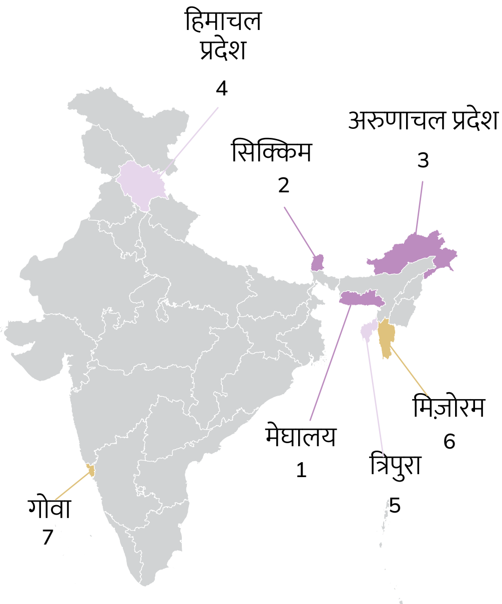

नोट: स्कोर दशमलव के दो अंकों तक दिखाया गया है। आंध्र प्रदेश और गुजरात दोनों का स्कोर समान है, लेकिन दशमलव का तीसरा अंक बड़ा होने से आंध्र प्रदेश को गुजरात से (5.785 बनाम 5.777) और बिहार को झारखंड से (5.661 बनाम 5.655) उच्च स्थान प्राप्त है।

चित्र 10: न्याय प्रणाली के लिए बजट

नीचे दिया गया ग्राफ़ 5 वर्षों में पुलिस, जेल और न्यायपालिका पर ख़र्च में औसत वृद्धि दर्शाता है, और यह भी बताता है कि क्या यह राज्य के कुल बजट व्यय में वृद्धि के साथ मेल खाता है। 25 रैंक किए गए राज्यों में, पुलिस बजट की वृद्धि कुल बजट में वृद्धि से 13 राज्यों में पीछे है, जेल बजट 9 राज्यों में और न्यायपालिका बजट 7 राज्यों में पीछे है।

स्तंभ राज्य बजट में वृद्धि से आगे है
स्तंभ राज्य बजट में वृद्धि से पीछे है

	2018-19 और 2022-23 के बीच ख़र्च में औसत परिवर्तन (%)				ख़र्च में अंतर: स्तंभ बनाम राज्य (प्रतिशत अंक)		
बड़े और मध्यम आकार के राज्य	**कुल राज्य**	**पुलिस**	**जेल**	**न्यायपालिका**	**पुलिस**	**जेल**	**न्यायपालिका**
आंध्र प्रदेश	9.4	7.2	3.9	9.7	-2.1	-5.4	0.4
बिहार	10.7	10.6	15.0	10.1	-0.1	4.3	-0.6
छत्तीसगढ़	8.5	9.1	14.2	12.0	0.6	5.7	3.5
गुजरात	8.4	6.2	7.3	7.7	-2.2	-1.0	-0.6
हरियाणा	6.6	8.7	14.7	9.2	2.1	8.1	2.6
झारखंड	5.2	8.1	11.7	10.5	2.8	6.5	5.2
कर्नाटक	9.6	13.5	28.0	15.7	3.8	18.4	6.1
केरल	8.0	6.1	4.2	8.8	-1.8	-3.8	0.9
मध्य प्रदेश	8.7	7.2	9.8	11.9	-1.5	1.1	3.1
महाराष्ट्र	12.0	12.6	12.8	14.4	0.6	0.8	2.4
ओडिशा	12.5	6.4	9.5	15.9	-6.1	-3.1	3.4
पंजाब	13.5	8.5	8.2	11.9	-5.0	-5.3	-1.7
राजस्थान	8.4	11.1	9.6	14.5	2.7	1.2	6.1
तमिलनाडु	11.3	10.3	10.8	10.2	-1.0	-0.5	-1.0
तेलंगाना	9.5	10.0	8.5	12.2	0.4	-1.0	2.6
उत्तर प्रदेश	9.6	13.3	10.7	10.1	3.7	1.1	0.6
उत्तराखंड	8.3	5.8	263.1	12.1	-2.5	254.7	3.8
पश्चिम बंगाल	NA	NA	8.1	NA	NA[1]	-1.0	NA[1]
छोटे राज्य							
अरुणाचल प्रदेश	13.6	9.6	26.7	20.1	-4.0	13.2	6.5
गोवा	NA	NA	4.5	NA	NA[1]	NA[2]	NA[1]
हिमाचल प्रदेश	10.5	8.4	11.2	8.1	-2.0	0.8	-2.4
मेघालय	14.3	10.0	17.2	13.5	-4.3	2.9	-0.7
मिज़ोरम	5.7	7.1	-17.3	13.2	1.4	-23.1	7.4
सिक्किम	12.4	13.2	35.1	17.0	0.8	22.8	4.6
त्रिपुरा	10.3	6.7	37.9	3.9	-3.6	27.6	-6.4

नोट: क्लस्टर के भीतर राज्यों को वर्णानुक्रम में रखा गया है।

फुटनोट्स: 1. 2021-22 और 2022-23 के लिए बजट डेटा उपलब्ध नहीं है। 2. 2022-23 के लिए कुल व्यय उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: भारत सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

चित्र 11: राज्य का क़ानूनी सहायता बजट में योगदान

एक राज्य का क़ानूनी सहायता बजट दो स्रोतों से बनता है: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और स्वयं राज्य। 2017-18 से 2022-23 के बीच, राज्यों का क़ानूनी सहायता बजट में योगदान धीरे-धीरे बढ़ा है। 18 बड़े और मध्य आकार के राज्यों में से 16 राज्यों, और 7 छोटे राज्यों में से 3 राज्यों ने अपने कुल क़ानूनी सहायता बजट का 80% से अधिक योगदान दिया है।

राज्यों का 75% से अधिक योगदान

राज्यों का क़ानूनी सहायता बजट में योगदान (%)

	IJR 1 (2017-18)	IJR 2 (2019-20)	IJR 3 (2021-22)	IJR 4 (2022-23)
बड़े और मध्य आकार के राज्य				
आंध्र प्रदेश	80	85	84	86
बिहार	65	74	81	82
छत्तीसगढ़	79	76	85	87
गुजरात	80	84	88	87
हरियाणा	63	68	83	86
झारखंड	0	59	64	66
कर्नाटक	45	49	77	81
केरल	34	34	78	82
मध्य प्रदेश	74	86	92	91
महाराष्ट्र	61	77	78	83
ओडिशा	63	75	88	81
पंजाब	57	71	77	80
राजस्थान	71	90	85	83
तमिलनाडु	66	82	84	80
तेलंगाना	74	86	84	84
उत्तर प्रदेश	89	96	96	93
उत्तराखंड	68	77	78	86
पश्चिम बंगाल	59	18	63	56
छोटे राज्य				
अरुणाचल प्रदेश	13	11	NA	NA
गोवा	43	68	96	93
हिमाचल प्रदेश	46	69	72	69
मेघालय	23	33	79	52
मिज़ोरम	38	26	70	60
सिक्किम	48	66	92	83
त्रिपुरा	19	38	70	86

नोट: 1. राज्यों को संबंधित समूह में वर्णानुक्रम में रखा गया है।
स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)

चित्र 12: अधीनस्थ न्यायालयों में 3 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की स्थिति

25 रैंक किए गए राज्यों में से 22 राज्यों में, अधीनस्थ न्यायालयों में 3 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या कुल लंबित मामलों के 25% से अधिक है। 11 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में, ऐसे मामले 45% से अधिक हैं। बिहार में इस प्रकार के मामलों का प्रतिशत 71% है, जो देश में सबसे अधिक है।

अधीनस्थ न्यायालयों में 3 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की स्थिति (%) जनवरी 2025 तक

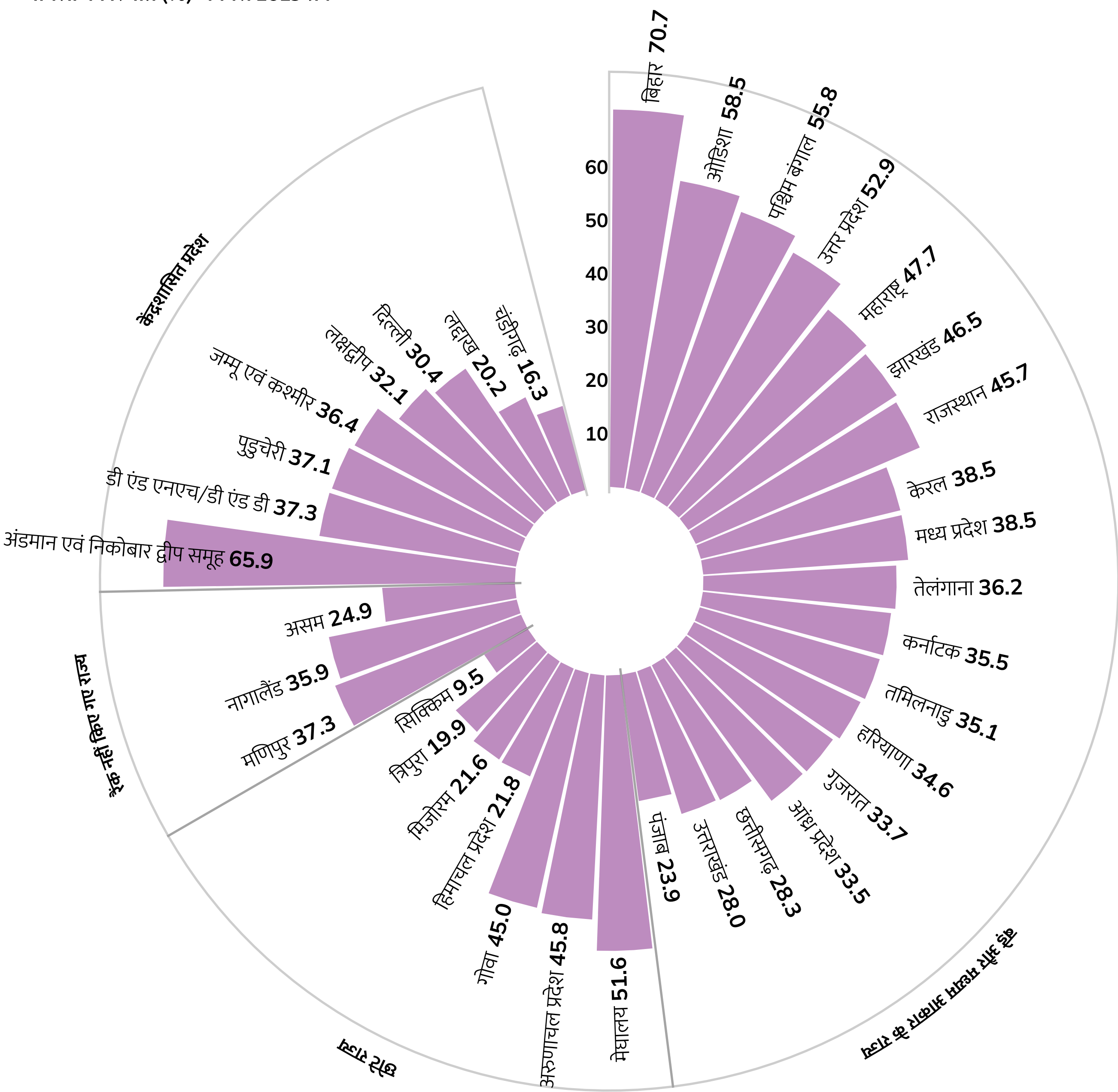

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

चित्र 13: हाई कोर्ट में लंबित मामले

हाई कोर्ट्स में लंबित मामलों की स्थिति अधीनस्थ न्यायालयों से बदतर है। सभी 25 हाई कोर्ट्स में, पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों का हिस्सा 51% है। त्रिपुरा, सिक्किम और मेघालय इस मापदंड पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जबकि सबसे ख़राब प्रदर्शन इलाहाबाद और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का है, जहां पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों का प्रतिशत 60% से अधिक है।

हाई कोर्ट में लंबित मामलों की स्थिति (%, 1 जनवरी 2025)

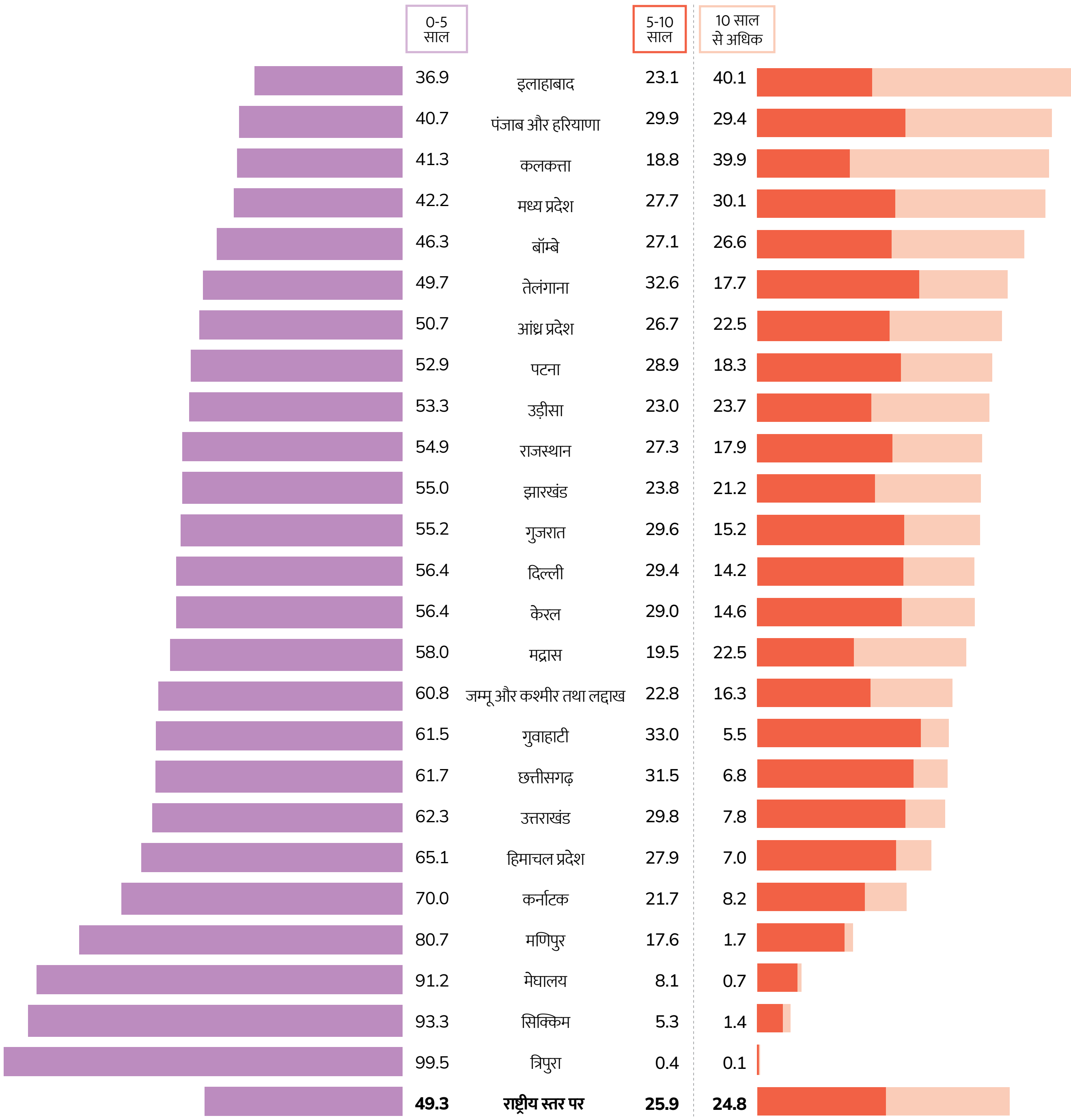

नोट: 1. हाई कोर्ट को 0-5 वर्षों के मूल्य के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा गया है।
स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

चित्र 14: अधीनस्थ न्यायालयों में 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामले

16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, पिछले 2 वर्षों में अधीनस्थ न्यायालयों में 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। 10 राज्यों में, ऐसे मामले कुल लंबित मामलों का 25% से अधिक हैं। हरे और भूरे रंग की पट्टियां यह दर्शाती हैं कि IJR 2022 की तुलना में 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों का हिस्सा राज्यों में किस हद तक कम हुआ है या बढ़ा है।

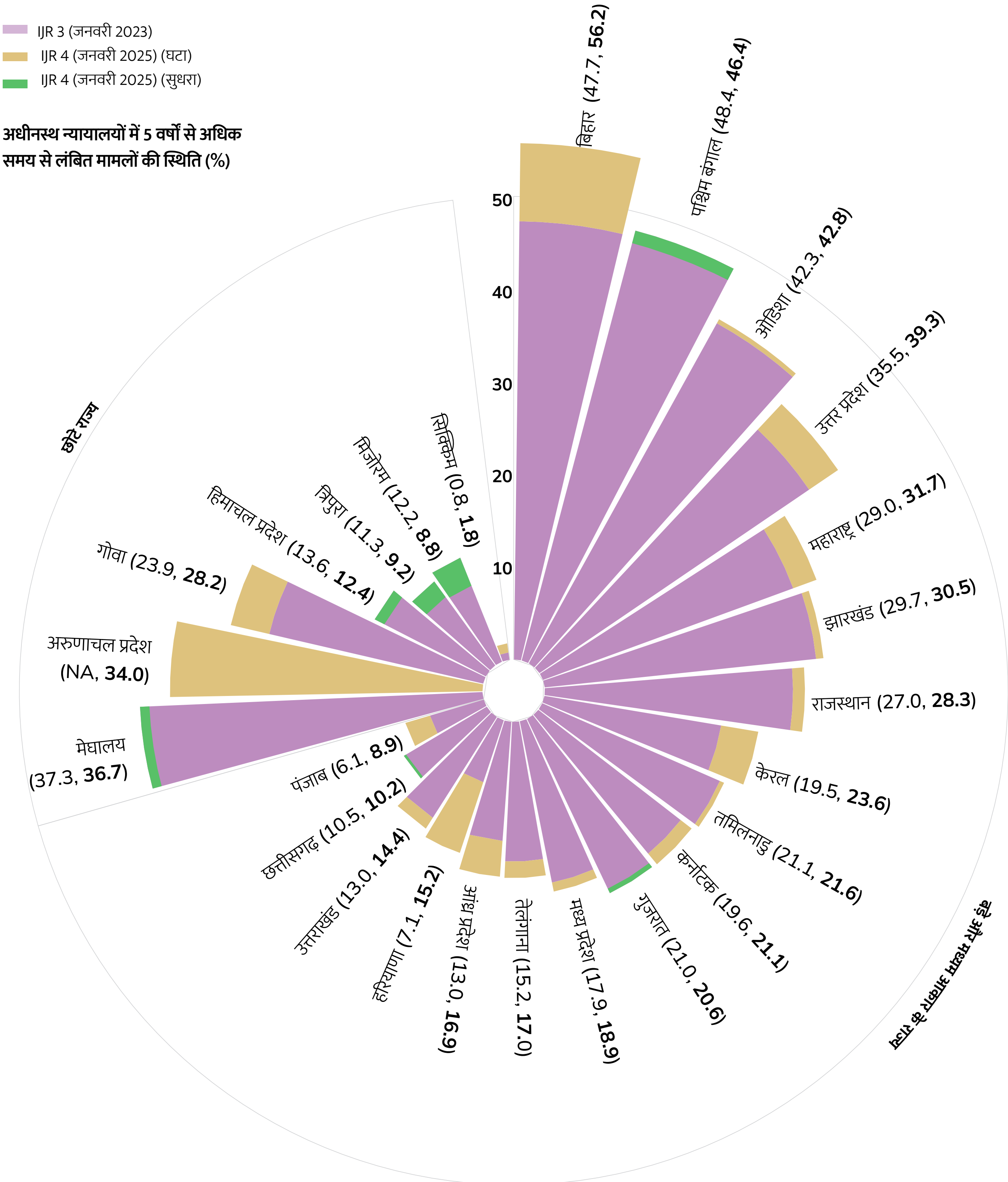

नोट: 1. राज्यों को संबंधित समूह में IJR 4 के मानकों के अनुसार घटते क्रम में रखा गया है। 2. अरुणाचल प्रदेश (छोटे राज्य) के लिए IJR 3 में डेटा उपलब्ध नहीं है।
स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

संकेतकों की सूची

रैंकिंग विविधता

पुलिस

पुलिस में महिलाओं का हिस्सा (%, जनवरी 2023)
अधिकारियों में महिलाओं का हिस्सा (%, जनवरी 2023)
SC अधिकारियों की नियुक्ति और आरक्षित का अनुपात (%, जनवरी 2023)
SC कॉन्स्टेबल की नियुक्ति और आरक्षित का अनुपात (%, जनवरी 2023)
ST अधिकारियों की नियुक्ति और आरक्षित का अनुपात (%, जनवरी 2023)
ST कॉन्स्टेबल की नियुक्ति और आरक्षित का अनुपात (%, जनवरी 2023)
OBC अधिकारियों की नियुक्ति और आरक्षित का अनुपात (%, जनवरी 2023)
OBC कॉन्स्टेबल की नियुक्त और आरक्षित का अनुपात (%, जनवरी 2023)

जेल

जेल कर्मचारियों में महिलाओं का हिस्सा (%, दिसंबर 2022)

न्यायपालिका

हाई कोर्ट में महिला जज (%, फरवरी 2025)
अधीनस्थ न्यायालय में महिला जज (%, फरवरी 2025)
SC जज, नियुक्त और आरक्षित (अधीनस्थ न्यायालय) (%, फरवरी 2025)
ST जज, नियुक्त और आरक्षित (अधीनस्थ न्यायालय) (%, फरवरी 2025)
OBC जज, नियुक्त और आरक्षित (अधीनस्थ न्यायालय) (%, फरवरी 2025)

क़ानूनी सहायता

महिला सचिवों का हिस्सा (%, मार्च 2024)
पैनल लॉयर्स में महिलाओं का हिस्सा (%, सितंबर 2024)
महिला PLVs (%, सितंबर 2024)

मानव संसाधन रैंकिंग

पुलिस

कॉन्स्टेबल की रिक्ति (%, जनवरी 2023)
अधिकारियों की रिक्ति (%, जनवरी 2023)
सिविल पुलिस में अधिकारी (%, जनवरी 2023)
फॉरेंसिक्स में प्रशासनिक कर्मचारियों की रिक्ति (%, जनवरी 2023)
फॉरेंसिक्स में वैज्ञानिक कर्मचारियों की रिक्ति (%, जनवरी 2023)

जेल

अधिकारियों की रिक्ति (%, दिसंबर 2022)
काडर स्टाफ़ की रिक्ति (%, दिसंबर 2022)
करेक्शनल स्टाफ़ की रिक्ति (%, दिसंबर 2022)
मेडिकल स्टाफ़ की रिक्ति (%, दिसंबर 2022)
चिकित्सा अधिकारियों की रिक्ति (%, दिसंबर 2022)
प्रशिक्षित कर्मचारी (%, 2022)

न्यायपालिका

जनसंख्या प्रति हाई कोर्ट जज (फरवरी 2025)
जनसंख्या प्रति अधीनस्थ न्यायालय जज (जनवरी 2025)
हाई कोर्ट जज वैकेंसी (%, फरवरी 2025)
अधीनस्थ न्यायालय जज वैकेंसी (%, जनवरी 2025)
हाई कोर्ट स्टाफ़ वैकेंसी (%, जून 2024)

क़ानूनी सहायता

DLSAs में स्वीकृत सचिवों का प्रतिशत (%, मार्च 2024)
DLSA सचिवों की वैकेंसी (%, मार्च 2024)
PLVs प्रति लाख जनसंख्या (संख्या, सितंबर 2024)

इरादों की रैंकिंग

पुलिस

कुल पुलिस में महिलाओं का हिस्सा (%, CY ’18-’22)
कुल अधिकारियों में महिला अधिकारियों का हिस्सा (%, CY ’18-’22)
कॉन्स्टेबल वैकेंसी (%, CY ’18-’22)
अधिकारियों की वैकेंसी (प्रतिशत अंक, CY ’18-’22)
ख़र्च में अंतर: पुलिस बनाम राज्य (प्रतिशत अंक, FY ’19-’23)

जेल

अधिकारियों की रिक्ति (%, CY ’18-’22)
काडर स्टाफ़ की रिक्ति (%, CY ’18-’22)
जेल कर्मचारियों में महिलाओं का हिस्सा (%, CY ’18-’22)
प्रत्येक जेल अधिकारी पर क़ैदी (%, CY ’18-’22)
प्रत्येक काडर स्टाफ़ पर क़ैदी (%, CY ’18-’22)
विचाराधीन क़ैदियों का हिस्सा (%, CY ’18-’22)
प्रति क़ैदी ख़र्च (%, FY ’19-’23)
जेल बजट का उपयोग (%, FY ’19-’23)
जेलों पर राज्य के ख़र्च से अंतर (%, FY ’19-’23)

न्यायपालिका

प्रत्येक हाई कोर्ट जज पर लंबित मामले (%, CY ‘20-’24)
प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय जज पर लंबित मामले (%, CY ‘20-’24)
कुल लंबित मामले (हाई कोर्ट) (%, CY ‘20-’24)
कुल लंबित मामले (अधीनस्थ न्यायालय) (%, CY ‘20-’24)
जजों की रिक्ति (हाई कोर्ट) (%, CY ‘20-’24)
जजों की रिक्ति (अधीनस्थ न्यायालय) (%, CY ‘20-’24)
केस क्लियरेंस रेट (हाई कोर्ट) (%, CY ‘20-’24)
केस क्लियरेंस रेट (अधीनस्थ न्यायालय) (%, CY ‘20-’24)
न्यायपालिका और राज्य के ख़र्च से अंतर (%, FY ‘19-’23)

पिछले सुधार पृष्ठ पर संकेतकों की सूची

पुलिस

बजट

आधुनिकीकरण निधि का उपयोग (%, 2021-22)
प्रति व्यक्ति पुलिस पर ख़र्च (Rs, 2022-23)
प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण पर ख़र्च (Rs, 2021-22)
पुलिस बजट में प्रशिक्षण बजट का हिस्सा (%, 2021-22)
प्रशिक्षण बजट उपयोग (%, 2021-22)

मानव संसाधन

कॉन्स्टेबल की रिक्तियां (%, जनवरी 2023)
अधिकारी की रिक्तियां (%, जनवरी 2023)
सिविल पुलिस में अधिकारियों की संख्या (%, जनवरी 2023)

विविधता

पुलिस में महिलाओं का हिस्सा (%, जनवरी 2023)
अधिकारियों में महिलाओं का हिस्सा (%, जनवरी 2023)
SC अधिकारियों की नियुक्ति और आरक्षित का अनुपात (%, जनवरी 2023)
SC कॉन्स्टेबल का नियुक्त और आरक्षित अनुपात (%, जनवरी 2023)
ST अधिकारियों की नियुक्ति और आरक्षित का अनुपात (%, जनवरी 2023)
ST कॉन्स्टेबल की नियुक्ति और आरक्षित का अनुपात (%, जनवरी 2023)
OBC अधिकारियों की नियुक्ति और आरक्षित का अनुपात (%, जनवरी 2023)
OBC कॉन्स्टेबल की नियुक्ति और आरक्षित का अनुपात (%, जनवरी 2023)

इंफ़्रास्ट्रक्चर

पुलिस स्टेशन प्रति ग्रामीण जनसंख्या (संख्या, जनवरी 2023)
पुलिस स्टेशन प्रति शहरी जनसंख्या (संख्या, जनवरी 2023)
पुलिस स्टेशन प्रति ग्रामीण क्षेत्र (वर्ग किमी, जनवरी 2023)
पुलिस स्टेशन प्रति शहरी क्षेत्र (वर्ग किमी, जनवरी 2023)
राज्य के नागरिक पोर्टल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं (%, 2024)
प्रशिक्षण संस्थान प्रति कर्मियों की संख्या (संख्या, जनवरी 2023)
पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी की संख्या (%, जनवरी 2023)
पुलिस स्टेशन में महिला सहायता डेस्क की संख्या (%, जनवरी 2023)

कार्यभार

नागरिक पुलिस प्रति जनसंख्या (संख्या, जनवरी 2023)

जेल

बजट

प्रति क़ैदी ख़र्च (Rs, 2022-23)
जेल बजट का उपयोग (%, 2022-23)

मानव संसाधन

अधिकारियों की रिक्तियां (%, दिसंबर 2022)
काडर स्टाफ़ की रिक्तियां (%, दिसंबर 2022)
करेक्शनल स्टाफ़ की रिक्तियां (%, दिसंबर 2022)
मेडिकल स्टाफ़ की रिक्तियां (%, दिसंबर 2022)
चिकित्सा अधिकारी की रिक्तियां (%, दिसंबर 2022)
प्रशिक्षित कर्मियों का प्रतिशत (%, 2022)

विविधता

जेल स्टाफ़ में महिलाओं का हिस्सा (%, दिसंबर 2022)

इंफ़्रास्ट्रक्चर

जेल ऑक्यूपेंसी रेट (%, दिसंबर 2022)
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा वाली जेलें (%, दिसंबर 2022)
1-3 वर्षों तक हिरासत में विचाराधीन क़ैदी (%, दिसंबर 2022)

कार्यभार

प्रति अधिकारी बंदी (संख्या, दिसंबर 2022)
प्रति काडर स्टाफ़ क़ैदी (संख्या, दिसंबर 2022)
प्रति करेक्शनल स्टाफ़ क़ैदी (संख्या, दिसंबर 2022)
प्रति मेडिकल ऑफ़िसर क़ैदी (संख्या, दिसंबर 2022)

न्यायपालिका

बजट

न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति ख़र्च (रुपए, 2022-23)

मानव संसाधन

जनसंख्या प्रति हाई कोर्ट जज (फरवरी 2025)
जनसंख्या प्रति अधीनस्थ न्यायालय जज (जनवरी 2025)
हाई कोर्ट में जजों की रिक्तियां (%, फरवरी 2025)
अधीनस्थ न्यायालय में जजों की रिक्तियां (%, जनवरी 2025)
हाई कोर्ट स्टाफ़ की रिक्तियां (%, जून 2024)

विविधता

हाई कोर्ट में महिला जजों का प्रतिशत (%, फरवरी 2025)
अधीनस्थ न्यायालय में महिला जजों का प्रतिशत (%, फरवरी 2025)
SC जजों की नियुक्ति और आरक्षित का अनुपात (अधीनस्थ न्यायालय, %, फरवरी 2025)
ST जजों की नियुक्ति और आरक्षित का अनुपात (अधीनस्थ न्यायालय, %, फरवरी 2025)
OBC जजों की नियुक्त और आरक्षित का अनुपात (अधीनस्थ न्यायालय, %, फरवरी 2025)

इंफ़्रास्ट्रक्चर

कोर्टहॉल की कमी (%, जनवरी 2025)

कार्यभार

हाई कोर्ट में मामले निपटाने की दर (%, 2024)
अधीनस्थ न्यायालय में मामले निपटाने की दर (%, 2024)

क़ानूनी सहायता

बजट

NALSA फंड का उपयोग (%, 2022-23)
राज्य का क़ानूनी सहायता बजट में हिस्सा (%, 2022-23)
राज्य क़ानूनी सहायता बजट का उपयोग (%, 2022-23)

मानव संसाधन

DLSAs में स्वीकृत सचिवों का प्रतिशत (%, मार्च 2024)
DLSA सचिव की रिक्तियां (%, मार्च 2024)
प्रति लाख जनसंख्या PLVs (संख्या, सितंबर 2024)

विविधता

पैनल लॉयर्स में महिलाओं का प्रतिशत (%, सितंबर 2024)
महिला PLVs का प्रतिशत (%, सितंबर 2024)

इंफ़्रास्ट्रक्चर

राज्य न्यायिक ज़िलों में DLSAs का प्रतिशत (%, दिसंबर 2024)
विधिक सहायता क्लीनिक प्रति गांव (संख्या, 2023-24)
जेलों में विधिक सहायता क्लीनिक प्रति जेल (संख्या, 2023-24)
DLSAs में फ्रंट ऑफ़िस की उपस्थिति (%, दिसंबर 2024)

कार्यभार

PLA को प्राप्त केसों में से निपटारा (प्राप्त मामलों के प्रतिशत के रूप में, 2023-24)

पूर्वानुमान

चित्र 15: भारत की भीड़भाड़ वाली जेलें और अत्यधिक कार्यभार झेलता काडर स्टाफ़

राष्ट्रीय स्तर पर, जेल की क्षमता क़ैदियों की संख्या से कम रही है, और यह रुझान भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है।

चित्र 15a: जेल की क्षमता

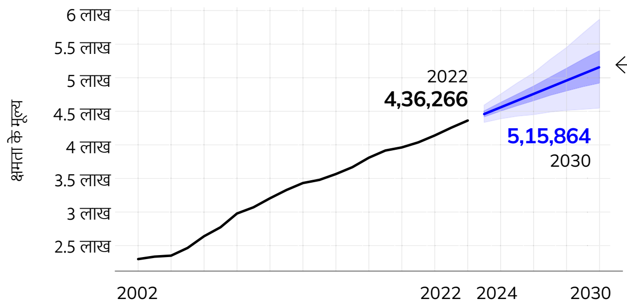

चित्र 15b: जेल में बंद क़ैदियों की संख्या

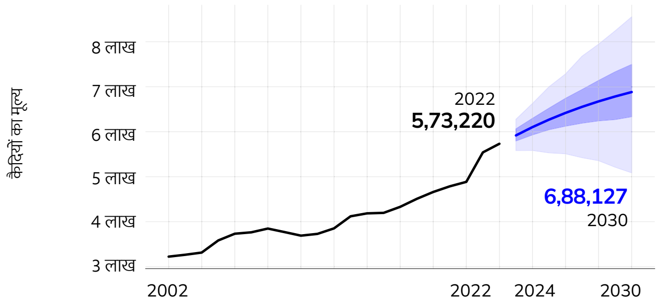

जेलों-क़ैदियों की स्थिति
रेखिक पूर्वानुमान
95% पूर्वानुमान अंतराल
50% पूर्वानुमान अंतराल

पूर्वानुमान ग्राफ़ को कैसे समझें:

यह ग्राफ़ 2002 से 2022 तक जेलों की क्षमता और क़ैदियों की संख्या (काली रेखा) को दिखाता है और इन आंकड़ों का रेखीय मॉडल के आधार पर 2030 का पूर्वानुमान नीली रेखा से दर्शाता है।

पूर्वानुमान के चारों ओर रंगीन पट्टियां भविष्य की संभावनाओं को दिखाती हैं, जो मॉडल की सटीकता पर आधारित हैं। गहरे नीले रंग की पट्टी (अंदर वाली) 50% पूर्वानुमान अंतराल को दर्शाती है, यानी भविष्य में जेलों की क्षमता और क़ैदियों की संख्या इसकी सीमा में आने की 50% संभावना है।

हल्के नीले रंग की पट्टी (बाहरी पट्टी) 95% पूर्वानुमान अंतराल को दर्शाती है, यानी भविष्य में जेलों की वास्तविक क्षमता और क़ैदियों की संख्या इसकी सीमा में आने की 95% संभावना है।

जैसे-जैसे पूर्वानुमान भविष्य की ओर बढ़ता है, ये पट्टियां चौड़ी होती जाती हैं, जो दर्शाती हैं कि दीर्घकालिक भविष्यवाणियां कम सटीक होती हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान विचाराधीन क़ैदियों की संख्या में और वृद्धि हुई, जिससे जेल की अधिभोग दर बढ़ गई

चित्र 15c: विचाराधीन क़ैदियों की संख्या

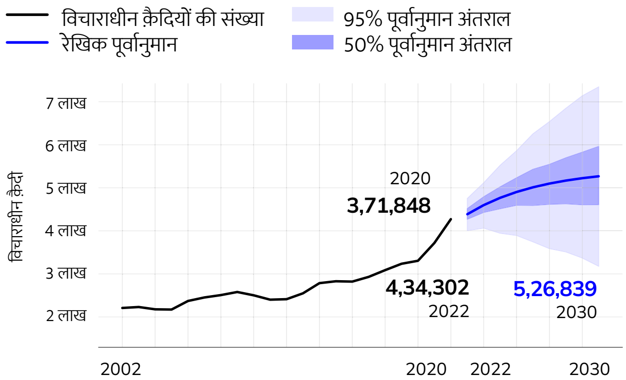

चित्र 15d: जेल अधिभोग दर (%)

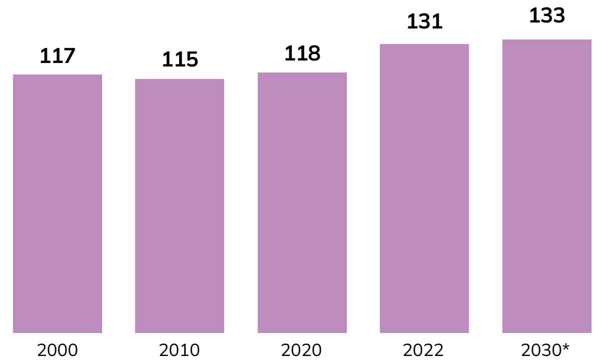

*सभी आंकड़े 2030 तक के रेखीय पूर्वानुमान पर आधारित हैं।

इससे पहले से ही अत्यधिक कार्यभार झेल रहे जेल काडर स्टाफ़ पर और अधिक बोझ पड़ेगा, जो कि आदर्श स्थिति से लगभग दोगुना ज़्यादा होगा।

चित्र 15e: प्रति काडर स्टाफ़ क़ैदियों की संख्या

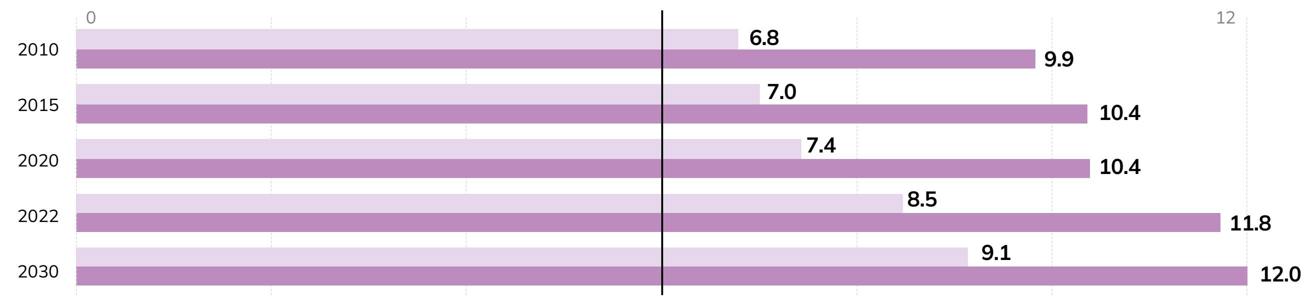

स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया

6.0 जरूरी (मॉडल जेल मैनुअल, 2016 के अनुसार)

चित्र 16: भारत की बोझ से दबी अदालतें और जजों की लगातार कमी

16a: अधीनस्थ अदालतें

अनुमान है कि 2030 तक लंबित मामलों में 15% की वृद्धि होगी।

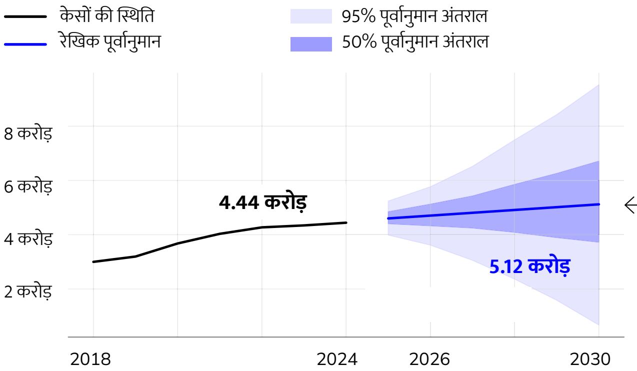

हाई कोर्ट

16d: लंबित मामले

अनुमान है कि 2030 तक लंबित मामलों में 15% की वृद्धि होगी।

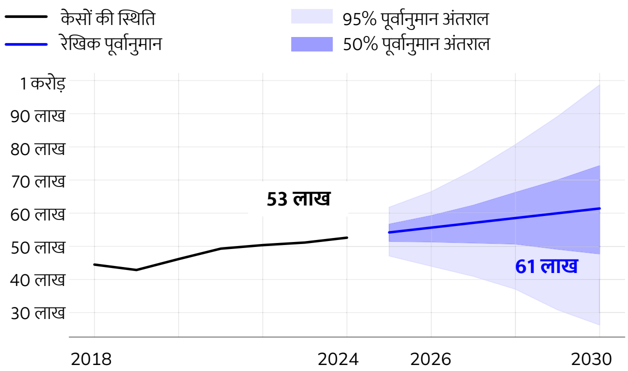

पूर्वानुमान ग्राफ़ को कैसे समझें:

यह ग्राफ़ 2002 से 2022 तक अदालतों में दर्ज केसों (काली रेखा) को दिखाता है और इन संख्याओं का रेखीय मॉडल के आधार पर 2030 का पूर्वानुमान नीली रेखा से दर्शाता है।

पूर्वानुमान के चारों ओर रंगीन पट्टियां भविष्य की संभावनाओं को दिखाती हैं, जो मॉडल की सटीकता पर आधारित हैं। गहरे नीले रंग की पट्टी (अंदर वाली) 50% पूर्वानुमान अंतराल को दर्शाती है, यानी भविष्य में केसों की संख्या इसकी सीमा में आने की 50% संभावना है।

हल्के नीले रंग की पट्टी (बाहरी पट्टी) 95% पूर्वानुमान अंतराल को दर्शाती है, यानी भविष्य में केसों की वास्तविक संख्या इसकी सीमा में आने की 95% संभावना है।

जैसे-जैसे पूर्वानुमान भविष्य की ओर बढ़ता है, ये पट्टियां चौड़ी होती जाती हैं, जो दर्शाती हैं कि दीर्घकालिक भविष्यवाणियां कम सटीक होती हैं।

16b: मामले निपटाने की दर (%)

पिछले 7 वर्षों में कभी भी निपटान दर (CCR) 100% के पार नहीं गई है, यानी बोझ लगातार बढ़ रहा है।

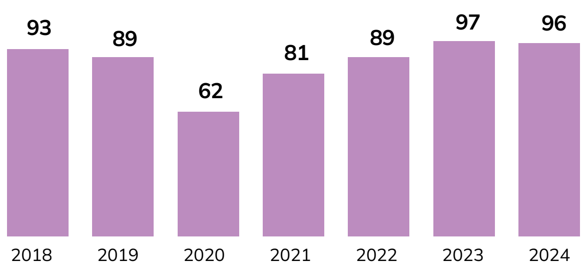

16e: मामले निपटाने की दर (%)

पिछले 7 वर्षों में केवल एक बार ही CCR ने 100% को पार किया है, यानी केसों का बोझ लगातार बढ़ रहा है।

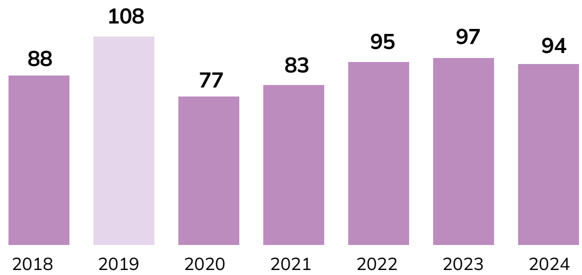

16c: जजों की संख्या (अधीनस्थ न्यायालय)

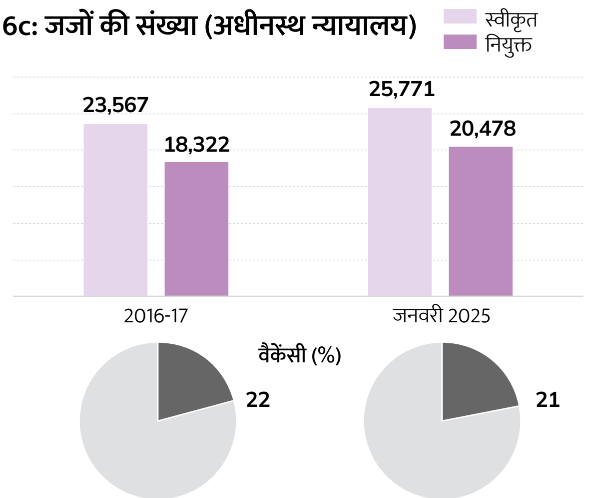

16f: जजों की संख्या (हाई कोर्ट)

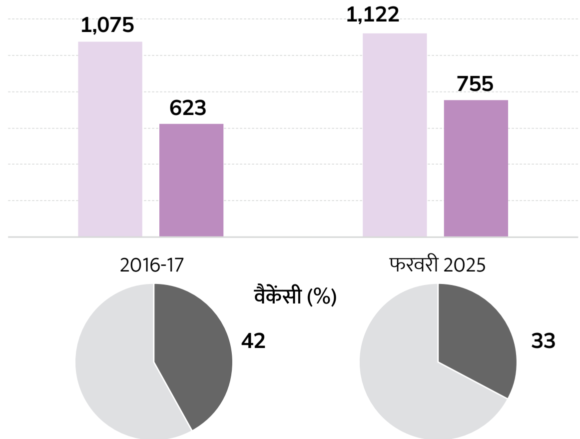

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड; न्याय विभाग; संसदीय प्रश्न

चित्र 17: भारत में पुलिस और जनसंख्या के अनुपात में सुधार

देशभर में सिविल पुलिस की स्वीकृत और नियुक्त संख्या दोनों में साल 2010 से 2022 के 13 वर्षों की अवधि में से 10 वर्षों में साल-दर-साल वृद्धि देखी गई है। इस दौरान सबसे अधिक वृद्धि वर्ष 2016 में दर्ज की गई, जब: स्वीकृत पदों में 8.7% और वास्तविक नियुक्तियों में 13.4% की बढ़ोतरी हुई।

सामान्यतः, इस अवधि के दौरान, पुलिस बल की वृद्धि दर देश की जनसंख्या की तुलना मेंअधिक रही है और यह रुझान भविष्य में भी जारी रहने का अनुमान है। इसका सीधा असर पुलिसकर्मियों पर पड़ने वाले कार्यभार पर पड़ता है यानी औसतन प्रति पुलिसकर्मी पर कम जनसंख्या की ज़िम्मेदारी होगी।

चित्र 17a: सिविल पुलिस की स्वीकृत संख्या

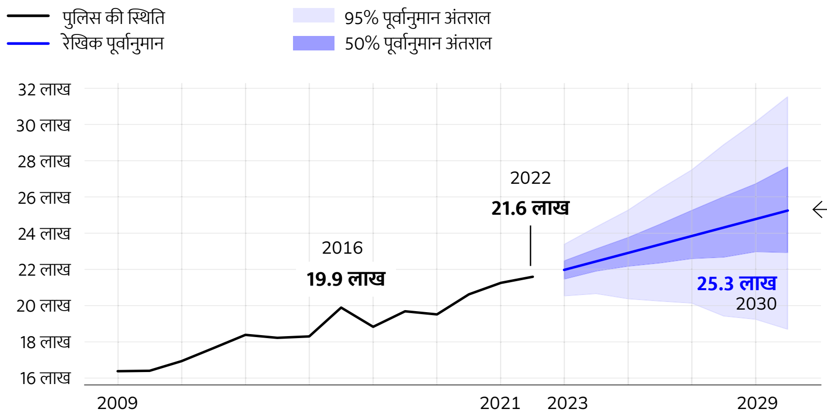

चित्र 17b: सिविल पुलिस की वास्तविक संख्या

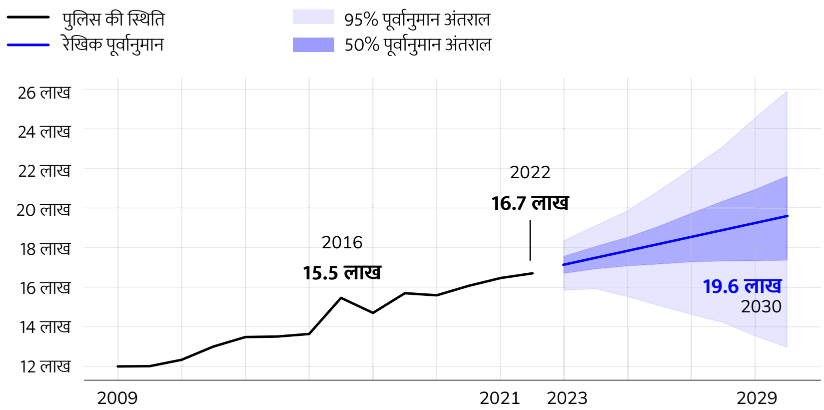

पूर्वानुमान ग्राफ़ को कैसे समझें:

यह ग्राफ़ 2002 से 2022 तक सिविल पुलिस की संख्या (काली रेखा) को दिखाता है और इन संख्याओं का रेखीय मॉडल के आधार पर 2030 का पूर्वानुमान नीली रेखा से दर्शाता है।

पूर्वानुमान के चारों ओर रंगीन पट्टियां भविष्य की संभावनाओं को दिखाती हैं, जो मॉडल की सटीकता पर आधारित हैं। गहरे नीले रंग की पट्टी (अंदर वाली) 50% पूर्वानुमान अंतराल को दर्शाती है, यानी भविष्य में पुलिस की संख्या इसकी सीमा में आने की 50% संभावना है।

हल्के नीले रंग की पट्टी (बाहरी पट्टी) 95% पूर्वानुमान अंतराल को दर्शाती है, यानी भविष्य में पुलिसबल की वास्तविक संख्या इसकी सीमा में आने की 95% संभावना है।

जैसे-जैसे पूर्वानुमान भविष्य की ओर बढ़ता है, ये पट्टियां चौड़ी होती जाती हैं, जो दर्शाती हैं कि दीर्घकालिक भविष्यवाणियां कम सटीक होती हैं।

चित्र 17c: जनसंख्या प्रति पुलिसकर्मी

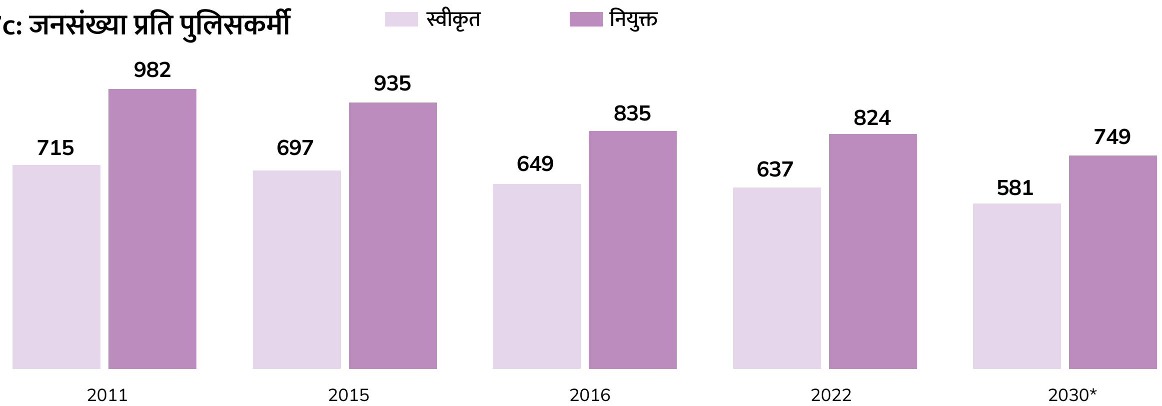

नोट: यह आंकड़े सिविल पुलिसकर्मियों की स्वीकृत और नियुक्त संख्या के लिए रेखीय पूर्वानुमान का उपयोग कर बनाए गए हैं।
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D)

पुलिस

पुलिस रैंकिंग

कलर गाइड
श्रेष्ठ | मध्य | खराब

संकेतक (IJR 4) **32**

समूह
I. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या)
II. 7 छोटे आकार के राज्य (1 करोड़ तक जनसंख्या)

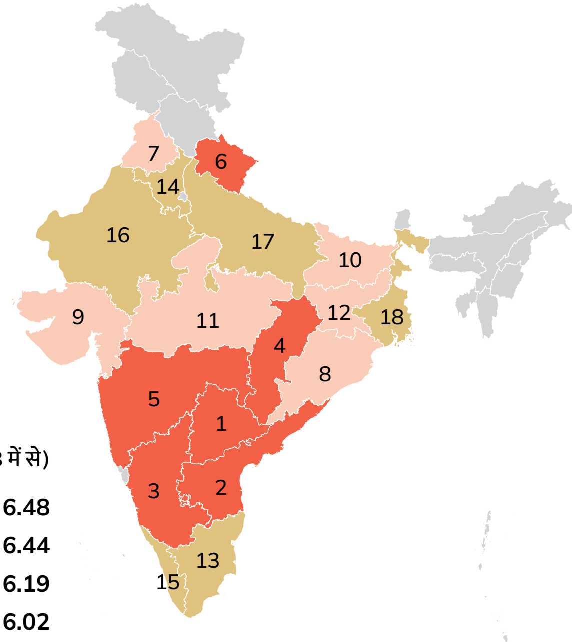

मानचित्र 9: बड़े और मध्यम आकार के राज्य

रैंक (18 में से)

IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 4 2025 (नया)	राज्य	रैंक (18 में से)
11	10	1	1	तेलंगाना	6.48
5	4	3	2	आंध्र प्रदेश	6.44
6	1	2	3	कर्नाटक	6.19
10	2	9	4	छत्तीसगढ़	6.02
4	13	10	5	महाराष्ट्र	5.61
2	7	5	6	उत्तराखंड	5.50
3	12	13	7	पंजाब	5.26
7	3	4	8	ओडिशा	5.16
12	8	8	9	गुजरात	5.13
14	11	16	10	बिहार	5.04
15	18	7	11	मध्य प्रदेश	5.04
9	6	11	12	झारखंड	5.01
1	5	6	13	तमिलनाडु	4.95
8	9	12	14	हरियाणा	4.80
13	14	17	15	केरल	4.71
17	16	14	16	राजस्थान	4.66
18	15	15	17	उत्तर प्रदेश	4.26
16	17	18	18	पश्चिम बंगाल	3.36

मानचित्र 10: छोटे राज्य

रैंक (7 में से)

IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 4 2025 (नया)	राज्य	रैंक (7 में से)
1	1	1	1	सिक्किम	6.10
2	4	2	2	अरुणाचल प्रदेश	5.35
7	6	4	3	मिज़ोरम	4.75
6	2	5	4	हिमाचल प्रदेश	4.01
5	3	3	5	मेघालय	3.83
4	5	7	6	त्रिपुरा	3.58
3	7	6	7	गोवा	3.38

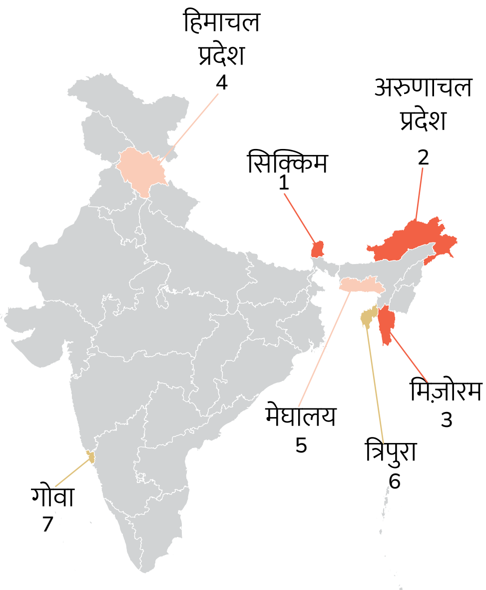

नोट: अंक दो दशमलव तक दिखाए गए हैं। बिहार और मध्य प्रदेश दोनों का स्कोर समान है, लेकिन दशमलव के तीसरे अंक (5.040 बनाम 5.038) की वजह से बिहार को ऊपर रखा गया है।

थोड़े सुधार, बड़ी चुनौतियां

मॉर्डनाइजेशन फंड

उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या जिन्होंने अपने मॉर्डनाइजेशन फंड का कम से कम 90% उपयोग किया।

	संख्या	कुल राज्य*
IJR 1 (2019)	1	22
IJR 2 (2020)	4	29
IJR 3 (2022)	7	30
IJR 3 (2025)	4	24

महिला कर्मचारी

उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या जिनके पुलिसबल में 10% से ज़्यादा महिलाएं हैं।

	संख्या	कुल राज्य*
IJR 1 (2019)	8	36
IJR 2 (2020)	13	36
IJR 3 (2022)	17	36
IJR 3 (2025)	17	36

सिविल पुलिस की 2 लाख से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मियों में से 80% कॉन्स्टेबल लेवल पर हैं।

SC/ST कोटा

उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या अपना आरक्षित कोटा कम से कम 80% तक भरा।

	संख्या	कुल राज्य*
IJR 1 (2019)	2	31
IJR 2 (2020)	2	31
IJR 3 (2022)	3	31
IJR 3 (2025)	4	34

बजट

उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या जिनके पुलिस बजट में से ट्रेनिंग बजट का हिस्सा 1% से ज़्यादा है।

	संख्या	कुल राज्य*
IJR 1 (2019)	NA	
IJR 2 (2020)	NA	
IJR 3 (2022)	18	32
IJR 4 (2025)	15	30

*36 में से जिन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आंकड़े उपलब्ध थे, उनकी संख्या।

ग्रामीण-शहरी पुलिस स्टेशन

राष्ट्रीय स्तर पर जनवरी 2017 से जनवरी 2023 के बीच

ग्रामीण पुलिस स्टेशन ↓ 735

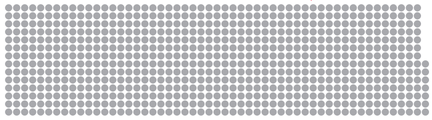

शहरी पुलिस स्टेशन ↑ 193

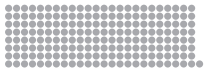

फॉरेंसिक्स में वैकेंसी

प्रशासनिक

राष्ट्रीय स्तर पर	47%
सबसे ज़्यादा	89% (मध्य प्रदेश)
सबसे कम	0% (केरल)

वैज्ञानिक

राष्ट्रीय स्तर पर	49%
सबसे ज़्यादा	85% (तेलंगाना)
सबसे कम	0% (केरल)

जाति

राष्ट्रीय हिस्सेदारी (%)

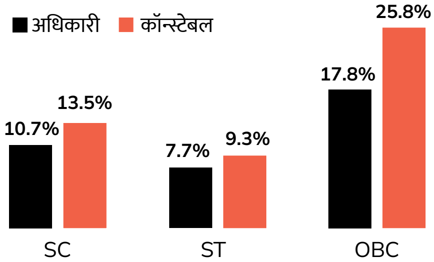

पुलिसबल में वैकेंसी

IJR 1: 22% | IJR 2: 20% | IJR 3: 22% | IJR 4: 23%

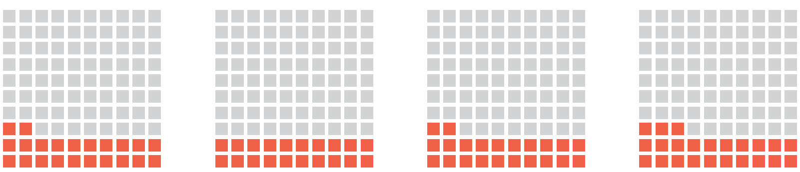

कॉन्स्टेबल और अधिकारी दोनों स्तर पर वैकेंसी बढ़ी: 13 राज्यों में

वैकेंसी में सर्वाधिक कमी आई:

कर्नाटक में IJR 3 के 10.8% से IJR 4 में 1.2% हुई।

सबसे ज़्यादा वैकेंसी बढ़ी:

तमिलनाडु में IJR 3 के 9.1% से IJR 4 में 28% हुई।

अध्याय 1

यूनिफॉर्म काफ़ी नहीं: पुलिस को असफल करती क्षमता

परिचय

IJR 4 में, पुलिस स्तंभ में शीर्ष तीन स्थानों पर दक्षिणी राज्य जमे हुए हैं। बड़े राज्यों में पुलिस की क्षमता के मामले में तेलंगाना ने लगातार दूसरी बार पहली रैंकिंग हासिल की है। आंध्र प्रदेश दूसरे तो कर्नाटक तीसरे स्थान पर आया है। पहले और दूसरे स्थान पर रहे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दो राज्यों में विभाजित होने के एक दशक बाद भी लगातार शीर्ष स्थान बरक़रार रखा है। छत्तीसगढ़, पंजाब और बिहार ने अपने-अपने राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधनों और बजट से संबंधित कमियों को दूर कर अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए टॉप टेन रैंकिंग में जगह बनाई है।

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तराखंड 2019 से 2025 के बीच लगातार शीर्ष दस राज्यों में रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु ने 2019 में पहले स्थान पर आने के बाद से लगातार गिरावट दर्ज की है। 2020 में तमिलनाडु पांचवें स्थान पर रहा तो 2022 में छठे और 2025 में सात स्थानों की गिरावट के साथ 13वें स्थान पर है। तमिलनाडु के इस ख़राब प्रदर्शन के पीछे के कारणों में शामिल हैं: नागरिक पोर्टल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में गिरावट, महिला हेल्प डेस्क[1] वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या में और कमी आना एवं पुलिस स्टेशनों में कम-से-कम एक सीसीटीवी कैमरा लगाने के मामले में राष्ट्रीय औसत (83%) से पीछे रहना।

वर्ष 2022 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान फिसड्डी रहे हैं और पुलिस रैंकिंग में आख़िरी तीन स्थानों से ऊपर नहीं उठ सके। हालांकि, इनमें से हर राज्य ने क्षमता से संबंधित क्षेत्रों में सुधार किया है। राजस्थान ने अपने आधुनिकीकरण फंड का उपयोग बेहतर किया, प्रति पुलिसकर्मी प्रशिक्षण पर ख़र्च बढ़ाया और पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी की संख्या में बढोतरी की। वहीं, उत्तर प्रदेश में महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी पुलिस अधिकारियों की संख्या में थोड़ी गिरावट देखी गई लेकिन इसने पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण पर ख़र्च में वृद्धि की। पश्चिम बंगाल ने सिटीज़न पोर्टल पर दी जाने वाली सेवाओं में सुधार किया, कॉन्स्टेबल के ख़ाली पदों को भरा और इनमें SC/ST/OBC की भागीदारी बढ़ाई। इसके बावजूद, आधुनिकीकरण फंड के उपयोग और प्रशिक्षण पर ख़र्च में गिरावट और फॉरेंसिक स्टाफ़ के पदों पर बहुत ज़्यादा रिक्तियों के कारण राज्य निचले पायदान पर रहा।

इंफ्रास्ट्रक्चर

- जनसंख्या प्रति पुलिस स्टेशन (ग्रामीण) (संख्या, जनवरी 2023)
- जनसंख्या प्रति पुलिस स्टेशन (शहरी) (संख्या, जनवरी 2023)
- क्षेत्र प्रति पुलिस स्टेशन (ग्रामीण) (वर्ग किमी, जनवरी 2023)
- क्षेत्र प्रति पुलिस स्टेशन (शहरी) (वर्ग किमी, जनवरी 2023)
- राज्य नागरिक पोर्टल द्वारा दी गई सेवाएं (%, 2024)
- प्रति प्रशिक्षण संस्थान कार्मिक (संख्या, जनवरी 2023)
- सीसीटीवी वाले पुलिस स्टेशन (%, जनवरी 2023)
- महिला सहायता डेस्क वाले पुलिस स्टेशन (%, जनवरी 2023)

पुलिस थानों में सीसीटीवी: साल 2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने परमवीर सिंह सैनी मामले[2] में सभी पुलिस स्टेशनों के अंदर सीसीटीवी

1 तमिलनाडु में 222 विशेष महिला पुलिस स्टेशन हैं, जो किसी भी अन्य राज्य से अधिक है।
2 परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह [विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 3543/2020] मामले में 2 दिसंबर, 2020 का सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला। इस लिंक पर उपलब्ध: https://api.sci.gov.in/supremecourt/2020/13346/13346_2020_33_1501_24909_Judgement_02-Dec-2020.pdf

कैमरे लगाने से संबंधित बहुत ही विस्तृत और विशिष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं जो कि पुलिस की जवाबदेही तय करने संबंधी उपाय है। न्यायालय ने पुलिस स्टेशन में कम-से-कम चौदह स्थानों पर अनिवार्य रूप से 12 से 18 महीने की स्टोरेज क्षमता वाले ऑडियो-विजुअल और नाइट-विज़न कैमरे लगाने का आदेश दिया था। ये कैमरे थाने के प्रवेश स्थान, सभी लॉकअप, गलियारे, इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर के कमरे और सभी पुलिस थानों के पिछले हिस्सों में लगाए जाने अनिवार्य हैं। कोर्ट द्वारा तय संख्या, क्षमता और गुणवत्ता के अनुसार सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पुलिस विभाग को विशेष फंड और तकनीकी तैयारी की ज़रूरत होती है।

न्यायालय द्वारा कई कैमरों की ज़रूरत संबंधी निर्देशों के बावजूद, 'पुलिस संगठनों के आंकड़े' (DoPO) इस आदेश के अनुपालन के संदर्भ में केवल एक या अधिक सीसीटीवी से लैस पुलिस स्टेशनों की संख्या ही प्रदान करते हैं। [3]

जनवरी 2023 तक, देश भर के 17,849 पुलिस थानों में से केवल 83% यानी 14,865 थानों में कम-से-कम एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। यह जनवरी 2022 के 73% के आंकड़े से 10% अंक ज़्यादा है।[4] केवल चार राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल और चार केंद्रशासित प्रदेशों- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव और लद्दाख ने जानकारी दी कि उनके सभी पुलिस थानों में कम-से-कम एक सीसीटीवी कैमरा है। 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[5] ने जनवरी 2022 से 2023 के बीच सुधार दिखाया तो 11 राज्यों[6] में सीसीटीवी कवरेज कम हुई। तेलंगाना ने 2022 में सभी 100% पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कवरेज होने की जानकारी दी थी, जो 2023 में घटकर 89% हो गई। 14 राज्यों में सीसीटीवी कवरेज 90 से 99 प्रतिशत के बीच है[7] । मणिपुर के केवल 4% पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी की कवरेज है, जबकि लक्षद्वीप और पुडुचेरी के किसी भी पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी नहीं है।

महिला सहायता डेस्क: गृह मंत्रालय ने स्वीकार किया कि महिलाओं को पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने में, विशेष रूप से लैंगिक हिंसा के मामलों में, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें पुलिस थानों में समर्पित महिला सहायता डेस्क (WHD) स्थापित करना शामिल है ताकि महिला शिकायतकर्ताओं और पीड़ितों की सहायता की जा सके। ये डेस्क लैंगिक हिंसा रोकने के लिए पुलिस तक आसान पहुंच और उचित कार्रवाई के महत्व को रेखांकित करते हैं। वर्ष 2021 में, केंद्र सरकार ने सभी पुलिस स्टेशनों में ये तंत्र स्थापित करने और इसे मज़बूत करने के लिए 107.49 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे।[8]

राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क में लगातार वृद्धि हुई और ये 2021[9] के 59% के आंकड़े से बढ़कर 2023[10] में 78% हो गए हैं। कुल मिलाकर, 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सुधार देखने को मिला है।[11] इन डेस्क की सबसे ज़्यादा संख्या मेघालय, बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बढ़ी है। शहरी थानों की स्थिति ग्रामीण थानों से थोड़ी बेहतर है। शहरी क्षेत्रों के 91% पुलिस स्टेशनों में तो ग्रामीण क्षेत्रों के केवल 87% पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क हैं।

देश के 22% पुलिस स्टेशनों में अब भी महिला सहायता डेस्क नहीं है। पांच राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों- झारखंड, लक्षद्वीप, मेघालय, नगालैंड और तमिलनाडु में 60% से कम पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क हैं।

महिला सहायता डेस्क के दिशानिर्देशों[12] में स्पष्ट है कि इन डेस्क पर कम से कम एक महिला पुलिस अधिकारी हो, जो कम से कम हेड कॉन्स्टेबल रैंक की न हो, उसके साथ अतिरिक्त महिलाकर्मी हो और पुलिस स्टेशन की आवश्यकतानुसार डेस्क के लिए स्टाफ़ हो। आदर्श स्थिति में डेस्क के लिए बाहरी समर्थकों का एक ढांचा भी होना चाहिए जिसमें वकील, मनोचिकित्सक और ग़ैर सरकारी संगठन भी होने चाहिए। महिला सहायता डेस्कों के गठन और संचालन में आने वाली बड़ी समस्या महिला पुलिसकर्मियों की कम संख्या की भी है।

उदाहरण के तौर पर, बिहार की पुलिस फोर्स में 24 फ़ीसदी महिलाएं हैं, लेकिन इनमें से केवल 11% ही सब-इंस्पेक्टर (SI), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) या हेड कॉन्स्टेबल की रैंक पर हैं, जो महिला सहायता

3 पुलिस संगठनों से संबंधित आंकड़े, 2023, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D), टेबल 6.1.6, पृष्ठ 192. इस लिंक पर उपलब्ध: https://bprd.nic.in/uploads/pdf/1716639795_d6fce11ed56a985b635c.pdf
4 प्रतिशत में मौज़ूद दो आंकड़ों के बीच का अंतर जो वृद्धि या कमी को दर्शाता है।
5 अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, राजस्थान, सिक्किम और उत्तराखंड।
6 असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, केरल, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, और उत्तर प्रदेश।
7 असम, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान और सिक्किम।
8 गृह मंत्रालय, महिला सुरक्षा प्रभाग, 10 जनवरी, 2020. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/advisory_21052021_0_1.pdf
9 पुलिस संगठनों के आंकड़े, 2021, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), तालिका संख्या 6.2.3, पृष्ठ.204. यहां उपलब्ध है: https://bprd.nic.in/uploads/pdf/DoPO%202021.pdf
10 पुलिस संगठनों के आंकड़े, 2022, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), तालिका संख्या 6.2.3, पृष्ठ.203. यहां उपलब्ध है: https://bprd.nic.in/uploads/pdf/202301110504030641146DataonPoliceOrganizations.pdf
11 बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और तेलंगाना।
12 गृह मंत्रालय, महिला सुरक्षा प्रभाग, 10 जनवरी, 2020. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/WHDGuidelines_03082020_0.PDF

डेस्क के संचालन के लिए ज़रूरी हैं। फिर, ऐसे में बिहार के 1,021 पुलिस स्टेशनों में मानव संसाधनों की कमी होना अप्रत्याशित नहीं है। इसी तरह, देश में सबसे ज़्यादा (222) महिला पुलिस थाने होने का दावा करने वाले राज्य तमिलनाडु के सभी पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क नहीं है। इसके केवल 34% पुलिस थानों में ही महिला सहायता डेस्क है।

महिला सहायता डेस्क तक पहुंच और इसकी कार्रवाइयों के असर का आकलन[13] पुलिस की कार्रवाई और दक्षता में सुधार लाने में ऐसे तंत्रों के प्रभाव को स्थापित करने में मदद करता है। मध्य प्रदेश के 52 में से 12 ज़िलों के 180 पुलिस स्टेशनों की महिला सहायता डेस्क का स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया। इसमें पाया गया कि मई 2019 से अक्टूबर 2020 के बीच, हेल्प डेस्क पर सावधानीपूर्वक नियुक्त और अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारियों वाले पुलिस स्टेशनों ने, बिना हेल्प डेस्क या विशेष प्रशिक्षण वाले पुलिस स्टेशनों की तुलना में घरेलू घटना रिपोर्ट (घरेलू हिंसा के मामलों से संबंधित) की तीन गुना अधिक शिकायतें दर्ज कीं और महिलाओं के ख़िलाफ अपराधों से संबंधित 14 प्रतिशत अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़आईआर) दर्ज कीं। ज़्यादा शिकायतें दर्ज होना दिखाता है कि अपराधों की शिकायत दर्ज कराने संबंधी आत्मविश्वास बढ़ रहा है, अपराधों को हल करने की संभावनाएं बढ़ रही हैं और इसके दूरगामी परिणामों में अपराधों में कमी आ सकती है।

प्रति पुलिस थाने पर निर्भर जनसंख्या: बेहतर पुलिस सेवा उपलब्ध कराने के लिए संसाधन युक्त और सुलभ पुलिस स्टेशन बनाना राज्य के बुनियादी कर्तव्य हैं। पुलिस स्टेशन अपराध या हिंसा से पीड़ित आम लोगों के लिए आपराधिक न्याय व्यवस्था का प्रवेश द्वार हैं। पुलिस स्टेशनों की आवश्यक संख्या और उनके स्थान का निर्धारण कई चीजों से तय होता है। ऐसा भौगोलिक विशेषता, जनसंख्या घनत्व, विभिन्न क्षेत्रों में अपराध की स्थिति और वित्तीय तथा मानव संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

1981 में 'राष्ट्रीय पुलिस आयोग' द्वारा तैयार आधारभूत ढांचे में यह तय किया गया था कि कितनी आबादी पर एक पुलिस स्टेशन होगा और उनका कार्यक्षेत्र क्या होगा। जनसंख्या में बदलाव, साइबरक्राइम और संगठित अपराधों जैसे नए अपराधों के सामने आने और संचार के बेहतर साधनों के विकसित होने से पुलिस कार्यप्रणाली के पारंपरिक मॉडल के पुनर्मूल्यांकन और संसाधनों के पुनर्वितरण की ज़रूरत सामने आई है। अब पुलिसबल में विशेष यूनिट बनाने और पुलिसकर्मियों की नए तरीक़े से तैनाती की आवश्यकता महसूस होने लगी है। इन बदलते मानकों की वजह से कई राज्यों ने अपने यहां पुलिस स्टेशन बनाने के लिए अलग पैमाने तय किए हैं। इनमें राज्य अपनी चुनौतियों और ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए 1981 के 'राष्ट्रीय पुलिस आयोग' के मूल सिद्धांतों को भी शामिल करते हैं। हालांकि, तब से पुलिस कार्यप्रणाली में काफ़ी सुधार और प्रगति हुई है, लेकिन आज भी किसी भी परिस्थिति में सुगमता, जवाबदेही और सामूहिक सहभागिता ही प्रभावी पुलिस सेवा के मूल सिद्धांत हैं।

{इसके बाद के बदलावों ने पुलिस स्टेशनों के स्थानों के परिदृश्य को व्यापक रूप से बदला है। समुदाय-उन्मुख पुलिस व्यवस्था की शुरुआत ने अपराध के आंकड़ों की बजाय समुदायों की ज़रूरतों और ख़तरों के स्तर जैसे कारकों को प्राथमिकता दी है। बेहतर संचार प्रणाली जैसे तकनीकी विकास ने रणनीतिक रूप से बनाए गए पुलिस स्टेशनों की कम संख्या के साथ अधिक केंद्रीकृत पुलिसिंग मॉडल को संभव बनाया है।}

2017 से 2023 के रुझानों में दिखता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के पुलिस स्टेशनों को बड़े क्षेत्रों में ज़्यादा संख्या में लोगों सेवाएं मुहैया करानी पड़ रही हैं। एक ग्रामीण पुलिस थाने पर जनवरी 2017 में औसतन 83,000 लोगों का भार था, यह 2023 में लगभग एक लाख तक पहुंच गया है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक पुलिस थाने पर औसत जनसंख्या का भार 74,000 से बढ़कर 93,000 से अधिक हो गया।[14] इस दौरान देश भर में 735 ग्रामीण पुलिस थाने कम हुए, जबकि 193 शहरी पुलिस थाने बढ़े।

ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाले पांच राज्यों- बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ग्रामीण पुलिस स्टेशनों की संख्या में कमी आई है। इसके साथ ही, यहां प्रति पुलिस स्टेशन जनसंख्या का भार भी बढ़ा है जो पुलिस तक सुगम पहुंच के लिए चुनौती है। इसके उलट, दस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[15] ने ग्रामीण पुलिस स्टेशनों की संख्या में वृद्धि की है। इनमें तमिलनाडु में 100 और राजस्थान में 52 नए ग्रामीण पुलिस स्टेशन खुले हैं।

13 पुलिसिंग इन पैट्रिआर्की: एन एक्सपेरिमेंटल इवल्यूएशन ऑफ़ रिफ़ॉर्म्स टू इम्प्रूव पुलिस रेस्पोंसिवेनेस टू वीमन इन इंडिया. साइंस, वॉल्यूम 377, अंक 6602, जुलाई 2022. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/science.abm7387

14 2017 की जनसंख्या के आंकड़े, जनगणना 2011 पर आधारित है, इस लिंक पर उपलब्ध: https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables
2023 की जनसंख्या के आंकड़े, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान संबंधी रिपोर्ट (रिपोर्ट ऑफ़ द टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, जुलाई 2020 (2011 to 2036) पर आधारित हैं, नवंबर 2019. इस लिंक पर उपलब्ध: https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/Population%20Projection%20Report%202011-2036%20-%20upload_compressed_0.pdf

15 छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु।

चित्र 18: पुलिस स्टेशन: ग्रामीण-शहरी विभाजन

पुलिस मशीनरी अधिकतर शहर केंद्रित होती है। 2017 और 2023 के बीच, ग्रामीण पुलिस स्टेशनों की संख्या में कमी आई जबकि शहरी पुलिस स्टेशनों में वृद्धि हुई। नीचे दिया गया ग्राफ़ पुलिस स्टेशनों द्वारा कवर की गई जनसंख्या और क्षेत्र दोनों को दर्शाता है।

जनसंख्या प्रति पुलिस स्टेशन (व्यक्ति, जनवरी 2023)

बड़े और मध्यम आकार के राज्य

शहरी		ग्रामीण
98,411	आंध्र प्रदेश	48,104
76,299	बिहार	164,241
99,817	छत्तीसगढ़	61,958
283,301	गुजरात	77,344
92,825	हरियाणा	109,325
107,615	झारखंड	87,756
102,248	कर्नाटक	69,816
230,316	केरल	23,992
50,305	मध्य प्रदेश	131,081
215,965	महाराष्ट्र	83,613
45,211	ओडिशा	96,962
89,257	पंजाब	75,113
60,235	राजस्थान	114,568
90,679	तमिलनाडु	41,884
51,974	तेलंगाना	50,373
91,334	उत्तर प्रदेश	186,715
59,671	उत्तराखंड	90,976
121,497	पश्चिम बंगाल	301,130
	छोटे राज्य	
8,511	अरुणाचल प्रदेश	21,519
149,250	गोवा	17,318
16,739	हिमाचल प्रदेश	85,872
38,389	मेघालय	56,553
48,643	मिज़ोरम	21,423
37,556	सिक्किम	19,500
41,667	त्रिपुरा	57,318
93,107	राष्ट्रीय औसत	98,000

प्रति थाना क्षेत्र (वर्ग किमी, जनवरी 2023)

बड़े और मध्यम आकार के राज्य

शहरी		ग्रामीण
20.9	आंध्र प्रदेश	222
11.4	बिहार	136
39.7	छत्तीसगढ़	372
60.2	गुजरात	398
14.4	हरियाणा	264
25.2	झारखंड	233
20.5	कर्नाटक	345
64.9	केरल	85
15.5	मध्य प्रदेश	641
32.0	ओडिशा	384
18.1	पंजाब	390
17.5	राजस्थान	201
18.5	तमिलनाडु	647
30.0	तेलंगाना	137
10.6	उत्तर प्रदेश	282
12.2	उत्तराखंड	243
12.9	पश्चिम बंगाल	641
17.1		402
	छोटे राज्य	
NA	अरुणाचल प्रदेश	NA
95.6	गोवा	134
5.9	हिमाचल प्रदेश	710
15.7	मेघालय	471
41.9	मिज़ोरम	788
4.3	सिक्किम	392
10.0	त्रिपुरा	229
19.6	राष्ट्रीय औसत	337

नोट: 2011 की जनगणना में अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र का अलग-अलग विवरण नहीं दिया गया है।
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D)।

मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में शहरी इलाक़े पुलिस स्टेशनों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है। वहीं, तमिलनाडु और कर्नाटक में शहरी पुलिस स्टेशनों में सबसे ज़्यादा कमी आई है।

शहरी क्षेत्रों के प्रति पुलिस स्टेशन पर औसत आबादी के भार में भी काफ़ी अंतर है। छोटे राज्य अरुणाचल प्रदेश में यह 8,500 है तो गुजरात में 2.8 लाख है। जनवरी 2023 में, नौ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हरेक शहरी पुलिस स्टेशन पर एक लाख से ज़्यादा जनसंख्या का भार था। केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में एक शहरी पुलिस स्टेशन पर औसतन 2 लाख से ज़्यादा आबादी का भार था। केवल हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों पर 20 हजार से कम जनसंख्या का भार था।

प्रति पुलिस स्टेशन कार्यक्षेत्र की सीमा: ग्रामीण इलाक़े में पुलिस स्टेशनों की घटती संख्या के फलस्वरूप मौजूदा पुलिस स्टेशन के पास राष्ट्रीय पुलिस आयोग[16] द्वारा सुझाए गए 150 वर्ग किलोमीटर के इलाक़े से दोगुना इलाक़ा है। जनवरी 2023 तक, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रत्येक ग्रामीण पुलिस स्टेशन के कार्यक्षेत्र की सीमा औसतन 300 वर्ग किलोमीटर से अधिक थी जो जनवरी 2017 के मुक़ाबले 8% की बढ़ोत्तरी है। 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में, एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन का औसत कार्यक्षेत्र 1981 में तय मानक से बहुत अधिक है। असम में, यह लगभग 9 गुना ज़्यादा होकर 821 वर्ग किलोमीटर प्रति पुलिस थाना है, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के ग्रामीण पुलिस स्टेशन का औसत कार्यक्षेत्र 600 वर्ग किलोमीटर से अधिक है।

ग्रामीण पुलिस स्टेशनों के अधीन आने वाले क्षेत्र में बढ़ोत्तरी के विपरीत 5,229 शहरी पुलिस थाने औसतन केवल 19.6 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं। गोवा के मात्र 8 शहरी पुलिस थाने औसतन 96 वर्ग किलोमीटर के इलाक़े को कवर करते हैं, जबकि सिक्किम के 9 शहरी पुलिस थानों के तहत औसतन 4.3 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है।

राज्य नागरिक पोर्टलों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं: राज्य नागरिक पोर्टल की शुरुआत नागरिकों और क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए की गई है। ये पोर्टल कई सेवाओं के लिए सुविधाजनक और सुगम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराते हैं। इन पोर्टल पर ये नौ प्रमुख सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए: ऑनलाइन FIR दर्ज करना, शिकायत दर्ज करना, स्टेटस ट्रैकिंग, पुलिस स्टेशन लोकेटर, गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करना, खोए-पाए सामान की जानकारी देना, ट्रैफिक से संबंधित सेवाएं, साइबरक्राइम की रिपोर्ट दर्ज करना और बैकग्राउंड चेक करना। इन सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का मक़सद पुलिस और नागरिकों के बीच संपर्क को ज़्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और सक्षम बनाना और क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंच को सुगम और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है।[17]

मई और अगस्त 2024 में IJR ने दो बार राज्यों के नागरिक पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं और इन तक पहुंच का विश्लेषण किया तो मिले-जुले निष्कर्ष सामने आए। सेवाओं की बात करें तो कोई भी राज्य सभी तय सेवाएं उपलब्ध नहीं करा रहा था। गुजरात और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 90% सेवाएं उपलब्ध करवा रहे थे। बाक़ी राज्यों द्वारा सभी सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाना अब भी एक अहम चुनौती बनी हुई है।

हिमाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल समेत 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने 2024 में सेवाएं उपलब्ध कराने में काफ़ी सुधार दिखाया। 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[19] का प्रदर्शन 2022 की तुलना में ख़राब रहा। बिहार में अलग से राज्य नागरिक पोर्टल

विभिन्न राज्यों के नागरिक पोर्टल की कार्यक्षमता अलग-अलग है और ये अलग-अलग कई सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। सभी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सुगमता और आसन इस्तेमाल के लिए अहम सुधारों की ज़रूरत है। कुछ पोर्टल बेहतर सेवाओं और नए नज़रिए को सामने लाते हैं:

1. असम कर्मचारियों, घरेलू सहायकों, वरिष्ठ नागरिकों और पासपोर्ट आदि के लिए कई प्रकार के सत्यापन/पंजीकरण फ़ॉर्म उपलब्ध कराता है और आवेदनों के बारे में व्यापक आंकड़े दर्शाता है।

2. गुजरात और सिक्किम के पोर्टल इस्तेमाल करने में आसान हैं और नियमित रूप से अपडेट होते हैं।

3. केरल और ओडिशा अपने पोर्टल पर गिरफ़्तार व्यक्तियों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराते हैं।

4. समुद्र तटीय राज्य गोवा और लक्षद्वीप के पोर्टल पर अनिवार्य सेवाओं के अलावा अपने तटीय इलाकों में उपलब्ध सुरक्षा इंतजाम और हेल्पलाइन सेवाओं की अतिरिक्त जानकारी मौजूद है।

5. हरियाणा ने अपने पोर्टल के जरिए एक अलग सामाजिक चुनौती से निपटने की कोशिश की है। इसके पोर्टल पर 'भागे हुए जोड़ों की सुरक्षा के लिए विशेष सेल' की सुविधा है।

16 भारत सरकार, राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सातवीं रिपोर्ट, मई 1981, अध्याय एल: पुलिस का संगठन और संरचना, पृष्ठ 4
17 गृह मंत्रालय की स्मार्ट पुलिसिंग पहल के तहत राज्यों को राज्य नागरिक पोर्टल के ज़रिए नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने की सलाह दी गई है: https://digitalpolice.gov.in/
18 बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरल, लद्दाख, मिज़ोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

चित्र 19: प्रशिक्षण संस्थान: 2020 और 2023 के बीच तुलनात्मक कार्यभार

	कुल स्वीकृत पुलिसप्रशिक्षण संस्थान			प्रशिक्षण संस्थानों की संख्यासंस्थान			कार्मिक (प्रति प्रशिक्षण संस्थान) (जितना कम, उतना बेहतर)		
	जनवरी 2020	जनवरी 2022	जनवरी 2023	जनवरी 2020	जनवरी 2022	जनवरी 2023	जनवरी 2020	जनवरी 2022	जनवरी 2023
प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि									
तेलंगाना	78,369	82,617	86,058	6	6	33	13,062	13,770	2,608
आंध्र प्रदेश	73,894	1,06,074	1,06,368	4	4	23	18,474	26,519	4,625
केरल	62,571	61,474	61,692	2	3	11	31,286	20,491	5,608
प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी									
तमिलनाडु	1,24,950	1,31,606	1,32,462	23	24	9	5,433	5,484	14,718
मध्य प्रदेश	1,30,984	1,25,319	1,25,381	18	18	10	7,277	6,962	12,538
कर्नाटक	1,04,599	1,10,667	1,11,426	14	14	12	7,471	7,905	9,286
पश्चिम बंगाल	1,53,069	1,58,198	1,65,069	10	16	10	15,307	9,887	16,507

स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D)।

नहीं है। यह राज्य पुलिस वेबसाइट के ज़रिए कुछ सेवाएं प्रदान करता है। चंडीगढ़, महाराष्ट्र और मेघालय समेत 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने 2020 के मुक़ाबले अपनी सेवाओं में कोई सुधार नहीं किया है।[20]

जिन राज्यों के पोर्टल पर सेवाएं उपलब्ध भी थीं, उनमें भी इन ज़रूरी सेवाओं तक पहुंचना आसान नहीं था। यह समस्या अधिकतर राज्यों के पोर्टल पर देखी गई। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव और मणिपुर इसका उदाहरण हैं। इन राज्यों के पोर्टल पर काफ़ी कम सेवाएं उपलब्ध थीं और उनका इस्तेमाल भी आसान नहीं था, जो नागरिकों के लिए चुनौती बढ़ाने वाली बात है। आंध्र प्रदेश और दिल्ली ने सबसे ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध कराईं लेकिन इनके पोर्टल पर भी लॉग-इन और साइन-अप करने में आने वाली तकनीकी दिक्कतों से सेवाएं हासिल करने में कठिनाई हो रही थी। त्रिपुरा ने 2025 में कोई सेवा उपलब्ध नहीं कराई।

प्रशिक्षण संस्थानों पर कार्यभार: भारत में पुलिस के प्रशिक्षण की व्यवस्था कई संस्थानों के अधीन है। इनमें हर संस्थान की विशिष्टता अलग है। राष्ट्रीय स्तर पर हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जैसा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है जो विभिन्न विभागों और रैंकों के आईपीएस अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है।

राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमियां, राज्य पुलिसबल की विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करती हैं। यहां सब-इंस्पेक्टर से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक के लिए बुनियादी और सेवा-कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ज़िला पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज/स्कूल मुख्य रूप से अपने क्षेत्र में नए भर्ती हुए कॉन्स्टेबल और अन्य अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

विशेष प्रशिक्षण केंद्र आतंकवाद-निरोध, साइबर अपराध जांच, यातायात प्रबंधन और फॉरेंसिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट कौशल और विशेषज्ञता को निखारते हैं। क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र पहाड़ी या तटीय इलाकों जैसे क्षेत्रों में विशेष ज़रूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

वर्ष 2020 से 2023 के बीच देश भर में प्रशिक्षण संस्थानों की कुल संख्या 203 से बढ़कर 236 हो गई । इन राज्य स्तर के संस्थानों पर कुल मिलाकर लगभग 22 लाख पुलिस कर्मियों[22] को प्रशिक्षण देने की ज़िम्मेदारी है। 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ, हालांकि इनके यहां स्वीकृत पदों में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। जनवरी 2023 तक राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान पर लगभग 12,000 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने का ज़िम्मा था, जो 2022 की तुलना में थोड़ा कम है।

आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना ने अपने यहां नए प्रशिक्षण संस्थान खोले हैं और उन पर कार्यभार भी काफ़ी हद तक कम किया है। इसके विपरीत, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण केंद्र कम हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कार्यभार बढ़ा है। संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल, लागत घटाना, सुव्यवस्थित प्रशासन और विशेष ट्रेनिंग पर

22 कुल पुलिस बल में सिविल पुलिस, ज़िला सशस्त्र रिज़र्व (डीएआर), विशेष सशस्त्र पुलिस बटालियन और भारतीय रिज़र्व बटालियन (आईआरबी) शामिल हैं।

ध्यान देने जैसे कारण प्रशिक्षण केंद्रों में कमी की वजहें हो सकती हैं।

फॉरेंसिक्स: फॉरेंसिक्स से आशय, अपराधों की जांच और सबूतों के विश्लेषण में वैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीकों का उपयोग करने से है, जिनको अदालत में प्रस्तुत किया जा सके। इसमें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित ऐसे सबूत शामिल होते हैं जो विवादित मामलों में सबूतों की पुष्टि करते हैं। फॉरेंसिक क्षमता पर उपलब्ध डेटा अभी तक काफ़ी बिखरा हुआ था। 2023 में प्रकाशित 'पुलिस संगठनों के आंकड़े' में पहली बार फॉरेंसिक्स के बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों पर उपलब्ध सीमित आंकड़ों को शामिल किया गया।

फॉरेंसिक यूनिट्स पूरी दुनिया में पुलिस प्रतिष्ठानों से अलग, स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। हालांकि, भारत में राज्य फॉरेंसिक यूनिट पुलिस बजट का हिस्सा होती है और अक्सर इनका संचालन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करते हैं ।

यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में भी, लोक प्राधिकरणों और स्वतंत्र संगठनों ने फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं के प्रबंधन को पुलिस से स्वतंत्र किए जाने की बार-बार सिफ़ारिश की है।[23]

भारत में 711 फॉरेंसिक संस्थान हैं, जिन्हें राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (SFSL), क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (RFSLs) और ज़िला मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स (DMFUs) में बांटा गया है। इनका कार्य अपनी जांच के लिए सबूत प्राप्त करना, उनकी जांच और विश्लेषण करना एवं अपने निष्कर्ष वैज्ञानिक रिपोर्ट के रूप में पुलिस को और अदालतों में प्रस्तुत करना है। सभी संस्थानों को BPR&D द्वारा तय मानकों के अनुसार कर्मचारियों और उपकरणों से लैस किया जाना चाहिए। [24]

प्रत्येक फॉरेंसिक संस्थान में, कर्मचारियों को दो प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है: पहला- प्रशासनिक, जिसमें निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक शामिल हैं, और दूसरा- वैज्ञानिक विभाग के तहत वैज्ञानिक जांच अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला अटेंडेंट जैसे कर्मी आते हैं।

काम के मानडंडों के अनुसार, सभी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब (CFSLs), SFSLs और RFSLs में निम्नलिखित विभाग होने चाहिए: जीवविज्ञान, सीरोलॉजी, डीएनए, विष विज्ञान (टॉक्सिकोलॉजी), रसायन विज्ञान, शराब, मादक पदार्थ, विस्फोटक, बैलिस्टिक्स, भौतिकी, संदिग्ध दस्तावेज़, फोटोग्राफ़ी और मनोविज्ञान। जैसे-जैसे साइबर फॉरेंसिक और राइबोन्यूक्लिक एसिड (आरएनए) आधारित विश्लेषण जैसी नई तकनीकी प्रगति सामने आ रही है, फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए अनिवार्य रूप से ज़्यादा विशेषज्ञ कर्मचारियों और आधुनिक उपकरणों की ज़रूरत होगी।

राज्य अपनी प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या खुद तय करते हैं। सभी फॉरेंसिक साइंस लैब (FSLs)[25] में विभिन्न रैंक और श्रेणियों के प्रशासनिक और वैज्ञानिक कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पद 7,997 हैं, जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत पद ख़ाली हैं। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, 26 राज्यों की विभिन्न फॉरेंसिक लैब में 3.6 लाख मामलों की जांच लंबित थी।[26]

इनमें वैज्ञानिक जांच कर्मचारियों की संख्या, कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या की केवल एक तिहाई है। ज़िला मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स (DMFUs) ही अपराध स्थल पर सबसे पहले पहुंचती हैं और सबूत जुटाने सहित अपराध स्थल संबंधी अन्य कार्यों के लिए ज़िम्मेदार होती हैं। इस यूनिट के लिए स्वीकृत वैज्ञानिक जांच कर्मचारियों की संख्या सबसे कम है। राष्ट्रीय स्तर पर, 582 यूनिट्स में केवल 341 वैज्ञानिक जांच कर्मचारी हैं। सभी फॉरेंसिक लैब में तेलंगाना (91 प्रतिशत), बिहार (85 प्रतिशत) और उत्तराखंड (80 प्रतिशत) में वैज्ञानिक स्टाफ़ के सबसे अधिक पद ख़ाली हैं।

प्रशासनिक कर्मचारियों का कार्य आमतौर पर FSLs को उनके बजट, इंफ़्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी मैनेजमेंट में मदद करना होता है। इन कर्मचारियों में सबसे ज़्यादा ख़ाली पद सिक्किम (100 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (89 प्रतिशत), बिहार (79 प्रतिशत) और कर्नाटक (60 प्रतिशत) में हैं। दो केंद्रशासित प्रदेशों- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख में स्वीकृत पद केवल 4 और 6 हैं, लेकिन यहां भी दोनों श्रेणियों के सभी पद ख़ाली हैं।

हालांकि, केरल में कुल स्वीकृत प्रशासनिक और वैज्ञानिक पद 140 हैं जो कि महाराष्ट्र (1,732), उत्तर प्रदेश (981) और बिहार (477) जैसे अन्य बड़े राज्यों के मुक़ाबले बहुत कम है, लेकिन केवल केरल में ही प्रशासनिक कर्मचारियों के स्तर पर कोई रिक्ति नहीं पाई गई और

23 प्रोजेक्ट 39ए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा 2023 में जारी रिपोर्ट 'फॉरेंसिक साइंस इंडिया रिपोर्ट: ए स्टडी ऑफ़ फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्रीज (2013-2017)', नोट्स। इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.project39a.com/fsir-report

24 पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, संशोधित कार्य मानदंड, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और संदिग्ध दस्तावेज़ों के सरकारी परीक्षक 2002. इस लिंक पर उपलब्ध: http://dfs.nic.in/pdfs/worknorms2002.pdf

25 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट राज्य आधारित प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों का आकलन करती है जिनमें राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं, क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं और ज़िला मोबाइल फॉरेंसिक इकाइयां शामिल हैं।

26 प्रोजेक्ट 39A, फॉरेंसिक साइंस इंडिया रिपोर्ट, पृष्ठ, 32. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.project39a.com/fsir-report

वैज्ञानिक जांच कर्मचारियों के सिर्फ़ 4 प्रतिशत पद ही ख़ाली थे जो देश में सबसे कम है।

मानव संसाधन

- कॉन्स्टेबल वैकेंसी (%, जनवरी 2023)
- अधिकारी वैकेंसी (%, जनवरी 2023)
- सिविल पुलिस में अधिकारी (%, जनवरी 2023)
- फॉरेंसिक्स में प्रशासनिक स्टाफ़ की वैकेंसी (%, जनवरी 2023) नया
- फॉरेंसिक्स में वैज्ञानिक स्टाफ़ की वैकेंसी (%, जनवरी 2023) नया

भारत में पुलिसकर्मियों के पदों की आधिकारिक संख्या दो अहम आंकड़ों के ज़रिए पेश की जाती है: 'स्वीकृत पद' और 'वास्तविक संख्या'। स्वीकृत संख्या का अर्थ पुलिस विभाग द्वारा प्रत्येक रैंक के लिए निर्धारित कर्मियों की अधिकृत संख्या से है, जबकि वास्तविक संख्या का अर्थ वर्तमान में सेवा में कार्यरत कर्मियों की संख्या है। इन दोनों आंकड़ों में अक्सर बड़ा अंतर देखने को मिलता है।

जनवरी 2023 तक सिविल पुलिस[27] के कुल 21 लाख पद स्वीकृत थे, जिसमें 16.66 लाख कॉन्स्टेबल और बाक़ी अधिकारियों (ASI से DGP) के पद थे। हालांकि, इनमें से कार्यरत पुलिसकर्मियों (कॉन्स्टेबल और अधिकारी दोनों मिलाकर) की वास्तविक संख्या केवल 16 लाख से थोड़ी ही ज़्यादा थी। यानी पुलिसकर्मियों के 23% पद ख़ाली हैं, जो कि 2022 के मुक़ाबले थोड़ी ज़्यादा है। पिछले एक दशक में पुलिस में वैकेंसी की लगभग यही स्थिति रही है।

एक अहम रुझान यह देखने को मिलता है कि राज्यों में पुलिस के स्वीकृत पद बढ़ रहे हैं। यह पुलिस विभाग के विस्तार के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2017 से 2023 के बीच, राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत पदों में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह बढ़ोतरी जनवरी 2022 से 2023 तक भी बनी रही। इस दौरान स्वीकृत पदों में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पंजाब और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों ने इस अवधि के दौरान अपने स्वीकृत पदों में बढ़ोत्तरी की। इस अवधि में पुलिसकर्मियों की संख्या में कुल 33,000 से अधिक (18,000 कॉन्स्टेबल और 11,000 अधिकारी) की बढ़ोतरी हुई, जो मुख्य रूप से हरियाणा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पद बढ़ने के कारण हुई।

राष्ट्रीय स्तर पर, पुलिस के ख़ाली पद लगभग 21-23 प्रतिशत के बीच स्थिर बने रहे हैं। जनवरी 2023 तक, पुलिस अधिकारियों के 28 प्रतिशत और कॉन्स्टेबल के 21 प्रतिशत ख़ाली थे। इसका अर्थ है कि पुलिस विभागों की विस्तार संबंधी कोशिशों के बाद भी पुलिसकर्मियों की बढ़ती मांग के अनुरूप उनकी भर्ती नहीं हो पा रही है।

इन राष्ट्रीय स्तर के रुझानों का गहन विश्लेषण करें तो राज्य स्तर पर भिन्नताएं सामने आती हैं।

कॉन्स्टेबल के ख़ाली पद: राज्यों के बीच कॉन्स्टेबल स्तर के ख़ाली पदों में काफ़ी अंतर बना हुआ है। वैकेंसी में इस बड़े अंतर को पश्चिम बंगाल में 41 प्रतिशत की वैकेंसी और उत्तराखंड में 0.6 प्रतिशत की वैकेंसी से समझा जा सकता है। केवल नौ राज्यों में कॉन्स्टेबल स्तर के 10 प्रतिशत से कम पद ख़ाली हैं।[28] अन्य राज्यों में ये पद 13 से 39 प्रतिशत के बीच रिक्त हैं। 2017 से 2023 तक के 5 वर्षीय रुझान से पता चलता है कि 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों [29] में ख़ाली पदों की संख्या बढ़ी है, जबकि 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[30] में ख़ाली पदों कमी में कमी आई है।

2022 और 2023 के बीच, सबसे ज़्यादा ख़ाली पद ओडिशा में बढ़े जहां ये 13 प्रतिशत से बढ़कर 22 प्रतिशत तक पहुंच गए। ओडिशा के बाद हरियाणा का स्थान रहा, जहां खली पदों का प्रतिशत 32 से बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, उत्तराखंड में कॉन्स्टेबल स्तर के ख़ाली पद 6.3 प्रतिशत से घटकर केवल 0.6 प्रतिशत पर आ गए। उत्तराखंड में कॉन्स्टेबल के ख़ाली पद कम रहने की वजह यह है कि राज्य पुलिस में कॉन्स्टेबल के स्वीकृत पद 9 प्रतिशत कम कर दिए गए। पहले राज्य में कॉन्स्टेबल के 14,000 पद थे, जो कम होकर 12,000 से थोड़ा अधिक ही रह गए हैं।

स्वीकृत पदों की संख्या बदलने का असर ख़ाली पदों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, 2017 से 2023 के बीच तमिलनाडु में स्वीकृत पद पहले तीन वर्षों में लगभग 10 प्रतिशत घट गए और फिर इसमें 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान, ख़ाली पदों के अनुसार कॉन्स्टेबलों की वास्तविक संख्या में कभी भी वृद्धि नहीं हो सकी और वैकेंसी में -7 प्रतिशत से 11 प्रतिशत तक का उतार-चढ़ाव आता रहा और 2023 में यह 4 प्रतिशत पर रहा ।

अधिकारियों के ख़ाली पद: कॉन्स्टेबल के ख़ाली पड़े पदों की तरह ही

27 सिविल पुलिस के आंकड़ों में ज़िला सशस्त्र रिज़र्व (डीएआर) शामिल है।
28 असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, नगालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तराखंड।
29 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान और त्रिपुरा।
30 असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश. कर्नाटक, मणिपुर, सिक्किम, तमिलानडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

चित्र 20: सिविल पुलिस की सबसे अधिक स्वीकृत संख्या बढ़ाने वाले राज्य

	कुल सिविल पुलिस, स्वीकृत		जनवरी 2022 से जनवरी 2023 के बीच वृद्धि	
	जनवरी 2022	जनवरी 2023	संख्या	%
पश्चिम बंगाल	121,012	127,727	6,715	5.6
उत्तर प्रदेश	377,295	383,588	6,293	1.7
हरियाणा	73,056	77,284	4,228	5.8
जम्मू और कश्मीर	52,809	56,287	3,478	6.6
तेलंगाना	69,539	72,911	3,372	4.9
ओडिशा	43,448	45,913	2,465	5.7
छत्तीसगढ़	51,003	52,431	1,428	2.8
बिहार	117,914	119,270	1,356	1.2
राजस्थान	93,729	94,696	967	1.0
गुजरात	96,391	97,253	862	0.9

स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D)।

अधिकारी स्तर की रिक्तियों पर भी इनकी स्वीकृत संख्या में उतार-चढ़ाव का असर पड़ता है और राज्यों के बीच इनमें बहुत भिन्नता है। विभिन्न रैंकों में अलग-अलग स्तरों की कमी वांछनीय 'टीथ टू टेल अनुपात'[31] यानी ऊपर से नीचे तक सभी रैंकों में उचित अनुपात में कर्मियों की नियुक्ति को प्रभावित करती है और जांच एवं प्रबंधन की क्षमताओं पर प्रतिकूल असर डालती है।

जनवरी 2017 से 2023 के बीच, देशभर में पुलिस अधिकारियों के 64,000 नए पद स्वीकृत हुए, लेकिन असल में इन पदों पर 44,000 अधिकारी ही नियुक्त हुए। इस अवधि के दौरान, अधिकारियों के 28 से 32 प्रतिशत पद रिक्त रहे। दूसरे शब्दों में कहें तो इन पांच वर्षों के दौरान तीन में से एक या चार में से एक अधिकारी के पद ख़ाली रहे।

वर्ष 2022 से 2023 के बीच औसत वैकेंसी लगभग 28 प्रतिशत रही। इंस्पेक्टर (25 प्रतिशत), सब-इंस्पेक्टर (33 प्रतिशत) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (24.5 प्रतिशत) स्तर के अधिकारियों के सबसे ज़्यादा पद ख़ाली रहे। इन्हीं अधिकारियों पर जांच की ज़िम्मेदारी होती है। डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट (डीएसपी), जिन पर पर्यवेक्षण की भी ज़िम्मेदारी होती है, उनके औसतन हर पांच में से एक पद ख़ाली रहा।

जनवरी 2023 तक, पंद्रह राज्यों ने अपनी पुलिस वैकेंसी को काफ़ी हद तक कम कर दिया था।[32] लेकिन बीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पिछले वर्ष की तुलना में उनके अधिकारियों के ख़ाली पदों की संख्या बढ़ गई थी।[33] सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[34] में 35 प्रतिशत से अधिक पद ख़ाली थे। राजस्थान में सबसे ज़्यादा 52 प्रतिशत अधिकारियों के पद ख़ाली थे, जो 2022 के 46 प्रतिशत के मुक़ाबले ज़्यादा थे। त्रिपुरा (45 प्रतिशत), बिहार (45 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (42 प्रतिशत), लक्षद्वीप (41 प्रतिशत) और पुडुचेरी (40 प्रतिशत) का स्थान ठीक इसके बाद था। सबसे ज़्यादा वैकेंसी तमिलनाडु में सामने आई, जहां यह 9 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई। उत्तराखंड में भी पुलिस अधिकारियों के ख़ाली पदों की संख्या भी जनवरी 2022 के 7 प्रतिशत से लगभग तीन गुना बढ़कर बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई।

प्रति सिविल पुलिसकर्मी पर आबादी: जनवरी 2023 तक, राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस-जनसंख्या अनुपात 2022 के बाद से स्थिर बना रहा, जिसमें एक पुलिसकर्मी (सिविल और ज़िला सशस्त्र पुलिस को मिलाकर) पर 831 लोगों की सेवा का भार है। ग्यारह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 2022 के बाद से सुधार हुआ है। फिर भी, सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[35] में एक पुलिसकर्मी पर 1,000 से अधिक आबादी का कार्यभार है। छोटे केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (1:1911) को छोड़कर, बिहार में पुलिस-जनसंख्या का अनुपात सबसे ख़राब है। बिहार में एक पुलिसकर्मी पर 1,522 लोगों की सेवा की ज़िम्मेदारी है, हालांकि यह 2022 के 1,695 लोग प्रति पुलिसकर्मी के औसत से बेहतर है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल भी काफ़ी पीछे हैं, जहां

31 "टीथ टू टेल अनुपात" का तात्पर्य हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल जैसे सहायक कर्मियों की तुलना में डीएसपी, इंस्पेक्टर जैसे उच्च रैंक के अधिकारियों के अनुपात से है।
32 बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, ओडिशा, सिक्किम और उत्तर प्रदेश।
33 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, झारखंड, मिज़ोरम, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
34 अरुणाचल प्रदेश, बिहार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश।

एक पुलिसकर्मी पर क्रमशः 1,298 और 1,277 लोगों का कार्यभार है।

चौदह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[36] में यह अनुपात बेहतर है। इनमें छह छोटे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश भी शामिल हैं, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रति पुलिसकर्मी 122 लोग तो त्रिपुरा में यह

अन्य

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPRD) रैंक के हिसाब से पुलिसकर्मियों की श्रेणियों की जानकारी देने के अतिरिक्त, एक और श्रेणी- 'अन्य, यदि कोई हो' नाम से भी तैयार करता है। इस श्रेणी में संविदाकर्मियों के विभिन्न समूह होते हैं जो पुलिस के मुख्य कार्यों से अलग विशिष्ट सहायक कार्य करते हैं। इनकी संख्या 2020 में 38,000 थी जो 2022 में बढ़कर 81,000 हो गई और जनवरी 2023 तक यह 77,000 थी।

12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[37] में इस 'अन्य' श्रेणी का कोई कर्मचारी नहीं था, जबकि बाक़ी राज्यों में उनकी संख्या बहुत अलग-अलग थी। जैसे, सिक्किम में केवल 2 से लेकर आंध्र प्रदेश में 30,000 तक। देश भर में 'अन्य' श्रेणी के सभी कर्मचारियों में से 65 प्रतिशत तीन राज्यों-आंध्र प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कार्यरत थे।

'अन्य' कर्मियों को सिविल पुलिस कार्य बल की संख्या से हटाने पर, राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस और जनसंख्या का अनुपात 1:831 से और कम होकर 1:871 हो जाता है। यह राज्यों के अनुपात को भी प्रभावित करता है। उदाहरणस्वरूप, आंध्र प्रदेश में सिविल पुलिस फोर्स का 37 प्रतिशत हिस्सा 'अन्य' श्रेणी में आता है। यहां सिविल पुलिसकर्मियों से 'अन्य' श्रेणी को घटा दें तो यह अनुपात 1:668 से 1:1,053 हो जाता है। 'आंध्र प्रदेश में 'ग्राम महिला संरक्षण कार्यदर्शी'[38] में शामिल 15,000 महिलाकर्मी संभवतः पारंपरिक पुलिस कार्य में सहायता करती है, लेकिन इन्हें 'अन्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनसे आंध्र प्रदेश पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है और पुलिस में लैंगिक विविधता के आंकड़े भी प्रभावित होते हैं। राज्य पुलिस से 'अन्य' श्रेणी को अलग करने से आंध्र प्रदेश पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 22 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत रह जाती है।

आंकड़ा 467 लोगों का है। पंजाब में एक पुलिसकर्मी पर 504 लोगों का कार्यभार है। पंजाब का यह अनुपात 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में सबसे अच्छा है।

बजट

- प्रति पुलिसकर्मी पर ख़र्च (रु, 2022-23)
- पुलिस बजट में ट्रेनिंग बजट की हिस्सेदारी (%, 2021-22)
- प्रति कर्मचारी ट्रेनिंग पर ख़र्च (रु, 2021-22)
- मॉर्डनाइजेशन फंड का उपयोग (%, 2021-22)

पुलिसकर्मी पर औसत ख़र्च: सभी राज्यों में, न्यायपालिका, पुलिस, जेलों और क़ानूनी सहायता के लिए आवंटित बजट का बड़ा हिस्सा पुलिस बजट को मिलता है। ऐसे में न्याय व्यवस्था के इस महत्वपूर्ण स्तंभ- पुलिस बल के मानव संसाधन पर प्रति कर्मचारी सबसे अधिक ख़र्च भी होता है। यह ख़र्च लगातार बढ़ भी रहा है। 2015-16 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति पुलिसकर्मी औसतन 823 रुपए ख़र्च होते थे, जो 2022-23 में लगभग 50% बढ़कर 1,242 रुपए हो गया।

पुलिस बजट का 90% से अधिक हिस्सा नियमित ख़र्चों, जैसे वेतन और पेंशन के साथ ही वाहनों के रखरखाव और दूसरे भत्तों जैसे प्रमुख मद में ख़र्च होता है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्यों में प्रति पुलिसकर्मी पर ख़र्च बिहार में 774 रुपए से लेकर लक्षद्वीप में 10,910 रुपए तक रहा। ग्यारह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[39] ने 5,000 से 10,000 रुपए के बीच ख़र्च किए। मेघालय और त्रिपुरा ने 3,000 रुपए से 5,000 रुपए तक ख़र्च किए। आठ राज्यों[40] ने 1,500 रुपए से 3,000 रुपए और छह ने 1,000 रुपए से भी कम ख़र्च किए।[41]

केवल असम में प्रति पुलिसकर्मी ख़र्च में कमी आई है। बाक़ी सभी राज्यों ने अपने ख़र्च को 86 रुपए (मध्य प्रदेश) से लेकर 2,063 रुपए (अरुणाचल प्रदेश) तक बढ़ाया है। चार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पुलिस पर ख़र्च के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।[42]

प्रशिक्षण पर ख़र्च: राष्ट्रीय स्तर पर, 2021-22 में, कुल पुलिस बजट का

35 असम, बिहार, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल।
36 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।
37 बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, लक्षद्वीप, मणिपुर, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना।
38 'ग्राम महिला संरक्षण कार्यदर्शी' का गठन 2019 के एक सरकारी आदेश के माध्यम से किया गया था। बाद में 2021 में एक संशोधन कर इसका नाम बदलकर "महिला पुलिस" कर दिया गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2023 के पृष्ठ 36 पर इसका विस्तृत विवरण है। इस लिंक पर उपलब्ध: https://indiajusticereport.org/files/IJR%202022_Full_Report.pdf
39 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिज़ोरम, नगालैंड और सिक्किम।
40 छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड।
41 असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान।
42 गोवा, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल।

चित्र 21: पुलिस प्रशिक्षण बजट

2020-21 से 2021-22 के बीच प्रशिक्षण बजट में लगभग 9% की वृद्धि हुई, लेकिन उपयोग 84% से घटकर 73% हो गया और प्रति पुलिसकर्मी राष्ट्रीय औसत ख़र्च 9,000 रुपए से घटकर 8,000 रुपए हो गया।

	पुलिस प्रशिक्षण बजट (करोड़ों रु. में)		पुलिस के कुल बजट में से प्रशिक्षण बजट की हिस्सेदारी (%)		प्रशिक्षण बजट का उपयोग (%)		बदलाव		
बड़े और मध्यम आकार के राज्य	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	बजट	हिस्सेदारी	उपयोग
आंध्र प्रदेश	57.2	53.5	1.04	0.84	99.5	89.7	↓	↓	↓
बिहार	142.2	605.0	1.42	5.69	71.8	34.8	↑	↑	↓
छत्तीसगढ़	62.5	59.5	1.28	1.19	53.5	82.6	↓	↓	↑
गुजरात	52.5	48.9	0.98	0.86	100.0	98.7	↓	↓	↓
हरियाणा	43.1	48.6	0.86	0.84	95.8	95.8	↑	↓	↑
झारखंड	46.0	53.4	0.92	1.01	89.2	91.6	↑	↑	↑
कर्नाटक	85.1	86.5	1.23	1.20	90.2	96.9	↑	↓	↑
केरल	NA[1]	NA[1]	NA[1]	NA[1]	NA[1]	NA[1]			
मध्य प्रदेश	184.2	197.2	2.47	2.46	87.9	80.6	↑	↓	↓
महाराष्ट्र	159.9	141.0	0.94	0.77	84.2	92.6	↓	↓	↑
ओडिशा	49.5	54.0	1.20	1.16	85.7	81.1	↑	↓	↓
पंजाब	78.7	76.4	1.23	1.03	87.0	94.0	↓	↓	↑
राजस्थान	127.0	144.4	1.92	1.92	100.0	95.1	↑	↑	↓
तमिलनाडु	157.7	NA1	NA[1]	NA[1]	NA[1]	NA[1]			
तेलंगाना	193.5	68.0	2.66	1.17	91.2	89.5	↓	↓	↓
उत्तर प्रदेश	283.5	293.7	1.04	0.97	55.6	58.2	↑	↓	↑
उत्तराखंड	16.8	17.8	0.82	0.76	63.9	92.5	↑	↓	↑
पश्चिम बंगाल	4.8	3.7	0.04	0.03	61.3	34.2	↓	↓	↓
छोटे राज्य									
अरुणाचल प्रदेश	55.1	26.5	5.39	1.96	96.4	99.9	↓	↓	↑
गोवा	2.3	2.7	0.35	0.35	94.3	91.7	↑	↓	↓
हिमाचल प्रदेश	0.7	0.5	0.05	0.03	89.2	97.9	↓	↓	↑
मेघालय	6.5	6.6	0.61	0.57	96.8	91.0	↑	↓	↓
मिज़ोरम	18.3	18.7	2.58	2.77	89.5	87.1	↑	↑	↓
सिक्किम	4.8	4.6	0.96	0.88	85.1	95.8	↓	↓	↑
त्रिपुरा	15.0	19.0	0.92	1.03	99.5	97.9	↑	↑	↓
कुल	**2,253.1**	**2,447.8**	**1.26**	**1.25**	**84.0**	**73.0**	↑	↓	↓

1. BPR&D में पुलिस प्रशिक्षण बजट और ख़र्च खाली दिखाया गया है।
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D)।

केवल 1.25% प्रशिक्षण के लिए आवंटित किया गया। फिर भी, केवल दो केंद्रशासित प्रदेश- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और चंडीगढ़ ही अपने आवंटित बजट का 100 प्रतिशत उपयोग कर सके। सामान्यत: छोटे राज्यों में बड़े राज्यों के मुक़ाबले अधिक बजट आवंटन और उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी, इन राज्यों में पुलिस ट्रेनिंग के लिए सबसे ज़्यादा बजट आवंटन 2 प्रतिशत से लेकर लगभग 3 प्रतिशत तक ही होता है, जिनमें दिल्ली, मध्य प्रदेश और मिज़ोरम शामिल हैं। 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[43] ने इसके लिए कुल पुलिस बजट का 1 से 2 प्रतिशत के बीच आवंटित किया, जबकि आठ राज्यों ने यह आवंटन 0.75 से 1 प्रतिशत के बीच रखा।[44]

अपवादस्वरूप, बिहार ऐसा राज्य रहा, जिसने पुलिस ट्रेनिंग के लिए आवंटन 1.42 प्रतिशत से सीधे बढ़ाकर 5.49 प्रतिशत कर दिया। हालांकि, राज्य इस बजट के पूर्ण इस्तेमाल में असमर्थ रहा और केवल 35 प्रतिशत ही उपयोग कर सका। इस वजह से इसके बजट आवंटन में वृद्धि का सकारात्मक असर देखने को नहीं मिला।

43 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा।
44 आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

मॉर्डनाइजेशन फंड: वर्ष 1969-70 से ही राज्य अपने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार से सशर्त वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। यह सहायता, मुख्य रूप से हथियार और अत्याधुनिक उपकरण ख़रीदने और प्रशिक्षण प्रदान करने जैसे पूंजीगत व्यय के लिए होती है। इसके लिए केंद्र और राज्य, दोनों, धनराशि जारी करते हैं, जिसमें केंद्र की ओर से राज्यों को 60 प्रतिशत या फिर 90 प्रतिशत तक की राशि दी जाती है।[45] वर्ष 2016-2017 में आधुनिकीकरण के लिए केंद्र और राज्य का कुल आवंटन 2,049 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन 2021-2022 में यह 41 प्रतिशत घटकर 1,210 करोड़ रुपए ही रह गया।

सिर्फ़ एक साल में, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिए जाने वाले मॉर्डनाइजेशन फंड का हिस्सा भी काफ़ी घट गया। यह 2020-2021 के 683 करोड़ रुपए से कम होकर 2021-2022 में 562 करोड़ रुपए रह गया। 2021-2022 में बारह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोई मॉर्डनाइजेशन फंड नहीं मिला,[46] जबकि अन्य राज्यों जैसे- हरियाणा, तमिलनाडु और गोवा को यह फंड मिला, लेकिन उन्होंने इसमें से कुछ भी ख़र्च नहीं किया। बड़े राज्यों में केंद्र की ओर से सबसे ज़्यादा फंड पश्चिम बंगाल को मिला। राज्य को केंद्र से 150 करोड़ रुपए मिले और उसने अपने हिस्से में से भी पुलिस मॉर्डनाइजेशन के लिए 434 करोड़ रुपए दिए। इसके विपरीत, महाराष्ट्र को मात्र 3.5 करोड़ रुपए मिले और उसने अपनी ओर से 3.2 करोड़ रुपए आवंटित किए।

> राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने पुलिस प्रशिक्षण के लिए 'शून्य' आवंटन दिखाया है, जिसमें केरल, दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और तमिलनाडु शामिल हैं।

मॉर्डनाइजेशन फंड का पूरा उपयोग न होना चिंता का विषय है। वर्ष 2021-2022 में अधिकांश राज्यों ने केंद्र और अपनी तरफ से जारी संयुक्त राशि का 50 प्रतिशत से भी कम ख़र्च किया। केवल छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों- पुडुचेरी, नगालैंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मेघालय, ने ही अपने फंड का 75 प्रतिशत से अधिक का उपयोग किया। केंद्र और राज्य की ओर से सबसे ज़्यादा मॉर्डनाइजेशन फंड प्राप्त करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल रहा, लेकिन वह इसका केवल 32% ही ख़र्च कर सका जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अंक कम है। इसके विपरीत, कर्नाटक को महज 54 करोड़ रुपए का मामूली बजट मिला, लेकिन उसने पिछले वर्ष की तरह ही इसका लगभग 99 प्रतिशत उपयोग किया।

विविधता

- पुलिस में महिलाओं की भागीदारी (%, जनवरी 2023)
- अधिकारियों में महिलाओं का हिस्सा (%, जनवरी 2023)
- SC अधिकारी, नियुक्त और आरक्षित पदों का अनुपात (%, जनवरी 2023)
- SC कॉन्स्टेबल, नियुक्त और आरक्षित पदों का अनुपात (%, जनवरी 2023)
- ST अधिकारी, नियुक्त और आरक्षित पदों का अनुपात (%, जनवरी 2023)
- ST कॉन्स्टेबल, नियुक्त और आरक्षित पदों का अनुपात (%, जनवरी 2023)
- OBC अधिकारी, नियुक्त और आरक्षित पदों का अनुपात (%, जनवरी 2023)
- OBC कॉन्स्टेबल, नियुक्त और आरक्षित पदों का अनुपात (%, जनवरी 2023)

महिलाओं की भागीदारी: वर्ष 2009 की भारत सरकार की सलाह के मुताबिक पुलिस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का राष्ट्रीय मानक 33 प्रतिशत है।[47] कई राज्य इसके अनुरूप पुलिस बल में महिलाओं का कोटा 33 प्रतिशत रखते हैं तो कई राज्यों ने अपना अलग कोटा निर्धारित किया है। यह कोटा अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 10 प्रतिशत से लेकर बिहार में 35 प्रतिशत तक है। दिसंबर 2023 तक, पांच राज्यों की पुलिस में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं था।[48]

जनवरी 2023 तक, पूरे देश के पुलिस बल में महिलाओं का कुल प्रतिनिधित्व - सिविल पुलिस, ज़िला सशस्त्र रिज़र्व (DAR), विशेष सशस्त्र पुलिस बटालियन, और भारतीय रिज़र्व बटालियन (IRB) में मिलाकर केवल 12.3 प्रतिशत था, जो जनवरी 2022 के 11.7 प्रतिशत से मामूली वृद्धि है। अगर इसे अलग-अलग करके देखें, तो सिविल पुलिस और DAR में महिलाओं की भागीदारी 14 प्रतिशत है, लेकिन विशेष

45 श्रेणी 'ए' वाले राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम सहित आठ पूर्वोत्तर राज्य) को 90:10 (केंद्र:राज्य) के अनुपात में वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, जबकि श्रेणी 'बी' वाले राज्यों (शेष राज्यों) को यह 60:40 के अनुपात में मिलती है। केंद्रशासित प्रदेशों को 100% केंद्रीय सहायता मिलती है। गृह मंत्रालय, 'पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता (ASUMP)' के कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश, 8 अगस्त 2022I इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2022-11/ATTACHMENTAGuidelinesschemeASUMP_06102022%5B1%5D.pdf

46 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, झारखंड, लद्दाख, लक्षद्वीप, मिज़ोरम, सिक्किम और उत्तराखंड।

47 गृह मंत्रालय, महिला सुरक्षा - खंड II, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, एडवाइजरी एफ. सं.15011/48/2009-एससी/एसटी-डब्ल्यू, 9 सितंबर, 2009. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2022-09/AdCrimeAgnstWomen170909%5B1%5D.pdf

48 गोवा, केरल, लद्दाख, मणिपुर और मिज़ोरम।

चित्र 22: महिला पुलिसकर्मी: अब भी बहुत कम

गृह मंत्रालय की कई सिफ़ारिशें हैं कि प्रत्येक पुलिस थाने में 3 महिला सब-इन्सपेक्टर (SI) और 10 महिला कॉन्स्टेबल होनी चाहिए। 2022 और 2023 के बीच बहुत कम बदलाव के बावजूद, दिल्ली को छोड़कर कोई राज्य/केंद्रशासित प्रदेश महिला सब-इन्सपेक्टर्स के मानक को पूरा नहीं करता है।

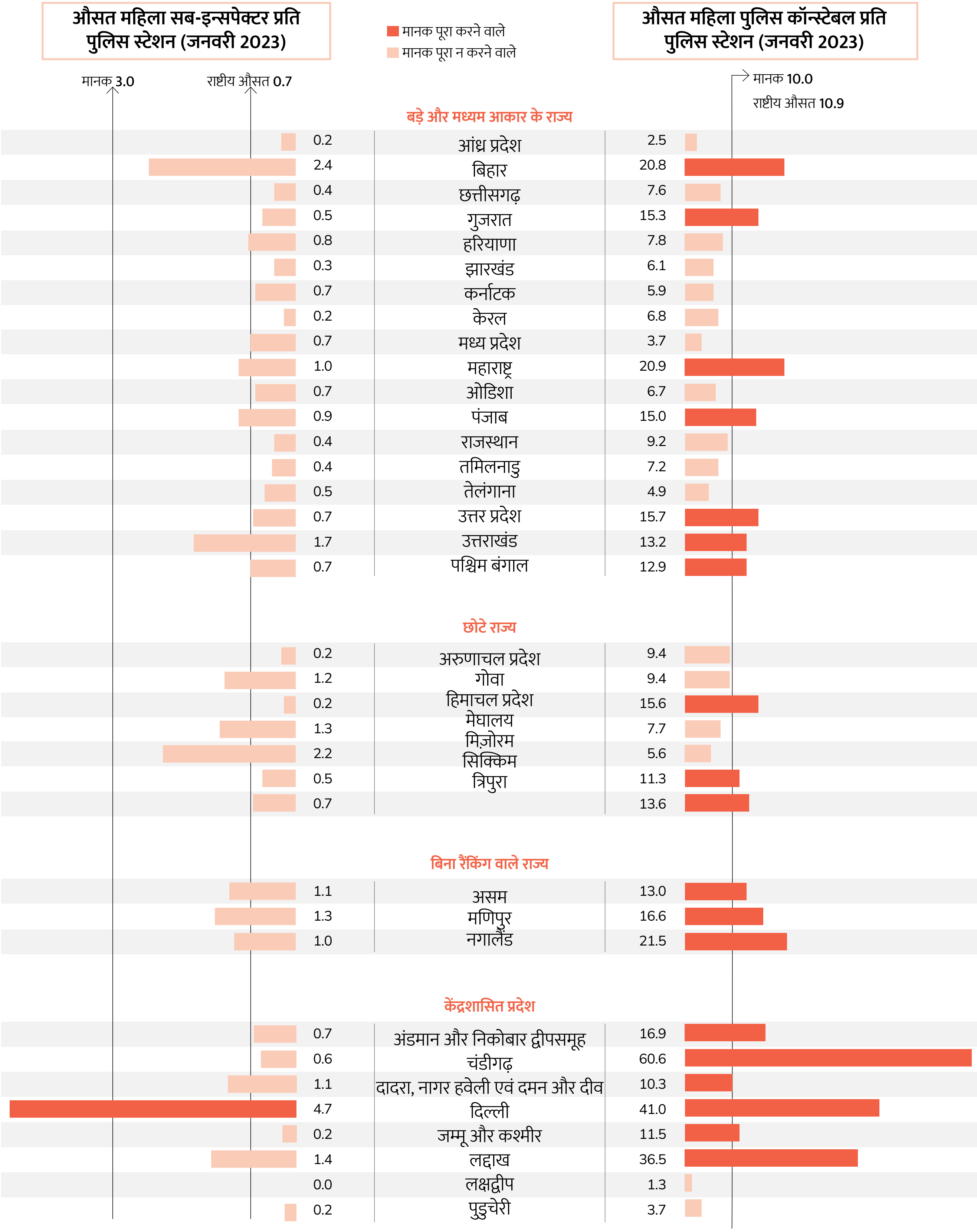

नोट: राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को श्रेणी में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है।
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, 2022, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D)।

सशस्त्र पुलिस बटालियन और IRB में केवल 5 प्रतिशत महिलाएं हैं।

बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बिहार में है। इसने 24 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के आंकड़े के साथ आंध्र प्रदेश (22 प्रतिशत) को पीछे छोड़ दिया है।[49] बिहार ने 2022 के 21 प्रतिशत से 2023 में 24 प्रतिशत तक सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की। इसके विपरीत, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित नौ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[50] में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में गिरावट देखी गई और सत्रह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अब भी पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से कम है।[51]

कुल पुलिसकर्मियों में से 80 प्रतिशत कॉन्स्टेबल हैं, जबकि पुलिस अधिकारी 15 प्रतिशत हैं। यह अनुपात महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भी देखा जाता है। पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिकारी स्तर पर कम है। राष्ट्रीय स्तर पर, पुलिस विभाग में कुल 25,282 महिला अधिकारी हैं, जो सभी महिला पुसिकर्मियों का 8 प्रतिशत हैं। इन महिला अधिकारियों में से 52 प्रतिशत सब-इंस्पेक्टर हैं, इसके बाद 25 प्रतिशत असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर हैं। कॉन्स्टेबल के स्तर पर, महिलाएं 13 प्रतिशत हैं। इसी तरह, बिहार की 24 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों में से 88 प्रतिशत कॉन्स्टेबल के पद पर हैं, जबकि महिला अधिकारी केवल 12 प्रतिशत ही हैं। महाराष्ट्र के पुलिस बल में 19 प्रतिशत महिलाएं हैं और इन महिला पुलिसकर्मियों में 93 प्रतिशत कॉन्स्टेबल के पद पर हैं।

जातिगत विविधता[52]: भारत जैसे विविध समाजों वाले देश में पुलिस में कम प्रतिनिधित्व वाले जाति समूहों का प्रतिनिधित्व वैधानिक आवश्यकता और लोकतांत्रिक प्राथमिकता दोनों है। प्रत्येक राज्य मोटे तौर पर अपनी जनसंख्या के हिसाब से ही आरक्षण निर्धारित करता है। पुलिस बलों के आधिकारिक आंकड़ों में केवल अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) के कर्मचारियों की ही संख्या का पता चलता है। इन जाति समूहों के आंकड़े इन छह रैंकों से संबंधित होते हैं- डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल।[53] जनवरी 2023 तक, केवल कर्नाटक ही अधिकारी और कॉन्स्टेबल दोनों स्तरों पर तीनों जाति समूहों के आरक्षण का लक्ष्य हासिल कर सका और यह लगातार इसे हासिल करता आ रहा है।

अनुसूचित जातियां: राष्ट्रीय स्तर पर, पुलिस में अनुसूचित जाति (SC) के कोटे को भरने की गति अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) के मुक़ाबले धीमी रही। पुलिस अधिकारी स्तर पर, केवल पांच राज्यों[54] ने SC कोटे के लक्ष्य को हासिल किया[55], जबकि पुलिस अधिकारियों में ST कोटे के लक्ष्य को सात राज्यों और OBC कोटे के लक्ष्य को नौ राज्यों ने पूरा किया।

पुलिस अधिकारी और कॉन्स्टेबल - दोनों स्तरों पर अपने SC कोटे को पूरा करने वाले चार राज्यों में गुजरात, मणिपुर, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इनके अलावा गोवा अकेला ऐसा राज्य है जिसने अधिकारी स्तर पर यह लक्ष्य हासिल किया। सिक्किम, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और केरल ने केवल कॉन्स्टेबल स्तर पर अपना SC कोटा पूरा किया। हालांकि, बारह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[57] में SC अधिकारियों के प्रतिनिधित्व में महत्वपूर्ण कमी देखी गई, जो 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच थी। अनुसूचित जाति के अधिकारियों की नियुक्तियों में सबसे अधिक कमी उत्तर प्रदेश (61 प्रतिशत), राजस्थान (52 प्रतिशत), त्रिपुरा (47 प्रतिशत) और बिहार (42 प्रतिशत) में देखी गई।

`कॉन्स्टेबल स्तर पर, ग्यारह राज्यों[58] ने अपने SC कोटे में सफलतापूर्वक नियुक्तियां कीं, जबकि बीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[59] में कॉन्स्टेबल स्तर पर SC पुलिसकर्मियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा। 10 प्रतिशत से कम वैकेंसी केवल छत्तीसगढ़ (4 प्रतिशत) और झारखंड (6 प्रतिशत) में देखी गई। इसके विपरीत, हरियाणा (31 प्रतिशत), गोवा (57 प्रतिशत) और असम (71 प्रतिशत) में SC कोटे में सबसे ज़्यादा पद ख़ाली रहे।

राज्यों में कुल अधिकारियों के रिक्त पदों की तुलना में SC अधिकारियों की बढ़ती वैकेंसी (आईजेआर 1 - आईजेआर 4)

अनुसूचित जनजातियां: कई राज्यों ने अपने पुलिस बलों में अनुसूचित जनजाति (ST) के प्रतिनिधित्व को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिनमें बिहार, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक ने अधिकारी और कॉन्स्टेबल- दोनों स्तरों पर अपने ST कोटे को भरने के लक्ष्य को पूरा करके बेहतर प्रदर्शन किया है। उल्लेखनीय रूप से, मध्य प्रदेश अपने अधिकारी स्तर की कमी को 2017 के 44 प्रतिशत के स्तर से घटाकर

49 अधिक जानकारी के लिए "अन्य" से संबंधित बॉक्स देखें।
50 आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
51 असम, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल।
52 जनवरी 2023 तक के आंकड़े।
53 पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, पुलिस संगठनों के आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: https://bprd.nic.in/page/data_on_police_organization_dopo
54 गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मणिपुर।
55 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और लद्दाख।
56 आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना।
57 असम, बिहार, चंडीगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
58 आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तराखंड।
59 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

चित्र 23: SC/ST/OBC का प्रतिनिधित्व

जनवरी 2023 तक प्रत्येक जाति समूह के कोटे को पूरा भरने वाले राज्यों की संख्या।

Scheduled Caste (SC)

SC अधिकारी

4

गोवा
गुजरात
हिमाचल प्रदेश
कर्नाटक

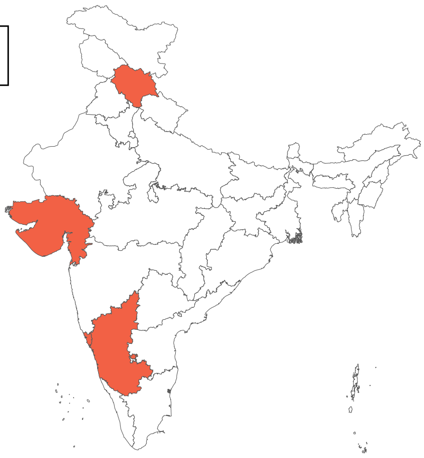

SC कॉन्स्टेबल

10

आंध्र प्रदेश
बिहार
गुजरात
हिमाचल प्रदेश
कर्नाटक
केरल
पंजाब
सिक्किम
तमिलनाडु
उत्तराखंड

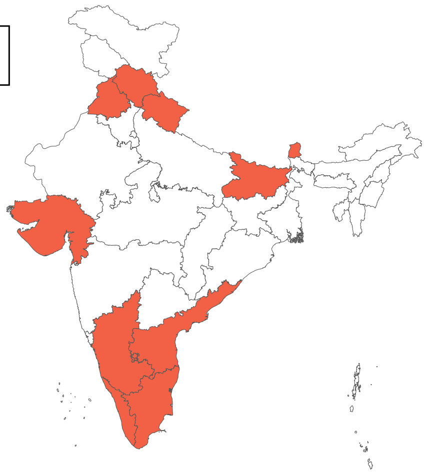

Scheduled Tribe (ST)

ST अधिकारी

5

आंध्र प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश
बिहार
हिमाचल प्रदेश
कर्नाटक

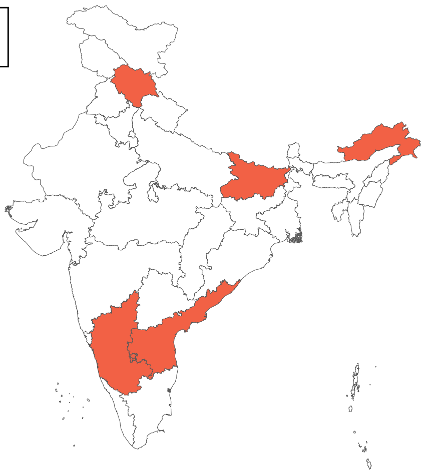

ST कॉन्स्टेबल

8

बिहार
छत्तीसगढ़
हिमाचल प्रदेश
कर्नाटक
महाराष्ट्र
ओडिशा
राजस्थान
उत्तराखंड

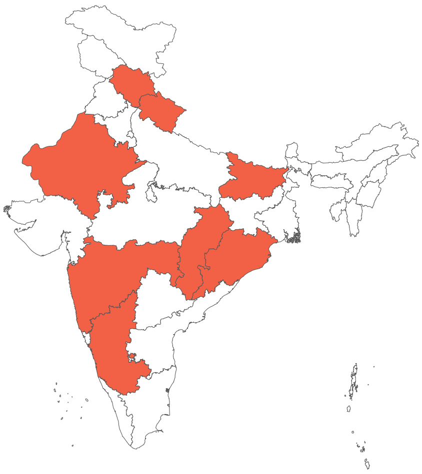

Other Backward Classes (OBC)

OBC अधिकारी

9

आंध्र प्रदेश
छत्तीसगढ़
झारखंड
कर्नाटक
ओडिशा
पुडुचेरी
पंजाब
तमिलनाडु
तेलंगाना

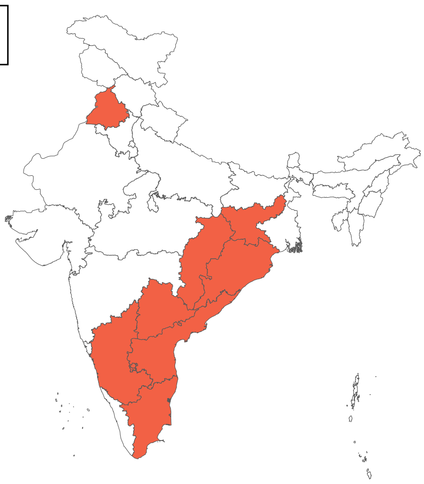

OBC कॉन्स्टेबल

13

आंध्र प्रदेश
बिहार
छत्तीसगढ़
गुजरात
झारखंड
कर्नाटक
केरल
ओडिशा
पंजाब
तमिलनाडु
तेलंगाना
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

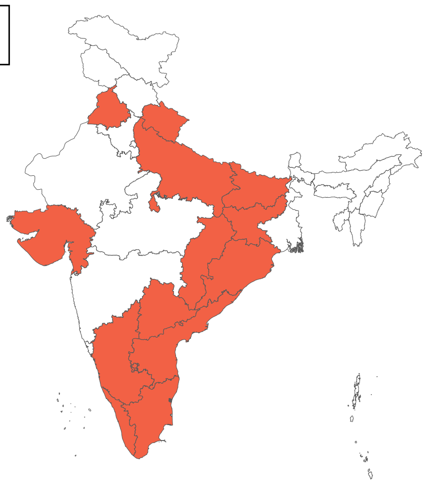

स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, 2022, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D)।

2023 में मात्र 4 प्रतिशत तक ले आया। इसी दौरान केरल ने भी रिक्तियों को 44 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत करने में प्रभावशाली प्रगति की।

इन सकारात्मक बदलावों के बावजूद, चुनौतियां बनी हुई हैं। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और त्रिपुरा के पुलिस बल में ST अधिकारियों की सबसे ज़्यादा कमी है। पंजाब पुलिस में STs के लिए 25 प्रतिशत पदों पर आरक्षण है, लेकिन राज्य पुलिस में केवल 3 ST अधिकारी हैं, जो कोटे का मात्र 0.11 प्रतिशत है यानी STs के 99.8 प्रतिशत पद ख़ाली हैं।[60] इसके अलावा, आठ राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में पुलिस अधिकारी स्तर पर 20 से लेकर 40 प्रतिशत तक पद रिक्त हैं। इसके विपरीत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार सहित सात राज्यों में ST अधिकारियों के पद पर इनकी स्वीकृत संख्या से ज़्यादा नियुक्तियां की गई हैं।

कॉन्स्टेबल स्तर पर, दस राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने ST कोटे की सभी नियुक्तियां की हैं। हालांकि, ज़्यादा आरक्षण के प्रावधान के बावजूद, अरुणाचल प्रदेश (29 प्रतिशत), मणिपुर (43 प्रतिशत), सिक्किम (25 प्रतिशत) और त्रिपुरा (28 प्रतिशत) में अभी भी काफ़ी पद ख़ाली हैं। नगालैंड में यह अंतर और बड़ा हो जाता है, जहां STs के लिए 100% आरक्षण होने के बावजूद 31 प्रतिशत पद ख़ाली हैं। साथ ही, असम में 15% आरक्षण के बावजूद रिक्तियों का स्तर चिंताजनक रूप से 71 प्रतिशत है।

जबकि केरल, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश- जैसे कुछ राज्यों ने 2017 से 2023 तक लगातार पुलिस बल में ST कोटे के ख़ाली पदों को भरने की कोशिश की, अन्य राज्यों, जैसे पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, में 50 प्रतिशत से अधिक पद ख़ाली हैं। इसके अलावा, जनवरी 2022 से 2023 के बीच, बारह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[63] में ST कॉन्स्टेबल के ख़ाली पदों में वृद्धि हुई है। इसमें तेलंगाना सबसे आगे है, जिसने पहले अपने पुलिस बल में ST कोटे के सभी पद भर दिए थे और अब उसके यहां 15 प्रतिशत पद ख़ाली हैं।

अन्य पिछड़ी जातियां: नौ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अधिकारी स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण का प्रावधान किया है। इन राज्यों ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य हासिल किए हैं। तमिलनाडु, सिक्किम और केरल में OBC के लिए 40 प्रतिशत से अधिक आरक्षण है। तमिलनाडु ने अपने कोटे से ज़्यादा नियुक्तियां कीं, लेकिन केरल और सिक्किम में क्रमशः 7 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पद ख़ाली रहे।

सात राज्यों में अब भी OBC अधिकारियों के 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक पद ख़ाली हैं। जनवरी 2022 से 2023 के बीच, महाराष्ट्र (2 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक) और मध्य प्रदेश (15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक) में सबसे ज़्यादा रिक्तियां देखी गईं। OBC कोटे के अधिकारियों में सबसे ज़्यादा ख़ाली पद मणिपुर (94 प्रतिशत), राजस्थान (74 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (70 प्रतिशत), गोवा (67 प्रतिशत), और पश्चिम बंगाल (63 प्रतिशत) में थे। इन पांच राज्यों में जनवरी 2017 से 2023 तक लगातार 60 प्रतिशत से ज़्यादा पद ख़ाली रहे, जो पुलिस में OBCs अधिकारियों के कम प्रतिनिधित्व की सतत चुनौती की ओर इशारा करता है।

कॉन्स्टेबल स्तर पर, OBC आरक्षण देने वाले 28 में से पंद्रह राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने राज्य के OBC कोटे को पूरा करते हैं। जनवरी 2023 तक, गोवा, असम, मणिपुर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा ख़ाली पद थे, जो जनवरी 2020 से लगातार 60 प्रतिशत से अधिक रहे हैं।

उल्लेखनीय रूप से, कुछ राज्यों में अधिकारी और कॉन्स्टेबल रैंक में ओबीसी प्रतिनिधित्व का असमान स्तर देखने को मिलता है। बिहार में, ओबीसी कॉन्स्टेबल निर्धारित कोटे से अधिक हैं, लेकिन अधिकारियों के 32 प्रतिशत पद ख़ाली हैं। इसी तरह, उत्तर प्रदेश में ओबीसी कॉन्स्टेबलों की संख्या उनके निर्धारित कोटे से अधिक है लेकिन यहां अधिकारी स्तर पर 31 प्रतिशत पद ख़ाली रहे। ये असमानता पुलिस बलों में सभी स्तरों पर ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अधिक संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण की ज़रूरत को सामने लाती हैं।

देवयानी श्रीवास्तव, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी

राधिका झा, कॉमन कॉज़

वलय सिंह, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

नयनिका सिंघल, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

60 1 जनवरी 2023 तक पुलिस संगठनों के आंकड़े, 2021, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), तालिका संख्या 3.1.7, पृष्ठ.82; इस लिंक पर उपलब्ध: https://bprd.nic.in/uploads/pdf/1716639795_d6fce11ed56a985b635c.pdf

61 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, लक्षद्वीप, नगालैंड, ओडिशा और तेलंगाना।

62 बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड।

63 अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा।

64 आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना।

65 अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड और त्रिपुरा में OBCs के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। 1 जनवरी 2023 तक पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), तालिका संख्या 3.1.8; इस लिंक पर उपलब्ध: https://bprd.nic.in/uploads/pdf/1716639795_d6fce11ed56a985b635c.pdf

चित्र 24: राज्य नागरिक पोर्टलों की स्थिति

IJR 4 में भी राज्य नागरिक पोर्टल्स की स्थिति को ट्रैक किया गया है। 2022 और 2024 के बीच सिक्किम में सबसे अधिक सुधार देखा गया। मणिपुर ने कोई सेवा प्रदान नहीं की। गुजरात और उत्तर प्रदेश ने अधिकतम सेवाएं प्रदान कीं।

उपलब्ध (हरा) | आंशिक रूप से उपलब्ध (पीला) | उपलब्ध नहीं (लाल)

राज्य	IJR 4 (2025) राज्य नागरिक पोर्टलों पर दी गई सेवाओं पर स्कोर (%)	2022 से बदलाव	पोर्टल पर उपलब्धता	1. शिकायतों को संबंधित पुलिस थाने में दर्ज करना।	2. शिकायतों की स्थिति जानना।	3. FIR की कॉपी हासिल करना।	4. गिरफ़्तार व्यक्तियों/ वांछित अपराधियों की जानकारी।	क्या इसमें CrPC, 1973 की धारा 41C का पालन हुआ है? (हां/नहीं)
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	87.6	↔	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	✗
आंध्र प्रदेश	85.6	↔	पोर्टल तक पहुंचने में असमर्थ	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	✗
अरुणाचल प्रदेश	82.6	↔	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
असम	80.6	↓	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
बिहार	45.0	↑	✗	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	✗
चंडीगढ़	70.6	↓	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	✗
छत्तीसगढ़	87.6	↔	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
दादरा, नागर हवेली और दमन, दीव	10	↓	लॉग इन करने में असमर्थ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
दिल्ली	82.6	↑	लॉग इन करने में असमर्थ	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	✗
गोवा	80.6	↔	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
गुजरात	90.9	↓	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	✗
हरियाणा	79.6	↔	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
हिमाचल प्रदेश	28.3	↑	पोर्टल पर दी सेवा तक पहुंचने में असमर्थ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
जम्मू और कश्मीर	74.3	↓	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
झारखंड	72.6	↔	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
कर्नाटक	45.3	↓	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध	✗
केरल	77.0	↑	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	✓
लद्दाख	82.6	↑	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
लक्षद्वीप	82.6	↓	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	✗
मध्य प्रदेश	87.6	↓	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	✗
महाराष्ट्र	87.6	↔	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	✗
मणिपुर	0.0	उपलब्ध नहीं	पोर्टल तक पहुंचने में असमर्थ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
मेघालय	82.6	↔	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
मिज़ोरम	77.6	↑	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
नगालैंड	82.6	↔	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
ओडिशा	84.6	↔	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	✓
पुडुचेरी	82.6	↓	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	✗
पंजाब	86.6	↑	✓	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	✗
राजस्थान	84.6	↑	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	✗
सिक्किम	84.6	↑	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	✗
तमिलनाडु	61.0	↓	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	✗
तेलंगाना	72.7	↑	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
त्रिपुरा	79.6	↑	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	✗
उत्तर प्रदेश	89.6	↑	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	✗
उत्तराखंड	85.6	↑	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	✗
पश्चिम बंगाल	69.3	↑	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

नोट: धारा 41C गिरफ़्तारी के तरीक़ों की सार्वजनिक निगरानी की वकालत करती है और यह सुनिश्चित करती है कि जनता को भी इसकी कुछ जानकारी उपलब्ध हो। CrPC की धारा 41C विशेष रूप से निम्नलिखित तीन आवश्यक ज़रूरतें बताती है:

1) राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर और प्रत्येक ज़िले में पुलिस नियंत्रण कक्ष (PCRs) स्थापित करना होगा। 2) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक ज़िला PCR के बाहर सूचना पट्ट पर: क) गिरफ़्तार व्यक्तियों के नाम और पते, और ख) गिरफ़्तारी करने वाले अधिकारियों के नाम और पदनाम प्रदर्शित किए जाएं। 3) राज्य पुलिस मुख्यालय के पुलिस नियंत्रण कक्ष को नियमित रूप से गिरफ़्तार व्यक्तियों की जानकारी और उन पर लगाए गए अपराध के प्रकार को इकट्ठा करना होगा, और इस जानकारी को सामान्य जनता के लिए एक डेटाबेस के रूप में बनाए रखना होगा।

चित्र 24: राज्य नागरिक पोर्टलों की स्थिति (जारी)

IJR 4 में भी राज्य नागरिक पोर्टल्स की स्थिति को ट्रैक किया गया है। 2022 और 2024 के बीच सिक्किम में सबसे अधिक सुधार देखा गया। मणिपुर ने कोई सेवा प्रदान नहीं की। गुजरात और उत्तर प्रदेश ने अधिकतम सेवाएं प्रदान कीं।

उपलब्ध
आंशिक रूप से उपलब्ध
उपलब्ध नहीं

	5. गुम/अपहृत व्यक्तियों की जानकारी और उनका गिरफ़्तार, अज्ञात व्यक्तियों और मृत शरीरों से मिलान।	6. चोरी/ बरामद वाहन, शस्त्र और अन्य संपत्तियों की जानकारी।	7. विभिन्न NOC जारी करने/नवीनीकरण के अनुरोधों की प्रस्तुति।	8. घरेलू सहायक, रोजगार, पासपोर्ट, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण आदि के लिए सत्यापन अनुरोध।	9. जानकारी साझा करने के लिए पोर्टल और नागरिकों को आवश्यक फ़ॉर्म डाउनलोड करने की सुविधा।	10. पोर्टल पर भाषाएं।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी/हिंदी
आंध्र प्रदेश	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी
अरुणाचल प्रदेश	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी/हिंदी
असम	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी/हिंदी/असमी
बिहार	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	अंग्रेज़ी/हिंदी
चंडीगढ़	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	अंग्रेज़ी/हिंदी
छत्तीसगढ़	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी/हिंदी
दादरा, नागर हवेली और दमन, दीव	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आंशिक रूप से उपलब्ध	अंग्रेज़ी/हिंदी
दिल्ली	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी/हिंदी
गोवा	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी*
गुजरात	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी/गुजराती
हरियाणा	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	अंग्रेज़ी/हिंदी
हिमाचल प्रदेश	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आंशिक रूप से उपलब्ध	अंग्रेज़ी/हिंदी
जम्मू और कश्मीर	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	अंग्रेज़ी/हिंदी
झारखंड	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	अंग्रेज़ी
कर्नाटक	उपलब्ध नहीं	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	अंग्रेज़ी/कन्नड़
केरल	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी/मलयालम
लद्दाख	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी/हिंदी
लक्षद्वीप	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी
मध्य प्रदेश	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी/हिंदी
महाराष्ट्र	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी/मराठी
मणिपुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	अंग्रेज़ी
मेघालय	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी/हिंदी
मिज़ोरम	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी
नगालैंड	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी/हिंदी
ओडिशा	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी
पुडुचेरी	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी
पंजाब	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी/पंजाबी
राजस्थान	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	हिंदी
सिक्किम	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी/हिंदी
तमिलनाडु	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी
तेलंगाना	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी
त्रिपुरा	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी/हिंदी
उत्तर प्रदेश	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	हिंदी
उत्तराखंड	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी/हिंदी
पश्चिम बंगाल	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	अंग्रेज़ी/हिंदी

नोट:
*इसके साथ इनबिल्ट गूगल ट्रांसलेशन विकल्प, जिसमें अंतरराष्ट्रीय भाषाओं का भी विकल्प है।

तालिका 3: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

● समूह में श्रेष्ठतम
● समूह में निम्नतम

श्रेष्ठ
मध्य
खराब

	समूह में रैंक				IJR 3 (स्कोर 10 में से)	सूचकांकों में सुधार (25 में से)[1]	थीम › बजट	
						संकेतक ›	पुलिस पर प्रति व्यक्ति ख़र्च (रु, 2022-23)	पुलिस बजट में से ट्रेनिंग बजट का हिस्सा (%, 2021-22)
	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 4 2025		स्कोरिंग गाइड ›	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत							**1,275**	**1.25**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य								
आंध्र प्रदेश	5	4	3	2	6.44	11	1,246	0.84
बिहार	14	11	16	10	5.04	19	774 (समूह में निम्नतम)	5.69 (समूह में श्रेष्ठतम)
छत्तीसगढ़	10	2	9	4	6.02	17	1,581	1.19
गुजरात	12	8	8	9	5.13	11	898	0.86
हरियाणा	8	9	12	14	4.80	11	1,908	0.84
झारखंड	9	6	11	12	5.01	10	1,598	1.01
कर्नाटक	6	1	2	3	6.19	17	1,261	1.20
केरल	13	14	17	15	4.71	16	1,197	NA[3]
मध्य प्रदेश	15	18	7	11	5.04	9	902	2.46
महाराष्ट्र	4	13	10	5	5.61	14	1,588	0.77
ओडिशा	7	3	4	8	5.16	15	873	1.16
पंजाब	3	12	13	7	5.26	15	2,604 (समूह में श्रेष्ठतम)	1.03
राजस्थान	17	16	14	16	4.66	13	978	1.92
तमिलनाडु	1	5	6	13	4.95	10	1,260	NA[3]
तेलंगाना	11	10	1	1	6.48	12	2,212	1.17
उत्तर प्रदेश	18	15	15	17	4.26	12	1,136	0.97
उत्तराखंड	2	7	5	6	5.50	14	1,847	0.76
पश्चिम बंगाल	16	17	18	18	3.36	13	NA[2]	0.03 (समूह में निम्नतम)
छोटे राज्य								
अरुणाचल प्रदेश	2	4	2	2	5.35	7	8,615	1.96
गोवा	3	7	6	7	3.38	8	NA[2]	0.35
हिमाचल प्रदेश	6	2	5	4	4.01	18	2,168 (समूह में निम्नतम)	0.03 (समूह में निम्नतम)
मेघालय	5	3	3	5	3.83	14	3,143	0.57
मिज़ोरम	7	6	4	3	4.75	9	5,700 (समूह में श्रेष्ठतम)	2.77 (समूह में श्रेष्ठतम)
सिक्किम	1	1	1	1	6.10	13	7,656	0.88
त्रिपुरा	4	5	7	6	3.58	8	3,856	1.03
बिना रैंकिंग वाले राज्य								
असम	रैंक नहीं किए गए					15	1,458	0.84
मणिपुर	रैंक नहीं किए गए					11	6,659	1.60
नगालैंड	रैंक नहीं किए गए					10	8,794	0.00
केंद्रशासित प्रदेश								
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	रैंक नहीं किए गए					10	10,266	1.00
चंडीगढ़	रैंक नहीं किए गए					9	5,902	0.10
दादरा, नागर हवेली एवं दमन, दीव	रैंक नहीं किए गए					4	1,086	उपलब्ध नहीं[3]
दिल्ली	रैंक नहीं किए गए					12	5,561	2.00
जम्मू और कश्मीर	रैंक नहीं किए गए					8	उपलब्ध नहीं[2]	1.05
लद्दाख	रैंक नहीं किए गए					11	7,169	उपलब्ध नहीं[3]
लक्षद्वीप	रैंक नहीं किए गए					3	10,910	उपलब्ध नहीं[3]
पुडुचेरी	रैंक नहीं किए गए					6	उपलब्ध नहीं[2]	उपलब्ध नहीं[3]

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D); भारत सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, नियंत्रक और महालेखाकार जनरल (CAG) भारत; केंद्रीय बजट दस्तावेज़; डिजिटल पुलिस पोर्टल, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय जनगणना आयोग; ओपन बजट्स इंडिया।
सामान्य नोट्स: i. राज्यों के समूहों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। ii. IJR 4 में नए संकेतक पीले रंग में हाइलाइट किए गए हैं। iii. नागरिक पुलिस में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस शामिल है।

1. IJR 3 से सुधार करने वाले संकेतकों की गिनती: केवल गैर-रुझान संकेतकों को ध्यान में रखा गया है जो IJR 3 और IJR 4 दोनों में मौजूद हैं। जिन संकेतकों के लिए मानक हैं, यदि किसी राज्य ने मानक को पूरा किया, तो उसे सुधार के रूप में चिह्नित किया गया, भले ही उसकी वैल्यू मानक के भीतर घट गई हो। यदि किसी राज्य ने मानक पूरा नहीं किया, लेकिन उसकी वैल्यू में सुधार हुआ, तो उसे सुधार के रूप में चिह्नित किया गया। यदि किसी संकेतक का मूल्य एक या दोनों वर्षों में उपलब्ध नहीं था, तो उस संकेतक को नहीं माना गया। 2. 2022-23 के लिए बजट डेटा उपलब्ध नहीं है। 3. BPR&D में पुलिस प्रशिक्षण बजट को 0 दिखाया गया है।

तालिका 3: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

🟢 समूह में श्रेष्ठतम
🔴 समूह में निम्नतम

थीम >	बजट			मानव संसाधन	
संकेतक >	ट्रेनिंग बजट का उपयोग (%, 2021-22)	प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण पर ख़र्च (रु, 2021-22)	मॉर्डनाइज़ेशन फंड का उपयोग (%, 2021-22)	कॉन्स्टेबल वैकेंसी (%, जनवरी 2023)	अधिकारी वैकेंसी (%, जनवरी 2023)
स्कोरिंग गाइड >	जितना अधिक, उतना बेहतर	Higher, the better	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत	**73.0**	**8,343**	**47**	**21.4**	**28.1**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्र प्रदेश	89.7	5,450	उपलब्ध नहीं [5]	21.0	10.4
बिहार	34.8	20,530 🟢	उपलब्ध नहीं [5]	23.3	44.7
छत्तीसगढ़	82.6	7,614	46	21.0	27.8
गुजरात	98.7 🟢	5,476	52	29.0	24.2
हरियाणा	95.8	7,779	उपलब्ध नहीं [6]	38.9	17.8
झारखंड	91.6	7,896	उपलब्ध नहीं [5]	25.9	33.9
कर्नाटक	96.9	8,224	99 🟢	5.7	1.2 🟢
केरल	उपलब्ध नहीं [4]	उपलब्ध नहीं [4]	57	5.7	16.4
मध्य प्रदेश	80.6	15,235	48	12.9	19.3
महाराष्ट्र	92.6	7,578	66	29.1	21.3
ओडिशा	81.1	7,875	48	21.9	23.6
पंजाब	94.0	9,722	44	12.6	23.4
राजस्थान	95.1	14,409	70	8.4	51.8 🔴
तमिलनाडु	उपलब्ध नहीं [4]	उपलब्ध नहीं [4]	उपलब्ध नहीं [6]	4.4	28.0
तेलंगाना	89.5	9,849	92	30.4	13.0
उत्तर प्रदेश	58.2	5,383	81	28.3	41.7
उत्तराखंड	92.5	7,727	उपलब्ध नहीं [5]	0.6 🟢	19.6
पश्चिम बंगाल	34.2 🔴	125 🔴	32 🔴	40.7 🔴	27.3
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	99.9 🟢	22,167	उपलब्ध नहीं [5]	28.0	37.0
गोवा	91.7	3,103	[6]	18.6	28.9
हिमाचल प्रदेश	97.9	257 🔴	18 🔴	2.1	14.6
मेघालय	91.0	4,278	77 🟢	14.4	12.3
मिज़ोरम	87.1 🔴	22,169 🟢	उपलब्ध नहीं [5]	38.2 🔴	27.2
सिक्किम	95.8	7,617	उपलब्ध नहीं [5]	-0.5 🟢	-20.1 🟢
त्रिपुरा	97.9	8,115	35	25.6	45.4 🔴
बिना रैंकिंग वाले राज्य					
असम	80.4	4,784	22	9.3	26.9
मणिपुर	88.4	10,517	13	13.8	19.0
नगालैंड	100.0	24	100	2.9	2.2
केंद्रशासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	100.0	10,208	70	16.1	26.3
चंडीगढ़	100.0	931	उपलब्ध नहीं [5]	17.3	15.4
दादरा, नागर हवेली एवं दमन, दीव	उपलब्ध नहीं [4]	उपलब्ध नहीं [4]	उपलब्ध नहीं [5]	23.6	30.1
दिल्ली	99.8	28,614	उपलब्ध नहीं [5]	14.8	8.0
जम्मू और कश्मीर	80.1	10,102	32	10.3	27.5
लद्दाख	उपलब्ध नहीं [4]	उपलब्ध नहीं [4]	उपलब्ध नहीं [5]	23.4	-46.2
लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं [4]	उपलब्ध नहीं [4]	उपलब्ध नहीं [5]	19.7	40.7
पुदुचेरी	उपलब्ध नहीं [4]	उपलब्ध नहीं [4]	249	26.8	40.0

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D); भारत सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, नियंत्रक और महालेखाकार जनरल (CAG) भारत; केंद्रीय बजट दस्तावेज़; डिजिटल पुलिस पोर्टल, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय जनगणना आयोग; ओपन बजट्स इंडिया।
सामान्य नोट्स: i. राज्यों के समूहों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। ii. IJR 4 में नए संकेतक पीले रंग में हाइलाइट किए गए हैं। iii. नागरिक पुलिस में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस शामिल है।

4. BPR&D में पुलिस प्रशिक्षण बजट और ख़र्च को ख़ाली छोड़ा गया है। 5. कोई मॉर्डनाइज़ेशन फंड नहीं मिला। 6. मॉर्डनाइज़ेशन फंड मिला लेकिन कोई ख़र्च नहीं हुआ।

तालिका 3: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

🟢 समूह में श्रेष्ठतम
🔴 समूह में निम्नतम

थीम	मानव संसाधन			विविधता	
		नया	नया		
संकेतक	सिविल पुलिस में ऑफ़िसर (%, जनवरी 2023)	नया फॉरेंसिक में प्रशासनिक स्टाफ़ वैकेंसी (%, जनवरी 2023)	नया फॉरेंसिक में वैज्ञानिक स्टाफ़ वैकेंसी (%, जनवरी 2023)	पुलिस में महिलाओं की भागीदारी (%, जनवरी 2023)	अधिकारियों में महिलाओं की भागीदारी (%, जनवरी 2023)
स्कोरिंग गाइड	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत	**17.0**	**46.6**	**49.1**	**12.3**	**8.0**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्र प्रदेश	11.2	40.0	40.5	21.5	5.2
बिहार	25.6	78.2	85.4	23.7 🟢	12.6
छत्तीसगढ़	12.6	0.0 🟢	53.7	7.6	9.3
गुजरात	18.2	45.5	52.5	16.7	10.0
हरियाणा	17.2	28.6	73.5	9.2	12.2
झारखंड	25.6	48.8	20.2	7.4	3.7
कर्नाटक	17.6	59.5	32.1	8.9	6.1
केरल	10.4	0.0 🟢	3.7 🟢	8.3	2.7 🔴
मध्य प्रदेश	20.0	88.9 🔴	63.6	7.1 🔴	9.2
महाराष्ट्र	19.0	53.7	28.4	18.7	6.8
ओडिशा	24.0	16.0	51.0	11.0	14.2
पंजाब	11.5	29.4	70.9	11.1	8.5
राजस्थान	11.5	35.0	52.4	10.9	7.5
तमिलनाडु	9.6 🔴	31.3	19.9	20.7	20.1 🟢
तेलंगाना	17.3	7.7	91.0 🔴	8.7	7.6
उत्तर प्रदेश	14.2	18.8	66.3	10.5	4.6
उत्तराखंड	14.9	25.0	79.6	12.2	10.2
पश्चिम बंगाल	29.5 🟢	58.8	69.8	9.6	4.2
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	13.2 🔴	0.0 🟢	28.6 🟢	11.3	6.5
गोवा	16.9	NA[7]	NA[7]	10.8	16.3
हिमाचल प्रदेश	14.9	26.1	32.9	14.5 🟢	5.5 🔴
मेघालय	16.2	33.3	55.6 🔴	5.8	8.9
मिज़ोरम	27.9 🟢	11.1	50.0	8.2	18.2 🟢
सिक्किम	24.5	100.0 🔴	43.8	8.2	6.4
त्रिपुरा	14.5	0.0 🟢	41.9	5.7 🔴	6.0
बिना रैंकिंग वाले राज्य					
असम	14.7	77.3	57.4	6.7	7.5
मणिपुर	19.6	50.0	70.9	6.5	5.3
नगालैंड	18.7	0.0	83.3	10.2	11.2
केंद्रशासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10.7	100.0	100.0	12.9	14.8
चंडीगढ़	12.9	NA[8]	NA[8]	22.5	8.4
दादरा, नागर हवेली एवं दमन, दीव	10.9	NA[8]	NA[8]	9.1	9.0
दिल्ली	21.3	NA[9]	NA[9]	14.8	11.3
जम्मू और कश्मीर	17.7	70.0	58.4	5.4	2.2
लद्दाख	20.3	100.0	100.0	29.6	6.2
लक्षद्वीप	6.3	NA[8]	NA[8]	10.3	0.0
पुडुचेरी	14.4	NA[10]	NA[10]	8.3	5.0

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D); भारत सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, नियंत्रक और महालेखाकार जनरल (CAG) भारत; केंद्रीय बजट दस्तावेज़; डिजिटल पुलिस पोर्टल, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय जनगणना आयोग; ओपन बजट्स इंडिया।
सामान्य नोट्स: i. राज्यों के समूहों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। ii. IJR 4 में नए संकेतक पीले रंग में हाइलाइट किए गए हैं। iii. नागरिक पुलिस में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस शामिल है।

7. क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) और फॉरेंसिक यूनिट/ज़िला मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट (DMFUs) के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है। 8. BPR&D में स्वीकृत और नियुक्ति के आंकड़ 0 दिखाए गए हैं। 9. फॉरेंसिक यूनिट/DMFU के लिए नियुक्तियों के आंकड़े नहीं दिए गए हैं। 10. राज्य FSL में विभिन्न रैंक के लिए डेटा नहीं है।

तालिका 3: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

🟢 समूह में श्रेष्ठतम
🔴 समूह में निम्नतम

थीम	विविधता				
संकेतक	SC अधिकारी, आरक्षित-नियुक्ति का अनुपात (%, जनवरी 2023)	SC कॉन्स्टेबल, आरक्षित-नियुक्ति का अनुपात (%, जनवरी 2023)	ST अधिकारी, आरक्षित-नियुक्ति का अनुपात (%, जनवरी 2023)	ST कॉन्स्टेबल, आरक्षित-नियुक्ति का अनुपात (%, जनवरी 2023)	OBC अधिकारी, आरक्षित-नियुक्ति का अनुपात (%, जनवरी 2023)
स्कोरिंग गाइड	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत	**उपलब्ध नहीं**	**उपलब्ध नहीं**	**उपलब्ध नहीं**	**उपलब्ध नहीं**	**उपलब्ध नहीं**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्र प्रदेश	90	103	107	89	135
बिहार	58	103	136	245 🟢	68
छत्तीसगढ़	97	96	70	113	121
गुजरात	131 🟢	111	95	79	75
हरियाणा	86	69 🔴	उपलब्ध नहीं[14]	उपलब्ध नहीं[14]	86
झारखंड	69	94	54	83	118
कर्नाटक	119	119	193 🟢	173	141
केरल	75	101	86	97	93
मध्य प्रदेश	90	81	96	71	65
महाराष्ट्र	78	87	86	107	65
ओडिशा	83	81	70	106	140
पंजाब	84	114	0.1 🔴	0.02 🔴	155 🟢
राजस्थान	48	86	56	111	26 🔴
तमिलनाडु	82	125 🟢	48	99	118
तेलंगाना	89	86	80	85	146
उत्तर प्रदेश	39 🔴	79	12	63	69
उत्तराखंड	61	102	82	134	66
पश्चिम बंगाल	64	78	50	89	38
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं[11]	उपलब्ध नहीं[11]	181 🟢	71	उपलब्ध नहीं[16]
गोवा	109 🟢	43 🔴	74	46 🔴	33 🔴
हिमाचल प्रदेश	100	104	126	161 🟢	38
मेघालय	उपलब्ध नहीं[12]	उपलब्ध नहीं[12]	81	85	उपलब्ध नहीं[12]
मिज़ोरम	उपलब्ध नहीं[11]	उपलब्ध नहीं[11]	उपलब्ध नहीं[14]	उपलब्ध नहीं[14]	उपलब्ध नहीं[16]
सिक्किम	88	154 🟢	86	75	90 🟢
त्रिपुरा	53 🔴	76	46 🔴	72	उपलब्ध नहीं[16]
बिना रैंकिंग वाले राज्य					
असम	62	29	61	29	73
मणिपुर	152	107	51	57	6
नगालैंड	उपलब्ध नहीं[11]	उपलब्ध नहीं[11]	67	69	उपलब्ध नहीं[16]
केंद्रशासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	उपलब्ध नहीं[11]	उपलब्ध नहीं[11]	71	91	28
चंडीगढ़	48	85	उपलब्ध नहीं[15]	उपलब्ध नहीं[15]	53
दादरा, नागर हवेली एवं दमन, दीव	उपलब्ध नहीं[13]	उपलब्ध नहीं[13]	उपलब्ध नहीं[13]	उपलब्ध नहीं[13]	उपलब्ध नहीं[13]
दिल्ली	90	89	111	92	20
जम्मू और कश्मीर	30	39	45	61	उपलब्ध नहीं[12]
लद्दाख	31.8	0	306	162	उपलब्ध नहीं[16]
लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं[11]	उपलब्ध नहीं[11]	77	177	उपलब्ध नहीं[16]
पुडुचेरी	65	68	0	5	127

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D); भारत सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, नियंत्रक और महालेखाकार जनरल (CAG) भारत; केंद्रीय बजट दस्तावेज़; डिजिटल पुलिस पोर्टल, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय जनगणना आयोग; ओपन बजट्स इंडिया।
सामान्य नोट्स: i. राज्यों के समूहों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। ii. IJR 4 में नए संकेतक पीले रंग में हाइलाइट किए गए हैं। iii. नागरिक पुलिस में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस शामिल है।

11. BPR&D में 0% SC आरक्षण दिखाया गया है। 12. कोई विशिष्ट आरक्षण स्वीकृत नहीं है। 13. संयुक्त आरक्षण डेटा उपलब्ध नहीं है। 14. BPR&D में 0% ST आरक्षण है। 15. ST आरक्षण आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। 16. BPR&D में OBC आरक्षण 0% दिखाया गया है।

तालिका 3: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

🟢 समूह में श्रेष्ठतम
🔴 समूह में निम्नतम

थीम	विविधता	इंफ़्रास्ट्रक्चर			
संकेतक	OBC कॉन्स्टेबल, आरक्षित-नियुक्ति का अनुपात (%, जनवरी 2023)	जनसंख्या प्रति पुलिस स्टेशन (ग्रामीण) (संख्या, जनवरी 2023)	जनसंख्या प्रति पुलिस स्टेशन (शहरी) (संख्या, जनवरी 2023)	क्षेत्र प्रति पुलिस स्टेशन (ग्रामीण) (वर्ग किमी, जनवरी 2023)	क्षेत्र प्रति पुलिस स्टेशन (शहरी) (वर्ग किमी, जनवरी 2023)
स्कोरिंग गाइड	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत	**उपलब्ध नहीं**	**98,000**	**93,107**	**337**	**19.6**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्र प्रदेश	167	48,104	98,411	222	20.9
बिहार	143	164,241	76,299	136	11.4
छत्तीसगढ़	158	61,958	99,817	372	39.7
गुजरात	114	77,344	283,301 🔴	398	60.2
हरियाणा	70	109,325	92,825	264	14.4
झारखंड	136	87,756	107,615	233	25.2
कर्नाटक	140	69,816	102,248	345	20.5
केरल	106	23,992 🟢	230,316	85 🟢	64.9 🔴
मध्य प्रदेश	88	131,081	50,305	641	15.5
महाराष्ट्र	81	83,613	215,965	384	32.0
ओडिशा	188 🟢	96,962	45,211 🟢	390	18.1
पंजाब	161	75,113	89,257	201	17.5
राजस्थान	74	114,568	60,235	647 🔴	18.5
तमिलनाडु	126	41,884	90,679	137	30.0
तेलंगाना	133	50,373	51,974	282	10.6 🟢
उत्तर प्रदेश	129	186,715	91,334	243	12.2
उत्तराखंड	101	90,976	59,671	641	12.9
पश्चिम बंगाल	63 🔴	301,130 🔴	121,497	402	17.1
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	[16]	21,519	8,511 🟢	उपलब्ध नहीं [19]	उपलब्ध नहीं [19]
गोवा	27 🔴	17,318 🟢	149,250 🔴	134 🟢	95.6 🔴
हिमाचल प्रदेश	82 🟢	85,872 🔴	16,739	710	5.9
मेघालय	[12]	56,553	38,389	471	15.7
मिज़ोरम	[16]	21,423	48,643	788 🔴	41.9
सिक्किम	63	19,500	37,556	392	4.3 🟢
त्रिपुरा	[16]	57,318	41,667	229	10.0
बिना रैंकिंग वाले राज्य					
असम	30	320,809	25,145	821	5.7
मणिपुर	9	36,300	61,471	369	10.6
नगालैंड	उपलब्ध नहीं [16]	22,830	53,842	308	12.8
केंद्रशासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	31	12,500	59,333	456	12.6
चंडीगढ़	97	उपलब्ध नहीं [17]	76,875	उपलब्ध नहीं [17]	6.8
दादरा, नागर हवेली एवं दमन, दीव	उपलब्ध नहीं [13]	237,000	342,000	508	31.4
दिल्ली	108	उपलब्ध नहीं [17]	117,492	उपलब्ध नहीं [17]	6.4
जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं [12]	60,961	74,179	उपलब्ध नहीं [20]	उपलब्ध नहीं [20]
लद्दाख	उपलब्ध नहीं [16]	29,571	46,500	उपलब्ध नहीं [20]	उपलब्ध नहीं [20]
लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं [16]	111	उपलब्ध नहीं [18]	1	उपलब्ध नहीं [18]
पुडुचेरी	130	30,688	82,500	21	11.0

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D); भारत सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, नियंत्रक और महालेखाकार जनरल (CAG) भारत; केंद्रीय बजट दस्तावेज़; डिजिटल पुलिस पोर्टल, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय जनगणना आयोग; ओपन बजट्स इंडिया।
सामान्य नोट्स: i. राज्यों के समूहों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। ii. IJR 4 में नए संकेतक पीले रंग में हाइलाइट किए गए हैं। iii. नागरिक पुलिस में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस शामिल है।

12. कोई विशिष्ट आरक्षण स्वीकृत नहीं। 13. संयुक्त आरक्षण डेटा उपलब्ध नहीं। 16. BPR&D में OBC आरक्षण 0% दिखाया गया है। 17. BPR&D में स्वीकृत और वास्तविक ग्रामीण पुलिस स्टेशन 0 दिखाए गए हैं। 18. BPR&D में स्वीकृत और वास्तविक शहरी पुलिस स्टेशन 0 दिखाए गए हैं। 19. जनगणना 2011 में ग्रामीण/शहरी क्षेत्र का विभाजन नहीं दिया गया है। 20. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का डेटा उपलब्ध नहीं है।

तालिका 3: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

🟢 समूह में श्रेष्ठतम
🔴 समूह में निम्नतम

थीम	इंफ़्रास्ट्रक्चर				कार्यभार
संकेतक	राज्य नागरिक पोर्टल द्वारा दी गई सेवाएं (%, 2023)[21]	कर्मचारी प्रति प्रशिक्षण संस्थान (संख्या, जनवरी 2023)	सीसीटीवी वाले पुलिस स्टेशन (%, जनवरी 2023)	महिला सहायता डेस्क वाले पुलिस स्टेशन (%, जनवरी 2023)	जनसंख्या प्रति सिविल पुलिसकर्मी (संख्या, जनवरी 2023)
स्कोरिंग गाइड	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत	**उपलब्ध नहीं**	**11,537**	**83.3**	**78.1**	**843**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्र प्रदेश	85.6	4,625	58.3	82.3	668
बिहार	45.0 🔴	36,088	100.0 🟢	83.3	1,522 🔴
छत्तीसगढ़	87.6	6,678	94.3	99.8	760
गुजरात	90.9 🟢	24,689	81.0	84.1	1,024
हरियाणा	79.6	21,953	97.1	61.4	568
झारखंड	72.6	13,809	21.5 🔴	42.6	908
कर्नाटक	45.3	9,286	99.2	99.1	763
केरल	77.0	5,608	92.6	95.0	775
मध्य प्रदेश	87.6	12,538	98.0	82.0	1,059
महाराष्ट्र	87.6	19,414	90.8	78.1	810
ओडिशा	84.6	5,808	87.0	100.0 🟢	1,298
पंजाब	86.6	14,221	97.2	100.0 🟢	504 🟢
राजस्थान	84.6	10,311	90.6	92.9	1,031
तमिलनाडु	61.0	14,718	68.4	34.3 🔴	710
तेलंगाना	72.7	2,608 🟢	88.9	88.9	725
उत्तर प्रदेश	89.6	38,882 🔴	82.8	85.6	889
उत्तराखंड	85.6	5,604	100.0 🟢	98.8	729
पश्चिम बंगाल	69.3	16,507	100.0 🟢	100.0 🟢	1,277
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	82.6	15,298 🔴	100.0 🟢	70.9	268
गोवा	80.6	10,806	97.8	73.3	281
हिमाचल प्रदेश	28.3 🔴	9,604	90.1	91.4	605 🔴
मेघालय	82.6	4,210 🟢	87.7 🔴	59.3 🔴	397
मिज़ोरम	77.6	11,302	97.8	88.9	400
सिक्किम	84.6 🟢	6,857	96.7	93.3	241 🟢
त्रिपुरा	79.6	7,421	88.0	100.0 🟢	467
बिना रैंकिंग वाले राज्य					
असम	80.6	20,442	96.7	60.1	1,156
मणिपुर	0	35,100	4.4	63.3	212
नगालैंड	82.6	6,677	98.9	32.2	279
केंद्रशासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	87.6	5,078	100.0	95.8	122
चंडीगढ़	70.6	7,013	100.0	94.7	306
दादरा, नागर हवेली एवं दमन, दीव	10	1,396	100.0	100.0	1,911
दिल्ली	82.6	13,465	87.6	88.0	300
जम्मू और कश्मीर	74.3	13,526	32.4	60.0	281
लद्दाख	82.6	उपलब्ध नहीं[22]	100.0	100.0	152
लक्षद्वीप	82.6	उपलब्ध नहीं[22]	0.0	56.3	274
पुडुचेरी	82.6	4,462	0.0	60.0	884

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D); भारत सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, नियंत्रक और महालेखाकार जनरल (CAG) भारत; केंद्रीय बजट दस्तावेज़; डिजिटल पुलिस पोर्टल, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय जनगणना आयोग; ओपन बजट्स इंडिया।
सामान्य नोट्स: i. राज्यों के समूहों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। ii. IJR 4 में नए संकेतक पीले रंग में हाइलाइट किए गए हैं। iii. नागरिक पुलिस में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस शामिल है।

21. राज्य पुलिस नागरिक पोर्टल का गुणात्मक मूल्यांकन 10 बिंदुओं पर: क्या राज्य पुलिस के नागरिक पोर्टल में गृह मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध 9 सेवाओं में से प्रत्येक सेवा उपलब्ध है और क्या पोर्टल राज्य की किसी भाषा (अंग्रेज़ी के अलावा) में उपलब्ध है। 22. BPR&D में प्रशिक्षण संस्थान 0 दिखाए गए हैं।

तालिका 3: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

🟢 समूह में श्रेष्ठतम
🔴 समूह में निम्नतम

थीम ›	रुझान				
संकेतक ›	कुल पुलिस में महिलाएं (%, कैलेंडर वर्ष 18-22)	कुल पुलिस में महिला अधिकारी (%, कैलेंडर वर्ष 18-22)	कॉन्स्टेबल वैकेंसी (प्रतिशत अंक, %, कैलेंडर वर्ष 18-22)	ऑफ़िसर वैकेंसी (प्रतिशत अंक, %, कैलेंडर वर्ष 18-22)	ख़र्च में अंतर: पुलिस बनाम राज्य (प्रतिशत अंक, %, कैलेंडर वर्ष 19-23)
स्कोरिंग गाइड ›	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत	**37.1**	**13.1**	**13.3**	**7.8**	**0.44**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्र प्रदेश	280.2 🟢	9.8	39.0	-1.3	-2.14
बिहार	51.2	287.7 🟢	-32.4	-15.7	-0.11
छत्तीसगढ़	30.2	71.7	27.7	-7.6	0.64
गुजरात	45.6	21.3	49.6	16.3	-2.17
हरियाणा	24.0	52.6	83.5	-34.8	2.14
झारखंड	14.4	8.8	62.4	41.5	2.84
कर्नाटक	15.3	5.6	-73.8 🟢	-95.0 🟢	3.82 🟢
केरल	-5.4 🔴	-22.2	32.7	-63.9	-1.85
मध्य प्रदेश	35.4	3.0	7.6	-60.1	-1.53
महाराष्ट्र	44.0	14.8	219.8	2.5	0.59
ओडिशा	13.7	41.0	320.7 🔴	-20.8	-6.14 🔴
पंजाब	34.0	20.7	100.1	16.9	-5.04
राजस्थान	16.7	40.3	9.0	37.0	2.68
तमिलनाडु	18.5	-7.2	-63.3	93.7	-0.95
तेलंगाना	109.2	121.9	-15.8	-38.2	0.41
उत्तर प्रदेश	44.0	92.3	-15.3	387.9 🔴	3.74
उत्तराखंड	5.9	-39.5 🔴	-68.8	264.0	-2.55
पश्चिम बंगाल	22.0	9.8	-2.9	-13.2	उपलब्ध नहीं [25]
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	48.7 🟢	27.8	24.8	19.9	-4.02
गोवा	7.6	1.3	76.5 🔴	-24.1	उपलब्ध नहीं [25]
हिमाचल प्रदेश	12.1	24.3	-49.9	-25.6	-2.05
मेघालय	17.6	45.3 🟢	14.4	206.9 🔴	-4.27 🔴
मिज़ोरम	19.2	-9.6	55.7	48.3	1.40 🟢
सिक्किम	-24.1	16.3	-100.0 🟢	-48.6 🟢	0.82
त्रिपुरा	11.7	-10.4 🔴	36.4	39.6	-3.62
बिना रैंकिंग वाले राज्य					
असम	7.5	93.8	-57.2	31.5	-7.29
मणिपुर	-13.9	-28.2	-36.8	-36.1	-0.21
नगालैंड	107.6	108.7	2.9	-35.7	-0.54
केंद्रशासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14.1	39.9	106.1	116.2	-17.55
चंडीगढ़	66.9	64.2	51.6	97.3	8.83
दादरा, नागर हवेली एवं दमन, दीव	-30.7	-44.5	27.2	-12.1	-13.25
दिल्ली	28.2	16.8	37.7	-3.8	2.06
जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं [23]	उपलब्ध नहीं[23]	उपलब्ध नहीं [23]	उपलब्ध नहीं [23]	उपलब्ध नहीं[23]
लद्दाख	उपलब्ध नहीं [23]	उपलब्ध नहीं[23]	उपलब्ध नहीं [23]	उपलब्ध नहीं [23]	उपलब्ध नहीं[23]
लक्षद्वीप	-6.8	[24]	31.8	-26.7	3.35
पुडुचेरी	7.7	-11.8	20.1	-13.9	उपलब्ध नहीं[25]

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D); भारत सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, नियंत्रक और महालेखाकार जनरल (CAG) भारत; केंद्रीय बजट दस्तावेज़; डिजिटल पुलिस पोर्टल, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय जनगणना आयोग; ओपन बजट्स इंडिया।
सामान्य नोट्स: i. राज्यों के समूहों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। ii. IJR 4 में नए संकेतक पीले रंग में हाइलाइट किए गए हैं। iii. सिविल पुलिस में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस शामिल है।

23. रुझान संकेतकों के लिए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के 5 वर्षों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं होने के कारण इन्हें बाहर रखा गया है। 24. रुझान वर्षों के पहले और पांचवें वर्ष में कोई महिला अधिकारी नहीं। 25. 2021-22 और 2022-23 के लिए बजट डेटा उपलब्ध नहीं है।

जेल

जेलों की रैंकिंग

कलर गाइड
श्रेष्ठ | मध्य | खराब

संकेतक (IJR 4) **28**

समूह

I. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या)

II. 7 छोटे आकार के राज्य (1 करोड़ तक जनसंख्या)

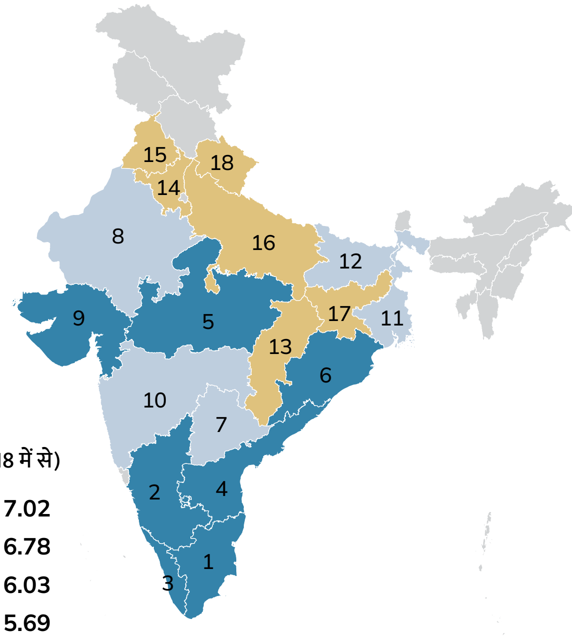

मानचित्र 11: बड़े और मध्यम आकार के राज्य

रैंक (18 में से)

IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 4 2025 (नया)	राज्य	रैंक (18 में से)
10	6	1	1	तमिलनाडु	7.02
3	14	2	2	कर्नाटक	6.78
1	5	4	3	केरल	6.03
15	7	5	4	आंध्र प्रदेश	5.69
7	8	7	5	मध्य प्रदेश	5.37
5	9	11	6	ओडिशा	5.34
13	2	3	7	तेलंगाना	5.32
12	1	8	8	राजस्थान	5.27
9	10	6	9	गुजरात	5.26
2	4	10	10	महाराष्ट्र	5.17
4	12	13	11	पश्चिम बंगाल	4.68
6	3	9	12	बिहार	4.68
8	11	12	13	छत्तीसगढ़	4.54
11	16	16	14	हरियाणा	3.96
16	13	15	15	पंजाब	3.91
14	17	17	16	उत्तर प्रदेश	3.84
18	15	14	17	झारखंड	3.81
17	18	18	18	उत्तराखंड	2.58

मानचित्र 12: छोटे राज्य

रैंक (7 में से)

IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 4 2025 (नया)	राज्य	रैंक (7 में से)
3	3	1	1	अरुणाचल प्रदेश	6.01
6	1	2	2	हिमाचल प्रदेश	5.52
7	6	4	3	सिक्किम	4.38
2	5	6	4	मेघालय	3.94
4	7	3	5	मिज़ोरम	3.29
5	2	5	6	त्रिपुरा	3.28
1	4	7	7	गोवा	2.95

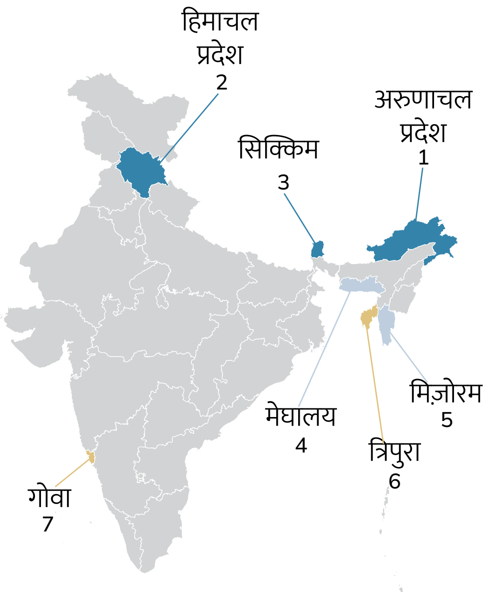

नोट: अंक दो दशमलव तक दिखाए गए हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों का स्कोर समान है, लेकिन दशमलव के चौथे अंक (4.6860 बनाम 4.6858) की वजह से पश्चिम बंगाल को ऊपर रखा गया है।

थोड़े सुधार, बड़ी चुनौतियां

क्षमता से ज़्यादा क़ैदी

उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या, जहां ऑक्यूपेंसी 100% से नीचे रही।

		कुल राज्य*
IJR 1 (2019)	17	36
IJR 2 (2020)	15	36
IJR 3 (2022)	17	36
IJR 4 (2025)	11	36

करेक्शनल स्टाफ़

उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या, जहां करेक्शनल स्टाफ़ की वैकेंसी 20% से कम रही।

IJR 1 (2019)	5	23
IJR 2 (2020)	5	27
IJR 3 (2022)	8	25
IJR 4 (2025)	5	25

6 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (तमिलनाडु, नगालैंड, बिहार, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़) ने 1:200 के मानक को पूरा किया।

मेडिकल ऑफ़िसर

उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या, जहां मेडिकल ऑफ़िसर की वैकेंसी 20% से कम रही।

IJR 1 (2019)	13	32
IJR 2 (2020)	11	32
IJR 3 (2022)	12	33
IJR 4 (2025)	12	33

5 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मेघालय और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) ने 1:300 के मानक को पूरा किया।

महिला चिकित्सा अधिकारी: 9 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर, ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु) ने 1:300 के मानक को पूरा किया।

क़ैदियों पर ख़र्च

कुल 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से, 18 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने औसतन प्रति क़ैदी 30,000 रुपए सालाना से अधिक ख़र्च किया, जो कि प्रति माह 2,500 रुपए होता है, जिसमें भोजन, कपड़े, चिकित्सा, व्यावसायिक और कल्याणकारी गतिविधियां शामिल हैं।

IJR 1 (2019)	19	35
IJR 2 (2020)	22	36
IJR 3 (2022)	24	36
IJR 4 (2025)	11	36

18 राज्यों ने प्रति क़ैदी प्रति दिन 100 रुपए से कम ख़र्च किए। महाराष्ट्र ने 47 रुपए प्रति कैदी ख़र्च किया।

*यह आंकड़ा उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए है जिनके आंकड़े उपलब्ध थे।

राष्ट्रीय कार्यभार

क़ैदियों पर

	मानक	नियुक्त
काडर स्टाफ़	6	12
करेक्शनल स्टाफ़	200	699
डॉक्टर	300	775
मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक	500	22,928

जेल ऑक्यूपेंसी

	2012	2022
ऑक्यूपेंसी	112%	131%
विचाराधीन क़ैदी	66%	76%

55% जेलें क्षमता से अधिक भरी थीं।

89% जेलों में 250% से अधिक ऑक्यूपेंसी थी।

12 जेलें 400% तक भरी थीं।

वैकेंसी

30% जेल स्टाफ़ के पद राष्ट्रीय स्तर पर रिक्त थे।

झारखंड में ऑफ़िसर और काडर लेवल पर 60% से अधिक पद रिक्त थे।

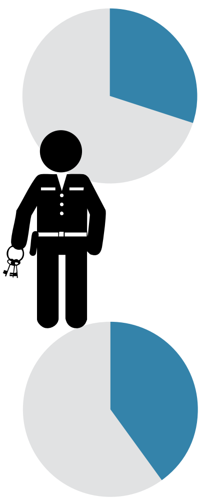

अध्याय 2

जेल: बढ़ती चिंताएं और चुनौतियां

परिचय

जेल सुधारों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इस संबंध में समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने सैकड़ों दिशानिर्देश जारी किए हैं[1] और केंद्र एवं राज्य सरकारों के भी मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश मौजूद हैं। इन सुधारों में शामिल हैं: जेलों की प्रशासनिक क्षमता बेहतर करना, जेलों में क़ैदियों की अत्यधिक संख्या में कमी लाना, क़ैदियों के रहने की परिस्थितियां बेहतर करना, जेल में होने वाली मौतों की जांच, महिला क़ैदियों और उनके साथ रहने वाले बच्चों की सुरक्षा और क़ैदियों के पुनर्वास में सहायता करने वाली सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराना।

हालांकि, क़ानून की यह स्पष्ट धारणा है कि जेल की सज़ा को प्रतिशोध के बजाय सुधार और पुनर्वास माना जाए। फिर भी इस दिशा में बहुत कम बदलाव हुए हैं क्योंकि इस मामले में स्पष्ट नीतिनिर्देश नहीं हैं।

कई राज्यों ने 'मॉडल जेल मैनुअल, 2016' को अपनाया है, लेकिन असलियत में आज भी सज़ा देने वाली सोच को सुधार या पुनर्वास में बदलने की कोशिश कई वजहों से नाकाम रही है। ये वजहें हैं- जेलों में क्षमता से अधिक क़ैदी होना, फंड की कमी, अक्षमता, जर्जर इंफ़्रास्ट्रक्चर, जवाबदेही तय करने की व्यवस्था का अभाव। इसके अलावा जेलों के पुराने ढांचे का मुख्य रूप से सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर आधारित होना और नए सुधारों के अनुसार मानसिकता न बदलना भी बड़ी बाधाएं रही हैं। यही कारण है कि जेलों की पूरी कार्य-संस्कृति और रोज़मर्रा के काम-काज आज भी 130 साल पुराने 'जेल अधिनियम, 1894' के अनुसार ही संचालित हो रहे हैं। इस बीच, केंद्र ने 'मॉडल जेल अधिनियम 2023' का मसौदा राज्यों को भेजा, लेकिन अभी सभी राज्यों ने इसे नहीं अपनाया है। असल में, जेलों से संबंधित क़ानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास ही है।

मौजूदा रिपोर्ट में जेलों में क्षमता से ज़्यादा क़ैदियों और जेल स्टाफ़ पर काम के बोझ से संबंधित 3 नए पैरामीटर (मापदंड) जोड़े गए हैं। इसमें यह आकलन भी किया गया है कि वर्ष 2030 तक जेलों में उपलब्ध जगह के मुक़ाबले क़ैदियों की संख्या कितनी हो जाएगी। 2012 से 2022 तक के दशक में कई क्षेत्रों में चिंताजनक रुझान बढ़ते हुए दिखते हैं। जेलों में क़ैदियों की कुल संख्या 3.8 लाख से बढ़कर 5.7 लाख हो गई;[2] जेलों में क्षमता के मुक़ाबले क़ैदियों की संख्या का राष्ट्रीय औसत 112% से बढ़कर 131% हो गया और विचाराधीन क़ैदियों की संख्या 66% से बढ़कर 76% हो गई है। ज़मानत के आसान प्रावधानों और हाई कोर्ट्स एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज़मानत देने पर ज़ोर दिए जाने के बावजूद, विचाराधीन क़ैदी जेल में लंबे समय तक रखे जा रहे हैं। 2012 के अंत तक, जहां 18% विचाराधीन क़ैदियों ने 1 से 3 साल तक जेल में समय बिताया, वहीं 2022 के अंत तक इनकी संख्या 22% हो गई थी। ये रुझान भविष्य की बढ़ती चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं।

जेलों की रैंकिंग में शीर्ष चार स्थानों पर फिर से दक्षिणी राज्य बने हुए हैं, जिनमें केरल और आंध्र प्रदेश को एक-एक स्थान का फायदा हुआ है, जबकि तेलंगाना सातवें स्थान पर खिसक गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक टॉप-2 रैंकिंग पर रहे हैं। मध्य प्रदेश पहली बार पांचवीं रैंक पर पहुंचा है। ओडिशा ने सात स्थानों की लंबी छलांग लगाई है और छठे स्थान पर है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों की रैंकिंग ख़राब हुई है। गुजरात तीन स्थान गिरकर सातवें स्थान पर है। छोटे राज्यों में अरुणाचल प्रदेश पहले और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। मेघालय ने दो स्थानों का सुधार किया तो मिज़ोरम दो स्थान नीचे खिसक गया। गोवा अपनी एकमात्र जेल के साथ 7वें स्थान पर सबसे नीचे रहा।

रैंकिंग में बदलाव के कई कारण हैं। जैसे, ओडिशा अपनी रैंकिंग को सबसे ज़्यादा बेहतर करता हुआ 11वें से छठे स्थान पर पहुंचा। 2018 से 2022 के बीच के 5 वर्षों में, ओडिशा ने जेल अधिकारियों के ख़ाली पदों को भरकर वैकेंसी को 46% से घटाकर 14% पर ला दिया। ऐसा वहां अधिकारियों के स्वीकृत पद बढ़ाए जाने के बावजूद हुआ। ओडिशा ने जेलों में क़ैदियों को रखने की क्षमता भी 18% बढ़ाई, जिससे ऑक्यूपेंसी दर (जेलों की आधिकारिक क्षमता के मुक़ाबले वहां मौजूद क़ैदियों की दर) 91% से घटकर 83% हो गई। हालांकि अब भी राज्य का जेलों में प्रति क़ैदी ख़र्च सबसे कम है, लेकिन राज्य की जेलों के कुल स्वीकृत

1 'सिलेक्टेड रेकमेंडेशन्स & गाइडलाइन्स ऑन 'कैपेसिटी' बाय प्रिज़न रिफार्म कमिटीज इन इंडिया'. इस लिंक पर उपलब्ध: https://indiajusticereport.org/files/IJR_Recommendation_for_Prison_Reforms_in_India.pdf

2 भारत में गिनती के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों से अलग संख्या प्रणाली इस्तेमाल होता है। इस रिपोर्ट में भारतीय प्रणाली में संख्याएं दी गई हैं, जिसमें लाख और करोड़ जैसी इकाइयां हैं। इनमें अंकों के बीच अल्पविराम लगाने का तरीका भी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली से अलग होता है। यहां भारतीय और अंतरराष्ट्रीय गणना के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आपस में बराबर हैं: वन हंड्रेड थाउज़ैंड (100,000) = 1 लाख (1,00,000); एक मिलियन (1,000,000) = 10 लाख (10,00,000); दस मिलियन (10,000,000) = 1 करोड़ (1,00,00,000)।

मॉडल जेल मैनुअल क्या है?

बीपीआर&डी (BPR&D) ने 2016 में जेलों के संचालन और प्रबंधन के लिए 'मॉडल जेल मैनुअल' तैयार किया। इसका मक़सद था, 'जेलों को अपराधियों के सुधार और पुनर्वास की जगह बनाने के समग्र उद्देश्य को ज़्यादा प्रभावी तरीके से हासिल करना।'[3] यह जेल मैनुअल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए नेल्सन मंडेला रूल्स (क़ैदियों के साथ व्यवहार संबंधी संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमावली) पर आधारित है। इस मैनुअल में जेल सुविधाओं संबंधी न्यूनतम मानकों का व्यापक विवरण है और क़ैदियों के साथ व्यवहार संबंधी नियम बताए गए हैं जो कि पूरी तरह से मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने पर आधारित हैं। इस पूरी क़वायद का लक्ष्य क़ैदियों को जेल से निकलने के बाद फिर से समाज में उचित जगह और सम्मान दिलाना है। गृह मंत्रालय द्वारा इन नए दिशानिर्देशों को अपनाने का सुझाव देने के बाद कई राज्यों ने अपनी जेलों का नाम बदलकर 'सुधार गृह' रखा है। मार्च 2023 के मध्य में, गृह राज्य मंत्री ने संसद को जानकारी दी कि 18 राज्यों और सभी केंद्रशासित प्रदेशों ने 'मॉडल जेल मैनुअल 2016' को अपनाने की पुष्टि की है।

गृह मंत्रालय ने 'कारागार अधिनियम 1894' और 'क़ैदी अधिनियम 1900' को बदलने के इरादे से 2023 में 'आदर्श जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023' को अंतिम रूप दिया।[4] इस नए अधिनियम का उद्देश्य है- कारावास नीति को प्रतिशोध के बजाय क़ैदियों के पुनर्वास और सुधार की औपचारिक नीति में बदलना। इस अधिनियम में क़ैदियों की शिक्षा, कल्याण और वोकेशनल ट्रेनिंग की योजनाएं बनाने के ज़रूरी प्रावधान हैं। इसके अलावा जेल कर्मचारियों के लिए पहले बुनियादी प्रशिक्षण और फिर समय-समय पर ज़रूरी प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रावधान भी है। इस अधिनियम का मक़सद 'इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम' (ICJS) के तहत डेटा को इकट्ठा कर जेलों की देखरेख में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना भी है। इसमें बायोमेट्रिक्स, सीसीटीवी सिस्टम, स्कैनिंग और डिटेक्शन उपकरणों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी तकनीक को प्रोत्साहन देकर क़ैदियों और जेलों की सुरक्षा में सुधार की वकालत की गई है। साथ ही, इसमें महिला और ट्रांसजेंडर क़ैदियों को अलग-अलग रखने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हर ज़िले में विज़िटर्स बोर्ड (BoV) और अंडरट्रायल रिव्यू कमेटी (UTRC) स्थापित करने का प्रावधान भी है।

चूंकि, जेलों का संचालन और प्रबंधन राज्यों का विषय है, इसलिए यह अधिनियम राज्यों के लिए महज 'मार्गदर्शक दस्तावेज़' है। जेलों का संचालन और प्रबंधन पूरी तरह से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसलिए यह देखना बाक़ी है कि कितने राज्य वास्तव में इस क़ानून के नए प्रावधानों को अपनाते हैं।

बजट में 41% की वृद्धि हुई है। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ की जेलों में अधिकारियों के सबसे ज़्यादा पद ख़ाली रहे और इन राज्यों की जेलों में ऑक्यूपेंसी दर भी ज़्यादा है। कर्नाटक IJR 2020 की रैंकिंग में 14वें स्थान पर था और इस साल दूसरे नंबर पर पहुंच गया। यह जेल स्टाफ़ में ज़्यादा महिलाओं को मौक़ा देने और कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण देने से मुमकिन हुआ। इसने पिछले पांच वर्षों (2018-2022) में कर्मचारियों के ख़ाली पदों को भरने की भी लगातार कोशिश की है। तमिलनाडु में कर्नाटक के मुक़ाबले जेल स्टाफ़ के ख़ाली पद कम हैं और इसने जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को कम संख्या में ट्रेनिंग दी और इसके जेल प्रशासन के कार्यबल में महिलाओं का अनुपात भी कम रहा। हालांकि, जेलों में 100% से कम ऑक्यूपेंसी दर, प्रति क़ैदी ख़र्च बढ़ाने और जेल स्टाफ़ में कम वैकेंसी की वजह से राज्य पहली रैंकिंग पर रहा है।

जुलाई 2024[5] तक 19 राज्य और सभी 8 केंद्र शासित प्रदेश, 'मॉडल जेल मैनुअल' को अपना चुके हैं। हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, त्रिपुरा और उत्तराखंड ने 'मॉडल जेल मैनुअल 2016' के कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए अपने जेल मैनुअल में संशोधन किया है।

इंफ़्रास्ट्रक्चर

- जेलों में ऑक्यूपेंसी (%, दिसंबर 2022)
- वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा वाली जेलें (%, दिसंबर 2022)
- 1-3 साल तक हिरासत में रहे विचाराधीन क़ैदी (%, दिसंबर 2022)
- 150-250% तक ऑक्यूपेंसी वाली जेलें (%, दिसंबर 2022) नया
- 250% या अधिक ऑक्यूपेंसी वाली जेलें (%, दिसंबर 2022) नया

3 पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, भारत में जेलों के अधीक्षण और प्रबंधन के लिए मॉडल प्रिज़न मैनुअल 2023. इस लिंक पर उपलब्ध: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:ap:5386b0cd-017c-414a-a4c0-deae350ba73f

4 भारत सरकार, गृह मंत्रालय, एडवाइज़री संख्या V-17013/22/2023-PR. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/advisory_10112023.pdf

5 राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या- 1030, दिनांक 31 जुलाई 2024. इस लिंक पर उपलब्ध: https://sansad.in/getFile/annex/265/AU1030_1rfBIh.pdf?source=pqars

ऑक्यूपेंसी दर: लगभग सभी राज्यों की जेलों में क्षमता से ज़्यादा क़ैदी हैं और यह समस्या लगातार बढ़ रही है। 2020 तक, देश की 48% जेलों में क्षमता से ज़्यादा क़ैदी थे। 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 55% तक पहुंच गया।

वर्ष 2022 में, 12 जेलों[6] में ऑक्यूपेंसी दर 400% से ज़्यादा थी। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िला कारागार में सबसे ज़्यादा 497% की ऑक्यूपेंसी दर से क़ैदी बंद थे। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की कंडी उप-जेल में 477% और महाराष्ट्र की ठाणे सेंट्रल जेल में 401% की दर से क़ैदी रखे गए थे। 91 जेलों में 250% या इससे

चित्र 25: भारतीय जेलों में ऑक्यूपेंसी दर

2012 से 2022 के बीच, केवल दो बड़े राज्यों की जेलों में क्षमता से अधिक क़ैदी नहीं थे और 6 राज्यों की जेलों में भीड़ बढ़ गई। उत्तराखंड में यह लगभग दोगुनी हो गई। 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जेलों में क्षमता से अधिक क़ैदी बने रहे।

राज्य	समूह	जेल ऑक्यूपेंसी (%) दिसंबर 2012	दिसंबर 2022
दोनों अवधियों में 100% रही, और बढ़ी			
उत्तर प्रदेश	बड़े और मध्यम आकार के राज्य	169	180
मेघालय	छोटे राज्य	131	167
मध्य प्रदेश	बड़े और मध्यम आकार के राज्य	128	164
सिक्किम	छोटे राज्य	114	149
पश्चिम बंगाल	बड़े और मध्यम आकार के राज्य	101	134
असम	रैंक नहीं किए गए	104	121
हिमाचल प्रदेश	छोटे राज्य	106	114
केरल	बड़े और मध्यम आकार के राज्य	104	106
कर्नाटक	बड़े और मध्यम आकार के राज्य	100	104
दोनों अवधियों में 100% रही, लेकिन घटी			
दिल्ली	केंद्रशासित	194	184
छत्तीसगढ़	बड़े और मध्यम आकार के राज्य	253	145
पंजाब	बड़े और मध्यम आकार के राज्य	133	116
झारखंड	बड़े और मध्यम आकार के राज्य	125	111
गोवा	छोटे राज्य	120	109
राजस्थान	बड़े और मध्यम आकार के राज्य	117	107
अरुणाचल प्रदेश	छोटे राज्य	127	101
दशकीय अवधि में 100% से ज़्यादा हुई			
उत्तराखंड	बड़े और मध्यम आकार के राज्य	99	183
महाराष्ट्र	बड़े और मध्यम आकार के राज्य	99	161
बिहार	बड़े और मध्यम आकार के राज्य	81	136
हरियाणा	बड़े और मध्यम आकार के राज्य	100	122
गुजरात	बड़े और मध्यम आकार के राज्य	95	118
मिज़ोरम	छोटे राज्य	65	116
चंडीगढ़	केंद्रशासित	73	107
दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव	केंद्रशासित	34	104
100% से कम, लेकिन बढ़ी			
ओडिशा	बड़े और मध्यम आकार के राज्य	71	83
पुडुचेरी	केंद्रशासित	68	78
तमिलनाडु	बड़े और मध्यम आकार के राज्य	60	77
नगालैंड	रैंक नहीं किया गया	27	31
लक्षद्वीप	केंद्रशासित	0	9
100% से कम, और घटी			
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	केंद्रशासित	102	81
मणिपुर	रैंक नहीं किया गया	75	67
त्रिपुरा	छोटे राज्य	68	50

नोट: राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को दिसंबर 2022 में जेल ऑक्यूपेंसी रेट के आधार पर उनके समूहों में घटते क्रम में रखा गया है। निम्नलिखित राज्यों को नहीं दिखाया गया है क्योंकि उनकी प्रशासनिक स्थिति में इस दशक के दौरान बदलाव हुआ और उनके 2012 के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं थे: आंध्र प्रदेश (दिसंबर 2022 में 84% अधिभोग), तेलंगाना (81%), जम्मू और कश्मीर (146%) और लद्दाख (19%)।
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स ऑफ़ इंडिया

6 मुरादाबाद ज़िला जेल, उत्तर प्रदेश; कंडी उपजेल, पश्चिम बंगाल; केंद्रीय जेल संख्या- 4, दिल्ली; ज्ञानपुर ज़िला जेल, उत्तर प्रदेश; जमुई ज़िला जेल, बिहार; आरामबाग उपजेल, पश्चिम बंगाल; केंद्रीय जेल संख्या- 1, दिल्ली; सहारनपुर ज़िला जेल, उत्तर प्रदेश; सुल्तानपुर ज़िला जेल, उत्तर प्रदेश; ठाणे केंद्रीय जेल, महाराष्ट्र और पटना सिटी उपजेल, बिहार।

चित्र 26: इन जेलों में ज़्यादा क़ैदियों की अनवरत समस्या

निम्नलिखित सूची में 34 ऐसी जेलें दी गई हैं, जिनमें 2020 से 2022 के बीच ऑक्यूपेंसी दर 250% से ऊपर थी, जिनमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे था। इस अवधि में भारत भर में 85 से अधिक ऐसी जेलें थीं, जिनकी ऑक्यूपेंसी दर 200% से ऊपर रही।

जेल का नाम	जेल का प्रकार	2020	2021	2022
असम (1)				
नलबाड़ी	ज़िला जेल	267	310	318
बिहार (1)				
सीतामढ़ी	ज़िला जेल	255	308	316
दिल्ली (3)				
केंद्रीय जेल संख्या 1	सेंट्रल जेल	358	440	411
केंद्रीय जेल संख्या 3	सेंट्रल जेल	278	325	297
केंद्रीय जेल संख्या 4	सेंट्रल जेल	352	425	467
झारखंड (1)				
चतरा	ज़िला जेल	267	328	272
मध्य प्रदेश (3)				
अनूपपुर	ज़िला जेल	282	283	352
बैधन	ज़िला जेल	321	337	360
रेहली	उप जेल	306	309	250
महाराष्ट्र (2)				
कल्याण	ज़िला जेल	352	361	369
सोलापुर	ज़िला जेल	298	300	355
उत्तर प्रदेश (18)				
आगरा	ज़िला जेल	263	258	279
अलीगढ़	ज़िला जेल	291	339	342
बहराइच	ज़िला जेल	285	295	305
बुलंदशहर	ज़िला जेल	278	298	299
देवरिया	ज़िला जेल	308	327	369
गाज़ियाबाद	ज़िला जेल	292	309	332
ज्ञानपुर	ज़िला जेल	299	388	454
इटावा	ज़िला जेल	286	321	334
जौनपुर	ज़िला जेल	344	400	381
मथुरा	ज़िला जेल	296	346	337
मुरादाबाद	ज़िला जेल	472	488	497
मुज़फ्फरनगर	ज़िला जेल	267	327	332
प्रतापगढ़	ज़िला जेल	271	264	298
रायबरेली	ज़िला जेल	271	276	322
सहारनपुर	ज़िला जेल	283	414	405
शाहजहांपुर	ज़िला जेल	265	292	309
सुल्तानपुर	ज़िला जेल	299	305	403
वाराणसी	ज़िला जेल	290	290	349
उत्तराखंड (1)				
हल्द्वानी	उप जेल	394	315	330
पश्चिम बंगाल (3)				
कंडी	उप जेल	394	369	477
मालदा	ज़िला जेल	326	307	298
रायगंज	ज़िला जेल	268	363	393

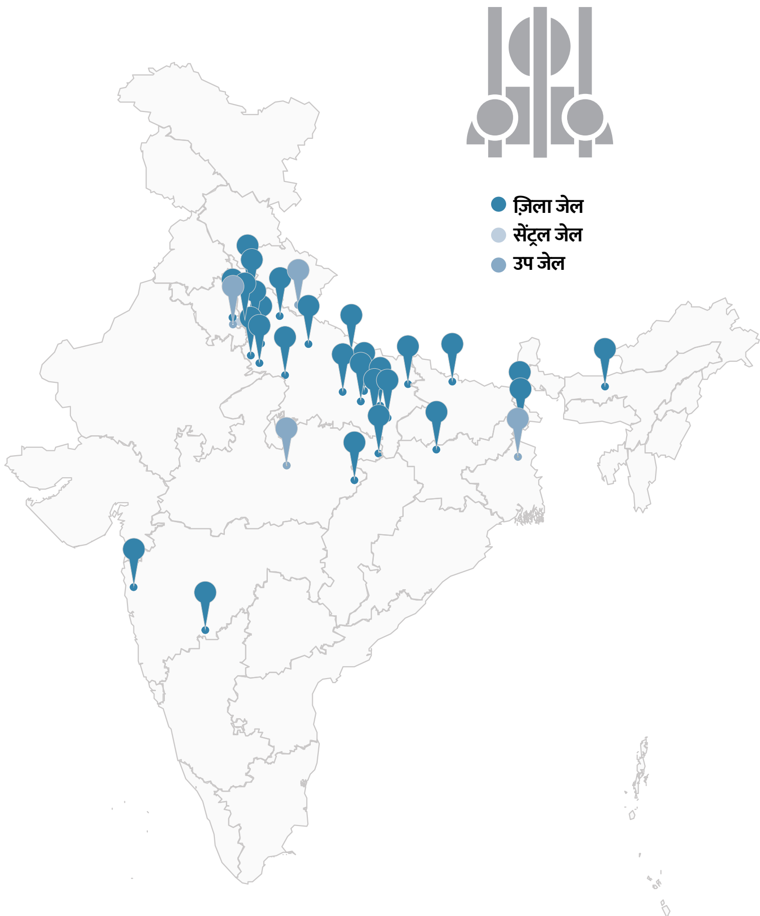

31 दिसंबर तक प्रत्येक वर्ष के आंकड़े। जेलों को राज्य के नाम के अनुसार वर्णमाला क्रम में रखा गया है।
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स ऑफ़ इंडिया

अधिक और 259 जेलों में 150% से 250% तक की ऑक्यूपेंसी दर से क़ैदी मौजूद थे।

कुछ जेलों में भीड़-भाड़ की समस्या असाधारण रूप से लगातार ऊंची दर पर बनी हुई है। जैसे, 2022 में, उत्तर प्रदेश की 77 जेलों में से 28 जेलों में ऑक्यूपेंसी दर 250% और इससे अधिक थी। वहीं, 2020 से 2022 के बीच, उत्तर प्रदेश की 20 ज़िला जेलों में लगातार 250% से ज़्यादा की ऑक्यूपेंसी दर से क़ैदी रहे। उदाहरण के तौर पर, साल 2020 में, राज्य की मुरादाबाद ज़िला जेल में 472% की दर से क़ैदी थे। इसी जेल में 2022 में क़ैदियों की मौजूदगी की दर बढ़कर लगभग 500% तक हो गई, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा थी। इसी तरह, दिल्ली की सेंट्रल जेल नंबर 1 और जेल नंबर 4, महाराष्ट्र की मुंबई सेंट्रल जेल, बिहार की जमुई ज़िला जेल और मध्य प्रदेश की मैहर और अम्बाह उप-जेलों में भी पूरे समय क्षमता से अधिक क़ैदी रहे और तीन वर्षों के बीच तो यहां क़ैदियों की संख्या लगातार बढ़ती गई।

वर्ष 2021 के बाद से, 16 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में ऑक्यूपेंसी दर बढ़ी है। सबसे ज़्यादा वृद्धि वाले राज्यों में मिज़ोरम (79% से 116%), चंडीगढ़ (80% से 107%) और हिमाचल प्रदेश (75% से 101%) शामिल हैं। दूसरी ओर, जिन राज्यों में ऑक्यूपेंसी दर घटी है, उनमें सिक्किम (167% से 149%), झारखंड (121% से 111%) और ओडिशा (99% से 83%) सबसे आगे हैं। केवल चार छोटे राज्यों - अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, मणिपुर और नगालैंड की जेलों में भीड़भाड़ की समस्या नहीं है।

2012 से 2022 के एक दशक में, जेलों की ऑक्यूपेंसी दर 112% से बढ़कर 131% हो गई। हालांकि, सालाना औसतन 18 लाख लोग[7] जेल भेजे जाते हैं, लेकिन साल के अंत के आंकड़ों को देखा जाए तो जेल की

क़ैद के विकल्प

अपराध की गंभीरता के आधार पर, जजों के पास विवेकाधिकार होता है कि जिन मुजरिमों से समाज को कम खतरा है, उन्हें जेल के बजाय दूसरी तरह की सज़ा दे सकते हैं। ऐसी सज़ाओं में मुजरिम के पुनर्वास और समाज के हित एवं सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए। अभी जेल भेजने के अलावा जो उपाय उपलब्ध हैं, उनमें शामिल हैं - जुर्माना लगाना, प्रोबेशन यानी निगरानी में रखना, सामुदायिक सेवा करवाना, पैरोल पर रिहाई, सशर्त ज़मानत पर रिहाई और घर में नज़रबंद करना।

ग़ैर-हिरासतीय उपायों संबंधी संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमावली (द यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर नॉन-कस्टोडियल मेजर्स - द टोक्यो रूल्स)[8] में कहा गया है कि जेल की सज़ा के अलावा दूसरे प्रावधान सुनवाई शुरू होने से पहले और सज़ा सुनाए जाने के दौरान अवश्य उपलब्ध होने चाहिए। इसमें दोषी मुजरिमों की शीघ्र रिहाई का प्रावधान भी शामिल होना चाहिए।

'अपराधी परिवीक्षा अधिनियम', 1958 (प्रोबेशन ऑफ़ ऑफ़ेंडर्स एक्ट, 1958)[9] में युवाओं या पहली बार अपराध करने वालों के छोटे-मोटे अपराधों पर उन्हें न्यूनतम सज़ा का प्रावधान है। यह क़ानून जज को ऐसे अपराधियों को चेतावनी देकर या अच्छा आचरण करने की शर्त पर छोड़ने का अधिकार देता है। ऐसे मामलों के फैसलों में बॉन्ड या ज़मानत भरने, जुर्माना या फिर मुआवज़े का भुगतान करने जैसी शर्तें शामिल हो सकती हैं। इनमें मुजरिम के क्षेत्र से बाहर जाने पर रोक लगाई जा सकती है या उसे कुछ समय तक निगरानी में रखा जा सकता है।

वर्ष 2023 में, 'भारतीय न्याय संहिता' में कम्युनिटी सर्विस को शामिल किया गया।[10] इससे पहले, मानक दिशा-निर्देशों के अभाव में जज कभी-कभार ही 'प्रोबेशन ऑफ़ेंडर्स एक्ट' की प्रोबेशन की शर्त के तहत मुजरिमों को कम्युनिटी सर्विस करने का आदेश देते थे। हालांकि, स्पष्ट दिशा-निर्देश के अभाव में ऐसे आदेशों का खास इस्तेमाल नहीं हुआ। यूरोपीय देशों, अमेरिका और जापान में प्रोबेशन और कम्युनिटी सर्विस का चलन आम है और इसे मुजरिमों को जेलों में रखने के मुक़ाबले सस्ता और ज़्यादा प्रभावी विकल्प माना जाता है।

भारत में, मामले की जांच और सुनवाई के दौरान जेल भेजने की जगह ज़मानत देना सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला विकल्प है। प्रचलित न्यायिक कहावत है 'जेल नहीं, ज़मानत'। इसके अलावा, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए के तहत अगर किसी विचाराधीन क़ैदी ने अपने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सज़ा का आधा समय जेल में गुज़ार लिया है तो वह ज़मानत याचिका दाखिल करने का हकदार है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अनुसार, पहली बार अपराध करने वालों के लिए इस अधिकार का विस्तार किया गया है[11] यदि ऐसे व्यक्ति ने अपने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सज़ा का एक-तिहाई समय हिरासत में गुजारा है।

7 प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया की तालिका 2.32 में हर साल जेल भेजे जाने वाले कुल क़ैदियों की संख्या दी गई है। इस लिंक पर उपलब्ध: https://ncrb.gov.in/table-contents-of-psi-reports.html?year=2022&category=
8 संकल्प A/RES/45/110, संयुक्त राष्ट्र महासभा (44 वां सत्र, 1989-1990). इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.refworld.org/legal/resolution/unga/1991/en/33347
9 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 3 और 4. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15408/1/the_probation_of_offenders_act%2C_1958.pdf
10 भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 4. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/250883_english_01042024.pdf
11 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 479. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/250884_2_english_01042024.pdf

आबादी में 49% (3.8 लाख से बढ़कर 5.7 लाख) की वृद्धि हुई है। इसी दौरान, कई राज्यों ने क़ैदियों को रखने की क्षमता बढ़ाई है। कुछ राज्य इस मामले में दूसरे राज्यों के मुक़ाबले ज़्यादा तेजी से सुधार कर रहे हैं। जैसे, इन दस वर्षों में छत्तीसगढ़ की जेलों की कुल क्षमता में 141% (5,850 से 14,143 क़ैदी) की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने भी क़ैदियों को रखने की क्षमता बढ़ाई है।

31 दिसंबर 2022 को देश की 1,330 जेलों में क़ैदियों की संख्या 5.7 लाख थी। हालांकि, साल 2022 में 18.04 लाख लोगों को जेल भेजा गया और ये कुछ समय जेल में रहकर रिहा हो गए। जेलों के प्रबंधन और इनकी क्षमता पर असल दबाव का आकलन इन अस्थायी क़ैदियों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिनके लिए रहने सहित बाक़ी इंतज़ाम पूरे साल करने पड़ते हैं।]

हालांकि , राष्ट्रीय स्तर पर एक दशक के दौरान जेलों में क़ैदियों को रखने की क्षमता में 27% की वृद्धि (3.4 लाख से 4.3 लाख) हुई, लेकिन यह वृद्धि ज़रूरत से कम है। पहले, 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जेलों में क्षमता से ज़्यादा क़ैदी थे, लेकिन 2022 में ऐसे राज्यों की संख्या बढ़कर 25 हो गई। साथ ही जेलों में भीड़भाड़ और भी ज़्यादा हो गई। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल की जेलों में ऑक्यूपेंसी दर औसतन 101% थी, जो 2022 में बढ़कर 134% हो गई। इसी तरह महाराष्ट्र में यह दर 99% से बढ़कर 161% और बिहार में 81% से बढ़कर 136% तक पहुंच गई। हालांकि छत्तीसगढ़ की जेलों में 2022 में भी भीड़भाड़ का स्तर चिंताजनक था और यहां ऑक्यूपेंसी दर 145% थी, लेकिन राज्य ने एक दशक में इस दर को 253% के स्तर से यहां तक घटाया है।

विचाराधीन क़ैदियों का अनुपात: जेलों में भीड़भाड़ मुख्य रूप से 'विचाराधीन' क़ैदियों की वजह से है या ऐसा उन क़ैदियों के कारण है जिनके मामले की जांच या सुनवाई पूरी नहीं हुई है। पिछले दशक में ऐसे क़ैदियों की संख्या लगातार बढ़ी है।

वर्ष 2012 में, कुल क़ैदियों में से 66% विचाराधीन क़ैदी थे, जो 2022 में बढ़कर 76% हो गए। 2022 में, देश की 1,330 जेलों में से 301 जेलों के सभी क़ैदी विचाराधीन थे, जबकि 609 जेलों में 75 से 99% विचाराधीन क़ैदी थे। 2021 तक, 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[12] में विचाराधीन क़ैदियों का प्रतिशत बढ़ गया, जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि मिज़ोरम (57% से 66%) में हुई। इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (59% से 67%) का स्थान रहा। इसके विपरीत, 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की जेलों में 50% से अधिक विचाराधीन क़ैदी हैं। दिल्ली की जेलों में 90% संख्या विचाराधीन क़ैदियों की है। बड़े राज्यों में, बिहार में सबसे अधिक 89% और ओडिशा में 85% विचाराधीन क़ैदी हैं। उत्तर प्रदेश में 94,000 से अधिक विचाराधीन क़ैदी हैं, जो अकेले देश के कुल विचाराधीन क़ैदियों का लगभग 22% है। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र- इन तीन राज्यों की जेलों में देश के 42% विचाराधीन क़ैदी बंद हैं। ऐसे क़ैदियों की सबसे कम संख्या तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में है, जहां क्रमशः 55% और 61% क़ैदी विचाराधीन हैं।

हिरासत की अवधि: अब विचाराधीन क़ैदी मुक़दमा शुरू होने से पहले हिरासत में औसतन ज़्यादा समय बिता रहे हैं। 2022 के अंत में, 2.6% यानी 11,448 विचाराधीन क़ैदियों ने 5 साल से अधिक समय सुनवाई शुरू होने से पहले हिरासत में बिताया। यह संख्या साल 2019 और 2012 के मुक़ाबले बहुत ज़्यादा थी जब ऐसे क़ैदियों की संख्या क्रमशः 5,011 और 2,028 थी। चिंताजनक रूप से, उत्तर प्रदेश ने इसमें अकेले लगभग 40% का योगदान दिया। उत्तर प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के लगभग 10% विचाराधीन क़ैदियों ने 3 से 5 साल जेल में बिताए। इसके विपरीत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, लद्दाख और मिज़ोरम में केवल 1-1 विचाराधीन क़ैदी ने इतना समय जेल में बिताया। चंडीगढ़, पुडुचेरी, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में कोई भी विचाराधीन क़ैदी 5 साल से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रहा।

वर्ष 2022 में, राष्ट्रीय स्तर पर 22% या लगभग हर चार में से एक विचाराधीन क़ैदी ने 1 से 3 साल जेल में गुज़ारे। गोवा में लगभग आधे विचाराधीन क़ैदियों ने 1 से 3 साल हिरासत में बिताए। विचाराधीन क़ैदियों की सबसे ज़्यादा मौजूदगी वाले बिहार में 16% क़ैदी इतना समय हिरासत में रहे। आंध्र प्रदेश में सबसे कम 6.6% क़ैदी 1-3 साल हिरासत में रहे।

एक दशक के आंकड़ों से पता चलता है कि 1 से 3 साल तक का समय जेल में बिताने वाले विचाराधीन क़ैदियों की संख्या लगभग सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बढ़ी है और राष्ट्रीय स्तर पर इसमें औसतन 4.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है जहां यह संख्या 2012 के 17% से बढ़कर 2022 में 37% हो गई। गोवा में यह 34% से बढ़कर 46% हो गई। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

12 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, लद्दाख, मिज़ोरम, पंजाब, त्रिपुरा और उत्तराखंड।

चित्र 27: विचाराधीन क़ैदियों की स्थिति

ज़्यादा विचाराधीन क़ैदी न्याय का इंतजार करते हुए अधिक समय जेल में बिता रहे हैं। 3-5 साल तक हिरासत में रहने वाले विचाराधीन क़ैदी का प्रतिशत पिछले 10 वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है, जबकि 5 साल से अधिक समय तक हिरासत में रहने वाले विचाराधीन क़ैदियों का प्रतिशत तीन गुना हो गया है।

27a. विचाराधीन क़ैदियों की हिस्सेदारी

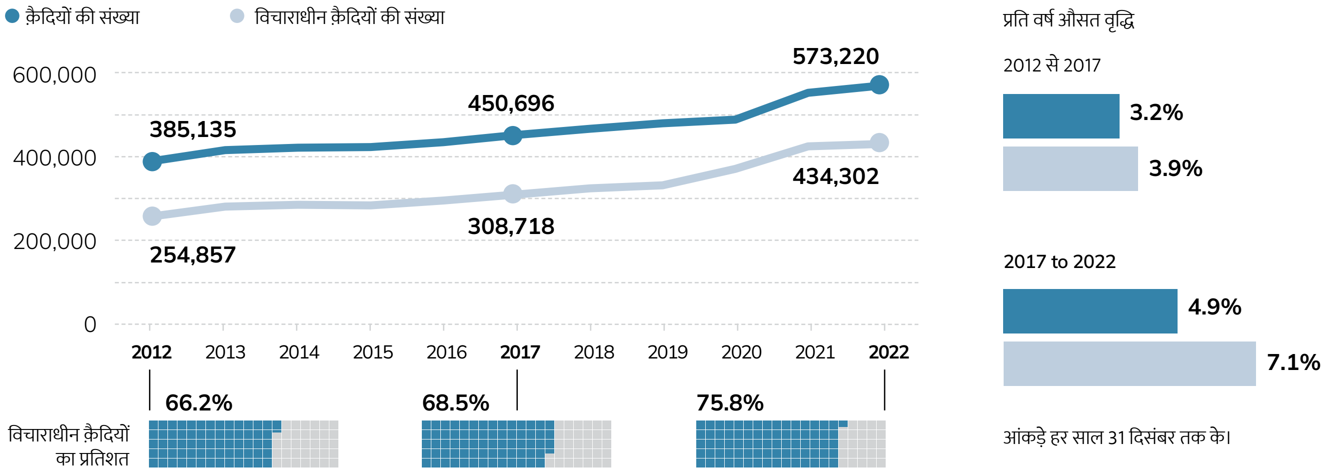

27b. विचाराधीन क़ैदियों का हिरासत में समय

विचाराधीन क़ैदियों का हिरासत के अनुसार वर्गीकरण

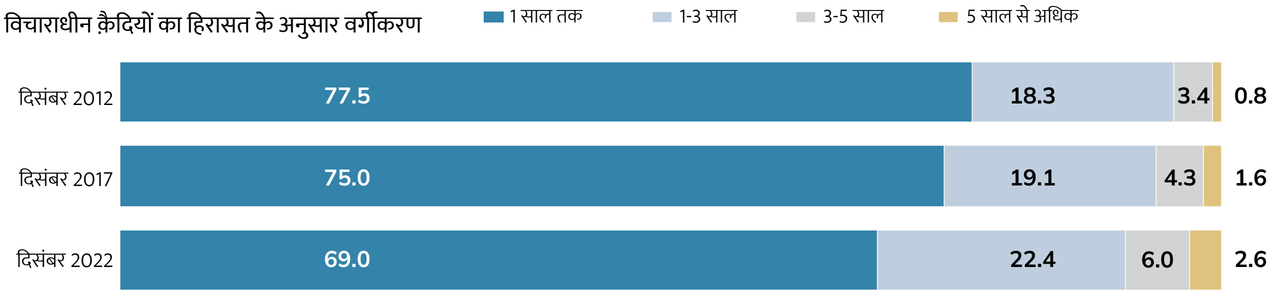

27c. 1-3 साल जेल में रहने वाले विचाराधीन क़ैदी (%), दिसंबर 2022

10% से कम

लक्षद्वीप	0.0
मिज़ोरम	6.1
आंध्र प्रदेश	6.6
त्रिपुरा	7.1
तेलंगाना	7.5
तमिलनाडु	7.6
अंडमान और निकोबार	8.1
केरल	8.6
राष्ट्रीय औसत	22.4

25% से ज़्यादा

उत्तर प्रदेश	25.2
राजस्थान	25.9
छत्तीसगढ़	26.0
महाराष्ट्र	26.1
गुजरात	26.2
मेघालय	26.3
पंजाब	26.3
हरियाणा	27.2
जम्मू और कश्मीर	29.8
सिक्किम	32.5
हिमाचल प्रदेश	36.6
दादरा, नागर हवेली एवं दमन और दीव	39.5
गोवा	46.3

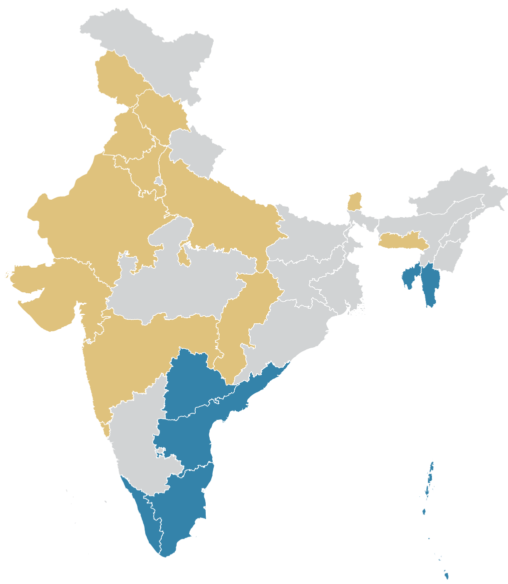

खुली जेल

खुली जेलों (ओपन जेल) को अक्सर जेलों में भीड़ कम करने वाले उपाय और एक मानवीय क़दम के रूप में देखा जाता है, जिसका मक़सद क़ैदियों का पुनर्वास करना है। यह भरोसे पर आधारित व्यवस्था है जो क़ैदियों को आत्म-अनुशासन के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे क़ैदियों को ऐसे कौशल विकसित करने का मौक़ा मिलता है जिससे वे रिहाई के बाद समाज में जीवन-यापन कर सकते हैं। 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जेलों में भीड़भाड़ की समस्या से निपटने के लिए खुली जेलें एक समाधान हो सकती हैं।[13] देश के 17 राज्यों में 91 खुली जेलें हैं, जिनमें सबसे अधिक खुली जेलें राजस्थान (41) में हैं। अपराधी ठहराए जा चुके क़ैदियों को तभी खुली जेल भेजे जाने के योग्य माना जाता है जब उन्होंने निर्धारित न्यूनतम सज़ा पूरी कर ली हो और उनका 'आचरण अच्छा' हो।[14]

वर्तमान में, दोषी करार दिए गए कुल क़ैदियों में से केवल 3% क़ैदी ही खुली जेलों में रह रहे हैं, लेकिन हर राज्य के ऐसे क़ैदियों की संख्या अलग हो सकती है। पीएसआई (PSI) 2022 के आंकड़ों के अनुसार, खुली जेलों में 6,043 क़ैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन इनमें केवल 4,439 क़ैदी हैं।[15] सिर्फ महाराष्ट्र और राजस्थान में ही देश की खली जेलों के 70% क़ैदी (3,092) हैं। शेष 1,347 क़ैदी पंद्रह राज्यों[16] की खुली जेलों में हैं। हालांकि, महाराष्ट्र की 7 खुली जेलों में क्षमता से अधिक क़ैदी हैं। इनमें से नासिक रोड खुली जेल में 50 क़ैदियों की क्षमता से 5 गुना अधिक क़ैदी हैं। राजस्थान की 41 खुली जेलों में से आधी से अधिक जेलों में क्षमता से ज़्यादा क़ैदी हैं। बाक़ी राज्यों की जेलों में क्षमता के मुक़ाबले केवल 46% क़ैदी ही रखे गए हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड में क्षमता से 20% से भी कम क़ैदी हैं।

क़ैदियों को खुली जेल में भेजने की शर्तें हर राज्य में अलग-अलग हैं। जहां केरल तीन साल की सज़ा पूरी करने के बाद क़ैदियों को खुली जेल में भेज देता है, वहीं अन्य राज्य 11 से 12 साल की सज़ा पूरी करने के बाद ही ऐसा करते हैं।[17] कई राज्य महिला क़ैदियों को खुली जेलों में नहीं भेजते हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग: हालांकि यह सुविधा 2008[18] में शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना महामारी[19] के बाद जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग तेजी से बढ़ा। 2019 में यह सुविधा 808 जेलों में उपलब्ध थी, जो 2022 में बढ़कर 1,150 जेलों तक पहुंच गई। 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[20] की सभी 100% जेलों में यह सुविधा उपलब्ध है, जबकि सात राज्यों की 70%[21] से कम जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इंतज़ाम हैं। आंध्र प्रदेश की 106 जेलों में से 70%, जबकि नगालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर की केवल 40% जेलों में यह सुविधा है। न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मॉडल नियमों[22] के मुताबिक़, न्यायिक कार्यवाही के सभी चरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, इसका अब भी सीमित इस्तेमाल होता है, प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया' के नए आंकड़ों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग को रिमांड, मुक़दमे की सुनवाई और 'अन्य' श्रेणी में अलग-अलग दिखाया गया है। वर्ष 2021 के आंकड़ों से पता चलता है कि 1,322 जेलों में से 607 जेलों में रिमांड और मुक़दमे की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग हुआ; 37 जेलों ने केवल मुक़दमे की सुनवाई के लिए और 242 जेलों ने केवल रिमांड के लिए इसका इस्तेमाल किया। 8 जेलों ने इसका इस्तेमाल 'अन्य' उद्देश्यों, जैसे कि संभवतः परिवार के सदस्यों और वकीलों के साथ मुलाक़ातों के लिए किया।[23]

मानव संसाधन और कार्यभार

वर्ष 2022 में, अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जेलों के हरेक 4 में से 1 पद ख़ाली थे। कुल मिलाकर, 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर जहां जेल स्टाफ़ के 28% पद ख़ाली थे, जो 2022 में बढ़कर 30% हो गए। 2012 से 2022 के बीच, कुल स्टाफ़ वैकेंसी 30% से 40% के बीच बनी रही। 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ख़ाली पदों में

13 सुहास चकमा बनाम भारतीय संघ और अन्य [रिट याचिका (सिविल) संख्या- 1082/2020] में आदेश दिनांक 9 मई 2024. इस लिंक पर उपलब्ध: https://api.sci.gov.in/supremecourt/2020/19935/19935_2020_3_123_52991_Order_09-May-2024.pdf
14 गृह मंत्रालय, भारत सरकार, मॉडल जेल मैनुअल, 2016, अध्याय XXIII. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PrisonManual2016.pdf
15 प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, तालिका 1.9. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/1701948317Table19-2022.pdf
16 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
7 "आर ओपन प्रिज़न्स पोटेंशियली रेहाबिलिटेटिव?", द वायर, 26 मई 2024. इस लिंक पर उपलब्ध: https://thewire.in/rights/are-open-prisons-potentially-rehabilitative
18 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('CrPC') की धारा 167(2)(b) में 2008 में संशोधन कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान लाया गया था। इस धारा के मुताबिक़, कोई भी मजिस्ट्रेट किसी आरोपी को पहली बार व्यक्तिगत रूप से अपने समक्ष पेश किए जाने के बाद ही पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति देगा। इसके बाद जब तक आरोपी पुलिस की हिरासत में रहेगा, उसे हर बार व्यक्तिगत रूप से पेश किया जाएगा। हालांकि, मजिस्ट्रेट आरोपी की न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा सकता है, बशर्ते आरोपी को व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंक के माध्यम से पेश किया जाए।
19 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 20 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस बीमारी के विस्फोट को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) घोषित किया था। यह प्रकोप 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित किया गया। 5 मई 2023 को, WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के समाप्त होने की घोषणा की। 'डब्ल्यूएचओ चीफ़ डिक्लेअर्स टू कोविड ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी', यूएन न्यूज़, 5 मई 2023। इस लिंक पर उपलब्ध : https://news.un.org/en/story/2023/05/1136367
20 अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
21 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिज़ोरम, नगालैंड और राजस्थान।
22 भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ई-कमेटी, अदालतों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आदर्श नियम, नियम संख्या 3(i). इस लिंक पर उपलब्ध: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s388ef51f0bf911e452e8dbb1d807a81ab/uploads/2020/08/2020082629.pdf
23 प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, अतिरिक्त तालिका संख्या- 58- परपज़-वाइज वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी इन जेल्स। इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.ncrb.gov.in/additional-table-of-psi-reports.html

क़ैदियों के लिए ई-मुलाक़ात की सुविधा

क़ैदियों को अपने परिजनों और वकीलों से बार-बार मुलाक़ात का मौक़ा देकर पुनर्वास के उद्देश्य को अच्छी तरह से हासिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने '1382 जेलों में अमानवीय स्थिति बनाम असम राज्य'[24] के मामले में 'द नेल्सन मंडेला रूल्स' के नियम 58 का हवाला देते हुए जोर दिया है कि '..... क़ैदियों को नियमित अंतराल पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ बात-चीत करने की इजाज़त दी जानी चाहिए और उन्हें अपनी पसंद के वकील से बातचीत और मशवरा करने की इजाज़त भी दी जानी चाहिए।'

कोरोना महामारी के दौरान कड़े प्रतिबंध लगाए जाने पर क़ैदियों की परिजनों और वकीलों से मुलाक़ात करवाने के लिए ई-मुलाक़ात जैसे डिजिटल उपायों के उपयोग को बढ़ावा मिला। हालांकि, अब भी इसका और व्यापक उपयोग संभव है।[25] जनवरी-दिसंबर 2022 के बीच ओडिशा (43%) में इस सुविधा का सबसे अधिक उपयोग हुआ। इसके बाद हिमाचल प्रदेश (42%) का स्थान रहा। हालांकि, कुल मुलाक़ातों में से केवल 7% मुलाक़ात ऑनलाइन माध्यम से कराई गई। संख्यात्मक रूप से, दिल्ली (80,809) ने सबसे अधिक ऑनलाइन मुलाक़ातें दर्ज कीं, इसके बाद बिहार (76,589) और राजस्थान (70,350) का स्थान रहा। 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने डिजिटल माध्यमों से कोई मुलाक़ात दर्ज नहीं की और 2023 के आंकड़ों में तो और गिरावट देखी गई। ऑनलाइन मुलाक़ातों की संख्या सबसे ज़्यादा झारखंड में कम हुई यहां 2022 में 6,000 मुलाक़ातें ऑनलाइन हुई थीं जो 2023 में केवल 1,372 रह गईं। दूसरी ओर, महाराष्ट्र ने ई-मुलाक़ातों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, जो 154 से बढ़कर 15,579 हो गईं।

मानव संसाधन
ऑफ़िसर, वैकेंसी (%, दिसंबर 2022)
काडर स्टाफ़, वैकेंसी (%, दिसंबर 2022)
करेक्शनल स्टाफ़, वैकेंसी (%, दिसंबर 2022)
मेडिकल स्टाफ़, वैकेंसी (%, दिसंबर 2022)
मेडिकल ऑफ़िसर, वैकेंसी (%, दिसंबर 2022)
कार्मिक प्रशिक्षण (%, 2022)

कार्यभार
क़ैदी प्रति ऑफ़िसर (संख्या, दिसंबर 2022)
क़ैदी प्रति काडर स्टाफ़ (संख्या, दिसंबर 2022)
क़ैदी प्रति करेक्शनल ऑफ़िसर (संख्या, दिसंबर 2022)
क़ैदी प्रति मेडिकल ऑफ़िसर (संख्या, दिसंबर 2022)
महिला क़ैदी प्रति महिला डॉक्टर (संख्या, दिसंबर 2022) नया

बढ़ोत्तरी हुई, जिसमें गोवा, असम और सिक्किम सबसे आगे रहे।[26] झारखंड में लगातार 60% से अधिक पद ख़ाली रहे हैं और 2022 में यह राज्य 63% ख़ाली पदों के साथ सबसे ऊपर रहा। वहीं, बिहार में 2012 में 80% पद ख़ाली थे और 2022 में राज्य इसे घटाकर 49% पर ले आया। तमिलनाडु ने भी अपने रिक्त पदों का प्रतिशत 17% से घटाकर 11% कर लिया।

वर्ष 2022 में 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[27] में जेल अधिकारियों के 40% से अधिक पद ख़ाली रहे। अधिकारियों की वैकेंसी के मामले में उत्तराखंड 69% रिक्तियों के साथ सबसे आगे रहा। पिछले दशक में उत्तराखंड में जेल अधिकारियों के लगातार 65% से अधिक पद ख़ाली रहे हैं। वहीं, केरल में भी क़ैदियों की संख्या उत्तराखंड के बराबर है, लेकिन यहां जेल अधिकारियों की वैकेंसी 20% से कम रही है।

कैडर स्टाफ़ यानी कि जेल में सीधे क़ैदियों के संपर्क में रहकर रोजाना काम करने वाले वार्डर और जेल गार्ड जैसे कर्मचारियों की वैकेंसी भी पिछले दशक में राष्ट्रीय स्तर पर 28% के आसपास बनी रही। 2022 में, झारखंड में इनके 65% से अधिक पद ख़ाली रहे। केवल तमिलनाडु (7%) और अरुणाचल प्रदेश (2%) में ही वैकेंसी 10% से कम रही। 'मॉडल जेल मैनुअल 2016' में क़ैदी-कैडर स्टाफ़ का अनुपात 1:6 निर्धारित है।[28] हालांकि, राज्यों में वास्तविक स्थिति इससे काफ़ी अलग है। जैसे, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा और हिमाचल 1:6 के अनुपात को पूरा करते हैं। लेकिन बिहार (1:19), असम (1:23) और झारखंड (1:26) का अनुपात सबसे ख़राब है।

करेक्शनल स्टाफ़: यह नीतिगत लक्ष्य है कि जेल की क़ैद की

24 रिट याचिका (सिविल) संख्या- 406/2013
25 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक ई-प्रिज़न्स से लिए गए आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: https://eprisons.nic.in/NPIP/public/ePrisonsLiveVisitorsStatus
26 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल।
27 छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड।
28 गृह मंत्रालय, भारत सरकार, मॉडल जेल मैनुअल, 2016, अध्याय IV. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PrisonManual2016.pdf

उत्तराखंड जेल कर्मचारियों की कमी से जुड़ी जटिल समस्याओं का उदाहरण पेश करता है। पिछले दशक (2012-2022) में राज्य की 11 जेलों में क़ैदी 3,535 से बढ़कर लगभग दोगुने 6,858 हो गए। यहां की जेलों में क्षमता से 183% ज़्यादा क़ैदी हैं। जेल कर्मचारियों की कुल वैकेंसी की दर 60% से नीचे आई, लेकिन यह अभी भी 44% पर बनी हुई है। जेल में डॉक्टरों के केवल 10 स्वीकृत पद ही हैं और इसमें भी 90% से 100% पद ख़ाली रहते हैं। राज्य की जेलों में एक भी महिला डॉक्टर तैनात नहीं है। डॉक्टरों समेत कुल मेडिकल स्टाफ़ की बात करें तो उनके 60% से ज़्यादा पद ख़ाली रहे हैं और 2022 में ये पद 68% तक रिक्त रहे।]

अवधारणा को बदला लेने की कार्रवाई के बजाए क़ैदियों के पुनर्वास और उन्हें समाज में फिर से शामिल करने पर केंद्रित किया जाए। इसमें करेक्शनल स्टाफ़, जिनमें प्रोबेशन ऑफ़िसर, सामाजिक कार्यकर्ता और मनोवैज्ञानिक आदि होते हैं, की काफ़ी अहम भूमिका होती है। इसके बावजूद पिछले दशक में या तो करेक्शनल स्टाफ़ के पद सृजित ही नहीं किए गए या इनकी भारी कमी और इन पर काम के बहुत ज़्यादा बोझ ने क़ैदियों के पुनर्वास के प्रयासों को बेअसर कर दिया है। इन दस वर्षों

वर्ष 2022 में, 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करेक्शनल स्टाफ़[29] के स्वीकृत पद ही नहीं थे। अधिकांश राज्यों ने इनके 20% से 100% तक रिक्त होने की सूचना दी। कुछ राज्यों, जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब ने करेक्शनल स्टाफ़ के पद घटा दिए और इसके बाद भी वे इसे भरने में असफल रहे।

के दौरान करेक्शनल ऑफ़िसर्स के 45% पद ख़ाली रहे। 'मॉडल जेल मैनुअल 2016' के अनुसार 200 क़ैदियों पर 1 करेक्शनल स्टाफ़ होना चाहिए। 2022 में, राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात तीन गुना से भी ज़्यादा, 699 क़ैदियों पर 1 अधिकारी का था। इस मानदंड को पूरा करने के लिए देश भर में 2,866 करेक्शनल ऑफ़िसर्स की ज़रूरत है, लेकिन असलियत में ये केवल 820 ही हैं।

चिकित्सा कर्मचारी: पिछले दशक में देश भर की जेलों में चिकित्सा कर्मचारियों, जैसे डॉक्टर, लैब तकनीशियन या फार्मासिस्ट, की भारी कमी रही है।

क़ैदियों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल

जेल की सज़ा काटते हुए मानसिक तनाव होना स्वाभाविक है। जेल में स्थितियां ख़राब हो तो यह और भी बढ़ जाता है। 'मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017' के अनुसार, जेलों के सभी मेडिकल ऑफ़िसर्स को बुनियादी और इमरजेंसी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की अनिवार्य ट्रेनिंग देना ज़रूरी है।[30] इस क़ानून के अनुसार, हर राज्य के कम-से-कम एक जेल की मेडिकल विंग में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र होना अनिवार्य है।[31] हालांकि मानसिक तनाव और पहले से मौजूद मानसिक रोगों का बढ़ना लगभग निश्चित है, फिर भी इससे निपटने की क्षमता काफ़ी हद तक अपर्याप्त बनी हुई है। कोई भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश 'मॉडल जेल मैनुअल, 2016' के उस मानदंड को पूरा नहीं करता है जिसके अनुसार 500 क़ैदियों पर एक मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक होना चाहिए।

वर्ष 2022 के अंत तक, भारत की 1330 जेलों में मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों के स्वीकृत पद केवल 69 थे और इनमें से सिर्फ़ 25 पद पर ही नियुक्तियां की गई थीं अर्थात प्रति 22,929 क़ैदियों के लिए केवल एक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक उपलब्ध थे। हालांकि, इस भारी कमी से जूझ रहा जेल प्रशासन अक्सर ज़िला स्वास्थ्य अधिकारियों से मदद लेता है ताकि विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं ज़्यादा-से-ज़्यादा उपलब्ध कराई जा सकें। लेकिन 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के करेक्शनल स्टाफ़ में एक भी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक नहीं है और जिन 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने ऐसा किया, उनमें से भी 4 के पास मनोवैज्ञानिक नहीं हैं। तमिलनाडु की 142 जेलों में 18,059 क़ैदी हैं। इन क़ैदियों के लिए मनोवैज्ञानिकों के 15 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 11 मनोवैज्ञानिक ही तैनात हैं। प्रति 1,638 क़ैदियों पर एक मनोवैज्ञानिक के औसत के साथ, तमिलनाडु का अनुपात अब भी देश में सबसे अच्छा है। हालांकि, यहां भी मनोवैज्ञानिक की सुविधा केवल केंद्रीय जेलों में ही उपलब्ध है। महाराष्ट्र की 64 जेलों के लिए मनोवैज्ञानिकों के 8 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वहां भी केवल 2 मनोवैज्ञानिक हैं। इस बीच, मानसिक रोगों से पीड़ित क़ैदियों की संख्या 2012 में 4,470 थी जो 2017 में बढ़कर 6,522 और 2022 में 9,084 हो गई।

29 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिज़ोरम, पुडुचेरी, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

30 मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 की धारा 31 (2) के मुताबिक़, 'उपयुक्त सरकार, कम से कम, सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात सभी चिकित्सा अधिकारियों और सभी कारागृहों या जेलों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों को बुनियादी और आपातकालीन मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करेगी।'

31 मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 की धारा 103 (6) के मुताबिक़, 'उपयुक्त सरकार प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के कम-से-कम एक जेल की मेडिकल विंग में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगी और मानसिक रोगों से ग्रस्त क़ैदियों को आमतौर पर इसी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाएगा और वहां उनकी देखभाल की जाएगी।'

2012 से 2022 के बीच, जेलों के लिए डॉक्टरों के स्वीकृत पद 1,052 से बढ़कर 1,290 हुए लेकिन असल में उपलब्ध डॉक्टर की संख्या 618 से बढ़कर 740 ही हुई। डॉक्टरों के लगभग 41% पद ख़ाली रहे। ऐसा कई राज्यों द्वारा अपनी जेलों में डॉक्टरों के स्वीकृत पद घटाने के बावजूद हुआ। इससे गुजरात में ये संख्या 39 से घटकर 33, आंध्र प्रदेश में 38 से 22, हरियाणा में 38 से 36 और हिमाचल में 5 से 4 हो गई। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड - जैसे राज्यों में इनके स्वीकृत पद बढ़े, लेकिन वहां इन पदों को भरना मुश्किल साबित हुआ। पिछले दशक में हुए विभाजन की वजह से आंध्र प्रदेश को छोड़कर लगभग सभी जगहों पर जेलों में क़ैदियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी।

'मॉडल जेल मैनुअल' के अनुसार 300 क़ैदियों के लिए 1 डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन 2022 में राष्ट्रीय औसत दरअसल 775 क़ैदियों के लिए 1 डॉक्टर का था। दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय ही इस औसत को हासिल कर सके और लगभग अन्य सभी राज्य ऐसा करने में असफल रहे। छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में 1000 से अधिक क़ैदियों के लिए केवल 1 डॉक्टर उपलब्ध था।

'मॉडल जेल मैनुअल'[32] के अनुसार, 'महिला क़ैदियों के चेकअप या इलाज के लिए महिला डॉक्टर उपलब्ध होना अनिवार्य है।' इस नीतिगत अनिवार्यता को अभी भी हासिल नहीं किया जा सका है। वर्ष 2022 में 87,000 महिलाओं को जेल भेजा गया और उन्होंने कुछ समय क़ैद में बिताया लेकिन इस वर्ष देश भर की जेलों में कार्यरत महिला डॉक्टरों की संख्या केवल 84 थी। बिहार की 58 जेलों में 2,938 महिला क़ैदी थीं जिनके लिए 27 महिला डॉक्टर उपलब्ध थीं। यह किसी राज्य की जेलों में तैनात सबसे ज़्यादा महिला डॉक्टरों की संख्या है। 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जेलों में एक भी महिला डॉक्टर नहीं थी; पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में केवल 1 महिला डॉक्टर थी तो उत्तर प्रदेश में 2; केरल, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में 5 या उससे कम महिला डॉक्टर तैनात थीं। केवल आंध्र प्रदेश (10) और बिहार (27) में ही महिला डॉक्टरों की उपलब्धता दोहरे अंकों में रही।

विविधता

जेल स्टाफ़ में महिलाएं (%, दिसंबर 2022)

पिछले दशक में महिला क़ैदियों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई है, जबकि महिला स्टाफ़ की संख्या 8% से बढ़कर मात्र 13% हो सकी है। 2022 में, संख्यात्मक रूप से देखें तो महिला स्टाफ़ की कुल संख्या 8,881 से घटकर 8,674 रह गई। 90% महिला कर्मचारी ग़ैर-राजपत्रित स्तर की हैं। एक दशक पहले, जेल अधिकारियों में महिलाओं की भागीदारी 5% थीं और 2022 में वे 10% तक पहुंच सकीं।

18 राज्यों के जेल कर्मचारियों में 10% से अधिक महिलाएं हैं।[33] बिहार, नगालैंड और सिक्किम - इन सभी में महिला कर्मचारी 20% से अधिक है। मिज़ोरम में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत 25% से बढ़कर 34.5% हो गया और केवल यही राज्य 33% महिला कर्मचारी के मानदंड को पूरा कर सका। कर्नाटक इस मानदंड से थोड़ा नीचे लगभग 32.9% पर है। 20 राज्यों में अभी भी महिला कर्मचारी 10% से कम हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब में महिला कर्मचारियों की संख्या में मामूली वृद्धि के बावजूद उनकी भागीदारी 10 प्रतिशत से नीचे ही रही। चंडीगढ़, गोवा, हरियाणा, त्रिपुरा और उत्तराखंड में यह लगातार 5% से नीचे बनी हुई है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया' रिपोर्ट जेलों में बंद लोगों का विवरण जाति, धर्म और जनजाति के आधार पर देती है, लेकिन जेल स्टाफ़ को इन सामाजिक समूहों में विभाजित नहीं करती। अक्टूबर 2024 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जेल मैनुअल के भेदभावकारी प्रावधानों और प्रथाओं को ख़त्म करने का आदेश दिया। इस फ़ैसले में कहा गया है, 'इन मैनुअल्स/नियमों में मोटे तौर पर कुछ शब्दावलियों का इस्तेमाल है, जो इन्हें अप्रत्यक्ष तौर पर भेदभावकारी बनाता है और हाशिए पर रहने वाली जातियों को नुक़सान पहुंचाता है।'[34] फरवरी 2024 में, गृह मंत्रालय ने अपनी एडवाइज़री[35] में कहा, 'मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ राज्यों के जेल मैनुअल में क़ैदियों का जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा होता है और उन्हें जेलों में इसी

32 भारत सरकार, मॉडल जेल मैनुअल, 2016; मॉडल जेल मैनुअल, अध्याय 26, नियम 26.25, पृष्ठ 243। इस मैनुअल में महिला चिकित्सकों को 'लेडी डॉक्टर' कहा गया है और ज़िला सरकारी अस्पतालों की महिला डॉक्टरों का जेलों में अंशकालिक नियुक्ति का प्रावधान है। हालांकि, पीएसआई (PSI) के डेटा में पूर्णकालिक, अंशकालिक और संविदा पर तैनात चिकित्सा कर्मियों के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PrisonManual2016.pdf

33 असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम।

34 सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन रूल्स परपेचुएटिंग कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिज़न्स, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, 25 अक्टूबर 2024. इस लिंक पर उपलब्ध: www.scobserver.in/journal/supreme-court-strikes-down-rules-perpetuating-caste-based-segregation-and-discrimination-in-prison-judgement-summary/

35 भारत सरकार, गृह मंत्रालय, एडवाइज़री संख्या: V-17014/1 /2024-PR. इस लिंक पर उपलब्ध: https://origin1504-mha.nic.in/sites/default/files/2024-09/AdvisoryDiscriminationPrisoners_05092024.pdf

चित्र 28: मानकों का पूरा होना: काडर स्टाफ़ और मेडिकल ऑफ़िसर्स

मॉडल जेल मैनुअल, 2016 का उद्देश्य जेलों के प्रशासन और क़ैदियों के प्रबंधन में एकरूपता लाना है। अधिकांश राज्यों ने निर्धारित मानकों को पूरा करने में कमी की है। बड़े राज्यों में, केवल आंध्र प्रदेश चिकित्सा अधिकारियों के लिए निर्धारित मानक को पूरा करने के क़रीब है।

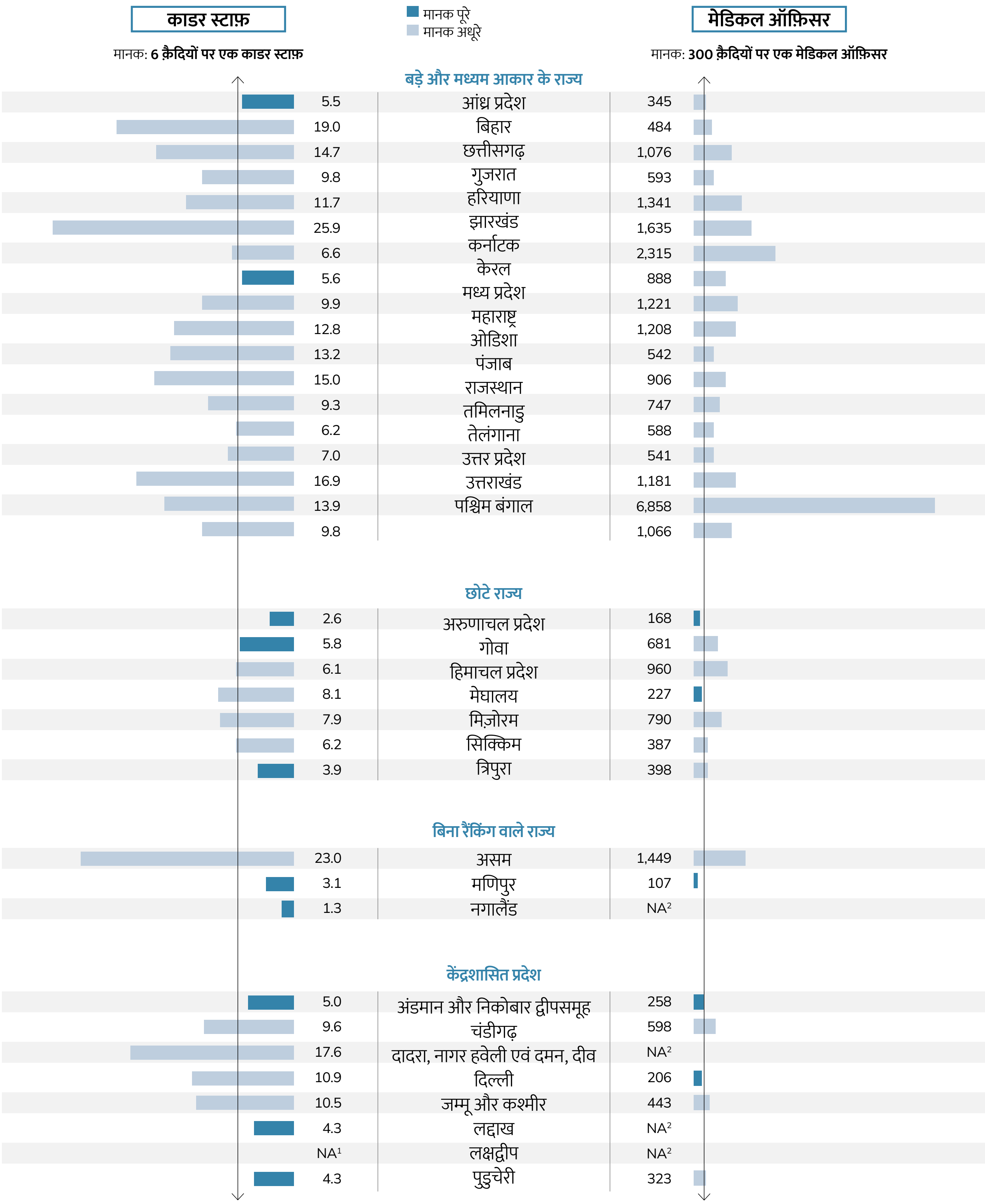

1. PSI में नियुक्त काडर स्टाफ़ 0 दर्शाया गया है। 2. PSI में चिकित्सा अधिकारी 0 दर्शाए गए हैं।
नोट: राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को समूहों में वर्णमाला के अनुसार रखा गया है।
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स ऑफ़ इंडिया

जेलों का निरीक्षण और निगरानी

चूंकि जेलें स्वाभाविक रूप से बंद संस्थाएं हैं, इसलिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और चिकित्सा संस्थानों द्वारा विभिन्न प्रकार से उनका निरीक्षण किया जाता है। 'मॉडल जेल मैनुअल 2016' के अनुसार, जेलों के निरीक्षण को अनौपचारिक और औपचारिक दो श्रेणियों में बांटा गया है। अनौपचारिक निरीक्षण समय-समय पर जेल विभाग के डीआईजी (जेल) रैंक के अधिकारियों द्वारा किया जाता है और औपचारिक निरीक्षण राज्य सरकार द्वारा नामित जांच अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इनका उद्देश्य जेलों की हालत, साफ़-सफ़ाई और दवा एवं इलाज की व्यवस्था की समीक्षा करना होता है।[36] हालांकि, प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया' ने जेल के निरीक्षणों[37] को मेडिकल, एग्जीक्यूटिव, जुडिशल, विज़िटर्स बोर्ड और अन्य की श्रेणी में बांटा है।

इसके अलावा, डिस्ट्रिक्ट और सब-डिविजनल जेलों (ज़िला कारा और उप कारा) का दौरा और निरीक्षण उनके अपने विज़िटर्स बोर्ड द्वारा किए जाने का प्रावधान है।[38] इस बोर्ड की संरचना इस बात पर निर्भर करती है कि किसी राज्य ने 'मॉडल जेल मैनुअल' को अपनाया है या वह अपने पुराने जेल अधिनियम का अनुपालन कर रहा है। सभी विज़िटर्स बोर्ड में सरकारी और ग़ैर-सरकारी सदस्य शामिल होते हैं। 'मॉडल जेल मैनुअल 2016' के अनुसार, बोर्ड के सरकारी सदस्यों में ज़िला और सब-डिविजनल स्तर के प्रशासक शामिल होते हैं। जैसे- ज़िला न्यायाधीश, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ज़िला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लोक निर्माण विभाग के एक सदस्य, ज़िला शिक्षा पदाधिकारी, समाज कल्याण पदाधिकारी और ज़िला नियोजन पदाधिकारी। विज़िटर्स बोर्ड के ग़ैर-सरकारी सदस्यों में 3 विधायक (जिनमें से एक महिला होनी चाहिए), राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा नामांकित एक व्यक्ति, दो सामाजिक कार्यकर्ता (जिनमें से एक महिला होनी चाहिए)[39] शामिल होते हैं। जबकि स्टेट प्रिज़न एक्ट/मैनुअल के मुताबिक़ ग़ैर-सरकारी सदस्यों में शिक्षाविद और सिविल सोसाइटी के सदस्य जैसे स्थानीय प्रतिष्ठित नागरिक शामिल हो सकते हैं।

आदर्श रूप से, विज़िटर्स बोर्ड की हर तीन महीने में कम-से-कम एक बैठक होनी चाहिए और इसे हर तीन महीने में हर जेल का कम-से-कम एक बार दौरा करना चाहिए।[40] मासिक रोस्टर तैयार कर ग़ैर-सरकारी सदस्यों को महीने में कम-से-कम एक बार जेल का दौरा करना चाहिए और 'संभव हो तो एक से अधिक दौरे करने चाहिए'।[41]

'प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया' में हर राज्य में प्रत्येक वर्ष किए गए कुल दौरों[42] की संख्या उपलब्ध है, लेकिन इसमें हर ज़िले या हर जेल के स्तर पर अलग रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। फिर भी, इसके आंकड़ों से निराशाजनक तस्वीर सामने आती है। हर तीन महीने में एक अनिवार्य दौरे के हिसाब से, भारत के 775 ज़िलों में हर वर्ष कम-से-कम 3,100 दौरे किए जाने चाहिए। लेकिन केवल 899 दौरे किए गए। 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों के 590 ज़िलों में 2,360 दौरे होने चाहिए, लेकिन इनमें केवल 34% यानी 793 दौरे ही किए गए। केवल ओडिशा ने न्यूनतम मानक से अधिक (138%) दौरे किए, जबकि 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जेलों का एक भी दौरा नहीं किया गया।

आधार पर काम भी बांटा जा रहा है।' इसी एडवाइज़री में मंत्रालय ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि 'जेल मैनुअल/प्रिज़न एक्ट में ऐसे जातिगत भेदभाव के प्रावधान न हों और अगर हैं तो मैनुअल/एक्ट से किसी भी ऐसे नियम को तुरंत संशोधित या हटाने के लिए क़दम उठाए जाने चाहिए। साथ ही यह भी दोहराया था कि जेलों में जाति के आधार पर कामों या ज़िम्मेदारियों का बंटवारा नहीं होना चाहिए।

बजट

प्रति क़ैदी ख़र्च (रु, 2022-23)

जेल बजट का उपयोग (%, 2022-23)

पिछले एक दशक में, देश भर की जेलों का बजट 3,275 करोड़ रुपए से बढ़कर 8,725 करोड़ रुपए हो गया है। यह 166% की बढ़ोतरी है। वर्ष 2022-23 में, पूरे देश की जेलों का बजट 7,619.2 करोड़ से बढ़कर 8,725 करोड़ हो गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.5% की वृद्धि है। आठ राज्यों को छोड़ सभी राज्यों ने जेलों के बजट में बढ़ोतरी की।[43] उत्तराखंड का बजट 4.6 करोड़ रुपए से बढ़कर 73.7 करोड़ रुपए हो गया, जो 1502% की वृद्धि दर्शाता है।

आवंटित बजट के इस्तेमाल की बात की जाए तो, 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी जेलों के बजट का 90% से अधिक का उपयोग किया। 6 राज्यों ने अपने सौ फ़ीसदी जेल बजट का इस्तेमाल

36 भारत सरकार, मॉडल जेल मैनुअल, 2016; मॉडल जेल मैनुअल का अध्याय संख्या- 28, पृष्ठ - 270. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PrisonManual2016.pdf
37 प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, अतिरिक्त तालिका संख्या 23. इस लिंक पर उपलब्ध: https://ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/1702033303AdditionalTable23-2022.pdf
38 भारत सरकार, मॉडल जेल मैनुअल, 2016; मॉडल जेल मैनुअल का अध्याय 29. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PrisonManual2016.pdf
39 उपरोक्त।
40 उपरोक्त।
41 भारत सरकार, मॉडल जेल मैनुअल, 2016; मॉडल जेल मैनुअल का अध्याय 29, नियम 29.10. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PrisonManual2016.pdf
42 प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, अतिरिक्त तालिका संख्या- 23. इस लिंक पर उपलब्ध: https://ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/1702033303AdditionalTable23-2022.pdf
43 दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, गुजरात, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, मिज़ोरम और पंजाब।

चित्र 29: एक दशक में भारतीय जेलें

2012 2022

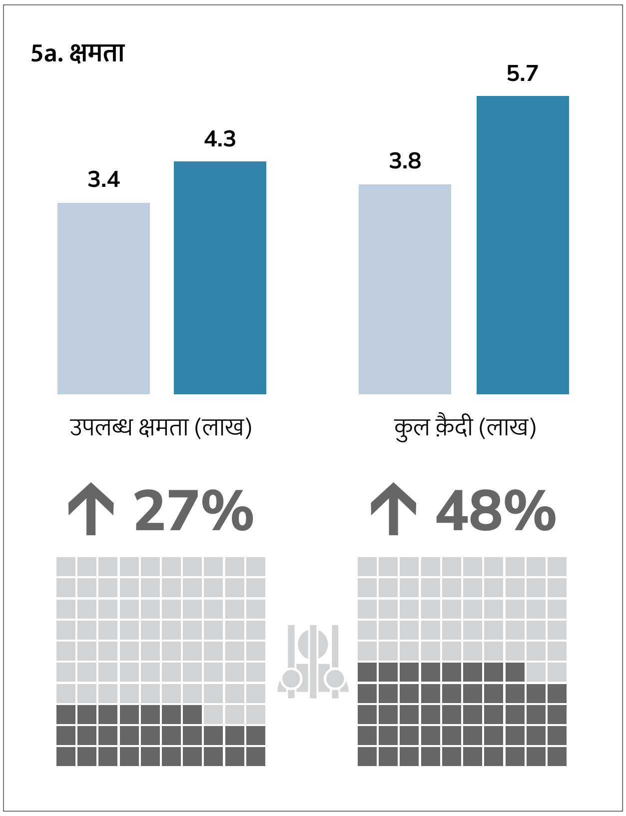

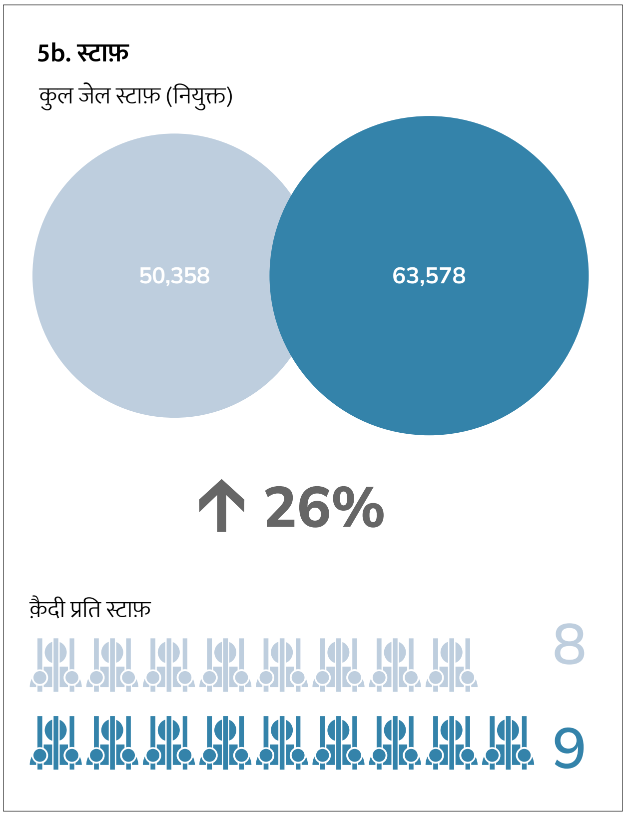

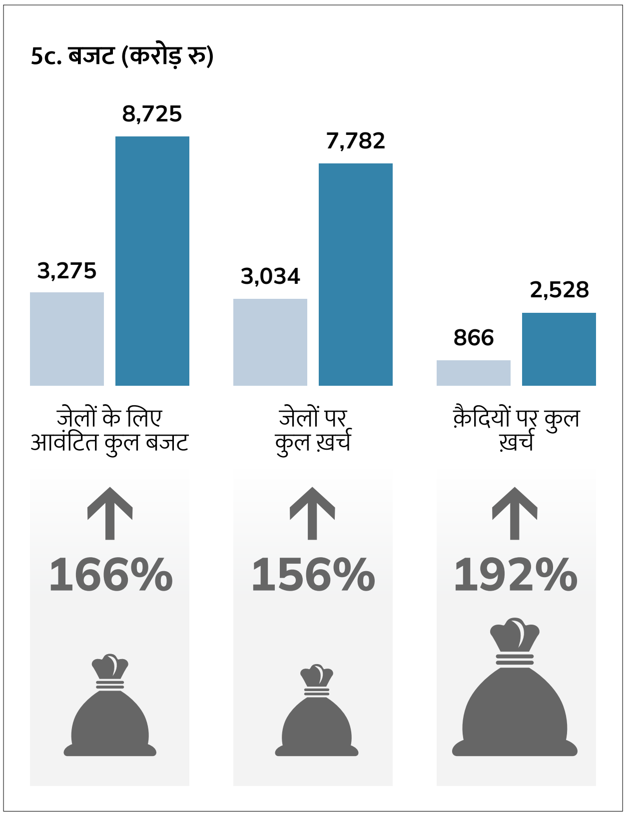

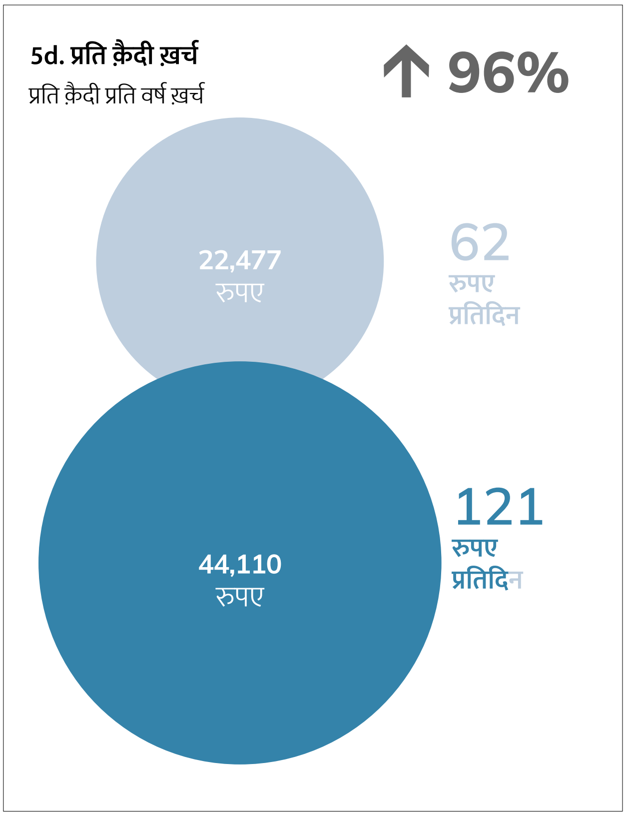

चित्र 30: प्रति क़ैदी रोज़ाना ख़र्च

प्रति क़ैदी दैनिक ख़र्च में राज्यों के बीच बड़ी असमानता है, जिसमें आंध्र प्रदेश प्रति क़ैदी 733 रुपए ख़र्च करता है, जबकि महाराष्ट्र केवल 47 रुपए ख़र्च करता है।

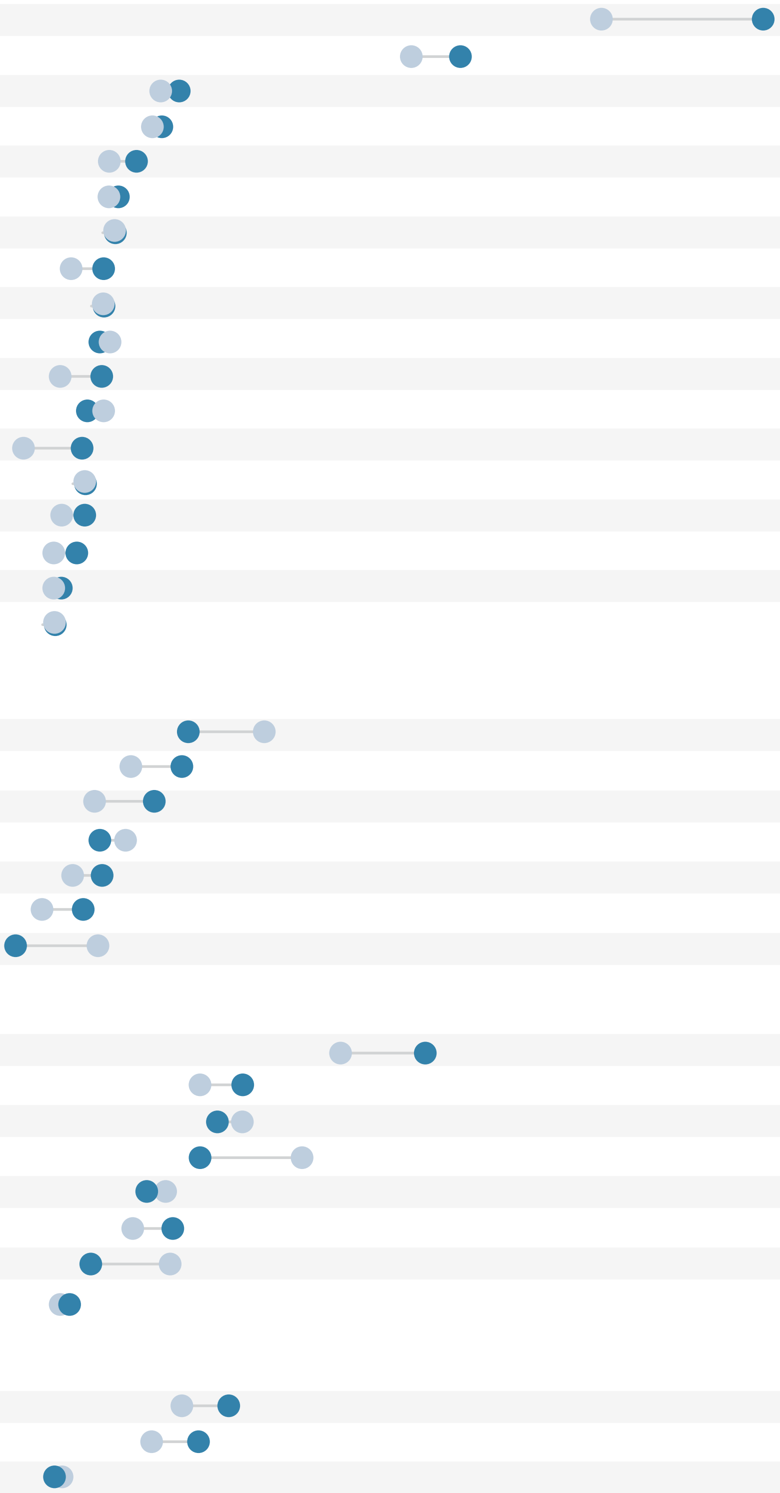

खाने, दवा, शिक्षा, प्रशिक्षण पर प्रति क़ैदी प्रति दिन का ख़र्च

	IJR 3 (2021-22)	IJR 4 (2022-23)
बड़े और मध्यम आकार के राज्य		
आंध्र प्रदेश	579	733
हरियाणा	397	437
केरल	159	149
झारखंड	140	145
तमिलनाडु	103	125
छत्तीसगढ़	100	105
कर्नाटका	105	104
ओडिशा	62	99
बिहार	92	94
तेलंगाना	99	91
उत्तर प्रदेश	51	91
पश्चिम बंगाल	95	81
उत्तराखंड	17	77
मध्य प्रदेश	77	76
गुजरात	57	70
राजस्थान	49	65
पंजाब	47	49
महाराष्ट्र	47	47
छोटे राज्य		
अरुणाचल प्रदेश	249	177
सिक्किम	128	172
त्रिपुरा	89	142
मेघालय	114	93
गोवा	69	90
हिमाचल प्रदेश	38	74
मिज़ोरम	89	6
केंद्रशासित प्रदेश		
दिल्ली	325	407
लदाख	192	228
दादरा, नगर हवेली और दमण, दीव	227	213
चंडीगढ़	291	194
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	142	152
जम्मू और कश्मीर	165	127
लक्षद्वीप	164	91
पुडुचेरी	64	56
रैंक नहीं किए गए		
नगालैंड	177	223
मणिपुर	148	190
असम	55	50

नोट: राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनके संबंधित समूह में 2022-23 ख़र्च के अनुसार घटते क्रम में रखा गया है।
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स ऑफ़ इंडिया

किया। रैंकिंग वाले राज्यों में से केवल तमिलनाडु, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश अपने बजट का पूरा उपयोग कर सके, जबकि मेघालय, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा ने आवंटित बजट का 85% से 97% तक इस्तेमाल किया। 10 जेलों और 5,415 क़ैदियों वाला राज्य मिज़ोरम, अपने बजट का केवल 15% ही उपयोग कर सका।

प्रति क़ैदी ख़र्च: देश में प्रति वर्ष हर क़ैदी पर औसतन 44,110 रुपए ख़र्च होते हैं, जो प्रतिदिन 121 रुपए बैठता है। 16 राज्यों ने क़ैदियों पर इस राष्ट्रीय औसत से अधिक ख़र्च किया जबकि 20 राज्यों का ख़र्च इससे कम रहा। क़ैदियों पर प्रतिदिन सबसे अधिक ख़र्च करने वाले तीन राज्य- आंध्र प्रदेश (733 रुपए), हरियाणा (437 रुपए) और दिल्ली (407 रुपए) रहे। जबकि प्रति क़ैदी सबसे कम दैनिक ख़र्च करने वाले राज्यों में मिज़ोरम (5 रुपए), महाराष्ट्र (47 रुपए) और पंजाब (49 रुपए) का नाम आता है।

क़ैदियों पर होने वाले ख़र्च को उनके भोजन, कपड़े, इलाज, वोकेशनल और शैक्षणिक गतिविधि, कल्याणकारी गतिविधियों और 'अन्य' श्रेणियों में बांटा गया है। 'प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया' के अनुसार 'अन्य' श्रेणी में साफ़-सफ़ाई, क़ैदियों को अस्पताल और कोर्ट लाने-ले जाने का ख़र्च शामिल होता है।

पिछले एक वर्ष में, क़ैदियों पर ख़र्च में 20% की वृद्धि हुई: इसमें से 2% यानी 134.98 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर ख़र्च किए गए। वहीं 0.1% ख़र्च क़ैदियों के कल्याण और 0.3% ख़र्च उनके शिक्षण एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण पर किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर, ख़र्च का अधिकांश हिस्सा भोजन (17%) और 'अन्य मदों' पर ख़र्च हुआ। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिज़ोरम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने कुल ख़र्च में से क़ैदियों के भोजन पर 20% से अधिक ख़र्च किया, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और पंजाब ने 5% या उससे कम ख़र्च किया। 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[45] ने स्वास्थ्य पर 1% से कम ख़र्च किया, जबकि मिज़ोरम (13%) और पंजाब (9.5%) ने इस पर सबसे अधिक ख़र्च किया।

हालांकि काग़ज़ पर जेल की सज़ा का दर्शन बदला लेने की कार्रवाई के बजाए क़ैदियों का पुनर्वास हो चुका है, फिर भी वित्तीय रूप से पुनर्वास अब भी दूर की कौड़ी लगता है। क़ैदियों पर होने वाले कुल ख़र्च का केवल 0.13% शिक्षण एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण और 0.27% कल्याणकारी गतिविधियों पर ख़र्च किया गया। चंडीगढ़ ने वोकेशनल और एजुकेशनल ट्रेनिंग पर 10.6% ख़र्च किया, जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा था। वहीं, पश्चिम बंगाल ने कल्याणकारी गतिविधियों पर 3.5% ख़र्च किया। 13 राज्यों[46] ने 2022 में शिक्षण एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण और कल्याणकारी गतिविधियों पर कुछ भी ख़र्च नहीं किया।

प्रो. विजय राघवन, TISS- प्रयास
मधुरिमा धनुका, पूर्व कार्यक्रम प्रमुख, जेल सुधार, कॉमलवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव
नयनिका सिंघल, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
वलय सिंह, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

44 प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022, तालिका संख्या- 12.4, पृष्ठ संख्या- 279. इस लिंक पर उपलब्ध: https://ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/psiyearwise2022/1701613297PSI2022ason01122023.pdf

45 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना।

46 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, दादरा और नगर एवं हवेली और दमन और दीव, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, मिज़ोरम, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश।

प्रतिशोध से पुनर्वास की ओर

साल 1920 में, 'अखिल भारतीय जेल सुधार समिति' ने यह अनुमोदन किया था कि जेल प्रशासन का अंतिम उद्देश्य क़ैदियों का सुधार और उनका पुनर्वास होना चाहिए। और हाल के समय में, 'नेल्सन मंडेला रूल्स' और 'मॉडल जेल मैनुअल 2016' भी क़ैदियों को फिर से समाज का उपयोगी सदस्य बनाने के लिए उनकी वोकेशनल और एजुकेशनल ट्रेनिंग पर जोर देते हैं।

वर्ष 2022 के अंत तक देश में औसतन हर चार में से एक क़ैदी निरक्षर था और 40% क़ैदियों ने 10वीं तक पढ़ाई की थी। 2022 में जेल में कुछ समय बिताने वाले 18 लाख लोगों में से केवल 6% को ही किसी प्रकार की शिक्षा प्रदान की गई। लद्दाख (20%), तेलंगाना (20%) और उत्तर प्रदेश (13%) को छोड़कर, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2022 में जेल आने वाले कुल क़ैदियों में से 10% से कम को ही किसी प्रकार की शिक्षा प्रदान की। केवल 10 राज्यों ने वर्ष 2021 के मुक़ाबले ज़्यादा क़ैदियों को शिक्षा प्रदान की, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। छह राज्यों ने 2019 के बाद से क़ैदियों को किसी भी तरह की कोई शिक्षा प्रदान नहीं की है।[47]

अधिकांश राज्यों के जेल विभाग के अनुसार उनके यहां साबुन, फिनाइल, फ़र्नीचर, कालीन, कपड़ा और मसाले जैसे उत्पाद तैयार करने वाले पारंपरिक उद्योग मौजूद हैं। हालांकि, जेलों के पास सीमित बजट, मानव संसाधन और उपकरण होते हैं। इसका मतलब है कि बाहरी दुनिया में काम आने वाली व्यावहारिक कुशलता की ट्रेनिंग अक्सर अनौपचारिक होगी या ये चुनिंदा क़ैदियों को ही दी जाएगी। ज़्यादातर मामलों में यह ट्रेनिंग सज़ायाफ्ता क़ैदियों को ही मिल सकेगी, हालांकि 'मॉडल जेल मैनुअल' में कहा गया है कि अगर विचाराधीन क़ैदी भी यह ट्रेनिंग लेना चाहें तो उन्हें भी यह प्रदान की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय स्तर पर, 2022 में जेलों में आने वाले कुल क़ैदियों में से केवल 2% को किसी प्रकार की वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग दी गई। नगालैंड (21%), सिक्किम (25%) और चंडीगढ़ (37%) को छोड़, किसी भी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ने 20% से अधिक क़ैदियों को वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं दी। 2021 से 2022 में, क़ैदियों को वोकेशनल ट्रेनिंग उपलब्ध कराने में चंडीगढ़ (20% से 37%) ने सबसे बड़ी छलांग लगाई। अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 5% से कम क़ैदियों को ट्रेनिंग दी। बीते चार वर्षों में, दिल्ली ने सबसे बड़ी गिरावट (19% से 5%) और चंडीगढ़ और नगालैंड ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की।

फिर भी, जेलों ने प्रशिक्षण और उद्यम संबंधी कई छोटी-बड़ी पहल शुरू की हैं, जिनसे जेलों को कुल 267 करोड़ रुपए की अच्छी आय प्राप्त हुई है। इसमें तमिलनाडु ने 53 करोड़ रुपए तो गोवा की एकमात्र जेल ने 1 लाख रुपए तक की कमाई की है।

47 अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड।

विचाराधीन क़ैदियों की रिहाई के लिए व्यक्तिगत बांड

वर्ष 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत मिलने के बावजूद जेल में बंद विचाराधीन क़ैदियों की बड़ी संख्या पर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने 'ज़मानत देने की नीतिगत रणनीति (पॉलिसी स्ट्रैटजी फॉर ग्रांट ऑफ़ बेल) - (SMWP(CRIMINAL) NO.- 4/2021)' पर सुनवाई करते हुए जेल अधिकारियों और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) को ऐसे क़ैदियों की सूची बनाने का निर्देश दिया, जिनको ज़मानत मिलनी चाहिए या जो ज़मानत मिलने के बावजूद जेल में हैं। अदालत ने 'निर्धन व्यक्ति (इंडिजेंट पीपल)' शब्द का इस्तेमाल किया और व्यक्तिगत बॉन्ड (पर्सनल बॉन्ड) के आधार पर ज़्यादा ज़मानत देने पर जोर दिया। अन्य उपायों में, विचाराधीन क़ैदी समीक्षा समिति (अंडरट्रायल रिव्यू कमिटी-UTRC) और ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे समय-समय पर इसकी समीक्षा करें कि किन अन्य क़ैदियों को दूसरे प्रावधानों के तहत जेल से रिहा किया जा सकता है। इतनी कोशिशों के बावजूद, भारत की भीड़भाड़ वाली जेलों के कुल क़ैदियों में एक तिहाई से ज़्यादा क़ैदी विचाराधीन क़ैदी हैं – जो आज भी अपना मुक़दमा शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं।

कई जगहों पर, सिविल सोसाइटी के संगठन ऐसे कार्यों में मदद कर रहे हैं ताकि क़ैदियों को ज़मानत मिल सके। बिहार का 'लॉ फाउंडेशन' ऐसा ही एक संगठन है।

अपने लगातार अच्छे काम के आधार पर, 'लॉ फॉउंडेशन' को 2016 से पटना के आसपास की 8 जेलों में सामाजिक और क़ानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। इन जेलों में 6,500 से अधिक क़ैदी हैं। वर्तमान में यह संगठन 5 जेलों के क़ैदियों के बीच काम कर रहा है। ये जेलें हैं; मॉडल सेंट्रल जेल बेऊर (बिहार की सबसे बड़ी जेल, जिसमें 4,500 से अधिक क़ैदी हैं), ज़िला जेल आरा, फुलवारीशरीफ ज़िला जेल, दानापुर और मसौढ़ी उप-जेल। 'लॉ फाउंडेशन' यहां के क़ैदियों को क़ानूनी सहायता सेवाएं उपलब्ध कराने, उनकी अपने परिवारों से मुलाक़ात कराने और उन्हें ज़मानत पर रिहा होने में मदद करता है। इसका मुख्य मक़सद उन क़ैदियों की सहायता करना है, जो नकद या ज़मानतदार नहीं दे सकते हैं या जो बेसहारा हैं, जिनका परिवार नहीं है या जिनके पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं या जो कई अन्य कारणों से रिहा नहीं हो पा रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर क़ैदी बहुत पिछड़े और वंचित वर्गों से आते हैं, जैसे; मुसहर, नट, मांझी और पासी समुदाय आदि। इन्हें आमतौर पर चोरी और अनाधिकार प्रवेश जैसे मामूली अपराधों में आरोपी बनाया जाता है। इन्हें 'बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम' के तहत भी आरोपी बनाया जाता है जिसके तहत शराब बनाना, उसे रखना, लाना-ले जाना और उसका उपभोग प्रतिबंधित है।

भीड़भाड़ वाली जेलों में कठिन परिस्थितियों से जूझते जेल प्रशासन इन क़ैदियों की रिहाई के लिए 'लॉ फाउंडेशन' की मदद पर लगातार निर्भर रहते हैं और उसकी सराहना करते हैं। 'लॉ फाउंडेशन' क़ैदियों के परिजनों को ढूंढता है ताकि वे क़ैदी को रिहा कराकर ले जाएं। यह संगठन स्थानीय जेलों में बंद प्रवासी क़ैदियों का पता ढूंढने या गंभीर बीमारियों से पीड़ित क़ैदियों की रिहाई के लिए दबाव बनाने का भी काम करता है। साथ ही यह क़ैदियों की ज़मानत याचिका के लिए ज़रूरी काग़ज़ी कार्रवाई में नियमित मदद करता है।

'लॉ फाउंडेशन' 3 वकीलों, 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं और 5 सज़ायाफ्ता क़ैदियों के साथ मिलकर काम करता है। इन क़ैदियों को संगठन की तरफ से जेल के पैरालीगल वॉलनटियर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। 'लॉ फाउंडेशन' से जुड़े वकील और सामाजिक कार्यकर्ता सप्ताह में दो या तीन बार जेल का दौरा करते हैं। दो अनुभवी वरिष्ठ व्यक्ति इस पूरे कार्य में सहयोग करते हैं। पिछले 5 वर्षों में, इस संगठन ने लगभग 1,500 क़ैदियों की मदद की है और करीब 400 क़ैदियों को जेल से रिहा कराया है। क़ैदियों के प्रति इस समग्र सामाजिक-वैधानिक पहल को अज़ीम प्रेमजी और लाल फाउंडेशन की ओर से उदारतापूर्वक सहायता प्राप्त होती है।

तालिका 4: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

🟢 समूह में श्रेष्ठतम
🔴 समूह में निम्नतम

श्रेष्ठ / मध्य / खराब

थीम › / संकेतक › / स्कोरिंग गाइड ›	समूह में रैंक IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 4 2022	IJR 4 (स्कोर 10 में से)	सूचकांकों में सुधार (16 में से)	बजट: प्रति क़ैदी ख़र्च (रु, 2022-23) जितना अधिक, उतना बेहतर	बजट: जेल बजट का उपयोग (%, 2022-23) जितना अधिक, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत							**44,110**	**89.2**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य								
आंध्र प्रदेश	15	7	5	4	5.69	9	267,673 🟢	84.9
बिहार	6	3	9	12	4.686	10	34,198	71.4 🔴
छत्तीसगढ़	8	11	12	13	4.54	6	38,468	85.8
गुजरात	9	10	6	9	5.26	4	25,682	99.1
हरियाणा	11	16	16	14	3.96	4	159,636	96.4
झारखंड	18	15	14	17	3.81	11	52,903	94.8
कर्नाटक	3	14	2	2	6.78	3	37,808	98.2
केरल	1	5	4	3	6.03	3	54,317	91.4
मध्य प्रदेश	7	8	7	5	5.37	6	27,865	94.6
महाराष्ट्र	2	4	10	10	5.17	5	17,219 🔴	86.2
ओडिशा	5	9	11	6	5.34	11	36,109	89.9
पंजाब	16	13	15	15	3.91	6	17,821	90.9
राजस्थान	12	1	8	8	5.27	9	23,772	95.8
तमिलनाडु	10	6	1	1	7.02	6	45,602	100.0 🟢
तेलंगाना	13	2	3	7	5.32	8	33,277	89.6
उत्तर प्रदेश	14	17	17	16	3.84	9	33,151	86.4
उत्तराखंड	17	18	18	18	2.58	7	28,011	90.5
पश्चिम बंगाल	4	12	13	11	4.686	7	29,494	92.6
छोटे राज्य								
अरुणाचल प्रदेश	3	3	1	1	6.01	10	64,776 🟢	100.0 🟢
गोवा	1	4	7	7	2.95	6	32,746	84.8
हिमाचल प्रदेश	6	1	2	2	5.52	12	27,039	100.0 🟢
मेघालय	2	5	6	4	3.94	8	33,949	97.2
मिज़ोरम	4	7	3	5	3.29	6	2,025 🔴	15.0 🔴
सिक्किम	7	6	4	3	4.38	7	62,791	88.9
त्रिपुरा	5	2	5	6	3.28	6	52,010	89.1
बिना रैंकिंग वाले राज्य								
असम	रैंक नहीं किए गए					2	18,254	77.5
मणिपुर	रैंक नहीं किए गए					8	69,357	94.6
नगालैंड	रैंक नहीं किए गए					5	81,450	94.7
केंद्रशासित प्रदेश								
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	रैंक नहीं किए गए					11	55,426	99.1
चंडीगढ़	रैंक नहीं किए गए					6	70,879	100.0
दादरा, नागर हवेली एवं दमन, दीव	रैंक नहीं किए गए					7	77,841	100.0
दिल्ली	रैंक नहीं किए गए					5	148,602	91.9
जम्मू और कश्मीर	रैंक नहीं किए गए					1	46,312	80.5
लद्दाख	रैंक नहीं किए गए					6	83,333	100.0
लक्षद्वीप	रैंक नहीं किए गए					2	33,333	0.0
पुडुचेरी	रैंक नहीं किए गए					5	20,433	92.2

डेटा स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB); केंद्रीय और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक; ओपन बजट्स इंडिया; गृह मंत्रालय के वित्त विभाग।
साधारण नोट्स: i. राज्यों को उनके समूहों में वर्णानुक्रम में रखा गया है।

1. IJR 3 में राज्य ने जिन संकेतकों पर सुधार किया है, केवल उनकी गिनती की गई है। केवल वे संकेतक जो IJR 3 और IJR 4 दोनों में ग़ैर-रुझान संकेतकों के रूप में उपलब्ध हैं, उन्हें लिया गया है। संकेतकों के लिए मानक के मामले में, यदि राज्य ने मानक पूरा किया, तो भले ही उसकी वैल्यू मानक के के भीतर घट गई हो, उसे सुधार के रूप में चिह्नित किया गया। यदि राज्य ने मानक पूरा नहीं किया लेकिन उसकी वैल्यू सुधरी, तो उसे सुधार के रूप में चिह्नित किया गया। जहां एक संकेतक का मान एक या दोनों वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं था, उस संकेतक को नहीं लिया गया।

तालिका 4: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

🟢 समूह में श्रेष्ठतम
🔴 समूह में निम्नतम

थीम ›	मानव संसाधन				
संकेतक ›	ऑफ़िसर वैकेंसी (%, दिसंबर 2022)	कॉन्स्टेबल स्टाफ़ वैकेंसी (%, दिसंबर 2022)	करेक्शनल स्टाफ़ वैकेंसी (%, दिसंबर 2022)	मेडिकल स्टाफ़ वैकेंसी (%, दिसंबर 2022)	मेडिकल ऑफ़िसर वैकेंसी (%, दिसंबर 2022)
स्कोरिंग गाइड ›	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत	**28.1**	**28.0**	**44.1**	**40.5**	**42.6**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्र प्रदेश	20.6	27.9	उपलब्ध नहीं [3]	21.7	4.5 🟢
बिहार	28.6	44.9	48.7	42.7	42.2
छत्तीसगढ़	65.6	30.6	49.5	52.6	58.7
गुजरात	42.5	37.6	44.4	28.6	15.2
हरियाणा	34.6	30.5	100.0 🔴	50.5	47.2
झारखंड	68.2	64.8 🔴	33.3	55.8	75.5
कर्नाटक	10.8	23.8	20.7	63.8	74.1
केरल	9.2	17.8	7.1	25.5	16.7
मध्य प्रदेश	43.0	12.2	28.9	35.6	31.0
महाराष्ट्र	25.9	10.5	46.5	30.0	22.7
ओडिशा	14.2	23.7	44.7	51.1	62.8
पंजाब	28.8	40.7	100.0 🔴	27.3	19.0
राजस्थान	36.4	25.0	87.5	17.8	15.4
तमिलनाडु	11.4	7.2 🟢	19.6	12.4 🟢	25.6
तेलंगाना	8.8 🟢	18.8	0.0 🟢	58.5	47.8
उत्तर प्रदेश	25.4	29.9	उपलब्ध नहीं [3]	54.2	34.8
उत्तराखंड	69.0 🔴	39.0	उपलब्ध नहीं [3]	62.5	90.0 🔴
पश्चिम बंगाल	20.5	21.8	30.4	65.1 🔴	73.5
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	37.5	2.3 🟢	[3]	10.0	0.0 🟢
गोवा	29.6	34.3	100.0 🔴	84.6 🔴	83.3 🔴
हिमाचल प्रदेश	27.3	19.3	61.5 🟢	60.9	25.0
मेघालय	42.1	26.6	100.0 🔴	5.0	0.0 🟢
मिज़ोरम	21.2 🟢	22.6	उपलब्ध नहीं [3]	-8.3 🟢	33.3
सिक्किम	51.9	59.5 🔴	उपलब्ध नहीं [3]	28.6	50.0
त्रिपुरा	68.8 🔴	54.7	100.0 🔴	28.6	0.0 🟢
बिना रैंकिंग वाले राज्य					
असम	30.9	42.9	10.5	45.9	74.2
मणिपुर	47.8	10.0	उपलब्ध नहीं [3]	27.5	11.1
नगालैंड	15.8	5.6	66.7	20.0	उपलब्ध नहीं [5]
केंद्रशासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	33.3	39.5	0.0	0.0	0.0
चंडीगढ़	10.0	20.5	50.0	14.3	0.0
दादरा, नागर हवेली एवं दमन, दीव	-200.0	37.5	उपलब्ध नहीं [3]	उपलब्ध नहीं [4]	उपलब्ध नहीं [5]
दिल्ली	33.9	18.5	59.5	17.9	30.8
जम्मू और कश्मीर	68.5	45.2	69.2	43.6	40.0
लद्दाख	80.0	77.4	उपलब्ध नहीं [3]	85.7	100.0
लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं [2]	उपलब्ध नहीं [2]	उपलब्ध नहीं [3]	उपलब्ध नहीं [4]	उपलब्ध नहीं [5]
पुडुचेरी	16.7	21.9	उपलब्ध नहीं [3]	0.0	0.0

डेटा स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB); केंद्रीय और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक; ओपन बजट्स इंडिया; गृह मंत्रालय के वित्त विभाग।
साधारण नोट्स: i. राज्यों को उनके समूहों में वर्णानुक्रम में रखा गया है।

2. PSI द्वारा स्वीकृत और नियुक्त अधिकारियों और कर्मियों के 0 आंकड़े दर्शाए गए हैं। 3. PSI द्वारा स्वीकृत और नियुक्त करेक्शनल स्टाफ़ के 0 आंकड़े दर्शाए गए हैं। 4. PSI द्वारा स्वीकृत और नियुक्त चिकित्सा कर्मचारियों के 0 आंकड़े दर्शाए गए हैं। 5. PSI द्वारा स्वीकृत और नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के 0 आंकड़े दर्शाए गए हैं।

तालिका 4: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

🟢 समूह में श्रेष्ठतम
🔴 समूह में निम्नतम

थीम >	मानव संसाधन	विविधता	इंफ़्रास्ट्रक्चर		
संकेतक >	कार्मिक प्रशिक्षण (%, 2022)	जेल स्टाफ़ में महिलाएं (%, दिसंबर 2022)	जेल में ऑक्यूपेंसी (%, दिसंबर 2022)	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली जेलें (%, दिसंबर 2022)	1-3 साल तक हिरासत में रहे विचाराधीन क़ैदी (%, दिसंबर 2022)
स्कोरिंग गाइड >	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत	**20.7**	**13.6**	**131**	**86**	**22.4**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्र प्रदेश	28.2	8.4	84	72	6.6 🟢
बिहार	13.2	22.2	136	100 🟢	16.0
छत्तीसगढ़	0.8 🔴	11.1	145	100 🟢	26.0
गुजरात	14.5	7.3	118	88	26.2
हरियाणा	46.5	1.8 🔴	122	100 🟢	27.2 🔴
झारखंड	1.9	9.4	111	94	21.8
कर्नाटक	66.4 🟢	32.9 🟢	104	93	24.3
केरल	28.2	8.25	106	96	8.6
मध्य प्रदेश	26.0	17.8	164	92	23.7
महाराष्ट्र	11.6	15.4	161	88	26.1
ओडिशा	9.8	12.9	83	90	21.0
पंजाब	9.3	8.6	116	88	26.3
राजस्थान	24.5	19.6	107	63 🔴	25.9
तमिलनाडु	6.7	13.8	77 🟢	89	7.6
तेलंगाना	29.3	6.6	81	86	7.5
उत्तर प्रदेश	19.8	10.8	180	92	25.2
उत्तराखंड	2.3	3.0	183 🔴	100 🟢	24.0
पश्चिम बंगाल	11.7	10.9	134	100 🟢	24.3
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	5.2	18.6	101	100 🟢	12.5
गोवा	20.5 🟢	1.2 🔴	109	100 🟢	46.3 🔴
हिमाचल प्रदेश	13.2	8.7	114	100 🟢	36.6
मेघालय	12.6	16.1	167 🔴	100 🟢	26.3
मिज़ोरम	5.2	34.5 🟢	116	40 🔴	6.1 🟢
सिक्किम	0.0 🔴	25.3	149	100 🟢	32.5
त्रिपुरा	0.5	4.4	50 🟢	93	7.1
बिना रैंकिंग वाले राज्य					
असम	12.9	12.9	121	97	15.5
मणिपुर	3.1	12.7	67	40	10.5
नगालैंड	6.6	23.8	31	42	17.5
केंद्रशासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.0	7.0	81	25	8.1
चंडीगढ़	32.1	4.9	107	100	18.3
दादरा, नागर हवेली एवं दमन, दीव	0.0	6.3	104	100	39.5
दिल्ली	48.4	11.5	184	100	22.1
जम्मू और कश्मीर	4.0	6.2	146	93	29.8
लद्दाख	0.0	8.3	19	50	15.4
लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं [6]	उपलब्ध नहीं [7]	9	0	0.0
पुदुचेरी	0.0	0.0	78	100	12.4

डेटा स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB); केंद्रीय और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक; ओपन बजट्स इंडिया; गृह मंत्रालय के वित्त विभाग।
साधारण नोट्स: i. राज्यों को उनके समूहों में वर्णानुक्रम में रखा गया है।

6. PSI द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित कर्मचारियों के 0 आंकड़े दर्शाए गए हैं। 7. PSI द्वारा स्वीकृत और नियुक्त कुल कर्मचारियों के 0 आंकड़े दर्शाए गए हैं।

तालिका 4: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

🟢 समूह में श्रेष्ठतम
🔴 समूह में निम्नतम

थीम ›	इंफ़्रास्ट्रक्चर		कार्यभार			
संकेतक ›	नया 150-250% ऑक्यूपेंसी रेट वाली जेलें (%, दिसंबर 2022)	नया 250% या अधिक ऑक्यूपेंसी रेट वाली जेलें (%, दिसंबर 2022)	क़ैदी प्रति ऑफ़िसर (संख्या, 2022)	क़ैदी प्रति काडर स्टाफ़ (संख्या, 2022)	क़ैदी प्रति करेक्शनल स्टाफ़ (संख्या, 2022)	क़ैदी प्रति मेडिकल स्टाफ़ (संख्या, 2022)
स्कोरिंग गाइड ›	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत	**20.1**	**7.0**	**108**	**11.8**	**699**	**775**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य						
आंध्र प्रदेश	2.5	0.0 🟢	29	5.5 🟢	उपलब्ध नहीं[9]	345 🟢
बिहार	25.4	11.9	253	19.0	240	484
छत्तीसगढ़	33.3	9.1	273	14.7	445	1,076
गुजरात	25.0	0.0 🟢	64	9.8	3,322	593
हरियाणा	25.0	0.0 🟢	172	11.7	उपलब्ध नहीं[10]	1,341
झारखंड	21.9	3.1	409 🔴	25.9 🔴	9,808	1,635
कर्नाटक	10.2	0.0 🟢	49	6.6	704	2,315
केरल	42.1 🔴	0.0 🟢	40	5.6	342	888
मध्य प्रदेश	40.2	12.1	205	9.9	828	1,221
महाराष्ट्र	15.6	20.3	84	12.8	411	1,208
ओडिशा	2.2 🟢	0.0 🟢	67	13.2	213 🟢	542
पंजाब	23.1	0.0 🟢	193	15.0	उपलब्ध नहीं[10]	906
राजस्थान	15.8	2.7	119	9.3	24,659 🔴	747
तमिलनाडु	3.5	0.0 🟢	22 🟢	6.2	219	588
तेलंगाना	10.8	0.0 🟢	40	7.0	6,497	541
उत्तर प्रदेश	36.4	36.4 🔴	241	16.9	उपलब्ध नहीं[9]	1,181
उत्तराखंड	27.3	27.3	361	13.9	उपलब्ध नहीं[9]	6,858 🔴
पश्चिम बंगाल	40.0	16.7	142	9.8	600	1,066
छोटे राज्य						
अरुणाचल प्रदेश	0.0 🟢	0.0 🟢	34	2.6 🟢	उपलब्ध नहीं[9]	168 🟢
गोवा	0.0 🟢	0.0 🟢	40	5.8	उपलब्ध नहीं[10]	681
हिमाचल प्रदेश	12.5	0.0 🟢	99	6.1	576 🟢	960 🔴
मेघालय	40.0	20.0 🔴	126	8.1 🔴	उपलब्ध नहीं[10]	227
मिज़ोरम	20.0	0.0 🟢	66	7.9	उपलब्ध नहीं[9]	790
सिक्किम	50.0 🔴	0.0 🟢	32 🟢	6.2	उपलब्ध नहीं[9]	387
त्रिपुरा	7.1	0.0 🟢	133 🔴	3.9	उपलब्ध नहीं[10]	398
बिना रैंकिंग वाले राज्य						
असम	29.0	3.2	107	23.0	682	1,449
मणिपुर	0.0	0.0	26	3.1	उपलब्ध नहीं[9]	107
नगालैंड	0.0	0.0	15	1.3	469	उपलब्ध नहीं[11]
केंद्रशासित प्रदेश						
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.0	0.0	52	5.0	258	258
चंडीगढ़	0.0	0.0	133	9.6	171	598
दादरा, नागर हवेली एवं दमन, दीव	0.0	0.0	44	17.6	उपलब्ध नहीं[9]	उपलब्ध नहीं[11]
दिल्ली	15.0	15.0	63	10.9	1,088	206
जम्मू और कश्मीर	42.9	7.1	354	10.5	332	443
लद्दाख	0.0	0.0	30	4.3	उपलब्ध नहीं[9]	उपलब्ध नहीं[12]
लक्षद्वीप	0.0	0.0	उपलब्ध नहीं[8]	उपलब्ध नहीं[8]	उपलब्ध नहीं[9]	उपलब्ध नहीं[11]
पुडुचेरी	0.0	0.0	36	4.3	उपलब्ध नहीं[9]	323

डेटा स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB); केंद्रीय और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक; ओपन बजट्स इंडिया; गृह मंत्रालय के वित्त विभाग।
साधारण नोट्स: i. राज्यों को उनके समूहों में वर्णानुक्रम में रखा गया है।

8. PSI द्वारा स्वीकृत और नियुक्त अधिकारियों तथा काडर स्टाफ़ के 0 आंकड़े दर्शाए गए हैं। 9. PSI द्वारा स्वीकृत और नियुक्त करेक्शनल स्टाफ़ के 0 आंकड़े दर्शाए गए हैं। 10. PSI द्वारा करेक्शनल स्टाफ़ के 0 आंकड़े दर्शाए गए हैं। 11. PSI द्वारा स्वीकृत और नियुक्त चिकित्सा अधिकारी के 0 आंकड़े दर्शाए गए हैं। 12. PSI द्वारा नियुक्त चिकित्सा अधिकारी के 0 आंकड़े दर्शाए गए हैं।

तालिका 4: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

🟢 समूह में श्रेष्ठतम
🔴 समूह में निम्नतम

थीम ›	कार्यभार	रुझान			
	नया				
संकेतक ›	नया प्रति महिला मेडिकल ऑफ़िसर पर महिला क़ैदी (दिसंबर 2022)	ऑफ़िसर वैकेंसी (%, कैलेंडर वर्ष '18-'22)	काडर स्टाफ़ वैकेंसी (%, कैलेंडर वर्ष '18-'22)	जेल स्टाफ़ में महिलाओं का हिस्सा (%, कैलेंडर वर्ष '18-'22)	क़ैदी प्रति जेल ऑफ़िसर (%, कैलेंडर वर्ष '18-'22)
स्कोरिंग गाइड ›	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत	**283**	**-14.7**	**-17.5**	**67.3**	**1.2**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्र प्रदेश	39 🟢	-27.3	37.2	10.0	-3.0
बिहार	109	-55.0	19.0	17.1	5.9
छत्तीसगढ़	951	4.2	122.7	0.9	2.8
गुजरात	NA[13]	-6.8	18.8	18.0	-8.7
हरियाणा	NA[13]	2.1	59.0	-66.2 🔴	7.4
झारखंड	NA[13]	6.6	0.8	-9.8	7.9
कर्नाटक	309	-53.0	14.7	50.0	-14.6 🟢
केरल	68	9.2	108.9	-32.5	1.4
मध्य प्रदेश	956	25.5	-36.1	22.3	8.8
महाराष्ट्र	319	14.1	71.6	3.9	5.9
ओडिशा	168	-69.3 🟢	362.4 🔴	5.3	3.5
पंजाब	1,560	-30.1	41.8	24.9	0.5
राजस्थान	694	-26.5	-25.3	16.9	0.0
तमिलनाडु	86	-10.7	-56.3 🟢	21.4	3.4
तेलंगाना	186	677.9 🔴	0.8	-0.2	5.1
उत्तर प्रदेश	2,405 🔴	-34.0	-34.8	86.3 🟢	-2.3
उत्तराखंड	उपलब्ध नहीं[13]	-0.6	28.9	-27.7	11.7 🔴
पश्चिम बंगाल	356	47.8	-21.5	26.5	5.1
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं[13]	-14.3	2.3	4.4	11.9
गोवा	उपलब्ध नहीं[13]	100.0	42.7 🔴	-26.5	16.1
हिमाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं[13]	27.3	-41.8 🟢	-2.8	3.1 🟢
मेघालय	उपलब्ध नहीं[13]	166.7	21.4	-5.1	15.4
मिज़ोरम	उपलब्ध नहीं[13]	-43.9 🟢	-9.1	44.5 🟢	4.2
सिक्किम	उपलब्ध नहीं[13]	107.4	-3.2	9.6	5.0
त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं[13]	255.2 🔴	39.2	-39.3 🔴	21.6 🔴
बिना रैंकिंग वाले राज्य					
असम	NA[13]	201.8	81.4	8.3	13.8
मणिपुर	25	-2.4	150.6	1.9	-1.6
नगालैंड	NA[13]	255.3	5.6	2.1	8.6
केंद्रशासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	उपलब्ध नहीं[13]	0.0	54.5	-28.7	1.5
चंडीगढ़	उपलब्ध नहीं[13]	-85.7	-57.9	-39.5	-10.6
दादरा, नागर हवेली एवं दमन, दीव	उपलब्ध नहीं[14]	उपलब्ध नहीं[15]	62.5	-50.0	33.1
दिल्ली	168	-42.9	-50.4	-4.9	-2.8
जम्मू और कश्मीर	71	उपलब्ध नहीं[16]	उपलब्ध नहीं[16]	उपलब्ध नहीं[16]	उपलब्ध नहीं[16]
लद्दाख	उपलब्ध नहीं[14]	उपलब्ध नहीं[16]	उपलब्ध नहीं[16]	उपलब्ध नहीं[16]	उपलब्ध नहीं[16]
लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं[14]	उपलब्ध नहीं[17]	उपलब्ध नहीं[17]	उपलब्ध नहीं[17]	उपलब्ध नहीं[17]
पुडुचेरी	उपलब्ध नहीं[13]	100.0	-30.0	-100.0	1.0

डेटा स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB); केंद्रीय और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक; ओपन बजट्स इंडिया; गृह मंत्रालय के वित्त विभाग।
साधारण नोट्स: i. राज्यों को उनके समूहों में वर्णानुक्रम में रखा गया है।

13. PSI द्वारा महिला चिकित्सा अधिकारियों के 0 आंकड़े दर्शाए गए हैं। 14. PSI द्वारा महिला चिकित्सा अधिकारियों और महिला कैदियों के 0 आंकड़े दर्शाए गए हैं। 15. अधिकारी की संख्या पहले और पांचवें वर्ष में स्वीकृत संख्या से अधिक है। 16. ट्रेंड संकेतकों के लिए, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को बाहर रखा गया है क्योंकि इनका डेटा 5 वर्षों के लिए अलग से उपलब्ध नहीं था। 17. PSI द्वारा 5 वर्षों के लिए सभी ट्रेंड संकेतकों के लिए स्वीकृत और नियुक्त कुल कर्मचारियों के 0 आंकड़े दर्शाए गए हैं।

तालिका 4: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

🟢 समूह में श्रेष्ठतम
🔴 समूह में निम्नतम

थीम ›	रुझान				
संकेतक ›	क़ैदी प्रति काडर स्टाफ़ (%, कैलेंडर वर्ष '18-'22)	विचाराधीन क़ैदियों का हिस्सा (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '18-'22)	प्रति क़ैदी ख़र्च (%, कैलेंडर वर्ष '19-'23)	जेल बजट उपयोग (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '19-'23)	ख़र्च में अंतर: जेल बनाम राज्य (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '19-'23)
स्कोरिंग गाइड ›	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत	**2.3**	**1.45**	**13.0**	**-0.25**	उपलब्ध नहीं
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्र प्रदेश	-2.3	0.71	9.1	0.40	-5.44 🔴
बिहार	13.6 🔴	0.84	1.1	-3.12	4.32
छत्तीसगढ़	3.1	1.34	3.2	0.02	5.71
गुजरात	8.0	0.54	4.8	0.21	-1.04
हरियाणा	11.9	2.94	9.4	2.40	8.07
झारखंड	2.0	0.19	12.8	0.40	6.51
कर्नाटक	-7.8 🟢	1.54	8.3	4.26 🟢	18.36
केरल	4.0	0.14	3.1	0.29	-3.79
मध्य प्रदेश	-0.4	0.01 🟢	5.7	-0.77	1.11
महाराष्ट्र	4.9	1.49	1.8	-1.68	0.81
ओडिशा	7.2	1.76	10.5	1.28	-3.06
पंजाब	7.8	3.90 🔴	5.9	-0.66	-5.30
राजस्थान	-2.1	1.28	10.7	2.62	1.17
तमिलनाडु	5.4	0.92	7.6	1.47	-0.48
तेलंगाना	4.7	0.86	3.1	-3.57 🔴	-1.02
उत्तर प्रदेश	1.1	1.21	9.7	-0.79	1.14
उत्तराखंड	10.9	2.81	58.6 🟢	-0.82	254.71 🟢
पश्चिम बंगाल	3.6	2.20	-6.8 🔴	-1.21	-0.96
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	8.6	-0.64	16.2	0.00	13.15
गोवा	14.5 🔴	4.75 🔴	-3.3	0.20	NA[18]
हिमाचल प्रदेश	0.8 🟢	2.20	10.9	0.00	0.77
मेघालय	7.1	-3.11 🟢	44.6 🟢	10.20 🟢	2.90
मिज़ोरम	13.1	2.69	-15.3 🔴	-16.74 🔴	-23.05 🔴
सिक्किम	6.6	3.16	11.9	3.29	22.76
त्रिपुरा	9.4	3.46	10.0	-8.93	27.57 🟢
बिना रैंकिंग वाले राज्य					
असम	14.7	2.60	-8.0	0.39	0.66
मणिपुर	7.6	-3.04	14.1	-0.57	4.66
नगालैंड	4.1	-0.53	4.7	-0.93	3.78
केंद्रशासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15.7	3.75	19.5	-0.18	-18.47
चंडीगढ़	-0.3	3.42	14.4	0.00	9.51
दादरा, नागर हवेली एवं दमन, दीव	29.6	1.74	12.4	0.00	-14.43
दिल्ली	-2.7	1.94	7.9	-0.764	उपलब्ध नहीं[18]
जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं[16]	उपलब्ध नहीं[16]	उपलब्ध नहीं[16]	उपलब्ध नहीं[16]	उपलब्ध नहीं[16]
लद्दाख	उपलब्ध नहीं[16]	उपलब्ध नहीं[16]	उपलब्ध नहीं[16]	उपलब्ध नहीं[16]	उपलब्ध नहीं[16]
लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं[17]	0.00	-27.3	-2.50	उपलब्ध नहीं[18]
पुडुचेरी	4.6	-0.89	-4.1	-0.79	उपलब्ध नहीं[18]

डेटा स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB); केंद्रीय और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक; ओपन बजट्स इंडिया; गृह मंत्रालय के वित्त विभाग।
साधारण नोट्स: i. राज्यों को उनके समूहों में वर्णानुक्रम में रखा गया है।

16. रुझान संकेतकों के लिए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को बाहर रखा गया है क्योंकि इनका डेटा 5 वर्षों के लिए अलग से उपलब्ध नहीं था। 17. PSI द्वारा 5 वर्षों के लिए सभी रुझान संकेतकों के लिए स्वीकृत और नियुक्त कुल कर्मचारियों के 0 आंकड़े दर्शाए गए हैं। 18. 2022-23 के लिए कुल व्यय उपलब्ध नहीं है।

न्यायपालिका

न्यायपालिका की रैंकिंग

कलर गाइड

श्रेष्ठ | मध्य | खराब

संकेतक (IJR 4) **25**

समूह

I. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या)

II. 7 छोटे आकार के राज्य (1 करोड़ तक जनसंख्या)

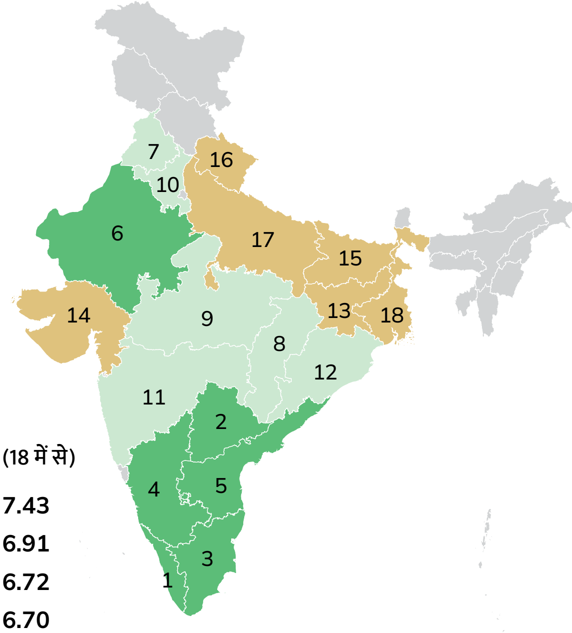

मानचित्र 13: बड़े और मध्यम आकार के राज्य

रैंक (18 में से)

IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	नया IJR 4 2025	राज्य	रैंक (18 में से)
5	3	4	1	केरल	7.43
11	6	5	2	तेलंगाना	6.91
1	1	1	3	तमिलनाडु	6.72
16	12	2	4	कर्नाटक	6.70
13	14	11	5	आंध्र प्रदेश	6.68
8	10	17	6	राजस्थान	5.89
2	2	3	7	पंजाब	5.48
12	4	6	8	छत्तीसगढ़	5.39
6	11	10	9	मध्य प्रदेश	5.25
3	7	14	10	हरियाणा	4.98
4	5	12	11	महाराष्ट्र	4.94
9	15	13	12	ओडिशा	4.93
14	9	7	13	झारखंड	4.80
7	8	9	14	गुजरात	4.65
18	18	16	15	बिहार	4.35
15	13	8	16	उत्तराखंड	3.97
17	17	15	17	उत्तर प्रदेश	3.56
10	16	18	18	पश्चिम बंगाल	2.45

मानचित्र 14: छोटे राज्य

रैंक (7 में से)

IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	नया IJR 4 2025	राज्य	रैंक (7 में से)
6	6	2	1	त्रिपुरा	5.32
1	1	1	2	सिक्किम	5.07
4	7	5	3	मेघालय	4.59
7	5	4	4	अरुणाचल प्रदेश	3.86
3	2	6	5	हिमाचल प्रदेश	3.75
5	3	3	6	मिज़ोरम	3.64
2	4	7	7	गोवा	2.86

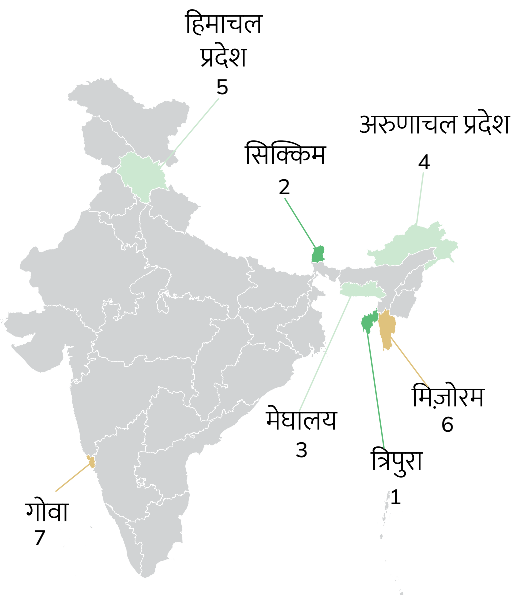

थोड़े सुधार, बड़ी चुनौतियां

जजों की वैकेंसी: हाई कोर्ट्स

उन हाई कोर्ट्स की संख्या जहां जजों के 20% से कम ख़ाली पद हैं।

		कुल राज्य
IJR 1 (2019)	1	25
IJR 2 (2020)	2	25
IJR 3 (2022)	5	25
IJR 4 (2025)	6	25

जजों की वैकेंसी: अधीनस्थ न्यायालय

उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या जहां अधीनस्थ न्यायालयों में जजों के 20% से कम ख़ाली पद हैं।

IJR 1 (2019)	16	36
IJR 2 (2020)	19	36
IJR 3 (2022)	15	35
IJR 4 (2025)	16	35

बजट

उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या जिन्होंने राज्य पर ख़र्च की तुलना में न्यायपालिका पर ख़र्च बढ़ाया।

IJR 1 (2019)	7	29
IJR 2 (2020)	11	29
IJR 3 (2022)	22	34
IJR 4 (2025)	19	31

केस क्लियरेंस रेट

उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या जहां हाई कोर्ट्स और अधीनस्थ न्यायालयों दोनों में केस क्लियरेंस रेट 100% से ज़्यादा रहा (ऐसे दो राज्य नहीं जिनका एक ही हाई कोर्ट है)।

IJR 1 (2019)	2	23
IJR 2 (2020)	2	23
IJR 3 (2022)	3	23
IJR 4 (2025)	4	23

जातिगत विविधता

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या जिन्होंने अपना SC और ST कोटा कम से कम 80% तक भरा।

IJR 1 (2019)	NA	
IJR 2 (2020)	NA	
IJR 3 (2022)	2	28
IJR 4 (2025)	6	28

*36 में से जिन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आंकड़े उपलब्ध थे, उनकी संख्या।

लंबित केस

- 17 बड़े राज्यों की अधीनस्थ अदालतों में 25% से अधिक मामले 3 साल से अधिक समय से लंबित हैं।
- 22 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की अधीनस्थ अदालतों में IJR 3 से IJR 4 के बीच 5 साल से अधिक समय से लंबित मामलों का प्रतिशत बढ़ा है।
- 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के हाई कोर्ट्स में IJR 3 से IJR 4 के बीच 5 साल से अधिक समय से लंबित मामलों का प्रतिशत बढ़ा है।

महिलाएं

अदालतों में महिलाओं की भागीदारी

अधीनस्थ न्यायालय (IJR 4)

38%

हाई कोर्ट्स (IJR 4)

14%

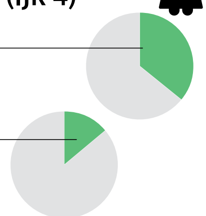

स्वीकृत संख्या

स्वीकृत पदों में बदलाव
(IJR 1 से IJR 4 के बीच)

क. अधीनस्थ न्यायालय

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और गोवा में स्वीकृत पद कम हुए

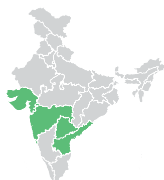

ख. हाई कोर्ट्स

त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्वीकृत पर कम हुए

अध्याय 3

न्यायपालिका: बढ़ता कार्यभार और क्षमता की उलझनें

परिचय

न्यायपालिका में क्षमता की लगातार कमी बने रहने के कारण 2024 के अंत तक न्याय प्रदान करने की क्षमता प्रभावित होती रही। न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या के मुक़ाबले अदालतों में लगभग 15 प्रतिशत जजों की कमी बनी रही, न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति ख़र्च में थोड़ा सुधार हुआ, निचली अदालतों ने अपनी औसत केस निपटान दरों में सुधार किया जबकि हाई कोर्ट ों में इसमें थोड़ी गिरावट आई और लैंगिक विविधता में धीमी लेकिन स्वागत योग्य वृद्धि हुई।

इन सबके बावजूद, 2024 के अंत तक पेंडिंग केसों की संख्या 5 करोड़ तक पहुंच गई। 2020 से 2024 के बीच पेंडिंग केसों में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इस बीच, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजों के ख़ाली पदों में थोड़ा बदलाव आया है और अब यहां क्रमशः 33 और 21 प्रतिशत के आस-पास पद रिक्त है। अदालतों के कामकाज में सहायता करने वाले आवश्यक कर्मचारियों के ख़ाली पद थोड़ा और बढ़कर लगभग 27 प्रतिशत हो गए।

रैंकिंग

IJR में इस बार दो नए इंडिकेटर जोड़े गए हैं जो बताते हैं कि 3 साल से अधिक समय से कितने केस पेंडिंग हैं: जनवरी 2025 तक, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट - इन दोनों स्तरों पर औसतन हर दो केसों में से एक से अधिक केस 3 साल से अधिक समय से पेंडिंग था।

जुडिशरी की रैंकिंग में शीर्ष पांच स्थानों में फिर से फेरबदल हुआ है। बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में इस साल केरल पहले स्थान पर पहुंच गया, जबकि तमिलनाडु तीसरे स्थान पर खिसक गया। 2019 में पहले IJR के प्रकाशन के बाद से क्षमता में लगातार सुधार दिखाते हुए तेलंगाना दूसरे स्थान पर पहुंचा है, जबकि कर्नाटक तीन पायदान नीचे खिसककर पांचवें स्थान पर चला गया। कुछ राज्यों में उल्लेखनीय सुधार देखे गए। आंध्र प्रदेश 11वें नंबर से सात पायदान ऊपर चढ़ा है। 2022 में सत्रहवें स्थान पर रहने वाले राजस्थान ने ग्यारह स्थानों की सबसे ऊंची छलांग लगाकर 6ठा स्थान हासिल किया। राजस्थान के इस बेहतर प्रदर्शन का श्रेय न्यायपालिका के लिए प्रति व्यक्ति ख़र्च में वृद्धि; हाई कोर्ट में जजों के ख़ाली पदों में उल्लेखनीय कमी; जनसंख्या प्रति जज के अनुपात में सुधार और केस निपटारे की बेहतर दर को दिया जा सकता है।

पंजाब पहले लगातार शीर्ष पांच राज्यों में बना हुआ था, इस बार चार पायदान नीचे खिसककर तीसरे से सातवें स्थान पर चला गया। हालांकि राज्य में जुडिशरी पर प्रति व्यक्ति ख़र्च और केस निपटान दरों में सुधार हुआ है, लेकिन इसकी रैंकिंग में गिरावट के कारणों में हाई कोर्ट के जजों के ख़ाली पदों में उल्लेखनीय वृद्धि (22 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक) और कोर्ट स्टाफ़ की कमी बढ़कर लगभग 35 प्रतिशत हो जाना शामिल है। सबसे बड़ी गिरावट उत्तराखंड की रैंकिंग में आई, जो आठ पायदान गिरकर सोलहवें स्थान पर आ गया।

2019 से लेकर अब तक के वर्षों में गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की न्यायपालिका की क्षमता की रैंकिंग में उतार-चढ़ाव आए, लेकिन ओवरऑल सभी राज्यों में 2019 के मुक़ाबले गिरावट आई है।

सात छोटे राज्यों में त्रिपुरा और सिक्किम अपनी-अपनी रैंकिंग बदलकर क्रमश: पहले और दूसरे स्थान पर आ गए। वहीं मेघालय अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार करता हुआ तीसरे स्थान पर पहुंच गया। यह 2020 में सातवें और 2022 में पांचवें स्थान पर था।

शीर्ष तीन राज्यों में न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति ख़र्च में बढ़ोतरी जारी रही, इनके हाई कोर्ट में जजों का कोई पद ख़ाली नहीं रहा और निचली अदालतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उच्च रहा, जहां दो में से लगभग

1 इस आंकड़े में निचली अदालतों के साथ-साथ हाई कोर्टों में लंबित आपराधिक और दीवानी मामले शामिल हैं।

एक न्यायाधीश महिला थीं। गोवा अंतिम स्थान पर बना रहा क्योंकि यह हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बड़ी संख्या में मौजूद ख़ाली पदों को भर नहीं पाया और यहां कोर्ट स्टाफ़ की भी काफ़ी कमी रही।

मानव संसाधन

- जनसंख्या प्रति हाई कोर्ट (फरवरी 2025)
- जनसंख्या प्रति अधीनस्थ न्यायालय जज (जनवरी 2025)
- हाई कोर्ट जजों की रिक्तियां (%, फरवरी 2025)
- अधीनस्थ न्यायालयों में जजों की रिक्तियां (%, जनवरी 2025)
- हाई कोर्ट स्टाफ़ वैकेंसी (%, जून 2024)

जनवरी 2025 में, सुप्रीम कोर्ट के जजों समेत देश में जजों की वास्तविक संख्या 21,285 थी। यह 2022 से लगभग 6 प्रतिशत ज़्यादा है, लेकिन मौजूदा स्वीकृत संख्या 26,927 से काफ़ी कम है। 2011 की जनगणना और स्वीकृत संख्या के आधार पर, राज्यसभा में दिए गए सरकार के एक उत्तर के अनुसार न्यायाधीश और जनसंख्या अनुपात 21 न्यायाधीश प्रति 10 लाख व्यक्ति है।[2] मार्च 2025[3] की जनसंख्या अनुमानों के आधार पर, न्यायाधीशों की वास्तविक संख्या 10 लाख की आबादी पर 15 न्यायाधीश की बैठती है। यदि सभी स्वीकृत पदों पर जजों नियुक्तियां हो जाती हैं, फिर भी न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात प्रति 10 लाख की आबादी पर केवल 19 न्यायाधीश का होगा। यह विधि आयोग के 1987 की उस सिफ़ारिश से काफ़ी कम है जिसमें प्रति 10 लाख की आबादी[4] पर 50 न्यायाधीश का प्रस्ताव दिया गया था।

निचली अदालतों के स्तर पर, मिज़ोरम में जजों और जनसंख्या का अनुपात सबसे बेहतर है, जहां प्रत्येक 28,022 लोगों पर एक जज हैं। बड़े राज्यों में, पंजाब का प्रदर्शन अपेक्षाकृत अच्छा है, जहां प्रत्येक 43,046 लोगों पर एक जज हैं। बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसके विपरीत यह अनुपात 70 हजार से अधिक की आबादी पर एक जज का है। पश्चिम बंगाल में यह अनुपात प्रति एक लाख लोगों पर एक जज का हो जाता है।

हाई कोर्ट्स: 2016-2017 और 2025 के बीच, हाई कोर्ट के जजों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 1,136 से घटकर 1,122 हो गई। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ने जजों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या में 8 जजों के पद जोड़े, जबकि गुवाहाटी और ओडिशा ने 6-6 और हिमाचल प्रदेश ने 4 जजों के पद सृजित किए। त्रिपुरा ने अपनी स्वीकृत संख्या में 1 की कमी की, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने भी अपनी स्वीकृत संख्या को घटाया। अन्य सभी राज्यों में कोई बदलाव नहीं हुआ। जजों के स्वीकृत पदों के मुक़ाबले कुल ख़ाली पद 42 प्रतिशत से घटकर 33 प्रतिशत हो गए।

इसी अवधि में चार हाई कोर्ट - हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रिक्तियां बढ़ीं। 2025 तक, पच्चीस में से सोलह हाई कोर्ट्स[6] में न्यायाधीशों के चार में से एक पद रिक्त थे। जम्मू और कश्मीर, पंजाब और हरियाणा, ओडिशा, इलाहाबाद - इन पांच हाई कोर्ट में वैकेंसी 40 प्रतिशत से अधिक हो गई है। उत्तर प्रदेश में यह 51 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। केवल मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा में ही जजों का कोई पद रिक्त नहीं है। पिछले तीन वर्षों (2022 और 2025) में अहम बदलाव बहुत कम हुए हैं। केवल बारह हाई कोर्ट[7] ही जजों के

जज प्रति लाख जनसंख्या

सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय हाई कोर्ट को छोड़कर किसी भी हाई कोर्ट में जजों के सभी पद भरे हुए नहीं हैं।

जनसंख्या के आधार पर आकलन करने पर, भारत में औसतन एक हाई कोर्ट जज 18.7 लाख की आबादी और निचली अदालत के औसतन एक जज 69,000 लोगों को सेवाएं देते हैं। केवल आठ हाई कोर्ट[5] में, औसतन एक हाई कोर्ट जज 10 लाख से कम लोगों को न्यायिक सेवाएं देता है। बाक़ी सभी जगह पर 12 लाख (मद्रास हाई कोर्ट) से 38 लाख (पटना हाई कोर्ट) की आबादी पर एक जज उपलब्ध हैं।

निचली अदालतों के स्तर पर, मिज़ोरम में जजों और जनसंख्या का अनुपात सबसे बेहतर है, जहां प्रत्येक 28,022 लोगों पर एक जज हैं। बड़े राज्यों में, पंजाब का प्रदर्शन अपेक्षाकृत अच्छा है, जहां प्रत्येक 43,046 लोगों पर एक जज हैं। बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसके विपरीत यह अनुपात 70 हजार से अधिक की आबादी पर एक जज का है। पश्चिम बंगाल में यह अनुपात प्रति एक लाख लोगों पर एक जज का हो जाता है।

2 राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2043, दिनांक 12 दिसंबर, 2024. इस लिंक पर उपलब्ध: https://sansad.in/getFile/annex/266/AU2043_z04FVP.pdf?source=pqars
3 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट में जुलाई 2020 के लिए भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान (2011 से 2036), नवंबर 2019. इस लिंक पर उपलब्ध: https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/Population%20Projection%20Report%202011-2036%20-%20upload_compressed_0.pdf
4 भारतीय विधि आयोग, 120वीं रिपोर्ट: "मैनपावर प्लानिंग इन इंडिया: अ जुडिशल ब्लूप्रिंट", इस लिंक पर उपलब्ध: 1987. https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022080852.pdf
5 दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा हाई कोर्ट।
6 इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पटना, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड।
7 बॉम्बे, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तराखंड के हाई कोर्ट।

चित्र 31: अधीनस्थ अदालतों में रिक्तियों का स्तर

पिछले तीन वर्षों में, केवल 11 बड़े और मध्यम आकार के राज्य अधीनस्थ अदालतों में रिक्तियों को भरने या उसी स्तर पर बनाए रखने में सफल रहे। इसके विपरीत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसी दौरान रिक्तियां दोगुनी से अधिक हो गईं। जबकि इसी बीच केसों का बोझ लगातार बढ़ रहा है।

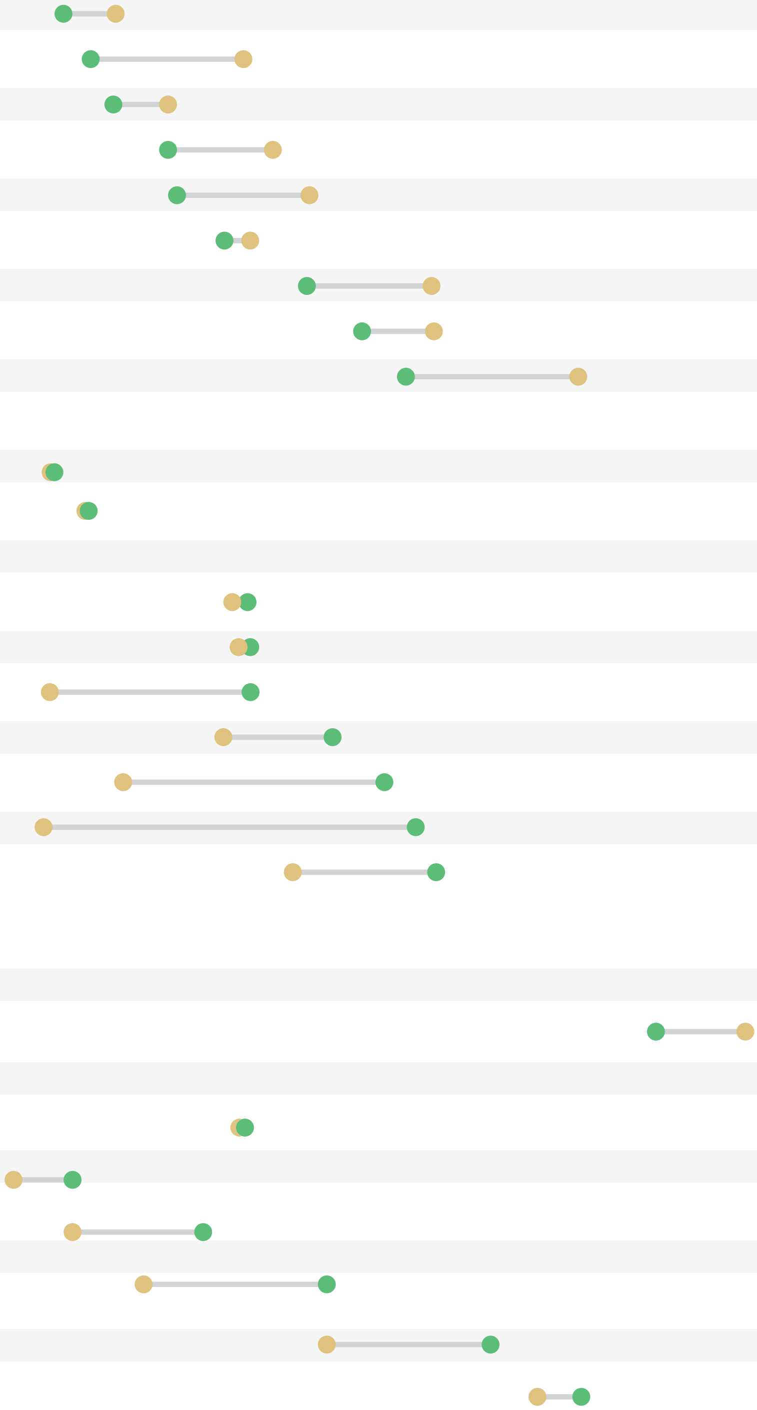

बड़े और मध्यम आकार के राज्य	अधीनस्थ न्यायालयों में जजों की वैकेंसी (%) IJR 1 जुलाई 2022	IJR 4 जनवरी 2025
सुधार हुआ		
पंजाब	13.3	10.1
आंध्र प्रदेश	20.4	11.7
केरल	16.0	12.9
कर्नाटक	21.9	16.1
मध्य प्रदेश	23.8	16.6
ओडिशा	20.7	19.2
बिहार	30.7	23.9
उत्तर प्रदेश	31.0	26.9
हरियाणा	39.0	29.4
कोई बदलाव नहीं		
उत्तराखंड	9.4	9.4
महाराष्ट्र	11.4	11.4
स्थिति बिगड़ी		
तेलंगाना	19.7	20.5
राजस्थान	20.1	20.7
पश्चिम बंगाल	9.5	20.8
तमिलनाडु	19.2	25.3
झारखंड	13.6	28.2
छत्तीसगढ़	8.9	29.9
गुजरात	23.0	31.1
छोटे राज्य		
सुधार हुआ		
मेघालय	48.5	43.4
कोई बदलाव नहीं		
गोवा	20.0	20.0
स्थिति बिगड़ी		
हिमाचल प्रदेश	7.4	10.6
त्रिपुरा	10.7	18.0
अरुणाचल प्रदेश	14.6	25.0
सिक्किम	25.0	34.3
मिज़ोरम	36.9	39.2

राज्यों के नाम उनकी वैकेंसी के बढ़ते क्रम (सबसे अच्छा से सबसे ख़राब) में लिखे गए हैं।
स्रोत: लोक सभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 2116; राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 433

कुछ ख़ाली पद भर सके, चार[8] में कोई बदलाव नहीं हुआ और नौ हाई कोर्ट्स[9] में तो वास्तव में रिक्तियों में बढ़ोतरी हुई।

हाई कोर्ट स्टाफ़: पिछले कुछ वर्षों में बहुत कम बदलाव के साथ, हाई कोर्ट स्टाफ़ की वैकेंसी औसतन लगभग 25 प्रतिशत पर बनी रहीं। 2025 में, तेरह हाई कोर्ट्स[10] में स्टाफ़ वैकेंसी 20 प्रतिशत से लेकर करीब 50 प्रतिशत के बीच रहीं। गुजरात में पिछले कुछ वर्षों के दौरान स्टाफ़ के ख़ाली पद लगभग दोगुने होकर 47 प्रतिशत हो गए। केवल 2019 में अपना नया हाई कोर्ट स्थापित करने वाले आंध्र प्रदेश ने अपनी रिक्तियों में उल्लेखनीय कमी की और इसे वह 2022 के 51 प्रतिशत से घटाकर 2025 में 18 प्रतिशत पर ले आया।

निचली अदालतें: अधिकांश केस निचली अदालतों में शुरू और ख़त्म होते हैं। फिर भी, इन अदालतों में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 25,771 है यानी कि 10 लाख की आबादी पर औसतन 18 जज उपलब्ध हैं।

2016-2017 से 2025 के बीच, निचली अदालतों में जज के पदों की कुल स्वीकृत संख्या में केवल 3,224 की वृद्धि हुई। आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना को छोड़, सभी राज्यों ने अपने जजों के स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई, जो 2,557 से बढ़कर 3,700 हो गई। गोवा में जजों की स्वीकृत संख्या और वास्तविक संख्या - दोनों में कमी हुई, जिससे उनकी क्षमता में बहुत ज़्यादा कमी आई।

अदालतों में जजों की वास्तविक संख्या चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। वर्तमान में, निचली अदालतों के 20,478 जज 1.4 अरब लोगों को न्यायिक सेवाएं देते हैं। यह औसत प्रति 10 लाख पर लगभग 15 जज की उपलब्धता का है।

गोवा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उदाहरण बताते हैं कि राज्यों में अलग-अलग आंकड़े हैं। गोवा में प्रति 10 लाख की आबादी पर 25 जज, सिक्किम में 33 जज और दिल्ली में 36 जज हैं जो कि जजों और जनसंख्या का सबसे अच्छा अनुपात है। जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य प्रति 10 लाख की आबादी पर केवल 10 जज के आंकड़ों के साथ काफ़ी पीछे हैं।

निचली न्यायपालिका में वैकेंसी लगातार उच्च स्तर पर है। 2018-2019 से 2025 तक, निचली अदालतों में कुल जुडिशल वैकेंसी 21 प्रतिशत से 22 प्रतिशत के बीच रही हैं एवं 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[11] में रिक्तियों का स्तर लगातार बढ़ा है। सबसे ख़राब स्थिति सिक्किम की रही, जहां रिक्तियां 2018-19 में 17 प्रतिशत थीं जो 2025 में बढ़कर 34 प्रतिशत हो गई। उसके बाद छत्तीसगढ़ (14 प्रतिशत से 30 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (7 प्रतिशत से 21 प्रतिशत) और मिज़ोरम (28 प्रतिशत से 39 प्रतिशत) का स्थान रहा। महाराष्ट्र और राजस्थान में भी रिक्तियों में बढ़ोतरी देखी गई। दोनों राज्यों में लंबित मामलों की संख्या भी अधिक है।

2022 से 2025 तक तीन वर्षों में सत्रह राज्य और केंद्रशासित प्रदेश[12] ज़िला जजों के ख़ाली पदों को भरने में कामयाब रहे, जबकि बारह[13] में रिक्तियां बढ़ीं और 6 में कोई बदलाव नहीं हुआ।[14]

अभी, 2025 में केवल चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में कोई वैकेंसी नहीं थी। तेरह राज्य और केंद्रशासित प्रदेश[15] 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के बीच की वैकेंसी के साथ स्टाफ़ की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि केवल असम और उत्तराखंड ही वैकेंसी की दर को 10 प्रतिशत से नीचे रखने में कामयाब रहे हैं। कई राज्यों में रिक्तियों की दर चिंताजनक स्तर पर है। जैसे, मेघालय (43 प्रतिशत), मिज़ोरम (39 प्रतिशत), लद्दाख (35 प्रतिशत) और सिक्किम (34 प्रतिशत)।

इंफ़्रास्ट्रक्चर

कोर्टहॉल की कमी (%, जनवरी 2025)

न्यायालय कक्षों (कोर्ट हॉल) की कमी से न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रभावित होती है। जबकि अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अधिक संख्या में कोर्ट हॉल बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं, जजों के स्वीकृत पदों के मुक़ाबले 15 प्रतिशत की कमी बनी हुई है। 2022 और 2025 के बीच स्वीकृत पदों में 1,140 की वृद्धि और 1,031 नए कोर्ट हॉल बनने के बाद भी यह कमी बनी हुई है।

8 आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और सिक्किम हाई कोर्ट।
9 बॉम्बे, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, गुजरात, झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा, पटना, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना के हाई कोर्ट।
10 इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पटना, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड।
11 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, लद्दाख, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, नगालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार।
12 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब और उत्तर प्रदेश।
13 अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मिज़ोरम, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार।
14 चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, गोवा, महाराष्ट्र, नगालैंड और उत्तराखंड।
15 अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, लद्दाख, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

न्यायिक संरचना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना

हालांकि जुडिशल इंफ़्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन केंद्र सरकार 1993-94 से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के तहत धनराशि जारी कर रही है। इस राशि का इस्तेमाल अदालत की इमारतों, न्यायिक अधिकारियों के आवास, वकीलों के लिए हॉल, डिजिटल कंप्यूटर रूम और शौचालयों सहित भौतिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए किया जाता है। इस योजना को 9,000 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय (फ़ाइनेंशियल आउटले) के साथ 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है जिसमें केंद्र का हिस्सा 5,307 करोड़ रुपए का है।[16]

ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम 'न्याय विकास' इस योजना के तहत चल रहे प्रोजेक्ट्स की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर आंकड़े जुटाने के लिए जियो-टैगिंग का इस्तेमाल करता है। नियुक्त नोडल अधिकारियों और सर्वेक्षणकर्ताओं के ज़रिए सभी राज्य जुडिशल इंफ़्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए जारी और पूरी हो चुकी परियोजनाओं से संबंधित डेटा और जानकारी अपलोड करते हैं।[17]

चित्र 32: न्याय विकास बजट का उपयोग

पूरे देश में अधीनस्थ अदालतों में संरचनात्मक कमियों के बावजूद, न्याय विकास बजट का उपयोग संतोषजनक नहीं है।

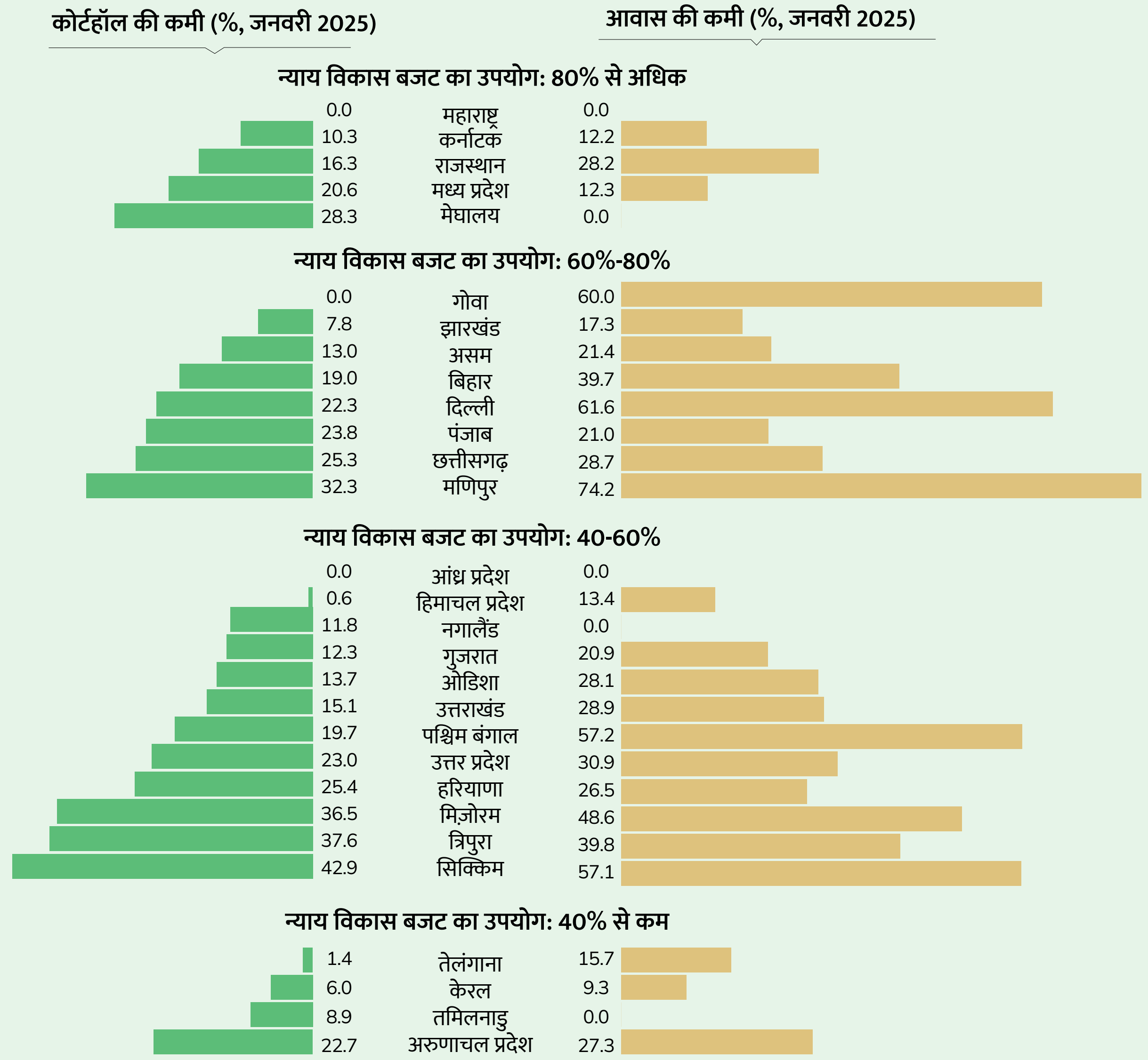

1. ग्राफ़िक में दिल्ली और सभी राज्य हैं, अपनी श्रेणी में कोर्टहॉल की कमियों के बढ़ते क्रम में हैं। 2. बजट का उपयोग तीन सालों (2021-22 से 2023-24) का औसत है।
स्रोत: न्याय विभाग और लोकसभा का अतारांकित प्रश्न संख्या 794

16 लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 843, दिनांक 26 जुलाई, 2024. इस लिंक पर उपलब्ध: https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/182/AU843_CTC1Jh.pdf?source=pqals
17 न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार; न्याय विकास पोर्टल. इस लिंक पर उपलब्ध: https://bhuvan-nyayavikas.nrsc.gov.in/

2025 तक, 20,478 जजों के लिए 22,045 कोर्ट हॉल उपलब्ध हैं। हालांकि, सभी 25,771 स्वीकृत पद भर दिए जाने के बाद 15 प्रतिशत की कमी बनी रहेगी।

2025 में, दस[18] राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़कर, सभी में कोर्ट हॉल की कमी दर्ज की गई। बड़े राज्यों में, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 25 प्रतिशत कोर्ट हॉल की कमी है। 2022 से 2025 तक, उन्नीस[19] राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने जजों की स्वीकृत संख्या और आवश्यक कोर्ट हॉल के बीच के अंतर को कम किया, जिनमें मेघालय और अरुणाचल प्रदेश ने बड़ा सुधार दिखाया। इसके विपरीत, ग्यारह[20] राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अभी भी 25 प्रतिशत से अधिक की कमी का सामना कर रहे हैं और 2025 में केवल तीन राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के पास पर्याप्त कोर्ट हॉल हैं।[21]

कोर्ट हॉल की तुलना वर्तमान जजों की संख्या से करने पर, ग्यारह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोर्ट हॉल की कमी[22] पाई गई, जिसमें लक्षद्वीप में एक कोर्ट हॉल की कमी से लेकर पंजाब में 110 कोर्ट हॉल की कमी तक शामिल है। 2022 और 2025 के बीच, अधिकांश राज्यों ने ज़्यादा संख्या में नए कोर्ट हॉल तैयार किए, जिसमें उत्तर प्रदेश ने 136 नए कोर्ट हॉल बनाए, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा और पुडुचेरी में इनकी संख्या घटी।

विविधता

- महिला जज (हाई कोर्ट) (%, फरवरी 2025)
- महिला जज (अधीनस्थ न्यायालय) (%, फरवरी 2025)
- SC जज, नियुक्त और आरक्षित पदों का अनुपात (अधीनस्थ न्यायालय) (%, फरवरी 2025)
- ST जज, नियुक्त और आरक्षित पदों का अनुपात (अधीनस्थ न्यायालय) (%, फरवरी 2025)
- OBC जज, नियुक्त और आरक्षित पदों का अनुपात (अधीनस्थ न्यायालय) (%, फरवरी 2025)

लैंगिक विविधता: कुल जजों[23] में महिलाओं की संख्या 37.4 प्रतिशत है। इनमें से हाई कोर्ट्स में 14 प्रतिशत और निचली अदालतों में 38 प्रतिशत महिला जज हैं। 2022 से 2025 तक, इन हाई कोर्ट्स में महिला जजों की भागीदारी केवल 1 प्रतिशत और निचली अदालतों में 3 प्रतिशत बढ़ी है। कुल मिलाकर, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्तर के 21,253 जजों में से 8,000 से कम महिला जज हैं। इनमें से हाई कोर्ट में 106 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 7,852 महिला जज हैं। महिलाओं के उच्च स्तर तक पहुंचने की राह में अभी भी बड़ी बाधाएं मजबूती से खड़ी हैं। गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहां साल 2022 से अधीनस्थ अदालतों (20 प्रतिशत) के मुक़ाबले हाई कोर्ट (25 प्रतिशत) में अधिक महिला जज हैं। मेघालय, त्रिपुरा और उत्तराखंड के हाई कोर्ट्स में कोई महिला जज नहीं है, लेकिन उनके अधीनस्थ न्यायालयों में महिलाओं की उच्च हिस्सेदारी दर्ज की गई है।

नीतिगत सुझावों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाते हुए न्यूनतम 33 प्रतिशत तक लाने की बात कही गई है। 2016-2017 से 2025 के बीच, अधिकांश राज्यों की ज़िला अदालतों में महिला जजों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। नगालैंड में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई, जो 20 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई। उसके बाद मिज़ोरम (21 प्रतिशत से 51 प्रतिशत) और अरुणाचल प्रदेश (शून्य से 33 प्रतिशत) का स्थान रहा। हालांकि सिक्किम (65 प्रतिशत से 48 प्रतिशत) और मेघालय (74 प्रतिशत से 61 प्रतिशत) में महिला जजों की संख्या घटी, लेकिन इन दोनों राज्यों में महिला जजों की लगातार उच्च हिस्सेदारी दर्ज की गई है। बड़े राज्यों में, राजस्थान (27 प्रतिशत से 42 प्रतिशत) और बिहार (12 प्रतिशत से 27 प्रतिशत) में सबसे अधिक सुधार हुआ है। सिर्फ़ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव की निचली अदालतों में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है।

फरवरी 2025 तक, 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने निचली स्तर की न्यायपालिका में 33 प्रतिशत या उससे अधिक महिलाओं को लाने का लक्ष्य हासिल कर लिया था, जिसमें साल दर साल लगातार वृद्धि हो रही है। सात राज्यों में 50 प्रतिशत या उससे अधिक महिला जज थीं। वहीं, उत्तर प्रदेश (32 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर (32 प्रतिशत), महाराष्ट्र (31 प्रतिशत) और गुजरात (20 प्रतिशत) सहित सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[24] ने यह लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया था।

2025 में, हाई कोर्ट स्तर पर सिक्किम और तेलंगाना में महिला जजों की हिस्सेदारी सबसे अधिक 33 प्रतिशत थी। इनमें तेलंगाना ने 2018

18 आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना.

19 अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड.

20 छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम और त्रिपुरा।

21 आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा और महाराष्ट्र।

22 असम, दादर और नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड।

23 हाई कोर्ट और ज़िला न्यायालय स्तर पर। अधीनस्थ न्यायालय स्तर पर महिला न्यायाधीशों का नवीनतम आंकड़ा 20 मार्च 2025 को राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या- 2354 के जवाब से लिया गया है। इस लिंक पर उपलब्ध: https://sansad.in/getFile/annex/267/AU2354_GpF5iE.pdf?source=pqars

24 आंध्र प्रदेश, गोवा, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, पंजाब और तेलंगाना।

चित्र 33: न्यायपालिका में महिलाएं

सभी राज्यों की अधीनस्थ अदालतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ा है, लेकिन हाई कोर्ट्स में यह वृद्धि समान नहीं रही है। केवल तेलंगाना और सिक्किम हाई कोर्ट में ही 30% से अधिक महिला जज हैं, जबकि उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक भी महिला जज नहीं है।

महिला जजों का हिस्सा (%)

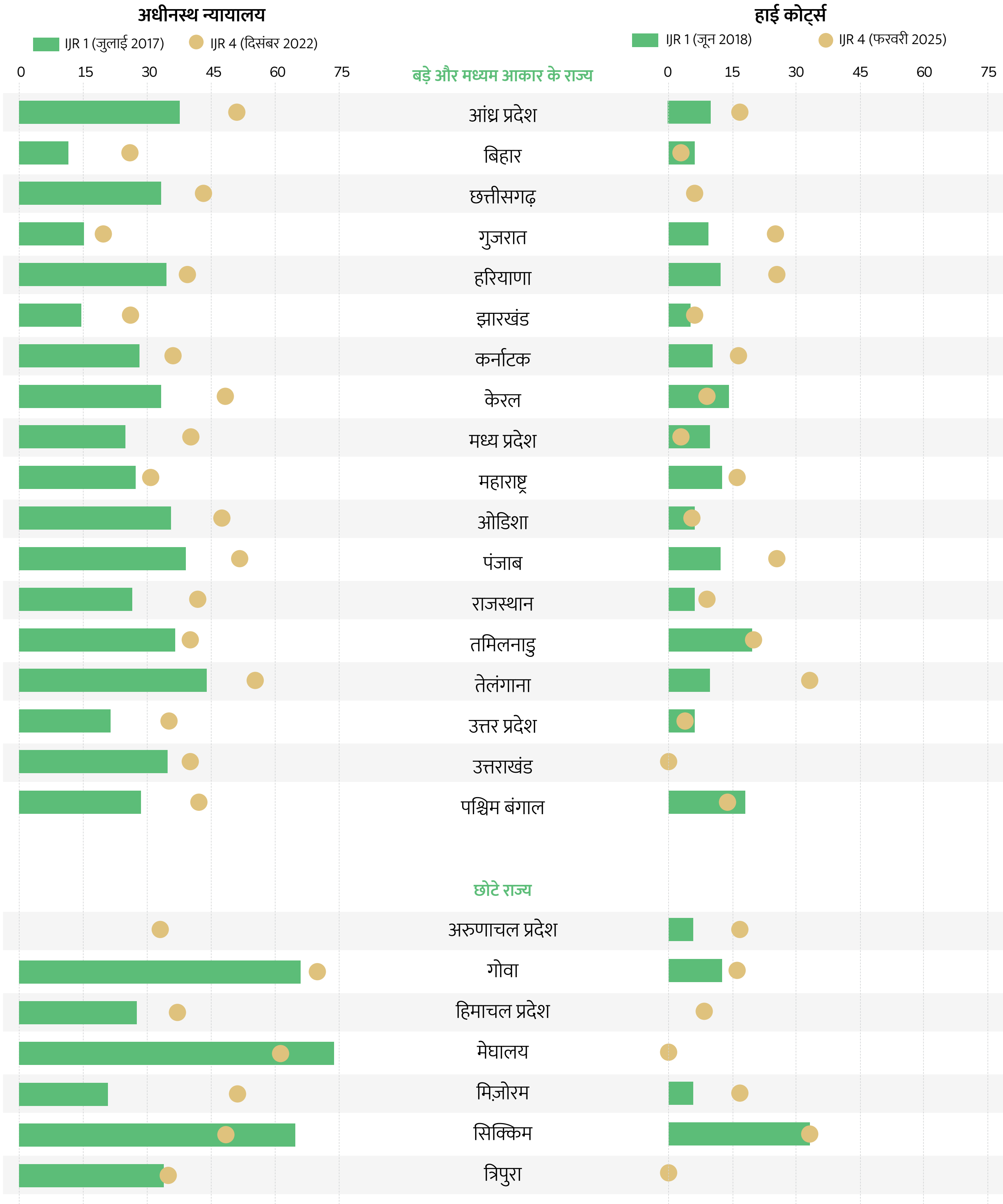

नोट: IJR 1 में हाई कोर्ट के जजों के आंकड़े जून 2018 के और अधीनस्थ न्यायालय के जजों के आंकड़े जुलाई 2017 के हैं। IJR 4 में हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के जजों का डेटा फरवरी 2025 का है।
स्रोत: न्याय विभाग और राज्यसभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 2354, दिनांक- 20 मार्च 2025.

के बाद से उल्लेखनीय प्रगति की है। सात हाई कोर्ट्स[25] में 20 प्रतिशत या उससे अधिक महिला जज थीं, जबकि नौ हाई कोर्ट में 10 प्रतिशत से कम थीं।[26] मेघालय, त्रिपुरा और उत्तराखंड हाई कोर्ट्स में 2018 से कोई महिला जज नहीं हैं। जबकि 2025 में, मणिपुर (25 प्रतिशत) और बिहार (2.9 प्रतिशत) में 2018 के बाद पहली बार महिला जजों की नियुक्ति हुई।

जातिगत विविधता[27] : राज्यों के क़ानून और नीतियां लिंग और जाति के आधार पर सार्वजनिक संस्थानों में आरक्षण निर्धारित करती हैं और हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए भी इसका प्रावधान किया गया है। जाति-आधारित आरक्षण का स्तर हर राज्य में अलग-अलग है और हाई कोर्ट्स में जातिगत विविधता संबंधी राज्यवार आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, संसद में दिए हाई कोर्ट्स की जातिगत विविधता से जुड़े प्रश्नों के उत्तर से पता चलता है कि 2018 से हाई कोर्ट्स में 698 न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं जिनमें से 22 एससी, 15 एसटी और 87 ओबीसी वर्ग से हैं जबकि 37 अल्पसंख्यक समुदायों[28] से आते हैं।

ज़िला अदालतों के स्तर पर कर्नाटक के अलावा कोई भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे में सभी बहालियां नहीं कर सका है। दस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[29] ने अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे के अनुरूप नियुक्तियां कीं। तमिलनाडु इस श्रेणी में सबसे ज़्यादा आरक्षण (50 प्रतिशत) देने में दूसरे स्थान पर है और इसने भी अपने कोटे के अनुरूप नियुक्तियां कीं।

तेलंगाना ने अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के कोटे के सभी पदों को भरा। लद्दाख (588 प्रतिशत), चंडीगढ़ (148 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (111 प्रतिशत), कर्नाटक (110 प्रतिशत) और असम (100 प्रतिशत) ने अपने अनुसूचित जाति के कोटे से ज़्यादा संख्या में एससी जजों की नियुक्ति की।

तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड ने एसटी कोटा में सभी बहालियां की जबकि गुजरात और ओडिशा इस कोटे में केवल 2 प्रतिशत नियुक्तियां ही कर पाए। पश्चिम बंगाल में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण है, लेकिन इसके बावजूद वहां इनमें से किसी वर्ग का कोटा पूरा नहीं भरा गया।

बजट

न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति ख़र्च (रु, 2022-23)

केंद्र और राज्य सरकारें - दोनों न्यायपालिका के लिए बजट का प्रावधान करती हैं। इसका बड़ा हिस्सा राज्य के बजट से आता है, जबकि केंद्र ई-कोर्ट्स इनिशिएटिव जैसी विशेष केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के लिए धन उपलब्ध कराता है।[30] 2022-2023 में किसी भी राज्य ने न्यायपालिका पर अपने बजट का 1 प्रतिशत से अधिक ख़र्च नहीं किया। सभी राज्यों का औसत मिलाकर 0.59 प्रतिशत का रहा जिसमें अरुणाचल प्रदेश ने सबसे कम 0.17 प्रतिशत और पंजाब ने सबसे ज़्यादा 0.88 प्रतिशत ख़र्च किया।

वित्तीय वर्ष 2019-2023 के बीच, उन्नीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[31] ने अपना कुल राज्य व्यय बढ़ाने के साथ-साथ न्यायपालिका पर ख़र्च में भी वृद्धि की। चंडीगढ़ और मिज़ोरम ने क्रमशः 10.26 और 7.42 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की। लेकिन बारह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[32] में न्यायपालिका पर ख़र्च घटा। नगालैंड, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में राज्य व्यय और न्यायपालिका पर ख़र्च में वृद्धि के बीच सबसे बड़ा अंतर दर्ज किया गया जहां न्यायपालिका पर ख़र्च में क्रमशः 7.70, 6.39 और 2.39 प्रतिशत की कटौती की गई।

2022-2023 में न्यायपालिका पर औसतन राष्ट्रीय व्यय प्रति व्यक्ति 182 रुपए रहा, जो 2017-2018 से 63 रुपए अधिक है। आठ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[33] ने राष्ट्रीय औसत से कम ख़र्च किया। पहले से ही प्रति व्यक्ति ज़्यादा ख़र्च करने वाले सिक्किम का 2017-2018 में ख़र्च 496 रुपए था, जो 2022-2023 में दोगुना होकर 966 रुपए हो गया। यह 2022-2023 में उत्तर प्रदेश द्वारा ख़र्च किए गए 125 रुपए से लगभग आठ गुना और बिहार द्वारा ख़र्च किए गए 101 रुपए से नौ गुना से अधिक है।

25 दिल्ली, गुजरात, मद्रास, मणिपुर, पंजाब, सिक्किम और तेलंगाना।
26 इलाहाबाद, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के हाई कोर्ट ।
27 अधीनस्थ न्यायालयों में 2025 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जजों की संख्या से संबंधित आंकड़ा 20 मार्च, 2025 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2354 के उत्तर से लिया गया है। इस लिंक पर उपलब्ध: https://sansad.in/getFile/annex/267/AU2354_GpF5iE.pdf?source=pqars
ओबीसी न्यायाधीशों से संबंधित आंकड़ा 29 जुलाई, 2022 को लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2116 के उत्तर से लिया गया है। इस लिंक पर उपलब्ध: https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/179/AU2116.pdf?source=pqals
28 राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1075, दिनांक 13 फरवरी, 2025. इस लिंक पर उपलब्ध: https://sansad.in/getFile/annex/267/AU1075_Q9lwa5.pdf?source=pqars
29 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना।
30 सुरेश निलीना। 'एक्सप्लेन्ड: हाउ द यूनियन बजट फंड्स इंडियाज जस्टिस सिस्टम', इंडिया स्पेंड, 22 फरवरी, 2022. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.indiaspend.com/explainers/how-the-union-budget-funds-indias-justice-system-804821
31 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिज़ोरम, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।
32 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा।
33 असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश।

इस अवधि में सिक्किम द्वारा भी ख़र्च में सबसे अधिक वृद्धि की गई थी। दूसरी ओर, दिल्ली ने 2017-18 में सबसे अधिक (544 रुपए) ख़र्च किए और इसने 2022-2023 में अपने ख़र्च में लगभग 50 प्रतिशत (236 रुपए) की बढ़ोतरी करते हुए 780 रुपए ख़र्च किए। त्रिपुरा (304 रुपए से 336 रुपए) और बिहार (67 रुपए से 101 रुपए) ने अपने ख़र्च में क्रमशः केवल 32 रुपए और 34 रुपए की वृद्धि की जो कि इस अवधि में की गई सबसे कम वृद्धि थी। नगालैंड एकमात्र राज्य है जिसका ख़र्च 223 रुपए से घटकर 204 रुपए हो गया।

कार्यभार

पेंडिंग केस (3 साल से पुराने) (हाई कोर्ट) (%, जनवरी 2025) नया नया

पेंडिंग केस (3 साल से पुराने) (अधीनस्थ न्यायालय) (%, जनवरी 2025) नया नया

केस क्लियरेंस रेट (हाई कोर्ट) (%, 2024)

केस क्लियरेंस रेट (अधीनस्थ न्यायालय) (%, 2024)

ऐतिहासिक रूप से, अदालतों में केसों के निपटारे में बहुत ज़्यादा समय लगता है और ये कई सालों तक लंबित रहते हैं। कई विधि आयोगों की रिपोर्ट में इस बढ़ते कार्यभार से निपटने के लिए प्रणालीगत न्यायिक सुधारों की ज़रूरत दोहराई गई है। जैसे, 1958 में 14वें विधि आयोग की रिपोर्ट ने प्रक्रियागत देरी को संबोधित किया और विशेष रूप से ट्रायल कोर्ट के स्तर पर प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की ज़रूरत बताई; 1987 में 120वीं रिपोर्ट ने न्यायाधीशों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की वकालत की; 2009 की 230वीं रिपोर्ट ने सभी अदालतों में छुट्टियां कम करने की सिफ़ारिश की और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के इस्तेमाल पर ज़ोरदिया। फिर भी, लंबित मामलों का पहाड़ है। 2016 में, सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग की एक रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि 2040 तक, ज़िला अदालतों में 40 से 80 हजार न्यायाधीश होंगे।

जनवरी 2025 तक हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लंबित 5.1 करोड़ मामलों में से बारह प्रतिशत 10 वर्षों से अधिक समय से और 22 प्रतिशत 5 से 10 वर्षों से लंबित हैं। औसतन, 61 और 46 प्रतिशत मामले 3 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। इनके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट में 82,000 मामले लंबित हैं। [34]

केस प्रति जज

पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ने के कारण प्रति जज औसत वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2024 के अंत तक, सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय को छोड़ अधिकांश हाई कोर्ट्स में प्रति न्यायाधीश पर औसतन 1,000 से अधिक केसों का वर्कलोड था, जबकि इलाहाबाद और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हर जज पर आश्चर्यजनक रूप से 15,000 केसों का कार्यभार था।

ज़िला स्तर पर, अलग-अलग राज्यों में प्रति जज औसत कार्यभार में बहुत अंतर था और यह प्रति जज 2,200 मामलों तक बढ़ गया था। 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रति जज औसतन 500 से अधिक मामले लंबित थे, जिनमें कर्नाटक में प्रति जज लगभग 1,750, केरल में 3,800 और उत्तर प्रदेश में 4,300 मामलों का कार्यभार था। केवल सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने 300 से कम मामलों का कार्यभार बनाए रखा।

पिछले पांच वर्षों (2020-2024) में, तेरह हाई कोर्ट के जजों पर कार्यभार बढ़ा है, जबकि केवल बिहार, मेघालय और पुडुचेरी ही ज़िला अदालत के जजों पर कार्यभार को कम करने में कामयाब रहे हैं।

हाई कोर्ट के स्तर पर, उत्तर प्रदेश में 10 वर्षों से अधिक समय से 4.5 लाख मामले लंबित हैं, उसके बाद महाराष्ट्र (1.7 लाख) और मध्य प्रदेश (1.4 लाख) का स्थान है। कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा को छोड़कर सभी हाई कोर्ट्स में हर दो में से एक मामला 3 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी मामलों में से 71 प्रतिशत मामले ऐसे हैं।

26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ज़िला अदालतों में, हर तीन में से एक मामला 3 साल से ज़्यादा समय से लंबित है। ऐसे मामलों की सबसे ज़्यादा संख्या, 71 प्रतिशत, बिहार में है। ऐसे 50 प्रतिशत से ज़्यादा मामले छह राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, मेघालय, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल - में लंबित हैं। सिर्फ़ सिक्किम में 10 प्रतिशत से भी कम मामले लंबित हैं।

सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[35] में 10 प्रतिशत से अधिक मामले 10 साल से अधिक समय से लंबित हैं। बिहार में सबसे अधिक (22 प्रतिशत) मामले लंबित हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल (20 प्रतिशत) का

34 जनवरी 2025: पेंडेंसी इनक्रीजेज बाए ऑवर 2600 कम्पेयर्ड टू लास्ट जनवरी, सुप्रीम कोर्ट आब्जर्वर, 6 फ़रवरी, 2025. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.scobserver.in/journal/january-2025-pendency-increases-by-over-2600-compared-to-last-january/

स्थान है। हालांकि, सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ऐसे लंबित मामलों की संख्या 1 प्रतिशत[36] से भी कम है, जबकि 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह 1.5 प्रतिशत से 9 प्रतिशत के बीच है। [37]

मामले निपटाने की दर: एक साल में निपटाए गए केसों की संख्या यानी कि केस क्लीयरेंस रेट (CCR) को उस साल दाख़िल केसों की संख्या के आधार पर आंका जाता है। यह एक स्टैंडर्ड मीट्रिक है जिसका उपयोग मामलों को निपटाने की दर निर्धारित करने के लिए किया जाता है।[38] अगर CCR100 प्रतिशत से अधिक हो तो पेंडिंग केसों में कमी आती है। 2024 के अंत में, राष्ट्रीय स्तर पर 25 हाई कोर्ट्स[39] ने 94 प्रतिशत का सीसीआर हासिल किया जो लगभग 2022 के समान है। इन 25 में से 10 हाई कोर्ट्स ने 100 प्रतिशत से अधिक सीसीआर दर्ज किया। इनमें से सात - झारखंड, त्रिपुरा, पंजाब और हरियाणा, मद्रास, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल- ने लगातार तीसरे वर्ष यह दर हासिल की साल 2017 से 2024 के बीच, बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के हाई कोर्ट कभी भी 100 प्रतिशत की दर प्राप्त नहीं कर सके। आंध्र प्रदेश ने 2024 में पहली बार 100 प्रतिशत की दर हासिल की। साल 2017 में क्रमश: 102 और 110 प्रतिशत के सीसीआर वाले इलाहाबाद और उत्तराखंड हाई कोर्ट का 2024 में सबसे कम, क्रमश: 78 प्रतिशत और 75 प्रतिशत, सीसीआर रहा।

5 वर्ष की अवधि (2020-2024) पर नज़र डालें तो 15 हाई कोर्ट्स ने सीसीआर[40] को लगातार बेहतर किया है। सबसे ज़्यादा सुधार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुआ। इसके विपरीत, 11 हाई कोर्ट्स[41] के सीसीआर में गिरावट आई, जिनमें मणिपुर और सिक्किम में सबसे ज़्यादा गिरावट आई।

कुल 96 प्रतिशत सीसीआर के साथ ज़िला अदालतों ने लगभग हाई कोर्ट की दर से मामलों का निपटारा किया जो 2022 के 89 प्रतिशत सीसीआर से उल्लेखनीय वृद्धि है। बीते 5 वर्षों में, ज़िला अदालतों के स्तर पर, 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[42] का CCR बढ़ा है जबकि 11 राज्यों के CCR में गिरावट[43] आई है।

साल 2024 में 2022 के मुक़ाबले दोगुने (18) राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[44] ने 100 प्रतिशत से अधिक की दर से मामलों का निपटारा किया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने सबसे अधिक 153 प्रतिशत की दर दर्ज की, उसके बाद केरल (113 प्रतिशत) और हरियाणा (112 प्रतिशत) का स्थान रहा। मिज़ोरम (61 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (64 प्रतिशत) और दिल्ली (78 प्रतिशत) में सबसे कम दर दर्ज की गई। तीन राज्य - हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान - 2017 के बाद पहली बार 100 प्रतिशत केस क्लीयरेंस दर हासिल करने में सफल रहे, जबकि आठ राज्य[45] 2017 के बाद से किसी वर्ष ऐसा नहीं कर पाए हैं।

लेखक:
लिया वर्गीज़ और ज्योतिका रंधावा, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी
नयनिका सिंघल, वरिष्ठ शोधकर्ता, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
सरब लाम्बा, शोधकर्ता, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

34 जनवरी 2025: पेंडेंसी इनक्रीजेज बाए ऑवर 2600 कम्पेयर्ड टू लास्ट जनवरी, सुप्रीम कोर्ट आब्जर्वर, 6 फ़रवरी, 2025. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.scobserver.in/journal/january-2025-pendency-increases-by-over-2600-compared-to-last-january/
35 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मेघालय, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
36 चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, लद्दाख, मिज़ोरम, पंजाब और सिक्किम
37 आंध्र प्रदेश, असम, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नगालैंड, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड
38 दक्ष, डीकंस्ट्रक्टिंग डिले: एनालिसिस ऑफ़ डिलेज इन हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.dakshindia.org/Daksh_Justice_in_India/19_chapter_01.xhtml
39 आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब और हरियाणा, तेलंगाना और त्रिपुरा के हाई कोर्ट।
40 आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गौहाटी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, पटना, पंजाब और हरियाणा और तेलंगाना के हाई कोर्ट।
41 इलाहाबाद, कलकत्ता, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड के हाई कोर्ट।
42 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।
43 असम, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
44 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तराखंड।
45 बिहार, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, नगालैंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश।

चित्र 34: प्रति न्यायधीश लंबित मामले

बिहार, गुजरात और केरल को छोड़कर 2017 से अधिकांश बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की अधीनस्थ अदालतों में प्रति न्यायधीश लंबित केसों की संख्या बढ़ी है। हाई कोर्ट्स में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जजों के कार्यभार में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है।

34a: अधीनस्थ न्यायाय के जज पर औसत पेंडिंग केस

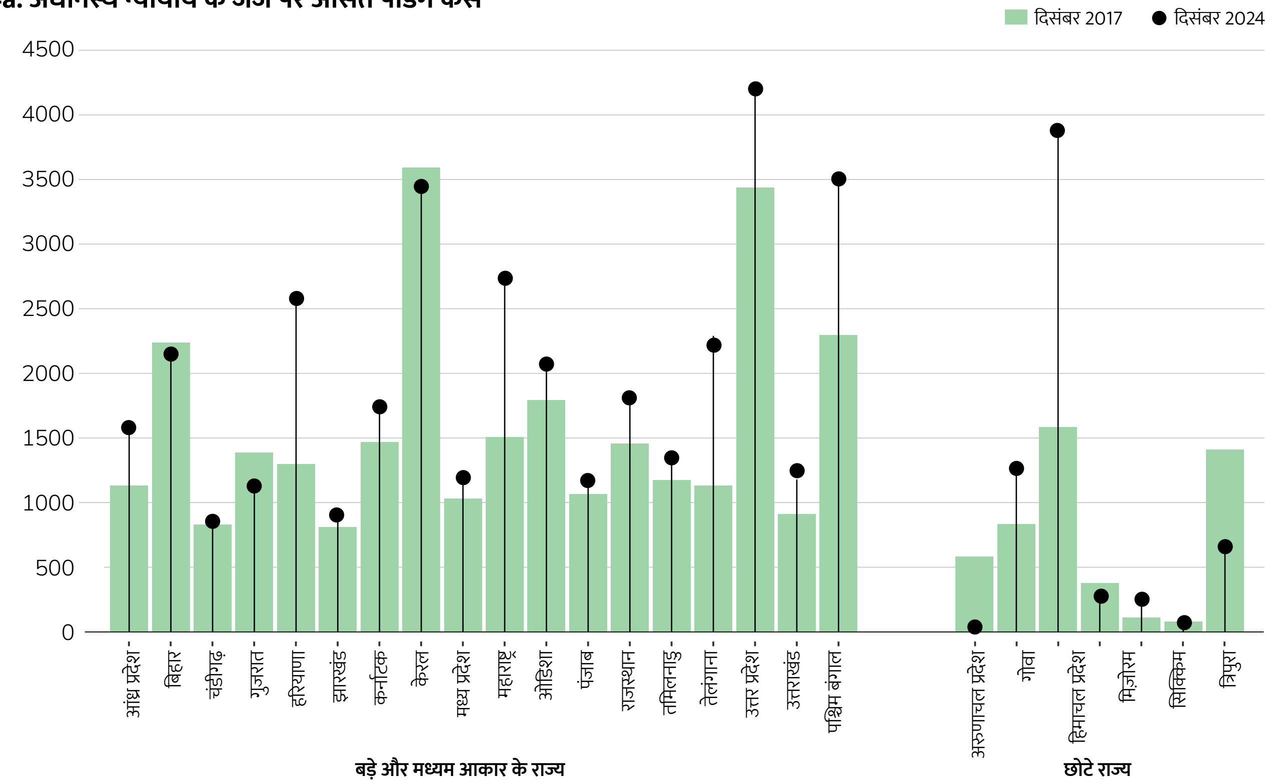

34a: हाई कोर्ट के जज पर औसत पेंडिंग केस

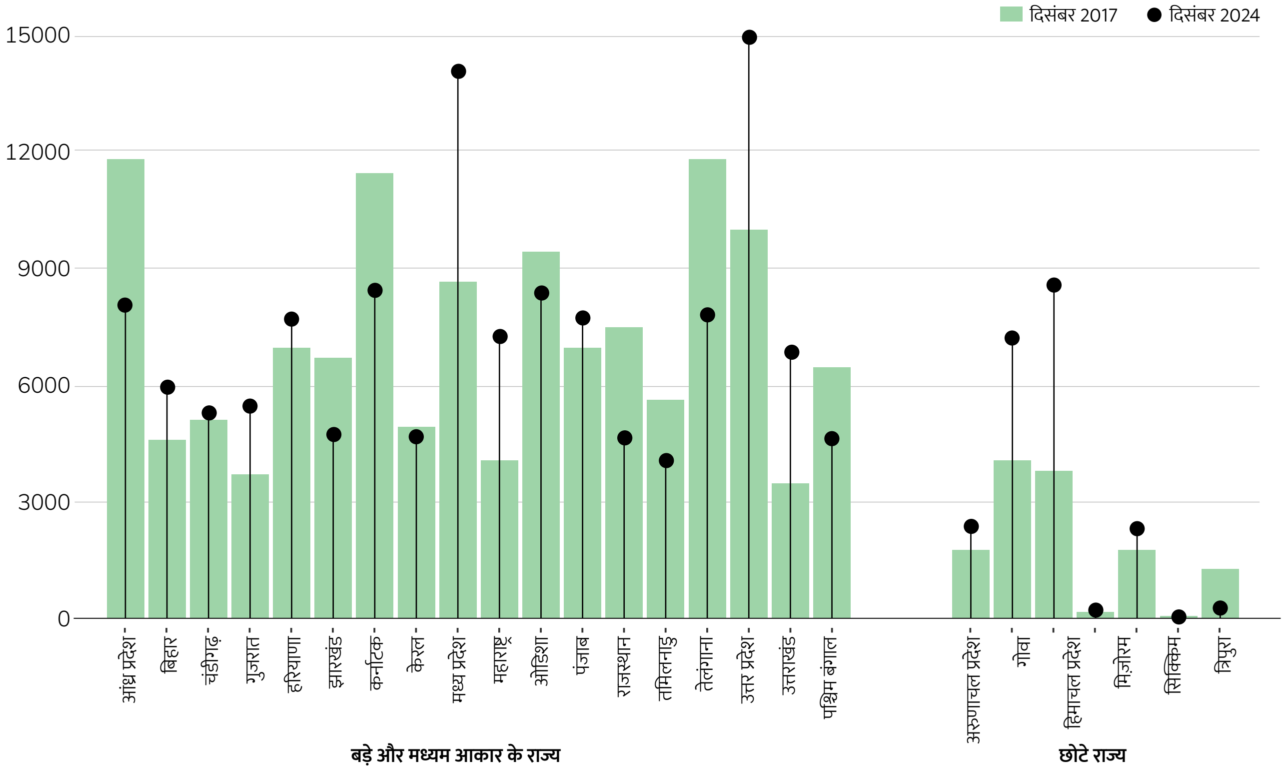

नोट: जिन दो या ज़्यादा राज्यों का एक हाई कोर्ट है, उन पर एक समान भार दिखाया गया है।
स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

तालिका 5: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

🟢 समूह में श्रेष्ठतम
🔴 समूह में निम्नतम

Rank in cluster: श्रेष्ठ / मध्य / खराब

थीम ›	Rank in cluster						बजट	मानव संसाधन
संकेतक ›							न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति ख़र्च (रु, 2022-23)	जनसंख्या प्रति हाई कोर्ट जज (फरवरी 2025)
स्कोरिंग गाइड ›	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 4 2025	IJR 4 Score (out of 10)	Indicators improved on (out of 14)[1]	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत							182	1,871,954
बड़े और मध्यम आकार के राज्य								
आंध्र प्रदेश	13	14	11	5	6.68	10	187	1,784,133
बिहार	18	18	16	15	4.35	10	101 🔴	3,836,147 🔴
छत्तीसगढ़	12	4	6	8	5.39	8	135	1,929,188
गुजरात	7	8	9	14	4.65	7	177	2,288,344
हरियाणा	3	7	14	10	4.98	9	337	1,241,431
झारखंड	14	9	7	13	4.80	7	154	2,528,813
कर्नाटक	16	12	2	4	6.70	10	203	1,398,735 🟢
केरल	5	3	4	1	7.43	11	313	802,933
मध्य प्रदेश	6	11	10	9	5.25	11	158	2,686,091
महाराष्ट्र	4	5	12	11	4.94	6	250	1,931,956
ओडिशा	9	15	13	12	4.93	9	184	2,603,167
पंजाब	2	2	3	7	5.48	9	343 🟢	1,241,431
राजस्थान	8	10	17	6	5.89	11	197	2,508,182
तमिलनाडु	1	1	1	3	6.72	9	214	1,215,954
तेलंगाना	11	6	5	2	6.91	8	238	1,281,800
उत्तर प्रदेश	17	17	15	17	3.56	8	125	3,043,899
उत्तराखंड	15	13	8	16	3.97	7	265	1,484,250
पश्चिम बंगाल	10	16	18	18	2.45	2	उपलब्ध नहीं[2]	2,335,977
छोटे राज्य								
अरुणाचल प्रदेश	7	5	4	4	3.86	5	280	1,729,458
गोवा	2	4	7	7	2.86	7	उपलब्ध नहीं[2]	1,931,956 🔴
हिमाचल प्रदेश	3	2	6	5	3.75	7	379	628,500
मेघालय	4	7	5	3	4.59	8	246 🔴	852,500
मिज़ोरम	5	3	3	6	3.64	4	458	1,729,458
सिक्किम	1	1	1	2	5.07	6	966 🟢	234,000 🟢
त्रिपुरा	6	6	2	1	5.32	7	336	844,400
बिना रैंकिंग वाले राज्य								
असम	रैंक नहीं किए गए					11	118	1,729,458
मणिपुर	रैंक नहीं किए गए					9	236	820,500
नगालैंड	रैंक नहीं किए गए					5	204	1,729,458
केंद्रशासित प्रदेश								
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	रैंक नहीं किए गए					4	498	2,335,977
चंडीगढ़	रैंक नहीं किए गए					7	746	1,241,431
दादरा, नागर हवेली एवं दमन, दीव	रैंक नहीं किए गए					5	62	1,931,956
दिल्ली	रैंक नहीं किए गए					10	780	582,789
जम्मू और कश्मीर	रैंक नहीं किए गए					8	235	940,133
लद्दाख	रैंक नहीं किए गए					8	332	940,133
लक्षद्वीप	रैंक नहीं किए गए					10	356	802,933
पुडुचेरी	रैंक नहीं किए गए					8	उपलब्ध नहीं[2]	1,215,954

डेटा सोर्स: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; भारत सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, 2022-2023, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG); गृह मंत्रालय के वित्त विभाग; न्याय विभाग; संसदीय प्रश्न; सुप्रीम कोर्ट वार्षिक रिपोर्ट (खंड 2 - उच्च न्यायालय) 2023-2024; राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

सामान्य नोट्स: i. राज्यों के समूहों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ii. IJR 4 में नए संकेतकों को पीले रंग में हाइलाइट किया गया है। iii. वे दो या अधिक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जिनका एक ही हाई कोर्ट है, उन्हें उच्च न्यायालय संकेतकों के लिए समान मान सौंपा गया है। ये राज्य/केंद्रशासित प्रदेश हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नगालैंड; केरल और लक्षद्वीप; महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव; पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़; तमिलनाडु और पुडुचेरी; पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह; जम्मू और कश्मीर और लद्दाख।

1. संकेतक पर अदालत: जिन संकेतकों में राज्य ने IJR 3 की तुलना में सुधार किया है। केवल उन संकेतकों को ध्यान में रखा गया है जो IJR 3 और IJR 4 दोनों में मौजूद हैं और रुझानों में नहीं हैं। यदि किसी संकेतक के लिए मानक उपलब्ध था और राज्य ने मानक पूरा किया, तो भले ही इसका मूल्य मानक के भीतर घटा हो, इसे सुधार के रूप में चिह्नित किया गया। यदि राज्य ने बेंचमार्क को पूरा नहीं किया, लेकिन इसके मूल्य में सुधार हुआ, तो इसे भी सुधार के रूप में चिह्नित किया गया। जहां किसी संकेतक का मूल्य दोनों वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं था, उसे नहीं माना गया। 2. 2022-23 के लिए बजट डेटा उपलब्ध नहीं है।

तालिका 5: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

🟢 समूह में श्रेष्ठतम
🔴 समूह में निम्नतम

थीम	मानव संसाधन				विविधता
संकेतक	जनसंख्या प्रति अधीनस्थ न्यायालय जज (जनवरी 2025)	हाई कोर्ट जज वैकेंसी (%, फरवरी 2025)	अधीनस्थ न्यायालय जज वैकेंसी (%, फरवरी 2025)	हाई कोर्ट स्टाफ़ वैकेंसी (%, जून 2024)	महिला जज (हाई कोर्ट) (%, फरवरी 2025)
स्कोरिंग गाइड	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत	**69,017**	**32.7**	**20.5**	**26.5**	**14.0**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्र प्रदेश	94,901	18.9	11.7	18.0	16.7
बिहार	84,915	35.8	23.9	39.8	2.9
छत्तीसगढ़	66,381	27.3	29.9	22.1	6.3
गुजरात	61,795	38.5	31.1 🔴	46.6 🔴	25.0
हरियाणा	56,145	40.0	29.4	35.4	25.5
झारखंड	79,962	36.0	28.2	22.1	6.3
कर्नाटक	59,392	21.0	16.1	16.6	16.3
केरल	67,660	4.3 🟢	12.9	4.1 🟢	8.9
मध्य प्रदेश	52,388	37.7	16.6	18.1	3.0
महाराष्ट्र	66,152	27.7	11.4	26.1	16.2
ओडिशा	55,716	45.5	19.2	35.1	5.6
पंजाब	43,046 🟢	40.0	10.1	35.4	25.5
राजस्थान	63,087	34.0	20.7	30.9	9.1
तमिलनाडु	75,579	13.3	25.3	17.2	20.0
तेलंगाना	86,413	28.6	20.5	23.8	33.3 🟢
उत्तर प्रदेश	88,930	50.6 🔴	26.9	19.4	3.8
उत्तराखंड	43,978	27.3	9.4 🟢	22.0	0.0 🔴
पश्चिम बंगाल	114,334 🔴	40.3	20.8	33.4	14.0
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	48,182	20.0	25.0	9.8 🟢	16.7
गोवा	39,775	27.7	20.0	26.1 🔴	16.2
हिमाचल प्रदेश	47,138	29.4 🔴	10.6 🟢	14.9	8.3
मेघालय	60,893 🔴	0.0 🟢	43.4 🔴	12.2	0.0 🔴
मिज़ोरम	28,022 🟢	20.0	39.2	9.8	16.7
सिक्किम	30,522	0.0 🟢	34.3	15.3	33.3 🟢
त्रिपुरा	38,734	0.0 🟢	18.0	11.4	0.0
बिना रैंकिंग वाले राज्य					
असम	78,920	20.0	4.9	9.8	16.7
मणिपुर	66,980	20.0	21.0	21.4	25.0
नगालैंड	94,750	20.0	29.4	9.8	16.7
केंद्रशासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	NA[3]	40.3	NA[3]	33.4	14.0
चंडीगढ़	41,833	40.0	0.0	35.4	25.5
दादरा, नागर हवेली एवं दमन, दीव	241,333	27.7	14.3	26.1	16.2
दिल्ली	27,579	36.7	10.5	40.6	23.7
जम्मू और कश्मीर	49,455	40.0	13.4	25.1	13.3
लद्दाख	27,636	40.0	35.3	25.1	13.3
लक्षद्वीप	17,250	4.3	0.0	4.1	8.9
पुडुचेरी	66,154	13.3	27.8	17.2	20.0

डेटा सोर्स: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; भारत सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, 2022-2023, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG); गृह मंत्रालय के वित्त विभाग; न्याय विभाग; संसदीय प्रश्न; सुप्रीम कोर्ट वार्षिक रिपोर्ट (खंड 2 - उच्च न्यायालय) 2023-2024; राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड
सामान्य नोट्स: i. राज्यों के समूहों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ii. IJR 4 में नए संकेतकों को पीले रंग में हाइलाइट किया गया है। iii. वे दो या अधिक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जिनका एक ही हाई कोर्ट है, उन्हें उच्च न्यायालय संकेतकों के लिए समान मान सौंपा गया है। ये राज्य/केंद्रशासित प्रदेश हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नगालैंड; केरल और लक्षद्वीप; महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव; पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़; तमिलनाडु और पुडुचेरी; पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह; जम्मू और कश्मीर और लद्दाख।

3. अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायधीशों के डेटा को पश्चिम बंगाल के डेटा के साथ मिलाकर प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 5: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

🟢 समूह में श्रेष्ठतम
🔴 समूह में निम्नतम

थीम	विविधता				इंफ्रास्ट्रक्चर	कार्यभार
संकेतक	महिला जज (अधीनस्थ न्यायालय) (%, फरवरी 2025)	SC जज, आरक्षित-नियुक्ति का अनुपात (अधीनस्थ न्यायालय) (%, फरवरी 2025)	ST जज, आरक्षित-नियुक्ति का अनुपात (अधीनस्थ न्यायालय) (%, फरवरी 2025)	OBC जज, आरक्षित-नियुक्ति का अनुपात (अधीनस्थ न्यायालय) (%, फरवरी 2025)	कोर्टहॉल की कमी (%, जनवरी 2025)	नया: नया पेंडिंग केस (3 साल से अधिक) (हाई कोर्ट) (%, जनवरी 2025)
स्कोरिंग गाइड	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत	**38.3**	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	**14.5**	**61.1**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य						
आंध्र प्रदेश	50.9	111 🟢	83	138	-3.0	61.9
बिहार	26.6	74	84	60	19.0	55.4
छत्तीसगढ़	43.7	92	60	97	25.3	53.8
गुजरात	20.8 🔴	97	2	47	12.3	57.0
हरियाणा	40.7	60	उपलब्ध नहीं[8]	40	25.4 🔴	67.3
झारखंड	26.5	21	16	16	7.8	53.4
कर्नाटक	37.0	110	116	168 🟢	10.3	42.7 🟢
केरल	48.8	84	16	112	6.0	58.5
मध्य प्रदेश	40.6	82	58	112	20.6	66.1
महाराष्ट्र	30.8	80	5	120	-11.0 🟢	63.7
ओडिशा	47.7	18	2	64	13.7	57.3
पंजाब	51.9	92	0	104	23.8	67.3
राजस्थान	42.4	69	62	76	16.3	58.0
तमिलनाडु	40.8	86	73	113	8.9	51.5
तेलंगाना	55.3 🟢	81	119 🟢	123	1.4	64.8
उत्तर प्रदेश	35.5	69	53	86	23.0	71.0 🔴
उत्तराखंड	40.7	81	101	89	15.1	52.4
पश्चिम बंगाल	42.4	उपलब्ध नहीं[4] 🔴	उपलब्ध नहीं[4] 🔴	0 🔴	19.7	66.7
छोटे राज्य						
अरुणाचल प्रदेश	33.3 🔴	उपलब्ध नहीं[5]	91 🟢	उपलब्ध नहीं[11]	22.7	52.0
गोवा	70.0 🟢	0 🔴	33 🔴	15 🔴	0.0 🟢	63.7 🔴
हिमाचल प्रदेश	37.5	56	78	40	0.6	53.3
मेघालय	60.7	उपलब्ध नहीं[6]	64	उपलब्ध नहीं[13]	28.3	16.5
मिज़ोरम	51.1	[5]	उपलब्ध नहीं[9]	उपलब्ध नहीं[12]	36.5	52.0
सिक्किम	47.8	0 🔴	60	100 🟢	42.9 🔴	12.9
त्रिपुरा	35.8	57 🟢	53	उपलब्ध नहीं[12]	37.6	2.7 🟢
बिना रैंकिंग वाले राज्य						
असम	49.0	100	70	0	13.0	52.0
मणिपुर	42.9	0	73	47	32.3	31.7
नगालैंड	62.5	उपलब्ध नहीं[5]	0	0	11.8	52.0
केंद्रशासित प्रदेश						
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.0	उपलब्ध नहीं[7]	उपलब्ध नहीं[10]	उपलब्ध नहीं[14]	उपलब्ध नहीं[16]	66.7
चंडीगढ़	43.3	148	उपलब्ध नहीं[8]	62	-3.3	67.3
दादरा, नागर हवेली एवं दमन, दीव	0.0	0	0	उपलब्ध नहीं[15]	57.1	63.7
दिल्ली	44.6	51	34	0	22.3	56.1
जम्मू और कश्मीर	36.6	87	101	उपलब्ध नहीं[15]	36.6	50.2
लद्दाख	27.3	588	92	उपलब्ध नहीं[12]	35.3	50.2
लक्षद्वीप	25.0	उपलब्ध नहीं[5]	56	उपलब्ध नहीं[12]	25.0	58.5
पुडुचेरी	30.8	52	0	168	5.6	51.5

डेटा सोर्स: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; भारत सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, 2022-2023, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG); गृह मंत्रालय के वित्त विभाग; न्याय विभाग; संसदीय प्रश्न; सुप्रीम कोर्ट वार्षिक रिपोर्ट (खंड 2 - उच्च न्यायालय) 2023-2024; राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

सामान्य नोट्स: i. राज्यों के समूहों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ii. IJR 4 में नए संकेतकों को पीले रंग में हाइलाइट किया गया है। iii. वे दो या अधिक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जिनका एक ही हाई कोर्ट है, उन्हें उच्च न्यायालय संकेतकों के लिए समान मान सौंपा गया है। ये राज्य/केंद्रशासित प्रदेश हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नगालैंड; केरल और लक्षद्वीप; महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव; पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़; तमिलनाडु और पुडुचेरी; पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह; जम्मू और कश्मीर और लद्दाख।

4. सोर्स डेटा में 0 SC और ST जज हैं। 5. SC के लिए कोई आरक्षण नहीं और कोई SC जज नहीं हैं। 6. SC के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण स्वीकृत नहीं है। 7. SC आरक्षण डेटा उपलब्ध नहीं है। 8. ST के लिए कोई आरक्षण नहीं और कोई ST जज नहीं हैं। 9. ST के लिए कोई आरक्षण नहीं। 10. कोई ST जज नहीं हैं। 11. OBC के लिए कोई आरक्षण नहीं। 12. OBC के लिए कोई आरक्षण नहीं और कोई OBC जज नहीं हैं। 13. OBC के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण स्वीकृत नहीं है। 14. कोई OBC जज नहीं हैं। 15. OBC श्रेणी नहीं दी गई है। 16. स्वीकृत जजों के बारे में डेटा उपलब्ध नहीं है।

तालिका 5: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

🟢 समूह में श्रेष्ठतम
🔴 समूह में निम्नतम

थीम	कार्यभार			रुझान		
संकेतक	नया पेंडिंग केस (3 साल से अधिक समय से) (अधीनस्थ न्यायालय) (%, जनवरी 2025)	केस क्लियरेंस रेट (हाई कोर्ट) (%, 2024)	केस क्लियरेंस रेट (अधीनस्थ न्यायालय) (%, 2024)	पेंडिंग केस (प्रति हाई कोर्ट जज) (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष 20-24)	पेंडिंग केस (प्रति अधीनस्थ न्यायालय जज) (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष 20-24)	टोटल केस पेंडिंग (हाई कोर्ट) (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष 20-24
स्कोरिंग गाइड	जितना कम, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत	**46.4**	**94**	**96**	**0.9**	**5.6**	**3.0**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य						
आंध्र प्रदेश	33.5	104	96	-10.6	8.6	4.8
बिहार	70.7 🔴	96	95	3.4	-1.3 🟢	3.8
छत्तीसगढ़	28.3	113	100	3.3	4.4	4.1
गुजरात	33.7	95	103	3.3	0.2	6.0
हरियाणा	34.6	107	112	2.7	8.8	2.0
झारखंड	46.5	129 🟢	103	1.6	5.2	-2.3
कर्नाटक	35.5	88	94	-4.7	5.0	2.5
केरल	38.5	103	113 🟢	-4.3	-0.6	1.0
मध्य प्रदेश	38.5	88	101	6.3	6.5	5.3
महाराष्ट्र	47.7	83	87	9.4	7.1	8.9 🔴
ओडिशा	58.5	101	93	-1.5	2.6	0.8
पंजाब	23.9 🟢	107	103	2.7	2.5	2.0
राजस्थान	45.7	86	104	-8.6	2.4	-4.4 🟢
तमिलनाडु	35.1	105	100	-4.4	5.1	-2.5
तेलंगाना	36.2	102	96	-11.5 🟢	4.8	2.3
उत्तर प्रदेश	52.9	78	97	10.6	7.6	4.3
उत्तराखंड	28.0	75 🔴	101	13.7 🔴	8.0	8.8
पश्चिम बंगाल	55.8	100	64 🔴	-2.4	10.0 🔴	-2.6
छोटे राज्य						
अरुणाचल प्रदेश	45.8	91	113 🟢	2.6	NA[17]	7.1
गोवा	45.0	83 🔴	108	9.4 🔴	3.2	8.9
हिमाचल प्रदेश	21.8	92	91	8.4	15.8 🔴	14.1 🔴
मेघालय	51.6 🔴	92	107	-6.0	-1.3 🟢	6.1
मिज़ोरम	21.6	91	61 🔴	2.6	9.6	7.1
सिक्किम	9.5 🟢	86	103	-2.0	1.6	-1.3
त्रिपुरा	19.9	111 🟢	101	-24.7 🟢	2.9	-16.8 🟢
बिना रैंकिंग वाले राज्य						
असम	24.9	91	84	2.6	8.9	7.1
मणिपुर	37.3	79	103	13.4	3.6	14.0
नगालैंड	35.9	91	90	2.6	6.4	7.1
केंद्रशासित प्रदेश						
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	65.9	100	153	-2.4	NA[18]	-2.6
चंडीगढ़	16.3	107	81	2.7	13.3	2.0
दादरा, नागर हवेली एवं दमन, दीव	37.3	83	88	9.4	7.5	8.9
दिल्ली	30.4	90	78	9.0	7.6	7.4
जम्मू और कश्मीर	36.4	95	90	-18.2	NA[19]	-10.5
लद्दाख	20.2	95	93	-18.2	NA[19]	-10.5
लक्षद्वीप	32.1	103	93	-4.3	NA[17]	1.0
पुडुचेरी	37.1	105	108	-4.4	-10.3	-2.5

डेटा सोर्स: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; भारत सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, 2022-2023, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG); गृह मंत्रालय के वित्त विभाग; न्याय विभाग; संसदीय प्रश्न; सुप्रीम कोर्ट वार्षिक रिपोर्ट (खंड 2 - उच्च न्यायालय) 2023-2024; राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

सामान्य नोट्स: i. राज्यों के समूहों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ii. IJR 4 में नए संकेतकों को पीले रंग में हाइलाइट किया गया है। iii. वे दो या अधिक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जिनका एक ही हाई कोर्ट है, उन्हें उच्च न्यायालय संकेतकों के लिए समान मान सौंपा गया है। ये राज्य/केंद्रशासित प्रदेश हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नगालैंड; केरल और लक्षद्वीप; महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव; पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़; तमिलनाडु और पुडुचेरी; पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह; जम्मू और कश्मीर और लद्दाख।

17. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर डेटा उपलब्ध नहीं है। 18. नवीनतम अधीनस्थ न्यायालय जजों का डेटा पश्चिम बंगाल के डेटा के साथ मिलाकर उपलब्ध है, इसलिए इसे नहीं जोड़ा गया है। 19. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को इस संकेतक में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उनका 5-वर्षीय डेटा अलग से उपलब्ध नहीं था।

तालिका 5: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

🟢 समूह में श्रेष्ठतम
🔴 समूह में निम्नतम

थीम	रुझान					
संकेतक	टोटल केस पेंडिंग (अधीनस्थ न्यायालय) (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष 20-24)	जज वैकेंसी (हाई कोर्ट) (%, कैलेंडर वर्ष 20-24)	जज वैकेंसी (अधीनस्थ न्यायालय) (%, कैलेंडर वर्ष 20-24)	केस क्लियरेंस रेट (हाई कोर्ट) (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष 20-24)	केस क्लियरेंस रेट (अधीनस्थ न्यायालय) (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष 20-24)	ख़र्च में अंतर: न्याय-पालिका बनाम राज्य (प्रतिशत अंक, वित्तीय वर्ष 19-23)
स्कोरिंग गाइड	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत	**7.3**	**-11.1**	**1.1**	**0.87**	**1.43**	**1.20**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य						
आंध्र प्रदेश	9.5	-60.7	-26.6	9.83 🟢	1.11	0.36
बिहार	4.3	-34.5	-7.9	2.00	4.40	-0.63
छत्तीसगढ़	7.7	-20.9	52.8	5.20	1.02	3.55
गुजरात	-0.1 🟢	-16.4	28.2	2.73	-0.29	-0.64
हरियाणा	11.6	12.4	-18.5	3.96	5.78 🟢	2.56
झारखंड	6.7	20.0	45.4	3.79	0.74	5.23
कर्नाटक	5.8	-25.7	-23.7	-1.17	-0.90	6.10
केरल	2.4	-82.1 🟢	2.1	1.82	3.54	0.86
मध्य प्रदेश	7.1	-10.1	-18.5	1.50	2.50	3.14
महाराष्ट्र	7.1	0.6	0.0	0.11	0.56	2.44
ओडिशा	4.3	2.3	-5.9	-2.69	4.83	3.36
पंजाब	6.7	12.4	-29.6	3.96	1.89	-1.67 🔴
राजस्थान	5.7	-35.2	56.3	-0.01	2.14	6.13 🟢
तमिलनाडु	3.9	-52.2	31.7	1.21	0.74	-1.03
तेलंगाना	10.6	-34.2	1.4	7.62	3.01	2.65
उत्तर प्रदेश	8.4	39.3	-7.1	-3.35	3.24	0.56
उत्तराखंड	12.1 🔴	125.0 🔴	-33.6 🟢	-3.59 🔴	-3.81	3.79
पश्चिम बंगाल	8.8	-14.9	119.9 🔴	-2.05	-5.08 🔴	NA[22]
छोटे राज्य						
अरुणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं[17]	47.7 🔴	13.9	1.61	उपलब्ध नहीं[17]	6.49
गोवा	1.4	0.6	0.0	0.11	4.38 🟢	उपलब्ध नहीं[22] 🟢
हिमाचल प्रदेश	17.0 🔴	2.0	32.7	6.14 🟢	-0.15	-2.39
मेघालय	1.2 🟢	-100.0 🟢	-12.2 🟢	-1.61	4.34	-0.73
मिज़ोरम	9.3	47.7 🔴	19.4	1.61	-2.70 🔴	7.42
सिक्किम	5.3	उपलब्ध नहीं[20] 🟢	71.4 🔴	-4.99 🔴	0.86	4.60
त्रिपुरा	5.3	-100.0 🟢	-5.9	-0.53	-0.08	-6.39 🔴
बिना रैंकिंग वाले राज्य						
असम	11.2	47.7	-57.3	1.61	-2.51	-4.80
मणिपुर	8.3	300.0	-37.1	-10.19	1.08	3.00
नगालैंड	5.5	47.7	38.7	1.61	-1.34	-7.70
केंद्रशासित प्रदेश						
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-0.7	-14.9	उपलब्ध नहीं[21]	-2.05	12.38	-9.68
चंडीगढ़	13.7	12.4	-100.0	3.96	-2.05	10.26
दादरा, नागर हवेली एवं दमन, दीव	7.5	0.6	0.0	0.11	-3.49	-12.41
दिल्ली	10.5	-19.0	-44.2	0.63	0.28	-1.61
जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं[19]	14.9	-3.6	3.84	0.64	उपलब्ध नहीं[19]
लद्दाख	उपलब्ध नहीं[19]	14.9	-29.4	3.84	1.70	उपलब्ध नहीं[19]
लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं[17]	-82.1	उपलब्ध नहीं[20]	1.82	NA[17]	2.29
पुदुचेरी	-1.0	-52.2	-51.9	1.21	3.51	उपलब्ध नहीं[22]

डेटा सोर्स: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; भारत सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, 2022-2023, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG); गृह मंत्रालय के वित्त विभाग; न्याय विभाग; संसदीय प्रश्न; सुप्रीम कोर्ट वार्षिक रिपोर्ट (खंड 2 - उच्च न्यायालय) 2023-2024; राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

सामान्य नोट्स: i. राज्यों के समूहों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ii. IJR 4 में नए संकेतकों को पीले रंग में हाइलाइट किया गया है। iii. वे दो या अधिक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जिनका एक ही हाई कोर्ट है, उन्हें उच्च न्यायालय संकेतकों के लिए समान मान सौंपा गया है। ये राज्य/केंद्रशासित प्रदेश हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नगालैंड; केरल और लक्षद्वीप; महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव; पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़; तमिलनाडु और पुदुचेरी; पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह; जम्मू और कश्मीर और लद्दाख।

17. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर डेटा उपलब्ध नहीं है। 18. नवीनतम अधीनस्थ न्यायालय जजों का डेटा पश्चिम बंगाल के डेटा के साथ मिलाकर उपलब्ध है, इसलिए इसे नहीं जोड़ा गया है। 19. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को इस संकेतक में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उनका 5-वर्षीय डेटा अलग से उपलब्ध नहीं था। 20. रुझान वर्ष के पहले और पांचवें वर्ष दोनों में शून्य रिक्तियां हैं। 21. डेटा के अनुसार पिछले 4 वर्षों में कोई स्वीकृत अधीनस्थ न्यायालय जज नहीं हैं। 22. 2021-22 और 2022-23 के लिए बजट डेटा उपलब्ध नहीं है।

क़ानूनी सहायता

क़ानूनी सहायता की रैंकिंग

कलर गाइड
श्रेष्ठ | मध्य | खराब

संकेतक (IJR 4 में) **17**

समूह
I. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या)
II. 7 छोटे आकार के राज्य (1 करोड़ तक जनसंख्या)

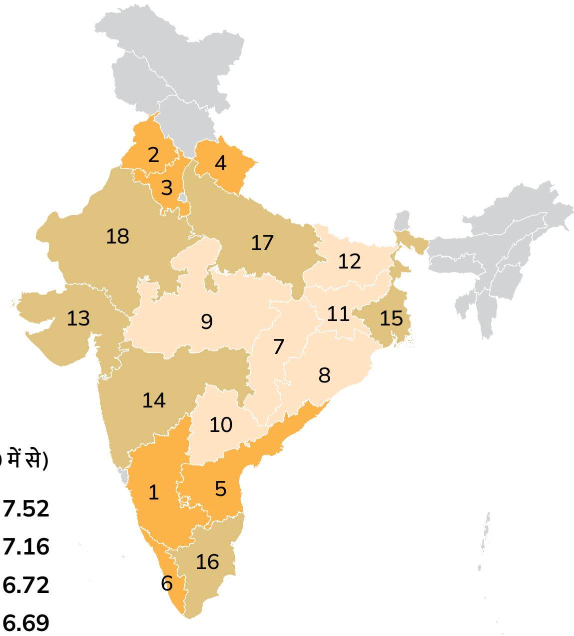

मानचित्र 15: बड़े और मध्यम आकार के राज्य

रैंक (18 में से)

IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 4 2025 (नया)	राज्य	स्कोर (10 में से)
7	16	2	1	कर्नाटक	7.52
3	3	9	2	पंजाब	7.16
2	5	4	3	हरियाणा	6.72
17	10	8	4	उत्तराखंड	6.69
10	14	13	5	आंध्र प्रदेश	6.51
1	7	6	6	केरल	6.50
8	15	11	7	छत्तीसगढ़	6.41
15	8	10	8	ओडिशा	6.31
9	12	14	9	मध्य प्रदेश	6.09
4	6	5	10	तेलंगाना	6.00
14	4	1	11	झारखंड	5.70
16	2	16	12	बिहार	5.54
6	9	3	13	गुजरात	5.28
5	1	7	14	महाराष्ट्र	4.81
13	17	15	15	पश्चिम बंगाल	4.50
12	11	12	16	तमिलनाडु	4.27
18	18	18	17	उत्तर प्रदेश	4.05
11	13	17	18	राजस्थान	3.75

मानचित्र 16: छोटे राज्य

रैंक (7 में से)

IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 4 2025 (नया)	राज्य	स्कोर (10 में से)
4	3	1	1	सिक्किम	5.38
1	1	2	2	गोवा	5.35
5	2	4	3	त्रिपुरा	4.59
3	6	5	4	हिमाचल प्रदेश	4.34
6	5	3	5	मेघालय	3.78
2	4	6	6	मिज़ोरम	3.69
7	7	7	7	अरुणाचल प्रदेश	2.53

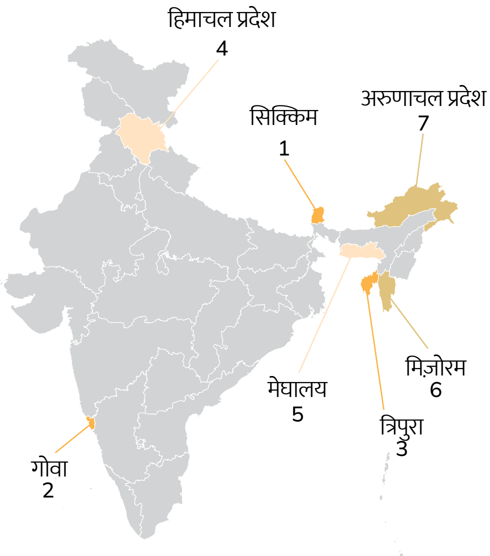

थोड़े सुधार, बड़ी चुनौतियां

राज्य बजट

उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या जो अपने क़ानूनी सहायता के बजट में 50% से ज़्यादा योगदान दे रहे हैं।

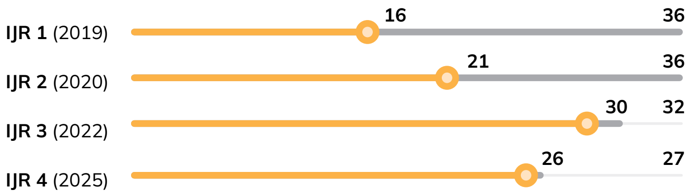

ग्रामीण कवरेज

उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या जहां एक विधिक सहायता क्लीनिक पर औसत 150 से कम गांव हैं।

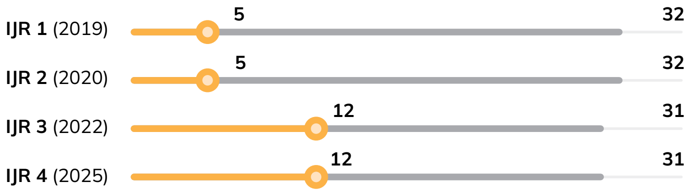

*36 में से जिन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आंकड़े उपलब्ध थे, उनकी संख्या।

विचाराधीन क़ैदी

UTRC की सिफ़ारिशों में से रिहा किए गए विचाराधीन क़ैदियों का प्रतिशत

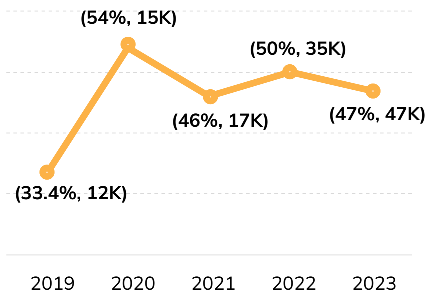

विधिक सहायता क्लीनिक

एक विधिक सहायता क्लीनिक के हिस्से में आने वाले गांवों का राष्ट्रीय औसत

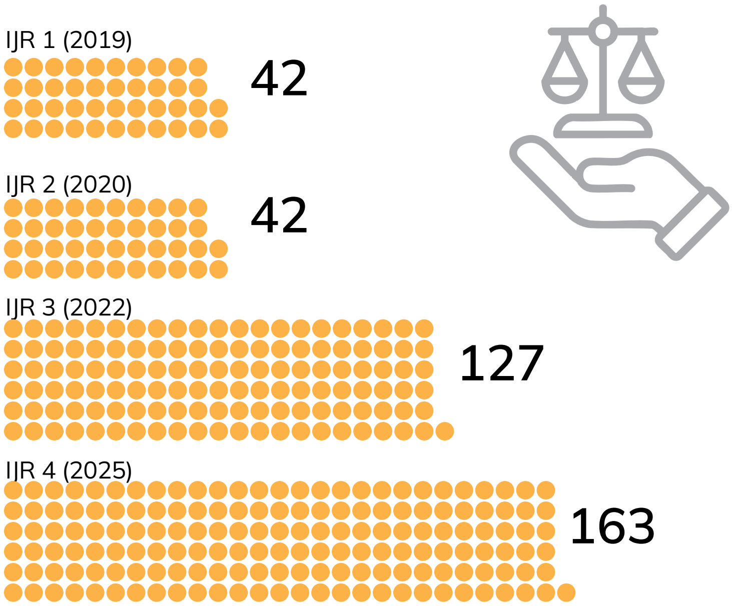

झारखंड, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में एक विधिक सहायता क्लीनिक के ज़िम्मे 800 से ज़्यादा गांव हैं।

पैरालीगल वॉलनटियर्स

PLVs की संख्या

69,290	51,077	45,636	43,050
IJR 1 (2019)	IJR 2 (2020)	IJR 3 (2022)	IJR 4 (2025)

IJR 1 और IJR 4 के बीच PLVs की संख्या में 38% की कमी आई। तमिलनाडु, राजस्थान और पंजाब में सबसे ज़्यादा कमी देखी गई।

राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति ख़र्च

IJR 3 (2022)
₹4.57

IJR 4 (2025)
₹6.46

अध्याय 4

कमज़ोरों के लिए क़ानूनी सहायता या कमज़ोर क़ानूनी सहायता?

परिचय

सभी की न्याय तक- पहुंच सुनिश्चित करने में क़ानूनी सहायता यानी कि ग़रीबों को निःशुल्क क़ानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने की बहुत अहमियत है। 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम', 1987 ने राज्य द्वारा वित्तपोषित निःशुल्क क़ानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया है। इस ढांचे के तहत शामिल है: वकील उपलब्ध कराना, परामर्श देना, काउंसलिंग करना, विवादों का निपटारा करना और जागरुकता फैलाना। ऐसा राष्ट्रीय, राज्य, ज़िले और तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों (LSIs) के नेटवर्क के ज़रिए किया जाता है।

क़ानूनी सहायता के तहत विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए अभियान की तरह कई वर्षों के प्रयासों से जागरुकता बढ़ाने में मदद मिली है तथा लाभार्थियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के आंकड़ों के मुताबिक क़ानूनी सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या 15.5 लाख तक पहुंच गई जिनकी संख्या साल 2014 में 12 लाख थी।[1]

यह सही दिशा में बढ़ने का संकेत है। इसके अन्य सकारात्मक पहलुओं में शामिल हैं: केंद्र और राज्य- दोनों द्वारा वित्तीय आवंटन में वृद्धि, लोक अदालतों में मामलों का लगातार निपटारा, मध्यस्थता पर ज़ोर देकर लक्षित सेवा देने के प्रयासों में वृद्धि, जेलों में विधिक सहायता क्लीनिक यानी लीगल ऐड क्लीनिक (LACs) की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी, नई क़ानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADCs) की शुरुआत और क़ानूनी सहायता उपलब्ध कराने वाले पैनल लॉयर्स और पैरालीगल वॉलनटियर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ना।

5 सालों के प्रमुख रुझान

पिछले 5 वर्षों में (2017-2023) क़ानूनी सहायता का कुल बजट बढ़ा है और इसमें राज्यों की प्रमुख भूमिका रही है। लैंगिक विविधता धीरे-धीरे बढ़ रही है। जेलों में मिलने वाली क़ानूनी सहायता सेवाओं ने आरोपी व्यक्तियों/क़ैदियों के लिए इन सेवाओं को और सुलभ बनाया है। इन सेवाओं में शामिल हैं: लीगल ऐड क्लीनिक, क़ैदियोंकी सहायता करने वाले वकील और क़ानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADCs)। हालांकि, पैनल में शामिल वकीलों और विशेष रूप से पैरालीगल वॉलनटियर्स की संख्या में उल्लेख-नीय कमी ने समुदायिक स्तर पर क़ानूनी सहायता संबंधी सेवाओं को सीमित कर दिया है।

हालांकि, अब भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे- फंड का सदुपयोग, कई जगहों पर वकीलों और पैरालीगल वॉलनटियर्स का अभाव और गुणवत्तापूर्ण क़ानूनी सहायता और इन्हें उपलब्ध कराने वाले अन्य साधनों की निगरानी की संबंधी चिंताएं। राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन और सिंगल विंडो के इस्तेमाल संबंधी ऑनलाइन सिस्टम की शुरूआत, संचार के नए माध्यमों के ज़रिए लक्षित आबादी तक पहुंचने की दिशा में सकारात्मक बदलाव का संकेत है। इससे यह 'सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी भी नागरिक को न्याय पाने के अवसरों से वंचित न किया जाए।' फिर भी, ग्रामीण विधिक सहायता क्लीनिक और पैरालीगल वॉलनटियर्स जैसी समुदाय-आधारित क़ानूनी सहायता सेवाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। इससे सबसे कमज़ोर और हाशिए पर रहने वाली आबादी को समय पर क़ानूनी सहायता उपलब्ध कराने की क्षमता के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं।

आइजेआर (IJR) की चौथी रिपोर्ट में चार नए इंडिकेटर्स जोड़े गए हैं: 1. क़ानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति ख़र्च, 2. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

1 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' की धारा 12 में इसका विस्तृत विवरण है कि कौन निःशुल्क क़ानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं - अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य, मानव तस्करी के पीड़ित, महिलाएं, बच्चे, हिरासत में रह रहे लोग, विकलांग, बड़ी आपदा, नृजातीय हिंसा या प्रताड़ना के शिकार, औद्योगिक कामगार और जिन लोगों की सालाना आय 9,000 रुपए या राज्य सरकार द्वारा तय अन्य उच्चतर राशि से कम है।

(SLSA) द्वारा आयोजित लोक अदालतों में मुक़दमेबाज़ी से पहले केसों को निपटाने की दर, 3. इन लोक अदालतों में कोर्ट में पेंडिंग मामलों को निपटाने की दर, 4. ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) सचिवों में लैंगिक विविधता।

कर्नाटक ने लीगल ऐड पिलर की रैंकिंग में प्रभावशाली सुधार किया है। यह राज्य 2020 में 16वें स्थान पर था, 2022 में दूसरे स्थान तक आया और 2024 में इसने पहली रैंकिंग हासिल की। यह सफलता कई कारणों से संभव हुई है। इनमें शामिल हैं: क़ानूनी सहायता संबंधी बजट आवंटन में लगातार वृद्धि और उसका नियमित ज़्यादा-से-ज़्यादा उपयोग करना, पैरालीगल वॉलनटियर्स का मज़बूत नेटवर्क बनाना और उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ाना, योग्य और सक्षम कर्मचारी वाले फ्रंट ऑफ़िस और विधिक सेवा प्राधिकरणों में सचिव स्तर के सभी पदों पर बहाली। इस रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहे उत्तराखंड ने भी 2020 से 2025 के बीच लगातार सुधार दिखाया है। आंध्र प्रदेश ने रैंकिंग में सबसे लंबी छलांग लगाई और वह 13वें स्थान से 5वें स्थान तक पहुंच गया। पंजाब को 2019 में तीसरा स्थान मिला था, जो 2022 में नौवें स्थान पर खिसक गया और 2025 में सात स्थान चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया।

साल 2022 में पहले स्थान पर रहा झारखंड, 10 रैंक के नुक़सान के साथ 11वें स्थान पर खिसक गया। तीसरे स्थान पर रहा गुजरात 10 स्थान गिरकर 13वें स्थान पर पहुंच गया। इसी तरह, महाराष्ट्र भी 7वें स्थान से गिरकर 14वें स्थान पर पहुंच गया। इन राज्यों के ख़राब प्रदर्शन के कारण एक जैसे रहे, जिनमें शामिल हैं: बेहतर बजट आवंटन के बावजूद उसका पर्याप्त उपयोग न होना और ग्रामीण विधिक सहायता क्लीनिक की संख्या और पैरालीगल सेवाओं में कमी।

2019 और 2025 के बीच केवल उत्तराखंड ने अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार किया है, जबकि इस दौरान राजस्थान ने लगातार गिरावट दर्ज की है। इसी अवधि में अधिकांश राज्यों की रैंक में उतार और चढ़ाव दोनों देखे गए। ऐसे राज्यों में केरल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश की रैंक में सबसे ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

छोटे राज्यों की रैंकिंग में ऐसा बदलाव कम देखने को मिला। सिक्किम और गोवा ने शीर्ष दो राज्यों के रूप में अपना स्थान बरक़रार रखा। त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश एक पायदान ऊपर चढ़कर क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर पहुंच गए, जबकि मेघालय, मिज़ोरम और अरुणाचल पांचवें, छठे और सातवें स्थान के साथ सबसे नीचे रहे।

मानव संसाधन:

DLSAs में से स्वीकृत सचिवों का %
(%, मार्च 2024)

DLSA सचिव स्तर की वैकेंसी (%, मार्च 2024)

PLVs प्रति ला जनसंख्या (संख्या, सितंबर 2024)

सबको क़ानूनी सहायता और सेवाएं मिलना इस बात पर निर्भर करता है कि ज़िला और तहसील स्तर पर 'क़ानूनी सहायता प्रदाता' उपलब्ध हों। विधिक सेवा संस्थानों को सही तरीक़े से काम करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधनों की ज़रूरत होती है। इनमें पैनल में शामिल वकील, रिमांड और रिटेनर वकील तथा हाल ही में गठित क़ानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADCs) के तहत उपलब्ध कराए गए वकील शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय स्तर पर पैरालीगल वॉलनटियर्स की सेवाएं भी उपलब्ध हैं जो आम लोगों और विधिक सेवा संस्थानों के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं।

'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' के तहत राज्य के सभी ज़िलों में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) स्थापित करने का प्रावधान है ताकि सब तक क़ानूनी सेवाएं पहुंचाई जा सकें। हर DLSA में एक पूर्णकालिक ज़िला सचिव होना अनिवार्य है, जो इसका कामकाज देखता है।[2] राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संबंधित DLSA के अध्यक्ष से परामर्श कर ज़िला स्तरों पर विधिक सेवा संस्थानों (LSI) का नेतृत्व करने के लिए राज्य और ज़िला स्तर के सचिवों की नियुक्ति करता है।

पूर्णकालिक सचिवों के ख़ाली पद: दिसंबर 2024 तक, देशभर में 709 DLSA और 2,376 तालुका विधिक सेवा समिति (TLSCs) थीं।[3] ज़िला स्तर की संस्थाओं के अध्यक्ष संबंधित ज़िले के सबसे वरिष्ठ ज़िला और सत्र न्यायाधीश होते हैं। एक न्यायिक अधिकारी को सचिव[4] के रूप में नियुक्त किया जाता है और कर्मचारियों[5] में पैनल लॉयर्स, लीगल ऐड डिफ़ेंस काउंसल, प्रो बोनो काउंसल (मुफ़्त क़ानूनी सहायता देने वाले वकील), पैरालीगल वॉलनटियर्स, मध्यस्थ और काउंसलर्स[6] शामिल होते हैं।

2 विधिक सेवा प्राधिकरण की धारा 9(2), इस लिंक पर उपलब्ध https://nalsa.gov.in/acts-rules/the-legal-services-authorities-act-1987

3 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आरटीआई से प्राप्त आंकड़े।

4 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' की धारा 9(2).

5 ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों 2023, के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की नियमावली, पार्ट-बी, DLSAs के संसाधन एवं बुनियादी संरचना। इस लिंक पर उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/library/manual-for-district-legal-services-authorities-2023

6 *उपरोक्त।*

IJR ने जिन 25 राज्यों की रैंकिंग तैयार की है, उनमें कुल 586 न्यायिक ज़िले (जुडिशल डिस्ट्रिक्ट) हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुताबिक 615 DLSA हैं: अरुणाचल प्रदेश के 7 ज़िलों में 25 DLSA हैं; मिज़ोरम के 2 ज़िलों में 8 DLSA; तेलंगाना के 33 ज़िलों में 34 DLSA, सिक्किम के 4 ज़िलों में 6 DLSA और पश्चिम बंगाल के 22 ज़िलों में 23 DLSA हैं।

हालांकि, हर DLSA[7] के लिए पूर्णकालिक सचिवों की नियुक्ति पर ज़ोर देने के बावजूद, कुल 615 DLSA के लिए केवल 582 पद ही स्वीकृत हैं। महाराष्ट्र (37/34) में DLSA की संख्या से ज़्यादा इसके सचिवों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश (71/74), केरल (13/14), सिक्किम (2/6), अरुणाचल प्रदेश (5/25) और मिज़ोरम (0/8) में सचिवों के पदों की संख्या DLSA से कम है।

स्वीकृत पद कम या ज़्यादा होने का अर्थ यह नहीं है कि इन पदों पर आवश्यक रूप से नियुक्तियां होंगी। फिलहाल, कुल 34 सचिवों के पद ख़ाली हैं। हालांकि, वर्ष 2022 के मुक़ाबले इसमें सुधार हुआ है जब 73 सचिवों के पद ख़ाली थे। सिक्किम के DLSAs में 2019 से कोई सचिव नहीं है। जबकि, तमिलनाडु में सचिवों के ख़ाली पदों की संख्या बढ़कर आधी (50 प्रतिशत) ख़ाली हो गईं, जो रिक्तियां 2022 में केवल 9.4 प्रतिशत थीं।

चार राज्यों - आंध्र प्रदेश (8 प्रतिशत), बिहार (3 प्रतिशत), केरल (23 प्रतिशत), ओडिशा (13 प्रतिशत) में पहले सचिवों के कोई भी पद ख़ाली नहीं थे, लेकिन अब वहां भी ख़ाली पदों की संख्या बढ़ी है। इसके उलट, मेघालय में 2022 में जहां 73 प्रतिशत पद ख़ाली थे, वहां अब रिक्तियां 45 प्रतिशत हैं और त्रिपुरा ने ख़ाली पदों का प्रतिशत 60 से घटाकर 13 प्रतिशत कर लिया है।

वकील: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के नियमों के अनुसार, प्रत्येक विधिक सेवा संस्थान को ऐसे ही वकीलों को पैनल में शामिल करना चाहिए जिन्हें कम-से-कम तीन वर्षों का अनुभव हो।

प्रत्येक राज्य और ज़िले में पैनल में शामिल किए जाने वाले वकीलों की पर्याप्त और उपयुक्त संख्या निर्धारित करना एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण को SLSA और NALSA के साथ गहन परामर्श कर विभिन्न पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ता है। इन पहलुओं में शामिल हैं: लंबित मामलों की अनुमानित संख्या, केंद्र और राज्य से मिलने वाला अनुदान, क्षेत्र का भौगोलिक विस्तार और जनसंख्या घनत्व, केसों के प्रकार, पैनल में शामिल मौजूदा वकीलों का प्रदर्शन और योग्य क़ानूनी पेशेवरों की उपलब्धता।

पैनल में शामिल वकील या तो रिटेनर वकील या जेल विज़िटिंग वकील या रिमांड वकील के रूप में काम कर सकते हैं, LSI अलग-अलग तरह के मामलों के लिए अलग-अलग पैनल भी तैयार कर सकते हैं और लोक अदालतों में भी सहायता कर सकते हैं। जल्द क़ानूनी हस्तक्षेप के ख़ास महत्व को पहचानते हुए, वर्तमान में देश भर में 6,715 वकील रिमांड वकील के रूप में काम कर रहे हैं।[8]

सितंबर 2024 तक देशभर में इस पैनल में शामिल कुल वकीलों की संख्या 41,553 थी। यह 2022 की तुलना में 17 प्रतिशत और 2019 की तुलना में 35 प्रतिशत की कमी है।[9] इस कमी का एक संभावित कारण पब्लिक-डिफ़ेंडर मॉडल यानी लीगल ऐड डिफ़ेंस काउंसल सिस्टम को अपनाना है।

राज्यवार ये आंकड़े अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, सितंबर 2024 में, तमिलनाडु के 32 ज़िलों में 4,247 वकील पैनल में शामिल थे, जो देश में सबसे ज़्यादा हैं। वहीं, महाराष्ट्र के 34 ज़िलों में 3,401 वकील थे। मध्य प्रदेश के 50 और उत्तर प्रदेश के 74 ज़िलों में क्रमशः सिर्फ़ 1,593 और 1,871 वकील पैनल में शामिल थे जबकि इन दोनों राज्यों का प्रशासनिक कार्यक्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। फिलहाल इन आंकड़ों से यह पता नहीं चलता कि ये वकील कहां-कहां तैनात हैं।

क़ानूनी सहायता प्रदान करने वालों वकीलों को समय-समय पर प्रशिक्षित किया जाना ज़रूरी है। विभिन्न स्तरों पर निगरानी और परामर्श समितियां क़ानूनी सहायता की गुणवत्ता के मूल्यांकन और इस दिशा में हुई प्रगति के पर्यवेक्षण के लिए कार्य करती हैं। इस पूरी क़वायद का मुख्य मक़सद उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए सभी योग्य लाभार्थियों को पर्याप्त क़ानूनी सहायता की गारंटी देना है।

पैरालीगल वॉलनटियर्स: ज़्यादा अनुदान मिलने और बेहतर लक्षित सेवाओं के बावजूद, क़ानूनी सहायता प्रणाली अपने एक मुख्य कार्य से संबंधित गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। यह मुख्य कार्य है: समुदायों को विवाद निपटारे के लिए सुलभ क़ानूनी सहायता प्रदान करना और जागरुकता बढ़ाना। जबकि 'लाभार्थियों' की संख्या में लगातार बढ़ोतरी समुदाय आधारित पैरालीगल वॉलनटियर्स की सेवाओं

7 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुका विधिक सेवा समितियों और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों के लिए जारी नियमावली। (नेशनल जुडिशल एकेडमी में 17-19 दिसंबर 2011 को कार्य समूहों की चर्चा के आलोक में)। इस लिंक पर उपलब्ध: https://cgslsa.gov.in/Guideline/General%20Guidelines%20for%20SLSA,%20DLSA,%20TLSC.pdf

8 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे गए आरटीआई आवेदन से प्राप्त आंकड़े।

9 उपरोक्त

चित्र 35: प्रति लाख जनसंख्या पर पैरालीगल वॉलनटियर्स (PLVs)

NALSA के प्रत्येक ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के लिए 50 सक्रिय PLVs के मानकों के बावजूद इनकी उपलब्धता अपर्याप्त बनी हुई है। 2022 से 2024 के बीच 36 में से 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने PLVs की संख्या में कमी की है।

2a. उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या जहां प्रति लाख आबादी पर 5 से कम PLVs हैं

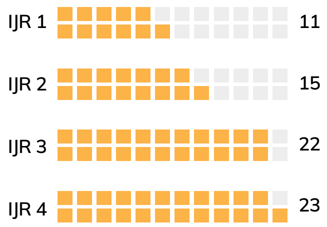

2b. सितंबर 2024 में प्रति लाख आबादी पर PLVs की राज्यवार तैनाती

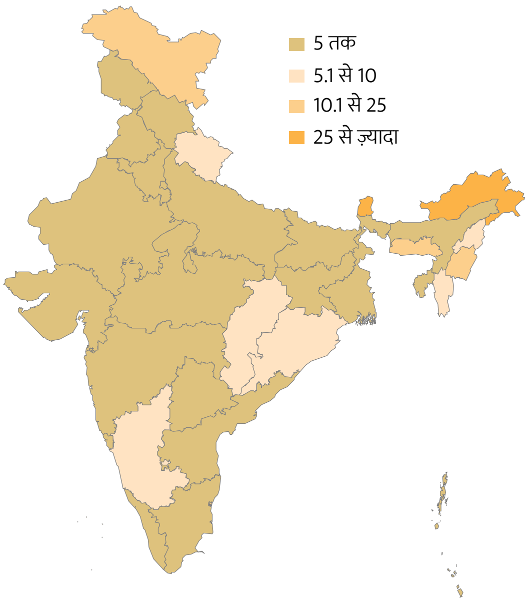

2c. चारों IJR में PLVs की प्रति लाख आबादी पर राज्यवार तैनाती

	प्रति लाख आबादी पर PLVs				पिछले IJR के मुक़ाबले बदलाव की स्थिति		
	IJR 1 Jan 2019	IJR 2 Mar 2020	IJR 3 June 2022	IJR 4 Sep 2024			
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25.22	25.22	0.00	4.70	↔	↓	↑
आंध्र प्रदेश	4.66	4.08	3.54	3.13	↓	↓	↓
अरुणाचल प्रदेश	76.97	79.76	110.79	143.34	↑	↑	↑
असम	2.65	3.20	2.82	2.85	↑	↓	↑
बिहार	4.20	3.21	3.56	3.13	↓	↑	↓
चंडीगढ़	2.94	2.70	3.12	3.06	↓	↑	↓
छत्तीसगढ़	13.80	8.38	4.86	5.28	↓	↓	↑
दिल्ली	7.63	4.21	5.27	2.63	↓	↑	↓
दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव	NA	NA	3.42	2.80			↓
गोवा	13.64	5.18	3.77	2.34	↓	↓	↓
गुजरात	4.83	4.82	3.98	4.02	↓	↓	↑
हरियाणा	6.10	4.93	4.38	3.71	↓	↓	↓
हिमाचल प्रदेश	84.29	3.72	4.95	2.62	↓	↑	↓
जम्मू और कश्मीर	4.46	4.18	4.08	4.01	↓	↓	↓
झारखंड	4.12	7.30	4.71	1.71	↑	↓	↓
कर्नाटक	4.86	3.16	6.31	7.59	↓	↑	↑
केरल	7.37	7.37	4.88	4.18	↔	↓	↓
लद्दाख	NA	NA	11.37	13.58			↑
लक्षद्वीप	69.80	69.80	82.35	43.48	↔	↑	↓
मध्य प्रदेश	8.66	5.62	2.90	3.26	↓	↓	↑
महाराष्ट्र	4.49	4.60	2.77	2.55	↑	↓	↓
मणिपुर	31.62	23.72	11.71	22.69	↓	↓	↑
मेघालय	14.32	8.51	10.76	10.27	↓	↑	↓
मिज़ोरम	28.71	18.08	7.25	5.20	↓	↓	↓
नगालैंड	8.34	7.33	8.50	5.19	↓	↑	↓
ओडिशा	11.86	5.30	5.98	5.22	↓	↑	↓
पुडुचेरी	21.31	26.80	25.25	24.12	↑	↓	↓
पंजाब	7.22	5.42	3.78	2.66	↓	↓	↓
राजस्थान	6.12	1.80	1.81	1.81	↓	↑	↔
सिक्किम	70.26	29.62	28.70	32.09	↓	↓	↑
तमिलनाडु	5.35	3.69	1.43	1.38	↓	↓	↓
तेलंगाना	7.47	8.01	5.32	3.06	↑	↓	↓
त्रिपुरा	13.45	12.02	4.62	4.52	↓	↓	↓
उत्तर प्रदेश	1.55	1.04	1.23	1.08	↓	↑	↓
उत्तराखंड	9.39	7.30	6.23	5.66	↓	↓	↓
पश्चिम बंगाल	2.02	2.02	1.30	1.13	↔	↓	↓

राज्यों का नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में लिखा गया है।
स्रोत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)

की बढ़ती मांग का संकेत है, लेकिन इन वॉलनटियर्स की संख्या घट रही है। ख़ासकर ग्रामीण इलाकों में ऐसा हो रहा है।

नियमानुसार, हर ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण में 50 पैरालीगल वॉलनटियर्स (PLVs) होने चाहिए। इस हिसाब से 709 प्राधिकरणों में कुल 35,450 PLVs होने चाहिए। लेकिन 2019 में इनकी संख्या 69,290 थी। सितंबर 2024 तक, यह संख्या 43,050[10] हो गई जो कि 38 फ़ीसदी की गिरावट थी। सात राज्यों में 60 फ़ीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जिनमें हिमाचल प्रदेश (97 फ़ीसदी), गोवा (81 फ़ीसदी), तमिलनाडु (73 फ़ीसदी) में सबसे ज़्यादा कमी आई।[11] केवल पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों - अरुणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, कर्नाटक और पुडुचेरी - में PLVs की संख्या बढ़ी। नतीजतन, प्रति एक लाख की आबादी पर पहले छह पैरालीगल उपलब्ध थे जो घटकर तीन रह गए। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि आंकड़ों के मुताबिक केवल 14,691 PLVs ही पुलिस स्टेशन, फ्रंट ऑफ़िस, जेल, किशोर न्याय बोर्डों और बाल कल्याण केंद्रों में 'तैनात' हैं।[12] अकेले बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पूरे देश के 43 प्रतिशत PLVs तैनात हैं। इसी तरह, कर्नाटक के रोस्टर में 5,000 से अधिक PLVs के नाम हैं, लेकिन असल में केवल 11 PLVs ही तैनात हैं।

समुदाय में रहकर काम करने वाले इन PLVs का कार्य सबसे हाशिए पर रहने वाले लोगों को औपचारिक क़ानूनी व्यवस्था की जानकारी देना और इस तक पहुंच बनाने के लिए पुल का काम करना है। इस पैरालीगल योजना की अधिक सफल न होने के लिए कई कारक ज़िम्मेदार हैं।

पूरी तरह से समर्थन और पहचान न मिलने से पैरालीगल वॉलनटियर्स का उत्साह ठंढा पड़ जाता है। सामाजिक ज़िम्मेदारी से प्रेरित होकर काम करने वाले भी अक्सर आवश्यक संसाधनों, माक़ूल प्रशिक्षण और उचित पहचान न मिलने पर अलग-थलग और कमतर महसूस करते हैं। यह स्थिति करियर में नियमित आगे बढ़ने के अवसर की कमी, पेशेवर विकास की गुंजाइश कम होने या कभी-कभी न्यूनतम पारिश्रमिक तक नहीं मिलने के कारण और भी जटिल हो जाती है। अलग-अलग तरह के मामलों का बहुत ज़्यादा बोझ, जटिल क़ानूनी प्रक्रियाएं, सहायता की व्यवस्था न होना और उचित प्रशिक्षण एवं समय पर आराम न मिलने के कारण कई PLVs इस काम से हाथ खींच रहे हैं। बदलते सामाजिक परिदृश्य के साथ-साथ PLVs के काम में लगने वाली काफ़ी मेहनत और समय वॉलनटियर्स के समर्पण को और ज़्यादा चुनौती देते हैं। इन चुनौतियों की बार-बार पहचान की गई है और ये सामुदायिक स्तर पर क़ानूनी सहायता पहुंचाने की नींव को ख़तरे में डालते हैं। इससे कमज़ोर आबादी ज़रूरी क़ानूनी सेवाओं से वंचित हो रही है और असमानताएं बढ़ रही हैं।

जातिवार आंकड़ों का मामला

प्रभावी तरीक़े से क़ानूनी सहायता पहुंचाना अक्सर प्रतिनिधित्व पर निर्भर करता है। विशेष रूप से हाशिए के समुदायों तक क़ानूनी सहायता पहुंचाना। ये प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समुदाय की ख़ास ज़रूरतों और विशिष्ट संदर्भ को समझते हैं। सरकार द्वारा जाति आधारित आंकड़े इकट्ठा नहीं करने से पूरी तस्वीर साफ़ नहीं हो पाती है, जो सेवाओं की पहुंच और प्रतिनिधित्व के प्रभाव का सटीक आकलन करने से रोकती है। आंकड़ों की यह कमी लक्षित प्रयासों में बाधा डालती है, इससे ग़ैर-बराबरी बने रहने का ख़तरा रहता है और यह समावेशी न्याय वितरण प्रणाली को कमज़ोर करती है। इस जानकारी के बिना, कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करना या न्याय सुनिश्चित करने वाली सेवाएं तय करना असंभव है, जो अंततः सभी ज़रूरतमंद लोगों को क़ानूनी सहायता पहुंचाने के लक्ष्य को ख़तरे में डालती है।]

विविधता

महिला DLSA सचिव (%, 31 मार्च 2024) नया
पैनल लॉयर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी (%, सितंबर 2024)
महिला PLVs (%, सितंबर 2024)

न्याय व्यवस्था के अन्य घटकों- पुलिस, जेल या न्यायपालिका के मुक़ाबले क़ानूनी सहायता/क़ानूनी सेवा उप-प्रणाली में बेहतर लैंगिक विविधता है। मार्च 2024 में, DLSAs की 31 प्रतिशत सचिव महिलाएं थीं।[13] सात राज्यों में महिलाओं की संख्या 60 प्रतिशत है।[14] केवल चार राज्यों - मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम और राजस्थान में इस पद पर कोई

10 उपरोक्त

11 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा।

12 पैरालीगल वॉलनटियर्स से संबंधित NALSA की सांख्यिकीय जानकारी, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक। इस लिंक पर उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/statistics/para-legal-volunteers-report/para-legal-volunteers-report-april-2023-to-march-2024

13 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रीय स्तर पर पूर्णकालिक सचिवों का राज्यवार स्वीकृत और वास्तविक आंकड़ा उपलब्ध नहीं होने के कारण, IJR ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर यह किया।

14 गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल

चित्र 36: विधिक सहायता प्रणाली में महिलाएं

ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) सचिवों में महिलाओं की औसत भागीदारी, ज़िला न्यायपालिका में महिला जजों की तुलना में कम है। हर तीन पैनल लॉयर्स में से लगभग एक महिला है, और हर दो PLVs में से लगभग एक महिला है।

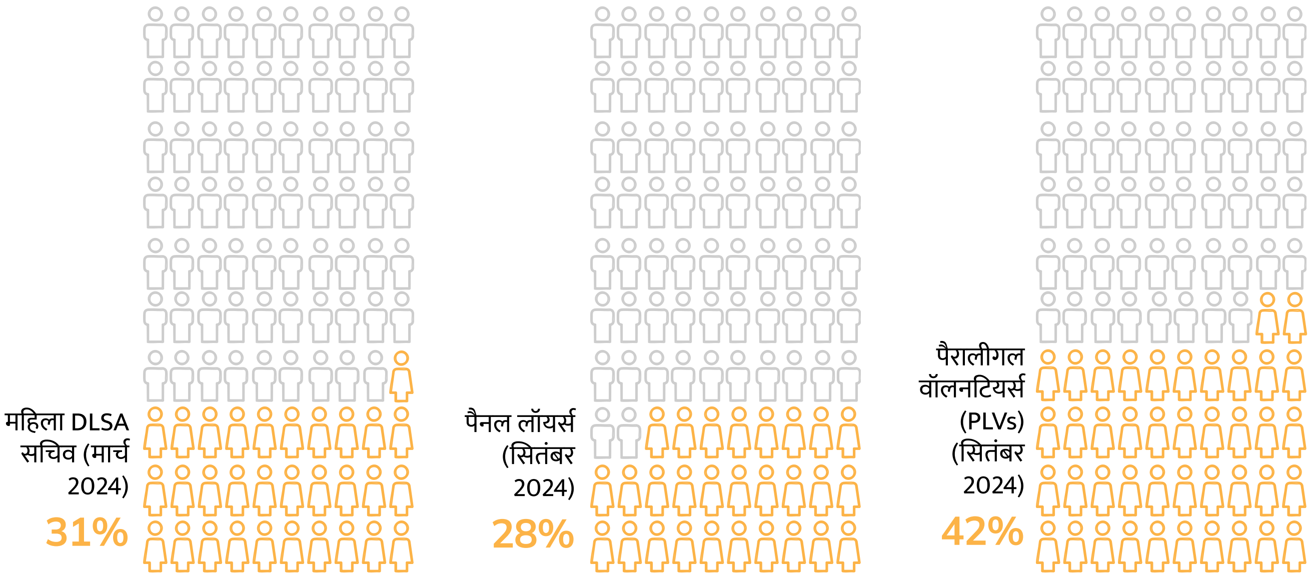

स्रोत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)

महिला नहीं है।

पैनल में शामिल वकीलों की कुल संख्या में भले ही कमी आई है, लेकिन बीते 5 वर्षों से ज़्यादा समय में महिलाओं का अनुपात लगातार बढ़ा है।[15] साल 2018 में यह 18 प्रतिशत था जो 2024 में 28 प्रतिशत हो गया मेघालय (63 प्रतिशत), मिज़ोरम (61 प्रतिशत), नगालैंड (55 प्रतिशत) और गोवा (51 प्रतिशत) जैसे राज्य लैंगिक समानता हासिल करने से भी आगे निकल गए हैं।

पैरालीगल वॉलनटियर्स की संख्या में कमी से महिलाओं की भागीदारी पर कोई असर नहीं पड़ा है। वास्तव में, महिला प्रतिनिधित्व 2019 के 36 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है।[16] पंद्रह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[17] में यह 40 प्रतिशत से भी कम है, जबकि बाक़ी में यह 40 से 85 प्रतिशत के बीच है, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है।

साल 2022 से, राज्यों ने ट्रांसजेंडर PLVs के आंकड़े जमा करना शुरू किया है। हालांकि, 2022 से 2023 के बीच आई तेज़ गिरावट ने ट्रांसजेंडर PLVs की भर्ती और उन्हें इस सेवा में बनाए रखने से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों को उजागर किया है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में पहले ट्रांसजेंडर PLVs की संख्या 183 थी, लेकिन 2024 में यह घटकर केवल 7 रह गई। राष्ट्रीय स्तर पर, इनकी संख्या 587 से घटकर 139 हो गई जो कि 76 प्रतिशत से अधिक की गिरावट है। जबकि वर्तमान में कर्नाटक (33) और उत्तर प्रदेश (31) में सबसे अधिक ट्रांसजेंडर PLVs हैं, अठारह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[18] में एक भी ट्रांसजेंडर PLVs नहीं है।

इंफ़्रास्ट्रक्चर

राज्य के न्यायिक ज़िलों में DLSA का %
(%, दिसंबर 2024)

गांव प्रति विधिक सहायता क्लीनिक (संख्या, 2023-24)

विधिक सहायता क्लीनिक प्रति गांव (संख्या, 2023-24)

फ़्रंट ऑफ़िस में DLSA की मौजूदगी (%, दिसंबर 2024)

विधिक सहायता क्लीनिक: गांवों के लिए विधिक सहायता क्लीनिक की कल्पना महत्वपूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तरह ही की गई थी। इनके व्यापक दायित्व में प्रारंभिक क़ानूनी सलाह और सहायता

15 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणों (एनएएलएसए) से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आंकड़े।

16 उपरोक्त

17 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश।

18 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, झारखंड, लद्दाख, लक्षद्वीप, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड।

उपलब्ध कराना और सरकारी कार्यालयों से जुड़े कार्यों में मदद करना शामिल है। आज ये क्लीनिक संचालन से संबंधित गंभीर संकटों का सामना कर रहे हैं। NALSA के नियमों[19] के अनुसार, सभी गांवों में या 'गांवों के समूह' में विधिक सहायता क्लीनिक होना अनिवार्य है। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थानीय ज़रूरतों और न्याय तक पहुंच में आने वाली बाधाओं के आधार पर उनकी संख्या और स्थान निर्धारित करते

चित्र 37: प्रति विधिक सहायता क्लीनिक पर गांवों की संख्या

NALSA के 2011 के नियमों के अनुसार, एक विधिक सहायता क्लीनिक को 'किसी एक गांव या गांवों के समूह' को सेवा प्रदान करनी चाहिए। 2017 से 2024 के बीच, प्रति विधिक सहायता क्लीनिक गांवों की राष्ट्रीय औसत संख्या चार गुना बढ़कर 42 से 163 हो गई है। कुछ राज्यों में यह संख्या 500 से अधिक गांव प्रति विधिक सहायता क्लीनिक है।

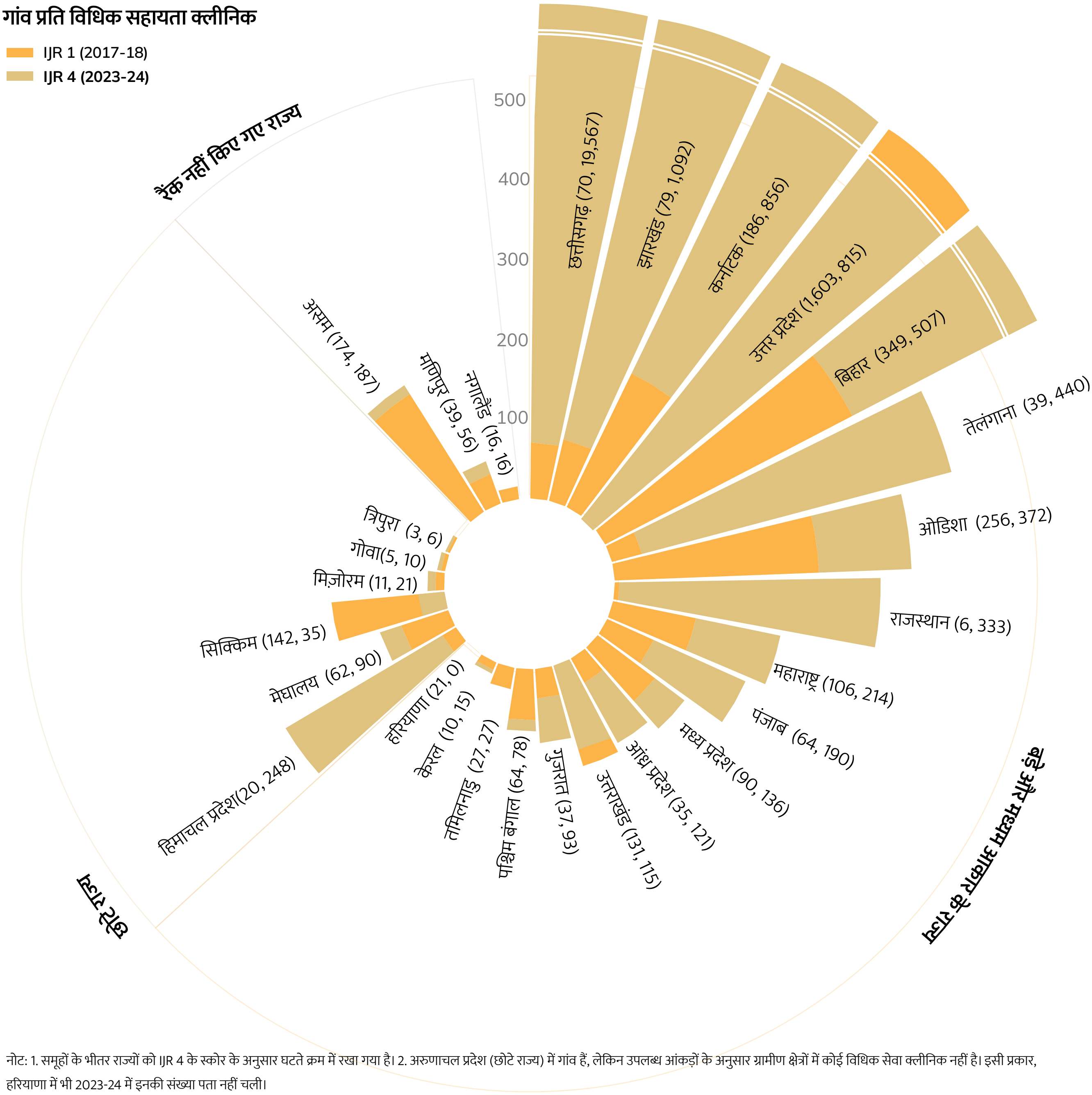

नोट: 1. समूहों के भीतर राज्यों को IJR 4 के स्कोर के अनुसार घटते क्रम में रखा गया है। 2. अरुणाचल प्रदेश (छोटे राज्य) में गांव हैं, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विधिक सेवा क्लीनिक नहीं है। इसी प्रकार, हरियाणा में भी 2023-24 में इनकी संख्या पता नहीं चली।

स्रोत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)

19 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लीनिक) नियमावली, 2011. इस लिंक पर उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/acts-rules/regulations/national-legal-services-authority-legal-services-clinics-regulations-2011

हैं।[20] चंडीगढ़, नगालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2017 से 2024 के बीच इनकी संख्या अलग-अलग अनुपात में घटी। जैसे, छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या 281 से सिर्फ़ एक; झारखंड में 375 से 27 और तेलंगाना में 260 से 23 रह गई। इन क्लीनिकों की संख्या में यह भारी गिरावट निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। 2017-18 में, देशभर में 14,161 क्लीनिक थे यानी कि औसतन 42 गांव पर एक क्लीनिक। मार्च 2024 तक यह संख्या बहुत ज़्यादा घटकर सिर्फ़ 3,659 रह गई, जिसका मतलब है कि अब हर क्लीनिक 163 गांवों को सेवाएं दे रहा है। यह काफ़ी हैरान करने वाला आंकड़ा है।

विधिक सेवा क्लीनिक सभी राज्यों में एक समान संख्या या अनुपात में नहीं हैं। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों[21] में एक क्लीनिक पर 100 से ज़्यादा गांवों को क़ानूनी सहायता उपलब्ध कराने का कार्यभार है। मध्य प्रदेश में एक क्लीनिक पर 136 गांवों, महाराष्ट्र में 214 गांवों, राजस्थान में 333 गांवों और तेलंगाना में एक क्लीनिक पर 440 गांवों का कार्यभार है। कर्नाटक (856 गांव प्रति क्लीनिक), झारखंड (1,092 गांव प्रति क्लीनिक) और छत्तीसगढ़ (20,000 गांव प्रति क्लीनिक) में यह अनुपात और भी ख़राब है। दो राज्यों- हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश और तीन केंद्र शासित प्रदेशों- लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक भी विधिक सेवा क्लीनिक नहीं है। देश में ऐसे केवल छह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां एक विधिक सेवा क्लीनिक 10 से कम गांवों को सेवाएं देते हैं।[22]

इन क्लीनिकों पर बहुत बड़ी आबादी की निर्भरता, गांवों से इनकी दूरी और संभवतः इन्हें मिलने वाले कम संसाधनों के कारण ग्रामीण आबादी को समय पर प्रभावी क़ानूनी सहायता प्रदान करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो गया है। ये क्लीनिक कमज़ोर आबादी, विशेष रूप से भौगोलिक और सामाजिक बाधाओं का सामना करने वाले लोगों के लिए, सहायता प्राप्त करने के सुलभ केंद्र होते हैं और इन चुनौतियों के कारण इनका मुख्य कार्य बहुत प्रभावित हो रहा है।

सामुदायिक सहायता उपलब्ध कराने में गिरावट के रुझान के विपरीत, 2024 में भारत के 5.7 लाख क़ैदियों को बेहतर क़ानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए गए। इनमें से 76 प्रतिशत विचाराधीन क़ैदी हैं। NALSA की 2022 की नियमावली में ज़िला प्राधिकरण द्वारा हर जेल में एक विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित करने पर ज़ोर दिया गया है ताकि क़ैदियों को लगातार और समय पर क़ानूनी सहायता मिल सके। विधिक सहायता क्लीनिक के वकील और PLVs (सामुदायिक और सज़ायाफ़्ता दोनों) जेलों का दौरा करते हैं। इन्हीं क्लीनिक के ज़रिए उन क़ैदियों की पहचान की जाती है जिनकी रिहाई की सिफ़ारिश अंडरट्रायल रिव्यू कमेटी (UTRC) करती है। क्लीनिक के ज़रिए ही इन क़ैदियों को क़ानूनी सलाह, काउंसलिंग और वकील उपलब्ध कराए जाते हैं। मार्च 2024 तक, NALSA के आंकड़ों के मुताबिक 1,330 जेलों में 1,215 क्लीनिक खोले गए हैं। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी जेलों में क्लीनिक नहीं हैं।[23] इसके विपरीत, सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जेलों की संख्या से ज़्यादा क्लीनिक हैं। इनमें सबसे ज़्यादा गुजरात की 32 जेलों में 63 क्लीनिक हैं। इसके बाद हरियाणा (20 जेलों में 22 क्लीनिक) और छत्तीसगढ़ (33 जेलों में 34 क्लीनिक) का नंबर आता है। छोटे राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश (2 जेलों के लिए 4 क्लीनिक) में भी जेलों से ज़्यादा क्लीनिक हैं, जबकि मेघालय, गोवा और सिक्किम की हर जेल में एक क्लीनिक है।

फ़्रंट ऑफ़िस: फ़्रंट ऑफ़िस की मदद से ज़रूरतमंद लोगों तक क़ानूनी सलाह उपलब्ध कराना आसान होता है। सभी विधिक सेवा संस्थानों को अनिवार्य रूप से अपने फ़्रंट ऑफ़िस की सुविधा ऐसी जगहों पर उपलब्ध करानी चाहिए,[24] जहां आसानी से पहुंचा जा सके।[25] ये फ़्रंट ऑफ़िस LSI के ऑफ़िस में या अदालतों के पास स्थित हो सकते हैं। फ़्रंट ऑफ़िस में रिटेनर लॉयर और पैरालीगल वॉलनटियर्स काम करते हैं। जिन लोगों को क़ानूनी सहायता की ज़रूरत होती है, ये उनके लिए वन-स्टॉप सेंटर का भी काम करते हैं। ये लोगों को क़ानूनी सलाह, मामलों की जानकारी और विधिक सेवा संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न क़ानूनी सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं।

2024 तक, अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने सभी ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) में फ़्रंट ऑफ़िस बना लिए

20 उपरोक्त

21 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड

22 चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, पुडुचेरी और त्रिपुरा

23 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल

24 धारा 4, NALSA (निःशुल्क और सक्षम क़ानूनी सेवाएं) नियमावली, 2010. इस लिंक पर उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/acts-rules/regulations/national-legal-services-authority-free-and-competent-legal-services-regulations-2010

25 परिच्छेद 3(1), फ़्रंट ऑफ़िस संबंधी NALSA के दिशानिर्देश।

थे। हालांकि, 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों[26] में DLSAs की तुलना में फ्रंट ऑफ़िस कम थे। इससे पता चलता है कि सभी राज्यों में ज़िला स्तर पर क़ानूनी सेवाएं समुचित तौर पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। फ्रंट ऑफ़िसों से संबंधित आंकड़े ज़िला स्तर पर मौजूद उनकी संख्या तक ही सीमित हैं, ये उन ऑफ़िस में उपलब्ध मानव संसाधन और उनके बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी नहीं देते हैं।

कार्यभार

PLA केस: कुल प्राप्त केसों में से निपटाए गए केसों का % (2023-24)

SLSA लोक अदालत केस: निपटाए गए पूर्व मुक़दमेबाज़ी के केसों का % (2023-24) नया

SLSA लोक अदालत केस: निपटाए गए केसों का % (2023-24) नया

लोक अदालतें: लोक अदालतें भारत की क़ानूनी सहायता प्रणाली का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन अनौपचारिक लोक अदालतों का कार्य विवादों का सौहार्दपूर्ण तरीक़े से समाधान करना है। इन्हें अदालतों में लंबित मामलों को कम करने, त्वरित न्याय उपलब्ध कराने और सौहार्दपूर्ण समाधान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' की धारा 19 के अनुसार प्रत्येक LSI के लिए समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन करना अनिवार्य है। लोक अदालतों का आयोजन SLSA, DLSA के साथ-साथ तालुक विधिक सेवा समितियों (TLSCs) द्वारा भी किया जा सकता है।

लोक अदालतें कई प्रकार की होती हैं। इनमें समय-समय पर पूरे देश में आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतें, ख़ास उद्देश्यों (जैसे सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों) के लिए स्थापित स्थायी लोक अदालतें, मामलों के बड़े पैमाने पर निपटारे के लिए मेगा लोक अदालतें, दूरदराज के क्षेत्रों के लिए मोबाइल लोक अदालतें, मामलों के निरंतर निपटारे के लिए दैनिक लोक अदालतें और विस्तारित अवधि तक चलने वाली सतत लोक अदालतें शामिल हैं। लोक अदालतें किसी ख़ास तरह के मामलों तक सीमित न होते हुए भी कई तरह के मामलों का निपटारा कर सकती हैं, जिनमें पूर्व मुक़दमेबाज़ी के स्तर पर लंबित विवाद, लंबित अदालती मामले (सिविल, आपराधिक, वैवाहिक, उपभोक्ता आदि के मामले) शामिल हैं। अक्सर राष्ट्रीय लोक अदालतों में ख़ास मामलों (जैसे उपभोक्ता विवाद या बैंक वसूली के मामले) पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। निपटारा किए जाने वाले मामले अलग-अलग हो सकते हैं और यह लोक अदालत के प्रकार और आयोजन करने वाले प्राधिकरण के उद्देश्यों पर निर्भर करता है।

लोक अदालतें भी अन्य अदालतों की तरह ही सुनवाई करती हैं। इसके बावजूद ये आम अदालतों के मुक़ाबले अनौपचारिक और प्रक्रिया के लिहाज़ से ज़्यादा सहज होती हैं और इनका मक़सद मामलों का शीघ्र सौहार्दपूर्ण निपटारा करना होता है। इनकी बेंच में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश[27] होते हैं; और इनके द्वारा दिए गए फ़ैसलों को एक दीवानी अदालत (सिविल कोर्ट) का फ़ैसला माना जाता है।[28] लोक अदालतों ने विवादों को सुलझाने की क्षमता प्रदर्शित की है लेकिन अलग-अलग राज्यों में उनके प्रदर्शन में काफ़ी अंतर देखा जा सकता है। कुछ राज्यों में इनके द्वारा बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया गया है तो कुछ राज्यों में ये अपने सामने पेश हुए मामलों में से कुछ को ही निपटाने में भी संघर्ष करती हैं। यह रिपोर्ट पूरे भारत में SLSAs द्वारा आयोजित लोक अदालतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। इसमें पूर्व-मुक़दमेबाज़ी[29] के स्तर पर स्वीकार किए गए केसों और अदालतों के समक्ष लंबित

राष्ट्रीय और राज्य लोक अदालतें

ऐतिहासिक रूप से, NALSA द्वारा समय-समय पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों का प्रदर्शन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) की लोक अदालतों से काफ़ी बेहतर रहा है। 2023-2024 में, राष्ट्रीय लोक अदालतों ने कुल 9.7 करोड़ मामलों का निपटारा किया, जिसमें से 8 करोड़ मामले (86 प्रतिशत) पूर्व-मुक़दमेबाज़ी स्तर के मामले थे।

26 अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
27 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' की धारा 19(2)
28 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' की धारा 21
29 पूर्व-मुक़दमेबाज़ी के मामले वे विवाद होते हैं जो अभी तक किसी अदालत के सामने नहीं लाए गए हैं और जो अदालत में दायर होने की संभावना रखते हैं, या फिर ऐसे मामले जो मुक़दमेबाज़ी से पहले के चरण में होते हैं।

चित्र 38: लोक अदालतों का प्रदर्शन

नीचे दी गई तालिका 2023-2024 में लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए पूर्व मुक़दमेबाज़ी के मामलों की संख्या दर्शाती है। राष्ट्रीय स्तर पर, सभी लोक अदालतों द्वारा 52% पूर्व मुक़दमेबाज़ी के मामलों का निपटारा किया गया।

	राष्ट्रीय लोक अदालतें (2023-24)		SLSA लोक अदालतें (2023-24)			कुल लोक अदालतें: निपटाए गए पूर्व मुक़दमेबाज़ी के मामले (%)	SLSA लोक अदालतें: निपटाए गए पूर्व मुक़दमेबाज़ी के मामले (%)
	मुक़दमेबाज़ी के पूर्व लिए गए मामले	निपटाए गए पूर्व मुक़दमेबाज़ी के मामले	मुक़दमेबाज़ी के पूर्व लिए गए मामले	निपटाए गए पूर्व मुक़दमेबाज़ी के मामले	कुल लिए गए मामले		
बड़े और मध्यम आकार के राज्य							
आंध्र प्रदेश	125,351	36,922	42	42	3,511	29.5	1.2
बिहार	2,555,075	250,863	0	0	0	9.8	0.0
छत्तीसगढ़	2,156,881	1,806,194	0	0	0	83.7	0.0
गुजरात	2,695,957	1,069,689	11,272	205	11,311	39.5	1.8
हरियाणा	528,716	436,642	0	0	37,733	82.6	0.0
झारखंड	3,189,262	3,025,018	23,803	21,255	39,685	94.8	53.6
कर्नाटक	11,637,416	10,385,530	0	0	0	89.2	0.0
केरल	210,416	30,185	67,318	14,250	108,894	16.0	13.1
मध्य प्रदेश	2,888,005	382,090	48,452	44,379	60,425	14.5	73.4
महाराष्ट्र	52,591,823	2,857,213	464	27	6,432	5.4	0.4
ओडिशा	413,614	22,056	0	0	284,068	5.3	0.0
पंजाब	798,440	524,575	0	0	6,133	65.7	0.0
राजस्थान	16,986,960	14,912,789	1,933	353	40,751	87.8	0.9
तमिलनाडु	180,013	64,519	126,530	15,306	196,315	26.0	7.8
तेलंगाना	14,322,549	14,291,356	81,264	75,979	177,182	99.7	42.9
उत्तर प्रदेश	41,489,456	30,291,826	54,062	39,572	1,020,023	73.0	3.9
उत्तराखंड	71,515	51,635	0	0	37,193	72.2	0.0
पश्चिम बंगाल	338,362	55,576	0	0	0	16.4	0.0
छोटे राज्य							
अरुणाचल प्रदेश	5,687	659	0	0	0	11.6	0.0
गोवा	8,471	227	41	1	1,109	2.7	0.1
हिमाचल प्रदेश	49,588	12,342	0	0	2,968	24.9	0.0
मेघालय	3,357	609	0	0	0	18.1	0.0
मिज़ोरम	10,891	3,977	259	88	273	36.5	32.2
सिक्किम	161	81	1,009	697	1,111	66.5	62.7
त्रिपुरा	22,949	2,805	226	29	39,021	12.2	0.1
बिना रैंकिंग वाले राज्य							
असम	801,708	87,379	0	0	0	10.9	0.0
मणिपुर	386	291	0	0	0	75.4	0.0
नगालैंड	3,242	759	0	0	0	23.4	0.0
केंद्रशासित प्रदेश							
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5,187	545	0	0	0	10.5	0.0
चंडीगढ़	21,182	113	4,685	1,413	5,455	5.9	25.9
दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव	34,367	11,008	0	0	0	32.0	0.0
दिल्ली	45,458	1,410	5,131	4,933	131,178	12.5	3.8
जम्मू और कश्मीर	238,292	141,584	982	214	31,572	59.3	0.7
लद्दाख	1,596	620	0	0	0	38.8	0.0
लक्षद्वीप	79	33	2	1	2	42.0	50.0
पुडुचेरी	14,014	908	10,764	486	10,770	5.6	4.5
राष्ट्रीय औसत	**154,446,426**	**80,760,028**	**438,239**	**219,230**	**2,253,115**	**52.3**	**9.7**

नोट: 1. राष्ट्रीय लोक अदालत+ SLSA लोक अदालतें: कुल निपटाए गए मामलों में पूर्व मुक़दमेबाज़ी के मामलों की हिस्सेदारी। 2. SLSA लोक अदालतें: कुल लिए गए मामलों में से पूर्व मुक़दमेबाज़ी के मामलों का निपटारे के रूप में प्रतिशत।
स्रोत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)

मामलों की संख्या एवं उनको निपटाने की दरों पर ध्यान दिया गया है।

अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच, देशभर में आयोजित 9,865 लोक अदालतों में 22.5 लाख मामलों को सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया। जिनमें पूर्व-मुक़दमेबाज़ी स्तर के मामलों की संख्या सिर्फ़20 प्रतिशत थी और बाक़ी मामले अदालतों के समक्ष लंबित फ़ैसलों से संबंधित थे। पांच राज्यों- झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना ने देश में सबसे अधिक लोक अदालतों का आयोजन किया, जो कुल लोक अदालतों का लगभग 80 प्रतिशत है। दूसरी ओर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस दौरान एक भी लोक अदालत आयोजित नहीं की।[30]

छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों- उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली और केरल, सबने अपनी आयोजित लोक अदालतों में एक-एक लाख से अधिक मामले स्वीकार किए, जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश में इस दौरान 10 लाख मामले स्वीकार किए गए।

राष्ट्रीय स्तर पर केवल 54 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया गया। राज्य स्तर पर केसों के निपटारे की दर अलग-अलग थी। उदाहरण के लिए, तेलंगाना और दिल्ली ने अपने यहां स्वीकार किए गए गए मामलों में से 90 प्रतिशत से अधिक का निपटारा किया, जबकि 10 लाख से अधिक मामलों को स्वीकार करने वाला उत्तर प्रदेश सिर्फ़40 प्रतिशत का निपटारा कर सका। 1 लाख से थोड़ा अधिक मामलों को स्वीकार करने वाले केरल ने केवल 24 प्रतिशत केसों का निपटारा किया और 1.9 लाख केस लेकर तमिलनाडु केवल 18 प्रतिशत का निपटारा कर सका। झारखंड और हरियाणा, जिनके पास 40 हजार से कम मामले थे, सिर्फ़70 प्रतिशत से अधिक केसों का ही निपटारा कर सके। कई बड़े राज्य अपेक्षाकृत कम संख्या में मामले स्वीकार करने के बाद भी बहुत कम केसों का निपटारा कर सके। जैसे 11,000 मामलों वाले गुजरात ने सिर्फ़ 2 प्रतिशत का निपटारा किया, 40,000 केसों वाले राजस्थान ने 3 प्रतिशत का निपटारा किया और 6,000 केसों वाले महाराष्ट्र ने 9 प्रतिशत का निपटारा किया।

स्थायी लोक अदालतें: 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' के अनुसार प्रत्येक राज्य में स्थायी लोक अदालतों (PLA) की स्थापना करना अनिवार्य है।[31] इन विशेष निकायों की परिकल्पना का मक़सद परिवहन, डाक और दूरसंचार सेवाओं जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना करने वाले उपभोक्ताओं के लिए ऐसा तंत्र उपलब्ध कराना था जो पूर्व-मुक़दमेबाज़ी स्तर के मामलों का अनिवार्य रूप से निपटारा कर सके।[32] PLA का उद्देश्य उपभोक्ता शिकायतों के निपटारे के लिए एक त्वरित और सुलभ मंच प्रदान करना, अदालतों पर बोझ कम करना और उपभोक्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं के बीच सौहार्दपूर्ण समझौतों को बढ़ावा देना है।

साल 2023-2024 में सोलह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थायी लोक अदालतें नहीं थीं।[33] यह संख्या 2019-2020 के मुक़ाबले ज़्यादा है जब केवल 12 राज्यों में स्थायी लोक अदालतें नहीं थीं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में 2019 से लेकर अब तक कोई PLA नहीं है, जिससे इन राज्यों में उपभोक्ताओं को विवाद निपटारे का एक महत्वपूर्ण निकाय उपलब्ध नहीं है। 2023-2024 तक, 350 मौजूदा कार्यरत PLA ने 33,020 लोक अदालतों के आयोजनों के ज़रिए 2,32,763 केसों का निपटारा किया।इनमें लगभग 504 करोड़ (5.04 बिलियन) रुपए मूल्य के मामले निपटाए गए। यह 2021-2022 के मुक़ाबले बढ़ोतरी है, जब 29,153 लोक अदालतों द्वारा 1,18,136 मामले निपटाए गए थे।

हालांकि, जिन राज्यों में PLA काम कर रही हैं, वहां मामले निपटाने की दर कम है। केवल आठ राज्यों ने प्राप्त मामलों में से 65 प्रतिशत से अधिक का निपटारा किया।[34] दिल्ली ने सबसे अधिक 96 प्रतिशत केसों का निपटारा किया, उसके बाद चंडीगढ़ (95 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (91 प्रतिशत) का स्थान रहा। गुजरात ने 2021-2022 में प्राप्त सभी मामलों का निपटारा किया, लेकिन वर्तमान में वहां कोई भी PLA कार्यरत नहीं है। महाराष्ट्र की केसों को निपटाने की दर 36 प्रतिशत से घटकर 21 प्रतिशत रह गई। कम मामलों के निपटारे के बावजूद, पंद्रह राज्यों ने केसों को निपटाने की दर बेहतर की। जैसे, मध्य प्रदेश ने 2021-2022 में 35 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया था, इसके मुक़ाबले 2023-2024 में इसने 88 प्रतिशत का निपटारा किया। इसी तरह त्रिपुरा ने अपनी दर 28 प्रतिशत से सुधार कर 67 प्रतिशत कर ली।

30 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, कर्नाटक, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड और पश्चिम बंगाल

31 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22B: इस लिंक पर उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/acts-rules/the-legal-services-authorities-act-1987

32 अधिनियम 1987 की धारा 22B–22E: 'राज्य प्राधिकरण अधिसूचना जारी कर स्थायी लोक अदालतों का गठन करेगा। प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक या एक से अधिक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए लोक अदालतें स्थापित करेगा। इसके अलावा यह अधिसूचना में निर्दिष्ट स्थानों और क्षेत्रों में भी लोक अदालतों का गठन करेगा।'

33 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और पश्चिम बंगाल।

34 चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और त्रिपुरा।

पीड़ितों को मुआवज़ा

अपराध की शिकार महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से मुआवज़ा दिया जाता है, जिसे अक्सर क़ानूनी सेवा संस्थानों (LSI) के ज़रिए प्रदान किया जाता है।[35] यह मुआवज़ा उन्हें सदमे से उबरने में मदद करने, वित्तीय सहायता देने और न्याय की भावना को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। कुछ राज्यों द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति किए जाने के बावजूद, पीड़ितों को मुआवज़ा प्रदान करने की समग्र तस्वीर चिंताजनक बनी हुई है। दिल्ली, ओडिशा और छत्तीसगढ़ मुआवज़ा देने में सबसे आगे रहे और इन्होंने मिलकर देश भर में प्रदान किए गए कुल मुआवज़े में से 46 प्रतिशत हिस्से का भुगतान किया। जबकि वहीं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे उच्च अपराध दर वाले राज्यों ने बतौर मुआवज़ा अपेक्षाकृत कम राशि प्रदान की। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश को 4 लाख से अधिक आवेदन मिले और इसने 1.85 करोड़ रुपए का मुआवज़ा दिया। यह आंध्र प्रदेश से काफ़ी कम था, जिसने समान संख्या के आवेदनों के बावजूद 4.19 करोड़ रुपए दिए।

राज्यों के बीच केसों को निपटाने की दर में असमानता भी चिंता का विषय है। ग्यारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों[36] में यह दर 70 प्रतिशत से कम थी। इन राज्यों में तमिलनाडु और केरल में निष्पादन की दर विशेष रूप से कम दर्ज की गई जो क्रमशः 33 और 35 प्रतिशत थी। छोटे से केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने प्राप्त 17 आवेदनों में से किसी पर भी निर्णय नहीं लिया।

हालांकि, LSI एलएसआई मुआवज़े की राशि निर्धारित करते हैं, वास्तविक वितरण राज्य सरकार के मिलने वाले अनुदान पर निर्भर करता है।[37] इसमें काफ़ी देरी हो सकती है। प्रक्रिया संबंधी ज़रूरतों में असंगति, आवेदन दाख़िल करने की अलग-अलग समय-सीमा और राज्यों में मुआवज़े की राशि में असमानताएं पीड़ितों को मुआवज़ा प्रदान करने की मज़बूत प्रणाली तैयार करने की राह में बाधाएं खड़ी करती हैं।[38]

बजट

- नालसा के फंड का उपयोग (%, 2022-23)
- क़ानूनी सहायता के बजट में राज्य का हिस्सा (%, 2022-23)
- राज्य के क़ानूनी सहायता बजट का उपयोग (%, 2022-23)
- क़ानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति ख़र्च (रु, 2022-23) नया

क़ानूनी सहायता के लिए केंद्र और राज्य- दोनों ही बजट उपलब्ध कराते हैं। केंद्र सरकार NALSA के ज़रिए बजट उपलब्ध कराती है और 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987'[39] के तहत NALSA से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSAs) को अनुदान मिलता है। यह धनराशि SLSAs द्वारा ज़िला, तालुक और हाई कोर्ट की विधिक सेवा समितियों को आवंटित की जाती है। NALSA का फंड विभिन्न गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिनमें क़ानूनी सहायता उपलब्ध कराना, पैनल में शामिल वकीलों और पैरालीगल वॉलनटियर्स के मानदेय, लोक अदालतों एवं मध्यस्थता और क़ानूनी जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन शामिल हैं। जबकि राज्य सरकार द्वारा प्रदान फंड मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यय, कर्मचारियों के वेतन और बुनियादी ढांचे पर ख़र्च होता है।[40]

तीन वर्षों के रुझान केंद्र और राज्यों की ओर से बढ़े हुए अनुदान के साथ सकारात्मक संकेत देते हैं। वर्ष 2020 से 2023 के बीच NALSA का कुल अनुदान 99 करोड़ रुपए से 77% बढ़कर 175.4 करोड़ रुपए हो गया है। इसी दौरान, राज्यों की ओर से मिलने वाला अनुदान भी 33% बढ़कर 722 करोड़ रुपए से 866 करोड़ रुपए पहुंच गया।

प्राप्त अनुदान का अनुपात भी काफ़ी हद तक बदल गया है। हर राज्य को NALSA द्वारा मिलने वाला अनुदान कम हुआ है जबकि राज्यों ने अपना बजट बढ़ाया है। 2020 और 2023 के बीच, 19 राज्यों को अपने कुल क़ानूनी सहायता बजट का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अपनी राज्य सरकारों से प्राप्त हुआ।[41] उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश के 79 करोड़ के

35 पीड़ित महिलाओं, यौन हमले और दूसरे अपराधों के उत्तरजीवियों के लिए NALSA की मुआवज़ा योजना, 2018. इस लिंक पर उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/acts-rules/preventive-strategic-legal-services-schemes/nalsa-s-compensation-scheme-for-women-victims-survivors-of-sexual-assault-other-crimes-2018

36 बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मेघालय, मिज़ोरम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

37 लोक सभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 4454, दिनांक 28 मार्च, 2023. इस लिंक पर उपलब्ध: https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/1928928/1/AU4454.pdf

38 अभिषेक कुमार, एन एनालिसिस ऑफ़ विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स इन इंडिया, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली। इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.epw.in/journal/2020/45/commentary/analysis-victim-compensation-schemes-india.html

39 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' की धारा 15(2)(a).

40 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' की धारा 10(2) और धारा 11B.

41 आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड

चित्र 39: निधियों का प्रवाह

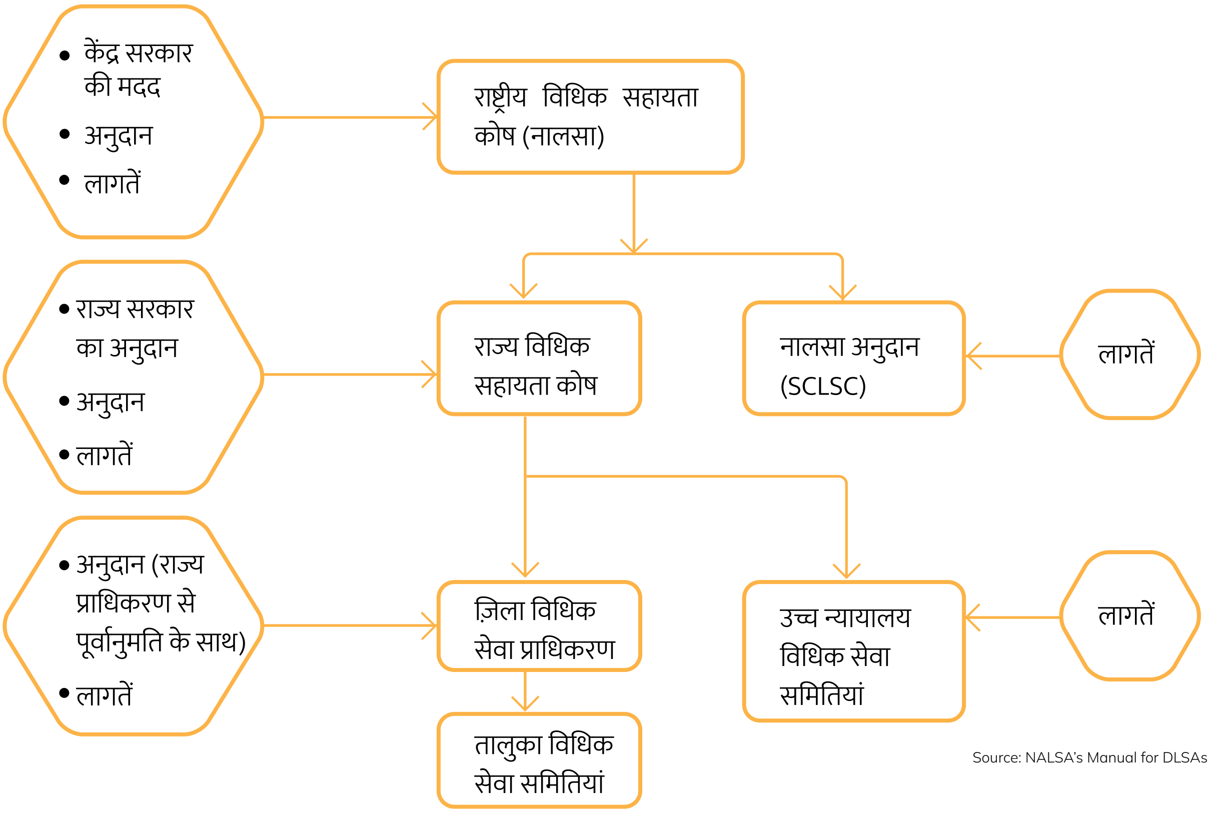

Source: NALSA's Manual for DLSAs 2023

NALSA द्वारा तय ख़र्च की अधिकतम सीमा

NALSA के दिशा-निर्देशों[42] में यह प्रावधान है कि विधिक सेवा प्राधिकरण आउटसोर्स और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति, वाहनों की ख़रीद और इन्हें किराए पर लेने तथा अन्य चीजों के अलावा पीड़ितों के मुआवज़े से संबंधित ख़र्च के लिए प्राप्त अनुदान का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें ख़र्च की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है:

क) विधिक सहायता और सलाह - 50 प्रतिशत

ख) वैकल्पिक विवाद समाधान और मध्यस्थता - 25 प्रतिशत

ग) जागरुकता और आउटरीच कार्यक्रम तथा अन्य - 50 प्रतिशत]

बजट में यहां की राज्य सरकार ने 91 प्रतिशत का योगदान दिया और केवल 9 प्रतिशत फंड NALSA से प्राप्त हुआ। जबकि बिहार के 43 करोड़ के बजट में यहां की राज्य सरकार ने 82 प्रतिशत का योगदान दिया।

पांच साल पहले झारखंड और असम समेत छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने क़ानूनी सहायता के लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई थी, जबकि नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा ने 20 प्रतिशत से भी कम धनराशि उपलब्ध कराई थी।[43] हालांकि, 2022-2023 से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने क़ानूनी सहायता बजट में योगदान दिया है।

पिछले तीन वर्षों में, क़ानूनी सहायता बजट की राशि बढ़ी है और इसका ज़्यादा और बेहतर इस्तेमाल हुआ है। साल 2022-2023 के बीच देश

42 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 2003 के लिए मैनुअल, भाग-बी- DLSAs के लिए संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्टर। इस लिंक पर उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/library/manual-for-district-legal-services-authorities-2023

43 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2019। इस लिंक पर उपलब्ध: https://indiajusticereport.org/files/IJR_2019_Full_Report154ef5.pdf

भर में क़ानूनी सहायता के लिए मिले अनुदान के इस्तेमाल की दर 72 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गई। 17 राज्यों ने अपने क़ानूनी सहायता बजट का 85 प्रतिशत से अधिक का इस्तेमाल किया।[44] छह राज्यों- झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और तेलंगाना ने अपने आवंटित बजट से ज़्यादा ख़र्च किया, जबकि उत्तराखंड अपने बजट के आधे से कुछ ही ज़्यादा का इस्तेमाल कर सका।

इसके उलट, NALSA फंड के उपयोग में काफ़ी गिरावट आई है। 2022-2023 में, राज्यों ने NALSA से प्राप्त कुल आवंटन का केवल 59 प्रतिशत उपयोग किया, जो पिछले वर्ष के 76 प्रतिशत से काफ़ी कम है। कोई भी राज्य पूरे आवंटन का उपयोग नहीं कर पाया और नौ राज्यों ने इसका 50 प्रतिशत से भी कम इस्तेमाल किया।[45] आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, केरल और पंजाब- इन पांच राज्यों को छोड़ सभी ने पहले के मुक़ाबले NALSA फंड का कम इस्तेमाल किया।

जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से (करीब 80%) को क़ानूनी जागरुकता और सहायता सहित व्यापक क़ानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। लेकिन बजट बढ़ने के बावजूद निःशुल्क क़ानूनी सहायता सुनिश्चित करने की प्रणाली के लिए बहुत कम वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं और इस पर बहुत दबाव है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति ख़र्च औसतन सिर्फ़ 6 रुपए है।[46] सिक्किम सबसे ज़्यादा 109 रुपए ख़र्च करता है, उसके बाद त्रिपुरा (59 रुपए), मिज़ोरम (36 रुपए) और गोवा (32 रुपए) जैसे राज्य आते हैं। पंद्रह राज्यों[47] ने, जिनमें से ज़्यादातर बड़े राज्य हैं, 10 रुपए से भी कम ख़र्च किए।

क़ानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली, ग़रीब क़ैदी सहायता योजना, अदालतों द्वारा ज़मानत के आदेशों का त्वरित कार्यान्वयन और अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटी की सिफ़ारिशों के पालन जैसे तरीक़ों से विचाराधीन क़ैदियों की लंबी अवधि की हिरासत के मुद्दे का समाधान निकाला जा सकता है।

प्रोफ़ेसर विजय राघवन, TISS-प्रयास
मधुरिमा धनुका, पूर्व कार्यक्रम प्रमुख, जेल सुधार, कॉमलवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव
नुपूर, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस
नयनिका सिंघल, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
सरब लाम्बा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

44 आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल।

45 अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नगालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश।

46 क़ानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति ख़र्च, प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क क़ानूनी सहायता उपलब्ध कराने पर किए गए ख़र्च का औसत है। इसका आकलन NALSA और राज्य विधिक सेवा द्वारा दिए फंड से किए गए कुल ख़र्च में राज्य की कुल जनसंख्या से भाग देकर किया जाता है।

47 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नगालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

तालिका 6: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

समूह में श्रेष्ठतम
समूह में निम्नतम

श्रेष्ठ
मध्य
खराब

थीम	समूह में रैंक						बजट	
संकेतक							NALSA के फंड का उपयोग (%, 2022-23)	क़ानूनी सहायता के बजट में राज्य का हिस्सा (%, 2022-23)
स्कोरिंग गाइड	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 4 2022	IJR 4 स्कोर (10 में से)	सूचकांकों में सुधार (13 में से)[1]	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत							**59.0**	**83.2**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य								
आंध्र प्रदेश	10	14	13	5	6.51	7	88.6	86.1
बिहार	16	2	16	12	5.54	8	57.2	82.2
छत्तीसगढ़	8	15	11	7	6.41	10	69.1	86.5
गुजरात	6	9	3	13	5.28	8	69.5	87.3
हरियाणा	2	5	4	3	6.72	11	82.5	85.7
झारखंड	14	4	1	11	5.70	9	62.8	66.4
कर्नाटक	7	16	2	1	7.52	9	63.9	80.8
केरल	1	7	6	6	6.50	9	84.0	82.0
मध्य प्रदेश	9	12	14	9	6.09	9	37.1	91.5
महाराष्ट्र	5	1	7	14	4.81	8	29.1	83.3
ओडिशा	15	8	10	8	6.31	6	43.4	80.5
पंजाब	3	3	9	2	7.16	9	110.4	80.4
राजस्थान	11	13	17	18	3.75	8	66.4	83.2
तमिलनाडु	12	11	12	16	4.27	5	57.9	80.2
तेलंगाना	4	6	5	10	6.00	6	60.9	84.0
उत्तर प्रदेश	18	18	18	17	4.05	8	18.7	93.4
उत्तराखंड	17	10	8	4	6.69	9	66.2	85.7
पश्चिम बंगाल	13	17	15	15	4.50	4	75.7	55.8
छोटे राज्य								
अरुणाचल प्रदेश	7	7	7	7	2.53	7	48.6	NA[3]
गोवा	1	1	2	2	5.35	8	73.3	92.6
हिमाचल प्रदेश	3	6	5	4	4.34	8	73.4	69.4
मेघालय	6	5	3	5	3.78	7	29.6	51.8
मिज़ोरम	2	4	6	6	3.69	7	56.4	60.4
सिक्किम	4	3	1	1	5.38	7	36.6	82.5
त्रिपुरा	5	2	4	3	4.59	9	47.8	85.9
बिना रैंकिंग वाले राज्य								
असम	Not ranked					8	56.4	71.8
मणिपुर	Not ranked					4	62.6	69.2
नगालैंड	Not ranked					7	39.8	21.2
केंद्रशासित प्रदेश								
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	Not ranked					5	NA[3]	NA[3]
चंडीगढ़	Not ranked					6	NA[3]	NA[3]
दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव	Not ranked					4	NA[3]	NA[3]
दिल्ली	Not ranked					6	NA[3]	NA[3]
जम्मू और कश्मीर	Not ranked					5	54.3	NA[3]
लद्दाख	Not ranked					5	NA[3]	NA[3]
लक्षद्वीप	Not ranked					2	NA[3]	NA[3]
पुडुचेरी	Not ranked					5	NA[3]	NA[3]

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA); प्राथमिक जनगणना सारांश, जनगणना 2011; प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB); राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग; राज्य बजट दस्तावेज़।
संक्षिप्ताक्षर: DLSA: ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण; LA: लोक अदालत; PLA: स्थायी लोक अदालत; PLV: पैरा-लीगल वॉलनटियर; SLSA: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
सामान्य नोट्स: i. राज्यों को समूहों में वर्णमाला के क्रम में रखा गया है। iv. IJR 4 में शामिल नई संकेतकों को पीले रंग में हाइलाइट किया गया है।

1. संकेतकों की गिनती जिन पर राज्यों ने IJR 3 के मुक़ाबले सुधार किया है। केवल वे संकेतक जो IJR 3 और IJR 4 दोनों में मौजूद हैं और जो रुझान में नहीं हैं, उन्हें ही ध्यान में रखा गया है। यदि किसी संकेतक के लिए मानक निर्धारित था, और राज्य ने उस मानक को पूरा किया, तो उसे सुधार के रूप में चिह्नित किया गया, भले ही मानक के भीतर उसका मूल्य घटा हो। यदि राज्य ने मानक को पूरा नहीं किया लेकिन उसके मूल्य में सुधार हुआ, तो उसे सुधार के रूप में चिह्नित किया गया। यदि किसी संकेतक का मूल्य एक या दोनों वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं था, तो उस संकेतक को नहीं माना गया। 2. कुल आवंटित धनराशि में पिछले वर्ष का बचा हुआ बजट भी शामिल है। 3. बजट डेटा उपलब्ध नहीं है।

तालिका 6: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

🟢 समूह में श्रेष्ठतम
🔴 समूह में निम्नतम

थीम	बजट		मानव संसाधन		
संकेतक	राज्य के क़ानूनी सहायता बजट का उपयोग (%, 2022-23)	NEW क़ानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति ख़र्च (रु, 2022-23)	DLSAs में से स्वीकृत सचिवों की हिस्सेदारी का % (%, मार्च 2024)	DLSA सचिवों की वैकेंसी (%, मार्च 2024)	PLVs प्रति लाख जनसंख्या (संख्या, सितंबर 2024)
स्कोरिंग गाइड	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत	**86**	**6.3**	**93**	**5.8**	**3.1**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्र प्रदेश	122	8.1	100	7.7	3.1
बिहार	86	3.5	100	2.7	3.1
छत्तीसगढ़	77	12.7	100	0.0 🟢	5.3
गुजरात	78	7.6	100	0.0 🟢	4.0
हरियाणा	90	16.0 🟢	100	0.0 🟢	3.7
झारखंड	120	5.6	100	0.0 🟢	1.7
कर्नाटक	99.97	6.9	100	0.0 🟢	7.6 🟢
केरल	75	10.2	93 🔴	23.1	4.2
मध्य प्रदेश	86	8.3	100	2.0	3.3
महाराष्ट्र	92	3.8	109 🟢	0.0 🟢	2.6
ओडिशा	88	6.8	100	13.3	5.2
पंजाब	93	10.5	100	0.0 🟢	2.7
राजस्थान	147 🟢	8.5	100	0.0 🟢	1.8
तमिलनाडु	84	4.3	100	50.0 🔴	1.4
तेलंगाना	104	8.4	100	0.0 🟢	3.1
उत्तर प्रदेश	60	4.4	96	0.0 🟢	1.1 🔴
उत्तराखंड	52 🔴	12.1	100	0.0 🟢	5.7
पश्चिम बंगाल	97	1.9 🔴	100	0.0 🟢	1.1
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	NA[3]	NA[3]	20	0.0 🟢	143.3 🟢
गोवा	75	31.6	100 🟢	0.0 🟢	2.3 🔴
हिमाचल प्रदेश	123 🟢	19.8	100 🟢	0.0 🟢	2.6
मेघालय	66 🔴	8.3 🔴	100 🟢	45.5	10.3
मिज़ोरम	99	36.4	0 🔴	NA[5]	5.2
सिक्किम	89	109.2 🟢	33	100.0 🔴	32.1
त्रिपुरा	106	59.0	100 🟢	12.5	4.5
बिना रैंकिंग वाले राज्य					
असम	68	5.0	NA[4]	NA[4]	2.8
मणिपुर	55	11.6	NA[4]	NA[4]	22.7
नगालैंड	97	8.3	0	NA[5]	5.2
केंद्रशासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	NA[3]	NA[3]	NA[4]	NA[4]	4.7
चंडीगढ़	NA[3]	NA[3]	NA[4]	NA[4]	3.1
दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव	NA[3]	NA[3]	NA[4]	NA[4]	2.8
दिल्ली	NA[3]	NA[3]	NA[4]	NA[4]	2.6
जम्मू और कश्मीर	NA[3]	NA[3]	NA[4]	NA[4]	4.0
लद्दाख	NA[3]	NA[3]	NA[4]	NA[4]	13.6
लक्षद्वीप	NA[3]	NA[3]	NA[4]	NA[4]	43.5
पुडुचेरी	NA[3]	NA[3]	NA[4]	NA[4]	24.1

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA); प्राथमिक जनगणना सारांश, जनगणना 2011; प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB); राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग; राज्य बजट दस्तावेज़।
संक्षिप्ताक्षर: DLSA: ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण; LA: लोक अदालत; PLA: स्थायी लोक अदालत; PLV: पैरा-लीगल वॉलनटियर; SLSA: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
सामान्य नोट्स: i. राज्यों को समूहों में वर्णमाला के क्रम में रखा गया है। iv. IJR 4 में शामिल नई संकेतकों को पीले रंग में हाइलाइट किया गया है।

3. बजट डेटा उपलब्ध नहीं है। 4. DLSA सचिवों का डेटा उपलब्ध नहीं है। 5. डेटा दर्शाता है कि 0 DLSA सचिवों को स्वीकृत और नियुक्त किया गया है।

तालिका 6: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

🟢 समूह में श्रेष्ठतम
🔴 समूह में निम्नतम

थीम	विविधता			इंफ़्रास्ट्रक्चर	
संकेतक	नया महिला DLSA सचिव (%, मार्च 2024)	पैनल लॉयर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी (%, सितंबर 2024)	महिला PLVs (%, सितंबर 2024)	राज्य के न्यायिक ज़िलों में DLSA का % (%, दिसंबर 2024)	गांव प्रति विधिक सहायता क्लीनिक (संख्या, 2023-24)
स्कोरिंग गाइड	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत	**30.6**	**27.9**	**41.6**	**106**	**163.3**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्र प्रदेश	50.0	20.7	33.6	100	121.5
बिहार	22.2	18.1	29.3	100	507.4
छत्तीसगढ़	43.5	22.2	37.8	100	19567.0 🔴
गुजरात	NA[6]	26.9	46.4	100	93.4
हरियाणा	27.3	28.3	40.2	100	NA[9]
झारखंड	25.0	15.7	32.4	100	1092.3
कर्नाटक	20.0	43.8	59.0	100	856.2
केरल	60.0	48.6 🟢	63.3 🟢	100	15.4 🟢
मध्य प्रदेश	18.0	15.6	37.7	102	136.3
महाराष्ट्र	13.5	34.5	40.8	100	214.4
ओडिशा	69.2 🟢	14.2 🔴	38.5	100	372.5
पंजाब	63.6	24.3	38.7	100	190.1
राजस्थान	0.0 🔴	NA[7]	26.7 🔴	100	332.8
तमिलनाडु	NA[6]	23.6	46.9	100	27.1
तेलंगाना	23.5	18.1	44.0	103	440.3
उत्तर प्रदेश	15.5	14.6	28.4	100	815.1
उत्तराखंड	30.8	32.5	53.1	100	114.9
पश्चिम बंगाल	65.2	25.0	38.4	105 🟢	78.2
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	40.0 🔴	26.1 🔴	40.6	357	NA[9]
गोवा	100.0 🟢	50.5	78.4 🟢	100	10.0
हिमाचल प्रदेश	72.7	26.5	44.2	100	248.4 🔴
मेघालय	83.3	62.6 🟢	41.5	100	89.7
मिज़ोरम	NA[5]	61.4	29.2	400 🟢	21.3
सिक्किम	NA[5]	44.7	75.8	150	35.4
त्रिपुरा	57.1	30.4	27.0 🔴	100	6.5 🟢
बिना रैंकिंग वाले राज्य					
असम	NA[4]	37.2	37.1	100	186.6
मणिपुर	NA[4]	39.4	40.0	100	55.9
नगालैंड	NA[5]	55.0	31.6	100	15.7
केंद्रशासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	NA[4]	37.5	63.2	NA[8]	NA[9]
चंडीगढ़	NA[4]	24.5	52.6	NA[8]	0.4
दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव	NA[4]	34.5	71.1	NA[8]	4.4
दिल्ली	NA[4]	35.5	53.1	109	1.0
जम्मू और कश्मीर	NA[4]	32.9	39.8	100	66.7
लद्दाख	NA[4]	42.9	85.4	NA[8]	NA[10]
लक्षद्वीप	NA[4]	10.0	73.3	NA[8]	NA[9]
पुडुचेरी	NA[4]	31.7	42.6	NA[8]	1.6

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA); प्राथमिक जनगणना सारांश, जनगणना 2011; प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB); राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग; राज्य बजट दस्तावेज़।
संक्षिप्ताक्षर: DLSA: ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण; LA: लोक अदालत; PLA: स्थायी लोक अदालत; PLV: पैरा-लीगल वॉलनटियर; SLSA: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
सामान्य नोट्स: i. राज्यों को समूहों में वर्णमाला के क्रम में रखा गया है। iv. IJR 4 में शामिल नई संकेतकों को पीले रंग में हाइलाइट किया गया है।

4. DLSA सचिवों का डेटा उपलब्ध नहीं है। 5. डेटा दर्शाता है कि 0 DLSA सचिवों को स्वीकृत और नियुक्त किया गया है। 6. महिला सचिवों का डेटा उपलब्ध नहीं है। 7. डेटा दर्शाता है कि कोई पैनल लॉयर नहीं हैं। 8. डेटा दर्शाता है कि DLSA तो है लेकिन न्यायिक ज़िला नहीं है। 9. राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में गांव हैं, लेकिन गांवों में विधिक सहायता क्लिनिक नहीं हैं। 10. गांवों के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है।

तालिका 6: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

🟢 समूह में श्रेष्ठतम
🔴 समूह में निम्नतम

थीम	इंफ़्रास्ट्रक्चर		कार्यभार		
				नया	नया
संकेतक	जेल प्रति विधिक सहायता क्लीनिक (संख्या, 2023-24)	DLSAs में फ्रंट ऑफ़िस की संख्या (%, दिसंबर 2024)	PLA केस: कुल प्राप्त केसों में से निपटाए गए केसों का % (2023-24)	SLSA लोक अदालत केस: निपटाए गए पूर्व मुक़दमेबाज़ी के केसों का % (2023-24)	SLSA लोक अदालत केस: निपटाए गए केसों का % (2023-24)
स्कोरिंग गाइड	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर
राष्ट्रीय औसत	**0.91**	**94**	**64.9**	**50.0**	**54.4**
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्र प्रदेश	0.78	100 🟢	40.2	100.0 🟢	51.4
बिहार	1.00	100 🟢	NA[12]	NA[13]	NA[14]
छत्तीसगढ़	1.03	100 🟢	90.9 🟢	NA[13]	NA[14]
गुजरात	1.97 🟢	100 🟢	0.0 🔴	1.8 🔴	100.0 🟢
हरियाणा	1.10	100 🟢	86.7	NA[13]	77.4
झारखंड	0.91	100 🟢	66.5	89.3	78.5
कर्नाटक	0.93	100 🟢	26.9	NA[13]	NA[14]
केरल	0.95	100 🟢	6.4	21.2	28.8
मध्य प्रदेश	0.94	98	87.6	91.6	38.6
महाराष्ट्र	0.92	100 🟢	21.3	5.8	9.3
ओडिशा	0.95	100 🟢	44.1	NA[13]	86.0
पंजाब	0.96	100 🟢	67.2	NA[13]	37.0
राजस्थान	0.68 🔴	100 🟢	37.3	18.3	1.8 🔴
तमिलनाडु	0.88	100 🟢	54.8	12.1	27.9
तेलंगाना	0.95	32 🔴	49.7	93.5	99.9
उत्तर प्रदेश	1.00	96	13.8	73.2	38.5
उत्तराखंड	1.09	100 🟢	42.6	NA[13]	46.8
पश्चिम बंगाल	0.70	96	NA[12]	NA[13]	NA[14]
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	2.00 🟢	68	NA[12]	NA[13]	NA[14]
गोवा	1.00	100 🟢	NA[12]	2.4 🔴	22.8 🔴
हिमाचल प्रदेश	0.88	100 🟢	NA[12]	NA[13]	97.0 🟢
मेघालय	1.00	91	NA[12]	NA[13]	NA[14]
मिज़ोरम	1.00	100 🟢	NA[12]	34.0	42.9
सिक्किम	1.00	67 🔴	NA[12]	69.1 🟢	85.3
त्रिपुरा	0.86 🔴	100 🟢	67.1 🟢	12.8	66.0
बिना रैंकिंग वाले राज्य					
असम	1.06	100	38.6	NA[13]	NA[14]
मणिपुर	0.40	89	NA[12]	NA[13]	NA[14]
नगालैंड	0.92	100	NA[12]	NA[13]	NA[14]
केंद्रशासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	100	NA[12]	NA[13]	NA[14]
चंडीगढ़	1.00	100	94.8	30.2	0.0
दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव	1.00	150	NA[12]	NA[13]	NA[14]
दिल्ली	1.13	100	95.5	96.1	93.8
जम्मू और कश्मीर	0.71	100	NA[12]	21.8	91.4
लद्दाख	0.50	100	NA[12]	NA[13]	NA[14]
लक्षद्वीप	0.00	NA[11]	NA[12]	50.0	NA[14]
पुडुचेरी	1.00	100	NA[12]	4.5	100.0

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA); प्राथमिक जनगणना सारांश, जनगणना 2011; प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB); राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग; राज्य बजट दस्तावेज़।
संक्षिप्ताक्षर: DLSA: ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण; LA: लोक अदालत; PLA: स्थायी लोक अदालत; PLV: पैरा-लीगल वॉलनटियर; SLSA: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
सामान्य नोट्स: i. राज्यों को समूहों में वर्णमाला के क्रम में रखा गया है। iv. IJR 4 में शामिल नई संकेतकों को पीले रंग में हाइलाइट किया गया है।

11. डेटा दर्शाता है कि 0 फ्रंट ऑफ़िस हैं। 12. डेटा दर्शाता है कि पूर्व-मुक़दमेबाज़ी के 0 मामले PLA को मिले। 13. डेटा दर्शाता है कि पूर्व-मुक़दमेबाज़ी के 0 मामले SLSA द्वारा उठाए गए हैं। 14. डेटा दर्शाता है कि 0 लंबित मामले SLSA द्वारा उठाए गए हैं।

राज्य
मानवाधिकार
आयोग

चित्र 17: राज्य मानवाधिकार आयोग रैंकिंग

IJR 4 रैंक	राज्य	स्कोर (10 में से)
1	पश्चिम बंगाल	6.99
2	त्रिपुरा	6.09
3	कर्नाटक	5.89
4	ओडिशा	5.52
5	केरल	5.51
6	पंजाब	5.47
7	मध्य प्रदेश	4.93
8	सिक्किम	4.91
9	उत्तराखंड	4.48
10	गोवा	4.34
11	उत्तर प्रदेश	4.32
12	महाराष्ट्र	3.96
13	हरियाणा	3.86
14	हिमाचल प्रदेश	3.53
15	बिहार	3.41
16	मेघालय	3.40
17	तेलंगाना	3.24
18	छत्तीसगढ़	3.16
19	राजस्थान	2.94
20	गुजरात	2.74
21	झारखंड	2.42
22	तमिलनाडु	2.15
23	आंध्र प्रदेश	2.08

संकेतक
9

कलर गाइड
- श्रेष्ठ (रैंक 1 से 8)
- मध्य (रैंक 9 से 16)
- ख़राब (रैंक 17 से 23)

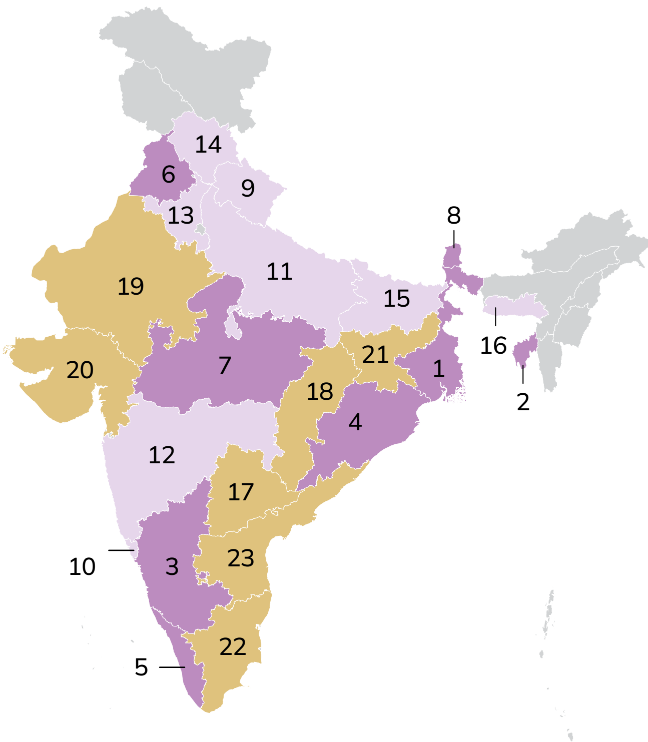

थोड़े सुधार, बड़ी चुनौतियां

वैकेंसी

जिन आयोगों में स्टाफ़ वैकेंसी 20% से कम है

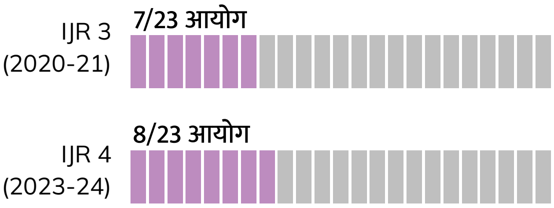

उत्तर प्रदेश में 2020-21 से **60%** से ज़्यादा स्टाफ़ के पद ख़ाली हैं।

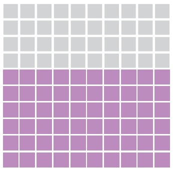

स्वत: संज्ञान कार्रवाई

कुल केसों में से केवल 4% केस ही स्वत: संज्ञान लेकर शुरू किए गए।

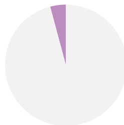

बजट

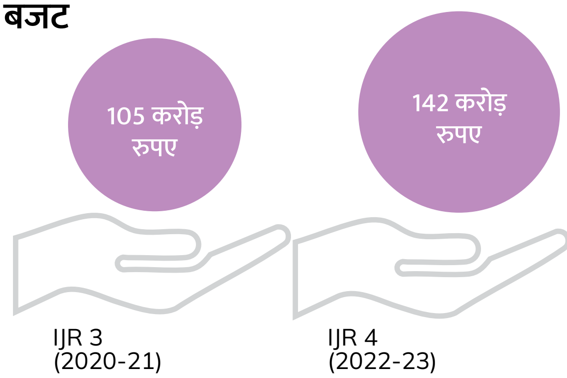

जांच विभाग

झारखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में अलग से जांच विभाग नहीं है।

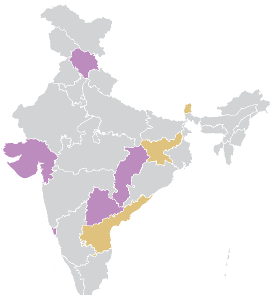

गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के जांच विभागों में 60% से ज़्यादा पद खाली थे।

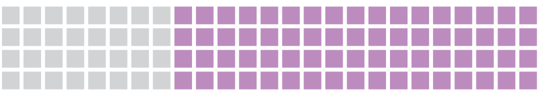

शीर्ष पद

हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना में कोई अध्यक्ष या सदस्य नहीं है।

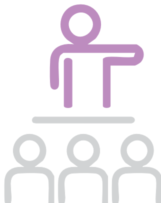

छत्तीसगढ़ SHRC में 2018 से कार्यकारी अध्यक्ष है।

महिलाएं

किसी भी आयोग में अध्यक्ष पद पर महिला नहीं है। केवल पांच आयोगों के कार्यकारी स्टाफ़ में महिलाएं हैं।

अध्याय 5

अधूरी क्षमता से बाधित

परिचय

1990 के दशक में मानवाधिकारों को स्थानीय स्तर पर लागू करने के महत्व पर दुनिया भर के विमर्श में ज़्यादा-से-ज़्यादा ज़ोर दिया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने स्वीकार किया कि मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण के लिए देशों के स्तर पर मज़बूत संस्थाएं होनी ज़रूरी हैं। इसके लिए, संयुक्त राष्ट्र ने ऐसी संस्थाओं के निर्माण की वकालत की जो मानवाधिकारों का उल्लंघन रोक सकें, इसके बारे में व्यापक जागरुकता फैला सकें और स्थानीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पालन सुनिश्चित कर सकें।

इन सभी कोशिशों के फलस्वरूप, 1993 में 'मानवाधिकारों पर वैश्विक सम्मेलन' में 'पेरिस सिद्धांतों' को अपनाया गया। ये सिद्धांत इस बात पर ज़ोर देते हैं कि हर देश में मानवाधिकारों पर हुई प्रगति को बनाए रखने तथा हर देश में इनका संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रभावशाली स्थानीय संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। ये सिद्धांत मानवाधिकार संस्थाओं के लिए न्यूनतम मानक भी तय करते हैं जिससे कि वे मज़बूत और स्वतंत्र बन सकें, मानवाधिकारों पर व्यापक जागरुकता फैला सकें और ख़ास तौर पर मानवाधिकारों के उल्लंघनों पर जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें।

भारत ने इस अंतरराष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव में करवाई करते हुए 1993 में "मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम" (PHRA) के तहत 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' (NHRC) की स्थापना की। इसके आधार पर, 28 राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRCs) भी स्थापित किए गए। इसी के तहत हाल ही में नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 2022 और मिज़ोरम में 2024 में राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की गई।

राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन ऐसे अहम संस्थान के रूप में किया गया था जो मानवाधिकारों की प्रभावशाली तरीक़े से रक्षा करेंगे और आम लोगों के बीच इन अधिकारों के बारे में व्यापक जागरुकता फैलाएंगे। एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में इनका विस्तृत कार्यक्षेत्र होता है और इनके पास व्यापक शक्तियां होती हैं।[1] एक SHRC व्यक्तिगत याचिका पर, अदालत के आदेश पर या स्वत: संज्ञान लेकर राज्य के किसी भी अंग द्वारा मानवाधिकारों को लेकर लापरवाही बरतने, इनका उल्लंघन करने या ऐसा कोई ख़तरा पैदा होने के आरोपों की जांच कर सकता है। यह अदालत के सामने लंबित मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और क़ैदियों के रहन-सहन की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए जेल या राज्य द्वारा हिरासत में रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी संस्थान का दौरा कर सकता है। यह क़ानूनों की समीक्षा करने के साथ ही मानवाधिकारों के प्रभावशाली कार्यान्वयन संबंधी उपायों की सिफ़ारिशें भी कर सकता है। इसके अलावा, राज्य मानवाधिकार आयोगों के लिए यह आवश्यक है कि वे मानवाधिकार संबंधी बुनियादी जानकारी के प्रचार-प्रसार, शोध और नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग कर मानवाधिकारों की संस्कृति का विस्तार करें।[2]

हालांकि, शुरुआत से ही ये संस्थाएं वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी के कारण अशक्त रही हैं। इन आयोगों में प्रमुख पद जैसे- अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और जांच कर्मचारियों के पद ख़ाली रहते हैं तो दूसरी तरफ इन्हें पर्याप्त बजट नहीं मिलता है। इन सबसे इनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, झारखंड में 2018-19 से 2022-23 के बीच हालांकि बजट में 36 प्रतिशत की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, लेकिन वहां आयोग कई वर्षों तक केवल एक कार्यकारी अध्यक्ष और एक अंशकालिक सचिव के सहारे काम करता रहा। 2023-24 में आयोग ने एक भी मामले का निपटारा नहीं किया।

राज्य मानवाधिकार आयोगों की क्षमता के मूल्यांकन के दौरान, IJR को रैंकिंग में कई बदलाव देखने को मिले। आयोगों द्वारा समय पर एवं ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराने से रैंकिंग में सकारात्मक बदलाव हुआ। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु ने हमारे द्वारा सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए 9 प्रश्नों में से केवल 4 का उत्तर दिया, जबकि पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा और त्रिपुरा ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। हमने अपने नए मूल्यांकन में दो नए पैरामीटर भी जोड़े हैं- जांचकर्मियों की संख्या और

1 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12. इस लिंक पर उपलब्ध: https://nhrc.nic.in/sites/default/files/PHRAct_2021_0.pdf

2 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का अध्याय 3. इस लिंक पर उपलब्ध: https://nhrc.nic.in/sites/default/files/PHRAct_2021_0.pdf

इसमें महिलाओं की भागीदारी। विविधता के अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों पर डेटा न होने से विकलांगता, जाति और धर्म जैसे प्रमुख कारकों के आकलन में बाधा आती है।

मौजूदा पैरामीटर्स पर मूल्यांकन करने से, पश्चिम बंगाल SHRC निचले स्थान से पहली रैंकिंग पर आ गया है। इसकी वजहें हैं- कार्यकारी स्टाफ़ का कोई भी पद रिक्त नहीं होना; लैंगिक विविधता में वृद्धि, विशेष रूप से कार्यकारी और जांच स्टाफ़ के बीच (प. बंगाल SHRC उन पांच आयोगों[3] में से एक है जहां के कार्यकारी स्टाफ़ में महिलाएं शामिल हैं);, मामलों को निपटाने की ऊंची दर और बजट का बेहतर उपयोग। तुलनात्मक रूप से दूसरे राज्य मानवाधिकार आयोगों की क्षमता में गिरावट आई है। इससे भी राज्य की रैंकिंग में असाधारण वृद्धि हुई। हालांकि, यह चिंताजनक पहलू है कि इसके जांच विभाग में आधे से अधिक पद ख़ाली हैं। दूसरे राज्यों की ख़राब रैंकिंग की वजह रही- अहम पदों पर स्टाफ़ की कमी, महिला कर्मचारियों की संख्या कम होना और बजट का कम उपयोग होना।

जिन 23 राज्य मानवाधिकार आयोगों का तुलनात्मक डेटा उपलब्ध था, उनमें से कर्नाटक, केरल और त्रिपुरा शीर्ष 5 में बने रहे, जबकि गोवा बजट के कम उपयोग और ख़ाली पदों की संख्या की वजह से चौथे स्थान से गिरकर दसवें स्थान पर आ गया। कर्नाटक ने अन्य कारणों के साथ-साथ अपने कार्यकारी स्टाफ़ के 50% पद ख़ाली होने और बजट के कम उपयोग के कारण अपनी पहली रैंकिंग गंवा दी। दूसरी ओर, पंजाब ने इस वर्ष छठे स्थान पर आकर IJR 2022 की 15वीं रैंकिंग के मुक़ाबले महत्वपूर्ण सुधार किया। पंजाब ने महिला स्टाफ़ की संख्या बढ़ने के साथ ही कार्यकारी स्टाफ़ की वैकेंसी कम कर, मामलों को निपटाने की औसत दर बढ़ाकर और बजट का बेहतर इस्तेमाल कर यह सफलता हासिल की है।

मानव संसाधन

- SHRC के कुल स्टाफ़ की वैकेंसी (%, 2023-24)
- SHRC कार्यकारी स्टाफ़ की वैकेंसी (%, मार्च 24)
- SHRC जांच विभाग की वैकेंसी (%, 2023-24) नया

चित्र 40: शिकायत मिलने के बाद की प्रक्रिया

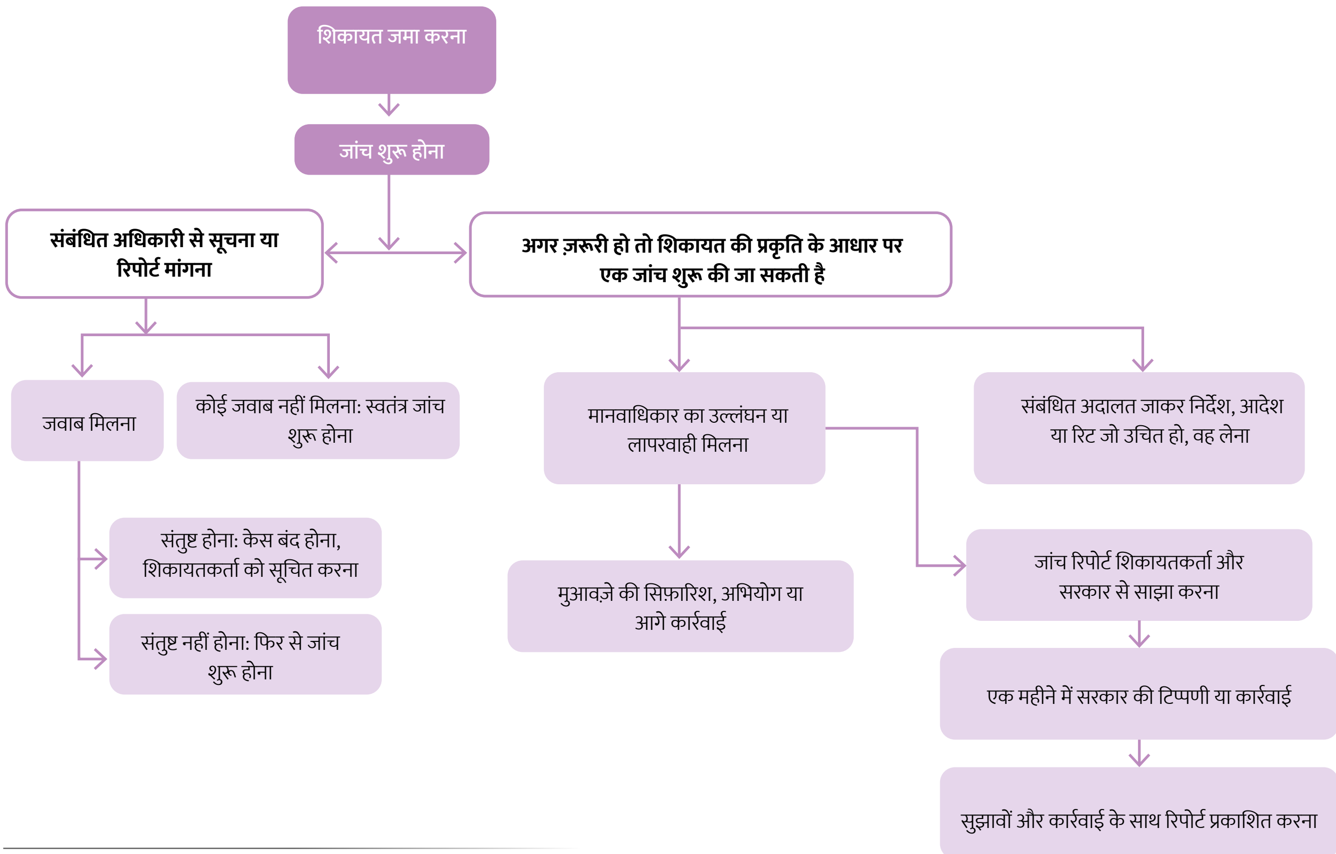

3 पश्चिम बंगाल के साथ गोवा, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने कार्यकारी स्टाफ़ में कम से कम एक महिला होने की जानकारी दी।

चित्र 41: SHRCs की संरचना (PHRA की धारा 21 के अनुसार)

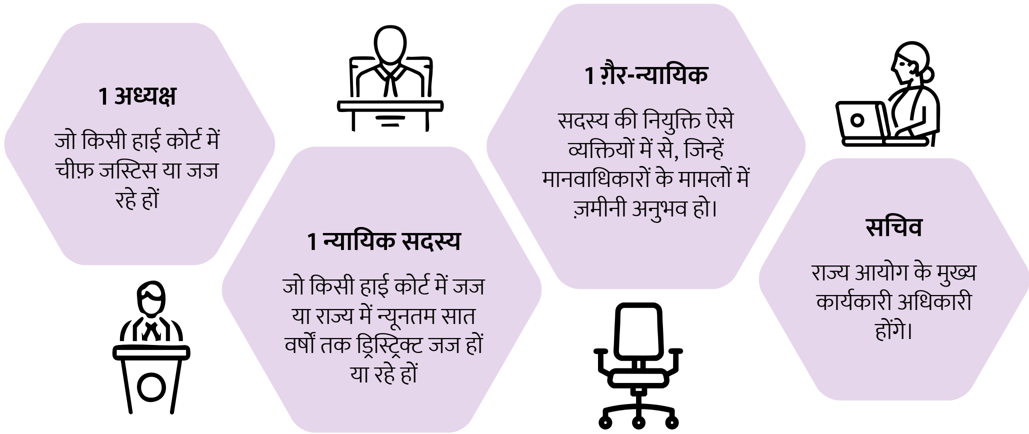

राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य तीन अलग-अलग हिस्सों में विभाजित किए जा सकते हैं: 1. मामलों का निपटारा/न्याय-निर्णय करना, 2. प्रबंधन में मदद करना, और 3. जांच करना। इनमें से किसी भी विभाग में स्टाफ़ की कमी पूरे आयोग की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है।

इसके न्याय-निर्णय ढांचे/समिति/इकाई में अध्यक्ष और दो सदस्य शामिल होते हैं। इनके पास शिकायतों का मूल्यांकन करने, उन्हें ख़ारिज करने, समन, निर्देश और सिफ़ारिशें जारी करने का अधिकार होता है। सचिव बतौर मुख्य कार्यकारी अधिकारी काम करते हैं, जो प्रशासनिक और रोज़मर्रा के सारे कार्यों के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। पुलिस महानिरीक्षक (IG) या इससे उच्च पद पर तैनात अधिकारी जांच विभाग का प्रमुख होता है।

चूंकि राज्य मानवाधिकार आयोग लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई करते हैं, इसलिए उन्हें राज्य के संभावित प्रभावों से स्वतंत्र बनाए रखना आवश्यक है। आयोगों में आयुक्तों की नियुक्ति न्यायपालिका से या 'मानवाधिकार के मामलों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों'[4] के बीच से की जाती है। हालांकि, इनके पास अपना ख़ुद का कैडर या स्टाफ़ नहीं होता। ऐसे में आयोग के सचिव, रजिस्ट्रार और जांच विभाग के स्टाफ़ सहित सभी कर्मचारी सिर्फ़ राज्य सरकारों के अन्य विभागों से लिए जाते हैं या नियुक्त किए जाते हैं।

मानवाधिकार आयोग के स्टाफ़ का यह चयन काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार आयोग को आवश्यकतानुसार पुलिस और जांच विभाग के लिए स्टाफ़ 'उपलब्ध कराने' में कितना सक्षम या इच्छुक है।[5]

कार्यकारी अधिकारी: रैंक तैयार करने के लिए कमिश्नर और सचिव को कार्यकारी अधिकारी में शामिल किया गया है। पिछले कई वर्षों से मानवाधिकार आयोग महत्वपूर्ण कार्यकारी अधिकारियों की न्यूनतम संख्या के साथ काम कर रहे हैं। 2022 और 2023 के बीच, 21 आयोगों में से केवल एक में अध्यक्ष था, जबकि तीन आयोगों में सदस्य ही कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। हालांकि, अब पंद्रह आयोगों में पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं। चार SHRC - हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक और तेलंगाना में न तो अध्यक्ष था और न ही कार्यकारी अध्यक्ष।

सुनवाई में देरी

झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग में लगातार 'कर्मचारियों की काफ़ी कमी'[6] बनी रही। 2018-22 के बीच, इसने केवल एक सदस्य के सहारे कार्य किया, जो कार्यवाहक अध्यक्ष और अंशकालिक सचिव की दोहरी ज़िम्मेदारी में थे। 2023 में आयोग ने बताया कि उसके पास न अध्यक्ष था, न सचिव और न ही कोई जांच कर्मचारी। इस वजह से आयोग को सभी न्यायिक निर्णय स्थगित करने पड़े।

हालांकि, उसे वर्ष 2023 में 921 मामले प्राप्त हुए, लेकिन इनमें से एक भी निपटाया नहीं जा सका क्योंकि 'अध्यक्ष, सदस्य और आठ अन्य स्टाफ़ के पद ख़ाली रहने से सुनवाई में देरी हुई।[7]'

4 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 (2). इस लिंक पर उपलब्ध: https://nhrc.nic.in/sites/default/files/PHRAct_2021_0.pdf
5 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 27 (1). इस लिंक पर उपलब्ध: https://nhrc.nic.in/sites/default/files/PHRAct_2021_0.pdf
6 झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22, IJR द्वारा सूचना के अधिकार के आवेदन के ज़रिए प्राप्त।
7 झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग से केसलोड पर सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त जानकारी।

छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश और सिक्किम- इन पांच SHRC में कार्यकारी अध्यक्ष थे। इसके अलावा, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना में अध्यक्ष के साथ दोनों सदस्यों के पद भी ख़ाली थे। छत्तीसगढ़ 2018 से एक कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में काम कर रहा है।

राज्य मानवाधिकार आयोगों के कुल सदस्यों की संख्या भी 38 से घटकर 33 रह गई है। ग्यारह राज्यों[8] में एक या दोनों सदस्यों के पद ख़ाली थे। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा में सचिव/ सीईओ के पद रिक्त थे।

रिक्त शीर्ष पदों वाले आयोग

केवल दस SHRCs[9] में कमिश्नर और सचिव का कोई पद रिक्त नहीं था और 2022 और 2024 के बीच शीर्ष अधिकारियों के ख़ाली पद बढ़कर 17% से 27% हो गए।

कर्मचारियों के ख़ाली पद: आंकड़े उपलब्ध कराने वाले 21 राज्यों में, 2021 से 2024 के बीच कुल प्रशासनिक स्टाफ़ - स्टेनोग्राफ़र, डेटा ऑपरेटर, अकाउंटेंट और सचिव के ख़ाली पद 43% से घटकर 26%, यानी लगभग आधे रह गए। 2024 के आंकड़ों के अनुसार, ग्यारह आयोगों[10] में कर्मचारियों के ख़ाली पदों में कमी आई। हालांकि हर राज्य में समान स्तर पर वैकेंसी नहीं भरी गई। इस बीच, छत्तीसगढ़ (62%) और उत्तर प्रदेश (61%) में 60% से ज़्यादा पद ख़ाली थे और झारखंड, राजस्थान और गुजरात में ये आंकड़ा 50% से ज़्यादा का रहा। 2020-21 से मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के ख़ाली पदों की संख्या दोगुनी से ज़्यादा, 12.4% से बढ़कर 30% हो गई। केवल सिक्किम और केरल SHRC में ही स्वीकृत स्टाफ़ से ज़्यादा कर्मचारी थे।

जांच विभाग: राज्य मानवाधिकार आयोगों का प्रभावी होना काफ़ी हद तक अधिकारों के उल्लंघन की स्वतंत्र जांच की इसकी क्षमता पर निर्भर करता है। इसके लिए जांच कर्मचारी ज़रूरी हैं। वैधानिक तौर पर 'जांच विभाग का प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक (IG) रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए।'[11] अन्य अनिवार्य कर्मचारियों में एक पुलिस अधीक्षक (SP), अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) या पुलिस उपाधीक्षक (DySP) और इंस्पेक्टर शामिल होते हैं।

जांच कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या हर राज्य में अलग-अलग है। 2023-24 में, जिन 18 राज्यों ने जानकारी प्रदान की[12], उनमें जांच कर्मचारियों के 35% स्वीकृत पद ख़ाली थे। असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल- सात राज्यों में 50% से अधिक पद ख़ाली थे। जबकि झारखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश ने बताया कि उनके पास अलग से कोई जांच विभाग नहीं है।

कर्मचारियों की क्षमता और उनके कार्यभार के बीच के असंतुलन का एक उदाहरण ओडिशा है। राज्य के जांच विभाग के 13 कर्मचारियों में से सात कॉन्स्टेबल हैं। जांच के लिए शेष छह कर्मचारी; 1 आईजी, 1 एसपी, 1 डीएसपी और 2 इंसपेक्टर हैं। 2023-24 में, SHRC ने 4,223 केसों का निपटारा किया, जिनमें से 58% को शुरुआत में ही ख़ारिज कर दिया गया। यदि यह माना जाए कि शेष 1,756 मामलों में से आधे में किसी तरह के जांच की ज़रूरत थी, तो इसका मतलब होगा कि छह कर्मचारियों को 878 मामलों के निपटारे का बोझ था यानी हर कर्मचारी को हर साल 148 केसों के निपटारे की ज़िम्मेदारी दी गई।

ग्लोबल एलायंस ऑफ़ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) की सब- कमेटी ऑन एक्रेडिटेशन (SCA) ने पुलिस अधिकारियों को मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच में शामिल करने पर हितों के वास्तविक या कथित टकराव होने संबंधी चिंता जताई है। विशेष रूप से वे मामले जो पुलिस से संबंधित होते हैं, जैसे कि हिरासत में यातना और मुठभेड़ आदि।[13]

कार्यभार

औसत केस क्लियरेंस रेट
(%, 2021-22, 2022-23, 2023-24)

राज्य मानवाधिकार आयोग को सीधे पीड़ितों से शिकायतें प्राप्त होती हैं, वे अपने विवेक से जांच कर सकते हैं या NHRC से भेजे गए केसों का भी निपटारा करते हैं। ऐसे केसों को शुरुआत में खारिज़ किया जा सकता है, जो आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, जिन शिकायतों में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच का स्पष्ट आधार नहीं होता या फिर जो

8 बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना।
9 आंध्र प्रदेश, असम, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल।
10 बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, तेलंगाना, त्रिपुरा, ओडिशा, उत्तराखंड।
11 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 27(b). इस लिंक पर उपलब्ध: https://nhrc.nic.in/sites/default/files/PHRAct_2021_0.pdf
12 कुछ राज्यों ने अपने जवाब में कॉन्स्टेबल, स्टेनोग्राफ़र और ड्राइवर्स की संख्या भी जोड़ दी है। सभी राज्यों की ओर से इनके अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
13 GANHRI, रिपोर्ट एंड रिकमन्डेशंस ऑफ़ द सेशंस ऑफ़ द सब-कमेटी ऑन एक्रिडिटेशन (SCA), पृष्ठ- 30, 20-24 मार्च 2023, इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/nhri/ganhri/SCA-Report-First-Session-2023-EN.pdf

चित्र 42: NHRC और SHRCs को मिली शिकायतें

जिन क़ैदियों को क़ानूनी अधिकारों से वंचित किया जाता है या उनके साथ क्रूरता की जाती है, वे मजिस्ट्रेटों, जेल प्रशासन और मानवाधिकार आयोगों में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जेल संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों द्वारा प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की संख्या को दर्शाते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

418 शिकायतें मिलीं	327 शिकायतें निपटाई गईं	257 शिकायतें पेंडिंग

केस क्लियरेंस रेट: प्राप्त केसों में से निपटाए
78.2%

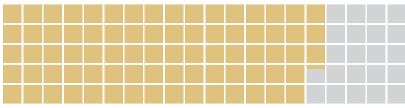

राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC)

503 शिकायतें मिलीं	304 शिकायतें निपटाई गईं	379 शिकायतें पेंडिंग

केस क्लियरेंस रेट: प्राप्त केसों में से निपटाए
60.4%

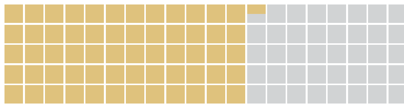

काफ़ी देर से आयोग के समक्ष लाए जाते हैं।[14] आयोग कोर्ट में चल रहे और किसी अन्य आयोग के पास लंबित मामलों की सुनवाई नहीं करता। आयोग ऐसी शिकायतों की भी जांच नहीं करता जो किसी लोक सेवक के ख़िलाफ़ नहीं हैं या जिन मामलों में अदालत फ़ैसला सुना चुकी है या फिर ऐसे मामले जिन पर ख़ुद आयोग पहले ही फ़ैसला सुना चुका हो ।

एक बार शिकायत स्वीकार होने के बाद इस पर राज्य से प्रतिक्रिया मांगी जाती है, इसकी जांच की जाती है और फिर फ़ैसला सुनाया जाता है। फ़ैसले में विस्तृत सिफ़ारिशें और/या मुआवज़े का प्रावधान शामिल हो सकता है।

कुछ राज्य आयोगों की वार्षिक रिपोर्ट मौजूद हैं, लेकिन ये अपडेटेड नहीं हैं और केसों के निपटारे से संबंधित अलग-अलग मानक जानकारी उपलब्ध नहीं कराती हैं; जैसे, कितने केस बिना किसी कार्रवाई के प्राप्त होते ही शुरू में निपटा दिए जाते हैं, कोई मामला किस चरण में है या केसों में फ़ैसला आने में कितना समय लगा या पिछले वर्षों से कुल कितने केस लंबित हैं।

आरटीआई से प्राप्त जानकारी में भी भिन्नता रही। ज़्यादातर आयोगों ने प्राप्त किए गए और निपटाए गए केसों की जानकारी दी; अधिकांश आयोगों ने ऐसे मामलों के बारे में जानकारी दी जिन्हें बिना किसी किसी आगे की कार्रवाई के शुरू में ही निपटा दिया गया तथा जिनकी जांच आयोग द्वारा स्वयं शुरू की गई थी। केवल असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों ने हर साल के अलग-अलग समग्र आंकड़े प्रदान किए।

कार्यभार का मूल्यांकन उस साल प्राप्त सभी मामलों और निपटाए गए मामलों के आधार पर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों (2021-2024) पर नज़र डालें तो सभी आयोगों में प्राप्त मामलों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन इनकी संख्या 1.1 लाख के आसपास बनी रही। महाराष्ट्र, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश को प्राप्त शिकायतों की संख्या दोगुनी हो गई। 2023-24 में, 22 आयोगों को कुल मिलाकर 1,09,136 शिकायतें प्राप्त हुईं।[15] उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग को हर बार सबसे अधिक शिकायतें मिलती हैं। राज्य को 2024 में 31,000 शिकायतें मिलीं। सिक्किम में मानवाधिकार उल्लंघन की केवल 5 शिकायतें मिलीं, जो सबसे कम संख्या रही।

केस निपटारा

मामले निपटाने की समग्र ऊंची दर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी आयोगों में अधिकांश मामले शुरुआत में ही ख़ारिज कर दिए जाते हैं। शुरुआती दौर में सीधे-सीधे ख़ारिज कर दी गई शिकायतों के मामले में ऐसा करने का कारण उनका PHRA के दायरे से बाहर होना बताया जाता है और कहा जाता है कि इनका निपटारा 'समयबद्ध' तरीक़े से किया गया है।

14 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 36. इस लिंक पर उपलब्ध: https://nhrc.nic.in/sites/default/files/PHRAct_2021_0.pdf

15 25 आयोगों में से, गुजरात, केरल और मेघालय ने 2023-24 में दाख़िल हुए और निपटाए केसों के आंकड़े नहीं दिए। गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग केसलोड के आंकड़ों का अलग से हिसाब नहीं रखता है; केरल ने मार्च 2023 तक के आंकड़े साझा किए और मेघालय ने सूचना के अधिकार के आवेदनों का जवाब नहीं दिया।

राज्य आयोगों की मामलों को निपटाने की दर[16] भी एक जैसी नहीं थी। 2023-24 में मामले निपटाने की औसत दर 83% थी। यह लंबित मामलों को निपटाने की कोशिशों को दिखाता है। 2021 और 2024 के बीच सात आयोगों[17] ने मामले निपटाने की दर बढ़ाई, जबकि सोलह[18] में यह गति धीमी हो गई। महाराष्ट्र और मणिपुर ने सबसे अधिक तेज़ी से शिकायतों का निपटारा किया- जिनकी दर क्रमशः 259% और 198% रही। इस मामले में तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश (119%) था। दूसरी ओर, झारखंड और तेलंगाना एक भी केस निपटाने में असफल रहे क्योंकि उनके आयोगों में कोई न्याय-निर्णायक (एडजुडीकेटर) या जांच विभाग नहीं थे या कार्यबल की भारी कमी थी।

आयोगों ने 2021 और 2024 के बीच के तीन साल में प्राप्त केसों में से औसतन 82.5% केसों का निपटारा किया।[19] ओडिशा (204%), महाराष्ट्र (131%) और गोवा (101%) ने इस दौरान मिली अधिकांश शिकायतों को निपटाया। तमिलनाडु (29%), तेलंगाना (49%) और सिक्किम (59%) - इन तीन राज्यों के आयोगों ने 60% से कम मामलों का निपटारा किया।

जिन 12 राज्यों ने केसों के अलग-अलग स्तर की जानकारी उपलब्ध कराई,[20] उनकी समग्र मामलों को निपटाने की औसत दर 80 प्रतिशत थी। इनमें से 51 प्रतिशत मामले शुरुआत में ही खारिज़ कर दिए गए थे।

उदाहरण के तौर पर, 2022-23 में, 12 SHRCs ने मिलाकर कुल शिकायतों के 50% से अधिक हिस्से का निपटारा इस तरीक़े से किया। जैसे, पश्चिम बंगाल द्वारा निपटाए गए 5,579 मामलों में से 93 प्रतिशत का निपटारा बिना किसी अतिरिक्त कार्रवाई के शुरुआत में ही कर दिया गया और सिर्फ़ 7 प्रतिशत शिकायतों पर ही की कार्रवाई की गई। तमिलनाडु ने 2022-23 में प्राप्त शिकायतों में से सिर्फ़ 16 प्रतिशत का निपटारा किया, जिनमें से 91 प्रतिशत मामले शुरुआत में ही खारिज़ कर दिए गए। कोई भी राज्य मानवाधिकार आयोग यह नहीं बताता है कि

चित्र 43: 2022-23 में निपटाए गए कुल केसों में से शुरुआत में खारिज़ कर दिए गए केसों का प्रतिशत

	2022-23 में प्राप्त केस	2022-23 में निपटाए गए केस	केस निपटाने की दर (%)	शुरुआत में ही खारिज़ कर दिए गए केस	शुरुआत में खारिज़ केसों का % (2022-23)
पश्चिम बंगाल	5,755	5,579	96.9	5,205	93.3
तमिलनाडु	15,374	2,456	16.0	2,244	91.4
महाराष्ट्र	5,643	6,767	119.9	4,977	73.6
कर्नाटक	4,674	3,925	84.0	2,595	66.1
त्रिपुरा	71	69	97.2	34	49.3
पंजाब	10,759	9,718	90.3	4,719	48.6
उत्तराखंड	2,360	1,659	70.3	519	31.3
हिमाचल प्रदेश	300	250	83.3	65	26.0
ओडिशा	3,220	7610[a]	236.3	1,277	16.8
असम	3,192	2,271	97.4	73	3.2
हरियाणा	2,491	2,678	107.5	2	0.1
सिक्किम	3	2	66.7	0	NA
कुल	**53,842**	**42,984**	**79.8**	**21,710**	**50.5**

a Includes cases from previous years
Source: Data based on RTI responses from State Human Rights Commissions

16 केस क्लियरेंस रेट से आशय एक साल में दाख़िल हुए केसों की तुलना में उस साल में निपटाए गए कुल मामलों की संख्या से है।
17 आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
18 असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड।
19 25 आयोगों में से18 ने 2021 से 2024 तक के केस क्लियरेंस रेट के आंकड़े दिए। बिहार, झारखंड, केरल और मेघालय ने तीनों वर्षों के कार्यभार के आंकड़े नहीं दिए।
20 IJR ने राज्य मानवाधिकार आयोगों से मामलों को निपटाने के तरीक़े - शुरुआत में ही ख़ारिज कर देने, मुआवज़े का आदेश देने और आगे की कार्रवाई के लिए आदेश देने के बारे में जानकारी मांगी।

पारदर्शिता

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 28 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोगों को अपने संबंधित राज्य की सरकारों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। राज्य सरकार पर यह रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करने की ज़िम्मेदारी है। अक्सर रिपोर्ट तैयार करने में देरी होती है या अगर वे सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर भी दी जाएं तो उन्हें काफ़ी समय तक विधानसभा में पेश ही नहीं किया जाता। वर्तमान में, किसी भी राज्य ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट जारी नहीं की है। केवल तीन राज्यों, महाराष्ट्र, सिक्किम, और गोवा की वर्ष 2022-2023 की रिपोर्ट ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। आरटीआई के ज़रिए मिलने वाले अधिकतर जवाब अधूरे होते हैं और कई आयोगों की वेबसाइट्स ठीक से काम नहीं करती हैं ।

हर वर्ष के अलग-अलग विस्तृत डेटा के अभाव में यह पता लगाना मुश्किल होता है कि आयोगों पर वास्तव में काम का कितना बोझ है, किसी भी मामले को आयोग में अलग-अलग चरणों से से गुजरने में कितना समय लगता है और सबसे महत्वपूर्ण यह कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के पैटर्न को सटीक रूप से आंकना मुश्किल होता है। अधिकांश आयोग 5 वर्षों तक की अद्यतन जानकारी प्रकाशित नहीं करते। जिन आयोगों ने शुरुआत में खारिज़ किए गए मामलों की संख्या दर्ज की है, वे इन मामलों को अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज नहीं करते। मणिपुर की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट में ऐसे कारण बताए गए हैं, लेकिन यह पुराने हैं। राजस्थान, गोवा, गुजरात और केरल ने ऐसे मामलों की जानकारी अलग से दर्ज नहीं की जिनकी जांच आयोग ने स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की। कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और गुजरात ने प्राप्त मामलों का ज़िलावार उपयोगी आंकड़ा दर्ज किया है। दूसरे राज्य, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा शिकायतों का वर्गीकरण शिकायतकर्ता या फिर मानवाधिकार के उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर करते हैं, जैसे बच्चे, महिलाएं, एससी/एसटी, बलात्कार, दासता, अवैध हिरासत आदि। हरियाणा की वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में जांच अधिकारी कजानकारी, रिपोर्ट पूरी होने और इसके प्रस्तुत करने की तारीख और आरोप साबित हुआ है या नहीं, इसका भी विवरण दिया गया है।

केसों को शुरुआत में खारिज़ करने के फ़ैसले किस आधार पर लिए जाते हैं।

केवल कुछ मामलों को ही आगे की कार्रवाई के लिए स्वीकार किया जाता है। लेकिन इनके निपटारे में भी जांच स्टाफ़ की कमी होने या बिल्कुल स्टाफ़ न होने से अक्सर रुकावट आती है और देरी होती है। इससे साल दर साल लंबित मामलों के ढेर लगने को नहीं रोका जा सकता है।

स्वत: संज्ञान: मानवाधिकारों के उल्लंघनों की निगरानी करने वाली संस्था के रूप में SHRCs को बिना शिकायत का इंतज़ार किए मानवाधिकार हनन की जांच स्वयं शुरू करने का अधिकार है। सक्रियतापूर्वक हस्तक्षेप करने की यह शक्ति आमतौर पर होने वाले उत्पीड़नों के पैटर्न और कार्यपद्धति की जांच करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, या जहां पीड़ित, अक्सर डर या अन्य कारणों से, औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कर पाते हैं।

राज्य मानवाधिकार आयोगों ने वर्ष 2023-24 में 1,923 केसों की जांच की शुरुआत स्वत: संज्ञान लेकर की। यानी वर्ष 2022 की तुलना में SHRCs ने 878 ज़्यादा केसों की स्वत: संज्ञान लेकर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश ने सबसे अधिक 1,373 मामलों में जांच शुरू की, जो इसके कुल मामलों का 14 प्रतिशत था।

विविधता

SHRCs में कुल महिला स्टाफ़

कार्यकारी स्टाफ़ में महिलाओं का हिस्सा (%, मार्च 2024)

जांच विभाग में महिलाओं का हिस्सा (%, 2023-24) नया

राज्य मानवाधिकार आयोगों में लिंग (जेंडर) , जाति, धर्म या विकलांगता के आधार पर आंकड़े दर्ज नहीं किए जाते और न ही वे अपनी वेबसाइट्स या वार्षिक रिपोर्टों में इनका विवरण बताते हैं। 'ग्लोबल एलायंसेस ऑफ़ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस' (GANHRI) की सब-कमेटी ऑन एक्रेडिटेशन (SCA) ने यह सिफ़ारिश की है कि मानवाधिकार संस्थाओं में कम-से-कम 20 प्रतिशत महिलाएं और 24 प्रतिशत अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधि हों। इसके अनुरूप, 2019 में 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' में संशोधन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि NHRC के पांच सदस्यों में से कम-से-कम एक महिला हो। हालांकि, यह संशोधन SHRCs पर लागू नहीं होता।

कुल मिलाकर, 2024 में सभी कार्यकारी अधिकारियों के पदों में से केवल 10 प्रतिशत पर ही महिलाएं थीं। यह आंकड़ा 2022 के 7 प्रतिशत से थोड़ा ज़्यादा था। किसी भी आयोग में कोई महिला अध्यक्ष नहीं थी; केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल में एक-एक महिला सदस्य थीं और

असम, गोवा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में सचिव पद पर महिला थी।

महिलाओं की भागीदारी निचले प्रशासनिक पदों पर तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है और यहां कुल कर्मचारियों में ये 22 प्रतिशत महिलाएं हैं। यह 2022 की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि है। बीस राज्यों में से केवल छह राज्य[21] ऐसे हैं जहां 30 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं, जबकि ग्यारह राज्यों[22] में इनकी भागीदारी 20 प्रतिशत से कम है। गोवा के आयोग में सबसे ज़्यादा 50 प्रतिशत महिलाएं हैं, इसके बाद कर्नाटक में 44 प्रतिशत महिलाएं हैं। आंध्र प्रदेश में केवल 7 प्रतिशत महिलाएं हैं।

बजट और ख़र्च

बजट का उपयोग (%, 2022-23)

बजट का औसत उपयोग (%, 2018-2023) नया

राज्य मानवाधिकार आयोगों को आमतौर पर राज्य के गृह या क़ानून और न्याय मंत्रालयों से बजट मिलता है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य आयोगों को आवंटित की गई कुल राशि 142 करोड़ रुपए थी, जो लगभग 40 प्रतिशत ज़्यादा थी। उसी वर्ष NHRC का आवंटन 70 करोड़ रुपए था।[23] साल 2018-19 से 2022-2023 के पांच वर्षों में कुल आवंटन 99 करोड़ रुपए से बढ़कर 142 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि, यह पिछले साल के 155 करोड़ रुपए से 8% कम है। 2018-19 और 2022-23 के बीच के 5 वर्षों के दौरान तीन राज्यों - मणिपुर (813 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (625 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (147 प्रतिशत) के बजट में काफ़ी वृद्धि हुई है।

उपरोक्त पांच वर्षों में कुल बजट का औसतन 82 प्रतिशत ख़र्च किया गया। ग्यारह राज्यों[24] ने अपने बजट की 70% से 90% राशि का उपयोग किया। राजस्थान केवल 61% तो मेघालय मात्र 21% बजट का इस्तेमाल कर सका। चार आयोगों, असम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने अपने बजट का पूरा उपयोग किया।

राज्य मानवाधिकार आयोगों ने वर्ष 2022-23 में अपने बजट का औसतन 88 प्रतिशत उपयोग किया, जो वर्ष 2021-22 मे 67 प्रतिशत उपयोग के मुक़ाबले ज़्यादा था। छह आयोगों[25] ने अपने बजट का पूरा उपयोग किया, जबकि छत्तीसगढ़ (116.67 प्रतिशत) और केरल (101.72 प्रतिशत) ने आवंटित राशि से अधिक ख़र्च किया। अधिकांश राज्यों ने 90 प्रतिशत से अधिक बजट का उपयोग किया। हालांकि, गोवा (59 प्रतिशत), मणिपुर (62 प्रतिशत) और उत्तराखंड (50 प्रतिशत) सबसे कम बजट ख़र्च कर सके।

चित्र 44: 2023-2024 में जांच स्टाफ़ में महिलाओं की भागीदारी

Most women in SHRCs are clustered among lower echelons, and very few are present among the investigative staff.

आयोग	जांच विभाग में महिलाओं की भागीदारी (%, 2023-2024)
आंध्र प्रदेश	जांच विभाग का गठन नहीं
बिहार	0.00
छत्तीसगढ़	33.33
गोवा	0.00
गुजरात	0.00
हरियाणा	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00
झारखंड	जांच विभाग का गठन नहीं
कर्नाटक	47.37
केरल	0.00
मध्य प्रदेश	22.22
महाराष्ट्र	आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए
मेघालय	0.00
ओडिशा	33.33
पंजाब	17.65
राजस्थान	आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए
सिक्किम	अलग जांच विभाग नहीं
तमिलनाडु	आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए
तेलंगाना	0.00
त्रिपुरा	40.00
उत्तर प्रदेश	आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए
उत्तराखंड	20.00
पश्चिम बंगाल	42.86

21 गोवा, कर्नाटक, केरल, मेघालय, महाराष्ट्र और सिक्किम।

22 आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल।

23 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वार्षिक बजट 2022-23. इस लिंक पर उपलब्ध: https://nhrc.nic.in/activities/annual-budgets

24 गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

25 असम, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

चित्र 45: 2023-24 में जेलों और अन्य संस्थानों का दौरा

SHRCs क़ैदियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए को जेलों और अन्य संस्थानों का दौरा करने का अधिकार है, हालांकि, IJR ने यह पाया कि बहुत कम दौरे किए गए। कुछ SHRCs ने तो एक भी जेल का दौरा नहीं किया।

आयोग	अध्यक्ष और सदस्य (31 मार्च 2023 तक)	अध्यक्ष और सदस्य (31 मार्च 2024 तक)	2023-24 में जेल और अन्य संस्थानों का दौरा	जेल और अन्य संस्थानों की संख्या [27]
आंध्र प्रदेश	3	3	0	25
असम	2	3	6	34
हरियाणा	3	0	15	28
हिमाचल प्रदेश	3	2	16	13
झारखंड	1	0	होल्ड पर [28]	38
मध्य प्रदेश	3	3	0	73
ओडिशा	2	3	6	24
पंजाब	2	2	7	23
सिक्किम	2	2	0	4
तमिलनाडु	3	3	20	34
तेलंगाना	3	0	0	15
त्रिपुरा	3	3	0	7
पश्चिम बंगाल	3	3	10	35
कुल	33	27	80	353

राज्य मानवाधिकारों को आवंटित बजट का अधिकांश हिस्सा प्रशासनिक ख़र्चों जैसे वेतन, इंफ्रास्ट्रक्चर, किराए और यात्रा पर ख़र्च होता है। 13 SHRCs के RTI के जवाबों से यह पता चलता है कि बजट की बहुत कम राशि उन वास्तविक कार्यों पर ख़र्च की जाती है जिनके लिए इन आयोगों का गठन किया गया था[26], जैसे- जेलों और लोगों को हिरासत में रखने वाले अन्य संस्थानों का दौरा करना (देखें बॉक्स)। जैसे, कर्नाटक ने ऐसी गतिविधियों पर 13 लाख रुपए ख़र्च किए। उपरोक्त संस्थानों की बड़ी संख्या वाले राज्य पश्चिम बंगाल ने सभी गतिविधियों पर केवल 30,000 रुपए ख़र्च किए। झारखंड ने भी 30,000 रुपए ख़र्च किए, लेकिन वहां के आयोग में कोई अध्यक्ष या कर्मचारी नहीं थे। इसके अलावा, किसी भी SHRC ने मानवाधिकार से संबंधित विषयों पर कोई शोध अध्ययन नहीं किया है।

एक प्रमुख समस्या यह है कि SHRCs पर्याप्त आंकड़े नहीं रखते या अपनी गतिविधियों से संबंधित सवालों के जवाब नहीं देते हैं। आंकड़ा संग्रह और उनके रख-रखाव के ख़राब तौर-तरीक़ों और जानकारी साझा करने में पूरी तरह कोई रूचि नहीं दिखाने की वजह से SHRC के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना कठिन हो गया है।

माया दारूवाला, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
नयनिका सिंघल, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
निदा परवीन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

26 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोगों को मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायतों की जांच के साथ ही शोध करना चाहिए, मानवाधिकारों से संबंधित जागरुकता और जानकारी का प्रचार-प्रसार करना चाहिए और जेल एवं राज्य सरकार के अधीन दूसरे अभिरक्षण संस्थानों का दौरा करना चाहिए।

27 यहां जेलों की संख्या प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022 के अनुसार राज्य में स्थित केंद्रीय और ज़िला जेलों के आंकड़ों के आधार पर दिए गए हैं, टेबल 1.1, देश में 31 दिसंबर 2022 तक मौजूद विभिन्न प्रकार की जेल; इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/1701946366Table11-2022.pdf 'अन्य संस्थानों' में ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम और जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन) एक्ट 2015 के अंतर्गत सुरक्षित स्थान। आंकड़े 4 अगस्त 2023 को लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 262 के जवाब के अनुसार, इस लिंक पर उपलब्ध: https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1712/AU2628.pdf?source=pqals

28 झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग ने बताया कि आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद ख़ाली होने की वजह से आयोग के कार्यकलाप ठप थे।

चित्र 46: SHRCs का मूल्यांकन

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने SHRCs की वेबसाइट्स के इस्तेमाल में आसान होने का मूल्यांकन किया

हां/उपलब्ध है | उपलब्ध नहीं

राज्य आयोग	आयोग का गठन	वेबसाइट चल रही है	शिकायत की सुविधाएं: स्थानीय भाषा	HRCNet से संपर्क	ऑफलाइन केस फ़ाइल करने पर निर्देश/FAQs	केसों की प्रगति (ऑनलाइन और ऑफलाइन)	आदेशों और फ़ैसलों की उपलब्धता	RTI की धारा 4 के तहत सक्रिय खुलासे
असम	1996	Yes	NA	Yes	Yes	NA	NA	NA
आंध्र प्रदेश	2021	No website						
अरुणाचल प्रदेश	2023	No website						
बिहार	2008	Yes	Yes (Hindi)	Yes	Yes	NA	Yes	NA
छत्तीसगढ़	2001	Yes	NA	Yes	Yes	NA	NA	NA
गोवा	2011	Yes	Yes (Konkani)	NA	Yes	Yes	NA	NA
गुजरात	2006	Yes	NA	NA	Yes	Yes	NA	Yes
हरियाणा	2012	Yes	NA	NA	NA	Yes	Yes	Yes
हिमाचल प्रदेश	2020*	Yes	NA	NA	NA	Yes	NA	NA
झारखंड	2010	No website						
कर्नाटक	2007	Yes	Yes (Kannada)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
केरल	1998	Yes	Yes (Malayalam)	NA	Yes	NA	Yes	NA
मध्य प्रदेश	1995	Yes	NA	NA	NA	NA	NA	Yes
महाराष्ट्र	2,001	Yes	Yes (Marathi and Hindi)	Yes	Yes	Yes	Yes	NA
मणिपुर	2018	No website						
मेघालय	2016	No website						
ओडिशा	2000	Yes	Yes (Odia)	NA	Yes	Yes	NA	Yes
पंजाब	1997	Yes	NA	NA	Yes	Yes	NA	NA
राजस्थान	1999	Yes	Yes (Only Hindi)	NA	Yes (Only in Hindi)	Yes	Yes	Yes
सिक्किम	2008	Yes	NA	NA	NA	NA	NA	NA
तमिलनाडु	1997	Yes	Yes (Tamil)	NA	Yes	NA	NA	Yes
तेलंगाना	2019	No website						
त्रिपुरा	2016	Yes	Yes (Hindi, English, Bengali)	NA	NA	NA	NA	Yes
उत्तर प्रदेश	1996	Yes	NA	Yes	NA	Yes	NA	Yes
उत्तराखंड	2013	Yes	NA	Yes	NA	Yes	NA	Yes
पश्चिम बंगाल	1995	Yes	NA	Yes	NA	NA	Yes	Yes

*पुनर्गठित

स्रोत: SHRCs की वेबसाइट्स

तालिका 7: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

श्रेष्ठ (रैंक 1 से 8) | मध्य (रैंक 9 से 16) | निम्न (रैंक 17 से 23)

थीम >			मानव संसाधन			कार्यभार
संकेतक >			SHRC स्टाफ़ वैकेंसी (%, 2023-24)	SHRC कार्यकारी स्टाफ़ वैकेंसी (%, मार्च 2024)	SHRC जांच विभाग वैकेंसी (%, मार्च 2023-24)	औसत केस क्लियरेंस रेट (%, 2021-22, 2022-23, 2023-24)
स्कोरिंग गाइड >			जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना कम, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर
	IJR 4 Rank	IJR 4 Score				
आंध्र प्रदेश	23	**2.08**	NA[1]	0.0	NA[3]	84.1
बिहार	15	**3.41**	17.8	50.0	25.0	NA[5]
छत्तीसगढ़	18	**3.16**	62.2	75.0	77.8	88.3
गोवा	10	**4.34**	37.5	25.0	100.0	100.9
गुजरात	20	**2.74**	52.0	25.0	78.6	NA[6]
हरियाणा	13	**3.86**	7.0	75.0	10.5	85.1
हिमाचल प्रदेश	14	**3.53**	35.9	25.0	60.0	81.1
झारखंड	21	**2.42**	52.0	75.0	NA[3]	NA[5]
कर्नाटक	3	**5.89**	23.4	50.0	36.7	82.5
केरल	5	**5.51**	-17.3	25.0	0.0	NA[5]
मध्य प्रदेश	7	**4.93**	30.2	50.0	33.3	84.2
महाराष्ट्र	12	**3.96**	7.4	0.0	NA[2]	131.3
मेघालय	16	**3.40**	3.1	0.0	0.0	NA[5]
ओडिशा	4	**5.52**	29.0	25.0	11.8	204.0
पंजाब	6	**5.47**	NA[2]	25.0	-13.3	84.1
राजस्थान	19	**2.94**	59.4	0.0	12.5	67.5
सिक्किम	8	**4.91**	-183.3	50.0	NA[4]	58.6
तमिलनाडु	22	**2.15**	NA[2]	0.0	NA[2]	28.8
तेलंगाना	17	**3.24**	14.7	75.0	64.3	49.0
त्रिपुरा	2	**6.09**	27.6	0.0	44.4	93.4
उत्तर प्रदेश	11	**4.32**	61.0	0.0	25.0	79.2
उत्तराखंड	9	**4.48**	20.0	0.0	16.7	71.1
पश्चिम बंगाल	1	**6.99**	25.5	0.0	56.3	84.4

नोट्स: 1. SHRC के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 2. डेटा प्रदान नहीं किया गया (RTI + वेबसाइट)। 3. विंग स्थापित नहीं की गई। 4. कोई अलग जांच विभाग नहीं है। 5. राज्य द्वारा पूर्ण आंकड़े प्रदान नहीं किए गए। 6. SHRC द्वारा आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया गया। 7. SHRC द्वारा आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया गया। 8. आंध्र प्रदेश SHRC, कर्नूल को 21.03.2021 से गठित किया गया।

स्रोत: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टीम द्वारा दायर RTI आवेदन।

तालिका 7: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक

थीम	विविधता			बजट	
संकेतक	SHRC महिला स्टाफ़ (%, 2023-24)	कार्यकारी स्टाफ़ में महिलाओं की भागीदारी (%, मार्च 2024)	जांच विभाग में महिलाओं की भागीदारी (%, 2023-24)	बजट का उपयोग (%, 2022-23)	औसत बजट उपयोग (%, वित्तीय वर्ष '18-'23)
स्कोरिंग गाइड	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर	जितना अधिक, उतना बेहतर
आंध्र प्रदेश	7.1	0.0	NA[3]	NA[7]	NA[8]
बिहार	16.9	0.0	0.0	100	93
छत्तीसगढ़	10.8	0.0	33.3	117	97
गोवा	50.0	33.3	0.0	59	71
गुजरात	16.7	0.0	0.0	81	91
हरियाणा	17.8	0.0	0.0	97	98
हिमाचल प्रदेश	8.0	0.0	0.0	94	74
झारखंड	16.7	0.0	NA[3]	87	89
कर्नाटक	43.5	0.0	47.4	93	87
केरल	41.0	33.3	0.0	102	86
मध्य प्रदेश	14.9	0.0	22.2	100	100
महाराष्ट्र	36.0	0.0	NA[2]	74	76
मेघालय	38.7	0.0	0.0	91	21
ओडिशा	18.4	0.0	33.3	81	84
पंजाब	11.8	33.3	17.6	99	95
राजस्थान	NA[2]	0.0	NA[2]	67	61
सिक्किम	35.3	0.0	NA[4]	82	82
तमिलनाडु	NA[2]	0.0	NA[2]	100	103
तेलंगाना	23.5	0.0	0.0	90	95
त्रिपुरा	28.6	0.0	40.0	98	81
उत्तर प्रदेश	NA[2]	25.0	NA[2]	100	100
उत्तराखंड	27.3	0.0	20.0	50	80
पश्चिम बंगाल	18.6	25.0	42.9	100	72

नोट्स: 1. SHRC के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 2. डेटा प्रदान नहीं किया गया (RTI + वेबसाइट)। 3. विंग स्थापित नहीं की गई। 4. कोई अलग जांच विभाग नहीं है। 5. राज्य द्वारा पूर्ण आंकड़े प्रदान नहीं किए गए। 6. SHRC द्वारा आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया गया। 7. SHRC द्वारा आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया गया। 8. आंध्र प्रदेश SHRC, कर्नूल को 21.03.2021 से गठित किया गया।

स्रोत: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टीम द्वारा दायर RTI आवेदन।

अन्य अनुभाग

मध्यस्थता

अक्षम आंकड़े

नए आपराधिक क़ानून

सुझाव

कार्यप्रणाली

अध्याय 6

न्यायिक सुधार का सशक्त उपकरण

जन केंद्रित बनने के लिए संघर्ष करती भारतीय न्याय प्रणाली अक्सर केस के समाधान में होने वाली देरी की कठोर वास्तविकता से जूझती है। देश भर में 1.5 करोड़ से अधिक दीवानी मामले समेत लगभग 5.2 करोड़ से अधिक केस लंबित होने के कारण विवादों के शीघ्र और प्रभावी समाधान के लिए तंत्र होना एक अनिवार्य ज़रूरत बन गई है।[1] इनमें से एक समाधान है- मध्यस्थता।

ऐसे में, अदालतों से जुड़े मध्यस्थता केंद्र (जिन्हें अक्सर न्यायालय संबद्ध मध्यस्थता केंद्र कहा जाता है) उम्मीद की किरण हैं। ये मध्यस्थता केंद्र संबंधित पक्षों को औपचारिक अदालती प्रक्रिया से हटकर न्यायिक निगरानी के तहत समझौते का मंच प्रदान करते हैं। साथ ही, पेंडिंग केसों का बोझ कम करने का एक अहम उपकरण बन सकते हैं और न्याय को सुगम बनाने जैसा महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं।

भारत में मध्यस्थता का विकास

मध्यस्थता को अक्सर भारत की औपचारिक न्याय प्रणाली में एक नया और बाहरी उपाय माना जाता है, जबकि वास्तव में यह विवाद निपटारे की स्थानीय परंपराओं पर आधारित है और यह भारत के इतिहास का अभिन्न हिस्सा रहा है। स्थानीय स्तर पर विवाद समाधान की सबसे पुरानी व्यवस्थाओं में एक सामुदायिक स्तर की पंचायतें रही हैं। इसमें गांव के 5 सम्मानित बुजुर्ग (जिन्हें पंच परमेश्वर कहा जाता था) शामिल होते थे। ये पंच स्थानीय विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास करते थे या कम-से-कम विवाद में शामिल दोनों पक्षों और समुदाय के बीच स्वीकार्य समझौता लागू करने का प्रयास करते थे। औपचारिक न्याय व्यवस्था पर औपनिवेशिक प्रभाव के साथ, पंचायतें काफ़ीहद तक कमज़ोर हो गईं।

आज़ादी मिलने के बाद, मध्यस्थता की अवधारणा को पहली बार 'औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947' के तहत मान्यता दी गई थी। हालांकि, इसके 40 साल बाद, 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' के तहत वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र को बढ़ावा दिया गया। 'मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996' ने भी सुलह कराने को मान्यता दी है और इसे बढ़ावा दिया। विशेष रूप से वाणिज्यिक और दीवानी मामलों में ऐसा किया गया है। मध्यस्थता और सुलह शब्द की समानता को देखते हुए वर्षो से इमका इस्तेमाल एक-दूसरे के समानार्थी के तौर पर किया जाता रहा है। हालांकि, हाल के दिनों में मध्यस्थता शब्द ज़्यादा स्वीकार्य हो गया है।

अदालत में पेंडिंग केसों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए, 1995-96 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.एम. अहमदी ने इस मुद्दे की पड़ताल के लिए सैन-फ्रांसिस्को स्थित एक संस्थान के प्रतिनिधियों को भारतीय-अमेरिकी संयुक्त अध्ययन के लिए आमंत्रित किया। इस संस्थान का नाम था- 'इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ़ लीगल सिस्टम' (ISDLS)। इस समूह ने पेंडिंग केसों को कम करने के लिए कुछ विधायी और संरचनात्मक सुधार सुझाए। इसके बाद 'सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999' के ज़रिए CPC की धारा 89 में संशोधन किया गया। इसने अदालतों को दोनों पक्षों की सहमति से उपयुक्त विवादों को ADR तंत्र के पास भेजने का अधिकार दिया। न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 'सिविल प्रक्रिया वैकल्पिक विवाद समाधान और मध्यस्थता नियमावली, 2003' का मसौदा तैयार किया। इस नियमावली में मध्यस्थता के लिए अदालत द्वारा तय की गई रूपरेखा है। इसके आधार पर, अधिकांश उच्च न्यायालयों ने अपनी मध्यस्थता नियमावली तैयार की है। हालांकि, व्यवस्थित संस्थागत ढांचे और कर्मचारियों की कमी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका है।

1 राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड डैशबोर्ड, 13 फरवरी 2025, इस लिंक पर उपलब्ध: https://njdg.ecourts.gov.in/njdgnew/?p=main/pend_dashboard.

हाल ही में, 2023 के मध्यस्थता क़ानून में मध्यस्थता ढांचे को संस्थागत और औपचारिक बनाने के अहम उपाय किए गए हैं। इसके प्रमुख प्रावधानों के तहत मध्यस्थता से होने वाले समझौतों को न्यायालय के आदेश का दर्जा दिया गया है, ताकि इसके फ़ैसले लागू हों। इसे सुलभ बनाने, विशेष रूप से ग्रामीण आबादी तक इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मीडिएशन प्लेटफ़ॉर्म स्थापित किए गए हैं। 'किसी क्षेत्र या इलाक़े के निवासियों या परिवारों के बीच शांति और सद्भाव को प्रभावित करने वाले संभावित' विवाद के समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए सामुदायिक मध्यस्थता भी शुरू की गई है। समयबद्ध और त्वरित समाधान सुनिश्चित करते हुए, अधिनियम के तहत मध्यस्थता का 120 दिनों के भीतर पूरा हो जाना अनिवार्य है। इस अवधि को 60 और दिनों से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है।

2005 में, इसे मज़बूती से लागू करने के लिए 'सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ' के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अदालतों को उपयुक्त मामलों को मध्यस्थता सहित एडीआर तंत्रों के पास भेजना चाहिए। इसके बाद, राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता और सुलह के प्रभावी कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 'मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति' (MCPC) का गठन किया।

समय के साथ, अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित क़ानूनों में भी मध्यस्थता के प्रावधान किए गए। 'कंपनी अधिनियम, 2013' के तहत 'मध्यस्थता और सुलह पैनल' की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार को दी गई है। जबकि 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019' मध्यस्थता सेल को ज़िला और राज्य आयोगों से संबद्ध करता है। ये मध्यस्थता पूरी तरह से स्वैच्छिक है, जो संबद्ध पक्ष की स्वतंत्र इच्छा और सहमति पर आधारित है।

'वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015' में संशोधन के ज़रिए अनिवार्य मध्यस्थता पहली बार 2018 में शुरू की गई थी, जिसके तहत 3 लाख रुपए से अधिक के वाणिज्यिक विवादों के लिए पूर्व-संस्थागत मध्यस्थता एवं निपटान (PIMS) ज़रूरी है।

मध्यस्थता क्या है?

मध्यस्थता विवादों के निपटारे का एक तरीक़ा है जिसके तहत एक मध्यस्थ, जो कि एक स्वतंत्र बाहरी व्यक्ति होता है, विवाद से संबंधित पक्षों को ऐसे समाधान पर पहुंचने में मदद करता है जिसे दोनों स्वीकार्य करें। मध्यस्थ कोई न्याय-निर्णयकर्ता (एडजुडीकेटर) नहीं होता है और उसके पास फ़ैसले लेने की कोई शक्ति नहीं होती है। विवाद से संबंधित पक्षों की स्वतंत्र इच्छा और सहमति के सिद्धांतों पर आधारित मध्यस्थता लंबे समय तक चलने वाले मुक़दमेबाजी की तुलना में आम सहमति से समाधान हासिल करने को प्राथमिकता देती है। यह विवादों को सुलझाने की पारंपरिक भारतीय व्यवस्था के समान है और आपसी संबंधों को मज़बूत करने वाले दृष्टिकोण पर ज़ोर देती है।

मध्यस्थता शुरू करने के लिए आमतौर पर तीन तरीक़े होते हैं-

1 पक्षों द्वारा स्वैच्छिक मध्यस्थता- जब पक्षकारों के कॉन्ट्रैक्ट में मध्यस्थता का ज़िक्र रहता है या पक्षकार स्वेच्छा से विवाद निपटारे की प्रक्रिया (निजी मध्यस्थता) का चुनाव करते हैं।

2. न्यायालय संदर्भित मध्यस्थता (न्यायालय से संपर्क करने के बाद)- जिन मामलों में कोर्ट पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजे। इसमें न्यायालय 'सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908' की धारा 89 या क्षेत्र-विशिष्ट क़ानूनों (जैसे: 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019' की धारा 37) के तहत दर्ज होने वाले मामले शामिल हैं।

3. क़ानूनी रूप से अनिवार्य मध्यस्थता (मुक़दमे से पहले)- जहां कुछ क़ानून, जैसे, 'वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015' की धारा 12ए के तहत किए गए प्रावधान, अदालत जाने से पहले मध्यस्थता को अनिवार्य बनाते हैं।

किस तरह के मामले मध्यस्थता के लिए आते हैं?

मध्यस्थता पूरी दुनिया में पारंपरिक मुक़दमेबाजी के एक अधिक प्रभावशाली और कम ख़र्चीले विकल्प के रूप में लोकप्रिय हो रही है। इसे कई प्रकार के विवादों के निपटारे में सक्षम माना जाता है। भारतीय संदर्भ में आम तौर पर जिन मामलों में मध्यस्थता की जाती है, वे हैं: वैवाहिक और अन्य पारिवारिक विवाद, दीवानी के अन्य मामलों के साथ, वाणिज्यिक, संपत्ति, श्रम, किरायेदारी और उपभोक्ता विवाद। चेक

2 सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, 2005 (6) एससीसी 344.
3 मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की धारा 18.

बाउंस जैसे जिन आपराधिक मामलों में समझौता हो सकता है, उन्हें भी मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है।

न्यायालय-संबद्ध मध्यस्थता केंद्रों का अवलोकन

हालांकि मध्यस्थता केंद्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, पर वर्तमान में ज़ोर न्यायिक ढांचे में शामिल की गई मध्यस्थता पर है, अर्थात न्यायालय संबद्ध मध्यस्थता। जब न्यायालय यह महसूस करता है कि किसी विवाद का संभावित समाधान हो सकता है, तो वह पक्षों को मध्यस्थता के लिए न्यायालय संबद्ध मध्यस्थता केंद्र (CAMC) के पास भेज सकता है। इसके बाद CAMC अपने पैनल से एक मध्यस्थ नियुक्त करता है, जो पक्षों के बीच मध्यस्थता करता है। अदालत पक्षों के पसंद के व्यक्ति या न्यायालय द्वारा चुने गए व्यक्ति को भी मध्यस्थ बना सकती है।

मध्यस्थता के लाभ

समय की बचत: आम तौर पर न्यायिक प्रक्रियाओं में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं; जैसे, कई पक्षों को नोटिस देना, अंतरिम आवेदनों पर कार्रवाई करना, गवाहों की पेशी और फॉरेंसिक एविडेंस तथा विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सहित तीसरे पक्ष के विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की सुनवाई करना आदि। सुनवाई अक्सर स्थगित होती रहती है जो कि आम बात है। अंतरिम और अंतिम आदेशों के ख़िलाफ़ अपील भी आम बात है। न्यायिक प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से होने वाली देरी का प्रमाण दीवानी मामलों के निपटारे में लगने वाले समय से साफ़-साफ़ सामने आता है, जहां वर्तमान में 19 लाख से अधिक दीवानी मामले ज़िला और उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। इस बीच नतीजों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती है। दूसरी ओर, मध्यस्थता के ज़रिए मामलों का निष्पादन आमतौर पर तेज़ी से हो जाता है क्योंकि ये आपसी सहमति से मामलों का निपटारा करने की इच्छा पर आधारित होते हैं। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता के ज़रिए मुख्य मामले का सफलतापूर्वक निपटारा हो जाने के बाद अक्सर इससे संबंधित अन्य मुक़दमों का भी निपटारा हो जाता है।

कम ख़र्च: न्यायालय संबद्ध मध्यस्थता पक्षों के लिए निःशुल्क होती है। केस के सफल निपटारे के बाद तो कोर्ट फ़ीस भी वापस कर दी जाती है। मध्यस्थता से क़ानूनी फ़ीस और सभी संबंधित ख़र्चों में कमी आती है। यह उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मध्यस्थता में देरी होने पर भी समझौते से ऐसे वित्तीय संसाधन मुक्त हो जाते हैं जिन पर लम्बे समय से रोक लगी होती है।

संतुष्टि और स्थायित्व: अदालती मामलों के साथ पारंपरिक शत्रुतापूर्ण पृष्ठभूमि जुड़ी होने के कारण इसमें टकराव निहित होते हैं। मध्यस्थता इसे ख़त्म कर देती है क्योंकि पक्षकार नतीजे तक पहुंचने के लिए ख़ुद कोशिश करते हैं। ऐसे में सफल मध्यस्थता अक्सर अहम व्यावसायिक और व्यक्तिगत रिश्तों को बरक़रार रखने में मदद करती है। ज़्यादातर मामलों में, मध्यस्थता के ज़रिए हुए समझौतों को शायद ही कभी चुनौती दी जाती है।

पहला न्यायालय संबद्ध मध्यस्थता केंद्र 2005 में मद्रास हाई कोर्ट में स्थापित किया गया था। मद्रास हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू द्वारा 'तमिलनाडु मध्यस्थता और सुलह केंद्र' को न्यायालय प्रणाली का आधिकारिक हिस्सा बनाए जाने के साथ यह केंद्र स्थापित हुआ था। इसके तहत कुछ वकीलों को प्रशिक्षित किया गया और जज मामलों को इस केंद्र के पास भेजने लगे। सीमित संसाधनों के बावजूद, इसने जल्द ही गति पकड़ ली और इसकी सफलता साफ़ दिखाई देने लगी। जिस एक मामले ने इसकी क्षमता और प्रक्रिया से रूबरू कराया, वह मज़दूर संगठनों और बैंक के बीच 12 वर्षों से अधिक समय से केस चल रहा था और यह एक बंद कंपनी की बिक्री से हुई आय में हिस्सेदारी से संबंधित था। मध्यस्थता के ज़रिए 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा कर दिया गया। इसमें शामिल धनराशि 50 करोड़ रुपए थी और इसके लाभार्थी 2,196 श्रमिक और उनके परिवार थे। इसने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का भी ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने इस केंद्र का दौरा किया था।

दूसरा ऐसा केंद्र 2006 में 'समाधान मध्यस्थता केंद्र' था जो दिल्ली हाई कोर्ट और यहां वकालत करने वाले वकीलों की संयुक्त पहल थी।

आज, सुप्रीम कोर्ट, ज़्यादातर हाई कोर्ट और ज़िला स्तर पर CAMC मौजूद हैं। इनका पर्यवेक्षण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSAs) करते हैं, जिससे न्यायिक निगरानी सुनिश्चित होती है।

4 राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड डैशबोर्ड, 11 फरवरी 2025, इस लिंक पर उपलब्ध: https://njdg.ecourts.gov.in/njdgnew/?p=main/pend_dashboard,

कमज़ोर आबादी के लिए सुलभ और सुगम: मध्यस्थता केंद्र का माहौल ज़्यादा सहज और दोस्ताना होता है, यहां पक्षों पर सार्वजनिक रूप से मुक़दमा नहीं चलता है और ये निःशुल्क है। इस तरह सीमित साधनों वाले लोगों के लिए इनकी विशेष अहमियत होती है।

मध्यस्थता के विकास की राह की चुनौतियां

मध्यस्थता के विकास की संभावनाएं बहुत हैं लेकिन भारत में इसकी वृद्धि धीमी रही है। इसे वैधानिक मान्यता मिलने के दो दशक बाद भी यही स्थिति है। मांग और आपूर्ति- दोनों ही स्तरों पर कई अहम समस्याएं हैं। यह मध्यस्थता केंद्रों के असमान वितरण, मध्यस्थों की कमी और इसके बारे में आम लोगों में जागरुकता की कमी के रूप में सामने आता है। जबकि नया अधिनियम विशेष मध्यस्थता संस्थानों, मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं और केंद्रीय 'भारतीय मध्यस्थता परिषद' की स्थापना के द्वारा एक संरचनाबद्ध ढांचा उपलब्ध कराता है, लेकिन मौजूदा कार्यबल की संख्या बढ़ाने में होने वाली लंबी देरी से इस प्रभावशाली तंत्र की क्षमता का पूरा उपयोग न हो पाने का ख़तरा है। इससे केसों के बोझ से दबी अदालतों और न्याय का इंतज़ार कर रहे आम लोगों- दोनों को नुक़सान हो सकता है।

कुछ प्रमुख चुनौतियां

1. बिखरा हुआ नीतिगत ढांचा, अलग-अलग नियमावली और असमान कार्यान्वयन: 'मध्यस्थता अधिनियम, 2023' के लागू होने से पहले मध्यस्थता के लिए कोई सुसंगत विधायी ढांचा नहीं था। समान नियमावली या पर्यवेक्षण के बिना, विभिन्न अदालतों में मध्यस्थता के विकास का स्तर अलग-अलग था। क़ानून के तहत प्रस्तावित 'राष्ट्रीय मध्यस्थता परिषद' का गठन नहीं हो पाने के कारण विभिन्न राज्यों में मध्यस्थता संबंधी नियम अलग-अलग होते हैं। ऐसा इस कारण है क्योंकि प्रत्येक राज्य में SLSA के तत्वावधान में मध्यस्थता होती है और इसका पर्यवेक्षण एवं इसे बढ़ावा देना काफ़ी हद तक हर राज्य की क्षमता और कौशल पर निर्भर करता है।

2. सांस्कृतिक रुकावटें और जागरुकता की कमी: परंपरागत अदालतों के फ़ैसलों में लोगों की गहरी और पक्की आस्था है, जिसके कारण बातचीत से किए गए समाधानों की तुलना में 'आधिकारिक' निर्णय को प्राथमिकता दी जाती है। सामुदायिक विवाद समाधान का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन आधुनिक मायनों में मध्यस्थता को इन पारंपरिक पंचायती प्रणालियों में प्रभावी तरीक़े से शामिल नहीं किया गया है ताकि उनकी पहुंच और स्वीकृति का लाभ उठाया जा सके। 'राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड' में मध्यस्थता का कोई रिकॉर्ड नहीं होने या इसकी मूल्यांकन रिपोर्ट की ग़ैर-मौजूदगी के कारण, परंपरागत अदालतों के जज भी बहुत कम मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजते हैं।[5] इसके अलावा, वकील भी अक्सर मध्यस्थता को अपनी पेशेवर आय के लिए ख़तरा मानते हैं, जिससे वे मध्यस्थता का सुझाव देने या इसमें सक्रिय रूप से शामिल होना पसंद नहीं करते हैं।

3. सरकार की अनिच्छा: सरकार द्वारा सबसे ज़्यादा मुक़दमे किए जाने[6] के बावजूद, ऐसे सभी ग़ैर-वाणिज्यिक विवाद (उदाहरण के लिए: लोक सेवकों की सेवा और नियोजन से संबंधित विवाद) मध्यस्थता अधिनियम के दायरे से बाहर रखे गए हैं जिनमें सरकार एक पक्षकार होती है। यहां तक कि अधिकारी वाणिज्यिक विवाद के मामले में भी मध्यस्थता के लिए रूचि नहीं दिखाते हैं। जबकि ये समझौते सरकार के लिए लाभकारी हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद अधिकारियों को प्रशासनिक और वित्तीय निगरानी करने वाले निकायों द्वारा पूछताछ और कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

4. अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन: अगर बड़ी संख्या में मौजूद संभावित मामलों को निपटारे के लिए मध्यस्थता केंद्रों में भेजा गया तो इन केंद्रों की वर्तमान संख्या अपर्याप्त साबित होगी। दिसंबर 2024 तक, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य क़ानूनी सेवा प्राधिकरणों (SLSA) के तहत 1600 मध्यस्थता केंद्र कार्यरत हैं।[7] हालाकि, राज्य वार इनकी संख्या काफ़ीअलग-अलग है। इनमें से लगभग तिहाई केंद्र अकेले महाराष्ट्र में हैं जबकि पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में 30 से भी कम केंद्र हैं।

मध्यस्थों की संख्या भी अपर्याप्त है। देशभर में करीब 20,000 मध्यस्थ[8] हैं जिनकी संख्या राज्य स्तर पर समान अनुपात में नहीं है। महाराष्ट्र में करीब 5000 मध्यस्थ हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में करीब 2400 हैं, जबकि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान जैसे राज्यों में यह संख्या काफ़ीकम यानी 240 से 340 के बीच है।

5 दीपिका किन्हाल, अपूर्वा, मैमडेटरी मीडिएशन इन इंडिया-रिजोल्विंग टू रिज़ॉल्व, 2021. इस लिंक पर उपलब्ध: https://vidhilegalpolicy.in/wp-content/uploads/2021/03/Mandatory-Mediation-in-India-Resolving-to-Resolve.pdf

6 जुलाई 2024 तक देश की विभिन्न अदालतों में 6,98,904 ऐसे मामले लंबित हैं, जिनमें केंद्र सरकार एक पक्षकार है। 'सीजेआई टर्म्स गवर्नमेंट एज बिगेस्ट लिटिगेंटस, सेज डॉकेट एक्सप्लोजन ड्यू टू एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर', इकोनॉमिक टाइम्स, 30 अप्रैल 2022. इस लिंक पर उपलब्ध: https://economictimes.indiatimes.com/news/india/cji-terms-govts-as-biggest-litigants-says-docket-explosion-due-to-executive-legislature/articleshow/91203374.cms?from=mdr

7 NALSA, सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन रिपोर्ट- अप्रैल 2024- दिसम्बर 2024. इस लिंक पर उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/statistics/settlement-through-mediation-report/settlement-through-mediation-report-april-2024-to-december-2024

8 NALSA, सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन रिपोर्ट- अप्रैल 2024- दिसम्बर 2024. इस लिंक पर उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/statistics/settlement-through-mediation-report/settlement-through-mediation-report-april-2024-to-december-2024

मध्यस्थों में अधिकांश वकील (देशभर में 11,158) हैं। तकनीकी या पेशेवर विशेषज्ञता की पृष्ठभूमि वाले मध्यस्थ बेहद कम हैं, जिनकी उल्लेखनीय संख्या केवल महाराष्ट्र, झारखंड और मध्य प्रदेश में ही है।

मध्यस्थ के रूप में जजों की तैनाती कम संसाधनों की चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। अधिकांश राज्य उपलब्ध कैडर के 50% से भी कम जज को मध्यस्थ नियुक्त करते हैं। नतीजतन, तैनात मध्यस्थों पर मामलों का बोझ अनिवार्य रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस वजह से मामले फिर से लंबित होने लगते हैं। यानी जिस समस्या को निपटाने की लिए इसकी शुरुआत की गई है, वही समस्या बढ़ने लगती है।

5. मध्यस्थों का प्रशिक्षण: कुशल और सक्षम प्रशिक्षण संस्थानों और नियमित प्रशिक्षण के अभाव में, मध्यस्थों की क्षमता से जुड़े पहलू चुनौतियां बढ़ा देते हैं। वर्तमान में, 'मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति' (MCPC) ने मध्यस्थों के लिए 40 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी या कम-से-कम 10 साल अनुभवी वकील और 15 साल के अनुभव वाले विशेषज्ञ या अन्य पेशेवर MCPC प्रावधानों के तहत प्रशिक्षण के योग्य माने जाते हैं। इस पात्रता मानदंड से संभावित युवा मध्यस्थों की एक बड़ी आबादी प्रशिक्षण के दायरे से बाहर रह जाती है। नए 'मध्यस्थता क़ानून, 2023' में आयु संबंधित प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। ऐसा युवा मध्यस्थों को इसमें शामिल होने का मौक़ा देने और उन्हें प्रशिक्षित करने की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उम्मीद है कि न्यायालय सम्बद्ध मध्यस्थता केंद्र भी इस प्रतिबंध को समाप्त कर देंगे।

अप्रैल 2023 तक, देश भर[9] में लगभग 12 हज़ार मध्यस्थों को MCPC द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनमें से 7,500 से ज़्यादा वकील हैं जबकि न्यायिक अधिकारियों की संख्या लगभग 4,000 है। इसके बाद विशेषज्ञों (365), सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य (103) को प्रशिक्षण दिया गया जिनकी संख्या बहुत कम है।[10]

उदाहरण के लिए, MCPC ने दिल्ली में रिकॉर्ड 99 न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया लेकिन एक भी न्यायिक अधिकारी मध्यस्थता के लिए तैनात नहीं हैं।[11] इसी तरह, राजस्थान में प्रशिक्षित 972 मध्यस्थों में से केवल 340 ही मध्यस्थता के लिए उपलब्ध हैं।[12] प्रशिक्षित कर्मियों और मध्यस्थों की संख्या के बीच का यह बड़ा अंतर प्रशिक्षण संबंधी योग्यताओं में छूट देने का मज़बूत तर्क प्रस्तुत करता है। संख्या में इस अंतर का कारण यह है कि प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारियों और वरिष्ठ वकीलों का एक बड़ा हिस्सा मध्यस्थ बनने के लिए उपलब्ध नहीं रहता, संभवतः ऐसा उनके कई दूसरे कार्यों में व्यस्त होने के कारण होता है।

6. मध्यस्थों की नियुक्ति: हालांकि मध्यस्थता अधिनियम में पक्षकारों को अपनी पसंद का मध्यस्थ चुनने का अधिकार दिया गया है, लेकिन अधिकांश हाई कोर्ट्स की नियमावली में न्यायालय द्वारा संदर्भित/तय मध्यस्थ की नियुक्ति प्रक्रिया का विवरण है। हालांकि शुरूआत में पक्षकारों की सहमति से मध्यस्थ नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन आम तौर पर अदालतें न्यायालय सम्बद्ध मध्यस्थता केंद्र के लिए ख़ुद मध्यस्थ तय करती हैं। मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थता केंद्र के पास उपलब्ध पैनल से की जाती है और ऐसा रोस्टर और सबसे उपयुक्त मध्यस्थ के आधार पर किया जाता है। ऐसे में पक्षकार अपनी पसंद का मध्यस्थ नहीं चुन पाते हैं और उन्हें न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे मध्यस्थों के पास किसी ख़ास मामले से जुड़ी तकनीकी जानकारी या विशेषज्ञता हो भी सकती है और नहीं भी। अधिकांश हाई कोर्ट्स में, रिटायर्ड जज, 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले वकील या विशेषज्ञ या अन्य पेशेवर, नौकरशाह, वरिष्ठ अधिकारी या संबंधित हाई कोर्ट्स से मान्यता प्राप्त एक्सपर्ट मीडिएशन इंस्टिट्यूशन पैनल में शामिल होने के योग्य होते हैं। कुछ हाई कोर्ट्स ने वकीलों के लिए अनुभव-पात्रता शर्तों में ढील दी है, जैसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अनुभव संबंधी शर्त को न्यूनतम 15 से घटाकर 5 वर्ष, जबकि दिल्ली और तमिलनाडु हाई कोर्ट्स ने इसे घटाकर 10 वर्ष कर दिया है।

7. अपर्याप्त संसाधन: कम पारिश्रमिक भी मध्यस्थता के विकास में बाधा डालता है। वर्तमान में, SLSA को मध्यस्थता से संबंधित ख़र्चों को पूरा करने के लिए NALSA और राज्य सरकारों से फंड उपलब्ध कराया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दिशा-निर्देशों के मुताबिक 'राष्ट्रीय क़ानूनी सहायता कोष' की अधिकतम 25 प्रतिशत राशि ही वैकल्पिक विवाद समाधान और मध्यस्थता के लिए ख़र्च की जा सकती है।

हालांकि मध्यस्थों का पर्याप्त अनुभवी होना ज़रूरी है, लेकिन हर सफल मध्यस्थता के लिए सामान्य मानदेय मात्र 5,000 रुपए और असफल मध्यस्थता के लिए 2,500[13] रुपए है। कुछ राज्यों में थोड़ा अधिक मानदेय भी दिया जाता है।

9 मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति, MCPC प्रशिक्षित मध्यस्थ 2023. इस लिंक पर उपलब्ध: https://mcpc.nic.in/pdfs/MCPC%20Trained%20Mediators%202023.pdf
10 मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति, MCPC प्रशिक्षित मध्यस्थ 2023. इस लिंक पर उपलब्ध: https://mcpc.nic.in/pdfs/MCPC%20Trained%20Mediators%202023.pdf
11 NALSA, सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन रिपोर्ट- अप्रैल 2024- दिसम्बर 2024. इस लिंक पर उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/statistics/settlement-through-mediation-report/settlement-through-mediation-report-april-2024-to-december-2024
12 NALSA, सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन रिपोर्ट- अप्रैल 2024- दिसम्बर 2024. इस लिंक पर उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/statistics/settlement-through-mediation-report/settlement-through-mediation-report-april-2024-to-december-2024
13 मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति, MCPC के महत्वपूर्ण संकल्प और निर्णय। इस लिंक पर उपलब्ध: https://mcpc.nic.in/pdfs/16022022_01.pdf

सफलता की असमान दर

अदालत द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजे गए मामलों की सफलता दर में विभिन्न क्षेत्रों और केसों की प्रकृति के आधार पर बहुत अंतर रहता है। यह मध्यस्थता की अहमियत के बारे में संदेह पैदा करता है और इसके व्यापक इस्तेमाल को बढ़ावा देने से रोकता है। विभिन्न SLSA के तहत संचालित मध्यस्थता केंद्रों द्वारा मामलों के निष्पादन का राष्ट्रीय औसत 2022-23 और 2023-24 दोनों वर्षों में लगभग 22% रहा। वर्ष 2023-24 में, 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस राष्ट्रीय औसत से ऊपर थे, जिनमें सिक्किम (46.9%) और झारखंड (42.2%) सबसे आगे थे।[14]

कर्नाटक हाई कोर्ट की पहल पर स्थापित बैंगलोर मध्यस्थता केंद्र में, 1 जनवरी, 2007 से 30 सितंबर, 2020 के बीच 60,042 मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया। इनमें से 65% यानी 38,961 मामलों का निपटारा किया गया।[15]

मध्यस्थता के मामलों में सफलता दर हर साल प्राप्त और निपटाए गए मामलों की संख्या के आधार पर दर्ज की जाती है, लेकिन मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने से लेकर इसके समाधान तक में लगने वाले समय को दर्ज नहीं किया जाता। मध्यस्थता में लगने वाले समय और लागत - इन दोनों के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेज़ों की कमी है, जबकि ये मध्यस्थता और अदालती मामले के बीच तुलना का ठोस आधार प्रदान करते हैं और मध्यस्थता के ज़्यादा-से-ज़्यादा उपयोग के लिए मज़बूत तर्क प्रस्तुत करते हैं। ये आंकड़े इस तथ्य को भी नहीं दर्शाते हैं कि बहुत से मामलों में पक्ष मध्यस्थता से इनकार कर देते हैं या प्रारंभिक प्रक्रिया के बाद इससे बाहर निकल जाते हैं। मध्यस्थता के लिए भेजे गए केस और इनमें से निपटाए गए केसों के अनुपात का विश्लेषण ही मध्यस्थता की अहमियत को अधिक सटीकता के साथ सामने लाएगा।

8. अनिवार्यता का ख़ामियाज़ा: 'वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम' में 2018 के संशोधन के बाद, 3 लाख रुपए से अधिक के सभी वाणिज्यिक विवादों के लिए मुक़दमे से पहले मध्यस्थता अनिवार्य है। इसे अन्य प्रकार के मामलों में भी विस्तारित करने की मांग की जा रही है। आलोचकों का तर्क है कि बाध्य किया जाना पक्षों की सहमति से विवाद समाधान के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। वे इसके ख़राब प्रदर्शन, कम सफलता दर और इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि ऐसी बाध्यता का इस्तेमाल किसी एक ऐसे पक्ष द्वारा मामला निपटारे में और अधिक देरी पैदा करने के लिए किया जा सकता है और शायद किया भी जा रहा है, जिन्हें प्रक्रिया को लंबा खींचने से लाभ हो सकता है।

मध्यस्थता की बुनियादी स्वैच्छिक प्रकृति से संबंधित एक और तर्क दिया जाता है। इस तर्क के अनुसार, रोस्टर द्वारा उपलब्ध कराए गए मध्यस्थों पर निर्भर होने के बजाय, जिन्हें पक्षों पर थोपा जाता है, बेहतर परिणाम तब मिलते हैं जब पक्षकारों को ऐसे मध्यस्थ चुनने की अनुमति दी जाती है जिन पर उन्हें भरोसा हो। यह पेशेवर रूप से निजी मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता की ओर इशारा करता है, जबकि अदालती मध्यस्थता उन लोगों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं।

ये सभी कारक यह बताते हैं कि अपनी मान्य क्षमता के बावजूद, अन्य देशों की तरह भारत में मध्यस्थता परिवर्तनकारी प्रभाव पैदा करने में अभी तक क्यों कामयाब नहीं हुई है।

संस्थागत समर्थन और नीतिगत सिफ़ारिशें

भविष्य में मध्यस्थता की सफलता मुख्य रूप से वित्तीय, ढांचागत और मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता और एकीकृत राष्ट्रीय कार्यनीति पर निर्भर करेगी।

1. मध्यस्थता का प्रचार-प्रसार और विश्वास निर्माण: मध्यस्थता की भविष्य की सफलता इसे न्याय प्रणाली में व्यवस्थित तरीक़े से शामिल करने में है। अदालत इस प्रक्रिया का प्रमुख भागीदार है, लेकिन इसका नियंत्रक नहीं है। मध्यस्थता को पूर्णकालिक पेशे के रूप में विकसित करने पर भी इसकी सफलता निर्भर करेगी, जिसका अर्थ है पर्याप्त काम और इस काम से बेहतर आय। इस पेशे से जुड़े लोगों को काम का कुछ हिस्सा अदालतों से मिलना चाहिए। व्यवसाय और सरकार के साथ-साथ व्यक्तिगत स्तर से भी इस पेशे की क्षमता और विशेषज्ञता में वृद्धि होनी चाहिए।

सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम करने वाली 'भारतीय मध्यस्थता परिषद' का जल्द से जल्द संचालन शुरू करना आवश्यक है। अदालतों के लिए यह ज़रूरी है कि वे मध्यस्थता को अपने न्यायालय

14 ये आंकड़े NALSA से आरटीआई द्वारा मिले हैं।
15 कर्नाटक मध्यस्थता केंद्र, कर्नाटक उच्च न्यायालय। इस लिंक पर उपलब्ध: https://nyayadegula.kar.nic.in/court_annex.html

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता का प्रचलन 1976 के आसपास बढ़ा, जब अमेरिकी क़ानूनी दार्शनिक रोस्को पाउंड के सम्मान में न्याय प्रणाली की चुनौतियों की पड़ताल और सुधार के तरीक़े खोजने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें विवाद सुलझाने के लिए विभिन्न माध्यम पेश करने वाली अदालत का विचार सामने आया यानी ऐसी अदालत जहां शत्रुतापूर्ण प्रक्रिया से हटकर भी विभिन्न तरीक़ों से विवाद का समाधान किया जा सके। इसके बाद के वर्षों में, बेहतर न्यायालय प्रबंधन और न्यायिक प्रशासन संबंधी गहन चिंता ने अमेरिका में मध्यस्थता सहित वैकल्पिक विवाद समाधान के विचार को आगे बढ़ाया। पिछले कुछ वर्षों में कई अदालतों ने विशेष प्रकार के विवादों के निपटारे के लिए अनिवार्य मध्यस्थता कार्यक्रम अपनाए हैं।

2008 में, यूरोपीय संघ (EU) ने अपने सदस्य देशों को मध्यस्थता को अनिवार्य बनाने संबंधी दिशा-निर्देश दिए, बशर्ते कि पक्षों के न्याय तक पहुंचने के अधिकार का उल्लंघन न हो। हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम में छोटी राशि से संबंधित मामलों के लिए अनिवार्य मध्यस्थता शुरू की गई है।

सिंगापुर में भी अनिवार्य प्रमाणन और मानक प्रक्रियाओं वाली न्यायालय सम्बद्ध मध्यस्थता का सशक्त मॉडल है, जिसके लिए समर्पित फंडिंग की व्यवस्था है। कुछ विशेष प्रकार के विवादों के लिए इटली के ऑप्ट आउट मॉडल के तहत, पक्षों के समाधान की संभावना का पता लगाने के लिए मध्यस्थता सत्र में भाग लेना आवश्यक है और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। यदि कोई समाधान संभव नहीं हो पाता है, तो दोनों में से कोई भी पक्ष पहले सत्र के बाद ही इस प्रक्रिया से बाहर हो सकता है।

प्रबंधन के स्वाभाविक और सहज हिस्से के रूप में शामिल करें। साथ ही मध्यस्थता को मुक़दमे के अहम और प्रभावशाली विकल्प के रूप में प्रदर्शित करने में भी न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है; जैसे, केसों को मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए केवल जज के फ़ैसले पर निर्भर रहने के बजाय, एक अधिक संरचनाबद्ध पद्धति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) अपनाई जानी चाहिए ताकि उपयुक्त मामलों की पहचान कर उन्हें मध्यस्थता के लिए भेजने में मदद मिल सके। साथ ही ऐसे रेफरल के उपयुक्त समय को रेखांकित करने वाले स्पष्ट दिशानिर्देश भी ज़रूरी होंगे। वर्तमान में, लंबित मामलों को बोझ माना जाता है जबकि वे मध्यस्थों के लिए ख़ज़ाने के समान हैं। वर्षों से लंबित मामलों में से मध्यस्थता के लिए उपयुक्त मामलों की पहचान करने और उन्हें पेशेवर मध्यस्थों को भेजने की प्रणाली विकसित करना बैकलॉग का बोझ कम करने में सबसे कारगर साबित होगा। आज जब क्षेत्र विशेष से संबंधित मामले वर्षों से लंबित हैं और फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है, तब अधिक-से-अधिक जजों की नियुक्ति करने से ज़्यादा ज़रूरी ऐसी प्रणाली विकसित करने की है।

कई लोगों का तर्क है कि इस दिशा में 'अखिल भारतीय मध्यस्थता सेवा' की अहम भूमिका होगी जिसकी अहम ज़िम्मेदारी सरकारी संस्थानों, न्यायिक निकायों और यहां तक कि सरकारी विभागों में मध्यस्थों को प्रशिक्षित और तैनात करने की होगी।

वर्चुअल मीडिएशन प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल मीडिएशन वैन जैसे नए तरीक़ों को बढ़ावा देने से भी मध्यस्थता का विस्तार ऐसे क्षेत्रों तक हो सकता है जहां इसकी पहुंच कम है।

2. मध्यस्थों का बेहतर प्रशिक्षित और पर्याप्त कैडर: 'भारतीय मध्यस्थता परिषद' कड़े प्रशिक्षण और मान्यता कार्यक्रमों को प्राथमिकता देकर यह लक्ष्य हासिल करने में मददगार साबित हो सकती है, जिसमें गोपनीयता और निष्पक्षता जैसे नैतिक विचार शामिल हों और अनिवार्य प्रशिक्षण के बाद मान्यता प्रदान की जाती हो। मान्यता प्राप्त मध्यस्थों का आसानी से उपलब्ध डेटाबेस गुणवत्ता के प्रति आम लोगों को आश्वस्त करेगा। इसे मज़बूत करने के लिए नियमित गुणवत्ता मूल्यांकन और मध्यस्थता के ऑडिट के साथ-साथ हर मध्यस्थता में लगने वाले समय को भी दर्ज किया जाना चाहिए।

3. मध्यस्थों को प्रोत्साहन: ज़्यादा संख्या में योग्य कैडर को मध्यस्थता की ओर आकर्षित करने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक दिया जाए। न्यायाधीश स्वाभाविक रूप से न्याय प्रदान करने की कोई क़ीमत तय करने के प्रति अनिच्छुक होते हैं, ताकि इसे न्याय वितरण को विशेषाधिकार बनाने या उसके निजीकरण के रूप में न देखा जाए। इसके बजाय, पक्षों से उचित शुल्क लिया जा सकता है। साथ ही मुवक्किल को मामले की प्रकृति एवं इसकी आर्थिक अहमियत और मध्यस्थ के कौशल, वरिष्ठता, योग्यता और अनुभव के आधार पर पैनल में शामिल मध्यस्थों में से अपनी पसंद का मध्यस्थ चुनने की अनुमति दी

जा सकती है। 'विधिक सेवा अधिनियम, 1987' की धारा 12 के तहत मुफ्त क़ानूनी सहायता पाने के योग्य लोगों के लिए शुल्क में छूट दी जानी चाहिए।

4. मध्यस्थता दायरे का विस्तार: मध्यस्थता अधिनियम के तहत कई प्रकार के मामलों को मध्यस्थता के दायरे से बाहर रखा गया है; जैसे- भूमि अधिग्रहण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर-निर्धारण जैसे मामले। इस सूची में संशोधन से ज़्यादा-से-ज़्यादा समस्याओं से जुड़े मामलों का मध्यस्थता द्वारा निपटारा संभव हो पाएगा। जिन विवादों में सरकार एक पक्षकार होती है, उनकी मध्यस्थता से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उपाय किए जा सकते हैं; जैसे- एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति किसी अधिकारी द्वारा किए गए समझौते की पुष्टि कर सकती है या समझौता अनुचित पाए जाने पर इसे समीक्षा के लिए वापस भेज सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समिति की अंतिम स्वीकृति अधिकारी को क़ानूनी सुरक्षा प्रदान करेगी जो उसे 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' की धारा 13 के तहत वास्तविक भ्रष्टाचार के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में प्राप्त होगा।

निष्कर्ष

मध्यस्थता की वास्तविक क्षमता का अभी भी पूरा उपयोग नहीं हुआ है। मध्यस्थता जल्द न्याय देने के तंत्र से व्यापक विचार है। यह समावेशी, समुदाय-संचालित विवाद समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता है। चूंकि भारत न्याय प्रदान करने संबंधी जटिल चुनौतियों से जूझ रहा है, इसलिए लंबित मामलों को ऐसा खज़ाना माना जा सकता है जिन्हें मध्यस्थता से सुलझा कर हासिल किया जा सकता है। मध्यस्थता केंद्रों को मज़बूत करना न्याय वितरण प्रणाली में होने वाली देरी को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण क़दम है। क्षमताओं को बढ़ाकर और इस प्रक्रिया में जनता के भरोसे और विश्वास को मज़बूत कर, भारत सुलभ, त्वरित और निष्पक्ष न्याय प्रदान करने के लिए मध्यस्थता की परिवर्तनकारी क्षमता का उपयोग कर सकता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांचू 46 वर्षों से वकालत में सक्रिय हैं। वह भारत में मध्यस्थता आंदोलन के अग्रणी हैं और अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त भारतीय मध्यस्थ के रूप में पहचाने जाते हैं।

अध्याय 7

अक्षम आंकड़े: भाग-2

भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016’ (विकलांगता अधिनियम) के तहत संरक्षित किया जाता है और उनको न्याय दिलाया जाता है। इस अधिनियम के तहत कई अनिवार्य प्रावधान किए गए हैं। इनमें शामिल हैं: विकलांगों के लिए सुलभ भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना जिसके अंतर्गत दस्तावेज़ हासिल करने के सुलभ तरीक़े, सुनवाई की सुविधाएं, केस फ़ाइलिंग सिस्टम और फ़ाइल भेजने या हासिल करने की सुगम प्रक्रियाएं शामिल हैं। साथ ही इसके तहत रोज़गार में आरक्षण प्रदान किया गया है और तथा न्याय प्रणाली के विभिन्न कर्मचारियों को विकलांग व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाने तथा विकलांगता से संबंधित प्रशिक्षण देने के प्रावधान किए गए हैं। ‘विकलांगता अधिनियम’, ‘विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन’ (UNCRPD) के सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अधिकारों और अवसरों को बढ़ावा देना है। अन्य अधिनियमों, जैसे ‘विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987’ के तहत विकलांग व्यक्तियों की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क क़ानूनी सेवाओं का प्रावधान है। इस प्रकार, भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक समावेशी और सुलभ न्याय प्रणाली (न्यायपालिका, क़ानूनी सहायता, पुलिस और जेल को मिलाकर) सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए न्याय प्रणाली को सुलभ बनाना और इसमें उनका समावेशन निम्नलिखित प्रावधानों के ज़रिए सुनिश्चित किया जाता है :

क. न्याय प्रणाली का सुलभ भौतिक और डिजिटल इंफ़्रास्ट्रक्चर: ‘विकलांगता अधिनियम’ और नियमावली को ‘विकलांग और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त निर्मित वातावरण संबंधी सुसंगत दिशा-निर्देश और स्थान संबंधी मानक, 2021 [सुसंगत दिशा-निर्देश]’ के साथ व्याख्या करने पर सभी सार्वजनिक या निजी प्रतिष्ठानों को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाने की अनिवार्यता सामने आती है। इसके लिए इन प्रतिष्ठानों में रैंप, लिफ्ट, विकलांगों के अनुकूल शौचालय, परिवहन और सूचना एवं संचार की तकनीक उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष रूप से न्याय प्रणाली से संबंधित स्थानों- पुलिस स्टेशन और जेलों को गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश[3] ‘पुलिस स्टेशनों, जेलों और आपदा न्यूनीकरण केंद्रों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विशिष्ट निर्मित बुनियादी ढांचे और संबद्ध सेवाओं के लिए पहुंच संबंधी मानक और दिशानिर्देश, 2021’ का पालन करना आवश्यक है। इसके अलावा, हालिया दिशा-निर्देश जैसे कि ‘सुप्रीम कोर्ट एक्सेबिलिटी रिपोर्ट, 2023’[4] , ‘मॉडल जेल मैनुअल, 2016’[5] और ‘भारत के सुप्रीम कोर्ट की विकलांग व्यक्तियों से संबंधित हैंडबुक’[6] में भी विकलांग व्यक्तियों की न्याय तक पहुंच बढ़ाने और न्याय प्रणाली को उनके लिए अधिक समावेशी बनाने की दिशा में किए गए प्रयास हैं।

वर्तमान में, न्याय प्रणाली को सुगम और सुलभ बनाने वाले प्रावधान दो अलग-अलग नियमावलियों के अंतर्गत आते हैं; ‘सुसंगत दिशा-निर्देश’, जो न्यायिक और क़ानूनी सहायता प्रणालियों पर लागू होते हैं, जबकि जेलों और पुलिस स्टेशनों को ‘गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों’ का पालन करना होता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ‘राजीव रतूड़ी बनाम भारतीय संघ’ के 8 नवंबर 2024 को दिए फ़ैसले में नियम 15 के तहत सूचीबद्ध क्षेत्रीय सुसंगत दिशानिर्देशों की अनुशंसात्मक प्रकृति को ‘विकलांगता अधिनियम’ के तहत अनुपयुक्त करार दिया और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि दिशा-निर्देशों और अनिवार्य सुगमता नियमों को अलग करें ताकि अधिनियम में दिए मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके। ऐसा होने के बाद, एक समान सुगमता प्रणाली सभी संस्थानों में लागू हो सकेगी।

1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, धारा 12. इस लिंक पर उपलब्ध: https://disabilityaffairs.gov.in/content/page/acts
2 भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, विकलांग और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त निर्मित वातावरण संबंधी सुसंगत दिशा-निर्देश और स्थान संबंधी मानक, 2021. इस लिंक पर उपलब्ध: https://divyangjan.depwd.gov.in/content/upload/uploadfiles/files/HG2021_MOHUAN%20%281%29_merged.pdf.
3 गृह मंत्रालय, पुलिस स्टेशनों, जेलों और आपदा न्यूनीकरण केंद्रों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विशिष्ट निर्मित बुनियादी ढांचे और संबद्ध सेवाओं के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश, 2021 (गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश), इस लिंक पर उपलब्ध: https://divyangjan.depwd.gov.in/content/upload/uploadfiles/Annex_2.pdf
4 कमिटी ऑन एक्सेसिबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, कोर्ट फॉर आल: पेविंग द वे फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर पर्सन्स विद डिसैबिलिटीज, वीमन & सीनियर सिटीज़न्स, 2023. इस लिंक पर उपलब्ध: https://main.sci.gov.in/pdf/LU/06112023_140650.pdf
5 भारत सरकार, मॉडल जेल मैनुअल, 2016. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2022-12/ModelPrisonMan2003_14112022%5B1%5D.pdf
6 भारत का सर्वोच्च न्यायालय, विकलांग व्यक्तियों से संबंधित हैंडबुक। इस लिंक पर उपलब्ध: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3e58aea67b01fa747687f038dfde066f6/uploads/2024/09/20240930824409118.pdf

ख. विकलांग व्यक्तियों के लिए न्याय प्रणाली में रोज़गार के अवसर: 'विकलांगता अधिनियम' सरकारी पदों पर मानक विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण प्रदान करता है।[7]

> 'मानक विकलांगता वाला व्यक्ति' वह व्यक्ति होता है जिसकी मान्यता प्राप्त विकलांगता कम-से-कम 40% होती है। यह परिभाषा उन दोनों तरह की विकलांगताओं पर लागू होती है, एक, जिसे मापा नहीं जा सकता और दूसरी, जिसे संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित और परिभाषित किया गया है।

धारा 34 के तहत आरक्षण के लिए निम्न प्रकार की विकलांगताएं मान्यता प्राप्त हैं: (क) अंधापन और देखने की कम क्षमता; (ख) बहरापन और सुनने की कम क्षमता; (ग) चलने-फिरने से संबंधित अक्षमता जिसमें मस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी), कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय कुपोषण (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी) शामिल हैं; (घ) ऑटिज़म, बौद्धिक विकलांगता, सीखने से संबंधित ख़ास अक्षमता; (ङ) ऐसे व्यक्ति जो (क) से (घ) के तहत आते है और उनमें अनेक प्रकार की विकलांगताएं हैं।

विकलांगता नियमावली के नियम 9 के तहत प्रतिष्ठानों के लिए विकलांग कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य है।

ग. विकलांग व्यक्तियों के समावेश के लिए न्याय प्रणाली की समन्वित कार्रवाइयां: 'विकलांगता अधिनियम' संबंधित सरकारों के लिए यह अनिवार्य करता है कि वह पुलिसकर्मियों और न्यायाधीशों जैसे सरकारी अधिकारियों के सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम में विकलांगता अधिकारों पर प्रशिक्षण अनिवार्य करें।[8] न्यायपालिका द्वारा सुगम्यता समितियों और विशेष अदालतों की स्थापना करना विकलांग व्यक्तियों की न्याय व्यवस्था में अर्थपूर्ण भागीदारी को सक्षम बनाने की दिशा में छोटे-छोटे प्रयास हैं।

सकारात्मक उपायों से विकलांग व्यक्ति ख़ुद-ब-ख़ुद न्याय पाने के लिए अधिक-से-अधिक कोशिश करते हैं। हालांकि, लगभग एक दशक बाद भी, ये प्रावधान और दिशा-निर्देश केवल काग़ज़ों पर हैं और भारत में न्याय प्रणाली विकलांग व्यक्तियों के लिए बड़े पैमाने पर सुलभ नहीं है और इनका कार्यान्वयन अभी भी अस्पष्ट है।

आंकड़े सामूहिक कार्रवाई के ज़रिए प्रणालीगत जवाबदेही के लिए बाध्य करने का आधार प्रदान करते हैं। मानवाधिकारों के क्षेत्र में, आंकड़े अहम साधन हैं। ये भेदभाव और हाशिए पर डाले जाने का आकलन, बाधाओं की पहचान और उन्हें दूर करने तथा विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए वास्तविक समानता को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण साधन हैं।[9] UNCRPD ऐसी पहली अंतरराष्ट्रीय कोशिश थी जिसने विकलांग व्यक्तियों के आंकड़े जुटाने, उसके वर्गीकरण और फिर इसके प्रचार-प्रसार की अनिवार्यता को सुनिश्चित किया, ताकि नीति निर्माण और निर्णयों में इसकी 'झलक' दिखाई दे।[10] हालांकि, यह प्रावधान भारत के 'विकलांगता अधिनियम' में प्रतिबिंबित नहीं होता है। इस लेख में 'विकलांगता अधिनियम' के तहत समावेश संबंधी नियमों, न्याय प्रणाली में आंकड़े जुटाने के अवसरों और उसके रखरखाव संबंधी कार्यों और समावेश के श्रेष्ठ तरीक़ों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

> विकलांग व्यक्तियों के लिए गए सकारात्मक उपायों के कार्यान्वयन पर नज़र रखने वाले आंकड़ों की कमी साबित करती है कि इन दिशा-निर्देशों को वास्तव में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किस हद तक लागू किया गया है।

शासन करने का प्रसिद्ध सिद्धांत है, 'जो मापा नहीं जा सकता, वह पूरा नहीं हो पाता।' आगे हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि न्याय के चार प्रमुख स्तंभों द्वारा विकलांग व्यक्तियों की न्याय तक पहुंच के लिहाज़ से बहुत कम चीज़ें मापी जा रही हैं।

डेटा कहाँ है?

शोध पद्धति

यह लेख स्वतंत्र अध्ययन के आधार पर लिखा गया है, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि विकलांग व्यक्तियों की न्याय तक पहुंच संबंधी आंकड़ों की उपलब्धता कितनी है। इस अध्ययन में मुख्य और सहायक दोनों शोध पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया और कुल 41 डेटा पॉइंट्स का मूल्यांकन इन चार श्रेणियों के आधार पर किया गया: मानव संसाधन, उपयोगकर्ता, सुगम्यता और चार स्तंभों (यानी पुलिस, जेल, न्यायपालिका, और क़ानूनी सहायता) द्वारा की गई व्यवस्थागत कार्रवाइयां। सहायक डेस्क रिसर्च के निष्कर्षों को सत्यापित करने के लिए अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों को सूचना का अधिकार (RTI) के तहत आवेदन भेजे गए। यह लेख

7 धारा 34, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016. इस लिंक पर उपलब्ध: https://disabilityaffairs.gov.in/content/page/acts
8 धारा 47, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016. इस लिंक पर उपलब्ध: https://disabilityaffairs.gov.in/content/page/acts
9 संयुक्त राष्ट्र महासभा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 31 के तहत स्टैटिस्टिक्स और डेटा संग्रह, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की रिपोर्ट। इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-06/G2139630-Accesible.pdf
10 संयुक्त राष्ट्र, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन, 2007, इस लिंक पर उपलब्ध: https://social.desa.un.org/issues/disability/crpd/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-articles

डेटा पॉइंट	डेटा सोर्स	डेटा/सोर्स की सीमा
मानसिक बीमारी से जूझ रहे क़ैदी	प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स ऑफ़ इंडिया	'विकलांगता अधिनियम' में सभी तरह की विकलांगता शामिल नहीं है।
जेलों में मनोचिकित्सक/ मनोवैज्ञानिक	प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स ऑफ़ इंडिया	
निचली अदालतों में विकलांग/विशेष रूप से सक्षम जज	डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस डैशबोर्ड *	असंगत और ग़लत आंकड़े
क़ानूनी सहायता प्राप्त करने वाले विकलांग लाभार्थी	NALSA वेबसाइट	

* https://dashboard.doj.gov.in/sanctiondata/working_strength

न्याय प्रणाली में विकलांग व्यक्तियों के समावेश से संबंधित अनिवार्य प्रावधानों और आंकड़ों पर केंद्रित सहायक डेस्क रिसर्च के निष्कर्षों पर आधारित है।

केवल चार डेटा पॉइंट्स से संबंधित व्यापक, सुसंगत और सार्वजनिक आंकड़े उपलब्ध थे, जिनमें से भी कुछ आंकड़े एक सीमा तक ही उपलब्ध थे। अन्य डेटा पॉइंट्स से संबंधित आंकड़े अनुपलब्ध या अपूर्ण या बिखरे हुए थे ।

पुलिस

पुलिस व्यवस्था में विकलांगता के प्रति संवेदनशीलता और जागरुकता की कमी है। इस वजह से पुलिस व्यवस्था विकलांग व्यक्तियों के लिए समुचित कार्रवाई नहीं कर पाती है। विकलांगता क़ानूनों के माध्यम से पुलिस व्यवस्था में विकलांग व्यक्तियों की न्याय तक पहुंच में कितनी वृद्धि हुई है, इसका आकलन करने के लिए भी विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विकलांग व्यक्तियों की न्याय तक पहुंच तभी संभव है, जब न्याय व्यवस्था में उनको शामिल करने का इरादा हो और समावेशी कार्यप्रणालियों का दस्तावे़ज़ीकरण भी हो। हालांकि, पुलिस व्यवस्था (अधिकतर मामलों में) दोनों मोर्चों पर विफल रहती है।

विकलांग व्यक्तियों के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों के अलग और संपूर्ण आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जाते, जबकि 'विकलांगता अधिनियम' की धारा 92 के मुताबिक विकलांग व्यक्तियों के ख़िलाफ़ किए गए विभिन्न अपराध दंडनीय हैं। 'भारतीय दंड संहिता' (IPC) की धारा 376(1) के तहत, NCRB मानसिक या शारीरिक विकलांग महिलाओं के ख़िलाफ़ बलात्कार/यौन शोषण के आंकड़े उपलब्ध कराता है। हालांकि, NCRB के इन आंकड़ों से विकलांगों के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। 'विकलांगता अधिनियम' की धारा 92 के तहत विकलांग व्यक्तियों के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों को दंडनीय बनाए जाने के कारण, ऐसे अपराधों के आंकड़े एक जगह पर जमा किए जा सकते हैं, जैसा 'SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम' जैसे विशेष क़ानूनों के तहत किया जाता है। 'दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2021' के मसौदे में भी विकलांगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के उपायों के रूप में विकलांगों द्वारा दायर मामलों के आंकड़े जमा करने और NCRB से विकलांगों से संबंधित आंकड़े अलग से प्रस्तुत करने की ज़रुरत बताई गई है।[11]

क़ानून लागू करने वाले कर्मचारियों से संपर्क करने वाले विकलांग व्यक्तियों को प्रभावी सहायता प्रदान करने के लिए ज़रूरी है कि इन कर्मियों को विकलांगता के प्रति संवेदनशील बनाया जाए और बेहतर ट्रेनिंग दी जाए। हालांकि, पुलिस द्वारा विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। MHA के दिशा-निर्देशों और 'विकलांगता अधिनियम' के प्रावधानों मुताबिक शिकायत दर्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को विकलांगता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।[12] विकलांगों के अधिकारों पर पुलिस प्रशिक्षण के छिटपुट आंकड़े उपलब्ध हैं।[13] आंकड़ों की यह कमी बताती है कि या तो विकलांगों के अधिकारों को लेकर पुलिस का प्रशिक्षण नहीं हो रहा है या फिर विकलांगों से संबधित आंकड़े एकत्र करने के तरीक़े उपयुक्त नहीं हैं। यह पुलिस प्रशिक्षण के असर पर भी सवाल खड़ा करता है। फिर भी, पुलिस की ओर से न्याय प्रणाली तक विकलागों की पहुंच बढ़ाने के लिए कुछ पहल की गई हैं।

'विकलांगता अधिनियम' की धारा 34(1) के उपखंड 2 के अनुसार, सरकार अपने सरकारी संस्थानों को उसके कार्य की प्रकृति को ध्यान

11 भारत सरकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा। इस लिंक पर उपलब्ध: https://socwelfare.py.gov.in/sites/default/files/ministry-social-justice-and-empowerment.pdf

12 गृह मंत्रालय, पुलिस स्टेशनों, जेलों और आपदा न्यूनीकरण केंद्रों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विशिष्ट निर्मित बुनियादी ढांचे और संबद्ध सेवाओं के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश, (गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश), खंड 8.5.1, इस लिंक पर उपलब्ध: https://divyangjan.depwd.gov.in/content/upload/uploadfiles/Annex_2.pdf

13 केरल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के 'नवीनतम अपडेट' हिस्से में जानकारी दी गई है कि 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम' का सत्र आयोजित किया गया था। हालांकि, उपस्थित लोगों की संख्या या आयोजित किए गए ऐसे सत्रों की संख्या के बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है।

में रखते हुए विकलांगों के लिए 4% आरक्षण के अनिवार्य प्रावधान का पालन करने से छूट दे सकती है। 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय' ने 'भारतीय पुलिस सेवा' [IPS] और 'भारतीय रेलवे सुरक्षा बल' [IRPF] में सभी पदों और दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली में पुलिस के सभी पदों पर इस प्रावधान के तहत छूट दी है।[14] इस प्रकार, 32 राज्यों की पुलिस को विकलांगों के लिए 4% आरक्षण के नियम के अनिवार्य पालन और राज्य पुलिस नियमावली के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की भर्ती में एकरूपता के निर्देश हैं। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से पता चलता है कि कि कुछ राज्यों[15] के पुलिस बल में विकलांग कर्मी हैं, हालांकि जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न होने से पुलिस बल में विभिन्न स्तरों पर विकलांग कर्मियों के पदों का विश्लेषण नहीं किया जा सका।

दिशा दिव्यांग सुरक्षा कार्यक्रम

विशाखापत्तनम सिटी पुलिस की 'दिशा दिव्यांग सुरक्षा' (DDS) पहल देखने और सुनने में अक्षम व्यक्तियों के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करना आसान बनाती है। पुलिस स्टेशनों में ब्रेल लिपि उपलब्ध होना इस योजना की प्रमुख विशेषता है। इससे दृष्टि बाधित व्यक्ति आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं जिसे एक्सपर्ट्स द्वारा ट्रांसक्राइब किया जाता है। इसके अतिरिक्त, दृष्टि बाधित व्यक्ति एक ख़ास मोबाइल नंबर पर मौखिक शिकायतें भी दर्ज करवा सकते हैं, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग को आधिकारिक लिखित FIR में बदला जाता है। जो व्यक्ति सुनने या बोलने में असमर्थ हैं, उनके लिए DDS संकेत भाषा (साइन लैंग्वेज) में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देता है। यह शिकायत वीडियो के ज़रिए या मुलाक़ात कर दर्ज कराई जा सकती है, जिसे प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा लिखित शिकायत में बदला जाता है।

पुलिस में विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के रास्ते में एक रुकावट सिस्टम के नज़रिए की भी है। 'सामाजिक न्याय मंत्रालय'[16] द्वारा मानक विकलांग व्यक्तियों के लिए जिन उपयुक्त पदों की पहचान की गई है उस सूची में पुलिस का एक भी पद शामिल नहीं है। हालांकि, पुलिस बल में कई ऐसे पद हैं जिन पर विशेष विकलांगताओं वाले व्यक्ति नियुक्त किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में IPS, IRPFS और DANIPS को विकलांग कोटे की भर्ती से दी गई छूट को चुनौती दी गई है। इस याचिका में पुलिस विभाग में 650 ऐसे पदों की पहचान की गई है, जहां विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है।[17] इसी तरह, नगालैंड ने कुछ पदों, जैसे 'डीएसपी', 'इंस्पेक्टर' और 'सब इंस्पेक्टर', की पहचान की है, जिन्हें एसिड अटैक सर्वाइवर और कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों (दोनों तरह की विकलांगताओं को 'विकलांगता अधिनियम' के तहत मान्यता प्राप्त है) के लिए उपयुक्त माना गया है। ऐसे उदाहरण पुलिस बलों में समावेशी भर्ती की संभावनाओं को उजागर करते हैं।

जेल

जेल व्यवस्था में विकलांग व्यक्तियों के लिहाज़ से अधिक जटिल समस्याएं हैं, जो उनको प्रतिनिधित्व के सवाल से ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जेल व्यवस्था मूल रूप से 'सज़ा देने' के उद्देश्य से बनाई गई है और यहां विकलांगता को एक कमज़ोरी के रूप में देखा जाता है। जेलों में कमज़ोरी के लिए कोई जगह नहीं होती क्योंकि क़ैदियों को ज़िंदा रहने की लड़ाई लड़नी होती है। जेल व्यवस्था से संबंधित विकलांगता के आंकड़े प्राप्त करना कठिन काम है, जहां यह उपलब्ध भी हैं, वहां विकलांग क़ैदियों की स्थितियों पर बहुत कम जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। यह जेल संरचना, कर्मचारियों के नज़रिए और डेटा संग्रह के अदृश्य अवसरों के कारण है।

'प्रिज़न स्टेटिस्टिक्स ऑफ़ इंडिया' के मुताबिक दिसंबर 2022 तक विभिन्न जेलों में मानसिक रूप से बीमार क़ैदियों की संख्या 9,084 थी।[18] यह संख्या 'विकलांगता अधिनियम' के तहत परिभाषित विभिन्न विकलांगताओं की श्रेणियों के आधार पर विकलांग क़ैदियों का समग्र विवरण नहीं देती है। 'जेल अधिनियम, 1894'[19], 'मॉडल जेल मैनुअल, 2016', और 'मॉडल प्रिज़न एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट, 2023'[20] के साथ-साथ 22 राज्यों[21] और 6 केंद्र शासित प्रदेशों[22] की जेल नियमावली, के अनुसार क़ैदियों के प्रवेश के समय उनके स्वास्थ्य की स्थिति का विवरण दर्ज करना अनिवार्य है। सामान्यतः, स्वास्थ्य की स्थिति में शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों शामिल होती है। हालांकि, इन नियमावलियों में 'स्वास्थ्य स्थिति' की स्पष्ट परिभाषा नहीं

14 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अधिसूचना, दिनांक 18 अगस्त 2021, इस लिंक पर उपलब्ध: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3e58aea67b01fa747687f038dfde066f6/uploads/2023/10/202310301405189578.pdf

15 पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, किश्तवाड़ (जम्मू और कश्मीर) और प्रथम बटालियन डीएपी, न्यू पुलिस लाइन, किंग्सवे कैंप (दिल्ली) के कार्यालय से प्राप्त आरटीआई जवाबों में बताया गया है कि उनके संबंधित बलों में क्रमशः तीन और पांच विकलांग पुलिस अधिकारी हैं।

16 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिनांक 04.01.2021 को अधिसूचित बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों की सूची। इस लिंक पर उपलब्ध: https://divyangjan.depwd.gov.in/content/upload/uploadfiles/files/224370.pdf

17 लाइव लॉ, 'सुप्रीम कोर्ट सीक्स डिटेल्स ऑफ़ एंट्री-लेवल पोस्ट्स, जॉब प्रोफ़ाइल्स, DANIPS, IRPFS, डिसेबल्ड पर्सन्स इन्क्लूसन। (29 मार्च, 2025)। इस लिंक पर उपलब्ध: https://divyangjan.depwd.gov.in/content/upload/uploadfiles/files/224370.pdf

18 प्रिज़न स्टेटिस्टिक्स इंडिया, 2022. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/psiyearwise2022/1701613297PSI2022ason01122023.pdf

19 धारा 24, प्रिज़न एक्ट, 1894. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/Prisons_act1894.pdf

20 धारा 21, मॉडल प्रिज़न एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट, 2023, इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-12/ModelPrisonsCorrectionalServicesAct_20122024.pdf

21 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।

22 चंडीगढ़, दमन और दीव एवं दादर और नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी।

दी गई है या विकलांगता से संबंधित जानकारी को स्वास्थ्य स्थिति के अंतर्गत दर्ज करने का निर्देश नहीं है।

जेलों में विकलांगता की परिभाषा

राज्य स्तर पर, जेल नियमावली में क़ैदियों की विकलांगता की स्थिति को स्वास्थ्य स्थिति, विकलांगता स्थिति और मानसिक बीमारी और पागलपन की स्थिति के रूप में दर्ज किया जाना अनिवार्य है। [गोवा, दिल्ली और उत्तराखंड के जेल नियमावली में विकलांग क़ैदियों के लिए एक अध्याय है] और इसके तहत मेडिकल अधिकारी से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे प्रवेश के समय क़ैदियों की विकलांगता की जांच करें और उनकी विकलांगता की स्थिति दर्ज करें। इस अध्याय में विकलांगता की परिभाषा केवल 4 विकलांगताओं (अंधापन, देखने की कम क्षमता, सुनने की कम क्षमता और चलने-फिरने की अक्षमता) तक सीमित है, जबकि 'विकलांगता अधिनियम' में 21 विकलांगताएं परिभाषित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 6 राज्य* और 1 केंद्र शासित प्रदेश** में मानसिक बीमार/पागल क़ैदियों के रिकॉर्ड दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार की छूट मानसिक बीमारी तक सीमित है और अन्य विकलांगताओं को दर्ज नहीं किया जाता। इसके अलावा, जेल प्रणाली उन क़ैदियों के आंकड़े नहीं रखती, जो जेल में प्रवेश के बाद विकलांग होते हैं। विकलांगता के साथ जेल में प्रवेश करने वाले और जो जेल में विकलांगता प्राप्त करते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े न होना जेल व्यवस्था में विकलांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाओं और ज़रूरतों के मूल्यांकन/ऑडिट को सीमित कर देती है।

* असम, हरियाणा, कर्नाटक, मेघालय, नगालैंड और ओडिशा।
** लद्दाख।

क़ैदियों पर डेटा की अनुपस्थिति उनकी सुलभता और सहायता संबंधी ज़रूरतों के मूल्यांकन को कठिन बना देती है। 'विकलांगता अधिनियम' के तहत जेल भवनों में रैंप और शौचालयों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर विकलांग क़ैदियों के लिए सुलभता सुनिश्चित की जा सकती है या क़ैदियों को व्हीलचेयर, स्ट्रेचर, कृत्रिम अंग, ऑर्थोटिक्स, और विशेष बिस्तरों जैसे सुलभ उपकरणों की समुचित सुविधाएं प्रदान कर ऐसा किया जा सकता है। मॉडल जेल मैनुअल[23] और 6 राज्यों[24] और 4 केंद्र शासित प्रदेशों[25] के जेल नियमावली/मैनुअल्स यह निर्दिष्ट करते हैं कि विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, ऑर्थोटिक्स जैसे कृत्रिम अंग, कांच की आंखें, बैसाखी, ट्रस और अन्य सहायक उपकरण प्रदान किए जाएं। इसके अलावा, 6 राज्य[26] और 2[27] केंद्र शासित प्रदेश यह निर्देश देते हैं कि विकलांग क़ैदियों को विशेष बिस्तर प्रदान किए जाएं।

मानव संसाधनों के रूप में चिकित्सा सहायता जेल में विकलांग व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुर्भाग्यवश, जेल प्रणाली पर्याप्त स्टाफ़ की कमी से जूझ रही है, जबकि यह क़ैदियों की ज़रूरतों को समझने और उनको पूरा करने के लिए आवश्यक है। क़ैदियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं आम हैं और इसमें से ज़्यादातर समस्याएं जेल में रहने के कारण उत्पन्न होती हैं। NCRB जेलों में मनोवैज्ञानिकों और मानसिक रोग विशेषज्ञों के आंकड़े उपलब्ध कराता है। हालांकि, अन्य प्रकार की शारीरिक अक्षमता वाले क़ैदियों को उनकी ख़ास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त विशेषज्ञ कर्मचारियों या विकलांगता के प्रति संवेदनशील कर्मचारियों की ज़रूरत हो सकती है। MHA के दिशा-निर्देशों के मुताबिक जेलों में विकलांगता के समावेशन के लिए निर्दिष्ट अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए[28] ; हालांकि, भारत में किसी भी जेल में ऐसा किया जाने से संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

जेल के कार्यक्रम, जैसे कि मनोरंजन और पुनर्वास से संबंधित क्रियाकलाप, क़ैदियों को व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सुविधाओं और कार्यक्रमों का ज़रूरी हिस्सा हैं। 10 राज्यों[29] और 5 केंद्र शासित प्रदेशों[30] की जेल नियमावली में विकलांग व्यक्तियों के लिए किसी-न-किसी प्रकार के देखभाल या प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रावधान हैं। 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश[31] ने अपनी जेल नियमावली में विशेष रूप से बौद्धिक और विकासात्मक तौर पर विकलांग क़ैदियों की रिहाई के बाद आजीविका के स्थाई अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने के प्रावधान हैं। जेलों के भीतर मनोरंजन की सुविधाएं क़ैदियों को मानसिक तनाव दूर करने के लिए शरीर को सेहतमंद रखने और सामाजिक संपर्क बनाने का मौक़ा देती हैं।[32] गृह मंत्रालय के सुगम्यता संबंधी दिशानिर्देश की धारा 8.6.6. में जेलों को दृष्टि बाधित लोगों के लिए सुगम पठन सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

23 मॉडल जेल मैनुअल, 2016, नियमावली 4.07.4 (बी)। इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-12/PrisonManualA2016_20122024.pdf
24 गोवा, मिज़ोरम, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरान उत्तराखंड।
25 दमन और दीव एवं दादर और नगर हवेली, दिल्ली, लद्दाख, और पुडुचेरी।
26 आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तराखंड।
27 दमन और दीव एवं दादर और नगर हवेली, दिल्ली।
28 गृह मंत्रालय, पुलिस स्टेशनों, जेलों और आपदा न्यूनीकरण केंद्रों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विशिष्ट निर्मित बुनियादी ढांचे और संबद्ध सेवाओं के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश, (गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश), खंड 8.5.1, इस लिंक पर उपलब्ध: https://divyangjan.depwd.gov.in/content/upload/uploadfiles/Annex_2.pdf
29 बिहार, गोवा और हरियाणा, कर्नाटक, मिज़ोरम, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड।
30 दमन और दीव एवं दादर और नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी।
31 दिल्ली, गोवा और उत्तराखंड।
32 उदहारण के लिए। देखें: https://prisons.tn.gov.in/amenities.htm#:~:text=Recreation%20%3A,and%20badminton%2C%20tennicoit%2C%20music.

समावेशी जेल नियमावली

दिल्ली, गोवा और उत्तराखंड की जेल नियमावली में विकलांग क़ैदियों के लिए एक अलग अध्याय है। क़ैदियों की विकलांगता की स्थिति को दर्ज करने के अलावा, इन राज्यों की जेल नियमावली में विकलांग क़ैदियों को अधिक समावेशी सुविधाएं उपलब्ध कराने की रूपरेखा भी तैयार की गई है; जैसे, हालांकि गृह मंत्रालय के 'सुगम्यता संबंधी दिशानिर्देश'* और 'जेल अधिकारियों के बुनियादी पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण नियमावली, 2017' में विकलांग क़ैदियों से जुड़े कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने और सांकेतिक भाषा एवं ब्रेल में प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैनात करने की सिफ़ारिश की गई है, लेकिन केवल तीन राज्यों ने ही इन्हें अपने-अपने मैनुअल में विशेष रूप से इसे शामिल किया है। चिकित्सा और पुनर्वास सुविधाओं के अलावा, गोवा, दिल्ली और उत्तराखंड की जेल नियमावली के मुताबिक विकलांगों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा, खेल और मनोरंजन गतिविधियों से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य हैं और इनमें उन्हें जेल पुस्तकालयों में दी जाने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराने का विशेष उल्लेख है। अन्य राज्यों के जेल नियम या तो पुराने हो चुके हैं या संशोधित संस्करणों में विकलांगों के समावेशन पर विचार नहीं किया गया है। 'विकलांगता अधिनियम' और 'गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों' द्वारा प्रदान सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा जेल नियमावालियों को संशोधित करना या बदलना ज़रूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जेलों के अंदर सबसे कमज़ोर लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रखा जाए।

* सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (2021), गृह मंत्रालय के सुगम्यता संबंधी दिशानिर्देश, सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) 2021 के तहत पुलिस स्टेशन, जेल और आपदा न्यूनीकरण केंद्रों के लिए विशिष्ट निर्मित अवसंरचना और संबद्ध सेवाएं। खंड 8.5.13.

न्यायपालिका

न्याय व्यवस्था के अन्य स्तंभों की तुलना में, न्यायपालिका ने विकलांग व्यक्तियों की न्याय तक पहुंच को बेहतर करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 'सुगम्यता रिपोर्ट'[33] प्रकाशित की, जिसमें विकलांग व्यक्तियों जैसे कमज़ोर समूहों के सामने न्याय पाने की राह में आने वाली चुनौतियों और न्यायालय की भौतिक और कार्यात्मक पहुंच को बेहतर बनाने के सुझावों को रेखांकित किया गया है। अलग-अलग हाई कोर्ट्स ने भी विकलांगों की न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए स्वतंत्र रूप से या सुप्रीम कोर्ट की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रयास किए हैं।

इन पहलक़दमियों के बावजूद, विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध

सुगम्यता समितियां

विकलांग शिकायतकर्ताओं और वकीलों के लिए सुगम्यता बढ़ाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने 'सुलभ न्यायालय दस्तावेज़ तैयार करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया' [SOP] प्रकाशित की है। इसमें हाई कोर्ट्स और ज़िला न्यायालयों से आग्रह किया गया कि वे सुगम्यता से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए ऐसी 'सुगम्यता समितियों' का गठन करे जो 'लगातार संस्थागत रूप से ध्यान रखने' का कार्य करें। SOP में सिफ़ारिश की गई है कि सुगम्यता समितियां न्यायालय की वेबसाइट्स पर अपने सदस्यों और उनके संपर्क संबंधी विवरण प्रकाशित करें। इसके साथ सुलभ फ़ाइलिंग, उचित सुविधाओं संबंधी अनुरोधों और जिन अनुरोधों का निपटारा हो गया है, उनके तिमाही आंकड़े जारी करने की भी सिफ़ारिश की गई है। 30 जून 2024 तक, देश के 17 हाई कोर्ट्स ने सुगम्यता समितियों का गठन कर लिया है।

सुगम्यता समितियों संबंधी जानकारी प्रकाशित करने वाले हाई कोर्ट्स — **14 हाई कोर्ट्स**

चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर

कमिटी सदस्यों का विवरण प्रकाशित करने वाले हाई कोर्ट्स — **12 हाई कोर्ट्स**

चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर

कमिटी का संपर्क विवरण प्रकाशित करने वाले हाई कोर्ट्स — **8 हाई कोर्ट्स**

चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश

तिमाही आंकड़े प्रकाशित करने वाले हाई कोर्ट्स — **1 हाई कोर्ट**

दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर प्री पेयरिंग एक्सेसिबल कोर्ट डाक्यूमेंट्स (एसओपी), 2023. इस लिंक पर उपलब्ध: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ec059e740b84bb48a64dde2506156629/uploads/2024/04/2024041956.pdf

सुविधाओं पर नज़र रखने के लिए न्यायपालिका में कोई व्यवस्थित तरीक़ा नहीं है। हालांकि यह विकलांग व्यक्तियों से जुड़े मामलों की बड़ी संख्या में सुनवाई करता है, लेकिन इन मामलों का दस्तावेज़ीकरण नहीं

33 कमिटी ऑन एक्सेसिबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, कोर्ट फॉर आल: पेविंग द वे फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर पर्सन्स विद डिसैबिलिटीज, वीमन & सीनियर सिटीज़न्स, 2023. इस लिंक पर उपलब्ध: https://main.sci.gov.in/pdf/LU/06112023_140650.pdf

किया जा रहा है। नेशनल जुडिशियल ग्रिड पर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दायर मामलों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं,[34] लेकिन विकलांग व्यक्तियों से जुड़ा ऐसा कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। विकलांग व्यक्तियों की स्थिति पर नज़र रखने से न्यायिक प्रणाली उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होगी, जैसे कि विकलांगों को ज़रुरी और उचित सुविधाएं प्रदान करना।

न्यायालयों का दायित्व है कि वे अपने परिसर को विकलांग उपयोगकर्ताओं, जिसमें वादी, वकील और जज शामिल हैं, के अनुकूल बनाएं। 'विकलांगता अधिनियम' और इसकी नियमावली के तहत अनिवार्य किए जाने के अलावा, अधिनियम की धारा 12 में यह भी अनिवार्य किया गया है कि विकलांग व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के न्यायालयों तक पहुंचने का अधिकार है। 'न्यायपालिका की स्थिति' रिपोर्ट में उल्लेख है कि हाई कोर्ट्स ने अपने परिसरों को विकलांग अनुकूल[35] बनाने की कोशिश की है, लेकिन इससे जुड़ा कोई आंकड़ा प्रकाशित नहीं किया गया है। विभिन्न उच्च न्यायालयों में रैंप की मौजूदगी के बारे में अलग-अलग जानकारी जजों के प्रोफ़ाइल (मणिपुर उच्च न्यायालय)[36] और हाई कोर्ट्स की वार्षिक रिपोर्ट जैसे स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। केरल हाई कोर्ट देश का एकमात्र ऐसा हाई कोर्ट है जो अपने परिसर में उपलब्ध रैंप, लिफ्ट और विकलागों के अनुकूल शौचालयों की संख्या की जानकारी देता है।

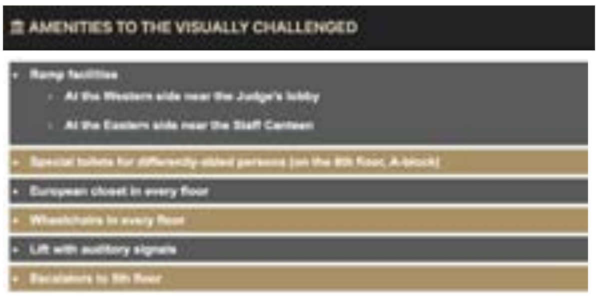

केरल हाई कोर्ट की वेबसाइट पर पहुंच का सेक्शन

जबकि सुगम्यता संबंधी उपाय विकलांग व्यक्तियों के समूह के लिए हैं, समुचित सुविधाएं व्यक्तिगत स्तर पर न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करती हैं।* समुचित सुविधाओं में व्हीलचेयर, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स या व्यक्तिगत रूप से मांगी गई कोई सुविधा शामिल हो सकती है जो समानता या ग़ैर-भेदभाव सुनुश्चित करते हैं।

* विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, अनुच्छेद 9 पर सामान्य टिप्पणी संख्या 2 (2014): सुगम्यता (संयुक्त राष्ट्र, 2014)। इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.ohchr.org/en/.

उच्च न्यायालयों (आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को छोड़कर सभी हाई कोर्ट्स) ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमावली में एक प्रावधान यह किया है कि यदि व्यक्ति बोलने/सुनने में सक्षम नहीं है तो उसे साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट उपलब्ध कराया जाएगा। 'सुप्रीम कोर्ट सोशल जस्टिस कमिटी रिपोर्ट, 2022' के मुताबिक देश की किसी भी अदालत में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर नहीं है।[37] तब से लेकर अब तक ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की नियुक्ति की गई है, लेकिन इसके लिए किए गए अनुरोधों से संबंधित कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। यह आंकड़ा इकट्ठा करने से विकलांग व्यक्तियों को अदालतों में प्रभावी संवाद से जुड़ी आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

हाई कोर्ट्स में सराहनीय पहल

विकलांग व्यक्तियों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देना	मणिपुर हाई कोर्ट* पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट
विकलांगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में सार्वजनिक जानकारी	केरल हाई कोर्ट**
विकलांग अधिवक्ताओं द्वारा सुगम्यता सुविधाओं का अनुरोध करने हेतु सुलभ ऑनलाइन फ़ॉर्म	इलाहाबाद हाई कोर्ट***

* मणिपुर उच्च न्यायालय, लिस्टिंग नोटिस, 6 मई, 2019. इस लिंक पर उपलब्ध: https://hcmimphal.nic.in/Documents/Listing%20Notice060519.pdf

** पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, नोटिस, दिनांक 19.04.2024, इस लिंक पर उपलब्ध: https://highcourtchd.gov.in/sub_pages/left_menu/publish/announce/announce_pdf/disab_notc_19042024_3a820.pdf

*** इलाहाबाद हाई कोर्ट. एक्सेसिबिलिटी. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www2.allahabadhighcourt.in/accessibility/

न्यायपालिका में विकलांग व्यक्तियों से संबंधित आंकड़ों की कमी का एक उदाहरण यह है कि न्यायिक पदों पर आसीन विकलांग व्यक्तियों से जुड़ा आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि हाई कोर्ट्स के जजों में विकलांग जजों की संख्या कितनी है। सिर्फ़ सर्वोच्च न्यायालय के एक पदोन्नति आदेश[38] से यह जानकारी मिलती है कि गुजरात हाई कोर्ट में कम-से-कम एक जज इस श्रेणी से हैं। अधीनस्थ न्यायपालिका एक अलग तस्वीर पेश करती है। न्यायपालिका की कार्य शक्ति से संबंधित न्याय विभाग का डैशबोर्ड[39] विशेष रूप से सक्षम न्यायिक अधिकारियों का राज्यवार ब्योरा प्रदान करता है। हालांकि इन आंकड़ों में कई विसंगतियां हैं, जैसा कि IJR 3 में बताया गया है। इस

34 https://njdg.ecourts.gov.in/hcnjdgnew/?p=main/index&state_code=9~13
35 सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया। द स्टेट ऑफ़ द जुडिशरी रिपोर्ट, 2023, इस लिंक पर उपलब्ध: https://main.sci.gov.in/pdf/CRP/12012024_112431.pdf
36 मणिपुर हाई कोर्ट, चीफ़ जस्टिस का प्रोफ़ाइल, इस लिंक पर उपलब्ध: https://hcmimphal.nic.in/CJ%20Profile.html
37 सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, रिपोर्ट ऑफ़ द सब-कमिटी ऑन रेकमेंडेड एक्शन फॉर मार्जिनलिज़्ड सेक्शन्स ऑफ़ द सोसाइटी, 2022. इस लिंक पर उपलब्ध: https://districts.ecourts.gov.in/sites/default/files/Social_Justice_Committee_Report.pdf
38 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 02 मार्च, 2023 का संकल्प, गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में। इस लिंक पर उपलब्ध: https://main.sci.gov.in/pdf/Collegium/02032023_132119.pdf

विशेष अदालतें

'विकलांगता अधिनियम' के तहत त्वरित सुनवाई के लिए प्रत्येक ज़िले में निर्दिष्ट विशेष न्यायालयों का भी प्रावधान है।* राज्य सरकार ऐसे कोर्ट्स द्वारा की जाने वाली सुनवाई के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति भी कर सकती है।** अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में विशेष अदालतें नहीं हैं और इस कारण विशेष लोक अभियोजक भी नहीं हैं।*** 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अदालतों के गठन के बावजूद, इन अदालतों के कामकाज से संबंधित कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। जैसे, दर्ज मामलों की संख्या, किए गए अपराध की श्रेणी और निपटाए गए मामलों की संख्या। POCSO मामलों**** के आंकड़े फास्ट ट्रैक स्पेशल केस डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराए जाने से जवाबदेही बढ़ती है और विशेष अदालतों के प्रदर्शन का राज्यवार मूल्यांकन संभव हो पाता है।

* धारा 84, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016. इस लिंक पर उपलब्ध: https://disabilityaffairs.gov.in/content/page/acts

** धारा 85(1), दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016. इस लिंक पर उपलब्ध: https://disabilityaffairs.gov.in/content/page/acts

*** भारत का सर्वोच्च न्यायालय, डब्ल्यूपीसी संख्या 29329/2021: सीमा गिरिजा लाल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.livelaw.in/pdf_upload/2932920212024-04-22-535740.pdf

**** https://doj.gov.in/fast-track-special-court-ftscs/

बात का ब्योरा भी नहीं मिलता कि जजों में किस प्रकार की विकलांगता है। संसद में हाल ही में पूछे गए सवाल से मिले जवाब से पता चलता है कि देश भर में निचली अदालतों में 136 'विशेष रूप से सक्षम' जज हैं।[40] हालांकि, आंकड़े जमा करने का काम पहले से हो रहा है, इसलिए अगला क़दम इस जानकारी के सटीक प्रकाशन की होनी चाहिए।

फिर भी, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका को अधिक समावेशी बनाने के लिए विधायी और प्रशासकीय प्रयास किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कुछ श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों को जज और मजिस्ट्रेट के पदों पर नियुक्त किए जाने के योग्य माना है; जैसे कि दृष्टि बाधा, आर्थोपेडिक विकलांगता, विशिष्ट तरीक़े से सीखने की विकलांगता और अन्य इनमें से एक से ज़्यादा विकलांगताएं होना। हालांकि, इसमें मानक विकलांगता की कुछ श्रेणियां शामिल नहीं हैं जिनके लिए 'विकलांगता अधिनियम' की धारा 34 के तहत आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है, जैसे सुनने में कम सक्षम व्यक्ति, मस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी), एसिड अटैक पीड़ित आदि।

अरुणाचल प्रदेश[41], गोवा[42], महाराष्ट्र, मिज़ोरम[43] और सिक्किम की 'न्यायिक सेवा नियमावली' में विकलांग व्यक्तियों के लिए किसी आरक्षण का उल्लेख नहीं है। कुछ राज्य केवल आर्थोपेडिक विकलांगों[44] को आरक्षण प्रदान करते हैं, जबकि कुछ अन्य राज्य चलने-फिरने में अक्षम व्यक्तियों के साथ-साथ दृष्टि बाधित और सुनने में अक्षम विकलांग व्यक्तियों को भी आरक्षण प्रदान करते हैं।

विकलांग वादियों की ज़रूरतों को बेहतर तरीक़े से समझने के लिए, न्यायाधीशों को व्यापक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें ज़्यादा संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। इस ज़रुरत को स्वीकार करते हुए, 'विकलांगता अधिनियम' की धारा 47(1) के तहत सरकार के लिए न्यायाधीशों के साथ-साथ अन्य सरकारी अधिकारियों को विकलांगता अधिकारों पर प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। 'राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी' हाई कोर्ट्स के जजों को वाणिज्यिक क़ानून, आतंकवाद विरोधी क़ानून आदि जैसे विभिन्न विषयों पर नियमित प्रशिक्षण देती है और उनके लिए कार्यशालाएं आयोजित करती है, लेकिन इसने अब तक 'विकलांगता अधिनियम' और विकलांगता संबंधी व्यापक विषयों पर संवेदनशील बनाने के लिए कोई कार्यशाला आयोजित नहीं की है।[46] न्यायाधीशों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना ज़रूरी है ताकि न्यायिक प्रणाली के भीतर विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उन्हें तैयार किया जा सके।

क़ानूनी सहायता

'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987'[47] के तहत विकलांग व्यक्ति मुफ्त क़ानूनी सेवाएं पाने के योग्य हैं। नतीजतन, विकलांग व्यक्ति बड़ी संख्या में क़ानूनी सहायता क्लीनिकों से संपर्क करते हैं। इस अधिनियम के तहत NALSA को समय-समय पर क़ानूनी सहायता योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने की ज़िम्मेदारी भी दी गई है।[48] इसका अनुपालन करते हए, NALSA स्टैटिस्टिकल स्नैपशॉट[49], वार्षिक रिपोर्ट[50] और लाभार्थियों[51] से संबंधित त्रैमासिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिनमें क़ानूनी सहायता योजना के विकलांग

39 https://dashboard.doj.gov.in/sanctiondata/working_strength
40 20 मार्च, 2025 को लोक सभा में पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 2354, इस लिंक पर उपलब्ध: https://sansad.in/getFile/annex/267/AU2354_GpF5iE.pdf?source=pqars
41 अरुणाचल प्रदेश सरकार, अरुणाचल प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 2006. इस लिंक पर उपलब्ध: https://ghcitanagar.gov.in/Rules/Subordinatecourt/APJudlSRules.pdf
42 गोवा सरकार, गोवा न्यायिक सेवा नियमावली, 2013. इस लिंक पर उपलब्ध: https://hcbombayatgoa.nic.in/download/The_Goa_Judicial_Service_Rules_2013.pdf
43 मिज़ोरम सरकार, मिज़ोरम न्यायिक सेवा नियमावली, 2006. इस लिंक पर उपलब्ध: https://mpsc.mizoram.gov.in/uploads/files/mjs-rules.pdf
44 बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश।
45 हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश।
46 https://nja.gov.in/concluded_programmes.html
47 धारा 12, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, इस लिंक पर उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/acts-rules/the-legal-services-authorities-act-1987
48 धारा 4(i), विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, इस लिंक पर उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/acts-rules/the-legal-services-authorities-act-1987
49 नालसा, स्टैटिस्टिकल इनफार्मेशन, इस लिंक पर उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/library/statistical-snapshot
50 नालसा, एनुअल रिपोर्ट, इस लिंक पर उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/library/annual-reports
51 NALSA, क़ानूनी सेवा लाभार्थियों के बारे में सांख्यिकीय जानकारी, अप्रैल 2024 से जून 2024 तक। इस लिंक पर उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/statistics/legal-service-beneficiaries-report/legal-service-beneficiaries-april-2024-to-june-2024

लाभार्थियों की संख्या उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, दिल्ली[52] और राजस्थान[53] सहित कुछ राज्य क़ानूनी सेवा प्राधिकरण भी अपनी वेबसाइट्स पर ऐसे आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच 11,591 विकलांग व्यक्तियों ने क़ानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए संपर्क किया।[54] हालांकि, क़ानूनी सहायता प्रणाली के अन्य पहलुओं से संबंधित संयुक्त आंकड़े उपलब्ध नहीं होने से यह आकलन करना मुश्किल हो जाता है कि यह प्रणाली बड़ी संख्या में क़ानूनी सहायता की मांग करने वाले विकलांग व्यक्तियों की सहायता करने में सक्षम है या नहीं। जैसे, यह मालूम नहीं है कि क़ानूनी सहायता क्लीनिक और डीएलएसए कार्यालय में रैम्प, लिफ्ट, विकलांगों के अनुकूल शौचालय और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स जैसी समुचित सुविधाओं उपलब्ध हैं या नहीं।

'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लीनिक) विनियम', 2011 की धारा 10(6) के तहत, पैरालीगल वॉलनटियर्स (PLVs) को लाभार्थियों के लिए 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' के प्रावधानों के अनुसार जागरुकता शिविर आयोजित करना अनिवार्य है। इसके अलावा, 'नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए क़ानूनी सेवाएं) योजना, 2015'[55] और 'विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए क़ानूनी सेवाएं योजना, 2021'[56] के तहत भी लाभार्थियों को योजनाओं के बारे में जागरूक करने के प्रावधान हैं। कुछ SLSAs, जैसे छत्तीसगढ़ स्थित SLSAs, यह आंकड़ा उपलब्ध कराते हैं कि उन्होंने अपने संपर्क कार्यक्रमों[57] के ज़रिए कितने विकलांग लाभार्थियों की सहायता की। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर लाभार्थियों का राज्यवार विवरण इन पहलक़दमियों के प्रभाव का आकलन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने की क्षमता में पर्याप्त बढ़ोतरी करेगा।

विकलांग व्यक्तियों के साथ उचित और संवेदनशील व्यवहार के लिए PLVs, पैनल लॉयर्स और विकलांग व्यक्तियों के लिए स्टाफ़ के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम ज़रूरी हैं। 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम क़ानूनी सेवाएं) विनियम, 2010' और 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (क़ानूनी सेवा क्लिनिक) विनियम, 2011' के तहत वकील और PLVs का व्यापक प्रशिक्षण अनिवार्य है, लेकिन विकलांग-केंद्रित प्रशिक्षण की कोई विशेष मांग नहीं की जाती है। 'विकलांगता अधिनियम' लागू होने के लगभग एक दशक बाद, 'सुप्रीम कोर्ट की सुगम्यता रिपोर्ट' ने भी विकलांग व्यक्तियों की ज़रूरतों को प्रभावी तरीक़े से पूरा करने और उनकी सहायता करने के लिए विधिक सेवा समिति के कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण की ज़रूरत को रेखांकित किया है। यह देखते हुए कि PLVs और वकील बड़ी संख्या में विकलांग लाभार्थियों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, विकलांग लाभार्थियों की ख़ास ज़रूरतों के प्रति उनको जागरूक और संवेदनशील बनाना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

'राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ' मामले के निर्णय के आधार पर तैयार की गई संशोधित नियमावली से सार्वजनिक स्थानों को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ और सुगम्य बनाने की दिशा में एक नए युग की शुरुआत की उम्मीद है। फिर भी, विकलांग व्यक्तियों से संबंधित न्याय प्रणाली के विभिन्न घटकों के बारे में आंकड़ों की लगातार कमी रहती है। इसलिए बेहतर आंकड़ा संग्रह कर इन्हें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया जाए ताकि 'विकलांगता अधिनियम' और UNCRPD के प्रावधानों के अनुपालन के बारे में जानकारी दी जा सके।

न्यायपालिका, पुलिस, जेल और क़ानूनी प्रणालियों में विकलांगता संबंधी आंकड़ों का सार्वजनिक होना ज़रूरी है। ये आंकड़े इन सभी संस्थानों में विकलांगों के लिए ढांचागत सुगमता, उनकी भागीदारी द्वारा प्रतिनिधित्व तय करने, उनकी ज़रूरतों को शामिल करने और विकलांगता के प्रति जागरुकता फैलाने जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित होने चाहिए। इन पहलों से ही विकलांग व्यक्तियों को न्याय तक पहुंच संबंधी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करने और भविष्य की प्रगति को मापने के लिए मापदंडों को तैयार करने में मदद करेगी।

लेखक:
निवेदिता कृष्णा - फाउंडर डायरेक्टर, पैक्टा
कृतिका सांबासिवन - लीड- विकलांगता अनुसंधान, पैक्टा
अनघा शशिधरन - सीनियर एसोसिएट- क़ानून और नीति, पैक्टा
दिशारी चक्रवर्ती - (पूर्व) सीनियर एसोसिएट- क़ानून और नीति, पैक्टा
गीतांजलि बिष्ट - (पूर्व) सीनियर एसोसिएट - क़ानून और नीति, पैक्टा

पैक्टा बेंगलुरु स्थित लॉ फर्म और थिंक टैंक है, जो क़ानूनों और नीतियों के इरादों और उनके कार्यान्वयन के बीच के अंतर को पाटकर असमानताओं को कम करने के लिए समर्पित है।
वेबसाइट: https://www.pacta.in/

53 राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण. आंकड़े। इस लिंक पर उपलब्ध: https://rlsa.gov.in/legal-aid.html
54 https://nalsa.gov.in/statistics/legal-service-beneficiaries-report/legal-service-beneficiaries-april-2023-to-march-2024
55 NALSA, मानसिक बीमारी और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए क़ानूनी सेवाएं योजना, 2015. इस लिंक पर उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/acts-rules/preventive-strategic-legal-services-schemes/nalsa-legal-services-to-the-mentally-ill-and-mentally-disabled-persons-scheme-2015
56 NALSA, विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए क़ानूनी सेवाएं योजना, 2021. इस लिंक पर उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/acts-rules/preventive-strategic-legal-services-schemes/legal-services-for-differently-abled-children-scheme-2021
57 छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, CGSLSA, मई 2024 मासिक गतिविधि रिपोर्ट, 2024. इस लिंक पर उपलब्ध: https://cgslsa.gov.in/Statistical_Information/CGSLSA%20May-2024%20MONTHLY%20ACTIVITY%20REPORT.pdf

अध्याय 8

नए आपराधिक क़ानूनों का क्षमता पर असर

1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPc) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA) को बदलकर क्रमशः भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) को लागू किया गया। नए क़ानूनों में पुराने क़ानूनों का अहम हिस्सा रखते हुए कुछ नए प्रावधानों को पेश किया गया है। ये कुछ मुख्य बदलाव हैं, जिनका आपराधिक न्याय व्यवस्था की क्षमता पर असर पड़ सकता है।

जेल

सज़ा: BNS में 13 नए अपराधों को शामिल किया गया है। इसमें 33 अपराधों के लिए सज़ा को बढ़ाया गया है और 13 अपराधों में दोगुनी या उससे अधिक सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, 23 अपराधों के लिए न्यूनतम सज़ा अनिवार्य की गई है। इन सभी बदलावों का सीधा प्रभाव जेलों की क्षमता पर पड़ेगा।

विचाराधीन क़ैदियों की हिरासत का अधिकतम समय: CrPC की धारा 436A के तहत विचाराधीन क़ैदियों को अपने आरोपों की अधिकतम सज़ा का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लेने पर ज़मानत पर रिहा होने का अधिकार था। इस ज़मानत के अधिकारी वे विचाराधीन क़ैदी नहीं थे, जिन पर मृत्युदंड की सज़ा वाली धाराओं में आरोप थे। अब BNSS की धारा 479 के तहत आजीवन कारावास वाले अपराधों को भी ज़मानत नहीं मिल सकेगी। इससे ज़मानत की छूट न ले पाने वाले अपराधों की संख्या 12 से बढ़कर 78 हो गई है।

पहली बार अपराध करने वाले: BNSS की धारा 479 के तहत पहली बार अपराध करने वालों के लिए यह प्रावधान है कि अपराध की अधिकतम सज़ा का एक-तिहाई समय जेल में बिताने पर उन्हें ज़मानत दी जा सकती है। हालांकि, यदि एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ एक से अधिक अपराधों की जांच, पूछताछ या मुक़दमे लंबित हैं, तो उसे ऐसे ज़मानत लेने का अधिकार नहीं होगा।

अपराध स्वीकार करना: भारत में अपराध स्वीकार करने (प्ली बार्गेनिंग) की शुरुआत 2006 में हुई। इसमें विशेष परिस्थितियों में आरोपी के अपराध स्वीकार करने पर उसके आरोप कम किए जाते हैं या सज़ा कम की जाती है। पहली बार अपराध करने वालों के लिए अपराध स्वीकार करने की स्थिति में न्यूनतम सज़ा निर्धारित करते समय अदालत न्यूनतम सज़ा का एक चौथाई हिस्सा लागू कर सकती है। पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता में यह आधी सज़ा के बराबर था। जिन मामलों में सज़ा बढ़ाई जा सकती है और कोई न्यूनतम सज़ा निर्धारित नहीं है, वहां सज़ा का छठा हिस्सा लागू किया जा सकता है। यह पहले एक चौथाई था।

कम्युनिटी सर्विस: कम्युनिटी सर्विस या समाज सेवा को पहली बार 6 मामूली अपराधों के लिए सज़ा के रूप में पेश किया गया है।

पुलिस

जांच में तकनीक और फॉरेंसिक का उपयोग: BNSS के तहत पुलिस द्वारा तलाशी और ज़ब्ती अभियानों का ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी किया है। सात साल या उससे अधिक सज़ा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक सबूत जमा करने और उनके वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी कर दिया गया है।

न्यायपालिका

शीघ्र निपटारे की ओर: BNSS में जांच और मुक़दमे के विभिन्न चरणों के लिए समयसीमा तय की गई है। इसके मुताबिक अदालतें मुक़दमे के दौरान दो से ज़्यादा बार स्थगन के आदेश नहीं दे सकतीं, भले ही परिस्थितियां पक्षों के नियंत्रण से बाहर हों।

महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ अपराध: इस प्रकार के अपराधों की जांच FIR दर्ज होने की तारीख से 60 दिनों में पूरी होनी चाहिए और आरोपपत्र दाख़िल करने के 60 दिनों के भीतर मुक़दमा पूरा करना चाहिए।

तकनीकी उपाय: अब समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जा सकते हैं, और सभी मुक़दमे और जांच भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी की जा सकती हैं।

प्रॉसिक्यूशन निदेशालय: BNSS राज्य सरकारों को राज्य स्तर के अलावा ज़िला स्तर पर भी प्रॉसिक्यूशन निदेशालय स्थापित करने की अनुमति देता है।

जांच और मुक़दमे की समयसीमा

पुलिस

- **प्रारंभिक जांच:** 14 दिनों में पूरी होनी चाहिए
- **पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ों की प्रतियां पीड़ित और आरोपी को देना:** 14 दिनों के भीतर
- **पीड़ित को जांच की स्थिति के बारे में सूचित करना:** 90 दिन

न्यायपालिका

- **आरोप तय करना:** पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर
- **डिस्चार्ज आवेदन दाख़िल करना:** दस्तावेज़ों की प्रतियों की आपूर्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर
- **मुक़दमे के लिए मामले का निर्णय लेना:** साक्ष्य लेने की तारीख से 90 दिन के भीतर
- **निर्णय सुनाना:** बहस समाप्त होने के 30-45 दिनों के भीतर

सुझाव

1. सभी पुलिस स्टेशनों और अदालतों में **24*7 क़ानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व** मिलना सुनिश्चित किया जाए और समुदायों में **पैरालीगल वॉलनटियर्स की उपस्थिति** बढ़ाई जाए।

2. सुप्रीम कोर्ट का 'परमवीर सिंह सैनी' केस में दिया फ़ैसला पूरी तरह से लागू हो, जिसमें हर **पुलिस स्टेशन में समुचित CCTV कैमरे** लगाने का आदेश दिया गया है, ताकि पुलिसकर्मियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगे।

3. **ख़ाली पदों** को तत्काल भरा जाए।

4. न्याय व्यवस्था के शुरुआती कर्मचारियों के स्तर पर **संसाधन बढ़ाए जाएं।**

5. न्याय व्यवस्था के सभी स्तंभों में **जाति, लैंगिक और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व से विविधता** बढ़ाएं।

6. प्रशिक्षण को महत्ता दी जाए। सभी **प्रशिक्षण संस्थानों में वित्तीय और मानव संसाधनों** को प्राथमिकता दी जाए।

7. **सभी श्रेणियों के क़ैदियों** की रिहाई के लिए **UTRC के दिशानिर्देशों** का पालन किया जाए और इन **समितियों के प्रदर्शन की समीक्षा** की जाए।

8. SHRCs को **संसाधन संपन्न** किया जाए और आयोग **समुदाय से सक्रिय रूप से संपर्क** करें।

9. विवादों के समाधान के एक प्रभावी उपकरण के रूप में **मध्यस्थता को बढ़ावा** दें और इसके लिए ज़रूरी **बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों को मज़बूत** करें।

10. न्याय व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं (विकलांगों के आंकड़े समेत) पर **समय-समय पर, प्रमाणित और समग्र आंकड़े** जारी करें ताकि नीतिगत सिफ़ारिशें सुनिश्चित हो सकें।

11. **न्याय प्रदान करने वाली व्यवस्था** को एक **मूलभूत सेवा** माना जाए और इसे सुसज्जित, विस्तारित और सशक्त बनाएं ताकि हर समय प्रभावी न्याय दिया जा सके।

अध्याय 9

कार्यप्रणाली

मापदंड हमें विकास के अध्ययन, तुलना, मूल्यांकन और इसे लेकर एक निष्कर्ष निकालने की सुविधा देते हैं। साथ ही, ये हमें नीतिगत निर्णय लेने में भी मदद करते हैं। संख्याओं के माध्यम से विशेषताओं का मूल्यांकन करना सभी वैज्ञानिक निष्कर्षों के केंद्र में होता है। 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' के वर्ष 2025 के अंक में हम सभी राज्यों की न्यायिक क्षमता में आए सुधारों और ठहरावों की सीमा को चार मुख्य स्तंभों- पुलिस, न्यायपालिका, जेल, और क़ानूनी सहायता और एक अलग स्तंभ- राज्य मानवाधिकार आयोग के माध्यम से मापते हैं। पिछले तीन संस्करणों की तरह, इस बार भी रिपोर्ट में नए इंडिकेटर्स जोड़े गए हैं ताकि हमारा मूल्यांकन और गहरा और व्यापक बन सके। कुछ इंडिकेटर्स में बदलाव किया गया है, जिससे कुल इंडिकेटर्स की संख्या 102 हो गई है।

इस रिपोर्ट में राज्य मानवाधिकार आयोगों (SHRCs) की क्षमता और प्रदर्शन का मूल्यांकन किसी राज्य की रैंकिंग के हिस्से के रूप में न करके, अलग से किया गया है।

सभी स्तंभों की क्षमता को छह विषयों के आधार पर मापा जाता है। ये विषय हैं: बजट, इंफ़्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन, कार्यभार, विविधता और रुझान (या सुधार की इच्छा)।

पहला चरण: रूपरेखा

चार स्तंभों के डेटा इंडिटेकटर्स:

	स्तंभ	कुल इंडिकेटर्स	नए इंडिकेटर्स
1.	पुलिस	32	2
2.	जेल	28	3
3.	न्यायपालिका	25	2
4.	क़ानूनी सहायता	17	4
	कुल	102	11

सभी स्तंभों के इंडिकेटर्स इन विषयों पर आधारित हैं:

- इंफ़्रास्ट्रक्चर
- मानव संसाधन
- विविधता (लैंगिक, SC/ST/OBC)
- बजट
- कार्यभार
- रुझान (पिछले पांच वर्षों में बदलाव)

हर विषय में न्याय व्यवस्था के किसी भी स्तंभ के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हैं। 'बजट' इंडिकेटर में किसी प्रणाली के लिए प्राप्त की गई, उपयोग की गई और प्रति कार्मिक या प्रति व्यक्ति ख़र्च होने वाली राशि को मापा जाता है; 'इंफ़्रास्ट्रक्चर' इंडिकेटर मौजूदा बुनियादी भौतिक संसाधन; मानव संसाधन, स्वीकृत और नियुक्त कर्मिचारियों के बारे में बताता है; 'कार्यभार' में एक प्रणाली पर या उसमें काम करने वाले लोगों पर सेवा प्रदान करने का बोझ आता है; और 'विविधता' के तहत यह मूल्यांकन किया जाता है कि ये व्यवस्थाएं जिन लोगों को सेवा देने के लिए स्थापित की गई हैं, इसमें उनके कितने प्रतिनिधि हैं। एक छठा विषय है- 'रुझान'; इसके तहत जहां भी संभव हो यह मूल्यांकन किया जाता है कि पिछले पांच वर्षों में किसी विशेष विषय में कितना सुधार या गिरावट आई है। यह ओवरऑल रैंकिंग तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है।

दूसरा चरण: समूहीकरण

भारत में जनसंख्या और भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत विविधताएं हैं, जो किसी भी तरह की तुलना को कठिन बनाती हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान या मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की पुलिस की क्षमता की तुलना गोवा या सिक्किम जैसे राज्यों से नहीं की जा सकती। राज्यों के बीच निष्पक्ष तुलना करने के लिए, यह रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार समूहों में विभाजित करती है:

समूह I (रैंकिंग वाले राज्य): 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य या 1 करोड़ और इससे अधिक जनसंख्या वाले राज्य।

समूह II (रैंकिंग वाले राज्य): 7 छोटे आकार के राज्य, जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं।

समूह III (बिना रैंकिंग के राज्य): 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन इनकी रैंकिंग नहीं की गई है। इस समूह में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर[1], लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी हैं।

समूह IV (बिना रैंकिंग के राज्य): तीन राज्य जहां 'सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम' (AFSPA) लागू हैं, जैसे मणिपुर, असम और नगालैंड। रिपोर्ट में इन राज्यों के बारे में आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन इन्हें रैंक नहीं किया गया है।

तीसरा चरण: चयन का आधार

सभी इंडिकेटर का चयन सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों और राज्यों के बीच तुलना करने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। मानकों को अलग-अलग जगहों पर उपलब्ध क़ानूनों, नीतियों की घोषणाओं और सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसलों से लिया गया है। इसमें सरकारी सिफ़ारिशों को भी शामिल किया जाता है।

आधार रेखा

IJR 2025 में इसके प्रकाशित होने तक उपलब्ध नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। ये आंकड़े हैं:
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के दस्तावेज़ों को राज्यों के बजट दस्तावेज़ों पर प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि सभी राज्यों के बजट दस्तावेज़ समान रूप से उपलब्ध नहीं होते और राज्य बजट की सभी मदों की जानकारी अलग-अलग तरह से रिकॉर्ड करते हैं। हालांकि, क़ानूनी सहायता के मामले में, राज्य बजट दस्तावेज़ों का उपयोग किया गया है क्योंकि CAG के दस्तावेज़ों में बजट संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

नए इंडिकेटर्स

इस वर्ष, IJR ने चार स्तंभों में 11 नए इंडिकेटर जोड़े हैं।

1. पुलिस: पुलिस स्तंभ में दो नए इंडिकेटर जोड़े गए हैं, जो फॉरेंसिक लैब में मानव संसाधन की क्षमता का मूल्यांकन करते हैं: 'प्रशासनिक स्टाफ़ और वैज्ञानिक स्टाफ़ की वैकेंसी'। 'पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो' ने पहली बार वर्ष 2023 में 'पुलिस संगठनों के आंकड़े' रिपोर्ट में फॉरेंसिक लैब में नियुक्त स्टाफ़ की जानकारी दी।

2. जेल: दो मौजूदा इंडिकेटर्स- '100 फ़ीसदी या इससे ज़्यादा अधिभोग वाली जेलों का हिस्सा (%, 2021)' और '150 फ़ीसदी या इससे ज़्यादा अधिभोग वाली जेलों का हिस्सा (%, 2021)' में संशोधन कर उन्हें '150 से 250 फ़ीसदी अधिभोग वाली जेलें (%, दिसंबर 2022)' और '250 फ़ीसदी या इससे अधिक अधिभोग वाली जेलें (%, दिसंबर 2022)' किया गया है। इसमें 'प्रति महिला चिकित्सा अधिकारी पर महिला क़ैदियों

स्तंभ/विषय	तिथि/अवधि	स्रोत
पुलिस	1 जनवरी 2023	पुलिस संगठनों के आंकड़े, 2023
जेल	31 दिसंबर 2022	प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022
न्यायपालिका	वित्तीय वर्ष (2022-23), जून 2024, दिसंबर 2024, जनवरी 2025, फरवरी 2025	नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट की ख़बरें, न्याय मंत्रालय, संसदीय प्रश्न
क़ानूनी सहायता	वित्तीय वर्ष 2022-23, मार्च 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2024, 2023-24	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्यों के वित्त विभाग
जनसंख्या के आंकड़े	मार्च 2022, मार्च 2023	राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019
बजट के आंकड़े	2022-23	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

1 दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय 2019 में किया गया। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों को सभी जगहों पर एक साथ दिया गया है।

	स्तंभ	इंडिकेटर	विषय
1	पुलिस	फॉरेंसिक लैब में प्रशासनिक स्टाफ़ वैकेंसी (%, जनवरी 2023)	मानव संसाधन
2	पुलिस	फॉरेंसिक लैब में वैज्ञानिक स्टाफ़ वैकेंसी (%, जनवरी 2023)	मानव संसाधन
3	जेल	150 से 250 फ़ीसदी अधिभोग वाली जेलें (%, दिसंबर 2022)	इंफ्रास्ट्रक्चर
4	जेल	250 फ़ीसदी या इससे अधिक अधिभोग वाली जेलें (%, दिसंबर 2022)	इंफ्रास्ट्रक्चर
5	जेल	प्रति महिला चिकित्सा अधिकारी पर महिला क़ैदियों की संख्या (व्यक्ति, दिसंबर 2022)	कार्यभार
6	न्यायपालिका	3 साल से अधिक समय से पेंडिंग केस (%, हाई कोर्ट) (1 जनवरी 2025)	कार्यभार
7	न्यायपालिका	3 साल से अधिक समय से पेंडिंग केस (%, अधीनस्थ न्यायालय) (1 जनवरी 2025)	कार्यभार
8	क़ानूनी सहायता	क़ानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति ख़र्च (रु, 2022-23)	बजट
9	क़ानूनी सहायता	DLSA सचिवों में महिलाएं (%, 31 मार्च 2024)	विविधता
10	क़ानूनी सहायता	SLSA लोक अदालतों में पूर्व मुक़दमेबाज़ी वाले केसों का निपटारा (%, 2023-24)	कार्यभार
11	क़ानूनी सहायता	SLSA लोक अदालतों में लंबित केसों का निपटारा (%, 2023-24)	कार्यभार

की संख्या (व्यक्ति, दिसंबर 2022)' नामक नया इंडिकेटर भी जोड़ा गया है।

3. न्यायपालिका: दो इंडिकेटर्स; '5-10 साल से पेंडिंग केस (हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय)' को परिष्कृत कर, '3 साल से अधिक समय से पेंडिंग केस (%, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, 1 जनवरी 2025)' किया गया है।

4. क़ानूनी सहायता: इसमें चार नए इंडिकेटर जोड़े गए हैं; ये, 'क़ानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति ख़र्च (रु, 2022-23)', 'DLSA सचिवों में महिलाएं (%, मार्च 2024)', 'SLSA लोक अदालतों में पूर्व मुक़दमेबाज़ी वाले केसों का निपटारा (%, 2023-24)', 'SLSA लोक अदालतों में लंबित केसों का निपटारा (%, 2023-24) हैं।

राज्य नागरिक पोर्टल

इन राज्य नागरिक पोर्टलों से नौ बुनियादी सेवाएं प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। पोर्टल्स के मूल्यांकन का आधार, इन सेवाओं तक आसान पहुंच, इनकी भाषा और पूरी नौ सेवाएं देने जैसे मानक थे। राज्य नागरिक पोर्टलों का मूल्यांकन इनकी नौ सेवाओं की दो बार- मई 2024 से अगस्त 2024 तक जांच करके किया गया ताकि पोर्टल के कार्यों में सुधार का आकलन किया जा सके। एक से अधिक भाषाओं में उपलब्ध पोर्टल को एक अंक दिया गया; और एक अंक सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए मिला। अगर कोई सेवा कई हिस्सों में बंटी हुई थी, तो उसके लिए मिलने वाले एक अंक को भी उसी अनुपात में बांटा गया था। उदाहरण के लिए, अगर पोर्टल पर चोरी या बरामद किए वाहनों, हथियारों और अन्य संपत्तियों तीनों की जानकारी दी गई थी, तो इन तीनों कार्यों में से एक के लिए अधिकतम 0.3 अंक दिए गए। इसी तरह 'कुछ हद तक' सेवाएं देने पर आंशिक अंक भी दिए गए।

राज्य मानवाधिकार आयोग

वर्तमान 25 SHRCs से संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए 136 RTI आवेदन दायर किए गए, क्योंकि SHRCs के लिए पूरा डेटा न तो एकत्रित किया गया और न ही प्रकाशित या स्वेच्छा से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। सभी नौ इंडिकेटरों पर प्रदर्शन का मूल्यांकन उसी विधि से किया गया जैसा चरण 4 और 5 में किया गया था। असम, नगालैंड और मणिपुर में 'सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम' (AFSPA) लागू होने के कारण उन्हें रैंकिंग से बाहर रखा गया है। जम्मू और कश्मीर भी इससे बाहर है क्योंकि 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019' के पारित होने के बाद यहां SHRC को भंग कर दिया गया था। 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' के तहत SHRCs की स्थापना, शक्तियां और कार्य निर्धारित किए गए हैं और आयोगों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए मानक के रूप में इनका ही उपयोग किया गया है। 'ग्लोबल एलायंस ऑफ़

नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन्स' (GANHRI) और 'पेरिस सिद्धांतों' द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों का भी संदर्भ लिया गया है।

चौथा चरण: स्कोरिंग का तरीक़ा

IJR 2019, 2020 और 2022 की तरह, मूल आंकड़ों को समान आधार पर लाकर फिर से उनका मूल्यांकन किया गया ताकि प्रत्येक इंडिकेटर को 1 से 10 के पैमाने पर रेट किया जा सके, जहां 1 सबसे निचला पायदान हो यानी ऐसी रैंक, जो कोई न लाना चाहे, और 10 उच्चतम या सबसे अच्छी स्थिति हो। बीच के अंक यह दिखाने के लिए हैं कि एक राज्य सर्वश्रेष्ठ और सबसे ख़राब स्थिति के मुक़ाबले कहां खड़ा है।

जब एक राज्य ने स्वयं अपने द्वारा निर्धारित मानक को पूरा किया या उसे पार किया (उदाहरण के लिए, एक काडर स्टाफ़ पर अधिकतम 6 क़ैदी) या राज्य द्वारा किसी इंडिकेटर पर तय मानक पूरा होने पर (उदाहरण के लिए, वैकेंसी को मापने के लिए स्वीकृत पदों की संख्या), उसे 10 अंक दिए गए । जिन मामलों में मानक उपलब्ध नहीं थे, वहां राज्य को 'शीर्ष' 10 अंक मिले। हाालंकि, इन 10 अंकों का मतलब यह नहीं है कि राज्य ने आदर्श क्षमता प्राप्त की है, बल्कि इसका आशय है कि वह राज्य इस श्रेणी में सबसे अच्छा है। सभी इंडिकेटर के अंकों को जोड़कर औसत निकाला गया और इस तरह पूरे स्तंभ के अंक निकाले गए, जिनको भी 1 से 10 के पैमाने पर मापा गया।

औसत गणना करने के लिए ज्यामितीय तरीक़े का उपयोग किया गया, क्योंकि यह अत्यधिक या अत्यंत कम आंकड़ों से कम प्रभावित होती है। इस प्रकार, प्रत्येक स्तंभ के लिए हर राज्य को 10 में से एक अंक मिला, और उसके समूह में रैंक मिला। फिर, इन स्तंभ के अंकों का औसत निकाला गया ताकि 10 में से कुल अंक प्राप्त किए जा सकें।

पांचवां चरण: स्कोरिंग और रैंकिग

प्रत्येक समूह के लिए, IJR ने चौथे चरण में बताई कार्यप्रणाली लागू करते हुए हर स्तंभ के इंडिकेटरों का मूल्यांकन किया।

कुछ राज्यों के कुछ इंडिकेटरों के स्कोर अनुपलब्ध थे; जैसे- कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है, ऐसी स्थिति में इंडि-केटरों की संख्या को घटा दिया गया। जिन राज्यों को मॉर्डनाइजेशन फंड का अनुदान नहीं मिला था, उन राज्यों के कुल स्कोर की गिनती करते समय उनके लिए भी इंडिकेटरों की संख्या को कम किया गया था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में न्यायपालिका स्तंभ का मूल्यांकन करते समय केवल तीन वर्षों के रुझान का उपयोग किया गया, क्योंकि इन राज्यों के विभाजन से पहले का इनका अलग-अलग डेटा उपलब्ध नहीं था।

छठा चरण: विषयों और स्कोरिंग में इंडिकेटरों की संख्या में एकरूपता

प्रत्येक इंडिकेटर, विषय और स्तंभ को समान महत्व दिया गया है ताकि किसी एक पहलू को दूसरों पर प्राथमिकता न मिले। अध्ययन में किसी एक तत्व को अधिक या कम भार देने से बचा गया है, क्योंकि हर डेटा पॉइंट पूरे परिणाम पर असर डालता है।

सातवां चरण: आंकड़ों की जांच

आंकड़ों की दो बार उनके मूल स्रोत से मिलान या जांच की गई: पहली बार शुरुआती रैंकिंग तैयार होने के बाद और फिर फ़ाइनल रैंकिंग तैयार होने के बाद (यानी, रिपोर्ट छपने और ऑनलाइन प्रकाशित होने से पहले)। अंतिम परिणाम प्रकाशित होने पर तीसरे दौर की जांच भी की गई थी।

अन्य बिंदु

दशमलव का सवाल

IJR ने आंकड़ों को पढ़ने में आसान बनाने के लिए दशमलव पर ध्यान दिया। जहां संख्याएं बड़ी थीं, वहां दशमलव शामिल नहीं किए गए, और जहां संख्याएं छोटी थीं और पूरे अंकों में नहीं थीं, वहा एक या दो अंकों तक दशमलव शामिल किए गए।

प्रतिशत अंक का उपयोग

रिपोर्ट ने रुझान या बदलाव दिखाने वाले इंडिकेटरों को मापने की इकाई के रूप में प्रतिशत अंक का उपयोग किया। इसकी गिनती दो प्रतिशतों के बीच अंतर के रूप में की गई ताकि वृद्धि या कमी को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जा सके।

केंद्रशासित प्रदेश (UTs) और राज्य

जैसा कि दूसरे चरण में बताया गया है, केंद्रशासित प्रदेश (UTs) और AFSPA वाले राज्य रैंकिंग में शामिल नहीं किए गए हैं। अगस्त 2019 तक, जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बदल दिया गया था: जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख। इन दोनों UTs के लिए रुझान निकालने के लिए अलग-अलग डेटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें रुझान इंडिकेट-

रों में शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह, दो केंद्र शासित प्रदेशों- दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को 26 जनवरी 2020 को मिलाकर एक कर दिया गया। इनके अलग-अलग डेटा को संयुक्त रूप से लिया गया है।

अंकीय के बजाए ज्यामितीय माध्यम

जब किसी राज्य द्वारा कुछ पैरामीटर्स पर बहुत अच्छा या बहुत बुरा प्रदर्शन करने पर उसकी किसी एक स्तंभ में सबसे अच्छी या सबसे ख़राब रैंकिंग होती है तो अत्यधिक ख़राब या अच्छे अंकों को ज्यामितीय विधि से सामान्य कर एक बेहतर औसत निकाला जाता है।

साझा न्यायालय क्षेत्राधिकार

जो राज्य एक ही न्यायालय के अधीन आते हैं, रिपोर्ट में वहां तर्कसंगत आंकड़े उपयोग किए गए हैं। उदाहरण के लिए, 'जनसंख्या प्रति हाई कोर्ट जज' निकालने के लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की आबादी को मिलाकर दिखाया गया है, क्योंकि ये तीनों राज्य और केंद्रशासित प्रदेश एक ही हाई कोर्ट के तहत आते हैं।

सामर्थ्य और सीमाएं

न्याय व्यवस्था की क्षमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग हमारे देश के संदर्भ में एक अभूतपूर्व प्रयास है, जिसका उद्देश्य अब तक अलग-अलग और बिखरी हुई जानकारी को एकत्र करना है। इस वर्ष भी 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' में 7 छोटे राज्यों और 18 बड़े राज्यों की न्याय प्रदान करने की क्षमता की रैंकिंग की गई है। हम प्रत्येक रिपोर्ट के साथ इन व्यवस्थाओं का अधिक गहन विश्लेषण करते हैं और हमेशा सबसे सटीक आधिकारिक डेटा का ही उपयोग करते हैं। इस विस्तृत डेटा पर काम करने, इसे समझने और व्याख्या करने से ही संभावित हस्तक्षेप और सुधारों का रास्ता मिलना संभव होता है। इतना ही नहीं, समान तौर पर डेटा उपलब्ध न होने से सामने आने वाली आंतरिक ख़ामियां बताती हैं कि देशभर में विश्वसनीय, सुसंगत, सामयिक पर और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों की व्यवस्था होनी कितनी ज़रूरी है, जो सफलता के लिए समन्वित आंतरिक योजना को सुगम बनाएगी।

रिपोर्ट को सरकारी संगठनों, न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त DGPs, पुलिस और न्याय व्यवस्था की विभिन्न उप-प्रणालियों के अन्य विशेषज्ञों के लगातार मूल्यांकन और सिफ़ारिशों से लाभ होता है, क्योंकि यह कई विशिष्ट सिविल सोसाइटी समूहों के बीच साझेदारी है। इतने अलग-अलग दृष्टिकोणों के समावेश से इंडिकेटरों और रेटिंग के चयन की पुष्टि होती है।

यह रिपोर्ट न्याय व्यवस्था के चुनिंदा पहलुओं का एक मात्रात्मक अध्ययन है। इसका मूल्यांकन अक्सर डेटा की अनुपलब्धता, कमी और उसकी विसंगतियों द्वारा प्रभावित होता है। इसमें हर उप-प्रणाली के गुणात्मक प्रदर्शन और कार्यप्रणाली से संबंधित कार्यकर्ताओं या हितधारकों के दृष्टिकोणों को शामिल का प्रयास नहीं किया गया है, जैसा कि परिप्रेक्ष्य अध्ययन और सर्वेक्षण करते हैं। फिर भी, न्यायिक प्रशासन में शामिल संरचनाओं का मूल्यांकन सेवा और प्रतिक्रिया के स्तर की ओर इशारा करता है। यहां डेटा का चित्रण अन्य गुणात्मक अध्ययनों के लिए ज़रूरी पूरक भी है और यह कई जड़ समस्याओं के संभावित समाधान की ओर इशारा भी करता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह रिपोर्ट अन्य लोगों को भी न्याय प्रदान करने की व्यवस्था के ढांचे के संपूर्ण और अधिक विस्तार से मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करेगी।

शब्दावली

पुलिस

बजट

1. मॉर्डनाइज़ेशन फंड का उपयोग

फ़ॉर्मूला:

केंद्र+राज्य का मॉर्डनाइजेशन पर ख़र्च

—-- X 100

केंद्र+राज्य का मॉर्डनाइजेशन के लिए आवंटन

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2021-2022 (संशोधित)
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023

2. प्रति व्यक्ति पुलिस पर ख़र्च (रु.)

फ़ॉर्मूला:

पुलिस ख़र्च

—---------------------------------

राज्य की जनसंख्या

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2022-2023 (पुलिस ख़र्च) | मार्च 2023 (राज्य की जनसंख्या)
स्रोत: भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019

3. प्रति कार्मिक प्रशिक्षण पर ख़र्च (रु.)

फ़ॉर्मूला:

प्रशिक्षण ख़र्च

—---------------------------------

कुल पुलिस

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2021-2022 (संशोधित)
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023

4. पुलिस बजट में प्रशिक्षण बजट का हिस्सा (%)

फ़ॉर्मूला:

प्रशिक्षण बजट

—---------------------------------X 100

पुलिस बजट

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2021-2022 (संशोधित)
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023

5. प्रशिक्षण बजट का उपयोग (%)

फ़ॉर्मूला:

उपयोग किया गया प्रशिक्षण बजट

—---------------------------------X 100

कुल प्रशिक्षण बजट

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2021-2022 (संशोधित)
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023

मानव संसाधन

6. कॉन्स्टेबल के ख़ाली पद (%)

फ़ॉर्मूला:

नियुक्त कॉन्स्टेबुलरी

100- (--------------------------------X 100)

स्वीकृत कॉन्स्टेबुलरी

बेंचमार्क: 0%
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 1 जनवरी 2023
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023
नोट: सिविल पुलिस और ज़िला सशस्त्र रिज़र्व पुलिस (DAR) शामिल हैं। कॉन्स्टेबुलरी में कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल शामिल हैं।

7. अधिकारियों के ख़ाली पद (%)

फ़ॉर्मूला:

नियुक्त अधिकारियों की संख्या

100- (—----------------------------X 100)

स्वीकृत अधिकारियों की संख्या

बेंचमार्क: 0%
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 1 जनवरी 2023
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023
नोट: सिविल पुलिस और ज़िला सशस्त्र रिज़र्व पुलिस (DAR) शामिल हैं। अधिकारियों में DGP/स्पेशल DGP + एडिशनल DGP + IGP + DIG + AIGP/SSP/SP/कमिश्नर + एडिशनल SP/डिप्टी कमिश्नर + ASP/डीएसपी/असिस्टेंट कमिश्नर + इंस्पेक्टर/रिज़र्व इंस्पेक्टर + सब इंस्पेक्टर/रिज़र्व सब इंस्पेक्टर + असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर/असिस्टेंट रिज़र्व सब इंस्पेक्टर आते हैं।

8. सिविल पुलिस में अधिकारी (%)

फ़ॉर्मूला:

सिविल पुलिस में अधिकारी

—---------------------------------X 100

कुल सिविल पुलिस

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 1 जनवरी 2023
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023
नोट: सिविल पुलिस और ज़िला सशस्त्र रिज़र्व पुलिस (DAR) शामिल हैं। अधिकारियों में DGP/स्पेशल DGP + एडिशनल DGP + IGP + DIG + AIGP/SSP/SP/कमिश्नर + एडिशनल SP/डिप्टी कमिश्नर + ASP/डीएसपी/असिस्टेंट कमिश्नर + इंस्पेक्टर/रिज़र्व इंस्पेक्टर + सब इंस्पेक्टर/रिज़र्व सब इंस्पेक्टर + असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर/असिस्टेंट रिज़र्व सब इंस्पेक्टर आते हैं।

9. फॉरेंसिक लैब में प्रशासनिक स्टाफ़ वैकेंसी (%)

फ़ॉर्मूला:

वास्तविक प्रशासनिक स्टाफ़

100- (--------------------------------X 100)

स्वीकृत प्रशासनिक स्टाफ़

बेंचमार्क: 0%

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: जनवरी 2023
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023
नोट: प्रशासनिक स्टाफ़ में राज्य और क्षेत्रीय लैब और ज़िला मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट (DMFUS) के प्रशासनिक पद आते हैं।

10. फॉरेंसिक लैब में वैज्ञानिक स्टाफ़ वैकेंसी (%)

फ़ॉर्मूला:

वास्तविक वैज्ञानिक स्टाफ़
100- (--------------------------------X 100)
स्वीकृत वैज्ञानिक स्टाफ़

बेंचमार्क: 0%
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: जनवरी 2023
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023
नोट: वैज्ञानिक स्टाफ़ में राज्य और क्षेत्रीय लैब और ज़िला मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट (DMFUS) के वैज्ञानिक पद आते हैं।

विविधता

11. पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी (%)

फ़ॉर्मूला:
पुलिस में महिलाओं की संख्या
—-----------------------X 100
कुल पुलिस

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 1 जनवरी 2023
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023
नोट: इस इंडिकेटर में सिविल, ज़िला सशस्त्र रिज़र्व, विशेष सशस्त्र पुलिस बटालियन, और भारतीय रिज़र्व बटालियन (IRB) में शामिल महिलाएं हैं।

12. पुलिस अधिकारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी (%)

फ़ॉर्मूला:

महिला पुलिस अधिकारी
—----------------------------X 100
कुल पुलिस अधिकारी

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 1 जनवरी 2023
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023
नोट: इस इंडिकेटर में सिविल, ज़िला सशस्त्र रिज़र्व, विशेष सशस्त्र पुलिस बटालियन, और भारतीय रिज़र्व बटालियन (IRB) में शामिल महिलाएं हैं।
अधिकारियों में DGP/स्पेशल DGP + एडिशनल DGP + IGP + DIG + AIGP/SSP/SP/ कमिश्नर + एडिशनल SP/डिप्टी कमिश्नर + ASP/डीएसपी/असिस्टेंट कमिश्नर + इंस्पेक्टर/ रिज़र्व इंस्पेक्टर + सब इंस्पेक्टर/रिज़र्व सब इंस्पेक्टर + असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर/असिस्टेंट रिज़र्व सब इंस्पेक्टर आते हैं।

13. अनुसूचित जाति के अधिकारी, नियुक्त और आरक्षित पदों का अनुपात (%)

फ़ॉर्मूला:
नियुक्त अनुसूचित जाति (SC) के अधिकारी
--X 100
(अधिकारियों के आरक्षित पद* SC आरक्षण)

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 1 जनवरी 2023
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023
नोट: 'पुलिस संगठनों के आंकड़े' रिपोर्ट में अनुसूचित जाति के छह रैंक का डेटा संकलित होता है = ASP/डीएसपी./ असिस्टेंट कमिश्नर + इंस्पेक्टर/रिज़र्व इंस्पेक्टर + सब इंस्पेक्टर/ रिज़र्व सब इंस्पेक्टर + असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर/ असिस्टेंट रिज़र्व सब इंस्पेक्टर + हेड कॉन्स्टेबल + कॉन्स्टेबल। इसमें सिविल, ज़िला सशस्त्र रिज़र्व, विशेष सशस्त्र पुलिस बटालियन या भारतीय रिज़र्व बटालियन (IRB) के अलग-अलग आंकड़े नहीं होते।

14. अनुसूचित जाति के कॉन्स्टेबल, नियुक्त और आरक्षित पदों का अनुपात (%)

फ़ॉर्मूला:
नियुक्त अनुसूचित जाति (SC) के कॉन्स्टेबल
—--------------------------------------X 100
(कॉन्स्टेबल के आरक्षित पद* SC आरक्षण)

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 1 जनवरी 2023
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023
नोट: कॉन्स्टेबल से आशय कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल से है।

15. अनुसूचित जनजाति के अधिकारी, नियुक्त और आरक्षित पदों का अनुपात (%)

फ़ॉर्मूला:
नियुक्त अनुसूचित जनजाति (ST) के अधिकारी
---X 100
(अधिकारियों के आरक्षित पद* ST आरक्षण)

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 1 जनवरी 2023
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023
नोट: 'पुलिस संगठनों के आंकड़े' रिपोर्ट में अनुसूचित जनजाति के छह रैंक का डेटा संकलित होता है = ASP/डीएसपी./ असिस्टेंट कमिश्नर + इंस्पेक्टर/रिज़र्व इंस्पेक्टर + सब इंस्पेक्टर/रिज़र्व सब इंस्पेक्टर + असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर/असिस्टेंट रिज़र्व सब इंस्पेक्टर + हेड कॉन्स्टेबल + कॉन्स्टेबल। इसमें सिविल, ज़िला सशस्त्र रिज़र्व, विशेष सशस्त्र पुलिस बटालियन या भारतीय रिज़र्व बटालियन (IRB) के अलग-अलग आंकड़े नहीं होते।

16. अनुसूचित जनजाति के कॉन्स्टेबल, नियुक्त और आरक्षित पदों का अनुपात (%)

फ़ॉर्मूला:
नियुक्त अनुसूचित जनजाति (ST) के कॉन्स्टेबल
—---
--X 100
(कॉन्स्टेबल के आरक्षित पद* ST आरक्षण)

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 1 जनवरी 2023
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023
नोट: कॉन्स्टेबल से आशय कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल से है।

17. ओबीसी अधिकारी, नियुक्त और आरक्षित पदों का अनुपात (%)

फ़ॉर्मूला:
नियुक्त ओबीसी अधिकारी

---X 100
(अधिकारियों के आरक्षित पद* OBC आरक्षण)

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 1 जनवरी 2023
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023
नोट: 'पुलिस संगठनों के आंकड़े' रिपोर्ट में अनुसूचित जनजाति के छह रैंक का डेटा संकलित होता है = ASP/डीएसपी./ असिस्टेंट कमिश्नर + इंस्पेक्टर/रिज़र्व इंस्पेक्टर + सब इंस्पेक्टर/रिज़र्व सब इंस्पेक्टर + असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर/असिस्टेंट रिज़र्व सब इंस्पेक्टर + हेड कॉन्स्टेबल + कॉन्स्टेबल। इसमें सिविल, ज़िला सशस्त्र रिज़र्व, विशेष सशस्त्र पुलिस बटालियन या भारतीय रिज़र्व बटालियन (IRB) के अलग-अलग आंकड़े नहीं होते।

18. ओबीसी कॉन्स्टेबल, नियुक्त और आरक्षित पदों का अनुपात (%)
फ़ॉर्मूला:
नियुक्त ओबीसी कॉन्स्टेबल
---X 100
(कॉन्स्टेबल के आरक्षित पद* OBC आरक्षण)

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 1 जनवरी 2023
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023
नोट: कॉन्स्टेबल से आशय कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल से है।

इंफ़्रास्ट्रक्चर

19. जनसंख्या प्रति पुलिस थाना(ग्रामीण) (व्यक्ति)
फ़ॉर्मूला:
ग्रामीण जनसंख्या
—-----------------------
ग्रामीण पुलिस थाने

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: मार्च 2023 (ग्रामीण जनसंख्या) | जनवरी 2023 (ग्रामीण पुलिस थाने)
स्रोत: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023

20. जनसंख्या प्रति पुलिस थाना (शहरी) (व्यक्ति)
फ़ॉर्मूला:
शहरी जनसंख्या
—-----------------------
शहरी पुलिस थाने

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: मार्च 2023 (शहरी जनसंख्या) | जनवरी 2023 (शहरी पुलिस थाने)
स्रोत: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023

21. प्रति थाना क्षेत्र (ग्रामीण) (वर्ग कि.मी.)
फ़ॉर्मूला:
ग्रामीण क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
—-----------------------
ग्रामीण पुलिस थाने

बेंचमार्क: 150 वर्ग कि.मी. या उससे कम (राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट 1981)
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2011 (ग्रामीण क्षेत्र) | जनवरी 2023 (ग्रामीण पुलिस थाने)
स्रोत: जनगणना 2011; पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023

22. प्रति थाना क्षेत्र (शहरी) (वर्ग कि.मी.)
फ़ॉर्मूला:
शहरी क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
—-----------------------
शहरी पुलिस थाने

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2011 (शहरी क्षेत्र) | जनवरी 2023 (शहरी पुलिस थाने)
स्रोत: जनगणना 2011; पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023

23. राज्य नागरिक पोर्टल द्वारा दी जाने वाली सेवाएं (%)
फ़ॉर्मूला:
प्रदान की गई सेवाएं (10 में से)
—--------------------------------------X 100
कुल 9+1 (भाषा) सेवाएं

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2024
स्रोत: HTTPS://DIGITALPOLICE.GOV.IN/
नोट: 10 बिंदुओं पर राज्य पुलिस नागरिक पोर्टलों का मात्रात्मक मूल्यांकनः क्या वे गृह मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध 9 सेवाओं में से प्रत्येक सेवा दे रहे हैं और क्या पोर्टल राज्य की किसी एकभाषा (अंग्रेजी के अलावा) में उपलब्ध था।

24. प्रति प्रशिक्षण संस्थान पुलिसकर्मी (संख्या)
फ़ॉर्मूला:
कुल स्वीकृत पुलिस
—---------------------------------
प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: जनवरी 2023
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023

25. सीसीटीवी वाले पुलिस स्टेशन (%)
फ़ॉर्मूला:
सीसीटीवी वाले पुलिस स्टेशन
—----------------------------X 100
कुल पुलिस स्टेशन

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: जनवरी 2023
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023

26. महिला हेल्प डेस्क वाले पुलिस स्टेशन (%)
फ़ॉर्मूला:
महिला हेल्प डेस्क वाले पुलिस स्टेशन
—-----------------------------------X 100
कुल पुलिस स्टेशन

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: जनवरी 2023
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023

कार्यभार

27. जनसंख्या प्रति सिविल पुलिस (व्यक्ति)

फ़ॉर्मूला:
राज्य की जनसंख्या
—--------------------
कुल सिविल पुलिस

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: मार्च 2023 (राज्य की जनसंख्या) | जनवरी 2023 (कुल सिविल पुलिस)
स्रोत: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019, पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023
नोट: इसमें सिविल पुलिस और ज़िला सशस्त्र रिज़र्व पुलिस (DAR) शामिल है।

रुझान

28. कुल पुलिस में महिलाएं (प्रतिशत अंक)

कुल पुलिस में महिलाएं (XN): (%): पुलिस में महिलाएं/कुल पुलिस *100

पुलिस में महिलाओं की भागीदारी(%)

2018	X1
2022	X5

फ़ॉर्मूला:
कुल पुलिस में महिलाएं (PP): (X5-X1)/X1*100

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2018 से 2022
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D)
नोट: महिला पुलिसकर्मी और कुल पुलिस में सभी रैंकों की सिविल, ज़िला सशस्त्र रिज़र्व (DAR), विशेष सशस्त्र पुलिस बटालियन, और भारतीय रिज़र्व बटालियन (IRB) शामिल हैं।

29. कुल पुलिस अधिकारियों में महिला अधिकारी (प्रतिशत अंक)

पुलिस में महिला अधिकारी (%) (XN): पुलिस में महिला अधिकारी /कुल पुलिस अधिकारी*100

पुलिस अधिकारियों में महिला अधिकारियों की भागीदारी (%)

2018	X1
2022	X5

फ़ॉर्मूला:
कुल पुलिस अधिकारियों में महिला अधिकारी (प्रतिशत अंक):(X5-X1)/X1*100

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2018 TO 2022
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D)
नोट: महिला पुलिसकर्मी और कुल पुलिस में सभी रैंकों की सिविल, ज़िला सशस्त्र रिज़र्व (DAR), विशेष सशस्त्र पुलिस बटालियन, और भारतीय रिज़र्व बटालियन (IRB) शामिल हैं।

30. कॉन्स्टेबल वैकेंसी (प्रतिशत अंक)

कॉन्स्टेबल वैकेंसी (%)= XN

2018	X1	
2022	X5	(X5-X1)/X1*100

फ़ॉर्मूला:
कॉन्स्टेबल वैकेंसी (प्रतिशत अंक):

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2018 TO 2022
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D)
नोट: सिविल पुलिस और ज़िला सशस्त्र रिज़र्व पुलिस (DAR) शामिल हैं। कॉन्स्टेबुलरी में हेड कॉन्स्टेबल भी शामिल हैं।

31. अधिकारी वैकेंसी (प्रतिशत अंक)

अधिकारी वैकेंसी (%)= XN

अधिकारी वैकेंसी (%)
कॉन्स्टेबल की वैकेंसी में बदलाव (PP)

2018	X1	
2022	X5	(X5-X1)/X1*100

फ़ॉर्मूला:
अधिकारी वैकेंसी (प्रतिशत अंक): (X5-X1)/X1*100

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2018 TO 2022
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D)
नोट: सिविल पुलिस और ज़िला सशस्त्र रिज़र्व पुलिस (DAR) शामिल हैं। अधिकारियों में DGP/स्पेशल DGP + एडिशनल DGP + IGP + DIG + AIGP/SSP/SP/कमिश्नर + एडिशनल SP/डिप्टी कमिश्नर + ASP/डीएसपी/असिस्टेंट कमिश्नर + इंस्पेक्टर/रिज़र्व इंस्पेक्टर + सब इंस्पेक्टर/रिज़र्व सब इंस्पेक्टर + असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर/असिस्टेंट रिज़र्व सब इंस्पेक्टर आते हैं।

32. ख़र्च में अंतर: पुलिस बनाम राज्य (प्रतिशत अंक)

पुलिस ख़र्च (PE)= XN
राज्य का ख़र्च (SE)= YN

पुलिस ख़र्च (XN)

2016-17 X1	
2017-18 X2	((X2/ X1)-1)*100 = AX
2018-19 X3	((X3/X2)-1)*100 = BX
2019-20X4	((X4/X3)-1) *100 = CX
2020-21X5	((X5/X4)-1) *100 = DX
2021-22 X6	((X6/X5)-1) *100 = EX

राज्य का ख़र्च (YN)

2016-17 Y1	
2017-18 Y2	((Y2/ Y1)-1)*100 = AY
2018-19 Y3	((Y3/Y2)-1)*100 = BY
2019-20Y4	((Y4/Y3)-1) *100 = CY
2020-21Y5	((Y5/Y4)-1) *100 = DY
2021-22 Y6	((Y6/Y5)-1) *100 = EY

फ़ॉर्मूला:
ख़र्च में अंतर: पुलिस बनाम राज्य (प्रतिशत अंक): पांच साल का औसत (AX,BX..EX)-5 साल का औसत (AY,BY..EY)

बेंचमार्क: शून्य से अधिक
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: वित्तीय वर्ष 2017-2018 से 2021-2022
स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D)

जेल

बजट

1. प्रति क़ैदी ख़र्च (रु.)

फ़ॉर्मूला:
जेल ख़र्च
—-----------------------
कुल क़ैदी

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2022-2023
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022

2. जेल बजट का उपयोग (%)

फ़ॉर्मूला:
जेल ख़र्च
—----------------------X 100
जेल बजट

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2022-2023
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022

मानव संसाधन

3. अधिकारियों के ख़ाली पद (%)

फ़ॉर्मूला:
नियुक्त जेल अधिकारी
100- (—-------- -------------------X 100)
जेल अधिकारियों के स्वीकृत पद

बेंचमार्क: 0%
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022
नोट: अधिकारियों में ये रैंक शामिल हैं: DG/ एडिशनल DG/IG + DIG + AIG+ अधीक्षक + उप अधीक्षक + सहायक अधीक्षक + जेलर + डिप्टी जेलर + सहायक जेलर + अन्य।

4. कैडर स्टाफ़ वैकेंसी (%)

फ़ॉर्मूला:
नियुक्त कैडर स्टाफ़
100- (—--- ---------------------------X 100)
स्वीकृत कैडर स्टाफ़

बेंचमार्क: 0%
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022
नोट: कैडर में ये रैंक शामिल हैं: हेड वार्डर्स + हेड मैट्रन्स + वार्डर्स + मैट्रन्स + अन्य

5. करेक्शनल स्टाफ़ वैकेंसी (%)

फ़ॉर्मूला:
नियुक्त करेक्शनल स्टाफ़
100- (—-----------------------------X 100)
स्वीकृत करेक्शनल स्टाफ़

बेंचमार्क: 0%
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022
नोट: करेक्शनल स्टाफ़ में ये रैंक शामिल हैं: प्रोबेशन ऑफ़िसर/ कल्याण अधिकारी + मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक + सामाजिक कार्यकर्ता/ अन्य

6. चिकित्सा कर्मचारी के ख़ाली पद (%)

फ़ॉर्मूला:
नियुक्त चिकित्सा कर्मचारी
100- (—-----------------------------X 100)
स्वीकृत चिकित्सा कर्मचारी
बेंचमार्क: 0%
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022
नोट: चिकित्सा कर्मचारी में रेजिडेंट मेडिकल ऑफ़िसर/ मेडिकल ऑफ़िसर + फ़ार्मासिस्ट + लैब टेक्नीशियन/ लैब अटेंडेंट + अन्य।

7. चिकित्सा अधिकारी के ख़ाली पद (%)

फ़ॉर्मूला:
नियुक्त चिकित्सा अघिकारी.
100- (—------------------------------X 100)
स्वीकृत चिकित्सा अधिकारी.

बेंचमार्क: 0%
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022

8. प्रशिक्षित कार्मिक (%)

फ़ॉर्मूला:
प्रशिक्षित किया गया जेल स्टाफ़
—----------------------X 100
नियुक्त जेल स्टाफ़

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022

विविधता

9. जेल स्टाफ़ में महिलाएं (%)

फ़ॉर्मूला:
जेल में महिला स्टाफ़
—-----------------------X 100
कुल जेल स्टाफ़

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022

इंफ़्रास्ट्रक्चर

10. जेल अधिभोग (ऑक्यूपेंसी) (%)

फ़ॉर्मूला:
क़ैदियों की संख्या
—-------------------------------------X 100
कुल उपलब्ध जेल क्षमता

बेंचमार्क: 0%
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022

11. 150% से 250% अधिभोग वाली जेलें (%)

फ़ॉर्मूला:
150%-250% अधिभोग वाली जेलें
—-----------------------------------X 100
कुल जेलें

बेंचमार्क: 100% से कम
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2022
स्रोत: अतिरिक्त तालिका संख्या 57, प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022

12. 250% से अधिक अधिभोग वाली जेलें (%)

फ़ॉर्मूला:
250% से अधिक अधिभोग वाली जेलें
—---------------------------------------X 100
कुल जेलेंS

बेंचमार्क: 0%
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2022
स्रोत: अतिरिक्त तालिका संख्या 57, प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022

13. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा वाली जेलें (%)

फ़ॉर्मूला:
V.C. सुविधा वाली जेलें
—------------------------------------X 100
कुल जेलें

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022

14. 1-3 साल तक हिरासत में रहे विचाराधीन क़ैदी (%)

फ़ॉर्मूला:
1-3 तक हिरासत में रहे विचाराधीन क़ैदी
—------------------------------------X 100
कुल विचाराधीन क़ैदी

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022

कार्यभार

15. प्रति अधिकारी क़ैदी (व्यक्ति)

फ़ॉर्मूला:
क़ैदियों की संख्या
—---------------------
नियुक्त अधिकारी

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022
नोट: अधिकारियों में ये रैंक शामिल हैं: अधीक्षक + उप अधीक्षक + सहायक अधीक्षक + जेलर + डिप्टी जेलर + सहायक जेलर + अन्य।

16. प्रति कैडर स्टाफ़ क़ैदी (व्यक्ति)

फ़ॉर्मूला:
क़ैदियों की संख्या
—---------------------------
नियुक्त कैडर स्टाफ़

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022
नोट: कैडर में ये रैंक शामिल हैं: हेड वार्डर्स + हेड मैट्रन्स + वार्डर्स + मैट्रन्स + अन्य

17. प्रति करेक्शनल स्टाफ़ क़ैदी (व्यक्ति)

फ़ॉर्मूला:
क़ैदियों की संख्या
—--------------------------
नियुक्त करेक्शनल स्टाफ़

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022
नोट: करेक्शनल स्टाफ़ में ये रैंक शामिल हैं: प्रोबेशन ऑफ़िसर/ कल्याण अधिकारी + मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक + सामाजिक कार्यकर्ता/ अन्य

18. प्रति चिकित्सा अधिकारी क़ैदी (व्यक्ति)

फ़ॉर्मूला:
क़ैदियों की संख्या
—------------------------
नियुक्त चिकित्सा अधिकारी

बेंचमार्क: 300 क़ैदियों पर एक चिकित्सा अधिकारी
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022

19. प्रति महिला चिकित्सा अधिकारी पर महिला क़ैदियों की संख्या

(व्यक्ति)
फ़ॉर्मूला:
वर्ष के अंत में महिला क़ैदियों की संख्या

कुल महिला चिकित्सा अधिकारी

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022

रुझान

20. अधिकारियों के ख़ाली पद (प्रतिशत अंक)

ऑफ़िसर वैकेंसी (%): XN

2018	X1	
2022	X5	(X5-X1)/X1*100

फ़ॉर्मूला:
ऑफ़िसर वैकेंसी (प्रतिशत अंक): (X5-X1)/X1*100

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2018 से 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया
नोट: अधिकारियों में ये रैंक शामिल हैं: DG/ एडिशनल DG/IG + DIG + AIG+ अधीक्षक + उप अधीक्षक + सहायक अधीक्षक + जेलर + डिप्टी जेलर + सहायक जेलर + अन्य।

21. कैडर स्टाफ़ वैकेंसी (प्रतिशत अंक)

कैडर स्टाफ़ वैकेंसी (%) = XN

2018	X1	
2022	X5	(X5-X1)/X1*100

फ़ॉर्मूला:
कैडर स्टाफ़ वैकेंसी (प्रतिशत अंक): (X5-X1)/X1*100

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2018 से 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया
नोट: कैडर में ये रैंक शामिल हैं: हेड वार्डर्स + हेड मैट्रन्स + वार्डर्स + मैट्रन्स + अन्य

22. जेल स्टाफ़ में महिलाओं की भागीदारी (प्रतिशत अंक)

जेल स्टाफ़ में महिलाओं की भागीदारी (%)= XN

2018	X1	
2022	X5	(X5-X1)/X1*100

फ़ॉर्मूला:
जेल स्टाफ़ में महिलाओं की भागीदारी (प्रतिशत अंक):(X5-X1)/X1*100

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2018 से 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया

23. प्रति जेल अधिकारी क़ैदी (%)

प्रति जेल अधिकारी क़ैदी (%) = XN

2018	X1	
2022	X5	(X5-X1)/X1*100

फ़ॉर्मूला:
प्रति जेल अधिकारी क़ैदी (%):(X5-X1)/X1*100

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2018 से 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया
नोट: अधिकारियों में ये रैंक शामिल हैं: अधीक्षक + उप अधीक्षक + सहायक अधीक्षक + जेलर + डिप्टी जेलर + सहायक जेलर + अन्य।

24. प्रति कैडर स्टाफ़ क़ैदी (%)

प्रति कैडर स्टाफ़ क़ैदी (%) = XN

2017	X1	
2018	X2	((X2/ X1)-1)*100 = A
2019	X3	((X3/X2)-1)*100 = B
2020	X4	((X4/X3)-1) *100 = C
2021	X5	((X5/X4)-1) *100 = D
2022	X6	((X6/X5)-1) *100 = E

फ़ॉर्मूला:
प्रति कैडर स्टाफ़ क़ैदी (%):पांच साल का औसत(A,B,C,D,E)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2018 से 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया
नोट: कैडर में ये रैंक शामिल हैं: हेड वार्डर्स + हेड मैट्रन्स + वार्डर्स + मैट्रन्स + अन्य।

25. विचाराधीन क़ैदियों की हिस्सेदारी (प्रतिशत अंक)

विचाराधीन क़ैदियों का हिस्सा(%) (XN) : विचाराधीन क़ैदियों की संख्या/कुल क़ैदियों की संख्या*100

2017	X1	
2018	X2	((X2/ X1)-1)*100 = A
2019	X3	((X3/X2)-1)*100 = B
2020	X4	((X4/X3)-1) *100 = C
2021	X5	((X5/X4)-1) *100 = D
2022	X6	((X6/X5)-1) *100 = E

फ़ॉर्मूला: विचाराधीन क़ैदियों की हिस्सेदारी (प्रतिशत अंक): पांच साल का औसत (A,B,C,D,E)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2018 से 2022
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया

26. प्रति क़ैदी ख़र्च (%)

प्रति क़ैदी ख़र्च= XN

2018-19	X1	
2019-20	X2	((X2/ X1)-1)*100 = A
2020-21	X3	((X3/X2)-1)*100 = B
2021-22	X4	((X4/X3)-1) *100 = C
2022-23	X5	((X5/X4)-1) *100 = D
2022	X6	((X6/X5)-1) *100 = E

फ़ॉर्मूला: प्रति क़ैदी ख़र्च (%): पांच साल का औसत(A,B,C,D,E)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: वित्तीय वर्ष 2018-2019 से 2022-2023
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया

27. जेल बजट का उपयोग (प्रतिशत अंक)

जेल बजट का उपयोग= XN

2017-18	X1	
2018-19	X2	((X2/ X1)-1)*100 = A
2019-20	X3	((X3/X2)-1)*100 = B
2020-21	X4	((X4/X3)-1) *100 = C
2021-22	X5	((X5/X4)-1) *100 = D
2022-23	X6	((X6/X5)-1) *100 = E

फ़ॉर्मूला: जेल बजट का उपयोग (प्रतिशत अंक) : पांच साल का औसत(A,B,C,D,E)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: वित्तीय वर्ष 2018-2019 से 2022-2023
स्रोत: प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया

28. ख़र्च में अंतर: जेल बनाम राज्य (प्रतिशत अंक)

जेल पर ख़र्च (PE) = XN
राज्य का ख़र्च (SE) = YN

जेल पर ख़र्च (XN)

2016-17	X1	
2017-18	X2	((X2/ X1)-1)*100 = A
2018-19	X3	((X3/X2)-1)*100 = B
2019-20	X4	((X4/X3)-1) *100 = C
2020-21	X5	((X5/X4)-1) *100 = D
2021-22	X6	((X6/X5)-1) *100 = E

राज्य का ख़र्च (YN)

2016-17	Y1	
2017-18	Y2	((Y2/ Y1)-1)*100 = A
2018-19	Y3	((Y3/Y2)-1)*100 = B
2019-20	Y4	((Y4/Y3)-1) *100 = C
2020-21	Y5	((Y5/Y4)-1) *100 = D
2021-22	Y6	((Y6/Y5)-1) *100 = E

फ़ॉर्मूला: ख़र्च में अंतर: जेल बनाम राज्य (प्रतिशत अंक): पांच साल का औसत(AX,BX..EX)-पांच साल का औसत(AY,BY..EY)

बेंचमार्क: शून्य से अधिक
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: वित्तीय वर्ष 2017-2018 से 2021-2022
स्रोत: भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; ओपन बजट, गृह मंत्रालय का वित्त प्रभाग; प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया।

न्यायपालिका

बजट

1. न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति ख़र्च (रु.)

फ़ॉर्मूला:
न्यायिक ख़र्च
——————————————
राज्य की जनसंख्या

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: मार्च 2023 (जनसंख्या) | 2022-2023 (न्यायिक ख़र्च)

स्रोत: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते (2022-23), भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; गृह मंत्रालय का वित्त प्रभाग

मानव संसाधन

2. जनसंख्या प्रति हाई कोर्ट जज (व्यक्ति)

फ़ॉर्मूला:

राज्य की जनसंख्या
—----------------------------------
हाई कोर्ट के जज

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: फरवरी 2025 (जनसंख्या) | फरवरी 2025 (हाई कोर्ट के जज)
स्रोत: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; न्याय मंत्रालय, फरवरी 2025
नोट: जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एक ही हाई कोर्ट है, उनकी जनसंख्या को जोड़ा गया है, और इसलिए उनमें एक जैसे नतीजे हैं। इनमें केरल और लक्षद्वीप; पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़; असम, मिज़ोरम, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव; तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल हैं।

3. जनसंख्या प्रति अधीनस्थ न्यायालय जज (व्यक्ति)

फ़ॉर्मूला:

राज्य की जनसंख्या
—----------------------------------
अधीनस्थ न्यायालय के जज

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: जनवरी 2025 (जनसंख्या) | 30 जनवरी 2025 (अधीनस्थ न्यायालय के जज)
स्रोत: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; राज्य सभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 433 (अधीनस्थ न्यायालय वैकेंसी)

4. हाई कोर्ट जज वैकेंसी (%)

फ़ॉर्मूला:

हाई कोर्ट के कार्यरत जज
100- (—------------------------------X 100)
हाई कोर्ट के जजों की स्वीकृत संख्या

बेंचमार्क: 0%
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: फरवरी 2025
स्रोत: न्याय मंत्रालय

5. अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश के ख़ाली पद (%)

फ़ॉर्मूला:

अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत जज
100- (—--------------------------------X 100)
अधीनस्थ न्यायालय में जजों की स्वीकृत संख्या

बेंचमार्क: 0%
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 30 जनवरी 2025
स्रोत: राज्य सभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 433

6. हाई कोर्ट स्टाफ़ वैकेंसी (%)

फ़ॉर्मूला:

हाई कोर्ट में कार्यरत स्टाफ़
100- (—-------------------------------X 100)
हाई कोर्ट में स्वीकृत स्टाफ़

बेंचमार्क: 0%
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2023-2024
स्रोत: सुप्रीम कोर्ट वार्षिक रिपोर्ट (खंड 2 - हाई कोर्ट्स) 2023-2024

विविधता

7. महिला जज (हाई कोर्ट) (%)

फ़ॉर्मूला:

हाई कोर्ट में महिला जज
—------------------------------X 100
कुल हाई कोर्ट जज

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 1 फरवरी 2025
स्रोत: न्याय मंत्रालय

8. महिला जज (अधीनस्थ न्यायालय) (%)

फ़ॉर्मूला:

अधीनस्थ न्यायालयों में महिला जज
—--------------------------------------X 100
अधीनस्थ न्यायालयों में कुल जज

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: दिसंबर 2022
स्रोत: लोकसभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 490

9. अनुसूचित जाति के जज, नियुक्त और आरक्षित पदों का अनुपात (अधीनस्थ न्यायालय) (%)

फ़ॉर्मूला:

नियुक्त अनुसूचित जाति (SC) जज
---* 100
(अधीनस्थ न्यायालय में जजों के स्वीकृत पद* SC आरक्षण)

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 25 जुलाई 2022
स्रोत: राज्य सभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 1075

10. अनुसूचित जनजाति के जज, नियुक्त और आरक्षित पदों का अनुपात (अधीनस्थ न्यायालय)(%)

फ़ॉर्मूला:

नियुक्त अनुसूचित जनजाति (ST) जज
--*100
(अधीनस्थ न्यायालय में जजों के स्वीकृत पद* ST आरक्षण)

बेंचमार्क: 100% स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर अवधि/तिथि: 25 जुलाई 2022
स्रोत: राज्य सभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 1075

11. ओबीसी जज, नियुक्त और आरक्षित पदों का अनुपात (अधीनस्थ न्यायालय) (%)

फ़ॉर्मूला:

ओबीसी (OBC) जज
--*100
(अधीनस्थ न्यायालय में जजों के स्वीकृत पद* OBC आरक्षण)

बेंचमार्क: 100% स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर अवधि/तिथि: 25 जुलाई 2022
स्रोत: लोक सभा, अतारांकित प्रश्न NO. 2116

इंफ़्रास्ट्रक्चर

12. कोर्टहॉल की कमी (%)

फ़ॉर्मूला:

कोर्टहॉल की संख्या
100 – (-----------------------------------*100)
अधीनस्थ न्यायालय के स्वीकृत जज

बेंचमार्क: 0%
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 30 जनवरी 2025
स्रोत: लोकसभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 794 (कोर्टहॉल) और राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 433 (अधीनस्थ न्यायालय वैकेंसी)

कार्यभार

13. 3 साल से अधिक समय से पेंडिंग केस (हाई कोर्ट) (%)

फ़ॉर्मूला:
हाई कोर्ट्स में 3 साल से अधिक समय से पेंडिंग केस
---*100
हाई कोर्ट्स में कुल पेंडिंग केस

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि:
स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड
नोट: सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केस सम्मिलित

14. 3 साल से अधिक समय से पेंडिंग केस (अधीनस्थ न्यायालय) (%)

फ़ॉर्मूला:
अधीनस्थ न्यायालयों में 3 साल से अधिक समय से पेंडिंग केस
--*100
अधीनस्थ न्यायालयों में कुल पेंडिंग केस

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि:
स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड
नोट: सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केस सम्मिलित

15. केस क्लियरेंस रेट (हाई कोर्ट) (%)

फ़ॉर्मूला:
हाई कोर्ट में निपटाए गए केस
-- * 100
हाई कोर्ट में फ़ाइल केस
बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: दिसंबर 2024
आंकड़ों का स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड
नोट: सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केस सम्मिलित

16. केस क्लियरेंस रेट (अधीनस्थ न्यायालय) (%)

फ़ॉर्मूला:
अधीनस्थ न्यायालय में निपटाए गए केस
--*100
अधीनस्थ न्यायालय में फ़ाइल केस

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: दिसंबर 2024
आंकड़ों का स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड
नोट: सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केस सम्मिलित

रुझान

17. लंबित केस (प्रति हाई कोर्ट जज) (%)

लंबित केस (हाई कोर्ट जज): XN

2018	X1	
2019	X2	((X2/ X1)-1) *100 = A
2020	X3	((X3/X2)-1) *100 = B
2021	X4	((X4/X3)-1) *100 = C
2022	X5	((X5/X4)-1) *100 = D
2023	X6	((X6/X5)-1) *100 = E

फ़ॉर्मूला:
लंबित केस (प्रति हाई कोर्ट जज) (%): पांच साल का औसत(A,B,C,D,E)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2019 - 2023
आंकड़ों का स्रोत:
नोट: सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केस सम्मिलित

18. लंबित केस (प्रति अधीनस्थ न्यायालय जज) (%)

2018 लंबितकेस(प्रतिअधीनस्थन्यायालयजज) – X1		
2019	X2	((X2/ X1)-1) *100 = A
2020	X3	((X3/X2)-1) *100 = B
2021	X4	((X4/X3)-1) *100 = C
2022	X5	((X5/X4)-1) *100 = D
2023	X6	((X6/X5)-1) *100 = E

फ़ॉर्मूला:
लंबित केस (प्रति अधीनस्थ न्यायालय जज) (%): पांच साल का औसत(A,B,C,D,E)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2019 - 2023
आंकड़ों का स्रोत:
नोट: सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केस सम्मिलित

19. कुल लंबित केस (हाई कोर्ट) (%)

फ़ॉर्मूला:
हाई कोर्ट केस (सिविल+क्रिमिनल)= XN

2018	X1	
2019	X2	((X2/ X1)-1) *100 = A
2020	X3	((X3/X2)-1) *100 = B
2021	X4	((X4/X3)-1) *100 = C
2022	X5	((X5/X4)-1) *100 = D
2023	X6	((X6/X5)-1) *100 = E

फ़ॉर्मूला:
कुल लंबित केस (हाई कोर्ट) (%): पांच साल का औसत(A,B,C,D,E)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2019 - 2023
आंकड़ों का स्रोत:
नोट: सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केस सम्मिलित

20. कुल लंबित केस (अधीनस्थ न्यायालय) (%)

अधीनस्थ न्यायालय केस (सिविल+क्रिमिनल)=XN

2018	X1	
2019	X2	((X2/ X1)-1) *100 = A
2020	X3	((X3/X2)-1) *100 = B
2021	X4	((X4/X3)-1) *100 = C
2022	X5	((X5/X4)-1) *100 = D
2023	X6	((X6/X5)-1) *100 = E

फ़ॉर्मूला:
TOTAL लंबित केस (अधीनस्थ न्यायालय) (%):पांच साल का औसत(A,B,C,D,E)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2019 - 2023
आंकड़ों का स्रोत:
नोट: सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केस सम्मिलित

21. हाई कोर्ट जजों के ख़ाली पद (प्रतिशत अंक)

हाई कोर्ट जजों के ख़ाली पद (%): XN
2019 X1
2023 X5 (X5-X1)/X1*100

फ़ॉर्मूला:
हाई कोर्ट जजों की वैकेंसी (प्रतिशत अंक) :(X5-X1)/X1*100

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2019 TO 2023
स्रोत: न्याय मंत्रालय

22. अधीनस्थ न्यायालय जजों की वैकेंसी (प्रतिशत अंक)

अधीनस्थ न्यायालय जजों की वैकेंसी (%): XN
2019 X1
2023 X5 (X5-X1)/X1*100

फ़ॉर्मूला:
अधीनस्थ न्यायालय जजों के ख़ाली पद (प्रतिशत अंक):(X5-X1)/X1*100

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2019 TO 2023
स्रोत: न्याय मंत्रालय

23. केस क्लियरेंस रेट (हाई कोर्ट) (प्रतिशत अंक)

केस क्लियरेंस रेट (XN)=

हाई कोर्ट में निपटाए गए केस (सिविल + क्रिमिनल)
-------------------------------------* 100
हाई कोर्ट में फ़ाइल केस (सिविल + क्रिमिनल)

2018	X1	
2019	X2	((X2/ X1)-1)*100 = A
2020	X3	((X3/X2)-1)*100 = B
2021	X4	((X4/X3)-1) *100 = C
2022	X5	((X5/X4)-1) *100 = D
2023	X6	((X6/X5)-1) *100 = E

फ़ॉर्मूला:
केस क्लियरेंस रेट (हाई कोर्ट) (प्रतिशत अंक): पांच साल का औसत(A,B,C,D,E)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2019 से 2023
स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड
नोट: सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केस सम्मिलित

24. केस क्लियरेंस रेट (अधीनस्थ न्यायालय) (प्रतिशत अंक)

केस क्लियरेंस रेट (XN)=

अधीनस्थ न्यायालय में निपटाए गए केस (सिविल + क्रिमिनल)
—--* 100
अधीनस्थ न्यायालय में फ़ाइल केस (सिविल + क्रिमिनल)

2018	X1	
2019	X2	((X2/ X1)-1)*100 = A
2020	X3	((X3/X2)-1)*100 = B
2021	X4	((X4/X3)-1) *100 = C
2022	X5	((X5/X4)-1) *100 = D
2023	X6	((X6/X5)-1) *100 = E

फ़ॉर्मूला:
केस क्लियरेंस रेट (अधीनस्थ न्यायालय) (प्रतिशत अंक): पांच साल का औसत(A,B,C,D,E)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2019 से 2023
स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड
नोट: सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केस सम्मिलित

25. ख़र्च में अंतर: न्यायपालिका बनाम राज्य (प्रतिशत अंक)

न्यायपालिका पर ख़र्च (JE) = XN
राज्य का ख़र्च (SE) = YN

2017-18 X1	
2018-19 X2	((X2/ X1)-1)*100 = A
2019-20X3	((X3/X2)-1)*100 = B
2020-21X4	((X4/X3)-1) *100 = C
2021-22 X5	((X5/X4)-1) *100 = D
2022-23X6	((X6/X5)-1) *100 = E

पांच साल का औसत (A,B,C,D,E)

2017-18 Y1	
2018-19 Y2	((Y2/ Y1)-1)*100 = A
2019-20Y3	((Y3/Y2)-1)*100 = B
2020-21Y4	((Y4/Y3)-1) *100 = C
2021-22 Y5	((Y5/Y4)-1) *100 = D
2022-23Y6	((Y6/Y5)-1) *100 = E

पांच साल का औसत (A,B,C,D,E)
फ़ॉर्मूला:
ख़र्च में अंतर: न्यायपालिका बनाम राज्य (प्रतिशत अंक): पांच साल का औसत(A,B..E)-पांच साल का औसत(A,B..E)

बेंचमार्क: शून्य से अधिक
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: वित्तीय वर्ष 2017-2018 से 2022-2023

क़ानूनी सहायता बजट

1. नालसा फ़ंड का उपयोग (%)
फ़ॉर्मूला:
नालसा फ़ंड का उपयोग ----------------- *100
आगे बढ़ाया गया नालसा का शेष फ़ंड + इस साल प्राप्त राशि

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2022-2023
आंकड़ों का स्रोत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)

2. क़ानूनी सहायता के बजट में राज्य की हिस्सेदारी (%)

फ़ॉर्मूला:

क़ानूनी सहायता के लिए राज्य द्वारा आवंटन (बजट ख़र्च)
--- * 100
(राज्य का आवंटन + NALSA का आवंटन)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2022-2023
आंकड़ों का स्रोत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA); राज्य बजट दस्तावेज़

3. राज्य के क़ानूनी सहायता बजट का उपयोग (%)

फ़ॉर्मूला:

राज्य द्वारा क़ानूनी सहायता पर ख़र्च (वास्तविक ख़र्च) ----------------------------------- * 100
राज्य द्वारा आवंटन (बजट ख़र्च)

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2022-2023
आंकड़ों का स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़

4. क़ानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति ख़र्च (रु.)

फ़ॉर्मूला:

राज्य द्वारा राज्य बजट और नालसा फ़ंड से ख़र्च
—--
राज्य की जनसंख्या

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: मार्च 2023 (जनसंख्या) | 2022-2023 (राज्य ख़र्च और नालसा फ़ंड ख़र्च

मानव संसाधन

5. DLSA सचिव वैकेंसी (%)

फ़ॉर्मूला:

नियुक्त DLSA सचिव
100 - (---------------------------------- * 100)
DLSA सचिव के स्वीकृत पद

बेंचमार्क: 0%
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: मार्च 2024
आंकड़ों का स्रोत: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे गए RTI आवेदन
NOTE: DLSA का आशय ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से है।

6. पैरालीगल वॉलनटियर प्रति लाख जनसंख्या (व्यक्ति)

फ़ॉर्मूला:

पैरालीगल वॉलनटियर्स (PLVS)

राज्य की जनसंख्या

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: मार्च 2024 (जनसंख्या); सितंबर 2024 (PLVS)
आंकड़ों का स्रोत: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) से प्राप्त RTI के उत्तर

7. DLSAS (%) में से स्वीकृत सचिवों की हिस्सेदारी (%)

फ़ॉर्मूला:

स्वीकृत DLSA सचिव
-- * 100
कुल DLSAS

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: मार्च 2024 (स्वीकृत DLSA सचिव) | दिसंबर 2024 (DLSAS की संख्या)
आंकड़ों का स्रोत: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे गए RTI आवेदन और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
NOTE: DLSA का आशय ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से है।

विविधता

8. सचिव में महिलाएं (%)

फ़ॉर्मूला:

महिला DLSA सचिव
—---------------------------------------X 100
कुल नियुक्त DLSA सचिव

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: मार्च 2024
स्रोत: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे गए RTI आवेदन
NOTE: DLSA का आशय ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से है।

9. पैनल में शामिल महिला वकील (%)

फ़ॉर्मूला:

महिला पैनल लॉयर्स
—---------------------------------------X 100
कुल पैनल लॉयर्स

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: सितंबर 2024
स्रोत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे गए RTI आवेदन

10. महिला पैरालीगल वॉलनटियर्स (%)

फ़ॉर्मूला:

महिला पैरालीगल वॉलनटियर्स
—---------------------------------------X 100
कुल पैरालीगल वॉलनटियर्स

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: सितंबर 2024
स्रोत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे गए RTI आवेदन

इंफ़्रास्ट्रक्चर

11. राज्य के न्यायिक ज़िलों (%) में DLSA (%)

फ़ॉर्मूला:

कुल DLSAS
—---------------------------------------X 100
न्यायिक ज़िले

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: दिसंबर 2024 (DLSAS की संख्या) | मार्च 2023 (न्यायिक ज़िले)
स्रोत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे गए RTI आवेदन और राज्य प्रोफ़ाइल पुस्तिका
NOTE: DLSA का आशय ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से है।

12. DLSA में मौजूद फ़्रंट ऑफ़िस (%)

फ़ॉर्मूला:

DLSAS में मौजूद कुल फ़्रंट ऑफ़िस
—---------------------------------------X 100
कुल DLSAS

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: दिसंबर 2024
स्रोत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे गए RTI आवेदन

NOTE: DLSA का आशय ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से है।

13. प्रति जेल विधिक सहायता क्लीनिक (संख्या)

फ़ॉर्मूला:
जेलों में विधिक सहायता क्लीनिक
—---------------------------------------X 100
कुल जेलें

बेंचमार्क: 1 प्रति जेल
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2023-2024 (विधिक सहायता क्लीनिक) | दिसंबर 2022 (कुल जेलें)
स्रोत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे RTI आवेदन

14. प्रति विधिक सहायता क्लीनिक गांव (संख्या)

फ़ॉर्मूला:
गांवों की संख्या
—---------------------------------------X 100
गांवों में विधिक सहायता क्लीनिक

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2023-2024 (विधिक सहायता क्लीनिक) | दिसंबर 2022 (कुल गांव)
स्रोत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे गए RTI आवेदन

कार्यभार

15. स्थायी लोक अदालत केस: प्राप्त(%) में से निपटाए गए(%)
फ़ॉर्मूला:
स्थायी लोक अदालत में निपटाए गए केस (PLAS)
--* 100
स्थायी लोक अदालत में प्राप्त केस

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2023-2024
आंकड़ों का स्रोत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)

16. SLSA लोक अदालतों में पूर्व मुक़दमेबाज़ी वाले केसों का निपटारा (%)

फ़ॉर्मूला:
वर्ष में निपटाए गए पूर्व मुक़दमेबाज़ी के केस
--* 100
वर्ष में लिए गए पूर्व मुक़दमेबाज़ी के केस

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2023-2024
आंकड़ों का स्रोत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)

17. SLSA लोक अदालतों में लंबित केसों का निपटारा (%)

फ़ॉर्मूला:
वर्ष में निपटाए गए लंबित केस
---* 100
वर्ष में लिए गए लंबित केस

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2023-2024
आंकड़ों का स्रोत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)

राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRCs)

बजट

1. बजट उपयोग (%)

फ़ॉर्मूला:
SHRC द्वारा ख़र्च
--- *
100
SHRC द्वारा आवंटन

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2022-2023
आंकड़ों का स्रोत: SHRCS को भेजे गए RTI आवेदन

मानव संसाधन

2. SHRC कुल स्टाफ़ वैकेंसी (%)

फ़ॉर्मूला:
नियुक्त स्टाफ़
100 - (-------------------------------- *100)
स्वीकृत स्टाफ़

बेंचमार्क: 0%
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2023-2024
आंकड़ों का स्रोत: SHRCS को भेजे गए RTI आवेदन

3. SHRC कार्यकारी स्टाफ़ वैकेंसी (%)

फ़ॉर्मूला:
नियुक्त कार्यकारी स्टाफ़
100 - (-------------------------------- *100)
स्वीकृत कार्यकारी स्टाफ़

बेंचमार्क: 0%
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: मार्च 2024
आंकड़ों का स्रोत: SHRCS को भेजे गए RTI आवेदन
NOTE: कार्यकारी स्टाफ़ में चेयरपर्सन, दो सदस्य और सचिव शामिल हैं

4. SHRC जांच विभाग में वैकेंसी (%)

फ़ॉर्मूला:
जांच विभाग में नियुक्त स्टाफ़
100 - (---------------------------------- *100)
जांच विभाग में स्वीकृत स्टाफ़

बेंचमार्क: 0%
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2023-2024
आंकड़ों का स्रोत: SHRCS को भेजे गए RTI आवेदन

विविधता

5. SHRC में कुल महिला स्टाफ़ (%)

फ़ॉर्मूला:
महिला स्टाफ़
—---------------------------------------X 100
कुल SHRC स्टाफ़

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2023-2024
स्रोत: SHRCS को भेजे गए RTI आवेदन

6. कार्यकारी स्टाफ़ में महिलाओं की हिस्सेदारी (%)

फ़ॉर्मूला:

महिला कार्यकारी स्टाफ़

—---------------------------------------X 100

कुल कार्यकारी स्टाफ़

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: मार्च 2024
स्रोत: SHRCS को भेजे गए RTI आवेदन
NOTE: कार्यकारी स्टाफ़ में चेयरपर्सन, दो सदस्य और सचिव शामिल हैं

7. जांच विभाग में महिलाओं की हिस्सेदारी (%)

फ़ॉर्मूला:

जांच विभाग में महिलाएं

—---------------------------------------X 100

जांच विभाग में कुल स्टाफ़

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: 2023-2024
स्रोत: SHRCS को भेजे गए RTI आवेदन

रुझान

8. औसत केस क्लियरेंस रेट (%)

केस क्लियरेंस रेट के लिए

SHRC द्वारा एक वर्ष में निपटाए गए केस

-------------------------------------- * 100= XN

SHRC द्वारा एक वर्ष में दाख़िल/दर्ज किए गए केस

2021-2022	CCR = X1
2022-2023	X2
2023-2024	X3

फ़ॉर्मूला:

औसत केस क्लियरेंस रेट (%): तीन साल का औसत (A,B,C)

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: तीन वर्ष 2021-2024
स्रोत: SHRCS को भेजे गए RTI आवेदन

9. औसत बजट का उपयोग (%)

फ़ॉर्मूला:

SHRC द्वारा कुल बजट ख़र्च (2018-23)

---------------------- -------------------- * 100

SHRC द्वारा कुल बजट आवंटन (2018-23)

बेंचमार्क: 100%
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर
अवधि/तिथि: वित्तीय वर्ष 2018-2023
स्रोत: SHRCS को भेजे गए RTI आवेदन

संदर्भ

लेख

1. परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह [स्पेशल लीव पिटीशन (आपराधिक) संख्या 3543/2020]
2. प्रोजेक्ट 39A, फॉरेंसिक साइंस इंडिया रिपोर्ट, पृष्ठ 32. उपलब्ध: https://www.project39a.com/fsir-report
3. 'आर ओपन प्रिज़न्स पोटेंशियली रिहैबिलिटेटिव?', द वायर, 26 मई 2024. उपलब्ध: https://thewire.in/rights/are-open-prisons-potentially-rehabilitative
4. सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन रूल्स पर्पेचुएटिंग कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिज़न्स; सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, 25 अक्टूबर 2024. उपलब्ध: www.scobserver.in/journal/supreme-court-strikes-down-rules-perpetuating-caste-based-segregation-and-discrimination-in-prison-judgement-summary
5. सुरेश नीलिना (2022)। एक्सप्लेन्ड: हाउ द यूनियन बजट फंड्स इंडियाज जस्टिस सिस्टम, इंडिया स्पेंड, 22 फरवरी 2022. उपलब्ध: https://www.indiaspend.com/explainers/how-the-union-budget-funds-indias-justice-system-804821
6. जनवरी 2025: पेंडेंसी इन्क्रीज्ड बाइ ओवर 2600 कंपेयर्ड टू लास्ट जनवरी, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, 6 फरवरी 2025. उपलब्ध: https://www.scobserver.in/journal/january-2025-pendency-increases-by-over-2600-compared-to-last-january/
7. DAKSH, डीकंस्ट्रक्टिंग डिले: एनालिसिस ऑफ़ डिलेज इन हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उपलब्ध: https://www.dakshindia.org/Daksh_Justice_in_India/19_chapter_01.xhtml
8. 'सीजेआई टर्म्ड गवर्नमेंट एज बिगेस्ट लिटिगैंट्स, सेज डॉकेट एक्सप्लोजन ड्यू टू एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर', इकनॉमिक टाइम्स, 30 अप्रैल 2022. उपलब्ध: https://economictimes.indiatimes.com/news/india/cji-terms-govts-as-biggest-litigants-says-docket-explosion-due-to-executive-legislature/articleshow/91203374.cms?from=mdr

पुलिस

1. डेटा ऑन पुलिस ऑर्गनाइजेशन, 2023, ब्यूरो ऑफ़ पुलिस रिसर्च & डेवलपमेंट
2. मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स, वुमन सेफ्टी डिविज़न, 10 जनवरी 2020. उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/advisory_21052021_0_1.pdf
3. 'पुलिसिंग इन पैट्रियार्की: एन एक्सपेरिमेंटल इवैल्युएशन ऑफ़ रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव पुलिस रिस्पॉन्सिवनेस टू वुमन इन इंडिया', साइंस, वॉल्यूम 377, इश्यू 6602, जुलाई 2022. उपलब्ध: https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/science.abm7387
4. गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, सेवन्थ रिपोर्ट ऑफ़ द नेशनल पुलिस कमिशन, मे 1981, चैप्टर L: ऑर्गनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ़ पुलिस, पेज- 4
5. ब्यूरो ऑफ़ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिवाइज़्ड वर्क नॉर्म्स फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज एंड गवर्नमेंट एग्ज़ैमिनर्स ऑफ़ क्वेश्चन्ड डॉक्यूमेंट्स, 2002. उपलब्ध: http://dfs.nic.in/pdfs/worknorms2002.pdf
6. मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स, गाइडलाइन्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ 'असिस्टेंस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज़ फॉर मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ़ पुलिस (ASUMP)', 8 अगस्त 2022. उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2022-11/ATTACHMENTAGuidelinesschemeASUMP_06102022%5B1%5D.pdf
7. मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स, वुमन सेफ्टी-II सेक्शन, क्राइम्स अगेंस्ट वुमन, एडवाइज़री F. No.15011/48/2009-SC/ST-W, 9 सितम्बर 2009. उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2022-09/AdCrimeAgnstWomen170909%5B1%5D.pdf

जेल

1. प्रिज़न्स स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो
2. 'सेलेक्टेड रिकमेंडेशन्स एंड गाइडलाइन्स ऑन 'कैपेसिटी' बाय प्रिज़न रिफॉर्म कमिटीज़ इन इंडिया।' उपलब्ध: https://indiajusticereport.org/files/IJR_Recommendation_for_Prison_Reforms_in_India.pdf

3. ब्यूरो ऑफ़ पुलिस रिसर्च & डेवलपमेंट, मॉडल प्रिज़न मैनुअल फॉर द सुपरिंटेंडेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ़ प्रिज़न्स इन इंडिया 2003
उपलब्ध: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:ap:5386b0cd-017c-414a-a4c0-deae350ba73f

4. गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स, एडवाइजरी नंबर V-17013/22/2023-PR
उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/advisory_10112023.pdf

5. राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1030, दिनांक 31 जुलाई 2024
उपलब्ध: https://sansad.in/getFile/annex/265/AU1030_1rfBIh.pdf?source=pqars

6. रिज़ोल्यूशन A/RES/45/110, यूनाइटेड नेशन्स जनरल असेंबली (44 वां सत्र; 1989-1990)
उपलब्ध: https://www.refworld.org/legal/resolution/unga/1991/en/33347

7. सुहास चकमा बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य [रिट पिटीशन (सिविल) नंबर 1082/2020]

8. मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, मॉडल प्रिज़न मैनुअल, 2016, चैप्टर XXIII
उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PrisonManual2016.pdf

9. सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, ई-कमेटी, मॉडल रूल्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर कोर्ट्स, रूल 3(i)
उपलब्ध: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s388ef51f0bf911e452e8dbb1d807a81ab/uploads/2020/08/2020082629.pdf

10. रि-इनह्युमन कंडीशन्स इन 1382 प्रिज़न्स रिट पिटीशन (सिविल) नंबर 406/2013

न्यायपालिका

1. राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2043, दिनांक 12 दिसम्बर 2024
उपलब्ध: https://sansad.in/getFile/annex/266/AU2043_z04FVP.pdf?source=pqars

2. लॉ कमीशन ऑफ़ इंडिया, 120 वीं रिपोर्ट: मैनपावर प्लानिंग इन इंडिया: अ ज्यूडिशियल ब्लूप्रिंट, 1987

उपलब्ध: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022080852.pdf

3. लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 843, दिनांक 26 जुलाई 2024
उपलब्ध: https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/182/AU843_CTC1Jh.pdf?source=pqals

4. डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ़ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया; न्याय विकास पोर्टल
उपलब्ध: https://bhuvan-nyayavikas.nrsc.gov.in/

क़ानूनी सहायता

1. नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, मैनुअल फॉर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज 2023, पार्ट B - रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ़ DLSAs
उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/library/manual-for-district-legal-services-authorities-2023

2. लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987
उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/acts-rules/the-legal-services-authorities-act-1987

3. नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (लीगल सर्विसेज क्लीनिक्स) रेगुलेशन्स, 2011
उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/acts-rules/regulations/national-legal-services-authority-legal-services-clinics-regulations-2011

4. NALSA (फ्री एंड कम्पेटेंट लीगल सर्विसेज) रेगुलेशन्स, 2010
उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/acts-rules/regulations/national-legal-services-authority-free-and-competent-legalservices-regulations-2010

5. गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स, एडवाइजरी नंबर V-17013/26/2023-PR दिनांक 9 फरवरी 2024
उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-09/poorprisoners_20022024.pdf

6. इन रि पॉलिसी स्ट्रैटेजी इन ग्रांट ऑफ़ बैल [सूओ मोटू रिट पेटीशन (क्रिमिनल) नंबर 4/2021]

7. NALSA का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर अंडरट्रायल रिव्यू कमेटीज
उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/acts-rules/guidelines/standard-operating-procedure-sop-guidelines-for-utrcs

राज्य मानवाधिकार आयोग

1. प्रोटेक्शन ऑफ़ द ह्यूमन राइट्स एक्ट

उपलब्ध: https://nhrc.nic.in/sites/default/files/PHRAct_2021_0.pdf

2. GANHRI, रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन्स ऑफ़ द सेशन ऑफ़ द सब-कमिटी ऑन एक्रेडिटेशन (SCA), पृष्ठ 30, 20-24 मार्च 2023 उपलब्ध: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/nhri/ganhri/SCA-Report-First-Session-2023-EN.pdf

3. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वार्षिक बजट 2022-2023 उपलब्ध: https://nhrc.nic.in/activities/annual-budgets

मध्यस्थता

1. सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया, 2005 (6) SCC 344

2. मीडिएशन एक्ट, 2023

3. दीपिका किंहल, अपूर्वा, अनिवार्य मध्यस्थता इन इंडिया - रेजॉल्विंग टू रेजॉल्व, 2021
उपलब्ध: https://vidhilegalpolicy.in/wp-content/uploads/2021/03/Mandatory-Mediation-in-India-Resolving-to-Resolve.pdf

4. NALSA, सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन रिपोर्ट - अप्रैल 2024 - दिसम्बर 2024
उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/statistics/settlement-through-mediation-report/settlement-through-mediation-report-april-2024-to-december-2024

5. मेडिएशन और कांसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी, MCPC ट्रेन्ड मीडिएटर्स 2023
उपलब्ध: https://mcpc.nic.in/pdfs/MCPC%20Trained%20Mediators%202023.pdf

6. मेडिएशन एंड कांसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी, इंपोर्टेंट रेजोन्यूशन एंड डिसीजन्स बाइ MCPCउपलब्ध: https://mcpc.nic.in/pdfs/16022022_01.pdf

7. कर्नाटक मीडिएशन सेंटर, कर्नाटक हाई कोर्ट
उपलब्ध: https://nyayadegula.kar.nic.in/court_annex.html

अक्षम आंकड़े: भाग-2

1. मिनिस्ट्री ऑफ़ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, द राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, 2016, सेक्शन 12। उपलब्ध: https://disabilityaffairs.gov.in/content/page/acts

2. गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ़ अर्बन डेवलपमेंट, हारमोनाइज्ड गाइडलाइंस एंड स्पेस स्टैंडर्ड्स फॉर बैरियर-फ्री बिल्ट एंवायरनमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड एल्डर्ली पर्सन्स, 2021।
उपलब्ध: https://divyangjan.depwd.gov.in/content/upload/uploadfiles/files/HG2021_MOHUAN%20%281%29_merged.pdf

3. मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स, एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस फॉर MHA-स्पेसिफिक बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड असोसिएटेड सर्विसेज फॉर पुलिस स्टेशन्स, एंड प्रिजन्स एंड डिसास्टर मिटिगेशन सेंटर्स 2021 (द MHA गाइडलाइंस)। उपलब्ध: https://divyangjan.depwd.gov.in/content/upload/uploadfiles/Annex_2.pdf

4. कमिटी ऑन एक्सेसिबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, ए कोर्ट फॉर ऑल: पेविंग द वे फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, विमेन एंड सीनियर सिटीजन्स, 2023।
उपलब्ध: https://main.sci.gov.in/pdf/LU/06112023_140650.pdf

5. सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, हैंडबुक कंसर्निंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज।
उपलब्ध: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3e58aea67b01fa747687f038dfde066f6/uploads/2024/09/20240930824409118.pdf

6. राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, 2016। उपलब्ध: https://disabilityaffairs.gov.in/content/page/acts

7. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा कलेक्शन अंडर आर्टिकल 31 ऑफ़ द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, रिपोर्ट ऑफ़ द ऑफ़िस ऑफ़ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिशनर फॉर ह्यूमन राइट्स।
उपलब्ध: https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-06/G2139630-Accesible.pdf

8. यूनाइटेड नेशंस, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, 2007।
उपलब्ध: https://social.desa.un.org/issues/disability/crpd/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-articles

9. गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ़ एंपावरमेंट ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ़ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद

डिसेबिलिटीज।
उपलब्ध: https://socwelfare.py.gov.in/sites/default/files/ministry-social-justice-and-empowerment.pdf

10. मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स, एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस फॉर MHA-स्पेसिफिक बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड असोसिएटेड सर्विसेज फॉर पुलिस स्टेशन्स, एंड प्रिजन्स एंड डिसास्टर मिटिगेशन सेंटर्स 2021 (द MHA गाइडलाइंस), क्लॉज 8.5.1।
उपलब्ध: https://divyangjan.depwd.gov.in/content/upload/uploadfiles/Annex_2.pdf

11. मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट, 2023, सेक्शन 21।
उपलब्ध: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-12/ModelPrisonsCorrectionalServicesAct_20122024.pdf

12. कमिटी ऑन एक्सेसिबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, ए कोर्ट फॉर ऑल: पेविंग द वे फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, विमेन एंड सीनियर सिटीजन्स, 2023।
उपलब्ध: https://main.sci.gov.in/pdf/LU/06112023_140650.pdf

13. सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर प्रेपरिंग एक्सेसिबल कोर्ट डॉक्युमेंट्स (SOP), 2023।
उपलब्ध: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ec059e740b84bb48a64dde2506156629/uploads/2024/04/2024041956.pdf

14. सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, द स्टेट ऑफ़ द ज्यूडिशियरी रिपोर्ट, 2023।
उपलब्ध: https://main.sci.gov.in/pdf/CRP/12012024_112431.pdf

15. सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, रिपोर्ट ऑफ़ द सब-कमीटी ऑन रिकमेंडेड एक्शन फॉर मार्गिनलाइज़्ड सेक्शंस ऑफ़ द सोसाइटी, 2022। उपलब्ध: https://districts.ecourts.gov.in/sites/default/files/Social_Justice_Committee_Report.pdf

16. हाई कोर्ट ऑफ़ मणिपुर, लिस्टिंग नोटिस, 6 मई 2019। उपलब्ध: https://hcmimphal.nic.in/Documents/Listing%20Notice060519.pdf

17. सीमा गिरिजा लाल एंड अणर बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया एंड अणर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, WPC संख्या 9329/2021

18. सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, रिजोल्यूशन डेटेड 02 मार्च 2023 रेज़ अपॉइंटमेंट ऑफ़ एडवोकेट्स एज जजेज इन द हाई कोर्ट ऑफ़ गुजरात। उपलब्ध: https://main.sci.gov.in/pdf/Collegium/02032023_132119.pdf

19. NALSA, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, उपलब्ध: https://nalsa.gov.in/library/statistical-snapshot

तालिकाओं, चित्रों और मानचित्रों की सूची

तालिकाओं की सूची

	तालिका	पृष्ठ संख्या
राष्ट्रीय निष्कर्ष	तालिका 1:बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की रैंक और स्कोर	13
	तालिका 2: छोटे राज्यों की रैंक और स्कोर	13
पुलिस	तालिका 3: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक	60
जेल	तालिका 4: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक	90
न्यायपालिका	तालिका 5: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक	111
क़ानूनी सहायता	तालिका 6: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक	134
राज्य मानवाधिकार आयोग	तालिका 7: सूचकांक-वार आंकड़े, राज्यों का स्कोर और रैंक	152

चित्रों की सूची

	चित्र	पृष्ठ
राष्ट्रीय निष्कर्ष	चित्र 1: IJR 2022 और IJR 2025 के बीच स्कोरकार्ड में सुधार	14
	चित्र 2: न्यायपालिका में जातिगत प्रतिनिधित्व	16
	चित्र 3: विभिन्न स्तंभों में महिलाओं की भागीदारी	17
	चित्र 4: महिलाओं की भागीदारी 33% तक पहुंचने में लगने वाला समय	18
	चित्र 5: न्याय व्यवस्था में महिलाएं कहां हैं	19
	चित्र 6: प्रशिक्षित बनाम तैनात पैरालीगल वालंटियर (PLVs)	21
	चित्र 7: जनसंख्या और न्यायाधीशों का अनुपात	22
	चित्र 8: फॉरेंसिक विभाग में रिक्तियां	23
	चित्र 9: विभिन्न स्तंभों में रिक्तियां	24
	चित्र 10: न्याय प्रणाली के लिए बजट	27
	चित्र 11: क़ानूनी सहायता बजट में राज्यों की हिस्सेदारी	28
	चित्र 12: अधीनस्थ न्यायालयों में 3 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामले	29
	चित्र 13: हाई कोर्ट में लंबित मामले	30
	चित्र 14: अधीनस्थ न्यायालयों में 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामले	31
पूर्वानुमान	चित्र 15: भारत की भीड़भाड़ वाली जेलें और वहां काम करने वाला सीमित स्टाफ़	35
	चित्र 16: भारत के केसों के बोझ से दबी अदालतें और जजों की लगातार कमी	36
	चित्र 17: भारत में जनसंख्या और पुलिसकर्मियों के अनुपात में सुधार	37
पुलिस	चित्र 18: पुलिस स्टेशन: ग्रामीण-शहरी विभाजन	45
	चित्र 19: प्रशिक्षण संस्थान: 2020 और 2023 के बीच तुलनात्मक कार्यभार	47
	चित्र 20: सिविल पुलिस की स्वीकृत संख्या में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य	49
	चित्र 21: पुलिस प्रशिक्षण बजट	52
	चित्र 22: महिला पुलिसकर्मी: अब भी बहुत कम	54
	चित्र 23: अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व	56
	चित्र 24: राज्य नागरिक पोर्टलों की स्थिति	58

जेल	चित्र 25: भारतीय जेलों में ऑक्यूपेंसी रेट (अधिभोग दर)	74
	चित्र 26: 250% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रेट वाली जेलें	75
	चित्र 27: हिरासत की अवधि के अनुसार विचाराधीन क़ैदी	78
	चित्र 28: मानकों की पूर्ति: काडर स्टाफ़ और चिकित्सा अधिकारी	83
	चित्र 29: एक दशक में भारतीय जेलों की स्थिति	85
	चित्र 30: प्रति क़ैदी प्रतिदिन ख़र्च	86
न्यायपालिका	चित्र 31: अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों का स्तर	102
	चित्र 32: न्यायिक संरचना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना	104
	चित्र 33: न्यायपालिका में महिलाएं	106
	चित्र 34: प्रति न्यायाधीश लंबित मामले	110
क़ानूनी सहायता	चित्र 35: प्रति लाख जनसंख्या पर PLV	123
	चित्र 36: क़ानूनी सहायता प्रणाली में महिलाएं	125
	चित्र 37: गांव प्रति विधिक सहायता क्लीनिक	126
	चित्र 38: लोक अदालतों का प्रदर्शन	129
	चित्र 39: धनराशि का प्रवाह	131
राज्य मानवाधिकार आयोग	चित्र 40: शिकायत प्राप्त होने के बाद की प्रक्रिया	143
	चित्र 41: राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना	144
	चित्र 42: NHRC और SHRC द्वारा प्राप्त शिकायतें	146
	चित्र 43: 2022-23 में कुल मामलों में से शुरुआत में निपटाए गए मामलों का अनुपात	147
	चित्र 44: 2023-24 में जांच कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी	149
	चित्र 45: 2023-24 में जेलों और अन्य संस्थानों में किए गए दौरे	150
	चित्र 46: राज्य मानवाधिकार आयोगों की वेबसाइटों का विश्लेषण	151

मानचित्रों की सूची

राष्ट्रीय निष्कर्ष	मानचित्र 1: ओवरऑल रैंकिंग; बड़े और मध्यम आकार के राज्य	12
	मानचित्र 2: ओवकऑल रैंकिंग; छोटे राज्य	12
	मानचित्र 3: विविधता में रैंकिंग; बड़े और मध्यम आकार के राज्य	15
	मानचित्र 4: विविधता में रैंकिंग; छोटे राज्य	15
	मानचित्र 5: मानव संसाधन रैंकिंग; बड़े और मध्यम आकार के राज्य	20
	मानचित्र 6: मानव संसाधन रैंकिंग; छोटे राज्य	20
	मानचित्र 7: इरादों की रैंकिंग; बड़े और मध्यम आकार के राज्य	26
	मानचित्र 8: इरादों की रैंकिंग; छोटे राज्य	26
पुलिस	मानचित्र 9: पुलिस रैंकिंग; बड़े और मध्यम आकार के राज्य	40
	मानचित्र 10: पुलिस रैंकिंग; छोटे राज्य	40
जेल	मानचित्र 11: जेलों की रैंकिंग; बड़े और मध्यम आकार के राज्य	70
	मानचित्र 12: जेलों की रैंकिंग; छोटे राज्य	70
न्यायपालिका	मानचित्र 13: न्यायपालिका की रैंकिंग; बड़े और मध्यम आकार के राज्य	98
	मानचित्र 14: न्यायपालिका की रैंकिंग; छोटे राज्य	98
क़ानूनी सहायता	मानचित्र 15: क़ानूनी सहायता की रैंकिंग; बड़े और मध्यम आकार के राज्य	118
	मानचित्र 16: क़ानूनी सहायता की रैंकिंग; छोटे राज्य	118
राज्य मानवाधिकार आयोग	मानचित्र 17: राज्य मानवाधिकार आयोग रैंकिंग; बड़े और मध्यम आकार के राज्य	140

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के विषय में

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2025 भारत का पहला और एकमात्र व्यापक गणनात्मक सूचकांक है जो सरकार के आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करके औपचारिक न्याय व्यवस्था के 'स्तंभों' की क्षमता का मूल्यांकन करता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पहली बार 2019 में प्रकाशित हुई थी। यह रिपोर्ट हर राज्य की संरचनात्मक और वित्तीय क्षमता में सुधार और स्थायी कमी का पता लगाती है। सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की न्याय प्रदान करने की क्षमता का आकलन उनकी पुलिस, न्यायपालिका, जेल, क़ानूनी सहायता और मानवाधिकार आयोगों के बजट, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा, कार्यभार, और विविधता जैसे गणनात्मक मापदंडों पर किया गया है। यह दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव (CHRI), कॉमन कॉज़, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS-प्रयास के सहयोग से शुरू किया गया एक साझा प्रयास है।

मुख्य रिपोर्ट पढ़ने, आंकड़े जानने और अधिक इस्तेमाल के लिए
https://indiajusticereport.org पर क्लिक करें।

ईमेल आईडी: indiajusticereport@gmail.com
फोन नंबर: 9717676026 / 7837144403

Centre for Social Justice | COMMON CAUSE | CHRI | DAKSH | TISS PRAYAS | VIDHI Centre for Legal Policy

Data/design partner: How INDIA Lives

Supported by: Ravi Venkatesan | LAL FAMILY FOUNDATION | Tree of Life Foundation | ROHINI NILEKANI philanthropies | TATA TRUSTS | Frappe | Cyrus Guzder | J.T. Pathak Trust